


**STEPS TAKEN REGARDING EXPORT PROMOTION IN
INDIA AND THEIR CRITICAL EVALUATION**
**भारत में निर्यात सम्बर्द्धन के सम्बन्ध में उठाये
गये कदम एवं उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन**

डी०फिल० उपाधि हेतु प्रस्तुत
शोध-प्रबन्ध

प्रस्तुतकर्ता
श्याम धर मौर्य

शोध-निर्देशक
डा० ए०ए० सिद्दीकी
रीडर



वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद
1997

प्राक्कथन

1972 के बाद से भारत की विदेशी विनिमय की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है जिसका मुख्य कारण है अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेल का बढ़ता हुआ मूल्य। तेल आयात को तो हम कम कर नहीं सकते। आयातित तेल का मूल्य लगातार बढ़ते रहने के कारण हमारे सामने विदेशी विनिमय की समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। अपने विकास को गति प्रदान करने के लिए हमें तेल के अलावा भी विभिन्न वस्तुओं का आयात करना पड़ता है। उदारीकरण के कारण हमारे आयातों की मात्रा और भी बढ़ती जा रही है। इस समस्या से निपटने का एक ही रास्ता समझ में आता है और वह है अपने निर्यात में लगातार अधिकाधिक वृद्धि करने का प्रयत्न। निर्यात वृद्धि केवल सम्बन्धित राष्ट्र के नियंत्रण में ही नहीं होता, बल्कि इस पर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही प्रकार के घटकों का प्रभाव पड़ता है। उदाहरण के लिए एक ओर हम अपने निर्यात को बढ़ाने का प्रयत्न करें और दूसरी ओर दूसरे देश अपने आयात को कम करने का प्रयत्न करें तो ऐसे में हमें अपने उद्देश्य में सफलता नहीं मिलेगी। हर देश यथासम्भव अपने निर्यात को बढ़ाने के लिए अपने निर्यातकों को विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ प्रदान करता है और निर्यातक उसका लाभ भी उठाते हैं, परन्तु सदैव ऐसा नहीं होता। विभिन्न कारणों से सुविधाओं का पूरा-पूरा लाभ निर्यातकों को नहीं मिल पाता। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुत अध्ययन में इस बात का पता लगाने का प्रयत्न किया गया है कि हमारे देश में जो सुविधाएँ निर्यातकों को प्रदान की जाती हैं, वो वास्तव में प्रभावशाली हैं या नहीं और है, तो किस सीमा तक।

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध में भारत के निर्यात के विकास के विभिन्न पहलुओं की विवेचना करने का प्रयास किया गया है। हमने भारत सरकार के द्वारा लिये गये विभिन्न प्रोत्साहन उपायों के वास्तविक प्रभावों का पता लगाने की कोशिश की है। यह हमेशा शिकायत है कि भारत सरकार द्वारा उठाये गये कदमों को निर्यातकर्ताओं के अच्छे आशाओं के अनुरूप उचित ढंग से क्रियान्वित नहीं किया जाता है। वे अधिकांशतः अपर्याप्त भी हैं। हमने इसका पता लगाने की कोशिश की है कि वे वास्तव में हमारे देश के बढ़ते हुए निर्यात में किस हद तक प्रभावी हैं।

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के आकड़ों को प्रमुख आधार बनाकर

अध्ययन किया गया है। प्रस्तुत शोध कार्य में नवीन तथ्यों को खोजने के लिए ज्यादातर सूचनाये विभिन्न समाचार पत्रों और प्रकाशनों के जरिये एकत्र किये गये हैं तथा साथ में दूरदर्शन में प्रसारित कार्यक्रमों का भी सहारा लिया गया है। भारत के निर्यात सम्वर्द्धन के विषय में अनुसंधान के परिणामस्वरूप कुछ वर्षों पूर्व जो अर्वाचीन मान्यताएँ और सिद्धान्त प्रतिपादित हुए, उनके परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध को पूरा करने का प्रयास किया गया है। निर्यात के विकास में उत्तरदायी राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों के विश्लेषण तथा विवेचना की चेष्टा की गई है। हमने भारत में विभिन्न निर्यात सम्वर्द्धन योजनाओं के प्रभावों का संक्षिप्त आलोचनात्मक मूल्यांकन करने का प्रयास किया है तथा साथ में उदारीकरण का निर्यात पर प्रभाव का भी संक्षिप्त अध्ययन करने की कोशिश की है।

मेरे शोध निर्देशक डा० ए०ए० सिद्दीकी को इस शोध-प्रबन्ध को पूर्ण कराने का पूरा श्रेय है। उनके विद्वतापूर्ण निर्देशन में यह कार्य संभव हुआ जो मेरे लिए गर्व की बात है। उनके लम्बे समय से लगातार गम्भीररूप से अस्वस्थ रहने के बावजूद उनके विशिष्ट सहयोग, नैतिक प्रेरणा एवं पथ-प्रदर्शन से मेरा यह कार्य अबाध गति से पूर्ण हुआ। इसके लिए मैं उनका कृतज्ञ हूँ।

मैं अपने विभाग के समस्त गुरुजनों विशेषकर प्रो० जगदीश प्रकाश, विभागाध्यक्ष एवं भूतपूर्व कुलपति इलाहाबाद विश्वविद्यालय, प्रो० जे० के० जैन एवं डा० आलोक कुमार श्रीवास्तव के अतिरिक्त वाणिज्य विभाग के कर्मचारियों, जनरल लाइब्रेरी के कर्मचारियों विशेषकर श्री राम नरेश कुशवाहा, तथा श्री उमा शंकर पाल को धन्यवाद देता हूँ।

मैं इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में कार्यरत श्री महावीर, सहायक प्रबन्धक (हिन्दी सेक्सन) तथा श्री सुखबीर सिंह एवं सुश्री माला भट्टाचार्य, कनिष्ठ व्यापार सूचना अधिकारी, (व्यापार सूचना केन्द्र) और डा० राम यश मौर्य (अवकाश प्राप्त) प्रोफेसर, आर्थिक प्रशासन एवं वित्तीय प्रबन्ध, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के प्रति आभार प्रकट करता हूँ।

मैं अपने पिता श्री फूल चन्द्र मौर्य (डिप्टी पोस्टमास्टर, कचेहरी प्रधान डाकघर, इलाहाबाद) एवं माता श्रीमती जयराजी देवी के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने मुझे शोध कार्य करने की प्रेरणा दी।

प्रस्तुत शोध-प्रबन्ध को पूर्ण करने में मेरे परिवार के सभी सदस्यों ने सक्रिय सहयोग दिया-विशेषकर अग्रज श्री रवीन्द्र नाथ मौर्य, अनुज संजय मौर्य, राजीव मौर्य, और आनन्द मोहन मौर्य के प्रति अपना विशेष आभार प्रकट करता हूँ, जिन्होंने हर पल मेरा उत्साहवर्धन करते हुए मेरे मनोबल को ऊँचा बनाये रखा जिसके परिणाम स्वरूप यह शोध-प्रबन्ध पूर्ण हो सका। मैं उदय राज मौर्य का विशेष आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने इस शोध-प्रबन्ध को पूरा कराने में सराहनीय योगदान प्रदान किया है। मैं अपने परिवार के अन्य सभी सदस्यों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूँ।

तिथि: 15 अगस्त 1997

श्याम धर मौर्य
(श्याम धर मौर्य)

वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

तालिका-सूची

तालिका संख्या	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
2.1	योजना काल में भारत का निर्यात व्यापार	39-40
2.2	विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा	41
2.3	प्रमुख वस्तुओं का विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा	42-44
2.4	भारतीय निर्यात में विभिन्न वस्तुओं का अनुपात	47
2.5	भारतीय निर्यात वस्तुओं की सरचना	48
2.6	भारत के निर्यात व्यापार की दिशा	54
4.1	भारत का सार्क देशों से व्यापार	124
4.2	विश्व के प्रमुख व्यापारिक एवं आर्थिक गुट	157-161
5.1	विश्व व्यापार (1987-1994)	173
8 1	प्रतियोगिता में भारत का स्थान	307
8.2	चुने हुए विकासशील देशों के सकल घरेलू उत्पाद के निर्यात का अनुपात	308
8 3	विकासशील देशों में भारत का स्थान	309
8 4	दस बड़े विकासशील देशों का विदेशी सीधा निवेश का औसत वार्षिक आयात	312

विषय-सूची

	पृष्ठ संख्या
प्राक्कथन	i-iii
तालिका-सूची	iv
अध्याय- I	1-18
प्रस्तावना	
अध्याय- II	19-66
भारत का विदेशी व्यापार एवं उसकी समस्याएँ	
अध्याय- III	67-98
भारत में निर्यात से सम्बन्धित विभिन्न संस्थाओं का संक्षिप्त अध्ययन	
अध्याय- IV	99-161
निर्यात बढ़ाने के लिए व्यूह रचना के एक भाग के रूप में क्षेत्रीय सहकारिता	
अध्याय- V	162-188
अन्य विकासशील देशों में निर्यात सम्वर्द्धन योजनाओं का संक्षिप्त अध्ययन	
अध्याय- VI	189-234
विभिन्न योजनाओं एवं विभिन्न आयात-निर्यात नीतियों के दौरान निर्यात को प्रोत्साहन	
अध्याय- VII	235-301
निर्यात सम्वर्द्धन योजनाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन तथा उदारीकरण का निर्यात पर प्रभाव	
अध्याय- VIII	302-346
निर्यात सम्वर्द्धन में बाधाएँ एवं उनके निराकरण हेतु सुझाव	
संदर्भग्रंथ-सूची	347-351

अध्याय-I

प्रस्तावना

प्रस्तावना

एक अल्प-विकसित राष्ट्र के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व बहुत ही अधिक होता है। उनके सम्मुख विद्यमान निर्धनता के दुश्चक्र को तोड़ने हेतु पूँजी निर्माण की आवश्यकता की पूर्ति के एक महत्वपूर्ण श्रोत के रूप में उसके निर्यात उल्लेखनीय भूमिका अदा कर सकते हैं।

देश की सुरक्षा और आर्थिक विकास को ध्यान में रखते हुए निर्यातों में वृद्धि करना भारत के विदेशी व्यापार का प्रमुख उद्देश्य रहा है। किन्तु 1951 से ही हमारे देश के आयातों में भारी वृद्धि हुई है तथा तुलनात्मक रूप से निर्यातों में कम वृद्धि हुई है। 1950 में भारत का निर्यात कुल विश्व निर्यात का 2.1 प्रतिशत था जो 1985 में घटकर 0.4 प्रतिशत रहा गया। 1992 में विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा 0.52 प्रतिशत रहा, जो हमारी अर्थव्यवस्था के लिए चिन्ता का विषय है। इस स्थिति को समाप्त कर विश्व निर्यात में भारत का प्रतिशत बढ़ाना आवश्यक है। विशेष रूप से निर्मित एवं अर्द्धनिर्मित माल का निर्यात बढ़ाना बहुत आवश्यक है ताकि आर्थिक विकास की गति को तीव्र किया जा सके।

भारत में निर्यात-सम्बर्द्धन की आवश्यकता

जब तक भारत अपने निर्यात व्यापार में वृद्धि नहीं करता तब तक वह अपने अनिवार्य आयातों का भुगतान नहीं कर सकता तथा भुगतान का सन्तुलन भी बनाये नहीं रख सकता। भारत में निर्यात सम्बर्द्धन की आवश्यकता के कुछ प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं-

(I) व्यापार का प्रतिकूल सन्तुलन

भारत के प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन के कारण निर्यात सम्बर्द्धन की आवश्यकता पड़ी। व्यापार का प्रतिकूल सन्तुलन द्वितीय विश्वयुद्ध से प्रारम्भ हुआ तथा हमारे देश का भुगतान सन्तुलन निरन्तर हमारे विपक्ष में रहा और भुगतान के सन्तुलन में उतार-चढ़ाव आता रहा। इस स्थिति में सुधार केवल निर्यात सम्बर्द्धन से ही सम्भव है।

(II) बढ़ते हुए आयात

जैसे-जैसे विकास की गति तेज होती जाती है, वैसे-वैसे आयातों की आवश्यकता बढ़ती जाती

है। विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में आयात करना ही पड़ता है। बढ़ते हुए आयातों का भुगतान करने के लिये निर्यात को बढ़ाना आवश्यक है।

(III) विदेशी मुद्रा की कमी

आयातों का भुगतान विदेशी मुद्रा में या मूल्यवान धातुओं में किया जाता है। मूल्यवान धातुओं, सोना और चाँदी का भारत में अभाव है तथा विदेशी मुद्रा के भण्डारों में कमी होती रही है। इन संघितियों की पूर्ति के लिए निर्यात सम्वर्द्धन आवश्यक है।

(IV) आत्मनिर्भर और आत्मजनक अर्थव्यवस्था

भारत की पंचवर्षीय योजनाओं की सफल कार्यान्विति विदेशी सहायता पर निर्भर है। विदेशी सहायता पर बहुत निर्भरता अवांछित है। विदेशी सहायता के साथ विदेशी झण्डा भी आता है। इसलिये अपनी अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर और आत्मजनक बनाने के लिए निर्यात सम्वर्द्धन जरूरी है।

(V) विकास-योजनाओं का सफल निष्पादन

हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में सम्मिलित की गई अधिकांश महत्वपूर्ण योजनाओं का सफल निष्पादन पर्याप्त विदेशी मुद्रा के भण्डारों की उपलब्धि पर निर्भर करता है। इन योजनाओं के लिये आवश्यक कच्चे माल, संघटकों, तकनीकी ज्ञान, मशीनों आदि की पूर्ति के लिये बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होती है जिनकी प्रति निर्यात-सम्वर्द्धन से ही सम्भव है।

(VI) नये उत्पादों का विपणन

हमारी पाँच पंचवर्षीय योजनाओं की सफल क्रियान्विति के परिणामस्वरूप कई नये उद्योगों की स्थापना हुई। ये उद्योग न केवल देश की घरेलू आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, बल्कि निर्यात के लिये पर्याप्त आधिक्य का उत्पादन करते हैं। इन वस्तुओं के लिए निर्यात बाजार ढूँढने के लिये निर्यात सम्वर्द्धन आवश्यक है।

निर्यात व्यापार का अध्ययन

विदेशी व्यापार का अर्थ उस व्यापार से होता है जो एक देश की सीमाएं पार कर जाता है।

विदेशी व्यापार में आयात एवं निर्यात दोनों सम्मिलित किया जाता है। आयात से तात्पर्य विदेशों से माल मंगाना है तथा निर्यात से तात्पर्य विदेशों को सामान बेचना है। आज के युग में यातायात एवं संचार के साधनों की उपलब्धता, मितव्ययिता एवं सुरक्षा के कारण एक देश अपने उत्पादों को विश्व के कोने-कोने में बेचता है।

स्वतन्त्रता के बाद से भारत का निर्यात व्यापार विभिन्न मोड़ों से होकर गुजरा है। द्वितीय विश्व-युद्ध से पूर्व भारत ने निर्यात-नियन्त्रण की नीति अपनाई थी लेकिन स्वतन्त्रता के बाद यह आवश्यक हो गया कि निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए प्रयास किया जाय। 1947 के बाद निर्यात व्यापार का मुख्य उद्देश्य प्रसारवादी दशाओं को रोकना और विदेशी मुद्रा अर्जित करना बन गया।

निर्यातों की मात्रा में वृद्धि के कई कारण हैं। प्रथम, पश्चिमी देशों में अब मंदी का प्रभाव नहीं है, इसलिये वहाँ भारतीय माल की मांग बढ़ने लगी है। सरकार निर्यातों को बढ़ाने के लिये विभिन्न प्रेरणायें प्रदान करती है। सरकार द्वारा निर्यात उद्योगों को आयात की अनेक सुविधायें प्रदान की जाती हैं। चाय, आदि विभिन्न वस्तुओं पर निर्यात करों की मात्रा कम कर दी गयी है। पहले जो तेल, तिलहन तथा खली के निर्यात पर परिमाणात्मक प्रतिबन्ध लगे हुए थे उन्हें अब समाप्त कर दिया गया है। जो चीजें निर्यात की वस्तुओं को बनाने के काम आती हैं उन पर से करों को या तो हटा दिया गया है अथवा कम कर दिया गया है। 1962-63 में देश में जूट का उत्पादन अधिक हुआ तथा विदेशी मंडियों में उसकी मांग अधिक रही। जिसके परिणामस्वरूप जूट से बनी हुई वस्तुओं का निर्यात अधिक किया गया। उस वर्ष हथकरघे के कपड़े का निर्यात बढ़ा और चाय का घटा।

“1947 के बाद भारत के निर्यात व्यापार में अनेक परिवर्तन हुये हैं। देश की अर्थव्यवस्था को उचित आधार प्रदान करने के लिए देश के निर्यातों को बढ़ाने की दिशा में विभिन्न प्रयास किये गये। भारत के निर्यात व्यापार में किये गये इन परिवर्तनों के लिए अनेक कारण उत्तरदायी हैं। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद विभिन्न कठिनाइयों तथा समस्याओं ने भारतीय व्यापार को अवरुद्ध कर दिया। यातायात की कठिनाइयाँ, कच्चे माल तथा रसायनों का अभाव, विदेशी विनिमय सम्बन्धी बाधाएँ और सरकारी नियंत्रण का बाहुल्य आदि के कारण निर्यात व्यापार की मात्रा घट गई।

स्वतन्त्रता के बाद व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना परमावश्यक बन गया। क्योंकि ऐसा करके ही आयातों की बढ़ती हुई आवश्यकता को पूरा किया जा सकता था।”¹

1963 में निर्यात को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रयास किये गये। विभिन्न वस्तुओं के निर्यात पर से पाबन्दियों को हटाया गया। कपास, खली तथा हथकढ़ों का कपड़ा आदि विषयों पर निर्यात के नियतांश को बढ़ाया गया। निर्यात सम्बन्धी प्रचार और प्रसार के लिये विभिन्न उपाय किये गये वस्तुओं की किस्म पर नियन्त्रण रखा जाने लगा। जहाज में माल लादने से पूर्व वस्तुओं का निरीक्षण करने के लिये कानून बनाया गया। खनिज तथा धातु व्यापार निगम की स्थापना की गई, जिनका कार्य सरकारी व्यापार की देख-रेख करना था। विभिन्न वस्तुओं के लिये ‘निर्यात प्रोत्साहन परिषद’ बनाई गई और रेलवे द्वारा यह घोषणा की गई कि इंजीनियरिंग उद्योग के 65 वस्तुओं के भाडे में 25 प्रतिशत की छूट दी जायेगी।

अवमूल्यन का प्रभाव भी निर्यात की मात्राओं पर पर्याप्त पड़ा। रूपये का अवमूल्यन करते समय सरकार ने आयात अधिकार और कर प्रत्यय प्रमाण पत्र योजना तथा सीधी राज्य सहायताओं का बन्द कर दिया जो निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिये प्रारम्भ की गई थी। रूपये का अवमूल्यन निर्यातों के लिए अधिक लाभकारी रहेगा क्योंकि कोई भी निर्यात-कर्ता विदेशी मुद्रा की किसी भी राशि के बदले रूपयों की दृष्टि से 59.5 प्रतिशत अधिक रकम पा सकता था।

“आर्थिक विकास की प्रक्रिया में किसी भी विकासशील देश को किन्ही न किन्हीं कारणों से विदेशी विनिमय की समस्या का सामना करना पड़ता है। जिसके निम्न सम्भावित कारण हो सकते हैं-

- (i) विदेशी मांग की प्रतिकूल दशाएँ
- (ii) अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में असन्तुलन और ढाँचे की कठोरताएँ
- (iii) आर्थिक सहायता व नीतियों के सही कार्यान्वयन का अभाव

यदि विदेशी सहायता पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं होती तो विदेशी विनिमय के सकट को दूर करने के लिए इन देशों के पास दो विकल्प रह जाते हैं।

1 डा० डी०एन०गुर्दू- अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, कालेज बुक डिपो, जयपुर, 1971-72, पृ०- 471

- (अ) आयात प्रतिस्थापन के माध्यम से आयातों में कमी,
 (ब) निर्यातों को प्रोत्साहन देकर उनसे अर्जित आय में वृद्धि।”¹

अल्प-विकसित देशों को आर्थिक विकास के लिए निरन्तर अधिक आयातों की आवश्यकता होती है, अतः आयातों को कम नहीं किया जा सकता। इस स्थिति में केवल एक ही उपाय रह जाता है कि निर्यात को बढ़ाया जाय। निर्यात अपने आप में लक्ष्य नहीं है वरन ऐसा माध्यम है जिससे विदेशी मुद्रा मिलती है जिससे हम आयातों का भुगतान कर सकते हैं। निर्यातों से अर्जित आय का आर्थिक विकास की गति से निकटतम सम्बन्ध है।

भारत में निर्यात की आवश्यकता

भारत एक घनी आबादी वाला विकासशील देश है। इसलिये यहाँ पर निर्यात में विकास की आवश्यकता विभिन्न दृष्टियों से है।

(I) औद्योगिक विकास के लिए आयात की आवश्यकताएँ

भारत एक विकासशील देश है, जिसे अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने, देश में यातायात, संचार, पुल तथा बिजली का निर्माण करने तथा मूलभूत उद्योगों की स्थापना के लिए आयात की आवश्यकता है। देश में बहुत से उद्योग धंधे खुल चुके हैं, उनके लिए कच्चे माल, पेट्रोलियम, खनिज तथा पार्स और कम्पोनेन्ट्स की आवश्यकता है। विदेशी तकनीक की आवश्यकता है। इनकी पूर्ति तभी हो सकती है जब देश में विदेशी मुद्रा हो और पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए निर्यात में वृद्धि करना आवश्यक है।

(II) विदेशी ऋणों के भुगतान का भार

भारत ने पंचवर्षीय योजनाओं के प्रारम्भिक काल में और बाद में देश में रेल, सड़क, पुल, बहुउद्देश्यीय परियोजनाएँ लोहे तथा स्पात के कारखानों तथा संचार व्यवस्था के सुधार तथा सैनिक उपकरणों की आवश्यकता के लिए विदेशी सरकारों तथा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से दीर्घकालीन ऋण लिए हैं। वर्तमान में भारत पर लगभग 150,000 करोड़ रुपये का विदेशी ऋण है। इनके भुगतान

1 डा० जी०सी० सिंघई- अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, साहित्य भवन, हास्पिटल रोड, आगरा, 1993, पृ०- 478

तथा इनके ब्याज के भुगतान के लिए भी भारी विदेशी विनिमय की आवश्यकता है और दीर्घकाल में बिना निर्यात वृद्धि के काम नहीं चल सकता।

(III) उपभोक्ता वस्तुओं के आयात की आवश्यकताएं

आज देश खाद्यानों की दृष्टि से आत्म निर्भर है फिर भी आपातकाल सूखा आदि के समय अथवा कुछ आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का आयात करना पड़ता है, उसके लिए भी निर्यात करना आवश्यक हो जाता है।

(IV) औद्योगिक विकास एवं तकनीक में सुधार

देश में पंचवर्षीय योजना काल में बहुत से छोटे-बड़े उद्योग स्थापित हुए हैं। यदि उन्हें पूर्ण क्षमता पर चलाना है तो अतिरिक्त उत्पादन के लिए विदेशी बाजारों में उन्हें बेचना आवश्यक है। फिर उससे विशिष्टीकरण, बृहत पैमाने पर उत्पादन से लागत की कमी तथा उत्पादन तकनीक में सुधार जैसे लाभ का अवसर भी प्राप्त होता है। देश में रोजगार बढ़ता है और सम्पन्नता आती है, इससे भी निर्यात के वृद्धि की आवश्यकता है।

(V) भुगतान सन्तुलन बनाए रखना

विदेशों से व्यापार में भारत को भुगतान सन्तुलन बनाए रखना होता है। यदि भुगतान सन्तुलन निरन्तर विपक्ष में रहता है तो इससे देश की विदेशों में साख गिरती है और स्वर्ण कोषों का बहिर्गमन होने की सम्भावना बढ़ती है। भारत दीर्घकाल में अपने विकास अथवा अन्य आवश्यकताओं के लिए विदेशी ऋण या सहायता पर निर्भर नहीं कर सकता। निर्यात वृद्धि ही दीर्घकालीन समाधान है। अतः निर्यात को हर तरह बढ़ाने की आवश्यकता है।

(VI) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

कभी-कभी कुछ देशों को निर्यात, उन देशों की विकास अथवा अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करना आवश्यक हो जाता है। मित्र देशों से आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध बनाए रखने के लिए आयात-निर्यात दोनों ही आवश्यक होते हैं।

निर्यात-व्यापार का संगठन

भारत के निर्यात व्यापार के संगठन का तीन दृष्टियों से विश्लेषण किया जा सकता है- उत्पादन की प्रकृति, बिक्री के तरीके और निर्यात कर्ताओं की प्रकृति

उत्पादन की प्रकृति

भारत द्वारा जिन प्रमुख वस्तुओं का निर्यात किया जाता है, उनमें चाय, जूट का माल, रूई की निर्मित वस्तुएँ, तेल, खनिज पदार्थ, दाल, खेलकूद का सामान और तम्बाकू आदि प्रमुख हैं। इनमें से प्रथम तीन वस्तुएँ देश के कुल निर्यात का आधा भाग है। यही कारण है कि इनके उत्पादन की ओर अधिक ध्यान दिया जाता है। यद्यपि चाय, जूट और रूई की निर्मित वस्तुओं के उत्पादन में बड़ी इकाईयाँ कार्य करती हैं, लेकिन फिर भी इनके व्यापार के लिए कोई एक तरीका नहीं अपनाया जाता। चाय के उत्पादन पर केन्द्रीयकृत नियन्त्रण होने के कारण उसका व्यापार भी केन्द्रीयकृत बन गया है। दूसरी ओर जूट और रूई के निर्मित माल को विभिन्न छोटे और मध्यम श्रेणी के निर्यात-कर्ताओं द्वारा मिलों से खरीदा जाता है। अतः इनके व्यापार में केन्द्रीयकरण नहीं होता वरन् यह बिखरा हुआ होता है। चाय के निर्यात व्यापार में दलालों का मुख्य स्थान है। दलालों द्वारा क्रेता बिक्रेता को नजदीक लाया जाता है और साथ ही उद्यम की वित्तीय व्यवस्था भी की जाती है। इन तीनों प्रमुख वस्तुओं का उत्पादन पर्याप्त सुसंगठित है और इनका व्यापार मुख्यतः परम्परागत मांगों में होकर गुजरता है। ऐसी स्थिति में इनके व्यापार में अनेक निहित स्वार्थ पैदा हो जाते हैं जो प्रत्येक परिवर्तन का विरोध करते हैं।

अन्य वस्तुओं के निर्यात व्यापार का संगठन भिन्न होता है। इनमें से बहुत सी चीजें तो ऐसी होती हैं जिनका उत्पादन अत्यन्त अल्प मात्रा में किया जाता है। यातायात की सुविधाएँ पर्याप्त न होने के कारण इस प्रकार की वस्तुएँ उत्पादन केन्द्रों से बन्दरगाहों तक भी मुश्किल से पहुँच पाती हैं। इन वस्तुओं का उत्पादन जिस प्रकार होता है उसके कारण स्थानीय व्यापारियों का महत्व बढ़ जाता है। इन स्थानीय व्यापारियों की अधिक संख्या एवं अकार्यकुशलता वस्तु के मूल्य को पर्याप्त बढ़ा देती है। इन वस्तुओं के आवागमन में प्रत्येक स्तर पर धन की आवश्यकता होती है। सम्बन्धित व्यापारियों के छोटे होने के कारण बैंक को माध्यम नहीं बनाया जाता।

बिक्री के तरीके

निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की बिक्री के लिए जो विस्तृत प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, वे वस्तु के अनुसार बदलती रहती हैं। व्यापार की पहल विदेशी खरीददारों द्वारा की जाती है। ये विदेशी खरीददार भारत में स्थित उनके एजेंटों से अथवा विदेशों में स्थित निर्यात-कर्ता के एजेंटों से पूछ-ताछ करते रहते हैं। आयात-कर्ताओं को माल की उपलब्धता की सूचना प्रायः दलालों के माध्यम से प्राप्त होती है। ये दलाल सामान्य रूप से आधा से लेकर एक प्रतिशत तक दलाली प्राप्त करते हैं। कस्टमों से माल को निकालना और उन्हें जहाज पर लदवाना आदि कार्य पर्याप्त विशेषज्ञतापूर्ण होता है। इनमें समय-समय पर नये तरीकों का आविष्कार होता रहता है। बड़े-बड़े निर्यात-कर्ता बन्दरगाहों पर स्वयं के चुँगी कर कार्यालय रखते हैं, जिनमें पर्याप्त विशेषज्ञ कर्मचारी होते हैं। छोटे तथा मध्यम वर्ग के निर्यात-कर्ता मुख्य रूप से बन्दरगाह पर स्थित दलालों की सेवा का लाभ उठाते हैं। जब निर्यात-कर्ता को उसका भुगतान प्राप्त हो जाता है अथवा उसका उपयुक्त दावा स्वीकार कर लिया जाता है तो माल पर से उसका नियन्त्रण हट जाता है।

निर्यात-कर्ता की प्रकृति

भारत के निर्यात व्यापार का अधिकांश कार्य अप्रत्यक्ष रूप से सम्पन्न किया जाता है। चाय और इन्जीनियरिंग के सामान जैसी वस्तुओं को छोड़कर दूसरी वस्तुओं का निर्यात-व्यापार मुख्यतः व्यावसायिक जहाजी विशेषज्ञों के हाथ में रहता है। ये लोग या तो कमीशन एजेंटों के रूप में कार्य करते हैं अथवा स्वतन्त्र रूप से व्यापार को संचालित करते हैं।

भारतीय विदेशी व्यापार में स्वतन्त्रता के बाद से जो नये मोड़ आये उनके परिणाम स्वरूप निर्यात व्यापार के गृहों में पर्याप्त विश्वास प्रकट किया जाता है तथा व्यापार गृहों एवं उत्पादकों के बीच पर्याप्त समन्वय की बात कही जाती है। विदेशी आयात-कर्ता प्रायः प्रत्यक्ष रूप से खरीददारी कराते हैं ताकि मध्यस्थों को दूर रखकर लागत को घटाया जा सके। भारत में व्यापार गृहों का सगठन ही निर्यात की प्रक्रियाओं की कार्यकुशलता का एक मुख्य आधार है। भारत में इस प्रकार के आयात तथा निर्यात-गृहों की संख्या 20 से 25 हजार तक है। यहाँ निर्यात-कर्ताओं को पंजीकृत करने की कोई व्यवस्था नहीं है और यही कारण है कि निर्यात-व्यापार से सम्बन्धित आवश्यक

आकड़े नहीं मिल पाते। इसके अतिरिक्त किसी फर्म का आन्तरिक-संगठन, उसके व्यापार का आकार तथा तरीके, वित्त के श्रोत आदि विषयों को पर्याप्त गोपनीय माना जाता है और इनके सम्बन्ध में सही-सही जानकारी प्राप्त करना कठिन बन जाता है।

भारतीय निर्यात के प्रमुख लक्षण

द्वितीय विश्व युद्ध के पहले भारत में उद्योग-धन्धे बहुत पिछड़ी हुई दशा में थे। कुछ परम्परागत उद्योगों को छोड़कर देश में यातायात, संचार, बिजली, मूल उद्योगों तथा पूँजीगत उद्योगों का हमेशा अभाव रहा है लेकिन भारत उस समय ब्रिटिश सरकार के अधीन था। अतः भारत से कृषि पदार्थ, कच्चे माल और खनिज जैसे आवश्यक संसाधनों का निर्यात होता था। द्वितीय विश्वयुद्ध काल के दौरान युद्ध की कठिनाइयों एवं ब्रिटेन के युद्ध में फस जाने से देश में कुछ उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के कारखानें खुले और भारत ने अफ्रीका तथा मध्य और पूर्व के देशों को कुछ निर्यात भी किया। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद देश में पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत नियोजित विकास प्रारम्भ हुआ। प्रारम्भिक तीन योजनाओं में देश में उद्योग धन्धे स्थापित होते रहे। बिजली परियोजनाओं का निर्माण हुआ, संचार एवं यातायात व्यवस्था में सुधार हुआ, लेकिन उत्पादन के अभाव में निर्यात में कोई विशेष वृद्धि नहीं हो सकी। तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद निर्यात में तेजी से वृद्धि प्रारम्भ हुई। तृतीय पंचवर्षीय योजना तक निर्यात में धीमी प्रगति के कारणों में कुछ कारण निम्न हैं-

- (i) भारत के निर्यात मर्दों में चाय, जूट तथा सूती वस्त्र जैसे परम्परागत सामान थे, जिनकी अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में माग अलोचपूर्ण थी।
- (ii) निर्यात योग्य वस्तुओं के उत्पादन का अभाव
- (iii) निर्यात की वस्तुओं का अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में अधिक मूल्य और खराब किस्म

सरकार के प्रयासों, रुपये के अवमूल्यन तथा देश में औद्योगिक विकास के कारण निर्यातों में सन् 1966 के बाद वृद्धि हुई। तब से भारत के निर्यातों में निरन्तर तेजी से वृद्धि हो रही है।

निर्यात का महत्व

निर्यात का महत्व आजकल के युग में सभी राष्ट्रों के लिए होता है, चाहे वह विकसित राष्ट्र हो, विकासशील या अविकसित। प्रत्येक देश कुछ विशेष भौतिक एवं मानवीय संसाधनों से सम्पन्न होता है

और वह कुछ ही वस्तुएँ अच्छी और सस्ती उत्पादित कर सकता है। उन वस्तुओं को वह प्रचुर मात्रा में उत्पादन करके विदेशों को बेच देता है और बदले में अपनी आवश्यकता की वस्तुएँ आयात कर लेता है। इससे दोनों देशों को लाभ होता है और वे एक दूसरे पर आश्रित हो जाते हैं। इससे विश्व बन्धुत्व की भावना एवं सहयोग को बल मिलता है।

(I) बड़ी मात्रा में उत्पादन के लाभ

एक देश अपना सारा ध्यान उन्ही वस्तुओं के उत्पादन पर केन्द्रित कर सकता है जो वहाँ प्रकृति की देन के कारण सुगमता से पैदा की जा सकती है। इससे उत्पादन विधि में सुधार, विशिष्टीकरण एवं श्रम विभाजन तथा अनावश्यक व्ययों का अन्त होता है। बृहत उत्पादन की अन्य मितव्ययिताएँ भी आती हैं। अतः अतिरिक्त माल का निर्यात बड़ी मात्रा में उत्पादन के लाभ को सम्भव बनाता है।

(II) अतिरिक्त उत्पत्ति का अच्छे मूल्यों पर विक्रय

निर्यात के द्वारा एक देश प्रचुर मात्रा में किसी वस्तु का उत्पादन करके उसे विदेशी बाजार में बेच सकता है। इससे एक ओर उत्पादन लागत गिरती है और दूसरी ओर उसका अधिक लाभकारी मूल्य प्राप्त हो जाता है।

(III) नये-नये उद्योग धन्धों को प्रोत्साहन

निर्यात से प्रोत्साहन पाकर देश में नये-नये उद्योग धन्धों का विकास होता है। जिससे देश में रोजगार एवं आय अर्जन के अवसर बढ़ते हैं और सम्पन्नता आती है।

(IV) आयात के लिए आवश्यक

किसी देश के लिए आवश्यक सभी वस्तुओं एवं संसाधनों का उत्पादन सम्भव नहीं है अथवा कठिन अवश्य है। अतः उन चीजों का विदेशों से आयात आवश्यक होता है। यदि एक देश निर्यात द्वारा विदेशी मुद्रा का अर्जन नहीं करता, तो वह अपनी आवश्यक वस्तुओं का आयात भी नहीं कर सकेगा।

(V) प्राकृतिक साधनों का अधिकतम प्रयोग

आयात एवं निर्यात के कारण प्रत्येक देश अपने प्राकृतिक साधनों का अधिकतम उपयोग एवं विकास करने में समर्थ होता है। एक देश उन्हीं वस्तुओं के उत्पादन एवं निर्माण पर सबसे अधिक

ध्यान देता है, जिनसे उसे न्यूनतम लागत एवं अधिकतम लाभ प्राप्त होता है। ऐसी वस्तुओं का निर्यात करके वह अपनी अन्य वस्तुओं का आयात कर सकता है।

(VI) सभ्यता का प्रतीक

विदेशों से आयात एवं निर्यात के कारण दो देशों के निवासी एक दूसरे के सम्पर्क में आते हैं। इससे पारस्परिक ज्ञान, कला, सभ्यता और संस्कृति का दो देशों में आदान-प्रदान बढ़ता है। दो देशों के बीच मित्रता, सहयोग एवं सद्भावना का विकास होता है। आर्थिक दृष्टि से पिछड़े देशों को आगे बढ़ने का अवसर मिलता है और इस तरह अन्तर्राष्ट्रीय सभ्यता एवं भाईचारे का विकास होता है।

(VII) उपभोक्ताओं को लाभ

विश्व के उपभोक्ताओं को अच्छे और सस्ते उत्पादों को उपभोग करने का अवसर मिलता है। विश्व एकाधिकार की भावना समाप्त होती है। विश्व के मूल्यों में एकरूपता और स्थायित्व आता है और विश्व के उपभोक्ताओं का रहन-सहन का स्तर ऊँचा उठता है।

(VIII) अन्य लाभ

- “(1) यातायात, संचार एवं उत्पादन तकनीकों में सुधार
- (2) कुशलता में वृद्धि
- (3) विदेशी मुद्रा का अर्जन
- (4) अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एवं शांति
- (5) मूल्यों में स्थायित्व
- (6) संकटकालीन सहायता
- (7) विदेशी भ्रमण का अवसर आदि।”¹

भारत में स्वतन्त्रता के बाद आत्मनिर्भरता की जो संकल्पना स्वीकार की गयी, उसकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता देश के वाह्य सन्तुलन को बनाये रखना है, जिसकी प्राप्ति हेतु आयात पर निर्यात मूल्यों की अधिकता अति आवश्यक बन जाता है। निर्यात के इसी महत्व के कारण निर्यात की

1 जे०के० जैन- क्रियात्मक प्रबन्ध, प्रतीक प्रकाशन, इलाहाबाद, 1988 पृ० -338

संरचना, दिशा, निर्यात सम्बर्द्धन के उपाय, व्यापार शर्त, और इस सन्दर्भ में सरकार की भूमिका से सम्बन्धित कुछ महत्वपूर्ण समस्यायें उभर कर सामने आती हैं। जिसके समाधान के लिए आवश्यक सिद्धान्तों, नियमों और उपायों का अन्वेषण और व्यावहारिक उपयोग की जरूरत होती है।

निर्यात सम्बर्द्धन में विदेशी विनिमय की भूमिका को देखते हुए अन्तर्राष्ट्रीय पूँजी बाजार और घरेलू बाजार में आर्थिक गतिशीलता को सन्तुलित ढंग से उपयोग में लाना होता है। चूँकि व्यापार का आर्थिक कारकों पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है, अतः व्यापार के संरचना निर्धारण में व्यापार की तुलनात्मक लागत सिद्धान्त और साधन समानीकरण सिद्धान्त का उपयोग किया जा सकता है। तुलनात्मक लागत सिद्धान्त इस तथ्य को निर्दिष्ट करता है कि भारत को उन वस्तुओं का निर्यात करना चाहिए जिसमें तुलनात्मक लाभ अधिकतम हो। यदि किसी वस्तु का निर्यात हानिप्रद है परन्तु आवश्यक है तो इस सन्दर्भ में उचित है कि हानि को न्यूनतम करने के उपाय किये जाने चाहिये।

साधन समानीकरण प्रमेय में प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री हेक्सचर ओहलिन ने यह बताया कि एक देश को उस वस्तु का निर्यात करना चाहिए जिसको उत्पादित करने के साधन तुलनात्मक रूप में प्रचुर हों और इसके विपरीत आयात होना चाहिये। ऐसा करने से ही तत् सम्बन्धित देश का लाभ अधिकतम हो सकता है।

उपर्युक्त दोनों सिद्धान्तों के निष्कर्ष के आधार पर भारत के सन्दर्भ में उचित यही लगता है कि कृषि तथा उससे सम्बन्धित उत्पादों के निर्यात में विशिष्टीकरण प्राप्त करना चाहिये। परन्तु यही पर एक बहुत ही प्रबल और यथार्थ समस्या उभरती है, जिसका अनुभवगम्य विश्लेषण प्रसिद्ध अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्री राउल प्रेविश, गुन्नारमिरडल, जगदीश भगवती ने किया, वह है प्रतिकूल दीर्घकालीन व्यापार की शर्त। इन अर्थशास्त्रियों ने अनुभव किया कि भारत जैसे अल्पविकसित देश के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार निरर्थक है। क्योंकि उनकी व्यापार की शर्त दीर्घकाल तक प्रतिकूल रहता है क्योंकि वे कृषि से सम्बन्धित वस्तुओं का निर्यात करते हैं, जिनका मूल्य बहुत ही कम होता है और जो विकासात्मक आयात मूल्यों की भरपायी के लिए पर्याप्त नहीं होता। फलतः दीर्घकाल तक भुगतान सन्तुलन प्रतिकूल बना रहता है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका प्राप्त करने के लिए भारत को कुछ विशेष उपायों की

जरूरत होगी, क्योंकि वर्तमान विश्व में नयी आर्थिक व्यवस्था में अपने को अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से जोड़ते हुए उन उपायों को तलाशना होगा, जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में हमारे निर्यातों का अंश बढ़े, विदेशी पूँजी का आयात अपेक्षाकृत सुलभ और सस्ती रहे, विदेशी विनिमय की स्थिति सुधरे, विनिमय दर में ज्यादा उच्चावचन न हों, घरेलू आर्थिक विकास को अन्तर्राष्ट्रीय जगत का भरपूर समर्थन मिले।

इस सन्दर्भ में एक ध्रुवी विश्व की राजनीतिक व्यवस्था में भारत को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु गुटनिरपेक्षता की नीति से व्यापक लाभ होने की सम्भावना बनती है। उदासीकरण भी देश की सम्प्रभुता को बनाये रखते हुए निर्यात सम्वर्द्धन सहायक होनी चाहिये। जिन वस्तुओं की निर्यात की सम्भावना हाल के वर्षों में बढ़ी है उसका विदोहन होना चाहिये। इसके लिए व्यापारिक नीति की महत्वपूर्ण भूमिका बनती है। निर्यात सम्वर्द्धन क्षेत्र का विस्तार हो, आयात प्रतिस्थापन की गति को और तीव्र करना होगा।

विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार ने निर्यात सम्वर्द्धन हेतु विभिन्न कार्यक्रमों को चलाया है, जिसकी आवश्यकतानुसार पुनरसंरचना और मूल्यांकन करते हुए कुछ नये कार्यक्रमों को स्वीकार करना होगा।

विकास और विदेशी व्यापार, विदेशी व्यापार और अन्तर्राष्ट्रीय शक्ति सन्तुलन, सांस्कृतिक सम्बन्ध

भारत जैसे अल्पविकसित देश के लिए अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का बहुआयामी प्रयोजन है। भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रधान विशेषता आर्थिक विकास के निम्न स्तर है। यहाँ औद्योगिक विकास यद्यपि स्वतन्त्रता के बाद काफी हुआ है। परन्तु वृद्धि की दर और इसका प्रभाव अप्रयाप्त है। औद्योगिक विकास कुछ ही क्षेत्रों में केन्द्रित है। कृषि तथा इससे सम्बन्धित उद्योग आज भी पिछड़ी हुई अवस्था में हैं। प्रति व्यक्ति उत्पादकता कम है। क्षेत्रिय असन्तुलन बना हुआ है। इसका कारण प्रौद्योगिकी का निम्न स्तर है और भूमि सुधार का अल्प क्रियावयन मुख्य है। यदि विकास की दृष्टि से अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर निगाह डाले तो इसकी भूमिका उत्साहवर्धक साबित होती है।

व्यापार के माध्यम से पूँजी निर्माण और तकनीकी पिछड़ापन ही आधार भूत आर्थिक समस्या से निपटने में काफी हद तक सहायता मिलती है। उल्लेखनीय है कि पूँजी निर्माण के दो मुख्य श्रोत होते हैं। पहला आन्तरिक श्रोत तथा दूसरा वाह्य श्रोत। घरेलू सीमा के अन्दर प्राप्त बचत और इसका निवेश के लिए गतिशीलन आन्तरिक श्रोत है। जबकि अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं, निजी उद्यमियों और व्यावसायियों, विदेशी सरकारों, अप्रवासी नागरिकों, बहुराष्ट्रीय निगमों से हमारे देश के भीतर किये गये पूँजी गति निवेश वाह्य श्रोत का पूँजी निर्माण है। यह निवेश या तो मौद्रिक होता है या भौतिक परिसम्पत्ति या तकनीकी कौशल के रूप में। स्पष्ट है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार निवेश के माध्यम से किसी देश के लिए पूँजी निर्माण का एक अहम श्रोत है। जिस पर उस देश का आर्थिक विकास निर्भर होता है। यही बात हिन्दुस्तान के सन्दर्भ में भी लागू होता है।

आर्थिक सिद्धान्त में व्यापार गुणक की अवधारणा सिद्ध करती है कि निर्यात और रोजगार तथा आय सवृद्धि में धनात्मक सम्बन्ध पाया जाता है। यद्यपि यह जरूरी है कि आयात पर यथोचित नियन्त्रण भी बना रहे।

व्यापार से विविध प्रकार की सांस्कृतियों के आपसी समामेलन और सम्पर्क से मानवता भी विकसित होती है। आर्थिक भूमण्डलीकरण, सांस्कृतिक आदान-प्रदान से वैश्विक एकता मजबूत होती है।

विभिन्न देशों की आन्तरिक निर्भरता बढ़ती है। फलतः मानवता के खिलाफ प्रत्येक कार्यवाही से बचने का प्रयास किया जाता है। व्यापार और आर्थिक हित ही वह तत्व है जो शक्ति सन्तुलन स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कुछ ही वर्ष पहले विश्व की एक महाशक्ति सोवियत संघ की वर्तमान परिस्थिति में विकसित रूस (सोवियत संघ का 80%) की तवहिनी व्यापार और आर्थिक मोर्चे पर ही की जा रही है।

भारत योजनागत विकास की जो ढाँचा तैयार किया वह सोवियत संघ और फ्रांस से आयातित है। हरित क्रान्ति में मैक्सिको, अमेरिका और इजराइल की मुख्य भूमिका रही है। आधार भूत आर्थिक संरचनाओं के निर्माण में विश्व बैंक, जी -7, आई०डी०ए० ने सहयोग किया। आज भी विश्व बैंक के सहयोग से बहुत से शैक्षणिक, स्वास्थ्य, चिकित्सा, जनसंख्या नियन्त्रण, सफाई, सामुदायिक

विकास आदि के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

यद्यपि एक औपनिवेशिक राष्ट्र के रूप में भारत का भरपूर आर्थिक और सामाजिक शोषण हुआ परन्तु भारत के औद्योगिक क्रान्ति में इंग्लैण्ड की भूमिका से मुकरा नहीं जा सकता। इस प्रकार हम देखते हैं कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार अर्थात् मोटे रूप में सीमा पार आर्थिक गतिशीलन का भारत जैसे अविकसित देशों के लिए भूमिका सराहनीय है। फिर भी आयातों की भरपाई के लिए निर्यात सम्वर्द्धन पर अपना ध्यान केन्द्रित करना होगा।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के विभिन्न नियमों के अनुशीलन के पश्चात भारत के सन्दर्भ में उसकी विशिष्टताओं को दृष्टगत करते हुए यह उचित प्रतीत होता है कि उसे अपने कृषि क्षेत्र के विकास सम्भाव्यता की ओर तीव्र गति से बढ़ने के पश्चात ही व्यापार की संरचना या निर्यात की संरचना सीमा और दिशा में यथोचित और द्रुतगति से विस्तार किया जा सकेगा। परन्तु इसका तात्पर्य यह नहीं कि मात्र कृषिगत निवेश और विकास से ही हम अपने लक्ष्य की पूर्ति कर लेंगे। यह सही है कि निर्यात की सम्भावना कृषि क्षेत्र में ज्यादा है। परन्तु इस सन्दर्भ में व्यापार की शर्त प्रायः प्रतिकूल ही रहती है जिसके कारण बहुत ज्यादा निर्यात के बावजूद भी निर्यात मूल्य कम ही रहता है। जबकि औद्योगिक उत्पादों के सन्दर्भ में इसके विपरीत स्थिति होती है। इसलिये जरूरत एक सन्तुलित व्यापार और विकास नीति की होती है।

वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था में व्यापार बढ़ाने की सम्भावनायें बहुत ज्यादा हो गयी है। जरूरत है तो दृढसंकल्प शक्ति, त्वरित कार्यवाही, प्रशासनिक गतिशीलता, प्रोत्साहन मूलक नीति और सही विषय और दिशा को तलाशने की। जबकि सभी राष्ट्र एक दूसरे के नजदीक आ रहे हैं। क्षेत्रियता का स्थान, संकुचित हो रहा है। नये-नये आर्थिक संगठन बन रहे हैं। सबका मकसद अपने-अपने व्यापारिक नीति का प्रयोग अधिकतम लाभ उठाने का है तो इस परिस्थित में भारत भी अपने पड़ोसी देशों तथा अन्य सहयोगी राष्ट्रों के साथ मिलकर व्यापारिक गतिशीलता बढ़ाते हुए बेरोजगारी और गरीबी दूर करने के लिए आवश्यक साधन और तकनीक प्राप्त कर सकता है। यद्यपि यह सही है कि अन्ततः इनसे सम्बन्धित कार्यक्रमों के लिये आन्तरिक संसाधनों पर ही निर्भर रहना पड़ता है, फिर भी संसाधनों की कमी की वजह से अन्य देशों से मदद लेना ही पड़ जाता है। इस दृष्टि से

नयी अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक व्यवस्था में जिसमें विभिन्न देशों द्वारा आयात शुल्क में कटौती की जा रही है। घरेलू उत्पादनों पर सरक्षण कम हो रही है। सहाइकियों में कटौती की जा रही है। भारत कुछ वस्तुओं का निर्यात बखूबी कर सकता है। ये हैं हस्तनिर्मित वस्तुयें, रेडीमेड कपड़े, हीरे-जवाहारात, इन्जीनियरिंग वस्तुयें, चाय, जूट एवं सम्बन्ध उत्पाद, चावल, मछली आदि।

भारत उस स्थान पर भी खड़ा है जो अन्तर्राष्ट्रीय जगत में अपनी कुछ वस्तुओं के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। न केवल तकनीकी श्रेष्ठता बल्कि मूल्य की निम्नता के लिये अभी हाल ही में ओमान, मलेशिया जैसे अल्प विकसित राष्ट्र में भारत के सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड को विद्युत संयन्त्रों के निर्माण के आर्डर प्राप्त हुए हैं। भारतीय रेल प्राधिकरण को भी कई देशों में रेल पथ तथा डिब्बों के निर्माण के आर्डर प्राप्त हुए हैं। भारतीय वस्तुशिल्प की श्रेष्ठता उस समय भी प्रमाणित हुई जब कम्बोडिया में अंकोरवाड के मन्दिर जिर्णोद्धार हेतु आमन्त्रित किया गया। इन तथ्यों से यही तात्पर्य निकलता है कि यदि हमारे सम्बन्ध अन्य राष्ट्रों से मधुर रहे तो हम हर एक क्षेत्र में निर्यात बढ़ा सकते हैं।

सम्भवतः अपनी इसी क्षमता को पहचानते हुए नयी व्यापारिक नीति में आवश्यक बदलाव किया गया। नयी निर्गम नीति बनायी गयी। इसके परिणाम भी सार्थक नजर आ रहे हैं। 1991 के अन्त तक जो विदेशी मुद्रा का प्रारक्षित भण्डार 3,300 करोड रूपये था। जून 1997 के अन्त तक लगभग 87,500 करोड रूपये तक पहुँच गया। उल्लेखनीय है कि विदेशी मुद्रा का व्यापार और विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि इसी से आवश्यक साज-समान किसी देश को मिल पाता है और अन्तर्राष्ट्रीय विश्वास का आधार भी विदेशी रिजर्व ही है। इसके अभाव में घरेलू मुद्रा और अर्थव्यवस्था में अन्य देशों का विश्वास नहीं जमता और विदेशी विनिमय दर में उच्चावचन होने लगता है। जैसा कि 1990 के अन्त तक भारत में एक विकट स्थिति पैदा हो गयी थी जिसके परिणामस्वरूप विदेशों में सोना गिरवी रखी गयी तथा आगे चलकर रूपये का लगभग 22% अवमूल्यन कर दिया गया।

उपर्युक्त तथ्यों से निर्यात की भूमिका का पता चलता है। निर्यात ही वह तत्व है जब किसी देश के घरेलू और विदेशी बाजार में सन्तुलन बनाये रख सकता है। आर्थिक विकास का अनुपूरक

निर्धारक तत्व है। सम्भवतः इसीलिये एक अर्थशास्त्री ने कहा कि "अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विकास का इन्जन है।" अर्थात् निर्यात जितनी मजबूत और सक्षम होगी देश की अर्थव्यवस्था रूपी गाड़ी विकास के मार्ग पर उतनी ही द्रुत गति से चलेगी। इस प्रकार व्यापार से बेरोजगारी, गरीबी, जैसे समस्याओं से छुटकारा पाने में मदद मिल जाता है।

अध्याय -II

भारत का विदेशी व्यापार
एवं उसकी समस्याएँ

भारत का विदेशी व्यापार एवं उसकी समस्यायें

भारत में विदेशी व्यापार : एक ऐतिहासिक विवेचन

भारत में अत्यंत प्राचीन काल से ही विदेशी व्यापार का प्रचलन रहा है। इतिहास के अभिलेख यह प्रमाणित करते हैं कि ईसा से 1100 वर्ष पूर्व भी भारतीय व्यापारी दूर-दूर तक वस्तुओं का आदान-प्रदान करते थे। अनेक स्थानों पर खुदाई करके पुरातत्व-वेत्ताओं ने यह प्रमाणित किया है कि प्राचीन भारत का मिश्र, अरब, जर्मनी, चीन, जापान और जावा आदि के साथ व्यापार था। यही उस काल की सम्पन्नता का मुख्य आधार था। "पीटर महान् के अनुसार भारत का व्यापार दुनिया का व्यापार है और जो इसका पूर्ण नियन्त्रण कर ले वही यूरोप का तानाशाह है। "हाकिन्स के मतानुसार "भारत अपने व्यापार के कारण ही समृद्धिशाली है, क्योंकि सभी राष्ट्र यहाँ सिक्के लाते हैं तथा उनके बदले में भारतीय वस्तुएं ले जाते हैं। ये सिक्के भारत में ही गाड़ दिये जाते हैं फिर बाहर नहीं निकल पाते।"¹

प्राचीन काल में भारत की बनी हुई वस्तुएँ जैसे-सूती कपड़े, धातु के बर्तन, सुगन्धित वस्तुएँ, इत्र, गरम मसाला, आदि की मांग मिश्र, यूनान, रोम तथा ईरान आदि स्थानों में बहुत अधिक थी।

इसी व्यापार के लिए भारत ने स्याम, जावा, सुमात्रा और मलाया में अपने उपनिवेश बनाये थे। देश का विदेशी व्यापार उन दिनों जल और थल दोनों ही मार्गों से होता था। भारत में प्राचीन काल में आयात से अधिक निर्यात होता था। विदेशी हमारे व्यापार का भुगतान सोना-चाँदी में करते थे। इस प्रकार प्रत्येक वर्ष हमारे देश में करोड़ों रुपये का सोना आता था।

विदेशी व्यापार का परिमाण और विस्तार मुगल शासन काल में और अधिक बढ़ा। भारत में अंग्रेजी शासन स्थापित होने पर हमारे विदेशी व्यापार में वृद्धि तो हुई, लेकिन उसका सारा ढाँचा

1 डा० डी०एन० गुर्दू- अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, कालेज बुक डिपो, जयपुर-2, 1971-72, पृ०-439

ही बदल गया। अंग्रेजों की सरकार ने ऐसी नीति अपनायी कि देश के उद्योग धन्धे धीरे-धीरे नष्ट होने लगे और भारत एक कृषि प्रधान देश बन गया। भारत, इंग्लैण्ड के निर्मित माल का आयात करने लगा तथा कच्चे माल का निर्यात करने वाला देश बन गया।

प्राचीन काल में भारत के विदेशी व्यापार की विशेषताएँ-

- (अ) उस समय सामान्यतः निर्मित वस्तुओं का आयात और कच्चे माल का निर्यात किया जाता था।
- (ब) हमारे निर्यात, हमेशा ही आयात से अधिक होते थे जिसके फलस्वरूप व्यापार सन्तुलन हमेशा ही हमारे पक्ष में रहता था।
- (स) विदेशी व्यापार स्वेज नहर के निर्माण और परिवहन साधनों में उन्नति के कारण तेजी से बढ़ रहा था।

प्राचीन काल में भारतीय व्यापार

मिस्र के पिरामिडों में प्राप्त लाशों पर ढाका की मलमल का होना भारतीय व्यापार की लोकप्रियता को प्रमाणित करता है। यूनान में इसे गजेटिका के नाम से पुकारा जाता था। "मदन मोहन मालवीय के कथनानुसार- "रोम जैसे नगरों में भारतीय वस्तुओं की बहुत मांग थी। "भारत के पास एक विशाल जहाजी बेड़ा था, जिसके माध्यम से वह विदेशी व्यापार करता था। भारत में दूसरे देशों से कई वस्तुओं का आयात भी किया जाता था। जैसे चीन से चीनी मिट्टी के बर्तन, रेशम और लंका से मोती आदि।"¹

हड़प्पा संस्कृति के दौरान व्यापार

सिन्धु सभ्यता के लोगों के जीवन में व्यापार का बड़ा महत्व था। हड़प्पाई लोग सिन्धु सभ्यता क्षेत्र के भीतर पत्थर, धातुशल्क (हड्डी) आदि का व्यापार करते थे। लेकिन वे जो वस्तुएँ बनाते थे उनके लिए अपेक्षित कच्चा माल उनके नगरों में उपलब्ध नहीं था। अपने तैयार माल और सम्भवतः अनाज भी नावों और बैलगाड़ियों पर लाद कर पड़ोस के इलाकों में ले जाते थे और उन

1 राम शरण शर्मा- प्राचीन भारत, कक्षा-II, एन०सी०ई०आर०टी०, पृ० -64

वस्तुओं के बदले धातुएँ ले आते थे।

2350 ई० पू० के आसपास और उसके आगे के मेसोपोटामियाई अभिलेखों में मेलुहा के साथ व्यापारिक सम्बन्ध की चर्चा है। मेलुहा सिन्धु क्षेत्र का प्राचीन नाम है। हडप्पाई लोगों का वाणिज्यिक सम्बन्ध राजस्थान के एक क्षेत्र से था और अफगानिस्तान और ईरान से भी था। उन्होंने उत्तरी अफगानिस्तान में एक वाणिज्य उपनिवेश स्थापित किया था, जिसके सहारे उनका व्यापार मध्य एशिया के साथ चलता था। उनके नगरों का व्यापार दजलाफरात प्रदेश के नगरों के साथ चलता था

बुद्ध काल में व्यापार

बुद्ध काल के सभी प्रमुख नगर नदी के किनारे और व्यापार मार्गों के पास बसे थे और एक दूसरे से जुड़े थे। श्रावस्ती नगरी कौशाम्बी और वाराणसी दोनों से जुड़ी थी। वाराणसी बुद्ध के युग में एक महान व्यापारिक केन्द्र था। सौदागर पटना में गंगापार करके राजगीर जाते थे। मुद्रा के प्रचलन से व्यापार को बढ़ावा मिला। वैदिक काल में लेन-देन का काम वस्तु-विनिमय प्रणाली से चलता था और कभी-कभी पशु का लेन-देन भी मुद्रा की तरह किया जाता था।

मध्य एशिया से सम्पर्क और व्यापार

देश के अन्दर विदेशियों के आने से मध्य एशिया और भारत के बीच घने सम्पर्क स्थापित हुए। परिणामस्वरूप भारत को मध्य एशिया के अल्लाई पहाड़ों से भारी मात्रा में सोना प्राप्त हुआ। भारत को रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार के जरिए सोना मिलता था।

चोल राज्य व्यापार और वाणिज्य का बहुत बड़ा केन्द्र था। चोलों के वैभव का एक मुख्य श्रोत सूती कपड़े का व्यापार था। अपने प्राकृतिक संसाधनों और विदेशी व्यापार से काफी लाभ उठाते रहे। वे मसाले विशेषकर गोल मिर्च उपजाते थे। जिनकी पश्चिमी दुनिया में बहुत मांग थी। उन्हें अपने हाथियों से दाँत मिलते थे जो पश्चिम में काफी मूल्यवान समझे जाते थे। समुद्र से मोती प्राप्त होता था और खानों से रत्न और इन दोनों चीजों का निर्यात पश्चिम में भारी मात्रा में किया जाता था। इनके अलावा, वे मलमल और रेशम भी पैदा करते थे। उनका कपड़ा साँप के केचुल

जैसा पतला होता था। उरैऊर का कपास व्यापार नामी था। प्राचीन काल में तमिल लोग एक ओर मिस्र और अरब के युनानी या हेलेनिस्टिक राज्य के साथ और दूसरी ओर मलय द्वीप समूह के साथ और वहाँ से चीन के साथ व्यापार करते थे। जब ईसा की पहली सदी के आस-पास मिस्र रोम का एक प्रान्त हो गया और मानसून का पता लग गया, तब इस व्यापार को अपार बल मिला। इस तरह ईसा की आरम्भिक ढाई सदियों तक रोम के साथ दक्षिण के राज्यों का लाभप्रद व्यापार चलता रहा।

मौर्य काल में विदेशी व्यापार

इस काल में भारत और पूर्वी रोमन साम्राज्य के बीच बड़े पैमाने पर व्यापार होता था। यह व्यापार अधिकतर थल मार्ग से होता था। भारत और रोम के बीच व्यापार तो भारी मात्रा में चला, लेकिन इस व्यापार में साधारण लोगों के रोजमर्रे के काम की चीजें शामिल नहीं थी। बाजार में विलासिता की वस्तुएँ खूब बिकती थीं। रोम वाले मुख्यतः मसालों का आयात करते थे। जिनके लिए दक्षिण भारत मशहूर था। वे मध्य और दक्षिण भारत से मलमल, मोती रत्न और माणिक्य का आयात करते थे। लोहे की वस्तुएँ खासकर बर्तन, रोमन साम्राज्य में भेजी जाने वाली महत्वपूर्ण वस्तुएँ थी। मोती, हाँथी दांत, रत्न और पशु विलास की वस्तुएँ मानी जाती थी, किन्तु पौधे और उसके समान लोगों की धार्मिक, अंतिम संस्कार विषयक, पाक सम्बन्धी और औषधीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते थे।

भारत से सीधे भेजी जाने वाली वस्तुओं के अलावा कुछ वस्तुएँ चीन और मध्य एशिया से भारत आती थी और तब यहाँ से रोमन साम्राज्य के पूर्वी भागों में भेजी जाती थी। रेशम चीन से सीधे रोमन साम्राज्य को अफगानिस्तान और ईरान से गुजरने वाले रेशम मार्ग से भेजा जाता था। लेकिन बाद में, जब ईरान और उसके पड़ोस के क्षेत्रों में पार्थियनों का शासन हो गया तब इसमें कठिनाई पैदा हुई। अतः रेशम रास्ता बदलकर इस उपमहाद्वीप के पश्चिमोत्तर भाग से होते हुए पश्चिमी भारत के बन्दरगाहों पर आने लगा। कभी-कभी चीन से रेशम भारत के पूर्वी समुद्र तट होते हुए भी भारत आता था, तब वह यहाँ से पश्चिम को जाता था। इस प्रकार भारत और रोमन साम्राज्य के बीच रेशम का पारगमन व्यापार काफी चला।

उज्जयिनी से अगेट (गोमेद) और कार्नेलियन (इन्द्रगोप) पत्थरों का निर्यात होता था। भारत रोमन साम्राज्य के पूर्वी भाग और मध्य एशिया के साथ भी व्यापार करता था। इस्पात बनाने की कला सबसे पहले भारत में ही विकसित हुई थी। भारतीय इस्पात का अन्य देशों में निर्यात ईसा-पूर्व चौथी सदी से होने लगा। विश्व का कोई अन्य देश इस्पात की वैसी तलवारें नहीं बना सकता था जैसी भारतीय शिल्पी बनाते थे। पूर्वी एशिया से लेकर पूर्वी यूरोप तक इन तलवारों की भारी मांग थी।

मध्यकाल में भारतीय विदेशी व्यापार

मुगल काल में विदेशी आक्रमणों तथा देश की आन्तरिक लडाइयों के कारण उत्पन्न स्थितियों ने यहाँ के व्यापार को कम कर दिया। इस काल का व्यापार मुख्य रूप से उन थल मार्गों से हुआ जिन्हें सिकन्दर के समय इस उद्देश्य के लिये ढूँढा जा चुका था। "1271 से 1294 ई० तक भारत का भ्रमण करने वाले मार्कोपोलो ने लिखा है- 'भारत अभी भी एशिया के मुख्य बाजारों में से एक था।'

श्री बी० नारायण ने लिखा है कि- 'भारत के व्यापार में विलासिता की वस्तुओं की भरमार थी, उस समय भारत का व्यापार और भुगतान सन्तुलन इसके पक्ष में था। इसके पास स्वर्ण राशि इतनी थी कि इसे सोने की चिड़िया के नाम से सम्बोधित किया जाता था।"¹ सम्राट अकबर के काल में पुर्तगाली, अंग्रेज और डच आदि विदेशी जातियों को भारत में व्यापारिक सुविधायें दी जाने लगी। ऐसा होने से भारत का विदेशी व्यापार यद्यपि विकसित हुआ किन्तु उसकी भारतीयता जाने लगी और यह धीरे-धीरे यूरोपीय जातियों के हाथों में पहुँच गया। करेरी के अनुसार- "सारे संसार का सोना और चाँदी घूम फिर कर अन्त में भारत ही पहुँचता था।" देश में राष्ट्रीय जागृति का अभाव होने के कारण भारतीय व्यापार ब्रिटिश कम्पनी के हाथों में चला गया।

सोने और चाँदी के लिए भारत की जो ख्याति थी, वह भारत के अनुकूल विदेशी व्यापार के कारण थी। अथाह सोना और चाँदी विदेशी व्यापार के जरिए देश में आता था। भारतीय वस्त्रों,

1 डा० डी०एन० गुर्दू- अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, कालेज बुक डिपो, जयपुर-2, 1971-72, पृ०- 440

लोबान तथा मसालों की अमीर अरबी शासकों द्वारा मांग के कारण भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के साथ व्यापार बढ़ा। बाद में चलकर यह क्षेत्र मसालों के दीप के नाम से पुकारा जाने लगा। भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के मध्य छठी शताब्दी से ही जोरदार व्यापार चल रहा था।

रोमन साम्राज्य के पतन के साथ हिन्द महासागर में चीन, व्यापार का एक मुख्य आकर्षण केन्द्र बन गया। चीन के लोग बहुत बड़ी संख्या में मसालों का व्यापार करते थे, जिसका आयात दक्षिण-पूर्व एशिया और भारत से किया जाता था। वे सर्वोत्तम हाँथी दाँत भी अफ्रीका से और शीशे का सामान पश्चिम एशिया से आयात करते थे। भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया दोनों ही चीन, पश्चिम एशियाई देश और अफ्रीका के मध्य होने वाले व्यापार के केन्द्र स्थल बन गये थे। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए सौदगर भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बंदरगाहों को चुनते थे।

जापान को कपास से परिचित कराने का श्रेय दो भारतीयों को है जो समुद्री लहरों के साथ बहते हुए जापान पहुँच गये थे। धीरे-धीरे भारतीय व्यापार अरबों और चीनियों के मुकाबले में कम होता गया क्योंकि इनके जहाज भारतीय जहाजों की तुलना में विशाल द्रुतगामी थे।

दिल्ली सल्तनत के दौरान विदेशी व्यापार

भारतीय वस्त्रों की लाल सागर और फारस की खाड़ी के देशों में बड़ी खपत थी। इस काल में चीन में भी अच्छे किस्म के भारतीय वस्त्रों का प्रचलन हुआ, जहाँ उसको रेशमी वस्त्र से भी ज्यादा महत्व दिया जाने लगा। भारत उत्तम श्रेणी के वस्त्रों, शीशे के सामान और घोड़े भी पश्चिम एशिया से आयात करता था। चीन से यह कच्चे रेशम और चीनी मिट्टी के बरतन मंगाता था। भारत का थल और जलमार्ग से होने वाला विदेशी व्यापार, वस्तुतः एक अन्तर्राष्ट्रीय उद्योग था।

रोमन काल से ही पाश्चात्य देशों में पूर्वी व्यापारिक वस्तुओं की बड़ी खपत थी। इनमें चीन के रेशम व भारत, दक्षिण-पूर्व एशिया के मसाले व जड़ी बूटियों की मांग प्रमुख थी। यूरोप में आर्थिक पुनरुत्थान के बाद इस मांग में और भी वृद्धि हुई। इनमें काली मिर्च व मसालों की मांग मुख्य रूप से थी। ये मसाले व विशेष रूप से काली मिर्च, लीवान्त, मिसु तथा काले सागर के बन्दरगाहों तक मुख्यतः थल मार्ग द्वारा लायी जाती थी व इसका कुछ हिस्सा भारत और दक्षिण-पूर्वी बन्दरगाहों से जल मार्ग द्वारा भी भेजा जाता था।

भारत में सत्रहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध के शासकों ने ईरानियों, तुर्कों तथा उजबेको जैसी पड़ोसी शक्तियों के साथ भारत के सम्बन्ध अच्छे बनाने में सक्रिय योगदान दिया। इससे भारत के विदेशी व्यापार की संभावनाएँ बढ़ी, उन्होंने विभिन्न यूरोपीय व्यापारिक कम्पनियों को जो छूट दी उससे भी भारत का विदेश व्यापार काफी बढ़ा।

मुगल काल में विदेशी व्यापार

भारत में ऐसे बहुत से बन्दरगाह और कस्बे थे जहाँ से संसार के विभिन्न देशों से व्यापार होता था। मुगल काल में भारत पड़ोस के कुछ देशों को विशेष रूप से चावल और चीनी जैसे खाद्य पदार्थ निर्यात करता था। सूती कपड़े बनाने के उद्योग में विस्तार के लिए आवश्यक कच्चा माल भी ग्रामीण क्षेत्र से उपलब्ध हो जाता था। गुजरात विदेशी माल के लिए प्रवेश द्वार था। भारत दक्षिणी-पूर्वी एवं पश्चिमी एशिया के कई देशों को चीनी, चावल आदि जैसे खाद्य पदार्थ ही नहीं भेजता था, बल्कि इस क्षेत्र के व्यापार में भारत के सूती कपड़े की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी।

“भारत खाने और औषधियों के कुछ मसाले जंगी घोड़े और विलासिता की वस्तुएँ भी आयात करता था। सोने और चाँदी के आयात से व्यापार में भारतीय व्यापार के पक्ष में संतुलन पैदा हुआ। भारत के विदेशी व्यापार के विकास के फलस्वरूप सत्रहवीं शताब्दी में भारत में सोने और चाँदी का आयात इतना बढ़ गया था कि “विश्व के प्रत्येक भाग में चक्कर काटने के बाद सोना और चाँदी अन्त में भारत में जो सोने और चाँदी की दलदल है, दफन हो जाता है।”¹

भारतीय व्यापारी कपड़े के व्यापार के मामले में देशी और विदेशी दोनों बाजारों के बारे में ज्यादा जानकारी रखते थे। इसके अतिरिक्त भारतीय दस से पाँच प्रतिशत तक के मुनाफे पर व्यापार के लिए तैयार थे। मुगलों ने शुद्ध चाँदी के रूपों का प्रचलन आरंभ किया, जिसकी सारे भारत में ही नहीं वरन् विदेशों में भी मान्यता थी और इससे भारत के व्यापार को और भी बढ़ावा मिला।

ईस्ट इंडिया कम्पनी और भारतीय विदेशी व्यापार

भारत में ईस्ट इंडिया कम्पनी की स्थापना 1601 में की गई। प्रारम्भिक दौर में अंग्रेजों के अलावा, फ्रांसीसी, डच और पुर्तगाली लोग भी भारत के विदेशी व्यापार में भाग लेते थे लेकिन

1 मध्य कालीन भारत, कक्षा- II, एन०सी०ई०आर०टी०, (800 ई० से 1200 ई० तक)

धीरे-धीरे ईस्ट इंडिया कम्पनी ने भारतीय व्यापार पर एकाधिकार कर लिया। शुरुआत में कम्पनी ने भारतीय उद्योग धन्धों को प्रोत्साहन दिया और यहाँ की मलमल तथा अन्य कपड़ों का बड़े पैमाने पर निर्यात किया। जब इंग्लैण्ड में व्यापारियों द्वारा भारतीय माल की अत्यधिक लोकप्रियता का विरोध किया गया तो नीति में परिवर्तन कर दिया गया। इंग्लैण्ड में औद्योगिक क्रान्ति के कारण कच्चे माल की आवश्यकता और निर्मित माल के लिये बाजारों की आवश्यकता महसूस किया जाने लगा। फलस्वरूप भारतीय उद्योग धन्धों को नष्ट किया जाने लगा। सरकार ने ऐसा कानून बनाया जिनके अनुसार भारतीय माल का उपयोग करने वालों को दण्ड देने की व्यवस्था की गई। इस प्रकार अब भारत ग्रेट-ब्रिटेन को केवल कच्चा माल निर्यात करने वाला देश रह गया। भारतीय व्यापार के मध्यस्थ प्रायः अंग्रेजी फर्म थी जिन्होंने पर्याप्त धन कमाया।

स्वेज नहर के बनने से भारतीय व्यापार का एक नया युग प्रारम्भ हो गया। 1869 में भारत के विदेशी व्यापार की राशि केवल 90 करोड़ रुपये थी, वह 1913-14 में 376 करोड़ रुपये तक पहुँच गई। यातायात के साधनों के विकास ने धीरे-धीरे परिस्थितियाँ बदल दी। भारत पहले जिन वस्तुओं का निर्यात करता था, अब उन्हीं का आयात करने लगा। अंग्रेजी साम्राज्य की शोषणकारी नीतियों ने भारत में स्वतन्त्र व्यापार को नहीं पनपने दिया और उसके स्थान पर ब्रिटिश माल को प्राथमिकता प्रदान की गई तथा दूसरी जगह से आये हुये माल पर अनेक प्रतिबन्ध लगाया गया।

1818 में कम्पनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। 1874 तक प्रायः सभी वस्तुओं पर से निर्यात कर हटा लिया गया। 1893 में एकाधिकार को हटाने की प्रक्रिया पूरी हो गई और भारत में स्वतन्त्र व्यापार को थोडा प्रोत्साहन मिला। जापान और जर्मनी आदि देशों ने भारत के विदेशी व्यापार में पर्याप्त रुचि ली। धीरे-धीरे बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और कराची व्यापार की दृष्टि से महत्वपूर्ण बन्दरगाह बन गये।

प्रथम महायुद्ध के समय भारतीय व्यापार

प्रथम महायुद्ध के समय भारतीय व्यापार को काफी हानि उठानी पड़ी थी और अब तक हासिल की हुई उसकी प्रगति समाप्त हो गई। जिस समय विश्व-युद्ध प्रारम्भ हुआ था, उस समय देश में शान्ति थी, रुपये का मूल्य स्थिर था और सरकार यातायात, संचार एवं सिचाई आदि कामों में सक्रिय

रूचि ले रही थी। जब युद्ध प्रारम्भ हुआ तब भारत में आयातों की मात्रा कम हो गई, इसके अलावा अनेक ऐसा प्रतिबन्ध लगाया गया जिससे भारत का निर्यात बुरी तरह घट गया। भारत में मशीनों का आयात बन्द हो गया और इसलिये अब तैयार माल विदेशों को नहीं भेजा जा सका। युद्ध के परिणामस्वरूप प्रत्येक देश आत्म-निर्भर बनने का प्रयास करने लगा जिससे भारतीय व्यापार को धक्का लगा। भारत के सभी ग्राहक गरीब बन गये, युद्ध का व्यय उठाने के लिये उन्हें अपने आयातों में कमी करनी पड़ी। उस समय भारत में विनिमय की स्थिति बिगड़ गई। मजदूरों की हड़ताल और दूसरी कठिनाइयों ने भारतीय उद्योगों के विकास पर रोक लगा दिया। उस समय बिगड़ती हुई खराब स्थिति को देखकर भारतीय जनता ने विदेशी माल का बहिष्कार करना प्रारम्भ कर दिया। उसके बाद भारत इंग्लैण्ड की अपेक्षा अन्य देशों से भी आयात करने लगा। उस दौरान भारत में सूती उद्योग का विकास हुआ और इसलिये कपड़े का आयात कम हो गया।

आर्थिक मन्दी और भारत का विदेशी व्यापार

भारत के विदेशी व्यापार पर सन् 1929-30 की भयानक आर्थिक मन्दी का बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ा। 1929 से 1935 तक का काल आर्थिक मन्दी का काल कहा जाता है। इस काल में अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में वस्तुओं का मूल्य गिरने लगा। भारत के आयात और निर्यात की मात्रा में पर्याप्त कमी आ गई। इस काल में ओटावा समझौता हुआ। इसके अनुसार भारतीय व्यापार में शाही प्राथमिकता लागू कर दी गई। राष्ट्रवाद की लहर दौड़ जाने के कारण अनेक देशों ने स्वतन्त्र व्यापार पर प्रतिबन्ध लगा दिये। 1932-33 में भारत के कुल विदेशी व्यापार का मूल्य आधे से भी कम रह गया। आयातों में कमी इसलिये हुई क्योंकि भारतीयों की क्रयशक्ति कम हो गई थी, राजनैतिक परिस्थितियों में तनाव आ गया था और देश में कपड़ा तथा चीनी उद्योग का विस्तार हो गया। धीरे-धीरे आर्थिक मन्दी का प्रभाव कम होने लगा। 1932 में यह बहुत कम रह गया और अब विश्व की आर्थिक दशाओं में सुधार आ गया। भारत का विदेशी व्यापार भी अब सुधरने लगा। जापान के साथ भारत का व्यापारिक सम्बन्ध घनिष्ठ बन गया और भारत औद्योगीकरण की दिशाओं में प्रगति करने लगा।

द्वितीय महायुद्ध और भारत का विदेशी व्यापार

सितम्बर, 1939 से दूसरा महायुद्ध छिड़ गया। इसके परिणामस्वरूप भारत के विदेशी व्यापार

की परिस्थितियों में वस्तुओं की कीमते अधिक हो गई। भारत के कच्चे माल और निर्मित माल की मांग विदेशों में बढ़ गई। युद्ध के वर्षों में भारतीय निर्यात 1938-39 की अपेक्षा 46 प्रतिशत बढ़ गया और आयातों में भी 32 प्रतिशत की वृद्धि हो गयी। जब 1941-42 में वर्मा पर शत्रु का अधिकार हो गया तो सरकार ने भारतीय आयात और निर्यात पर प्रतिबन्ध लगा दिया ऐसी स्थिति में भारतीय व्यापार फिर से कम हो गया।

युद्ध के दौरान फ्रांस और इटली जैसे बाजार भारत के हाथ से निकल गया और सुदूर-पूर्व के बाजार भी भारत के लिये बन्द हो गया। मध्य पूर्व के बाजारों द्वारा इस क्षतिपूर्ति का प्रयास किया गया। 1940 तक यह स्थिति हो गई कि बिना अनुमति के कोई भी व्यापारी व्यापार नहीं कर सकता था। मार्च 1940 में निर्यात पर भी नियन्त्रण लगा दिया गया। आयात और निर्यात पर लगाये गये इन नियन्त्रणों से ब्रिटिश सरकार पर्याप्त लाभान्वित हुई।

द्वितीय महायुद्ध के बाद भारत का विदेशी व्यापार

द्वितीय विश्व-युद्ध समाप्त होने के बाद देश के सामने यह समस्या आयी कि उत्पादन बढ़ाकर मुद्रा स्फीति को कम किया जाय और निर्यात बढ़ाकर आवश्यक वस्तुओं के आयात के लिये विदेशी विनिमय प्राप्त किया जा सके। इस काल में अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक काल को पर्याप्त महत्व दिया गया। बिगड़ी हुई स्थिति को सुधारने के लिये अनेक समझौते और संस्थायें स्थापित की गयी। इस दृष्टि से आंग्ल-अमेरिकी ऋण समझौता हुआ। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष, अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक की भी स्थापना की गई।

स्वतंत्र भारत में विदेशी व्यापार

स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद भारत के सामने अनेक आर्थिक समस्याएं आईं। देश के विभाजन ने उसके व्यापार को अस्त-व्यस्त कर दिया। खाद्यान्न एवं अनेक कच्चा माल देश में आवश्यकता से कम हो गया और इसलिये विदेशों से आयात करना आवश्यक हो गया। व्यापार सन्तुलन भारत के विपरीत बन गया। 19 दिसम्बर, 1949 में विदेशी व्यापार की बढ़ती हुई प्रतिकूलता से विवश होकर, भारत सरकार ने रुपये का डालर के रूप में 30.5 प्रतिशत अवमूल्यन कर दिया, जिसके फलस्वरूप भारत के निर्यात में वृद्धि हो गई और आयात में कमी।

1951 में भारत का व्यापार सन्तुलन बिगड़ गया और दूसरी पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ होते-होते इसके भुगतान सन्तुलन में घाटे की स्थिति आ गयी। इसे ठीक करने के लिए ऐसी नीतियाँ अपनाई गयी ताकि निर्यात में बाधा डालने वाले प्रतिबन्धों को हटाया जा सके। 1949 में निर्यात को बढ़ाने के लिए एक निर्यात प्रोत्साहन समिति की नियुक्ति की गयी।

समिति ने निम्न सुझाव दिये-

- (I) निर्यात पर लगाये गये करों को हटा लिया जाए।
- (II) सट्टे पर रोक लगा दी जाए।
- (III) देश के उत्पादन को बढ़ाया जाए।
- (IV) व्यापारिक समझौते किये जाए।

आयात-निर्यात सम्बन्धी नीति में परामर्श देने के लिए एक आयात सलाहकार समिति और दूसरी निर्यात सलाहकार समिति नियुक्त की गयी। 1950 में एक आयात-नियन्त्रण जाँच समिति बनायी गयी।

भारत के विदेश व्यापार का एक लम्बा इतिहास रहा है। यातायात और संचार के विकास के कारण उसके व्यापार की अभूतपूर्व प्रगति हुई है। 15 अगस्त 1947 को स्वतन्त्रता प्राप्त करने के बाद भारत भी विश्व-व्यापार का एक स्वतन्त्र सदस्य बन गया। स्वतन्त्रता से पूर्व देश के आयात और निर्यात की दृष्टि से जो नीतियाँ अपनाई जा रही थी, उनका उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य को अधिक से अधिक लाभ पहुँचाना था। लेकिन स्वतन्त्रता के बाद भारत के विदेशी व्यापार का उद्देश्य देश का औद्योगिक विकास एवं जीवन स्तर की प्रगति बन गया।

देश के आर्थिक विकास और प्रगति में निर्यात व्यापार बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। देश के विकास कार्य में निर्यात व्यापार एक गतिज कारण है और जल्द आर्थिक विकास के क्रियाकलापों को महसूस करने में देश का एक महत्वपूर्ण आवश्यकता की पूर्ति का यह एक महत्वपूर्ण स्रोत है। देश की आर्थिक व्यवस्था में निर्यात जो स्थान प्राप्त करता है वह इसके विकास योजना के स्रोत, आकार और प्रकृति द्वारा ज्ञात किया जाता है। इसके वाणिज्यिक विशिष्टता के लिये भारतीय व्यापार एक समय मशहूर था। लेकिन भारतीय निर्यात व्यापार उपनिवेश राज्य में गम्भीर

रूप से पीछे हो गया। जब इसकी स्थिति निम्न वस्तुओं की पूर्ति के लिए और ब्रिटेन के उद्योगों को निर्यात के लिए, कच्चे माल की पूर्ति को विवश किया गया।

स्वतन्त्रता से पूर्व भारत का निर्यात

“भारत के वाणिज्यिक प्रधानता के दौरान भारतीय व्यापार निश्चित रूप से अनुकूल था। हमारे निर्यात ने आयात को बढ़ावा दिया। भारत निर्यात में वाणिज्यिक प्रधान था। यूरोपियन देश और अन्य, भारत के साथ ज्यादा व्यापार सम्बन्ध बनाने की कोशिश कर रहे थे। व्यापार की यह महत्वपूर्ण स्थिति तब तक बनी रही जब तक अंग्रेजों ने देश के ऊपर पूर्ण राजनीतिक नियन्त्रण नहीं स्थापित कर लिया। 1700 ई० में जब भारत लगभग एक मिलियन सूती कपड़े और 12,000 रेशमी कपड़े ब्रिटेन को निर्यात करता था, इन उद्योगों को इनके रेशमी वस्त्र और सूती वस्त्र क्षेत्र को गम्भीर चोट पहुँचने से ये उद्योग तितर-बितर हो गये।¹

“उपनिवेश क्षेत्र में जहाँ ब्रिटेन ने दो पक्षीय व्यापार नीति अपनायी, वहीं देश में निर्मित माल के निर्यात की अवनति हुई लेकिन उनके आयात में उन्नति हुई। लगभग दो या तीन प्रतिशत भारतीय आर्थिक बढोत्तरी को 1757 से 1939 तक प्रत्येक वर्ष ब्रिटेन में भेज दिया जाता था। अगर उसी स्तर का विनियोग देश के अन्तर्गत हुआ होता तो 15वीं सदी के दौरान आर्थिक विकास यू०ए०स०ए० और यू०के० से थोड़ा ही कम होता। भारत के निर्यात की रकम लगभग 300 करोड़ रुपये वार्षिक था। 1520 से 1926 में, वह पाँचवी सबसे बड़ी व्यापारिक राष्ट्र के रूप में जानी जाती थी और जूट और जूट माल, चाय, सूती धागे, तिलहन, मसाले, चमड़े और तम्बाकू निर्यात में विश्व में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था लेकिन 1930 में निर्यात आय में अचानक गिरावट आयी और इसलिये भारत का निर्यात लगभग 150 करोड़ रुपये तक नीचे आ गया।”²

दूसरे विश्व युद्ध के दौरान दो कारणों से भारतीय निर्यात व्यापार प्रभावित हुआ-पहला, ब्रिटेन को अत्यधिक मात्रा में वस्तुओं की आवश्यकता थी जैसे चमड़े, कपड़े, भोजन और सीमेन्ट ताकि

1 क्रिष्ण बाल, कामर्सियल रिलेशन बिटविन इंडिया एण्ड इंग्लैण्ड (1601 से 1757) लन्दन, 1924, पृ-208

2 भाट० वी०वी०, भारत में आर्थिक परिवर्तन और नीति की छवि (1800 से 1960 बम्बई, 1963, पृ-51

वह युद्ध आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके। इसलिये भारत ने लगभग 17,360 मिलियन रुपये का व्यापार किया। दूसरा, विदेश विनिमय कठिनाइयों को कम करने की दृष्टि से जो ब्रिटिश शासन के द्वारा कुछ विदेश विनिमय नियन्त्रण में डाला गया था, इसके कारण आजादी के बाद उनको अच्छा अनुभव प्राप्त हो गया।

जब भारत ने स्वतन्त्र देश के रूप में निर्यात करना शुरू किया, उसने 1,736 करोड़ मूल्य का शुद्ध मुनाफा कमाया। कुछ ही वर्षों में आजादी के बाद भारतीय सरकार ने इस शुद्ध मुनाफे का जल्द से जल्द उपयोग करने का कार्य किया। उस समय निर्यात पर कोई भी दबाव नहीं था। देश की आर्थिक व्यवस्था के निर्माण के कार्य और औद्योगिकरण की तरफ कदम बढ़ाने की आवश्यकता के लिये बहुत बड़े पूँजीगत माल की आवश्यकता थी। इन पूँजीगत मालों को विकसित और औद्योगिकृत देशों से एक कमजोर औद्योगिक आधार के साथ आयात करना पड़ा। उपलब्ध विदेशी विनिमय स्रोत उस प्रकार के आयात माल के बड़ी मांग के लिए पूर्ण नहीं थे। जब 1951 में योजना बनाना शुरू किया गया, इस बात पर ध्यान दिया गया कि देश में आर्थिक विकास और औद्योगिकरण के प्रवाहन के लिये निर्यात के द्वारा विदेशी विनिमय प्राप्त किया जाय।

योजना अवधि के दौरान भारत का निर्यात

पहले पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रथम वर्ष 716 करोड़ रुपये का वार्षिक निर्यात किया गया। इस योजना अवधि के दौरान निर्यात का विकास की सही दर और वार्षिक औसत उतना नहीं था। इस योजना के पहले दो वर्षों के दौरान विदेश व्यापार नीति कुछ पीछे हटी। जबकि बड़े उद्योगों के विकास, निर्यात स्थानान्तरण और निर्यात रोकने वाले व्यवहार का इस काल के दौरान निर्यात व्यापार पर देश की नीति में प्रगति हुई। "1953-54 के दौरान निर्यात का मूल्य अब तक, जबसे योजनाओं की घोषणा की गयी है, सबसे कम था। जिसके परिणाम स्वरूप दूसरे योजना के दौरान आयात बहुत अधिक थे। निर्यात ने कोई महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी नहीं हासिल की और उनको बढ़ाने में कोई योगदान भी नहीं था। सचमुच पहली योजना के अन्त में उदार आयात नीति के अन्तर्गत आयात में बढ़ोत्तरी हुई, जिसके परिणामस्वरूप दूसरी योजना के मध्य में विदेश विनिमय स्रोत बहुत कम हो गये। दूसरी योजना के दौरान 1956 से 1961 तक, निर्यात का वार्षिक औसत

606 करोड़ रुपये पर ही रूका रहा। इसलिये दूसरी योजना के दौरान बहुत मुश्किल से ही कोई विकास हुआ होगा।¹

“आजादी के पहले दशक और लगभग 60वीं के शुरुआत तक, निर्यात सम्वर्द्धन के क्षेत्र में कोई भी प्रभावी कदम नहीं उठाया गया था। विश्व व्यापार 8 प्रतिशत वार्षिक की दर से 50वीं और मध्य 60वीं में प्रत्येक वर्ष बढ़ रहा था। 1947 में निर्यात में विश्व व्यापार लगभग 50 बिलियन डालर कमाया था और इसमें भारत का भाग लगभग 12 मिलियन डालर था जो कि 2.4 प्रतिशत है।²

तीसरी योजना के दौरान भारतीय विदेशी व्यापार के रिक्त स्थान की पूर्ति के लिये कई महत्वपूर्ण उपाय शुरू किये गये और सरकार ने निर्यात के लिये कई कदम उठाये। इन उपायों के अन्तर्गत उदारीकृत निर्यात नीति, संस्थागत नीतियों की मजबूती, विभिन्न सम्वर्द्धन योजनाओं को चलाना और निर्यात सम्वर्द्धन संगठन की स्थापना करना और प्रोत्साहन देना, आते हैं। परिणाम स्वरूप वार्षिक औसत निर्यात में 753 करोड़ रुपये का महत्वपूर्ण विकास हुआ। तीसरी योजना अवधि के दौरान स्वतन्त्र वाणिज्य मन्त्रालय पर नये अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के मन्त्रालय की स्थापना, व्यापार नीति और सम्वर्द्धन कार्यों को देखने के लिये तथा देश के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को दिशा और गति प्रदान करने के लिये इसकी स्थापना की गयी। उस समय कई राष्ट्रीय वाणिज्यिक संस्थान खोले गये थे। यह 1966 के अन्त का समय था जब रुपये का अवमूल्यन हुआ था, जिससे सभी स्वभाव पूर्णतया बदल गये। अवमूल्यन के समय सभी निर्यात सम्वर्द्धन उपाय विभाजित हो गये थे। इसमें कोई संशय नहीं है कि भारतीय निर्यात सस्ता हो गया था, लेकिन अवमूल्यन प्रोत्साहन के पूर्णतया पूर्ति में असफल था। तीसरी योजना अवधि के दौरान निर्यात 1961 से 62 में 660 करोड़ रुपये से 1965-66 में 810 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। लेकिन निर्यात का प्रगति दर बहुत प्रोत्साहन दायक नहीं था। निर्यात में धीमी गति के कारण निम्न हैं-

- 1 कालीपाडा, देव, “एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी इन इण्डिया” सुल्तान चन्द्र एण्ड कम्पनी लि०, नई दिल्ली, 1978, पृ० 3-8
- 2 पटेल, आई०जी०, भारत का भुगतान सन्तुलन- विदेश व्यापार पुनर्दृष्टि की एक समालोचना, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली, वाल्यूम XVI, 1981, पृ० 212-214

- (i) स्थिर कृषि उत्पाद
- (ii) निर्यात बढ़ोत्तरी में कमी क्योंकि निर्यात योग्य कच्चे माल का उपयोग घर में बढ़ गया, घरेलू आय में बढ़ोत्तरी और जनसंख्या में वृद्धि।
- (iii) विदेश आयात के लिये घरेलू मालों को कम आकर्षित बनाना।
- (iv) चीन, पाकिस्तान और जापान से प्रतियोगिता का बढ़ना।
- (v) कुछ परम्परागत निर्यात वस्तुओं के लिये भारी मांग।
- (vi) कुछ प्रमुख निर्यात उत्पाद के लिये कृत्रिम वस्तुओं का विकास जैसे-जूट।
- (vii) सूती वस्त्र उद्योग में व्यापार बाजार में कठिन प्रतियोगिता।
- (viii) विकसित देशों के उनके आर्थिक स्थिर क्षेत्र को बचाने की कोशिश और विकासशील देशों के भाग पर शिशु उद्योग को बचाने की कोशिश। और
- (ix) निर्यात दाम में कमी।

जबकि प्रमुख भारतीय निर्यात के लिये विश्व माग स्थिर है, इन वस्तुओं के विदेश निर्यात में भारत का भाग बहुत कम हो गया है। अवमूल्यन के बाद निर्यात नीचे गिरता गया और प्रगति दर ऋणात्मक था, तीसरी योजना के शुरुआत की तुलना में, अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिर निर्यात केवल विदेशी विनिमय का कुछ भाग ही उपयोग करते हैं। मशीन, उपकरण, दाल, पेट्रोलियम और अन्य वस्तुओं के आयात पर हम बहुत ज्यादा खर्च करते हैं। अवमूल्यन के तीन वर्ष के बाद के दौरान औसत वार्षिक आयात 1,951 करोड़ रुपये तक बढ़ गया जबकि वार्षिक औसत निर्यात 1,238 करोड़ तक ही बढ़ा और व्यापार कमी अब भी ज्यादा था। कृषि उत्पाद, घरेलू उद्योग में रुकावट निर्यात शाखा का इकट्ठा करने में यह एक प्रमुख भूमिका अदा करती है ताकि भारतीय निर्यात बढ़ सके।

चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1970 में एक नयी निर्यात नीति हल को निर्यात प्रभाव के निर्देशन के लिये ग्रहण किया। सरकार के विभिन्न सम्बर्द्धन उपायों के परिणाम स्वरूप निर्यात फिर से बढ़ने लगा। इस समय तीसरी योजना के दौरान उठाये गये कदम भी फलदायक परिणाम पाने लगे। निर्यात और भी उदारीकृत हो गया और चौथी योजना के दौरान ग्रहण किये गये नियम से

लगभग कुछ भी आयात नहीं किया गया और निर्यात ज्यादा किया गया। आजादी के बाद भारतीय सरकार ने पहली बार निर्यात की आवश्यकता का अनुभव किया और एक धनात्मक नीति का सूत्रीकरण किया। जिसका नाम 'निर्यात नीति हल 1970' रखा गया और संसद में पेश किया गया। अपने देश के निर्यात के इतिहास में यह हल एक सीमा चिन्ह की तरह है। ये नीतियाँ सावधानीपूर्वक लागू की गयीं। यह हल निम्न बातें बताता है।

“भारत के विदेश व्यापार नीति ने अपने उद्देश्यों की व्याख्या में संशोधन किया है- चौथे पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता और व्यूह रचना। घरेलू स्रोत को गतिमान करने के वित्तीय योजना के लिये निर्यात करने के विस्तार की दृष्टि से सरकार ने योजना बनायी। अपने ऊपर आधारित रहने और बाहरी सहायताओं को कम करने के लिए निर्यात आय को उच्च दर पर बढ़ाने की आवश्यकता है। विस्तार के मिश्रित दर के सामना करने के लिये चौथी योजना में 7 प्रतिशत वार्षिक बढ़ोत्तरी हुई।”¹

चौथी योजना के दौरान औसत वार्षिक निर्यात में 1,810 करोड़ रुपये की रकम मिली। वर्तमान दाम के सम्बन्ध में वार्षिक औसत प्रगति दर 12.6 प्रतिशत इस योजना के दौरान थी जबकि कुछ वर्षों में यह और ऊँची होती है। निर्यात की सीमा 1,413 करोड़ रुपये पहले वर्ष में तथा 2,523 करोड़ रुपये योजना के अन्तिम वर्ष के बीच रही। इस अवधि के दौरान विभिन्न सम्वर्द्धन योजनाओं के चलाने का यह परिणाम है। इसलिये चौथी योजना, निर्यात प्रदर्शन और भारत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में स्वर्णकाल थी।

इस सन्दर्भ में विश्व बाजार में भारतीय माल के प्रतियोगी क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता पर दबाव नहीं डाला जा सकता। सरकार के द्वारा दीर्घकालीन नीति, जो निर्यात बाजार में दाम प्रदान करने में निर्यात व्यापार को सहायता प्रदान करती है, जो सफल दीर्घ कालीन निर्यात के लिये जरूरी है।

1973 में तेल कमी से देश के निर्यात प्रभाव में अवनति हुई। तेल कमी के अलावा पाँचवे

1 बाल गोपाल, टी०ए०एस- निर्यात प्रबन्ध, हिमालय पब्लिशिंग हाऊस, बम्बई, 1981, पृ० -152

योजना के दौरान परिस्थित पहले, दूसरे, तीसरे योजना की तुलना में अच्छी थी। निर्यात आय आयात आय के 8.6 प्रतिशत के बराबर थी। पाँचवें योजना के दौरान हमारे निर्यात की सीमा 1974-75 में 3,329 करोड़ रुपये और 1977-78 में 5,408 करोड़ रुपये के बीच में था। आजादी के बाद 1976-77 के दौरान दूसरी बार देश ने 68 करोड़ रुपये का व्यापार लाभ उठाया। पाँचवी योजना के दौरान विपरीत व्यापार सन्तुलन 612 करोड़ रुपये 1977-78 में से लेकर 1974-75 में 1,190 करोड़ रुपये और 1975-76 में 1,229 करोड़ रुपये के बीच रही।

1978-80 के दौरान भारत का निर्यात प्रदर्शन 1978-79 में 5,726 करोड़ रुपये तक आँका गया जो पिछले वर्ष से 6.5 प्रतिशत अधिक था। 1979-80 में निर्यात की रकम 6,418 करोड़ , 12.1 प्रतिशत बढ़ोत्तरी प्रदर्शित करती है। पाँचवी योजना के पहले तीन साल के दौरान हुए प्रगति दर सीमा जो कि 19.31 प्रतिशत और 31 प्रतिशत के बीच था, उनकी तुलना में यह वार्षिक वृद्धि बहुत कम था। दो वर्षों के दौरान धीमी प्रगति और देश के प्रमुख निर्यात ब्याज के उत्पाद में वास्तविक गिरावट आ गयी है। ये वस्तुएँ-जम, आभूषण, लोहा और स्टील, ताँबा, धाँतु उत्पाद है। निर्यात में गिरावट के लिए प्रमुख सहायक वैसे ही रहा जैसे समुद्र पार बाजार में घरेलू पूर्ति विवशता के लिए निम्न कारणों से निर्यात की प्रगति दर कम रही-

- (i) ज्यादा उपभोग वस्तु के निर्यात पर रूकावट लगाने की नीति।
- (ii) डालर के मूल्य में गिरावट जो कि हमारे निर्यात तालिका का 2 या 3 प्रतिशत भाग है।
- (iii) निम्नस्तर के क्रिया कलापों के कारण विकसित देशों में आयात पूर्ति में कमी।
- (iv) बचाव उपाय जो विकसित देशों द्वारा अपनाये गये हैं, जो वस्त्र, सिले सिलाये वस्त्र, जूते, लोहा और स्टील, खनिज और चमड़े के भारत के निर्यात को प्रभावित किया।
- (v) कुछ मुख्य निर्यात वस्त्र के दाम में कमी आना।
- (vi) स्टील और सीमेन्ट के लिए घरेलू मांग बढ़ाना।
- (vii) घरेलू परेशानियाँ जैसे-शक्ति कमी, स्थानान्तरण कमी, कार्य करने वालों का हड़ताल।

छठी योजना के प्रत्येक वर्ष के दौरान व्यापार घाटा लगभग 5,000 करोड़ रुपये हो गया। छठी योजना के दौरान सबसे कम घाटा, इसके अन्तिम वर्षों (1984-85) में 5,390 करोड़ रुपये

हुआ। औसत वार्षिक घाटा, छठे योजना के दौरान 5,716 करोड़ रुपये का घाटा हुआ जो कि पूरे व्यापार घाटे, पाँचवी योजना के दौरान का सबसे ज्यादा घाटा रहा। छठी योजना के दौरान निर्यात आय केवल आयात के 60 प्रतिशत ही हो सकी और छठी योजना के दौरान व्यापार घाटा बहुत ज्यादा रहा। इस योजना अवधि के दौरान सी०एन०पी० के द्वारा दिखाये गये घाटे के प्रतिशत से बाजार में कमी आयी। यह कमी 1980-81 में 5.1 प्रतिशत से 1983-84 में 3.4 प्रतिशत हो गयी और 1984-85 के दौरान और भी कमी हो गयी। इस योजना अवधि के दौरान कच्चा तेल एक प्रमुख निर्यात वस्तु के रूप में सामने आया। कच्चे तेल का निर्यात 1981-82 के अन्तिम चौथाई में शुरू हुआ। कच्चे तेल का निर्यात 1981-82 में 211 करोड़ रुपये से 1982-83 में 1,157 करोड़ रुपये से 1983-84 में 1,400 करोड़ रुपये और 1984-85 में 1,817 करोड़ रुपये की बढत हासिल कर ली।

सातवी पंचवर्षीय योजना के दौरान (1985-86 से 1989-90) कांग्रेस (इ) सरकार द्वारा अन्धाधुन्ध उदारीकरण की नीति अपनाये जाने की तरह, जनता दल सरकार ने भी कदम बढाया, जिसके परिणाम स्वरूप औसत वार्षिक निर्यात केवल 17,382 करोड़ रुपये तक पहुँच पाया। 7,730 करोड़ रुपये का औसत वार्षिक घाटा पैदा हो गया। सातवें योजना के दौरान हमारे निर्यात की सीमा 1985-86 में 10,895 करोड़ रुपये और 1989-90 में 27,658 करोड़ रुपये के बीच था।

इतना भारी व्यापार घाटा उत्पन्न हो जाने के कारण भारत सरकार को मजबूर होकर विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास 670 करोड़ डालर का ऋण लेने के लिए प्रार्थना-पत्र भेजना पड़ा था। भारत सरकार ने बढते हुए आयात को रोकने के लिये आयात लाइसेन्सों की उदार नीति पर अंकुश लगाया।

1990-91 में हमारा व्यापार घाटा 10,645 करोड़ रुपये का रहा लेकिन हमारी सरकार के निर्यात प्रोत्साहन के प्रयास के कारण निर्यात बढ़कर 32,553 करोड़ रुपया का हो गया। इस दौरान निर्यात में 15.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई। 1991-92 के दौरान व्यापार घाटा 3,810 करोड़ रुपये का रहा। निर्यात में 42.5 प्रतिशत की गिरावट आई। 1991-92 में 44,041 करोड़ रुपये का निर्यात हुआ। सरकार ने नई व्यापार नीति में निर्यात को बढाने के लिए बहुत से उपाय किये-

जैसे निर्यात-आयात स्क्रिप्स की इजाजत दिया, नकद क्षतिपूर्ति आलम्बन और रूपये का दो चरणों में अवमूल्यन किया, फिर भी ये सभी उपाय निर्यात को प्रोत्साहित करने में विफल रहे। 1992-93 के दौरान व्यापार घाटा 9,687 करोड़ रूपये का हुआ। निर्यात जो 1991-92 में 44,041 करोड़ रूपये का था बढ़कर 1992-93 में 53,688 करोड़ रूपये का हो गया। 1993-94 में व्यापार घाटा 3,350 करोड़ रूपये का था तथा इस दौरान देश का निर्यात 69,751 करोड़ रूपये का रहा। 1994-95 की अवधि में निर्यात व्यापार 82,674 करोड़ रूपये का हुआ जबकि वर्ष 1993-94 में निर्यात व्यापार 69,751 करोड़ रूपये का था। 1994-95 के दौरान व्यापार घाटा 7,297 करोड़ रूपये का रहा। अप्रैल-दिसम्बर 1996-97 की अवधि में निर्यात व्यापार अनुमानतः 85,623 करोड़ रूपये का हुआ जबकि वर्ष 1995-96 में निर्यात व्यापार अनुमानित 1,06,350 करोड़ रूपये का था। 1996-97 के दौरान व्यापार घटा अनुमानतः 11,488 करोड़ रूपये का रहा।

प्रोत्साहक लक्षण

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के बढ़ने से निर्यात व्यापार विस्तार कर रहा है। विश्व निर्यात में भारत का भाग 1970 में 0.6 प्रतिशत, 1975 में 0.5 प्रतिशत और 1980 में 0.4 प्रतिशत रहा। 1979-81 के बीच में विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा सबसे कम 0.42 प्रतिशत था। 1990 में विश्व निर्यात में हमारा हिस्सा 0.5 प्रतिशत था जो 1992 में भी विश्व निर्यात में हमारा हिस्सा 0.5 प्रतिशत तक ही रहा और 1994 में विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा बढ़कर 0.8 प्रतिशत हो गया। 1990 के मूल्य की तुलना में जो 18,143 मिलियन डालर था, वह बढ़कर 1994 में 31,797 मिलियन डालर हो गया।

निर्यात उत्पाद का व्यापार विश्व बाजार में अपना महत्वपूर्ण हिस्सा बना रहा है। 1985 में चाय (26.2%), मसाला (19.3%), चमड़ा (7.9%), लोहा और इस्पात (0.1%), महत्वपूर्ण पत्थर (9.6%), चमड़ा निर्मित वस्तुयें (16.4%), और बुने सूती कपड़े (4.8%) लेकिन 1992 में चाय (10.5%), मसाला (64.1%), चमड़ा (3.4%), लोहा और इस्पात (0.4%), महत्वपूर्ण पत्थर (10.1%), और चमड़ा निर्मित वस्तुयें (6.7%)। हमारे कुछ महत्वपूर्ण निर्यात उत्पाद भी हैं जो तालिका- 3 में दिये हैं।

तालिका- 2.1: योजना काल में भारत का निर्यात व्यापार (करोड़ रुपये में)

वर्ष/ योजना	निर्यात	निर्यात का वार्षिक औसत	व्यापार शेष
1	2	3	4
प्रथम योजना (1951-52 से 1955-56)			
1951-52	716		-174
1952-53	578		-124
1953-54	531		-79
1954-55	593		-107
1955-56	609		-165
कुल (1951-52 से 1955-56)	<u>3,027</u>	605	
द्वितीय योजना (1956-57 से 1960-61)			
1956-57	605		-236
1957-58	561		-474
1958-59	581		-325
1959-60	640		-321
1960-61	642		-480
कुल (1956-57 से 1960-61)	<u>3,029</u>	606	
तीसरी योजना (1961-62 से 1965-66)			
1961-62	660		-430
1962-63	685		-446
1963-64	793		-430
1964-65	816		-533
1965-66	810		-599
कुल (1961-62 से 1965-66)	<u>3,764</u>	753	
वार्षिक योजनायें (1966-67 से 1968-69)			
1966-67	1,157		-921
1967-68	1,199		-809
1968-69	1,358		-551
कुल (1966-67 से 1968-69)	<u>3,714</u>	1,238	
चौथी योजना (1969-70 से 1973-74)			
1969-70	1,413		-169
1970-71	1,535		-99
1971-72	1,608		-217
1972-73	1,971		+104

1	2	3	4
1973-74	<u>2,523</u>		-432
कुल (1969-70 से 1973-74)	<u>9,050</u>	1,810	
पांचवी योजना (1974-75 से 1977-78)			
1974-75	3,329		-1,190
1975-76	4,036		-1,229
1976-77	5,142		+68
1977-78	<u>5,408</u>		-612
कुल (1974-75 से 1977-78)	<u>17,915</u>	4,479	
1978-79	5,726		-1,085
1979-80	6,418		-2,725
छठी योजना (1980-81 से 1984-85)			
1980-81	6,711		-5,838
1981-82	7,806		-5,802
1982-83	8,803		-5,490
1983-84	9,771		-6,060
1984-85	<u>11,744</u>		-5,390
कुल (1980-81 से 1984-85)	<u>44,835</u>	8,967	
सातवी योजना (1985-86 से 1989-90)			
1985-86	10,895		-8,763
1986-87	12,452		-7,644
1987-88	15,674		-6,570
1988-89	20,232		-8,003
1989-90	<u>27,658</u>		-7,670
कुल (1985-86 से 1989-90)	<u>86,911</u>	17,382	
1990-91	32,553		-10,645
1991-92	44,041		-3,810
1992-93	53,688		-9,687
1993-94	69,751		-3,350
1994-95	82,674		-7,297
1995-96 (अ)	10,6350		-16,325
1996-97 (अ)	85,623		-11,488
(अप्रैल-दिसम्बर)			

स्रोत : भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण 1996-97

तालिका- 2.2: विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा (मिलियन अमरीकी डालर में)

वर्ष	विश्व निर्यात	भारत का निर्यात	भारत का हिस्सा (प्रतिशत)
1970	3,13,804	2,026	0.6
1975	8,76,094	4,355	0.5
1980	19,97,686	8,378	0.4
1985	19,30,849	8,750	0.5
1990	33,06,374	18,143	0.5
1992	35,72,320	18,537	0.5
1993	35,43,323	22,238	0.6
1994	39,74,388	31,797	0.8

स्रोत : भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण 1996-97

तालिका- 2.3: प्रमुख वस्तुओं का विश्व निर्यात में भारत का हिस्सा (मिलियन अमरीकी डालर में)

वस्तुयें	1970		1975		1980	
	विश्व निर्यात	भारत का हिस्सा (प्रतिशत)	विश्व निर्यात	भारत का हिस्सा (प्रतिशत)	विश्व निर्यात	भारत का हिस्सा (प्रतिशत)
चाय और मेट	587	33.4	933	31.3	1,631	27.7
मासले	255	20.5	548	13.3	1,072	14.5
चावल	925	0.6	1,984	0.6	4,355	3.7
काफी और काफी के अनुकल्प	3,205	1.6	4,580	1.6	12,979	2.1
अविनिर्मित तम्बाकू और घूरा	1,058	4.0	2,357	5.0	3,423	4.4
विनिर्मित तम्बाकू	655	0.2	1,470	0.4	-	-
चमड़ा	701	13.4	1,540	12.3	3,415	10.0
चमड़े की विनिर्मित वस्तुएं	132	0.6	355	1.0	975	6.3
बुने सूती कपड़े	1,436	6.8	3,149	5.1	6,632	5.3
मोती, बहुमूल्य तथा अल्प मूल्य रत्न	2,431	2.2	5,707	2.2	18,563	3.1
लोहा और इस्पात	14,540	0.9	40,789	0.3	68,231	0.1
धातुओं से विनिर्मित वस्तुएं	4,328	0.6	12,053	0.6	36,840	0.6

वस्तुयें	1985		1990		1992	
	विश्व निर्यात	भारत का निर्यात हिस्सा (प्रतिशत)	विश्व निर्यात	भारत का निर्यात हिस्सा (प्रतिशत)	विश्व निर्यात	भारत का निर्यात हिस्सा (प्रतिशत)
चाय और मेट	1,973	26.2	2,653	22.0	2,129	10.5
मासले	1,188	19.3	1,376	7.9	172	64.1
चावल	2,916	5.6	3,903	6.5	3,929	3.4
काफी और	11,676	1.9	8,558	1.7	7,865	1.2
काफी के अनुकल्प अविनिर्मित	3,798	3.0	5,207	2.0	6,060	1.3
तम्बाकू और चूरा	4,024	0.7	12,598	0.3	15,041	0.0
विनिर्मित तम्बाकू	4,185	7.9	9,393	4.8	9,859	3.4
चमड़ा						
चमड़े की						
विनिर्मित वस्तुएं	1,233	16.4	2,845	13.5	3,686	6.7
बुने सूती कपड़े	6,804	4.8	15,621	3.7	16,517	2.8
मोती, बहुमूल्य						
तथा अल्प मूल्य रत्न	12,073	9.6	30,202	9.0	27,869	10.1
लोहा और इस्पात	61,891	0.1	1,09,486	0.3	1,02,98	0.4
धातुओं से विनिर्मित	32,884	0.4	66,199	0.5	74,462	0.6

1994

वस्तुयें	विश्व निर्यात	भारत का निर्यात	भारत का हिस्सा (प्रतिशत)
चाय और मेट	2,263	307	13.6
मासले	1,630	149	9.1
चावल	5,780	384	6.6
काफी और काफी के अनुकूल्य	13,854	335	2.4
अविनिर्मित तम्बाकू और चूरा	4,830	59	1.2
विनिर्मित तम्बाकू	16,644	22	0.1
चमड़ा	12,800	322	2.5
चमड़े की विनिर्मित वस्तुएं	4,741	302	6.4
बुने सूती कपड़े	18,424	913	5.0
मोती, बहुमूल्य तथा अल्पमूल्य रत्न	37,113	4,060	10.9
लोहा और इस्पात	1,13,624	775	0.7
धातुओं से विनिर्मित वस्तुएं	79,673	497	0.6

स्रोत: भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण 1996-97

निर्यात की संरचना

देश के निर्यात संरचना में एक विशिष्ट परिवर्तन प्रमाणित किया गया है। निर्यात संरचना के उपनिवेशी प्रतिभा के विपरीत निर्यात व्यापार के संरचना में भी विशिष्ट परिवर्तन ज्ञात हुआ है। कई नये वस्तु मुख्यतः अर्धनिर्मित और निर्मित निर्यात सूची में जोड़े गये हैं। इसने कुछ परम्परागत वस्तुओं के निर्यात पर भारी मुनाफे को कम कर दिया है जैसे- चाय, रूई, जूट, मसाले, चमड़े इत्यादि जो कुल आय के 50% से भी ज्यादा प्रदान करते हैं।

1965-66 में भी भारत के 810 करोड़ रुपये के कुल निर्यात में जूट, चाय, सूती वस्त्र, अभ्रक और मँगनीज के निर्यातों का भाग लगभग आधा था। पिछले लगभग दस वर्षों में निर्यात व्यापार की रचना बदली है। आज भी जूट, चाय और सूती वस्त्र भारत के निर्यात व्यापार की मुख्य वस्तुएँ हैं। लेकिन अब भारत चीनी, तंबाकू, काजू, खली, चमड़े के तैयार माल, इंजीनियरिंग उपकरणों, रसायनिक वस्तुओं और मछली तथा उससे तैयार की जाने वाली विविध वस्तुओं का निर्यात बड़ी मात्रा में कर रहा है। भारत अब लगभग 3000 बड़ी छोटी वस्तुओं का निर्यात करता है जबकि आज से पच्चीस वर्ष पहले निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की संख्या 50 के लगभग थी।

देश से जल, थल और वायुमार्ग द्वारा जिन प्रमुख वस्तुओं का निर्यात किया जाता है वे निम्न हैं- पटसन की वस्तुएँ (सूत आदि के अतिरिक्त), चाय, सूती वस्त्र (सूत आदि के अतिरिक्त अन्य वस्त्र), सूती वस्त्र (सूती वस्त्र और पटसन को छोड़कर), वस्त्र की बनी चीजें (सूती तथा पटसन के वस्त्र, ऊनी कालीन, चटाई, गलीचे आदि को छोड़कर), सूत और धागा, अलोह धातुओं के अयस्क और साँद्र अयस्क, चमड़ा, कपास (रद्दी कपास आदि छोड़कर), ताजे फल तथा गिरियाँ (तेल वाली गिरियों को छोड़कर), कच्ची वनस्पति जन्य सामग्री (अखाद्य), चीनी (सीरा सहित), लौह अयस्क और साँद्र अयस्क, कच्चा तम्बाकू, वनस्पति, तेल (निर्गंधीय), कच्चे खनिज पदार्थ (कोयला, पेट्रॉल, उर्वरक तथा रत्नों को छोड़कर), ऊनी कालीन, गलीचे और चटाई आदि, लोहा तथा इस्पात, कहवा, चमड़ा तथा खालें (कच्ची), पेट्रोलियम पदार्थ, कोयला, कोक तथा कोयला-चूरे की ईंटें आदि

भारत के निर्यात में परम्परागत निर्यातों का योगदान कम होता जा रहा है और कुछ गैर-परम्परागत

वस्तुओं जैसे इन्जीनियरी का सामान, रसायन, खनिज, ईंधन, लोहा एवं इस्पात, हस्त-शिल्प के सामान आदि का निर्यात बढ़ता जा रहा है। भारत अपने योजनाबद्ध आर्थिक विकास के फलस्वरूप अनेक महत्वपूर्ण वस्तुओं से निर्यात की स्थिति में आ गया है। कृषि सम्बन्धी मशीनरी और औजार, हाथ-पम्प, स्टील फर्नीचर, बिजली का साज-सामान, चमड़े की बढ़िया वस्तुएँ, प्लास्टिक का सामान, साइकिलें, अनेक ऊँची और पेचीदा श्रेणी की वस्तुओं जैसे मशीन टूल्स एवं वस्त्र मशीनरी, सिलाई की मशीनें, रेलवे बैगनों, बिजली की मोटर, डीजल इंजन आदि का निर्यात बढ़ता जा रहा है। इन वस्तुओं का निर्यात दक्षिण-पूर्वी एशिया और अफ्रीका के विकासशील देशों तथा यूरोप के विकसित देशों-दोनों को किया जा रहा है। भारत आधुनिक टेक्नॉलाजी के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ गया है, अतः उसकी प्रतियोगिता-शक्ति काफी उन्नत हुई है। देश के निर्यातों का स्वरूप एक औद्योगिक देश के निर्यातों के अनुकूल बनता जा रहा है। भारत न केवल वस्तुओं का बल्कि अपने प्राविधिक ज्ञान और डिजाइन तथा परामर्शदात्री सेवाओं का निर्यात भी करने लगा है। भारतीय उद्यमकर्ताओं ने सऊदी अरब, घाना, ईरान, श्रीलंका, नेपाल, नाइजीरिया, मलेशिया आदि देशों में ही नहीं कनाडा और ब्रिटेन तक में संयुक्त उपक्रम चालू किये हैं।

तालिका 4 के अनुसार कृषि उत्पाद एवं अन्य सम्बन्धित उत्पादों के निर्यात का महत्व घटा है तथा निर्मित वस्तुओं के निर्यात का महत्व बढ़ा है। 1991-92 में कृषि उत्पादों का कुल निर्यात में अंश लगभग 17.9 प्रतिशत था जो कि बढ़कर 1995-96 में 19.2 प्रतिशत हो गया, जबकि निर्मित वस्तुओं का निर्यात 1991-92 में 74.6 प्रतिशत से बढ़कर 1995-96 में 75.4 प्रतिशत हो गया।

तालिका 4 के आधार पर पता चलता है कि चाय 1991-92 में इसका कुल निर्यात में 2.8 प्रतिशत अंश था जो कि घटते-घटते वर्ष 1995-96 में 1.1 प्रतिशत रह गया। इसी प्रकार 1991-92 में चमड़ा एवं चमड़े की वस्तुओं का कुल निर्यात में 4.5 प्रतिशत अंश था जो कि बढ़कर 1992-93 में 4.7 प्रतिशत हो गया और 1995-96 में घटकर 3.6 प्रतिशत पर आ गया। रत्न एवं आभूषण का 1991-92 में कुल निर्यात में 15.3 प्रतिशत अंश था जो कि बढ़कर 1995-96 में 16.6 प्रतिशत हो गया। आने वाले वर्षों में निर्मित और अर्ध-निर्मित वस्तुओं कच्ची लोह धातु और अन्य खनिज पदार्थों के निर्यात में पर्याप्त वृद्धि होने की संभावना है।

तालिका- 2.4: भारतीय निर्यात में विभिन्न वस्तुओं का अनुपात (प्रतिशत में)

वस्तु समूह	1991-92	1992-93	1995-96
(I) कृषि उत्पाद	17.9	16.4	19.2
(1) चाय	2.8	1.8	1.1
(2) निर्मित तम्बाकू	0.1	0.2	0.4
(3) खाद्य तेल	2.1	2.9	2.2
(4) संसाधित फल एवं रस	0.2	0.2	0.7
(5) कच्चा सूत	0.7	0.4	0.2
(II) कच्ची धातु और खनिज	5.2	4.0	3.7
(6) कोयला	0.0	0.1	0.9
(III) निर्मित वस्तुएं	74.6	76.3	75.4
(7) चमड़ा एवं चमड़े की वस्तुएं	4.5	4.7	3.6
(8) चमड़े के जूते	2.6	2.1	1.8
(9) रत्न एवं आभूषण	15.3	16.5	16.6
(10) धातु द्वारा निर्मित वस्तुएं	2.7	3.2	2.6
(11) परिवहन से सम्बन्धित उपकरण	2.8	2.8	2.6
(12) लोहे एवं स्टील के धड़	0.3	0.8	-
(13) कच्चा और अर्धनिर्मित लोहा एवं स्टील	0.5	0.8	1.6
(14) सिले हुए वस्त्र	12.3	12.9	11.6
(15) हस्त शिल्प	4.7	4.6	3.5
(IV) कच्चा पेट्रोलियम उत्पाद	2.3	2.6	1.4
(V) अन्य अवर्गीकृत वस्तुएँ	0.0	0.7	0.4
कुल योग	100	100	100

स्रोत : भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण 1996-97

तालिका- 2.5: भारतीय निर्यात वस्तुओं की संरचना (करोड़ रुपये में)

वस्तुएँ	1980-81	1990-91	1993-94	1995-96
परम्परागत निर्यात				
जूट की वस्तुएँ	330	298	389	621
चाय और मेट	426	1,070	1,059	1,171
सूती वस्त्र	408	2,100	4,821	8,669
काजू की गिरी	140	447	1,048	1,237
खली	125	609	2,324	2,349
मसाले	11	239	569	794
तम्बाकू	141	263	461	447
गैर-परम्परागत निर्यात				
चीनी	40	38	178	506
इंजीनियरिंग वस्तुएँ एवं	827	3,872	9,484	14,578
लोहा व इस्पात				
चमड़ा तथा चमड़े से	390	2,600	4,077	5,790
निर्मित वस्तुएँ				
रत्न और आभूषण	618	5,247	12,533	17,644
रासायनिक	225	2,111	5,688	9,849
हस्तशिल्प	952	6,167	14,955	20,501
कपास	165	846	654	204
चावल	224	462	1,287	4,568
काफी	214	252	546	1,503

स्रोत : भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण 1996-97

परम्परागत निर्यात

भारत से निर्यात की जाने वाली प्रमुख परम्परागत वस्तुएँ निम्नलिखित हैं-

जूट की वस्तुएँ

जूट हमारे देश का परम्परागत निर्यात है। जूट के निर्यात में हमारा सबसे बड़ा प्रतिस्पर्धा बांग्लादेश से है। 1980-81 में 330 करोड़ रुपये का जूट का निर्यात किया गया जो घटकर 1990-91 में 298 करोड़ रुपये का हो गया। 1993-94 में जूट की वस्तुओं का निर्यात फिर बढ़कर 389 करोड़ रुपये तथा 1995-96 में पुनः बढ़कर 621 करोड़ रुपये हो गया। भारत विदेशों को जूट से बने टाट, बोरे, सुतली-रस्से, गलीचे, जूट का कपड़ा आदि निर्यात करता है। भारत से जूट की वस्तुएँ अमेरिका, रूस, कनाडा, अर्जेटाइना, इंग्लैण्ड, आस्ट्रेलिया, मिस्र, न्यूजीलैण्ड, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, जापान, दक्षिणी अफ्रीका आदि देशों को भेजा जाता है। जूट की वस्तुओं का डालर प्राप्त करने वाली वस्तुओं में सबसे प्रमुख स्थान है। भारत सरकार जूट की वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि करने के लिए बहुत प्रयत्नशील है।

चाय

चाय निर्यात का सबसे प्रमुख वस्तु है। चाय से निर्यात आय 1980-81 में 426 करोड़ रुपये से बढ़कर 1990-91 में 1,070 करोड़ रुपये हो गया। जो कि निर्यात में गिरावट मुख्यतया रूस द्वारा अपनी आर्थिक समस्याओं के कारण, भारतीय चाय की कुल खरीद में कमी करने और ईरान और मिस्र को उनकी विदेशी मुद्रा समस्याओं के कारण 1993-94 में घटकर चाय का निर्यात 1,059 करोड़ रुपये का हो गया तथा 1995-96 में बढ़कर चाय का निर्यात 1,171 करोड़ रुपया हो गया। भारत एक गर्म देश है जिससे यहाँ के लोगों में चाय पीने की आदत कम है। जिसके फलस्वरूप अधिक मात्रा में चाय बची रहती है, जिसे विदेशों को निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित की जाती है। कुल चाय उत्पादन का लगभग 75 प्रतिशत भाग निर्यात किया जाता है। भारत की चाय इंग्लैण्ड, अमेरिका, कनाडा, ईराक, रूस, पश्चिमी जर्मनी, सूडान, आस्ट्रेलिया आदि देशों को भेजी जाती है। भारत सम्पूर्ण विश्व के कुल चाय के निर्यात का 48 प्रतिशत भाग निर्यात करता है। भारत से काली चाय निर्यात की जाती है। भारत सरकार चाय के उत्पादन एवं व्यापार में

वृद्धि करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

सूती वस्त्र

भारत के प्रमुख निर्यातों में सूती वस्त्र का प्रमुख स्थान है। भारतीय सूती वस्त्र विदेशों में काफी लोकप्रिय है। इसके निर्यात में भारत का स्थान जापान के बाद आता है। 1980-81 में सूती वस्त्र का निर्यात 408 करोड़ रुपये का हुआ जो बढ़कर 1990-91 में 2,100 करोड़ रुपये का हो गया। 1995-96 के दौरान सूती वस्त्र का निर्यात बढ़कर 8,669 करोड़ रुपये का हो गया। हमारे देश के सूती वस्त्र के प्रमुख ग्राहक इंग्लैण्ड, श्रीलंका, आस्ट्रेलिया, मलाया, कनाडा, फ्रांस, अफगानिस्तान, वर्मा आदि देश हैं। सूती वस्त्र का स्थान डालर प्राप्त करने वाली वस्तुओं में प्रमुख है। भारत में लम्बे व अच्छे किस्म के धागे की कमी है। भारत सरकार उत्तम किस्म के कपास को देश के अन्दर ही पैदा करने की व्यवस्था कर रही है। भारत सरकार इसके उत्पादन के लिए बहुत प्रयत्नशील है।

काजू की गिरी

हाल के वर्षों में काजू का हमारे निर्यात में महत्व बढ़ा है। 1980-81 में काजू की गिरी का निर्यात 140 करोड़ रुपये था जो 1990-91 में बढ़कर 447 करोड़ रुपये तथा 1995-96 में 1,237 करोड़ रुपये का हो गया। भारतीय काजू की गिरियों के निर्यात में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। भारतीय काजू संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, पश्चिमी जर्मनी, सोवियत रूस, पूर्वी जर्मनी, जापान, आस्ट्रेलिया आदि देशों को निर्यात किया जाता है।

खली

आज देश की निर्यातक वस्तुओं में खली का प्रमुख स्थान है। 1980-81 में खली का निर्यात 125 करोड़ रुपये था जो बढ़कर 1990-91 में 609 करोड़ रुपये हो गया तथा 1995-96 में 2,349 करोड़ रुपये हो गया। इसके प्रमुख ग्राहक देश इंग्लैण्ड, पूर्वी जर्मनी, पोलैण्ड, चेकोस्लोवाकिया तथा जापान आदि हैं।

मसाले

भारत में बहुत समय से ही मसालों का निर्यात विदेशों को किया जाता रहा है। मसालों के


निर्यात में काली मिर्च, अदरक, हल्दी, लोंग और बडी इलायची आदि का प्रमुख स्थान है। 1980-81 में मसालों का निर्यात 11 करोड़ रुपये का हुआ जो 1990-91 में 239 करोड़ रुपये तथा 1995-96 में बढ़कर 794 करोड़ रुपये का हो गया। भारत से मसाला अमेरिका, स्वीडेन, ग्रेट ब्रिटेन, पाकिस्तान, अरब आदि देशों को भेजा जाता है।

तम्बाकू

भारत के तम्बाकू का उत्पादन क्षेत्र में सम्पूर्ण विश्व में दूसरा स्थान है। सम्पूर्ण उत्पादन का 50 प्रतिशत तम्बाकू का निर्यात विदेशों को किया जाता है। 1980-81 में 141 करोड़ रुपये तम्बाकू का निर्यात किया गया जो 1990-91 में बढ़कर 263 करोड़ रुपये तथा 1995-96 में 447 करोड़ रुपये का तम्बाकू निर्यात हुआ। भारत से तम्बाकू ब्रिटेन, रूस, जापान, स्वीडन, मलाया, अदन आदि देशों को निर्यात किया जाता है। भारत तम्बाकू का एक प्रधान निर्यातक देश है। इससे भी काफी मात्रा में विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है।

गैर-परम्परागत निर्यात

भारत के निर्यात की प्रमुख गैर-परम्परागत वस्तुएँ इस प्रकार हैं-



चीनी

भारत से चीनी का पर्याप्त मात्रा में विदेशों को निर्यात किया जाता है। भारत में गन्ने की पैदावार अधिक होने के कारण चीनी का अधिकाधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है। 1980-81 में 40 करोड़ रुपये का चीनी का निर्यात हुआ था जो घटकर 1990-91 में 38 करोड़ रुपये हो गया। तथा 1995-96 में निर्यात बढ़कर 506 करोड़ रुपये हो गया। इंग्लैण्ड, नेपाल, जापान, कनाडा, मलाया, हांगकांग आदि देश भारतीय चीनी के प्रमुख ग्राहक हैं। भारत में चीनी का निर्यात काफी प्रगति में है। भारत सरकार गन्ने की किस्म सुधारने व गन्ने के मिलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए अधिकाधिक प्रयत्नशील है।

इंजीनियरिंग वस्तुएं

3774-10
4464

आज भारत में अनेक प्रकार के औद्योगिक संयंत्र और मशीनें, भारी परिवहन उपकरण, पंखे,

मीटर, साइकिलें बनाई जाती हैं और उन्हें विदेशों को निर्यात किया जाता है। भारत के निर्यात व्यापार में इंजीनियरिंग सामान महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता आ रहा है। इसका निर्यात 1980-81 में मात्र 827 करोड़ रुपये का था, जो बढ़कर 1990-91 में 3,872 करोड़ रुपये तथा 1995-96 में 14,578 करोड़ रुपये का हो गया। भारत से इंजिनियरी का सामान अफ्रीकी देशों, अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन आदि देशों को किया जाता है। हमारे राष्ट्र का भविष्य इस क्षेत्र में काफी आशावान है। भारत में कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है और अच्छे इंजीनियर व मैकेनिक भी अधिक संख्या में उपलब्ध हैं। भारत सरकार इंजीनियरिंग की वस्तुओं के अधिकाधिक मात्रा में उत्पादन को प्रोत्साहित कर रही है।

चमड़ा तथा चमड़े से निर्मित वस्तुएँ

भारत से गाय, भैंस व बकरी के चमड़े का निर्यात होता है। 1980-81 के दौरान भारत को इस मद से लगभग 390 करोड़ रुपये प्राप्त हुए। 1990-91 के दौरान 2,600 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया तथा 1995-96 में बढ़कर चमड़े का निर्यात 5,790 करोड़ रुपये का हो गया। इंग्लैंड, रूस, पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान आदि देशों को इसका निर्यात किया जाता है। चमड़े तथा चमड़े से बनी वस्तुओं के निर्यात का भविष्य भी उज्ज्वल है। भारत सरकार इस दिशा में काफी सुधार लाने का प्रयत्न कर रही है।

रत्न और आभूषण

भारत से रत्न और आभूषण विदेशों को भेजा जाता है। इनका निर्यात अमरीका, रूस आदि देशों में किया जाता है। 1980-81 में 618 करोड़ रुपये का रत्न और आभूषण का निर्यात किया गया जो बढ़कर 1990-91 में 5,247 करोड़ रुपये तथा 1995-96 में 17,644 करोड़ रुपये का हो गया।

रासायनिक

भारतीय निर्यात में रसायन तथा रासायनिक पदार्थ महत्वपूर्ण स्थान लेते जा रहे हैं। 1980-81 में रासायनिक का निर्यात 225 करोड़ रुपये का हुआ जो 1990-91 में बढ़कर 2,111 करोड़ रुपये तथा 1995-96 में 9,849 करोड़ रुपये का हो गया। भारत से रासायनिक का निर्यात

मुख्यतः सोवियत रूस, अरब देश, पश्चिमी यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका आदि में होता है।

हस्तशिल्प

समय के साथ-साथ भारतीय हस्तशिल्पों का निर्यात में महत्व बढ़ता जा रहा है। यह 1980-81 में 952 करोड़ रुपये के निम्न स्तर पर था। 1990-91 में यह बढ़कर 6,167 करोड़ रुपये हो गया तथा 1995-96 में हस्तशिल्प का निर्यात 20,501 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। वर्तमान समय में हस्तशिल्प के निर्यात में भारत का प्रथम स्थान है।

चावल

चावल का निर्यात विदेशी मुद्रा आर्जित करने का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। 1980-81 में 224 करोड़ रुपये का चावल निर्यात किया गया, जो बढ़कर 1990-91 में 462 करोड़ रुपये तथा 1995-96 में बढ़कर 4,568 करोड़ रुपये हो गया। भारत से मध्य पूर्व के देशों, अमेरिका, इंग्लैण्ड, फ्रांस तथा अप्रीकी महाद्वीप के कुछ देशों को चावल का निर्यात किया जाता है।

निर्यात की दिशा

भारत के निर्यात की दिशा में विशिष्ट बदलाव और विभिन्नतायें आयीं हैं। निर्यात की संरचना निर्यात की दिशा में बदलाव को बहुत कम प्रभावित करती है। परम्परागत वस्तुओं के निर्यात विकसित देशों को, गैर परम्परागत उत्पाद का निर्यात विकासशील देशों को किया जाता है। भारत का निर्यात मुख्य रूप से यूरोपीय आर्थिक समुदाय, उत्तरी अमेरिका, एशिया एवं ओशनिया, पेट्रोलियम निर्यातक देश, पूर्वीय यूरोप, विकासशील देश एवं कुछ अन्य देशों को होता है।

भारत का उत्तरी अमेरिका के साथ जिसमें कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं, घनिष्ठ व्यापारिक सम्बन्ध है। भारत 1980-81 में उत्तरी अमेरिका को अपने कुल निर्यात का 12 प्रतिशत भेजता था जिसमें से 0.9 प्रतिशत कनाडा को और 11.1 प्रतिशत संयुक्त राज्य अमेरिका को। हाल ही के वर्षों में इस स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ है और 1993-94 में संयुक्त राज्य अमेरिका को हमारा निर्यात कुल निर्यात का 18 प्रतिशत हो गया। उसी प्रकार कनाडा को 1993-94 में हमारे कुल निर्यात का 1 प्रतिशत भाग निर्यात किया गया।

तालिका- 2.6: भारत के निर्यात व्यापार की दिशा (करोड़ रुपये तथा प्रतिशत में)

क्षेत्र/ देश	1980-81	1990-91	1993-94	1995-96
I- आर्थिक सहयोग एवं विकास का संगठन	3,126 (46.6)	17,428 (53.5)	39,620 (56.8)	59,223 (55.7)
(क) यूरोपीय आर्थिक समुदाय	1,447 (21.6)	8,951 (27.5)	18,149 (26.0)	28,157 (26.5)
(1) बेल्जियम	145 (2.2)	1,259 (3.9)	2,632 (3.8)	3,748 (3.5)
(2) फ्रांस	147 (2.2)	766 (2.4)	1,582 (2.3)	2,499 (2.3)
(3) जर्मनी	385 (5.7)	2,549 (7.8)	4,833 (6.9)	6,614 (6.2)
(4) नीदर लैण्ड	152 (2.3)	644 (2.0)	1,602 (2.3)	2,572 (2.4)
(5) यूनाइटेड किंगडम	395 (5.9)	2,128 (6.5)	4,306 (6.2)	6,726 (6.3)
(ख) उत्तरी अमेरिका	806 (12.0)	5,077 (15.6)	13,276 (19.0)	19,487 (18.3)
(1) कनाडा	62 (0.9)	281 (0.9)	710 (1.0)	1,022 (1.0)
(2) संयुक्तराज्य अमेरिका	743 (11.1)	4,797 (14.7)	12,566 (18.0)	18,466 (17.4)
(ग) एशिया एवं ओशनिया	708 (10.6)	3,401 (10.4)	6,331 (9.1)	8,870 (8.3)
(1) आस्ट्रेलिया	92 (1.4)	321 (1.0)	792 (1.1)	1,257 (1.2)
(2) जापान	598 (8.9)	3,039 (9.3)	5,432 (7.8)	7,411 (7.0)
II- पेट्रोलियम निर्यातक देश	745 (11.1)	1,831 (5.6)	7,441 (10.7)	10,300 (9.7)
(1) ईरान	123 (1.8)	141 (0.4)	498 (0.7)	514 (0.5)
(2) ईराक	52 (0.8)	44 (0.1)	12 (0.0)	2 (0.0)
(3) कुवैत	97 (1.4)	74 (0.2)	331 (0.5)	453 (0.4)
(4) साऊदी अरब	165 (2.5)	419 (1.3)	1,600 (2.3)	1,613 (1.5)
III- पूर्वीय यूरोप	1,486 (22.1)	5,819 (17.9)	2,620 (3.8)	4,092 (3.8)
(1) रूमानिया	58 (0.9)	96 (0.3)	80 (0.1)	100 (0.1)
(2) रूस	1,226 (18.3)	5,255 (16.1)	2,004 (2.9)	3,495 (3.3)
(3) जर्मन लोकतन्त्र गणराज्य	49 (0.7)	- (-)	- (-)	- (-)
IV- विकासशील देश	1,286 (19.2)	5,465 (16.8)	16,799 (24.1)	27,324 (25.7)
(1) अफ्रीका	350 (5.2)	668 (2.1)	1,823 (2.6)	3,584 (3.4)
(2) एशिया	900 (13.4)	4,665 (14.3)	14,319 (20.5)	22,613 (21.3)
(3) लैटिन अमेरिका और कैरेबियन	36 (0.5)	132 (0.4)	657 (0.9)	1,127 (1.1)
V- अन्य	68 (1.0)	2,010 (6.2)	3,271 (4.7)	5,414 (5.1)
कुल योग	6,711 (100.0)	32,553 (100.0)	69,751 (100.0)	1,06,353 (100)

स्रोत : भारत सरकार का आर्थिक सर्वेक्षण 1996-97

हमारे निर्यात व्यापार में एशिया एवं ओशनिया में आस्ट्रेलिया और जापान महत्वपूर्ण देश हैं। 1980-81 में हमारे कुल निर्यात का 8.9 प्रतिशत जापान को निर्यात किया गया जो कि कम होकर 1993-94 में 7.8 प्रतिशत रह गया। इसी प्रकार 1980-81 में हमारे निर्यात में आस्ट्रेलिया का भाग 1.4 प्रतिशत था जो कि कम होकर 1995-96 में 1.2 प्रतिशत रह गया। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के साथ हमारे व्यापारिक सम्बन्ध बढ़े हैं। इनमें मुख्य देश हैं- ईरान, ईराक, कुवैत और साउदी अरब। 1980-81 में इन देशों को हम अपने निर्यात का 11.1 प्रतिशत भाग भेजते थे जो कम होकर 1995-96 में अपने निर्यात का 9.7 प्रतिशत ही भेजा जा सका।

पूर्वीय यूरोप के देशों अर्थात् रूमानिया, रूस, जर्मन लोकतन्त्र गणराज्य के साथ हमारा व्यापार सम्बन्ध बन रहा है। भारत 1980-81 में इस क्षेत्र को अपने कुल निर्यात का 22.1 प्रतिशत निर्यात किया जो कि कम होकर 1995-96 में 3.8 प्रतिशत रह गया। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम स्वरूप इन देशों के साथ हमारे व्यापारिक सम्बन्धों में परिवर्तन आ रहा है।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों में जर्मनी का भारत के निर्यात व्यापार में महत्वपूर्ण स्थान है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों में से भारत का सबसे अधिक व्यापार इंग्लैण्ड के पश्चात् जर्मनी के साथ होता है। 1980-81 में भारत से जर्मनी को 5.7 प्रतिशत भाग निर्यात होता था जो बढ़कर 1995-96 में 6.2 प्रतिशत हो गया।

विकासशील देशों अर्थात् अफ्रीका, एशिया तथा लैटिन अमेरिका और कैरेबियन के साथ हमारा व्यापार विकसित हो रहा है। भारत 1980-81 में विकासशील देशों को अपने कुल निर्यात का 19.2 प्रतिशत भाग निर्यात किया जो बढ़कर 1995-96 में इन देशों के साथ कुल निर्यात का 25.7 प्रतिशत भाग हो गया।

भारत 1980-81 में अन्य देशों को अपने कुल निर्यात का 1 प्रतिशत निर्यात किया जो बढ़कर 1995-96 में 5.1 प्रतिशत हो गया। भारत के व्यापारिक सम्बन्ध विश्व के प्रायः सभी देशों के साथ है। उपरोक्त देशों के अतिरिक्त भारत का निर्यात व्यापार मुख्यतः अरब गणराज्य, कागों, यूगाण्डा, ईराक, जोर्डन, सऊदी अरब, कुवैत, अफगानिस्तान, हांगकांग, थाईलैण्ड, इण्डोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, ब्राजील तथा अर्जेण्टाइना आदि देशों के साथ है।

धीरे-धीरे हमारा व्यापार पूर्वीय यूरोप के देशों, योरोपीय आर्थिक समुदाय और अन्य एशियाई देशों के साथ बढ़ता जा रहा है। हमारे विदेशी व्यापार में नौ देश महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वे हैं, यू०एस०ए, यू०के०, जर्मनी, यू०एस०एस०आर, जापान, यू०ए०ई०, साऊदी अरब, आस्ट्रेलिया और कनाडा। 1951-52 से 1991-92 के दौरान इन नौ देशों के साथ हमारा निर्यात 51 से 59 प्रतिशत की अभिसीमा में रहा है।

विश्व निर्यात में भारत का भाग बढ़ने के बजाय प्रत्येक वर्ष धीरे-धीरे 1.55 से .49 प्रतिशत कम हो गया। अन्तर्राष्ट्रीय निर्यातकों में भारत का स्थान भी प्रत्येक साल नीचे जा रहा है। 1960 में भारत पाचवाँ निर्यातक देश था, लेकिन 1968 में 22 वें स्थान पर और 1972 में 24 वें स्थान पर पहुँच गया। ऊपर देखते हुए यह निश्चित रूप से देखकर कहा जा सकता है कि भारत के अपने निर्यात में बाधा पहुँच रही है और भारत के निर्यात विकास के मौके ज्यादा हैं। कुछ अनुकूल और कुछ प्रतिकूल परिस्थितियाँ भारतीय निर्यात पर प्रभाव डाल सकती हैं। ये परिस्थितियाँ निम्न हैं-

अनुकूल कारण

- (I) भारत के निर्यात वस्तु के लिए खाड़ी क्षेत्र अतिरिक्त बाजार की तरह।
- (II) चाइना और पाकिस्तान जैसे नये ग्राहक का संकट।
- (III) मध्यपूर्व और दक्षिण पूर्व देशों में सम्बन्धित सेवायें और योजनाओं के निर्यात के लिए सही परिस्थित।
- (IV) विकसित देशों के आयात के लिए एक समान अभिप्राय है। इन देशों में आय, मांग का लचीलापन निर्यात के लिए ज्यादा अच्छे हैं।
- (V) ऐसे क्षेत्र जो विकसित देशों द्वारा खाली कर दिये गये हैं जैसे मजदूर, गहन वृद्धि, उद्योग, कम अच्छे उत्पाद निर्मित कर रहे हैं, क्योंकि ये माल विकसित देशों द्वारा ज्यादा अच्छे उत्पाद अधिक मात्रा में उत्पादित हो रहे हैं।
- (VI) प्रतिष्ठा के सामान्य क्रियाओं की उपस्थिति
- (VII) बहुभुजी व्यापार व्यवहार। ये तटकर विहीन कर में कमी, तटकर की कमी में सहायता

करते हैं, भले ही ये जी०एस०पी० को खत्म कर दे। कृषि उत्पाद के लिए अच्छे बाजार और विकसित देशों द्वारा प्रदान किये गये निर्यात अनुदान का उपयोग करना।

- (VIII) 1972 के समझौते के अन्तर्गत विकासशील देशों में प्रतिष्ठा का विनिमय करना। इन देशों के अन्तर्गत, ब्राजील, कोरिया, स्पेन, मिश्र, यूनान, बंगलादेश और अन्य देश हैं।
- (IX) बैंककोक समझौते के अन्तर्गत तटकर सदस्य देशों में निर्मित 134 वस्तुओं के लिए व्यापार में कमी कर दी गयी थी।
- (X) आयात सम्बर्द्धन केन्द्र द्वारा कई देशों में विकासशील देशों से आयात में बढ़ावा मिलता है जैसे- हालैण्ड, यू०के, जर्मनी, स्वीडन।

प्रतिकूल कारण

- A- विकसित देशों में व्यापार वातावरण अभी अनिश्चित है।
- B- नये औद्योगिक देशों से ज्यादा प्रतियोगिता के कारण ऊपर उठने की दृष्टि से बचाव करना।
- C- विनिमय बाजार में घोर वृद्धि। 1977 से प्रमुख मुद्रायें विनिमय दर में फायदा दिखाती हैं।
- D- अन्य विकासशील देशों से ज्यादा प्रतियोगिता होना।
- E- वे भारत द्वारा उत्पादित माल को निर्यात के लिये पकड़ती हैं।

उसी तरह घरेलू पूर्ति पर समस्या नहीं है जबकि भारत ने विस्तृत उत्पादन किया है और भारतीय निर्यातकों के बीच जागृतता बढ़ रही है। निम्न तत्व उनके निश्चित भविष्य को बता रहे हैं।

- A- जनसंख्या उपभोग के वस्तु के निर्यातक को पंजीकृत किया गया है।
- B- भारतीय उद्योग और कृषि क्षमता के पूर्ण उपयोग के लिए शक्ति की स्वाभाविक कमी।
- C- वर्तमान समय के दौरान मजदूर सम्बन्ध भ्रष्ट हो गये हैं।
- D- भारतीय निर्यात की प्रतियोगिता को गम्भीर रूप से प्रभावित करता है।
- E- व्यापार इकाई का आकार और औद्योगिक लाइसेन्सिंग नीति भी भारतीय निर्यात को बाधा

खडी करती है।

भविष्य

किसी वस्तु का निर्यात तभी होगा जब घरेलू आवश्यकताओं की गृह प्रबन्ध की पूर्ति हो सकेगी। इसके सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि निर्यात के लिए उत्पादन को बढ़ाने के प्रभाव और घरेलू बाजार में लोक संघ उपभोग के वस्तु और अन्य जरूरी वस्तु पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिये। नौवीं योजना में निर्यात को सरकार द्वारा प्राथमिकता दी गयी है। उत्पादन परियोजना और सम्बन्धित कार्य के विस्तृत क्षेत्र में निर्यात ब्यूह रचना करना क्योंकि बाजार अब बन्द हो रहे हैं। बाजार के सभी तत्वों के उत्पादन के स्तर से विस्तृत क्षेत्र आयात का ब्यूह रचना शुरू करना चाहिये, जैसे मूल्य सहायता, विपणन सहायता, निर्यात सम्बर्द्धन और प्रचार आदि। निर्यात संसद समिति की स्थापना प्रधानमन्त्री की प्रमुखता के अन्तर्गत 1981 में हुई थी, जिसको फिर से जून 1986 में निर्यातक समुदाय के अन्तर्गत विश्वास उत्पन्न करने के लिये किया गया है ताकि निर्यात ऊँची प्राथमिकता के साथ स्वीकार किया जाय। संसद समिति निर्यात को नयी दिशा प्रदान करता है और भारतीय निर्यात वस्तुओं को पूँजीगत करने में सहायता करता है। उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न उपाय शुरू किये गये हैं ताकि हमारे गृह प्रबन्ध के विभिन्न तत्वों को बढ़ाया जा सके।

- 1- शत प्रतिशत निर्यात इकाई को मुक्त व्यापार क्षेत्र सुविधा प्रदान करना।
- 2- लाइसेन्स क्षमता के उद्देश्य के लिये निर्यात उपाद को बढ़ाना।
- 3- निर्यात उद्योग को एम०आर०टी०पी० नियन्त्रण से मुक्त करना।
- 4- निर्यात उत्पादन के लिए तकनीक आयात को पक्ष में करना जो राजस्व भुगतान में सहायता प्रदान करते हैं।
- 5- निर्यात उत्पादन के लिए क्षमता में स्व वृद्धि।
- 6- प्रतिबन्ध में चुनिन्दा छूट।
- 7- निर्यात उद्योग के सम्बन्ध में विदेशी निजी विनियोग का 40 प्रतिशत छूट देना।
- 8- निर्यात के लिए विदेशी कम्पनियों से विपणन सहायता की आज्ञा देना।
- 9- सरकार ने एक आयात और निर्यात बैंक की स्थापना निर्यात व्यवसाय की वित्तीय

आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये किया।

ऊपर दिये गये कदम सही दिशा में हैं और निश्चित रूप से निर्यात में सहायता प्रदान करेंगे लेकिन इन उपायों की सफलता उनके जल्द और सही वितरण पर निर्भर करता है। हमारे देश के निर्यात व्यापार लगातार बढ़ रहे हैं, यह संरचना और सही दिशा सुनिश्चित करता है। यह सचमुच एक बहुत सन्तोषजनक प्राप्ति है और हमारी क्षमता के बारे में बताती है और भारत के भविष्य की निर्यात व्यापार के लिये प्रतिज्ञा करती है।

भारत का विदेशी व्यापार-समस्या

स्वतन्त्रता के बाद प्रारम्भिक समस्याएँ

स्वतन्त्रता के बाद भारत के विदेशी व्यापार को अनेक महत्वपूर्ण समस्याओं का सामना करना पड़ा। देश के विभाजन और अनाज की कमी ने इन समस्याओं को कई गुना बढ़ा दिया तथा इन समस्याओं ने देश के व्यापार को अनेक नये मोड़ प्रदान किये। खाद्यान्न की कमी को पूरा करने के लिये देश को विभिन्न राज्यों के साथ व्यापार सम्बन्ध स्थापित करने के लिए बाध्य होना पड़ा। देश के विभाजन ने जूट पैदा करने वाले अनेक इलाकों को पाकिस्तान में रखा जबकि इनसे सम्बन्धित मिल भारत में रहे।

1947 के बाद भारत के विदेशी व्यापार को निम्न परिस्थितियों का सामना करना पड़ा।

1- मुद्रा प्रसार: स्वतन्त्रता के बाद से ही भारत में वस्तुओं की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही थी। जिसके फलस्वरूप देश में आर्थिक मन्दी की स्थिति पैदा हो गयी। नवम्बर 1947 के बाद कीमतों का सूचीपत्र आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गया। उपभोक्ता वस्तुओं की मांग की पूर्ति कठिन हो गयी। मांग बढ़ने के साथ-साथ उत्पादन की मात्रा बढ़नी चाहिए थी किन्तु उसके विपरीत वह गिर गयी। देश के उत्पादन की मात्रा थोड़ी बढ़ने पर भी फलदायक नहीं था, क्योंकि इसके लिए पर्याप्त ऊँची कीमत का भुगतान करना पड़ा। "उत्पादन लागत अधिक होने के कई कारण थे-

- (i) कच्चे माल की कमी थी तथा उसकी कीमतें पर्याप्त ऊँची थी।
- (ii) मजदूरों के असन्तोष ने उनकी उत्पादन क्षमता को घटा दिया।

- (iii) सरकारी नीति अनिश्चित होने के कारण उद्योगपतियों में पर्याप्त निराशा थी।
- (iv) साम्प्रदायिक दंगों ने देश-व्यापी अस्थिरता को जन्म दिया, जिसके कारण समस्या अत्यन्त जटिल बन गयी।
- (v) यातायात के साधनों की कठिनाइयों एवं प्रतिबन्धित आयात नीतियों ने अभाव की स्थिति को पर्याप्त बढ़ा दिया। " 1

मूल्य वृद्धि के कारण न केवल आयात वरन निर्यात भी प्रभावित हुए। इसके कारण सट्टेबाजों का बाजार खूब गरम हुआ। युद्ध के बाद भारत आवश्यक कच्चे माल के पूर्तिकर्ता के रूप में लाभप्रद स्थिति में था।

2- **प्रतिकूल व्यापार सन्तुलन:** स्वतन्त्रता के बाद भारतीय आयात और निर्यातों में लोचशीलता रही। देश के विभाजन के बाद से ही व्यापार का शेष भारत के प्रतिकूल बनने लगा। इसके कारण देश के सामने विदेशी विनिमय के अभाव की स्थिति पैदा हुई। स्वतन्त्रता के बाद खाद्यान्न, पूँजीगत माल एवं अन्य आवश्यक माल का भारी आयात करना पड़ा था। विकास कार्यों को बढ़ाने के लिए कच्चे माल तथा मशीनों का आयात करना पड़ा किन्तु प्रयास करने पर भी निर्यात आवश्यक मात्रा में नहीं बढ़ सका।

3- **निर्यातों में निर्मित माल की अधिकता:** स्वतन्त्रता के बाद से भारत के निर्यात व्यापार में तैयार तथा निर्मित माल अधिक आने लगा है। औद्योगिक विकास के फलस्वरूप भारत में अनेक वस्तुओं का निर्माण प्रारम्भ हो गया। दूसरी ओर देश के विभाजन के कारण कच्चा माल कम हो जाने के कारण उसकी मात्रा निर्यात में घट गयी। यद्यपि पहले की अपेक्षा भारत में निर्मित माल की अधिकता है किन्तु आज भी चाय और सूती कपड़ा एवं जूट का माल अधिक प्रमुख स्थान रखता है। इन वस्तुओं से प्राप्त होने वाली आय अत्यन्त अस्थिर होती है। संसार में मांग की परिस्थिति बदलने के लिए इनके निर्यात पर भारी प्रभाव पड़ेगा। जिस वर्ष इन तीन वस्तुओं का निर्यात घट जाता है उसी वर्ष हमारे विदेशी व्यापार को धक्का लगता है।

4- **खाद्यान्न का आयात:** भारत में स्वतन्त्रता से पूर्व ही अनाज की पर्याप्त कमी आ गयी थी।

1 डा० डी०एन० गुर्दू- अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, कालेज बुक डिपो, जयपुर- 2, 1971-72, पृ० -447

देश के विभिन्न भागों में अकाल की सी स्थिति पैदा हो गई। युद्ध के बाद यह स्थिति और अधिक खराब हो गयी। भारत ने स्वतन्त्रता के बाद एक बड़ी मात्रा में अनाज का आयात किया। विभाजन के बाद जब देश के औद्योगिक कच्चे माल का भण्डार पाकिस्तान में चला गया तो देश की आवश्यकताओं को आयात से पूरा किया गया। निर्यातों की तरह देश का आयात भी कुछ वस्तुओं तक केन्द्रित रहा जैसे-पेट्रोल, कपास, खाद्यान्न, मशीनरी का सामान आदि।

स्वतन्त्रता के बाद आयात के क्षेत्र में उदार नीतियाँ अपनाई गईं। 1945 में जब नियंत्रण हटा दिया गया तो मुद्राप्रसार की प्रवृत्तियाँ पर्याप्त सक्रिय बन गयीं। अतः यह सोचा गया कि देश की व्यापार नीति को मुद्रा संकुचन कार्यक्रम के साथ एकीकृत किया जाए। देशों में मुद्रा-प्रसार की स्थिति और उदार आयात-नीति ने मिलकर भारत के बाजार को अन्य बाजारों की अपेक्षा विदेशी विक्रेताओं के लिए अधिक आकर्षित बना दिया। इसके फलस्वरूप विदेशी वस्तुओं के आयात की मात्रा बढ़ गई।

5- व्यापार की नई दिशाएँ: भारत का विदेश व्यापार बहुत समय से ग्रेट-ब्रिटेन के साथ अधिक रहा है। पिछले कुछ वर्षों से वह अमेरिका, रूस, यूरोपीय आर्थिक समाज के देशों, पूर्वी यूरोपीय देशों, राष्ट्र मण्डल के सदस्यों तथा जापान के साथ भी पर्याप्त बढ़ गया है।

6- व्यापार के मार्ग: विभाजन के बाद भी अधिकांश भारतीय व्यापार समुद्री मार्ग से ही होता है। कलकत्ता, बम्बई और मद्रास के बन्दरगाह भारत के विदेशी व्यापार के मुख्य केन्द्र हैं। इन पर अत्यधिक भीड़ रहने के कारण विशाखापट्टनम्, कोचीन और कांगला बन्दरगाहों का विकास किया गया है।

स्वतन्त्रता के बाद भी भारत के व्यापार का अधिकतर लाभ विदेशियों को ही मिलता है। आयात-निर्यात करने वाली फर्म, जहाजी कम्पनियाँ, बीमा कम्पनियाँ और विनिमय बैंक प्रारम्भ से ही विदेशियों के प्रबन्ध में रहे हैं, किन्तु अब धीरे-धीरे इनका भारतीयकरण किया जा रहा है। यद्यपि विश्व का व्यापार पहले की अपेक्षा पर्याप्त बढ़ गया है फिर भी उसमें भारत का हिस्सा अपेक्षाकृत कम है।

7- द्विपक्षीय व्यापार समझौते: स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत ने कई देशों के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते किये। इन समझौतों का उद्देश्य भारत के विदेशी व्यापार को विनियमित करना नहीं है। कठोर मुद्रा वाले क्षेत्रों से मूलभूत वस्तुओं का आयात किया जा सकेगा। देश के समस्त व्यापार घाटों को कम किया जा सकेगा, यह आशा भी आकाश-कुसुम बनी रही और समस्त समझौतों में भारत का व्यापार सन्तुलन विपरीत रहा। व्यापार के नये मोड़ भारत के विपरीत जाने लगे। विभिन्न कारणों से भारत की निर्यात क्षमता घट गयी। भारत सरकार ने कभी यह देखने की चेष्टा नहीं की कि आयात और निर्यात के क्षेत्र में अपेक्षित लक्ष्यों को प्राप्त किया गया है या नहीं। आयातों के साथ-साथ निर्यातों को बढ़ावा नहीं दिया गया।

विभिन्न द्विपक्षीय समझौतों के परिणाम स्वरूप भारत को कुछ गैर मूल वस्तुओं को लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। आज भारत में कच्चे माल का आयात स्वतन्त्रता से पूर्व की तुलना में बहुत अधिक किया जाता है। आज जो निर्यात किया जाता है, उसमें कच्चे माल की मात्रा कम है। औद्योगीकरण के कारण पर्याप्त कच्चा माल देश के लिये आवश्यक बन गया है। बढ़ती हुई जनसंख्या और शहरी जनसंख्या के कारण भविष्य में इसके बढ़ने की सम्भावनायें हैं। सुधरी हुई औद्योगिक स्थिति के कारण अब निर्मित माल का निर्यात अपेक्षाकृत अधिक होने लगा है किन्तु खाद्यान्न का आयात जो स्वतन्त्रता की पूर्व बेला से ही प्रारम्भ हुआ, अभी तक देश के विदेश व्यापार के लिए समस्या बना हुआ है।

भारत में निर्यात की प्रमुख समस्याएँ

भारत में निर्यात बढ़ाने की निम्नलिखित प्रमुख समस्यायें हैं-

- 1- देश में उत्पादन एवं निर्यात योग्य वस्तुओं का अभाव
- 2- यातायात की असुविधाएँ
- 3- निर्यात के लिए उपयुक्त संस्थाओं का अभाव
- 4- देश में जनसंख्या वृद्धि के कारण अधिक उपभोग
- 5- अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय उत्पादों का अधिक मूल्य
- 6- विदेशी सरकारों द्वारा लगाए गए आयात, आयात करों, अन्य विदेशी विनिमय पर

प्रतिबन्ध

- 7- विदेशी प्रतियोगिता
- 8- वस्तुओं की खराब किस्म एवं किस्म में विविधता
- 9- स्थानापन्न वस्तुओं का प्रभाव, जैसे जूट के पैकिंग के स्थान पर विदेशों में अन्य स्थानापन्न पैकिंग उत्पादों का विकास'¹

निर्यात व्यापार की कुछ अन्य समस्याएँ

निर्यात व्यापार की कुछ मुख्य समस्याएँ निम्न हैं-

1- **विदेशों में बिक्री करने वाली भारतीय संस्थाएँ:** भारतीय विदेशी व्यापार की एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या यह है कि विदेशों में बिक्री के लिए जो संस्थागत रूपरचना की इस समय स्थिति है, वह अनुपयुक्त है। अधिक वस्तुओं की मांग होने के कारण यह दोष और भी अधिक महत्वपूर्ण बन जाता है। विदेशों में हमारे व्यापार संगठनों की अपर्याप्तता का एक कारण तो हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है और दूसरा कारण भारत के विदेशी आर्थिक सम्बन्धों की परिवर्तित प्रकृति है। अतीत काल में भारतीयों में उत्पादकों एवं निर्यातकर्ताओं को अपने बाजार की रचना के लिए विदेशों में प्रतिनिधित्व करने की आवश्यकता नहीं थी। इसके अतिरिक्त भारत में विदेशी आयात-कर्ताओं के अभिकरण या प्रतिनिधि थे जो उनकी ओर से खरीददारी कर सकें।

इस प्रकार व्यापार की पहल विदेशी खरीददारों द्वारा की जाती थी और भारत में वस्तुओं का उत्पादन ऐसे बाजारों के लिए किया जाता था जो पहले से ही स्थित थे। अब हमारे विदेशी व्यापार में मौलिक परिवर्तन आ गये हैं। जिन अनेक वस्तुओं में पहले भारत को एकाधिकार प्राप्त था उनमें पर्याप्त प्रतिस्पर्धा प्रारम्भ हो गयी है। हमारे निर्यात-व्यापार में अनेक ऐसी चीजें आ गयी हैं जिनका व्यापार पहले नहीं किया जाता था। इसके लिए विदेशों में उपयुक्त संगठन बनाना अब जरूरी हो गया है।

2- **अनुचित व्यवहार:** भारतीय निर्यात-कर्ताओं के अनुचित व्यवहार के विरुद्ध अनेक शिकायतें

1 जे०के० जैन एवं प्रदीप जैन- क्रियात्मक प्रबन्ध, प्रतीक प्रकाशन, 12, ए० बन्दरोड, इलाहाबाद, 1988, पृ०- 354

की जाती हैं। जैसे-माल भेजने में देरी, मांगे गये माल के गुण और भेजे गये माल के गुण में अन्तर, खराब पैकिंग तथा खराब मार्किंग आदि। नियमित रूप से भारतीय निर्यात-कर्ताओं के विरुद्ध यह शिकायत की जाती है कि वे माल भेजने की तारीख का पालन कदाचित ही कर पाते हैं। कुछ विदेशी आयात-कर्ताओं को यह सन्देह भी रहता है कि भारतीय निर्यात-कर्ता वस्तुओं के दाम बढ़ने पर माल को दूसरी जगह भेज देते हैं और अधिक लाभ कमाते हैं। यद्यपि ये शिकायतें सभी मामलों में लागू नहीं की जाती किन्तु वे विदेशों में भारतीय व्यापार के सम्मान को गिराती हैं। भारत के निर्यात-कर्ताओं द्वारा बहुत कम नमूने प्रदान किये जाते हैं और जो प्रदान किए जाते हैं वे अत्यन्त छोटे तथा अव्यवस्थित रूप से बंधे होते हैं। इसके अतिरिक्त हमारे प्रतिद्वन्दी नमूने भेजने और उनको आकर्षक रूप से पैक करने में अत्यन्त उदार हैं।

3- **माल का गुण:** निर्यात किये गये माल के गुणों के सम्बन्ध में अनेक प्रकार की शिकायतें की जाती हैं। ये शिकायतें रूई के निर्मित माल, चमड़े एवं खनिज पदार्थों के बारे में बहुत होती हैं। स्वस्थ व्यापारिक सम्बन्धों की रचना के लिए यह जरूरी है कि जिन नमूनों के आधार पर व्यापक समझौता किया जाय उन्हीं के अनुसार माल भेजा जाय। जब एक ही चीज को विभिन्न कार्यों के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो ऐसी स्थिति में उसके गुणों का निर्धारण करना अत्यन्त कठिन हो जाता है।

4- **पैकिंग:** भारतीय निर्यात व्यापार की एक अन्य समस्या पैकिंग से सम्बन्धित है जिस पर प्रायः ध्यान नहीं दिया जाता। भारत के निर्यात-कर्ता इसे फालतू का अतिरिक्त खर्चा मानते हैं। भारतीय माल विदेशी बाजारों में जब पहुँचता है तो बड़े अव्यवस्थित रूप में पैक किया हुआ होता है। विदेशों में लोग आकर्षक पैकिंग पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं। भारत में अभी तक पैकिंग उद्योग शिशु अवस्था में है। निर्यात वृद्धि समिति ने 1957 में इस बात पर जोर दिया था कि पैकिंग पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए।

5- **विक्रय के समझौते:** भारतीय निर्यात व्यापार के अधिकांश समझौते जिन शर्तों पर किये जाते हैं वे विदेशी आयात-कर्ताओं द्वारा निर्धारित की जाती हैं। कभी-कभी तो समझौते की शर्तों में विदेशी आयात-कर्ता को अनुचित रूप से लाभ प्रदान किया जाता है।

व्यापार को स्वस्थ तरीके से संचालित करने के लिए यह जरूरी है कि समझौते के प्रमाणीकृत मापदण्डों को स्थापित किया जाय।

6- **निर्यात-कर्त्ताओं का पंजीकरण:** भारतीय निर्यात-कर्त्ताओं को संगठित करने के लिए उनको पंजीकृत करने की योजना पर्याप्त महत्व रखती है। इस समय निर्यात-कर्त्ताओं को पंजीकृत करने की कोई व्यवस्था नहीं है। इसका कारण यह है कि अनेक ऐसे निर्यात-कर्त्ता हैं जो अनेक अनुचित तरीके अपनाकर निर्यात करते हैं।

7- **निर्यात व्यापार का संकीर्ण क्षेत्र:** विभिन्न राजनैतिक और आर्थिक कारणों से भारतीय निर्यात व्यापार पौण्ड के क्षेत्रों और विशेष रूप से ग्रेट ब्रिटेन के साथ है। कुछ बाजारों पर अनुचित रूप से हमारी आश्रितता हमारे विदेशी व्यापार की एक कमजोरी है।

प्राथमिक निर्यातों से सम्बन्धित समस्याएं

बहुत लम्बे समय तक भारत की निर्यात आय का एक महत्वपूर्ण अंश प्राथमिक वस्तुओं के निर्यात से प्राप्त होता था। लेकिन कई आन्तरिक व बाह्य कारणों से इनसे होने वाली निर्यात आय में वृद्धि करना मुश्किल हो गया। प्रमुख बाह्य कारक निम्नलिखित हैं

- “1- प्राथमिक वस्तुओं की अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों में लगातार उतार-चढ़ाव होना।
- 2- संश्लिष्ट प्रतिस्थापकों का बढ़ता हुआ प्रयोग।
- 3- टैक्नोलाजी में परिवर्तनों के परिणामस्वरूप उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले माल के कम प्रयोग की आवश्यकता।
- 4- विकसित देशों में उपभोग पैटर्न में परिवर्तन (जिसके परिणामस्वरूप प्राथमिक वस्तुओं के उपभोग करने की प्रवृत्ति कम हुई है।)”¹
- 5- औद्योगिक देशों द्वारा कुछ प्राथमिक वस्तुओं के आयात पर उच्च शुल्क लगाने की नीति तथा अन्य नियन्त्रण लगाने की नीति। भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली बहुत सी प्राथमिक वस्तुओं की अन्तर्राष्ट्रीय मांग गतिहीन व स्थिर रही है और इसमें भी उसे अन्य

1 एस०के० मिश्र एवं वी०के० पुरी- भारतीय अर्थव्यवस्था, हिमालया पब्लिशिंग हाउस, गिरगाँव, मुंबई-400004, (1994), पृ० -708

अल्प-विकसित देशों से बढ़ते हुए पैमाने पर प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए इन वस्तुओं के निर्यात में अपना हिस्सा बनाए रखना भारत के लिए लगातार और मुश्किल होता जा रहा है।

जिन वस्तुओं में भारत को लगभग एकाधिकारी स्थिति प्राप्त थी या भारत का हिस्सा बहुत कम था, उन वस्तुओं में निर्यात आय कम होने में घरेलू नीतियाँ भी काफी हद तक जिम्मेदार थी। इस सन्दर्भ में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कारक है निर्यात योग्य वस्तुओं का बढ़ता हुआ घरेलू इस्तेमाल (उपभोग के लिए अथवा घरेलू उद्योगों में आगत के रूप में)

देश में कीमत स्तर में तेज वृद्धि होने के कारण घरेलू बिक्री पर लाभ की दरें बहुत तेजी से बढ़ी हैं और इससे प्राथमिक वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। घरेलू बाजार में पाई जाने वाली इन दो प्रवृत्तियों (बढ़ती हुई घरेलू मांग और स्फीति) के अलावा, सरकार द्वारा समय-समय पर जो निर्यात नियन्त्रण लगाए गए तथा प्राथमिक वस्तुओं के निर्यात पर जो शुल्क लगाए गए, उनसे भी प्राथमिक उत्पादों के निर्यात में भारत का हिस्सा कम हुआ है।

अध्याय - III

भारत में निर्यात से

सम्बन्धित विभिन्न

संस्थाओं का संक्षिप्त

अध्ययन

भारत में निर्यात से सम्बन्धित विभिन्न संस्थाओं का संक्षिप्त अध्ययन

बहुत पहले से ही हमारी सरकार देश के निर्यात व्यापार को दिशा और दृढ़ता प्रदान करने में व्यस्त है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा देश के आयात और निर्यात पर कई प्रतिबन्ध लगा दिये गये थे, जिनको बाद में आयात और निर्यात व्यापार नियन्त्रण कानून 1947 के नाम से जाना जाने लगा। दूसरे विश्व युद्ध के बाद हमारी भुगतान स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गयी। पहली बार भारत सरकार ने जुलाई 1949 में निर्यात सम्बर्द्धन समित का निर्माण किया, जो निर्यात सम्बर्द्धन के कुछ आधारभूत आवश्यकताओं को प्रकाश में लाया। लोगों द्वारा इसकी आलोचना की गई क्योंकि यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं था।

इस समिति ने केवल कुछ अनुमोदन प्रस्तुत किये जिसमें निर्यात योग्य उत्पादों पर कुछ प्रतिबन्ध से सम्बन्धित सुधारों को सुझाया गया था। इस समिति के सुझावों को स्वीकार करते हुए सरकार ने खुले सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत अधिक वस्तुओं के लिए आज्ञा प्रदान की और आयात-निर्यात व्यापार नियन्त्रण कानून 1947 को पाँच और वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इसी तरह एक अन्य समिति का निर्माण सरकार द्वारा 1949 में किया गया जिसने व्यापार निगमों की स्थापना का अनुमोदन किया। समिति के अनुमोदन को मानते हुए कई वस्तुओं पर से निर्यात चुँगी हटा दिया गया। वाणिज्य और उद्योग मन्त्री के द्वारा 1 फरवरी 1957 में निर्यात सम्बर्द्धन पर एक अन्य समिति का निर्माण किया गया। समिति ने अपनी रिपोर्ट 31 अगस्त 1957 को प्रस्तुत किया। समिति ने पहली बार निर्यात सम्बर्द्धन के प्रश्न पर विचार किया और चाय पर निर्यात चुँगी खत्म करने के लिए अनुमोदन किया, उत्पादकों के आन्तरिक उपभोग को कम किया और द्विउद्देश्यीय, बहुउद्देश्यीय व्यापार समझौते प्रस्तुत किया और निर्यात आय को आयकर से मुक्त किया। समिति ने निर्यात जोखिम बीमा निगम की स्थापना और विपणन विकास कोष के निर्माण का सुझाव दिया। समिति द्वारा दिये गये ज्यादातर अनुमोदन सरकार द्वारा स्वीकार कर लिये गये और विस्तृत रूप

से निर्यात सम्बर्द्धन के लिए योजनाओं को शुरू कर दिया गया। निर्यात सम्बर्द्धन के बारे में कई समितियों की स्थापना के अलावा सरकार द्वारा पिछले 50 वर्षों के दौरान कई निर्यात सम्बर्द्धन समितियों की भी स्थापना की गई। ये समितियाँ विशिष्ट वस्तुओं के लिए निर्यात सम्बर्द्धन पर ध्यान देती हैं। यह समिति केन्द्र सरकार की भूमिका को सक्रिय करने, विस्तृत करने और निर्यात को सही रास्ता दिखाने से सम्बन्धित है, ताकि निर्यात को बढ़ाया जा सके।

किसी भी देश के निर्यात का विकास, आर्थिक के विकास के लिए, पूँजीगत माल, तकनीक और उपभोक्ता माल को बड़ी मात्रा में आयात करना आवश्यक है ताकि उनके विकास कार्यक्रम लागू किये जा सके। इस प्रकार के आर्थिक आयात में निर्यातकों द्वारा भुगतान किया जाना चाहिये, चूँकि विस्तृत आयात के वित्त के लिए बड़े निर्यातकों की आवश्यकता है। निर्यात क्षेत्र के लगातार विकास के लिए आयात आवश्यकता की सुविधा और पूर्ण विदेशी विनिमय प्राप्त करने के लिए सभी सम्भव सहायतायें देनी चाहिये। यह बढ़ रहे सेवा मूल्यों को प्राप्त करने में सहायता करता है। सरकार निर्यात-आयात और विदेशी मुद्रा पर नियन्त्रण के लिए विस्तृत शक्ति रखती है। "निर्यात सम्बर्द्धन उपाय लगभग सभी विकासशील या विकसित देशों द्वारा अपनाये जाते हैं, लेकिन उनके तरीके अलग-अलग होते हैं। कोई भी ऐसा एक उपाय नहीं है जो कि सभी उद्देश्यों के लिए लिया जा सके।

हमारी सरकार ने निर्यात सम्बर्द्धन के लिए समय-समय पर कई कदम उठाये हैं। इसके अन्तर्गत निर्यात क्षेत्र के सहायता के लिए कई संस्थाओं की स्थापना, निर्यात बाजार का प्रोत्साहन, परिवहन सुविधाएँ, बाजार अनुसन्धान प्रशिक्षण, संस्थागत प्रतिबन्धों को युक्तिसंगत बनाना, संयुक्त राष्ट्र संघ के अभिकरणों और मित्र देशों से प्राप्त होने वाली तकनीकी सहायता सहित तकनीकी सेवाएँ प्रदान करना, विदेशों में संयुक्त उद्योगों की स्थापना करना और निर्यात सम्बर्द्धन को सहायता देना आदि।

निर्यात सहायता के लिए कुछ संस्थाओं की स्थापना की गयी है। मुख्य संस्थाओं का संक्षिप्त अध्ययन आगे किया जा रहा है -

1- वाणिज्य मन्त्रालय

वाणिज्य मन्त्रालय के अन्तर्गत सबसे ऊपर वाणिज्य विभाग है। विदेश व्यापार नीति के प्रोत्साहन और देश के विदेशी व्यापार के नियमन को सही दिशा देने का उत्तरदायित्व प्राथमिक सरकारी संगठन को है। अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्य नीतियों के सम्मान में पुनर्संगठन के विभिन्न कार्य, विदेश व्यापार, राज्य व्यापार निर्यात सम्बर्द्धन, निर्यात उद्योग, निर्यात योजनायें, सूचना सेवायें और संस्थागत सहायता जो वाणिज्य मन्त्रालय के अन्तर्गत है, निम्नलिखित हैं -

(अ) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नीति विभाग

व्यापार नीति विभाग के प्रमुख कार्य हैं -

- (i) अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक नीति का सूत्रीकरण ।
- (ii) अन्तर्राष्ट्रीय कार्यालय की स्थापना जो कि वाणिज्यिक नीति से जुड़ा हुआ है जैसे-अंकटाड, गैट, स्कैप, ई० ई० सी० और ई० सी० ए० ।
- (iii) अन्तर्राष्ट्रीय वस्तु समझौतों को कार्यान्वित करना ।
- (iv) विभिन्न पहलुओं पर विचार करना, जो कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार नीति से सम्बन्धित है तथा जिसके अन्तर्गत तटकर तथा तटकर विहीन रुकावटें आती हैं ।

(ब) विदेश व्यापार विभाग

विदेश व्यापार विभाग निम्न से सम्बन्धित कार्यों को देखता है -

- (i) सभी वाह्य व्यापारिक पहलुओं जिसके अन्तर्गत व्यापारिक सौदा और समझौता, व्यापारिक शिष्टमण्डल, व्यापारिक प्रतिनिधि मण्डल, व्यापारिक सहकारिता, व्यापारिक सम्बर्द्धन और देश के बाहर भारतीय औद्योगिक समुदाय के ब्याज का संरक्षण ।
- (ii) आयात-निर्यात व्यापार नीति और भारत के व्यापारिक ब्याज का नियन्त्रण ।

(स) राज्य व्यापारिक विभाग

वाणिज्य मन्त्रालय के राज्य व्यापारिक विभाग का कार्य है -

- (i) राज्य व्यापार से सम्बन्ध बनाना और संगठन जो कि निम्न उद्देश्यों के लिये स्थापित

किये गये हैं, उनकी उन्नति ज्ञात करना ।

- (ii) खनिज एवं धातु व्यापार निगम और इसकी शाखाओं के कार्यों को नियमित और नियन्त्रित करना ।

(द) निर्यात उद्योग और उत्पाद विभाग

यह विभाग निम्न के लिये उत्तरदायी हैं -

- (i) वस्तुयें, उत्पाद, परियोजनायें, सलाहकारी सेवायें, उत्पादन और अर्ध-उत्पादन करने वाला, कृषि उत्पाद विधि 1973 के प्रतिष्ठा में निर्यात उत्पादन का विकास और बढ़ावा।
- (ii) समुद्री उत्पादें ।
- (iii) निर्मित उत्पाद जैसा कि अभियान्त्रिक सामानें, रसायनैं, प्लास्टिक समान, चमड़े का सामान इत्यादि ।
- (iv) ईंधन, खनिज और खनिज उत्पादें ।
- (v) पूर्व के देशों के उत्पाद का विशिष्ट निर्यात लेकिन जूट उत्पाद और हथकरघा को वर्जित करके ।

(य) संगठन और संस्थायें

इसके अन्तर्गत निम्न आते हैं -

- (i) आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक का कार्यालय ।
- (ii) निर्यात निरीक्षण समिति ।
- (iii) निर्यात साख गारन्टी निगम ।
- (iv) भारत का व्यापार मेला प्राधिकरण ।
- (v) स्वतन्त्र व्यापार मण्डल ।

(र) निगमों और परिषदें

इसके अन्तर्गत निम्न आते हैं -

- (i) भारत का चाय व्यापार निगम
- (ii) चाय परिषद

- (iii) काफी परिषद
- (iv) रबड़ परिषद
- (v) तम्बाकू परिषद
- (vi) निर्यात विकास प्राधिकरण का समुद्री उत्पाद
- (vii) कृषि और क्रमिक खाद्य उत्पाद

(ल) सेवा सहायता संस्थायें

इसके अन्तर्गत निम्न आते हैं -

- (i) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान
- (ii) भारतीय पैकेजिंग संस्थान
- (iii) व्यापार विकास प्राधिकरण
- (iv) निर्यात-आयात बैंक
- (v) निर्यात सम्वर्द्धन समिति

(व) अन्य क्रियाशील क्षेत्र

विशिष्ट क्रियाओं के अलावा जो अन्य क्षेत्र इसके अन्तर्गत आते हैं, वे हैं -

- (i) निर्यात प्रयास और सही दिशा के लिये योजना और कार्यक्रम
- (ii) घरेलू उपभोग के लिये प्रगति और वितरण तथा चाय और काफी का निर्यात
- (iii) घरेलू उपभोग के अलावा फसल रोपड़ के विकास का उत्पादन और वितरण जैसे कि चाय, काफी, रबर और इलायची ।
- (iv) तटकर आयोग से सम्बन्धित बचा हुआ कार्य जो कि अन्तर्राष्ट्रीय चुंगी तटकर सार्वजनिक कार्यालय के अन्तर्गत आता है ।
- (v) वाणिज्य मन्त्रालय सलाहकारी परिषद, सेवा संगठन, निर्यात सम्वर्द्धन अभिकर्ता का कार्यालय, राज्य व्यापार निगम, वस्तु परिषद और निर्यात के द्वारा सहायता किया जाता है ।

निर्यात सम्वर्द्धन उपाय के भाग के रूप में विभिन्न समितियों एवं परिषदों का संगठन किया

गया है। उनमें से मुख्य का वर्णन नीचे दिया जा रहा है -

2- सलाहकारी परिषद

इस परिषद के अन्तर्गत दो समितियाँ आती हैं, जो निम्न हैं -

(अ) व्यापार पर केन्द्रीय सलाहकारी समिति

व्यापार पर केन्द्रीय सलाहकारी समिति दो सलाहकारी अंशों-व्यापार पर आयात-निर्यात के सलाहकारी समिति और व्यापार का परिषद (15 फरवरी 1978 से प्रभावित है) के मिलाने से बना है। वाणिज्य मन्त्री सलाहकारी समिति का सभापति होता है। समिति निम्न विषयों से सम्बन्धित सलाह सरकार को देता है।

- (i) निर्यात और आयात नीति तथा कार्यक्रम
- (ii) व्यापारिक सेवाओं का संगठन और विकास
- (iii) निर्यात और आयात नियन्त्रण का क्रियान्वयन और
- (iv) निर्यात उत्पादन का संगठन और प्रसार

सलाहकारी समिति सरकार को सिफारिश करता है। नीतियों में आवश्यक पुनः स्थिति निर्धारण को प्रभावित करता है, तथा कार्यक्रम, प्रोत्साहन, आयात-निर्यात प्रक्रिया और सेवायें, निर्यात के विभिन्न क्षेत्र में भी सहायता करता है।

(ब) क्षेत्रीय निर्यात और आयात सलाहकारी समिति

चार क्षेत्रीय समितियाँ हैं। प्रत्येक पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्रों के लिए जुलाई 1968 में बनाया गया जो निम्न विषयों से सम्बन्धित हैं -

- (i) आयात और निर्यात के विधि के प्रचलन के क्रिया में सामना किये गये परेशानियों पर विचार करना और नगद सहायता के चुकाने के लिये उपाय।
- (ii) आयात और निर्यात व्यापार नियन्त्रण संगठन का सार्वजनिक सम्बन्ध और कार्य के नियमों के उन्नति के बारे में सुझाव देना तथा व्यापार और उद्योग से सम्बन्धित अन्य सरकारी विभाग।
- (iii) आयात-निर्यात कर के बाधाओं को हटाना, जहाजी परिवहन, साख बीमा और निर्यात

निरीक्षण के परेशानियों के बारे में विचार करना और इनकी उन्नति के लिये उपाय बताना ।

3- नीति सलाहकारी समिति

प्रशासनिक सुधार आयोग के अनुमोदन के कार्यान्वयन के लिये जून 1971 में नीति सलाहकारी समिति बनायी गयी। यह जल्द ही दीर्घ कालीन नीति के प्रमुख विशेषांक पर विचार करने लगा। इस समिति में निम्न सदस्य होते हैं -

- (i) वाणिज्य विभाग में सचिव और अतिरिक्त सचिव
- (ii) आयात और निर्यात का मुख्य नियन्त्रक
- (iii) वाणिज्य मन्त्रालय में एक उप सचिव
- (iv) वाणिज्य मन्त्रालय का वित्तीय सलाहकार
- (v) वाणिज्य मन्त्रालय में निदेशक
- (vi) व्यापार विकास प्राधिकरण का कार्यकारी निदेशक
- (vii) राज्य व्यापार निगम और खनिज तथा धातु व्यापार निगम का प्रमुख
- (viii) भारतीय विदेश व्यापार संस्थान का महानिदेशक

4- सेवा सहायता संगठन

उद्योग और व्यापार के आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये कई संस्थाओं और संगठन का निर्माण किया गया है। निर्यात प्रवन्ध सेविवर्गीय के विकास में ये संस्थायें सक्रिय हैं, जैसे - बाजार अनुसंधान, निर्यात साख बीमा, निर्यात प्रचार, व्यापार मेला और प्रदर्शनी का संगठन, पैकिंग का विकास इत्यादि। कुछ मुख्य संस्थायें निम्न हैं -

(अ) आयात-निर्यात व्यापार नियन्त्रण संगठन

यह संगठन जो आयात और निर्यात के मुख्य नियन्त्रक के कार्यालय के नाम से जाना जाता है, सरकार के आयात और निर्यात नीति के निर्वाह के लिये पूर्ण रूप से उत्तरदायी है। इसकी शाखायें लगभग सभी राज्यों में हैं, भारतीय व्यापार सम्बर्द्धन प्रयत्न को आवश्यक सहायता प्रदान

करती हैं। निर्यात सम्वर्द्धन कार्यालय जो बम्बई, कलकत्ता, कोचीन, मद्रास, नागपुर और पूणे में स्थिति है, क्षेत्रीय संयुक्त मुख्य नियन्त्रक और उपमुख्य नियन्त्रक के प्रशासनिक नियन्त्रण के अन्तर्गत इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिये कार्य करता है ।

(ब) वाणिज्यिक सूचना एवं साँख्यिकीय के सामान्य निर्देशालय

वाणिज्यिक सूचना एवं साँख्यिकीय के सामान्य निर्देशालय का मुख्य उत्तरदायित्व, अन्तर्देशीय और सहायक व्यापारिक आँकड़ा इकट्ठा करना और विभिन्न प्रकार की वाणिज्यिक सूचनाएँ प्रदान करना है। यह कलकत्ता में स्थापित है। निर्देशालय भारतीय निर्यातक और विदेशी क्रेताओं के बीच के व्यापारिक विवाद के व्यवस्था में भी सहायता करता है । इस विभाग का कार्य विस्तार पूर्वक निम्न तरीकों से विभाजित किया जाता है ।

- (i) सरकार और व्यापार द्वारा आवश्यक वाणिज्यिक सूचनाओं को इकट्ठा करना और प्रदान करना,
- (ii) भारत और विदेशी व्यापारिक संस्था के लिए हिसाब रखना,
- (iii) साप्ताहिक "इंडियन ट्रेड जरनल" का प्रकाशन करना,
- (iv) "डाइरेक्टरी आफ एक्सपोर्ट्स आफ इण्डियन प्रोडक्ट एण्ड मैनुफैक्चरर" का प्रकाशन करना,
- (v) भारतीय और विदेशी व्यावसायिक संस्था के बीच वाणिज्यिक विवाद में मित्रवत व्यवस्था लाने के दृष्टि से मध्यस्थता करना,
- (vi) विदेशों में भारतीय सरकार द्वारा व्यापारिक प्रतिनिधि से प्राप्त सूचना का प्रकाशन करना,
- (vii) व्यापारिक भूमिका और
- (viii) कलकत्ता में वाणिज्यिक पुस्तकालय की रक्षा करना जो कि जनता के उपयोग के लिये है ।

(स) पंचायत से झगड़े का निर्णय की भारतीय समिति

पंचायत से झगड़े का निर्णय की भारतीय समिति 1965 में बनी। विदेशी व्यापार के क्षेत्र में भारत के प्रभाव को दृष्टि में रखकर व्यापारिक विवाद की मित्रवत व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए

इस समिति का निर्माण हुआ। समिति के उद्देश्य निम्न हैं -

- (i) विदेशी व्यापार के सम्बन्ध में वाणिज्यिक पंचायत से झगड़े के निर्णय के विचारों का विस्तार और ख्याति प्रदान करना ।
- (ii) पंचायत से झगड़े का निर्णय जैसे काम करने के व्यक्तियों के जूरी की रक्षा करना।
- (iii) इसके निर्वाचक सदस्य के द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में विवाद के पंचायत से झगड़े का निर्णय की व्यवस्था करना ।
- (iv) अन्तर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक पंचायत से झगड़े का निर्णय के मामले के सम्बन्ध में पंचायती समुदाय और अन्तर्राष्ट्रीय संगठन से सहायता मांगना।
- (v) यह समिति, व्यापारियों, निर्यात सम्बद्धन समिति के प्रतिनिधियों, सार्वजनिक क्षेत्र के अन्तर्गत, वाणिज्य और व्यापार संगठन का कार्यालय, के तहत विवाद और पंचायत से झगड़े का निर्णय की समस्या के बारे में विचार करने के लिए लगातार बैठक करता है।

5- भारतीय विदेश व्यापार संस्थान

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान की स्थापना 1964 में सामाजिक पंजीकरण कानून के अन्तर्गत स्वायत्त संगठन के रूप में किया गया। यह संस्थान, प्रधान प्रशिक्षण अनुसंधान संस्थान एवं अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में निम्न चार प्रमुख कार्यों में व्यस्त है ।

- (i) आधुनिक निर्यात विपणन तकनीक में सेवीवर्गीय प्रशिक्षण प्रदान करना ।
- (ii) निर्यात व्यापार की समस्याओं के लिए अनुसंधान करना ।
- (iii) निर्यात बाजार अनुसंधान, वस्तु क्षेत्र और समुद्रपार बाजार सर्वेक्षण का मार्गदर्शन करना।
- (iv) सूचना के अनुसंधान और बाजार अध्ययन का विस्तार करना

अन्तिम दो दशकों के दौरान यह संस्थान सभी विकासशील देशों में अपने प्रकार का केवल एक संस्थान है। इसने अपनी पहचान तीसरे विश्व तथा अन्तर्राष्ट्रीय संगठन में बना लिया है और इसकी सेवाओं का अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठन जैसे अंकटाड, गैट, युनिडों, स्कैप और आई० टी० सी० लाभ उठा रहे हैं। यह संस्थान त्रैमासिक समाचार पत्र 'फारेन ट्रेड रिव्यू' के द्वारा सूचनाओं का प्रचार कर रहा है और अन्य अनुसंधान एवं इसके अन्तर्गत अध्ययन की सूचना का भी प्रचार कर रहा है। इसका

मासिक पत्र "फारेन ट्रेड बुलेटिन" नये विकास के सूचनाओं का विस्तार कर रहा है।

अप्रैल-दिसम्बर 1992 के मध्य 50 छात्रों ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा प्राप्त किया तथा 30 छात्रों ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में मास्टर कार्यक्रम पूर्ण किया। इसके अलावा 129 लोगों ने निर्यात विपणन प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम में भाग लिया। इसके अलावा 24 सम्पादकीय विकास कार्यक्रम, सरकारी कार्यकर्ता के लिए विशेष कार्यक्रम और अन्तर्राष्ट्रीय इकाई के लिए कार्यक्रम अप्रैल से दिसम्बर 1992 तक चलाये गये। बाबा साहब की याद में कमजोर वर्ग के लिए बी० आर० अम्बेडकर सेन्टेनरी की स्थापना की गयी। अप्रैल- नवम्बर 1992 में संस्थान ने 11 शोध कार्य पूर्ण किया।

"प्रशिक्षण के क्षेत्र में यह संस्थान तीन बुनियादी कार्यक्रम चला रहा है।

- (i) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में स्नातकोत्तर कार्यक्रम
- (ii) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम
- (iii) निर्यात विपणन में प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम

अप्रैल-दिसम्बर 1994 की अवधि के दौरान 52 भागीदारों ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में स्नातकोत्तर डिप्लोमा कार्यक्रम प्राप्त किया, जबकि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में स्नातकोत्तर कार्यक्रम के 43 भागीदारों को डिप्लोमा दिया गया। इसके अतिरिक्त 30 भागीदारों ने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कार्यकारी कार्यक्रम (ई० एम० आई० टी०) में भाग लिया और 169 प्रत्याशियों ने निर्यात विपणन (सांध्य) पाठ्यक्रमों में भाग लिया। वर्ष 1993-94 के दौरान संस्थान ने कई अनुसंधान कार्य पूरे किये, जिनमें शामिल हैं- पश्चिम यूरोप एवं जापान में प्रिय खाद्यों पर बाजार सर्वेक्षण, थाईलैण्ड, मलेशिया, सिंगापुर और इण्डोनेशिया में तकनीकी के अन्तरण पर भारतीय संयुक्त उद्यमों का अनुभव और निर्यात के लिए चुनिंदा उत्पादों के प्रोफाइल।¹

6- भारतीय निर्यात संगठन का संघ

देश में विभिन्न निर्यात सम्बद्धन अभिकर्ता कार्यालय का शीर्ष समुदाय भारतीय निर्यात संगठन का संघ है, जिसे 1965 में बनाया गया तथा इसका पंजीकृत कार्यालय दिल्ली में है। विभिन्न

1 वार्षिक रिपोर्ट 1994-95, वाणिज्य मन्त्रालय, भारत सरकार पृ० -42

संगठनों और संस्थाओं के द्वारा निर्यात सम्वर्द्धन क्रियाकलापों के क्रमिक और परिशिष्ट कार्य किया जाता है जैसे-निर्यात सम्वर्द्धन समिति, वस्तु परिषद और अन्य विशिष्ट अभिकर्ता कार्यालय। यह प्राथमिक सेवा संगठन की तरह कार्य करता है और निर्यात घर को आंशिक सहायता प्रदान करता है। देश में निर्यात सम्वर्द्धन संघ केन्द्रीय अभिकर्ता कार्यालय का कार्य करता है। इसकी सदस्यता के अन्तर्गत राष्ट्रीयकृति और निजी क्षेत्रीय बैंक, निर्यात सम्वर्द्धन समिति के अलावा वस्तु परिषद और वाणिज्य एवं उद्योग का कार्यालय आते हैं। यह विदेशी बाजार में निर्यात से सम्बन्धित सूचनाओं के खालीपन को व्यापारिक प्रतिनिधि मण्डल के द्वारा जोड़ता है। इस संघ के मुख्य उद्देश्य निम्नवत हैं -

- (i) निर्यात व्यापार के विकास को बढ़ावा देना।
- (ii) निर्यात सम्वर्द्धन क्रियाकलापों का क्रमिक विकास करना।
- (iii) अध्ययन दल तथा व्यापारिक प्रतिनिधि मण्डल को बाहर भेजना और बाहर से प्रतिनिधि मण्डल को आमन्त्रित करना।
- (iv) प्रचार करना और संगठित व्यापार मेले और प्रदर्शनियों में भाग लेना।
- (v) केन्द्रीय और राज्य सरकार, क्षेत्रीय प्राधिकरण तथा अन्य क्षेत्रीय समुदायों को निर्यात व्यापार से सम्बन्धित सभी मामलों में सलाह देना।
- (vi) निर्यातक और निर्यात संगठन के लाभ के लिये सामान्य सेवायें प्रदान करना और निर्यात सम्वर्द्धन के क्षेत्र में साधारणतया कार्य करना।
- (vii) विदेशी व्यापार के विषय में उत्पन्न विवाद के लिये सुविधायें प्रदान करना।
- (viii) व्यापार का कार्यालय खोलना, आकर्षण व्यावसायिक केन्द्र के प्रतिनिधि को नियुक्ति करना, भारत या विदेश में अभिकर्ता से पत्राचार करना।
- (ix) नियमित पत्र प्रकाशन, सूचनार्यें और भाषण का प्रबन्ध करना, संवाद और वार्तालाप करना।
- (x) चंदा देना, सदस्य होना, और किसी अन्य संगठन से सम्बन्ध बनाना।

पूरे निर्यात समुदाय की आवश्यकताओं की योजना बनाना और सभी समुदाय के लिये बहुत

अच्छा बाजार प्रदान करना। सभी महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और बाजार सूचनायें इकट्ठा करना और इसके सदस्यों में वितरित करने में भी सहायता प्रदान करता है। बाहर विशिष्ट देशों में व्यापारिक प्रतिनिधि मण्डल को भेजना और विदेशी प्रतिनिधि मण्डल को आमंत्रित करना। यह विकास और निर्यात घरों की आवश्यकता और सूचना संस्थाओं को प्रमुख सान्त्वना प्रदान करता है, जो निर्यात व्यापार बढ़ाने में मुख्य भूमिका अदा करते हैं।

7- भारतीय पैकेजिंग संस्थान

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के सिफारिस पर 1966 में भारतीय पैकेजिंग संस्थान की स्थापना, पैकेजिंग के स्तर के विकास के द्वारा निर्यात करने के लिये किया गया। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि उत्पाद के पैकेजिंग में उपयोग किये गये सामग्री और उपाय ऐसे होने चाहिये कि निर्यात सामान का सुरक्षित स्थानान्तरण हो सके। पैकेजिंग के स्तर में कमियों के अस्तित्व और सुरक्षित स्थानान्तरण के लिये पैकेजिंग के स्तर पर विचार करना। इस संस्थान के प्रमुख उद्देश्य निम्न हैं—

- (i) पैकेजिंग उद्योग के लिए कच्ची सामग्री पर अनुसंधान आरम्भ करना।
- (ii) पैकेजिंग तकनीक पर प्रशिक्षण कार्यक्रम संगठित करना।
- (iii) पैकेजिंग के क्षेत्र में निर्यात व्यापार विकास के साथ कदम रखना।
- (iv) अच्छे पैकेजिंग की आवश्यकता के लिए उत्साहित करना।
- (v) निर्यात पैकेजिंग के लिए सेवाओं को संगठित करना।

“भारतीय पैकेजिंग संस्थान ने भारत में पैकेजिंग मशीन उद्योग की संरचना का अध्ययन किया है। 1992-93 के दौरान पैकेजिंग में तीन महीने का प्रमाणपत्र कोर्स में 17 विदेशी तथा 10 भारतीय द्वारा भाग लिया गया। वर्ष के दौरान 4 योजना प्रशिक्षण कार्यक्रम भारत में विभिन्न स्थानों पर प्रस्तुत किये गये, जिसमें 110 लोगों ने हिस्सा लिया। संस्थान के विभिन्न प्रयोगशालाओं में अप्रैल-नवम्बर 1992 के मध्य 4000 नमूनों का परीक्षण किया गया। देश में पैकेजिंग के अच्छे सम्बर्द्धन के लिए एक ईनाम चालू किया गया। ‘पैकमशीन’ नाम का यह ईनाम कला, पैकेजिंग उद्योग के लिए मशीन उत्पादन में दक्षता के लिए दिया जाता है।”¹

1 वार्षिक रिपोर्ट 1992-93, वाणिज्य मन्त्रालय, भारत सरकार पृ० -40

भारतीय पैकेजिंग संस्थान ने पैकेजिंग के मानक में, खासतौर से निर्यात के लिए उचित सुधार करने के अपने प्रयास जारी रखे। वर्ष 1994-95 के दौरान इसने 20 विकास परियोजनाएँ पूरी की जिसमें प्रसंस्कृत खाद्य उपाय, फूलों की छटाई, मांस एवं कुक्कुट उत्पाद, अफीम, प्लास्टिक प्रसंस्करण मशीनरी और लघु उद्योग शामिल हैं।

8- भारतीय व्यापार सम्बर्द्धन संगठन

भारतीय व्यापार सम्बर्द्धन संगठन (आई टी पी ओ) की स्थापना पूर्ववर्ती ट्रेड फेयर अथारिटी आफ इण्डिया और व्यापार विकास प्राधिकरण का विलय करने के फलस्वरूप कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत 1 जनवरी 1992 को की गई। यह भारत में और विदेशों में मेलों तथा प्रदर्शनियों, क्रेता-विक्रेता बैठकों, व्यापार प्रतिनिधि मण्डलों के आदान-प्रदान उत्पाद विकास कार्यक्रमों आदि का आयोजन करके व्यापार सम्बर्द्धन में प्रमुख भूमिका निभाता है।

आई टी पी ओ का उद्देश्य लाभ कमाना नहीं है बल्कि भारतीय निर्यातकों को विदेश के बाजारों में प्रवेश करवाना इसका एकमात्र लक्ष्य है। आई टी पी ओ घरेलू मेलों का आयोजन अपने विशाल परिसर प्रगति मैदान, नई दिल्ली में समय-समय पर तो करता ही है, इसके अतिरिक्त सभी विकसित एवं विकासशील देशों में भी यह समय-समय पर व्यापार मेलों, क्रेता-विक्रेता बैठकों, सम्पर्क सम्बर्द्धन कार्यक्रमों एवं सेमिनारों के सक्षम माध्यम से विदेशों को यह बताता है कि भारतीय सामान विदेश के आधुनिक सामानों के साथ प्रतिस्पर्धा में तभी सक्षम हो सकता है, जब निर्यातक अपने उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार करे एवं मूल्यों को प्रतिस्पर्धी बनाये। इसके अतिरिक्त आई टी पी ओ व्यापार के सम्बर्द्धन के लिये अनेक निजी संगठनों को प्रगति मैदान एक प्रदर्शनी केन्द्र के रूप में किराये पर देता है, जिससे एक छत के नीचे सभी स्तरीय वस्तुएँ एकत्रित होकर अपनी उपयोगिता प्रदर्शित करते हैं। आई टी पी ओ के पाँच विदेश स्थिति कार्यालय हैं एवं अनेक क्षेत्रीय कार्यालय भारत के प्रमुख शहरों में हैं। चूँकि निर्यात विदेशी मुद्रा अर्जन का एक प्रमुख स्रोत है, इसलिए यह आवश्यक है कि इस तरह के संगठनों को सरकार और अधिक स्व-अर्जित बनाये एवं

इनके कार्यों का और अधिक विस्तार करे ।

इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन एक सेवा संगठन है और इसकी व्यापार उद्योग और सरकार के साथ घनिष्ठ और आवधिक पारस्परिक बातचीत होती रहती है। यह अपेक्षतया कम अभिज्ञात बाजारों में प्रवेश करके, नई मर्दों के निर्यात को बढ़ाने के लिए, मेलों में भाग लेने के लिए सूचना उपलब्ध कराके तथा सेवाएं प्रदान करके और उन्नत व्यापार सेवाएं एकत्र करके और उनके प्रसार के जरिए उद्योग को अपना योगदान देता है ।

1991-92 के दौरान पूर्व टी० एफ० ए० आई ने 38 बाहरी व्यापार मेलों और प्रदर्शनी में भाग लिया। इनमें से 21 सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय मेला, 15 विशिष्ट वस्तु मेला, 2 भारतीय प्रदर्शनी था। इन 38 कार्यक्रमों में 5 अमेरिकी क्षेत्र में है, 10 पश्चिमी यूरोप में, 6 पूर्वी यूरोप तथा दक्षिणी पूर्वी एशिया में, 11 वाना क्षेत्र में। इन मेलों पर भारतीय कम्पनी द्वारा सूचित किये गये तुरन्त व्यापार की मात्रा 435.46 करोड़ रुपया था और सौदे के अन्तर्गत 949.49 करोड़ रुपया था ।

1992-93 के लिए आई टी पी ओ के बजटीय कार्य में 35 कार्यक्रम था। सरकारी अनुदान पर निर्भरता कम करने के लिए 1992-93 में मूल्य सुधार तथा स्व-वित्त आधार पर 8 और मेलों को संगठित करने का फैसला किया गया। अक्टूबर 1992 तक 27 मेले लगाये गये। इन मेलों पर किये गये व्यापार की मात्रा 279.93 करोड़ रुपये तथा सौदा 611.53 करोड़ रुपया रहा ।

भारतीय व्यापार सम्बर्द्धन संगठन (आई०टी०पी०ओ०) ने वर्ष 1994-95 के दौरान विदेशों में 33 मेलों तथा प्रदर्शनियों का आयोजन किया। इन कुल 33 मेलों में से 15 सामान्य अन्तर्राष्ट्रीय मेले, 13 विशेष वस्तु मेले और 4 अन्य भारतीय प्रदर्शनियां थी। इस वर्ष के दौरान आई० टी० पी० ओ० ने जौहन्सवर्ग (दक्षिण अफ्रीका) में पहली बार सम्पूर्ण भारतीय प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जिसमें 160 निगमित देशों ने भाग लिया। आई० टी० पी० ओ० ने तेल अरब (इजराइल) में इंटरनेशनल मार्डन लिविंग प्रदर्शनी में भागीदारी का आयोजन भी किया। क्रेता-विक्रेता बैठकों, सम्पर्क सम्बर्द्धन कार्यक्रमों और विदेशी क्रेता शिष्टमण्डलों के दौरों का भी आयोजन किया गया। फरवरी 1995 में यांगोन, म्यांमार में एक अनन्य भारतीय व्यापार प्रदर्शनी का आयोजन भी किया। "दिसम्बर, 1994 तक 26 मेलों में भागीदारी की गई। भारतीय कम्पनियों द्वारा दी गई जानकारी

के अनुसार इन मेलों में दिसम्बर, 1994 तक उन्होंने 796 करोड़ रुपये का व्यापार अर्जित किया। इनमें 106.3 करोड़ रुपये के अनुमानित व्यय पर 214 करोड़ रुपये के दो पुष्टि आदेश भी शामिल हैं।¹

9- निर्यात निरीक्षण समिति

भारतीय निर्माण और उत्पाद गुण के लगातार विकास के अनुरूप बाहरी आयातकों को विश्वास प्रदान करना एवं भारतीय निर्यातकों के लिए भारत सरकार ने निर्यात (गुण नियन्त्रण और निरीक्षण) कानून 1963 लागू किया। इस कानून के अन्तर्गत भारत का निर्यात निरीक्षण समिति की स्थापना की गयी। समिति आवश्यक गुण नियन्त्रण को प्रकाशित करने के लिये कार्य करती है। विश्व बाजार के बदलती आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए नियमित आधार पर निर्यात किये जाते हैं। समिति निर्माण कर्ता को उनके उत्पाद के गुण स्तर बनाये रखने के लिये सभी वस्तुओं के गुण नियन्त्रण क्रिया के विस्तार का निश्चय किया है।

दो विशेषज्ञ समिति का निर्माण हुआ है, एक प्रशासनिक से सम्बन्धित तथा दूसरी तकनीक मामलों से सम्बन्धित है। ये समितियाँ आयात और निर्यात के मुख्य नियन्त्रक और इंडियन स्टैंडर्ड इन्स्टीट्यूट के महानिदेशक के समिति को उनके सभापति की तरह सहायता करती हैं। यह समिति आयात और निर्यात के मुख्य नियन्त्रक के अन्तर्गत एक संगठन का निर्माण किया, जो देश में गुण नियन्त्रण और जाँच-पड़ताल के जरूरी विस्तार के अन्तर्गत किसी वस्तु को लाने के लिये प्रमाणित करता है। समिति विभिन्न क्षेत्रों में, अभियांत्रिक, चमड़ा, जूट उत्पाद, मछली तथा मत्स्य उत्पाद, काजू और रसायन के लिये विशेषज्ञ समिति का निर्माण किया तथा सही प्रशासन, जरूरी गुण नियन्त्रण और जाँच पड़ताल योजनाओं को सलाह देने के लिये, निर्यात जाँच-पड़ताल अभिकर्ता कार्यालय का भी निर्माण किया।

नये निर्यातकों को प्रशिक्षण देने के उद्देश्य से, जाँच-पड़ताल समिति या अन्य अभिकर्ता कार्यालय सेविवर्गीय को बहुमूल्य क्रिया-कलाप प्रदान करते हैं। मद्रास के निर्यात जाँच-पड़ताल

अभिकर्ता कार्यालय प्रशिक्षण केन्द्र में सुविधायें प्रदान की गयी हैं। इसके अन्तर्गत बम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली, मद्रास के गुण नियन्त्रण और जाँच-पड़ताल निदेशक को निर्यात जाँच-पड़ताल अभिकर्ता कार्यालय के द्वारा निर्यात में शामिल किये गये विभिन्न वस्तुओं पर अचानक जाँच के लिए मजबूत आधार प्रदान की गयी है।

39 निजी जाँच-पड़ताल कार्यालय के अन्तर्गत 10 सरकार द्वारा प्रमाणित अभिकर्ता कार्यालय के द्वारा इन के कार्यों को जोड़ा जाता है। वर्तमान में, तीन प्रकार के जाँच पड़ताल नियम हैं जैसे - बाहर भेजे गये माल के जाँच-पड़ताल की प्रक्रिया, गुण नियन्त्रण विधि और स्व प्रमाणित योजनायें। गलत निर्यातकों को कड़ी से कड़ी सजा देने के लिये कानून में पुनः संशोधन किया गया है।

10- निर्यात साख और जमानत निगम

जुलाई 1957 से 'निर्यात जोखिम और बीमा निगम' नाम के अन्तर्गत निर्यात साख और जमानत निगम शुरू किया गया। जनवरी 1964 में निर्यात साख के क्षेत्र में इसके क्रिया कलापों के विस्तार के उद्देश्य से निर्यात जोखिम और बीमा निगम को निर्यात साख और जमानत निगम में बदल दिया गया। निगम का मुख्य उद्देश्य विभिन्न स्तर पर निर्यात व्यापार में जोखिम उठाना है। निगम जहाज पर माल लादने से पूर्व और माल लादने के बाद उधार के लिये बैंक जमानत सुविधा के द्वारा आवश्यक वित्तीय मदद प्राप्त करने में निर्यातकों को सहायता प्रदान करती है। इसके आरम्भ होने से निगम कई उधार प्रदान करने की योजनायें बनायी हैं। ये योजनायें निम्न हैं - पैकेजिंग उधार, जमानत, जहाज पर माल लादने के बाद निर्यात उधार, निर्यात वित्तीय जमानत (जहाज पर माल लादने से पहले) और निर्यात क्रिया कलाप जमानत। यह निर्यातकों को भुगतान न करने के विभिन्न योजनाओं द्वारा राजनीतिक और वाणिज्यिक जोखिम से बचाता है। निर्यात साख और जमानत निगम अपने सेवा क्षेत्र का और विस्तार किया है। निगम की नयी योजनायें निम्न हैं -

- (i) भारतीय बैंक के द्वारा बाहरी योजनाओं के सम्पादन में भारतीय ठेकेदारों को विदेशी मुद्रा उधार प्राप्त करने के लिए निर्यात वित्त (समुद्र पार उधार देने का कार्य) जमानत की योजना।

- (ii) सेवा (विस्त्रित जोखिम) नीति ।
- (iii) सेवा (राजनीतिक जोखिम) नीति और
- (iv) विनिमय अस्थिरता नीति ।

निर्यात साख और जमानत निगम बिना किसी शंका के अपनी विभिन्न योजनाओं के द्वारा निर्यातकों और वाणिज्यिक बैंकों को फलदायक सेवायें प्रदान करती है। भारत के निर्यात में इसकी भूमिका सचमुच महत्वपूर्ण है ।

11- निर्यात- आयात बैंक

भारत का आयात और निर्यात बैंक 1 जनवरी 1982 को निर्यातकों की समस्याओं के समाधान सुनिश्चित करने के लिये, पूँजीगत माल और निर्यात योजना को विशेष ध्यान प्रदान करने के लिये, संयुक्त कार्य और निर्यात की तकनीक सेवायें, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापारिक बैंकिंग, खरीदार साख का विस्तार और उच्च घरेलू एवं समुद्र पार बाजारों के साख, निर्यात के क्षेत्र में विकास और वित्तीय क्रियाकलापों के लिये संसाधनों को गति प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया। यह भारतीय सरकार द्वारा पूर्णतया स्वीकृति है। आयात और निर्यात बैंक निर्यात सम्वर्द्धन की आवश्यकता के प्रबन्ध के लिये तथा वित्तीय मजबूती की आवश्यकता की पहचान के लिए है। विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात की उन्नति के लिए, सरल शर्तों पर उधार प्रदान करना चाहिए। आयात और निर्यात बैंक, भारतीय उद्योग विकास के अन्तर्राष्ट्रीय वित्त शाखा के क्रिया कलापों के द्वारा उधार देने का उत्तरदायित्व लेती है।

वर्तमान में भारतीय निर्यात- आयात बैंक कुछ उधार देने का कार्यक्रम चला रहा है, जिसके अन्तर्गत उधार देने की व्यवस्था की गयी है। ये कार्यक्रम हैं -

- (i) भारतीय निर्यातक
- (ii) समुद्र पार निर्यातक
- (iii) भारतीय बैंक जैसी मध्यस्थता
- (iv) उधार देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बैंक और विदेश सरकार और वित्तीय संस्थान
- (v) कमी की पूर्ति करने वाले का साख

- (vi) खरीददार साख
- (vii) जहाज पर माल लादने से पूर्व वित्त
- (viii) पुनः छूट व्यवस्था और
- (ix) जमानत अनुग्रह

12- निर्यात सम्बर्द्धन समिति और वस्तु परिषद

देश में कई निर्यात सम्बर्द्धन समिति और वस्तु संगठन की स्थापना हुई है। विशिष्ट वस्तु समुदाय के निर्यात के सम्बर्द्धन में सहायता की दृष्टि से इस समिति का निर्माण हुआ है। इसके अन्तर्गत प्रमुख हैं - निर्यात सम्बर्द्धन समिति और वस्तु परिषद

(अ) निर्यात सम्बर्द्धन समिति

विभिन्न उत्पादों को लेते हुए, 19 निर्यात सम्बर्द्धन समितियाँ हैं। 12 निर्यात सम्बर्द्धन समितियाँ वाणिज्य मन्त्रालय के अन्तर्गत हैं और 7अंग बुनाई मन्त्रालय के अन्तर्गत हैं। यह समिति अभियांत्रिक माल, चमड़ा, निर्माणकर्ता, चमड़े की वार्निश लगाना, खेलकूद समान, शुद्ध सिल्क, हथकरघा आधारित रसायन, काजू, समुद्रपार निर्माण योजना, रूई, वस्त्र, रेयान वस्त्र, ऊन और ऊनी गलीचे के निर्यात सम्बर्द्धन प्रभावों को देखता है। ये समितियाँ लाभ न बनाने वाली कम्पनियाँ हैं। ये निर्यात सम्बर्द्धन समितियाँ सरकार और निर्यातकों के बीच एक आपसी जोड़ प्रदान करती हैं और निर्यात समुदाय के द्वारा सामना किये गये विभिन्न परेशानियों की सूचना सरकारी अधिकारियों को देने का कार्य करती हैं। सभी निर्यातक जो विशेष वस्तु उत्पाद के अन्तर्गत आते हैं, इस समिति के सदस्य बन सकते हैं। सदस्यों से समिति का चंदा, फीस, सेवायें और विशेष निम्न चन्दा, फीस छोटे उद्योगों से लिया जाता है। समिति के सदस्य मताधिकार के द्वारा एक कार्य समिति का चुनाव करते हैं, और कार्य समिति सभापति और अन्य अधिकारियों का चयन करती है। उत्पाद के निर्यात से सम्बन्धित सभी नीति और समस्यायें कार्य समिति के द्वारा हल की जाती है। तथा जरूरी कदम उठाये जाते हैं। सरकारी नीति के अनुसार समिति के अन्तर्गत केवल पंजीकृत निर्यातक ही निर्यात के लिए सहायता की मांग कर सकते हैं। समिति के मुख्य कार्य निम्न हैं -

- (i) निर्यात की सुविधा के लिए निर्यात बाजार खोजना तथा वस्तु की पहचान करना ।

- (ii) सरकार के द्वारा स्वीकृत किये गये निर्यात सहायता योजनाएँ को कार्यान्वित करने तथा व्याख्या करने में निर्यातकों की सहायता करना ।
- (iii) पहचाने गये वस्तु पर बाजार निरीक्षण करना तथा बाजार गुप्तचर प्रदान करना ।
- (iv) समुद्र पार क्षेत्रीय कार्यालयों के द्वारा प्रतिदिन बाजार स्थित की सूचना प्रदान करना तथा समिति के सदस्यों को सलाह देना ।
- (v) भावी खरीददारों से सम्बन्ध स्थापित करना ताकि भारतीय उत्पाद में उनकी उत्सुकता बढ़ायी जा सके ।
- (vi) अन्तर्राष्ट्रीय बाजार पर सलाह देना ।
- (vii) चुने हुए उत्पाद समूह को संगठित तथा प्रदर्शित करना ।
- (viii) निर्यात उत्पाद के लिए और आयात किये गये कच्चे माल की पूर्ति के लिए स्वदेशी व्यवस्था करना ।
- (ix) स्थानान्तरण समस्या को हल करने में सदस्यों की सहायता करना ।
- (x) निर्यात वित्त, बैंकिंग, बीमा और संयुक्त जोखिम पर सदस्यों को सलाह देना ।
- (xi) निर्यात सहायता प्राधिकरण के जल्द प्रदर्शन की व्यवस्था करना ।
- (xii) चुने हुए उत्पादों के लिए भारत तथा विदेश में ज्यादा प्रचार करना ।
- (xiii) बाहर के बाजारों के व्यापार प्रतिनिधिमंडल, एवं अध्ययन दल को बुलाना ।
- (xiv) विशेषीकृत व्यापार मेले तथा बाहर के प्रदर्शनियों में भाग लेना ।
- (xv) निर्यात माल के जहाज में लादने से पूर्व निरीक्षण और गुण नियन्त्रण पर निर्यात निरीक्षण समिति के साथ सम्बन्ध स्थापित करना ।

समिति ने कुछ विदेशों में कई समुद्र पार कार्यालय खोले हैं। समिति के कार्यक्रम देश की ठीक औद्योगिक छाया की योजना बनाना तथा अभियान्त्रिक माल के निर्यात प्रकाशन के लिए व्यवस्था करना है ।

(ब) वस्तु परिषद

भारतीय सरकार ने 9 वस्तु परिषद की स्थापना की है, जो वाणिज्य मंत्रालय के प्रशासनिक

नियन्त्रण के अन्तर्गत कार्य करते हैं। ये भारत के व्यापारिक उत्पाद की देख रेख करते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से चाय, काफी, रबड़, नारियल का जटा, तम्बाकू आते हैं। ये परिषद इन उद्योगों के रोपाई, उत्पाद बढ़ाने, शोध और विकास तथा बाजारी जरूरतों के विकास के लिए उत्तरदायी हैं। यह परिषद, उगाने वालों को अच्छे पारिश्रमिक देना, सहकारी जोखिम को बढ़ावा देने में तथा निर्यात बाजार वातावरण बनाने में मुख्य कार्य तथा भूमिका अदा करती है। इसका मुख्य उद्देश्य सदस्यों के उत्पाद गुण का विकास, उनके लाभ और अच्छी कीमत में सहायता प्रदान करना है। ये परिषद निम्नवत हैं -

(i) **काफी परिषद:** इस परिषद का निर्माण 1942 के काफी कानून के अन्तर्गत इसके निर्यात उद्योगों तथा सम्बर्द्धन के विकास के लिए किया गया। ज्यादा उत्पाद, बाजार और निर्यात सम्बर्द्धन और निकाय के द्वारा काफी उद्योग के विकास का कार्य परिषद को सौंपा गया है। यह काफी के बारे में सूचना इकट्ठा करती है ताकि निर्यात किया जा सके। यह केन्द्रीय अनुसंधान संस्थान के द्वारा नमूनों को उपस्थित करता है, ताकि निर्यात में सुविधा हो सके और बिना विभिन्न केन्द्रों पर पहुँचे ही नमूने प्राप्त हो सके। विदेशी व्यापार दैनिक समाचार पत्रों में विशिष्ट प्रचार देता है। उत्पाद के निर्यात के सम्बर्द्धन के लिए यह व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भी भाग लेता है।

(ii) **चाय परिषद:** चाय उद्योग के विकास तथा इसके निर्यात सम्बर्द्धन के मुख्य उद्देश्यों के साथ 1955 के चाय कानून के अन्तर्गत भारतीय सरकार के द्वारा इस परिषद का निर्माण हुआ। चाय परिषद विभिन्न देशों के चाय समिति से लगातार सम्पर्क बनाये है जैसे कि यू० एस० ए०, कनाडा, जर्मन संघीय गणतन्त्र और आयरलैण्ड। विदेशी चाय आयातक कम्पनी, चाय पैकर्स और इसके विक्रेता की एक सूची परिषद बनाता है और चाय व्यापार के लाभ के लिए विदेशी बाजार से सम्बन्धित समाचार की भी सूची बनाता है।

(iii) **रबड़ परिषद:** रबड़ परिषद की स्थापना भारतीय सरकार के द्वारा 1954 में रबड़ उद्योग के विकास के लिए किया गया। रबड़ उद्योग के सभी पहलुओं पर परिषद सरकार को सलाह देती है जैसे कि रबड़ नियन्त्रण पर विचार, बाजार प्राप्ति। परिषद का प्रमुख कार्य भारत में रबड़ उद्योग का विकास करना है। रबड़ उगाने वालों के बीच के संगठन में परिषद महत्वपूर्ण साबित हुई है।

इसमें एक रबड अनुसंधान संस्थान भी है, जिसमें सभी औजारों से सुसज्जित प्रयोगशाला है ।

(iv) **इलायची परिषद:** भारत सरकार के द्वारा 1965 के इलायची कानून के अन्तर्गत इसकी स्थापना, केरल के एरनाकुलम में उद्योगों के चौमुखी विकास के लिए किया गया। परिषद को सौंपे गये विशिष्ट कार्यों के अन्तर्गत इलायची उगाने वालों के बीच सहकारिता, इलायची उगाने वालों के प्रतिफल की वापसी सुनिश्चित करना और उद्योग में व्यस्त श्रमिक के लिए श्रम व्यवस्था का विकास करना, इलायची के रोपाई के विकास के लिए वित्तीय या अन्य सहायता प्रदान करना, इलायची उगाने वाले क्षेत्र का विस्तार करना, इलायची के बिक्री और निर्यात पर नियन्त्रण करना, दाम का स्तर प्रभावित करना, इलायची परीक्षण में प्रशिक्षण और उत्पाद के स्तर को बनाये रखना, भारत और विदेश में इलायची के बाजार का विकास और तकनीकी, आर्थिक अनुसन्धान, वैज्ञानिकी मदद या बढ़ावा प्रदान करना। मसाले के निर्यात, इलायची परिषद और मसाला निर्यात सम्बद्धन समिति, ये सभी 1986 में मसाला परिषद के नाम से जाने जाने वाले नये संगठन में मिल गये हैं।

(v) **तम्बाकू परिषद:** तम्बाकू परिषद की स्थापना 1976 में भारतीय सरकार के द्वारा आन्ध्र प्रदेश के गुन्टूर में किया गया। परिषद का कार्य अमेरिकी तम्बाकू के विकास और उत्पादन पर नियन्त्रण, भारत और विदेश दोनों में अमेरिकी तम्बाकू बाजार पर निगाह रखना, तथा यह सुनिश्चित करना कि उगाने वाले सही दाम पा रहे हैं व दाम ज्यादा नहीं बढ़ाया जा रहा है, विभिन्न रोपड़्यों को अच्छे दर्जे प्रदान करना, उपस्थित बाजार का विकास और नये बाजार खोजना, सहायता करना और आर्थिक अनुसंधान एवं तकनीक को बढ़ावा देना ताकि उद्योग के निर्यात विकास में चौमुखी प्रगति हो सके ।

(vi) **नारियल की जटा परिषद:** नारियल की जटा परिषद की स्थापना 1953 में नारियल की जटा उद्योग कानून के अन्तर्गत नारियल जटा उद्योग के प्रगति के लिए किया गया। इसमें एक नारियल की जटा अनुसन्धान संस्थान त्रिवेन्द्रम में है और वहीं पर राष्ट्रीय नारियल जटा प्रशिक्षण केन्द्र भी है। यह परिषद अनुसन्धान, निरीक्षण, नये नारियल के जटा की स्थापना का विकास और बुनाई के विशेषज्ञों को व्यस्त रखना और प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान करता है ।

(vii) **केन्द्रीय रेशम परिषद:** इसकी स्थापना केन्द्रीय रेशम परिषद कानून के अन्तर्गत 1949 में किया गया। यह परिषद कृषि उद्योग, वार्षिक योजना को प्रभावी बनाना और निर्यात उद्देश्य और उत्पाद की प्राप्ति, अनुसंधान के संगठन, प्रशिक्षण, बीज उत्पाद और कच्चे रेशमी धागे के आयात और निर्यात के विकास का कार्य करती है। इसका मुख्यालय बम्बई में है।

(viii) **भारतीय शिल्प परिषद:** परिषद का मुख्यालय दिल्ली में है। इसके विभिन्न क्रिया कलाप हैं जैसे चार कला केन्द्रों को चलाना जो बम्बई, कलकत्ता, बंगलौर और नई दिल्ली में हैं। यह राज्य सरकार को योजना बनाने और विकास योजना के सम्पादन में सहायता प्रदान करती है। परिषद नये कलाओं का विकास करती है जिसमें व्यापार मेले और प्रदर्शनियों में भाग लेना, चलचित्र का उत्पादन, सिली हुई छोटी पुस्तक और अन्य सम्बर्द्धन उपाय हैं।

(ix) **भारतीय हथकरघा परिषद:** इस परिषद के अन्तर्गत दो हथकरघा तकनीक संस्थान हैं, पहला सेलम में और दूसरा वाराणसी में है। इसके अन्तर्गत तीन वर्षीय डिप्लोमा प्रदान किया जाता है। पाठ्यक्रम को सफलता से पूर्ण करने पर छात्रों को परिषद द्वारा डिप्लोमा प्रदान किया जाता है। परिषद के अन्तर्गत सात बुनाई केन्द्र जो बम्बई, इन्दौर, वाराणसी, कलकत्ता, मंगलूर, बंगलौर और मद्रास में हैं। ये केन्द्र घरेलू और निर्यात बाजार के लिए कला के विकास की दृष्टि से कई अनुसंधान कर रही हैं। ये छपायी, रंगाई और बुनाई के क्षेत्र में हथकरघा उद्योग को तकनीक सहायता प्रदान करती हैं और वित्तीय सहायतायें भी प्रदान करती हैं तथा विदेश में गोदामों के संगठन के द्वारा उद्योगों को सहायता देती हैं और जहाज पर माल लादने से पहले गुण नियन्त्रण निरीक्षण प्रदान करती हैं।

13- समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने 1970 में समुद्री उत्पाद निर्यात सम्बर्द्धन समिति की स्थापना की, जिसने सितम्बर 1972 में समुद्री उत्पाद के निर्यात विकास में सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से कार्य करना शुरू किया। यह प्राधिकरण न्यायायिक नियम, सुरक्षा और नियन्त्रण के द्वारा उद्योग के स्वस्थ विकास में सहायता सुनिश्चित करती है। प्राधिकरण के विशिष्ट कार्य निम्न हैं -

(i) मछली पकड़ने वाले का पंजीकरण, क्रमिक यन्त्र स्वस्थ विकास के सम्बर्द्धन की दृष्टि से

निर्यात और समुद्री उत्पाद उद्योग से सम्बन्धित चीजों का भण्डारण करना ।

- (ii) समुद्र के किनारे तथा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने का विकास, समुद्र के किनारे और गहरे समुद्र मत्स्य उद्योग का संरक्षण और प्रबन्ध करना ।
- (iii) समुद्री उत्पाद के निर्यात का नियन्त्रण करना ।
- (iv) उद्योग के लिये छोटी मात्रा में आवश्यक कुछ जरूरी वस्तुओं का आयात और व्यापार पूछ-ताछ, निर्यात सम्वर्द्धन, बाजार गुप्तचर के सम्बन्ध में अन्य तरह की सेवायें और सहायतायें प्रदान करना ।
- (v) वित्तीय और अन्य सहायतायें प्रदान करना, सहायता कोष और अनुदान के विस्तार के लिये अभिकर्ता का कार्यालय की तरह कार्य करना, जैसा सरकार द्वारा सौपा गया है ।
- (vi) मछली पकड़ने, और बाजार के विशिष्ट सन्दर्भ में निर्यात से सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षण प्रदान करना ।
- (vii) बाजार सम्वर्द्धन क्रियाकलाप, विभिन्न देशों के मांग में उत्पाद के प्रकार पर सूचना, विशिष्ट प्रकार की आवश्यकता के लिये सहायता प्रदान करते हुए समुद्र पार समुद्री उत्पाद के बाजार का विकास करना।
- (viii) ऐसे और उपाय जो निर्यात उद्योग में प्रमुख हैं ।

वस्तु संगठन के अलावा भारतीय सरकार द्वारा निर्मित जूट (पेटुआ) समिति के कार्यालय के द्वारा जूट एवं नारियल की जटा के निर्यात सम्वर्द्धन में सरकार को सभी सम्भावित सहायता प्रदान किया जाता है। बुनाई आयुक्त जूट और नारियल की जटा के अलावा सभी बुनाई उद्योगों के विकास और नियन्त्रण से जुड़ा हुआ है। यह बुनाई मशीनरी उद्योग के विकास के लिए भी उत्तरदायी है ।

14- कृषि और उन्नति भोज्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण

उन्नति भोज्य निर्यात सम्वर्द्धन समिति के स्थान पर 13 फरवरी 1986 को कृषि और उन्नति भोज्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण का निर्माण हुआ। इसके अन्तर्गत भारत सरकार, राज्य सरकार, उद्योग और व्यापार अनुसन्धान संस्थान के मन्त्रालय से सम्बन्धित प्रतिनिधि आते हैं।

प्राधिकरण का कार्य बागवानी उत्पाद, पशु उत्पाद, उन्नति भोज्य वस्तु, मिठाई उत्पाद और अन्य कृषि आधारित वस्तुओं के निर्यात का विकास करना है। गुण और पैकिंग में विकास के द्वारा कृषि उत्पाद के मूल्य को गतिमान करने में सहायता करती है।

15- निर्यात के राज्य उपकरण

वर्तमान में निर्यात का एक प्रमुख यन्त्र सार्वजनिक क्षेत्र में सहकारिता है। राज्य व्यापार निगम, खनिज और धातु व्यापार निगम, और इनकी छोटी इकाइयाँ विशिष्ट क्षेत्रों में नये बाजार और नये उत्पाद के विकास में प्रभावी हैं। अतः ये देश के विनिमय आय को गति प्रदान करती है। राज्य व्यापार निगम और इसकी शाखाओं का मुख्य कार्य निम्न हैं।

अ - भारत का राज्य व्यापार निगम

विदेशी व्यापार में व्यापार के विस्तार की आवश्यकता आर्थिक योजना के साथ पहले ही पहचाना गया था। राज्य व्यापार संगठन की स्थापना अन्य देशों से व्यापार की बढ़ती हुई सम्भावना से हुआ। इसलिए भारत सरकार द्वारा 1956 में राज्य व्यापार निगम की स्थापना हुई। राज्य व्यापार निगम की भूमिका के अन्तर्गत, आर्थिक योजना से व्यापार का विकास, आयात और वस्तु वितरण और कच्चा माल, मूल्य सहायता आते हैं। निगम की भूमिका और क्रियाकलाप निम्न हैं -

- (i) देश के केन्द्रीय योजना द्वारा व्यापार बढ़ावा में सामना किये गये परेशानियों को कम करना।
- (ii) लघु स्तर क्षेत्र के निर्यात बढ़ाने और संगठित उत्पाद के लिए वित्त प्रदान करना।
- (iii) आयात में मात्रात्मक नियन्त्रण बनाये रखने में सहायता करना और वस्तुओं के दाम में समानता बनाये रखना।
- (iv) कच्चे माल का उत्पादन करना और निर्यात के लिए नये क्षेत्र खोलना।
- (v) निर्यात बाजार में अस्वस्थ प्रतियोगिता और मूल्यों में कटौती की जाँच करना।
- (vi) अधिक वस्तु के उत्पाद, स्थानान्तरण और सुविधा के विकास का संगठन करना।
- (vii) क्षेत्रीय मांग की पूर्ति के लिए जरूरी वस्तुओं का उचित दाम पर लगातार और पूर्ण पूर्ति सुनिश्चित करना।

(viii) बढ़े हुए क्रय-विक्रय शक्ति के द्वारा अधिक दाम पर आयात और निर्यात पर प्रभाव डालना ।

(ix) व्यापार समझौते की व्यवस्था करना ।

(x) कृषि और वस्त्र उद्योग के उत्पादन को मूल्य और अन्य कारणों के द्वारा प्रभावित करना ।

(xi) विदेशी अनुदान कार्यक्रम के अन्तर्गत माल के आयात की व्यवस्था करना ।

(xii) सरकारी नीति के उपकरण के लिए साधन की तरह कार्य करना ।

आने वाली सदी के दावे की पूर्ति के लिए सरकार ने इसके क्रियाकलापों को और स्पष्ट किया है, संस्था के व्यावसायिक प्रबन्धक के द्वारा किये गये विशिष्ट अध्ययन का परिणाम ही इन क्रियाकलापों को स्पष्ट करता है। निगम के दोहराये गये क्रियाकलाप निम्न हैं -

(i) राज्य व्यापार निगम वास्तविक व्यापार के वास्तविक दाम लेती है। इसके अन्तर्गत खरीदना, बेचना, भण्डारण करना, इत्यादि आते हैं। वर्तमान में निगम द्वारा प्रवेश किये गये रूढ़ि ठेकों में ज्यादा जोखिम उठाना पड़ता है।

(ii) यह निर्यात के लिए नये उत्पाद और बाजार का विकास, सुविधाओं के विस्तार में सहायता प्रदान करती है ।

(iii) यह अपने क्रियाओं को इस तरह संगठित करेगी कि वे राष्ट्र के सामाजिक और आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करें। जैसे मूल्य साम्य, रोजगार में बढ़ोत्तरी आदि।

(iv) इसको कार्य के आधार पर देश में वस्तु व्यापार में नेतृत्व करने का मौका मिलना चाहिए और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में मजबूत स्थिति मिलनी चाहिये ।

राज्य व्यापार निगम लघु और मध्य श्रेणी क्षेत्र के निर्यात को गतिमान करती है। अपने नये व्यूह रचना के एक भाग की तरह निगम ने विभिन्न निर्मित क्षेत्रों में शत प्रतिशत खरीदारी व्यवस्था में संयुक्त जोखिम से प्रवेश किया है। पश्चिमी यूरोप के देशों के साथ व्यापार के बढ़ाने में केन्द्रीय आर्थिक योजना से विकास कर रहे व्यापार के मुख्य कार्य की प्राप्ति होती है। राज्य व्यापार निगम के पूर्ण बिक्री ने 1956 के 9 करोड़ रुपये को 1974-75 में 749 करोड़ रुपये, 1980-81 में

लगभग 1,670 करोड़ रुपये और 1984-85 में लगभग 2,800 करोड़ रुपये कर दिया ।

निगम घरेलू व्यापार भी करती है। किन्तु इसके विदेशी व्यापार की तुलना में घरेलू व्यापार का घनत्व बहुत कम है। हमारे निर्यात में पूर्वी यूरोपियन देश के हिस्से में बढ़ोत्तरी का अनुभव किया गया है। भारतीय निर्यात में उनके हिस्से पहली योजना में एक प्रतिशत से भी कम से तीसरी योजना के दौरान 15 प्रतिशत और छठी योजना के दौरान सबसे ज्यादा 21 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। 1984-85 के दौरान केन्द्रीय योजनागत देश के निर्यात में बढ़ोत्तरी महसूस की गयी लेकिन सम्बन्धित हिस्सा में 17 प्रतिशत की गिरावट आ गयी ।

“राज्य व्यापार निगम लघु एवं मध्य श्रेणी लोक उद्यम, के बीच निर्यात उत्पादन बढ़ाने के लिये एक विशिष्ट भूमिका अदा करती है। वस्तुओं के आयात के निर्माण के द्वारा सरकार सही लाभ का प्रबन्ध करती है। इन नीतियों के द्वारा मिले लाभ की सहायता से सरकार एक नयी नीति कार्यक्रम चला रही है, जैसे- निर्यात सम्वर्द्धन। वस्तुओं के निर्यात में जो बेचने में कठिनाई महसूस होती है उससे वित्तीय घाटा सहना पड़ता है। सरकार के द्वारा बिक्री में राज्य व्यापार निगम का मार्गदर्शन किया जाता है। बेचने के लिए कुछ दुर्लभ वस्तुओं का आयात जैसे कि सुपाड़ी, काली मिर्च, नारियल इत्यादि राज्य व्यापार निगम के द्वारा किया जाता है। जब इन वस्तुओं का आयात निगम द्वारा किया जाता है तब इन वस्तुओं पर उपस्थित बड़े लाभ का एक भाग निगम के पास होती है ।”¹

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में बदलाव स्वीकार करने के लिये, राज्य व्यापार निगम जागृति हो गया है। निर्यात स्तर बनाये रखने के लिये मजबूत और अच्छे चीजों का निर्यात करना होगा। इसके द्वारा कई प्रगति कार्य किये गये हैं, आने वाले वर्ष के लिए दीर्घकालीन व्यूह रचना की जा रही है। आवश्यक अन्तर्राष्ट्रीय बाजार के साथ भारतीय उत्पाद के गुण के विकास लाने में निगम उच्च महत्व प्रदान करता है। निगम बाजार अनुसन्धान, सूचना और बिक्री सम्वर्द्धन के उच्च महत्व से भी सम्बन्धित है। निम्न दाम पर घरेलू बाजार में आयातित वस्तु के उपभोग की उपस्थिति में राज्य व्यापार निगम का योगदान कम महत्व नहीं रखता ।

1 सार्वजनिक कार्य करने पर समिति। 40वाँ घोषणा (चौथा लोकसभा)

(ब) राज्य व्यापार निगम की शाखायें

(a) **भारत की परियोजना और सामग्री निगम:** राज्य व्यापार निगम के पूर्णतया स्वीकृति शाखा की तरह अप्रैल 1971 में इसको संयुक्त किया गया। इसका उद्देश्य अभियांत्रिक सामग्री और विशिष्ट रेलवे सामग्री योजना के निर्यात की पूर्ति करना है। इस निगम के निर्माण का मुख्य उद्देश्य निम्न है -

- (i) स्थापित बाजार में अभियांत्रिक और रेलवे सामग्री के निर्यात को बढ़ावा देना।
- (ii) नये बाजार में प्रवेश करना।
- (iii) गैर परम्परागत और नये उत्पाद के निर्यात को बढ़ावा देना और
- (iv) रेलवे प्रक्रिया, सार्वजनिक उपयोग और औद्योगिक यन्त्र के क्षेत्र में परियोजना के निर्यात को बढ़ावा देना।

बाजार गुप्तचर के आधार पर अगले पाँच से दस वर्षों में सीमेन्ट, चीनी और रसायन, अभियांत्रिक और औद्योगिक वस्तुओं पर केन्द्रित रहने का निर्णय लिया है।

(b) **शिल्प और हथकरघा निर्यात निगम:** शिल्प और हथकरघा निर्यात निगम की स्थापना 1962 में राज्य व्यापार निगम के पूर्णतया स्वीकृति शाखा के रूप में किया गया, लेकिन यह वस्त्र मन्त्रालय के प्रशासनिक नियन्त्रण के अन्तर्गत आता है। इसके दो प्रमुख कार्य हैं - निर्यात सम्बर्द्धन और व्यापार विकास। निगम का एक मुख्य कार्य बाहर भारतीय दस्तकारी का अच्छा प्रभाव बनाना है। शिल्प और हथकरघा के अन्तर्गत ऊन, ऊनी गलीचे और सिला-सिलाया वस्त्र के सम्बन्ध में निगम इन उत्पादों के निर्यात के विकास बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुई है। यह विदेश में उपभोक्ता के मांग का भी अध्ययन करती है और भारत के दस्तकारी पर विशिष्ट महत्व के साथ नये उत्पादों के प्रवेश का भी अध्ययन करती है। यह सलाह के माध्यम से व्यापार की सहायता करती है और ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा बाहरी मेले व प्रदर्शनियों में भाग लेना।

(c) **भारत का काजू निगम:** इस निगम का निर्माण 1970 में राज्य सरकार निगम की पूर्णतया स्वीकृति शाखा के रूप में कच्चे काजू के अभिकर्ता कार्यालय के निर्माण के लिये किया गया। इस

निगम के मुख्य उद्देश्य निम्न हैं -

- (i) कच्चे काजू के आयात के नये स्रोत की स्थापना ।
- (ii) काजू के बीज तत्व के निर्यात के लिये नये बाजार खोजना ।
- (iii) निर्यात उद्योग के लिये सही दाम पर आयातित कच्चे काजू की विघ्न रहित पूर्ति सुनिश्चित करना ।

निगम कच्चे काजू के लिये उदार आयात नीति से काजू के बीज के निर्यात को ज्यादा ध्यान दे रहा है ।

(d) **केन्द्रीय घरेलू उद्योग निगम:** केन्द्रीय घरेलू उद्योग निगम जो एच० एच० ई० सी० की पूर्णतयः स्वीकृत शाखा है, 1976 में प्रकाश में आयी। निगम का मुख्य उद्देश्य घरेलू उद्योग और शिल्प के उत्पाद का भारत और समुद्र पार देशों में बिक्री करना और घरेलू उद्योग के विकास में भी सहायता करना है ।

(e) **खनिज और धातु व्यापार निगम:** खनिज और धातु व्यापार निगम की स्थापना 1963 में भारत सरकार के द्वारा किया गया। इसकी स्थापना खनिज और धातु के निर्यात में मुख्य भूमिका अदा करने के लिये किया गया है। ये देश में निर्यात के विशिष्ट वस्तुओं के लिये अभिकर्ता कार्यालय का निर्माण कर रही है। निगम के मुख्य उद्देश्य और कार्य निम्न हैं -

- (i) उत्पाद बढ़ाने और खनिज कच्ची एवं शुद्ध धातु के निर्यात के लिये नये बाजार खोजना और उनका विकास करना ।
- (ii) खनिज, कच्चे एवं शुद्ध धातु, लोहे और उनके मिश्र धातु, अर्ध-निर्माण कर्ता के बाहर से आयात और भारत में निर्यात को संगठित करना ।
- (iii) गोदाम का सम्पादन करना, खनिज, कच्चे एवं शुद्ध धातु, लोहा और स्टील तथा उनके मिश्र धातु को भारत से बाहर भेजना ।
- (iv) विशिष्ट व्यवस्था को प्रभावकारी करना जैसे - आयात और निर्यात से सम्बन्धित हेर फेर रोकना या कच्चे खनिज और शुद्ध धातु, लोहे और स्टील, उनके मिश्रधातु का वितरण और आन्तरिक व्यापार।

(v) किसी खान, खनन अधिकार और धातु को पट्टे पर लेना या तो प्राप्त करना ।

हाल ही के वर्षों में निगम की भूमिका एक अभिकर्ता कार्यालय के निर्माण से रंग-बिरंगा हो गया है। हाल ही के वर्षों में इसने कटे और पालिस किये हुए हीरों के निर्यात और आयात में विकास किया है। 1984-85 में निगम ने 2,750 करोड़ रुपये की पूर्ण बिक्री की जो पिछले साल से दुगुना है। 1985-86 के पूर्ण बिक्री में निगम ने 20 प्रतिशत बढ़ोत्तरी की आशा की थी। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिये निगम ने एक रंग-बिरंगा कार्यक्रम चलाया। यह निर्यात के लिये पूर्ति आधार के विकास की तरफ कदम बढ़ा रही है। यह विदेश के संयुक्त क्षेत्रीय परियोजनाओं में भी भाग ले रही है ।

(f) चाय व्यापार निगम: चाय व्यापार निगम की स्थापना 1970 में भारतीय सरकार के द्वारा राज्य व्यापार निगम की शाखा के रूप में किया गया। इसके प्रमुख कार्य भारतीय चाय के लिये साम्य बाजार खोजना, घरेलू उपभोग चाय रियासत का प्रबन्ध, चाय का भण्डारण और अन्य व्यवस्थाओं की स्थापना जो चाय उद्योग के लिये लाभकारी है। चाय के खरीददारी में भी यह सहायता करती है ।

16- विदेश में भारत का वाणिज्यिक प्रतिनिधि

संस्थागत व्यवस्था जो देश के अन्तर्गत विकास और मजबूती में लगा हुआ है, वह विदेश में भारतीय व्यापार प्रतिनिधि के द्वारा चलाया जाता है। वर्तमान में संस्थागत ढाँचे का यह भाग 65 व्यापार दूतकर्म और वाणिज्यिक विभाग समुद्र पार बाजार में चला रहा है। प्रतिनिधि विदेशी देशों के साथ आर्थिक और व्यापारिक नीति के सूत्रीकरण से सरकार को सहायता प्रदान करती है। वे सरकार के आँख और कान की तरह काम करते हैं। सम्बन्धित मन्त्रालय के साथ आर्थिक और वाणिज्यिक शतें और देश के विकास में इनका अधिकार पत्र महत्वपूर्ण है। वे भारतीय व्यापार प्रतिनिधि को सुविधायें प्रदान करती हैं और निर्यातकों को विदेशी देशों में जाने में सहायता करती हैं और अन्य देशों से आयातित माल के नमूने प्राप्त करने में सहायता करती है जो भारत से निर्यात और निर्मित किया जाता है। ये व्यापारिक मेले और प्रदर्शिनियों के संगठन में भी सहायता करती है ।

राज्य सरकार की भूमिका

निर्यात की पूर्ति प्रदान करने की दृष्टि से देश के निर्यात सम्वर्द्धन में राज्य सरकार की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार अपने औद्योगिक निर्देशालयों द्वारा निर्यात सम्वर्द्धन का निर्माण करती हैं। उनके विभिन्न राज्यों से उत्पादित वस्तुओं के निर्यात को सक्रिय करने के लिये कुछ सरकारों ने निर्यात सम्वर्द्धन परिषद और निर्यात समिति का निर्माण किया है। राज्य द्वारा लघु और मध्य स्तर के उद्योगों के निर्यात के संचालन के विकास और बढ़ावे के कार्यक्रम के अलावा, अलग राज्य निर्यात समिति का निर्माण राज्य क्षेत्रीय अभिकर्ता कार्यालय की तरह किया गया है। यह अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में वाणिज्यिक क्रिया कलाप करती है। मुख्यमन्त्री या सम्बन्धित राज्यों के उद्योग मन्त्री के सभापतित्व के अन्तर्गत कुछ राज्यों में निर्यात सम्वर्द्धन सलाहकारी समिति की स्थापना हुई है।

विश्व व्यापार संगठन

व्यापार और तटकर की विश्वस्तर पर एक स्पष्ट नीति निर्धारित करने के लिए सन् 1947 में गैट व्यापार, तटकर और मुक्त व्यापार की संधि पर स्वीकृति हुई थी। गैट की परिधि बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ विस्तृत होती गयी। सन् 1995 में गैट के स्थान पर विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यू० टी० ओ०) की स्थापना हुई। दुनिया के स्तर पर विभिन्न देशों के बीच व्यापार में अप्रत्याशित वृद्धि, उत्पादित वस्तुओं की बहुलता और जटिलता, अत्यन्त विकसित और जटिल प्रविधि, संचार क्रांति के कारण सिमटते समय और दूरी के सन्दर्भ में व्यापार तटकर, करों में छूट और मुक्त तथा नियंत्रित व्यापार के लिए दुनिया के स्तर पर सर्वमान्य नियमों का होना एक सम्य संसार के लिए अनिवार्य है। इस कारण विश्व व्यापार जैसे संगठनों की उपादेयता से इंकार नहीं किया जा सकता है।

“गैट के दिनों से ही अमरीका, कनाडा तथा यूरोपीय संघ के देश मुख्य रूप से पाँच बातों- अन्तर्राष्ट्रीय श्रम मानक को विकासशील देशों में भी लागू करने, विदेशी पूँजी निवेश और व्यापार की शर्तों के पारस्परिक रिश्तों, विश्व स्तर पर खुली प्रतिस्पर्धा, विकासशील देशों में अपनी उत्पादित वस्तुओं और बाजार के संरक्षण के लिए उठाये गये कदमों की समाप्ति, बीमा के क्षेत्र में विकासशील

देशों में विकसित देशों की बीमा कम्पनियों के बिना रोक-टोक प्रवेश तथा सरकारी नीतियों की पारदर्शिता पर जोर देते रहे हैं। सिंगापुर के विश्व व्यापार संगठन सम्मेलन में भी ये विकसित देश इनको स्वीकृत कराना चाहते थे।”¹

विकासोन्मुख देशों के पास कच्चा माल और सस्ता श्रम है। इसी कारण पहले कोरिया, ताइवान, मैक्सिको, ब्राजील, हांगकांग और सिंगापुर में विदेशी पूँजी निवेश विशाल पैमाने पर हुआ। उसके बाद इसकी शुरुआत चीन, फिलीपीन्स, थाईलैण्ड, मलेशिया और इण्डोनेशिया में हुई। अब इसकी शुरुआत भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ्रीका के कुछ देशों में हुई है। इन देशों को अधुनिकीकरण और औद्योगिक विकास के लिए विदेशी पूँजी और टेक्नोलाजी की आवश्यकता है।

भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली के अध्यक्ष प्रो० वी० रामचन्द्रैया के अनुसार “नये बाजार ढूँढने में यह संगठन ही हमारी मदद करेगा। 1995-96 में 4,475 अरब डालर के कुल विश्व व्यापार में भारत की भागीदारी केवल 0.65 प्रतिशत है। पहले हमारी भागीदारी एक प्रतिशत तक हुआ करती थी लेकिन अब यह काफी घट गयी है।”²

विश्व व्यापार संगठन से तालमेल बैठाकर ही भारत अपने निर्यात को बढ़ा सकता है। विकासशील देश होने के नाते अपने अधिकार के लिए लड़ना जरूरी है, लेकिन वहाँ से भागकर हम जायेंगे कहाँ ? नयी तकनीक प्राप्त करने तथा अपने उत्पादन को विश्व बाजार में खपाने के लिए जरूरी है कि भारत विश्व व्यापार संगठन के साथ जुड़ा रहे और यथासंभव तालमेल बिठाने का प्रयास करे। सन् 2000 तक हमारा जो 100 अरब डालर का निर्यात लक्ष्य है, उसे प्राप्त करने के लिए हमें नौवीं पंचवर्षीय योजना में 7 प्रतिशत की वृद्धि का दर प्राप्त करना होगा। हमें ऐसे निर्यात को बढ़ावा देना होगा, जिसकी जरूरत उपभोक्ता समाज को है तथा उसी ढंग से हमें नये बाजार भी ढूँढने होंगे। इसमें विश्व व्यापार संगठन ही हमारी मदद कर सकता है।

1 राष्ट्रीय सहारा, (हस्तक्षेप) लखनऊ, 28 दिसम्बर 1996, पृ -3

2 राष्ट्रीय सहारा, (हस्तक्षेप) लखनऊ, 28 दिसम्बर 1996, पृ-2

अध्याय - IV

निर्यात बढ़ाने के लिए
व्यूह रचना के एक भाग
के रूप में क्षेत्रीय
सहकारिता

निर्यात बढ़ाने के लिए व्यूह रचना के एक भाग के रूप में क्षेत्रीय सहकारिता

क्षेत्रीय आर्थिक सहकारिता

क्षेत्रीय आर्थिक सहकारिता एक बहुआयामी संकल्पना होती है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के समझौतों और संगठनों को शामिल किया जाता है। यह व्यापारिक और गैर व्यापारिक दोनों होता है। यह द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय दोनों प्रकार का होता है। इसको अत्यन्त महत्वाकांक्षी सहयोग के लिए तथा अत्यन्त महत्वहीन सहयोग के लिये दोनों प्रकार से प्रयोग में लाया जाता है।

सोवियत संघ के विघटन के पश्चात और समाजवादी बाजार व्यवस्था के अंत के बाद विश्व आर्थिक परिदृश्य में बहुत बड़ा क्रांतिकारी बदलाव आया है। प्रत्येक देश अपनी अर्थव्यवस्था को अपने नये सिरे से परिभाषित करने की कोशिश कर रहा है। साथ-ही-साथ वे अपनी अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ने का भी प्रयास कर रहे हैं। इसी के तहत पिछले कुछ वर्षों में अनेक साझा बाजार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभर कर सामने आये हैं। आज वर्तमान समय में पूरे विश्व में अब सैनिक शक्ति का स्थान आर्थिक सम्पन्नता लेती जा रही है, जिसके फलस्वरूप विश्व की अगुवाई वही देश कर रहा है या भविष्य में करेगा, जिसकी आर्थिक सम्पन्नता सुदृढ़ होगी। "वर्तमान परिस्थिति में किसी भी देश में आर्थिक मजबूती का विषय काफी महत्वपूर्ण होता जा रहा है। आज परमाणु बम से भी ज्यादा खतरनाक आर्थिक बम हो गया है। इसीलिए यदि आज कोई देश आर्थिक रूप से विपन्न हो गया है, तो उसको बरबाद करने के लिए किसी बम या हथियार की जरूरत नहीं रह गयी है, वह तो स्वयं अपने से बरबाद है।"¹

आजकल विश्व में काफी बैरियर टूट रहे हैं और विभिन्न देश अपने पूर्वाग्रह तोड़कर आपस में परस्पर आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिये आगे की ओर बढ़ रहे हैं। आर्थिक लाभ की भावना और

1 क्राँनिकल, मार्च 1996, क्राँनिकल बुक्स (208) शिवलोक हाउस -1, करमपुरा कामर्शियल काम्प्लेक्स, नयी दिल्ली -15 पृ०- 10

गरीबी उन्मूलन सहित, लोगों के जीवन स्तर में सुधार करने के दायित्व ने व्यापारिक गुटों और साझा बाजारों के गठन के लिए मजबूर कर दिया है। इन व्यापारिक गुटों ने कुछ हद तक क्षेत्रवाद को बढ़ावा दिया है, लेकिन ऐसे गुट और समूह आज वर्तमान समय की जरूरत बन गये हैं। इस अवधारणा के तहत आयात को विभिन्न बंदिशों एवं शुल्कों से मुक्त रखना तथा निर्यात को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना, क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग का आधार बिन्दु है, जिससे एक देश के सस्ते उत्पाद का लाभ दूसरे देश को मिलता है।

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्र में विकसित देशों में अपनी पहुँच बढ़ाने के लिए भारत को अब गम्भीर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय उत्पादों को धीरे-धीरे विकसित देशों की ओर से गैर शुल्क व्यापार अवरोधों का सामना करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से सामाजिक कारण, सुरक्षा मानक, पर्यावरण मानक और पैकेजिंग स्तर जैसे मुद्दे उठाये जा रहे हैं।

आज वर्तमान माहौल में हमें इन चुनौतियों का सामना करना ही पड़ेगा तथा भारत को सन् 2000 तक 100 अरब डालर निर्यात लक्ष्य हासिल करने के उद्देश्य को सामने रखकर ही अपनी व्यापार रणनीति तैयार करनी चाहिए। विशाल कुशल मानव शक्ति भारत की प्रमुख आर्थिक ताकत है। भारत के कुशल कर्मियों को विकसित देशों में आने जाने से प्रतिबन्धित नहीं करना चाहिये। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार गतिविधियों का क्रियान्वयन करते समय हमें इस क्षेत्र की ओर विशेष ध्यान केन्द्रित करने की जरूरत है।

“विश्व व्यापार में अधिकतम हिस्सा समेटने तथा एशिया पेसिफिक को-आपरेशन (एपेक) तथा उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार क्षेत्र (नाफ्टा) जैसे अति शक्तिशाली व्यापार संगठनों के उभरने के साथ ही साथ यूरोपियन कम्युनिटी (ई० सी) तथा एशियाई गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए भारत को विश्व बाजारों में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिये अपनी व्यापार रणनीतियों का गंभीरता के साथ पुनरावलोकन करना चाहिये।”¹

सार्क क्षेत्र के देशों ने सार्क प्रिफरेंशियल ट्रेडिंग अरेंजमेंट (साप्ता की स्थापना) करके सदस्य

देशों के मध्य ही निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिये कदम उठाये हैं। अन्य क्षेत्रीय व्यापार प्रकोष्ठ भी तेजी से उभर रहे हैं। सार्क देशों को आपसी देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाकर अपनी जरूरतें पूरी करनी चाहिये। भारत ने एशियन से बातचीत के द्वारा साझेदार का स्तर पहले ही प्राप्त कर लिया है, फिर भी हमारा लक्ष्य साप्ता है। गरीबी उन्मूलन, रोजगार के अवसर बढ़ाने तथा जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिये भारत को अगले दो दशकों तक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि 7 से 8 प्रतिशत बनाये रखनी होगी। निम्न सभी प्रकार के सहयोग क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के अन्तर्गत आते हैं।

- (i) मुक्त व्यापार क्षेत्र जैसे-लैटिन अमेरिकी एकता संगठन
- (ii) आर्थिक संघ जैसे-भविष्य का यूरोपीय आर्थिक समुदाय
- (iii) द्विपक्षीय व्यापार समझौता जैसे-अमेरिका कनाडा का स्वैप समझौता
- (iv) तकनीक एवं अन्य गैर व्यापारिक क्षेत्रीय सहयोग जैसे-सार्क, ओ० ई० सी० डी०
- (v) बहुपक्षीय व्यापार समझौते जैसे-गैट
- (vi) सीमा संघ जैसे-यूरोपीय आर्थिक समुदाय
- (vii) मौद्रिक समझौते जैसे-यूरोपीय भुगतान संघ

अन्य प्रकार के कई सहयोग, जो दो राष्ट्रों अथवा दो से अधिक राष्ट्रों के बीच आर्थिक लाभ के दृष्टिकोण से उसे क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग के अन्तर्गत शामिल किया जाता है, जैसे संयुक्त निवेश कार्यक्रम आदि ।

क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप व्यापारिक समझौता होता है। इसका मुख्य कार्य व्यापार की मात्रा में वृद्धि करना तथा मुक्त व्यापार विश्व आर्थिक व्यवस्था के लिये सर्वश्रेष्ठ सहयोग प्रदान करना होता है। प्रत्येक वस्तु का उत्पादन लागतों के आधार पर होना चाहिये, राजनीतिक आधार पर नहीं ।

प्रत्येक राज्यों के बीच सौहार्द्र एवं आपसी भाईचारा तथा विश्वास का अत्यन्त अभाव है। प्रत्येक राज्य अधिक से अधिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होना चाहता है। कुछ क्षेत्रों में तो वह आत्मनिर्भर नहीं हो सकता क्योंकि प्रकृति ने उसे वह वस्तु प्रदान ही नहीं किया है, जैसे बहुत से देशों में कोयला,

पेट्रोल आदि वस्तुये उपलब्ध नहीं है। इसलिये उस देश को विवश होकर इनका आयात करना पडता है। अन्य दूसरे क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होने के लिये उसे उपाय करने पडते हैं। कई देश ऐसे क्षेत्रों में उद्योग लगाते हैं जिन्हें सदैव विदेशों से आयात करना पडता है। इनकी लागत अधिक होती है, विदेशी निर्भरता बढ़ती है, जबकि इसी लागत को घटाने के लिये इन कारखानों को लगाया जाता है। आत्मनिर्भरता की यह कोशिश विदेशी व्यापार में सबसे बड़ी बाधा होती है। इसीलिये कई राजनीतिक व सामाजिक कारण भी व्यापार को बढ़ने से रोकते हैं। कई बार कोई देश किसी अन्य देश से दुश्मनी के कारण आयात नहीं करना चाहता, जिससे स्वतन्त्र व्यापार नहीं हो पाता है। परिणामस्वरूप साधनों का उचित बटवॉरा विश्व स्तर पर नहीं हो पाता है।

कुछ वस्तुएं प्राकृतिक देन होती हैं, जिनका उत्पादन दूसरी जगह सम्भव नहीं होता। पेट्रोल तथा इससे सम्बन्धित अन्य पदार्थ कुछ देशों में मिलती हैं, कुछ देशों में नहीं मिलती, जबकि कृषि योग्य भूमि प्रत्येक देशों में हर स्थान पर उपलब्ध होती है। विभिन्न प्रकार की बहुत सारी कृषि वस्तुयें किसी खास स्थान पर ही उत्पादित की जा सकती हैं, जैसे - चाय, काजू, काफी, गर्म मसाले आदि। इसके अतिरिक्त भी प्रकृति ने कुछ खास स्थानों को अधिकतम भण्डारों से पूरित किया है। अगर उस वस्तु का उत्पादन उसी स्थान पर होता है तो निश्चित रूप से उत्पादन लागत कम होती है तथा उत्पादन अधिक होता है। जिसके परिणामस्वरूप उपभोग एवं सामाजिक कल्याण में वृद्धि होती है। उदाहरणस्वरूप - लोहे और स्टील के उत्पादन के दो प्रमुख अवयव होते हैं - लौह खनिज और कोयला। दोनों काफी भारी होते हैं तथा इनकी परिवहन लागत बहुत अधिक होती है। इसलिये स्टील के कारखाने को उसी स्थान पर लगाना चाहिये, जहाँ इनमें से कम से कम एक साधन नजदीक ही उपलब्ध होता हो।

भारत में लौह खनिज बिहार में मयूरगंज जिले में बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। कोयला बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्रों पर अधिक मात्रा में पाया जाता है, जैसे रानीगंज, झरिया आदि। अगर स्टील मिलें इनके बीच में लगायी जाती हैं और अन्य बातें समान रहती हैं जैसे - मशीन की गुणवत्ता, कारीगरों की कुशलता, कार्य स्थल की विशेषता आदि, तो निश्चित रूप से इनकी उत्पादन लागत काफी कम आती है। इसी प्रकार किसी वस्तु के उत्पादन का आधार

उसकी उत्पादन लागत होनी चाहिये ।

पूरे विश्व स्तर पर साधनों के उचित आवंटन का आधार स्वतन्त्र व्यापार ही हो सकता है क्योंकि प्रत्येक वस्तु यदि स्वतन्त्र रूप से देशों के बीच खरीदी व बेची जायेगी तो उस वस्तु का उत्पादन उसी स्थान पर होना चाहिये जहाँ पर वह न्यूनतम लागतों पर उत्पादित हो। इस प्रकार विश्व में उत्पादन में वृद्धि होती है, उपभोग एवं सामाजिक कल्याण में भी वृद्धि होती है। सम्पूर्ण विश्व छोटी भौगोलिक राजनीतिक सीमाओं में बंटा हुआ है, जिन्हें हम राज्य कहते हैं। प्रत्येक राज्य एक संप्रभु संस्था है जो विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्र का स्वामी होता है ।

क्षेत्रीय आर्थिक संगठन के दो प्रमुख रूप होते हैं - मुक्त व्यापार क्षेत्र तथा सीमा संघ। दोनों में कुछ देश मिलकर आपस में मुक्त व्यापार करते हैं। इस संगठन में शामिल देश सदस्य देश तथा अन्य देश गैर सदस्य देश होते हैं। सदस्य देश आपस में व्यापार प्रतिबन्ध नहीं लगाते लेकिन गैर सदस्य देशों पर प्रतिबन्ध (सीमा संघ में एक सा तथा मुक्त व्यापार क्षेत्र में अलग) लगाते हैं। जहाँ पर सदस्य देशों के बीच आपस में व्यापार बढ़ता है, वहीं पर गैर सदस्य देशों से कम होता है। सदस्य देशों से प्राथमिकता के आधार पर व्यापार किया जाता है। व्यापार सृजन प्रभाव धनात्मक तथा अपवर्जन प्रभाव ऋणात्मक होता है, यदि सृजन प्रभाव अपवर्जन प्रभाव से ज्यादा होता है तो उक्त संगठन लाभदायक होता है अन्यथा ये संगठन हानिकारक भी हो सकता है।

मुक्त व्यापार क्षेत्र ऐसे देशों में लाभदायक होता है जो एक दूसरे के पूरक होते हों अथवा विकास के असमान स्तर पर होता हो या औद्योगिक रूप से विकसित हो, ताकि प्रतियोगिता के कारण औद्योगिक और तकनीकी विकास बढ़ सके। आर्थिक शक्ति समान होने पर लाभों का वितरण उचित होता है। इसलिये यूरोपीय समुदाय सफल हैं लेकिन अफ्रीकी, लातिन अमेरिकी और भारतीय उपमहाद्वीपीय संगठन सफल नहीं हो पा रहे हैं ।

व्यापार का एक महत्वपूर्ण लाभ है - बाजार का विस्तार। इस समय पूरा विश्व लगभग 200 छोटे-बड़े देशों में बंटा हुआ है। कुछ देश अत्यन्त ही छोटे हैं, जहाँ पर आत्मनिर्भरता का प्रश्न ही नहीं है। मांग की कमी के कारण उस देश में बड़े प्रकार के उद्योग पनप ही नहीं पा रहे हैं। जापान जैसा विकसित राष्ट्र व्यापार के न होने पर आज विकसित नहीं हो पाता। जापान में जितने

बड़े उद्योग लगे हैं, ऑटोमोबाइल या इलेक्ट्रानिक्स के क्षेत्र में, वे वहाँ पर पनप ही नहीं सकते थे, अगर जापान उन वस्तुओं का निर्यात न कर रहा होता क्योंकि वहाँ पर मूलनिवासियों की संख्या अत्यन्त कम है, जिसके कारण बाजार संकुचित है और बाजार के अभाव में किसी वस्तु के बनाये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है। जापान ने लोहे और स्टील के उद्योगों को विकसित किया है जबकि उसके यहाँ न तो लौह खनिज है, न ही कोयला। वह दोनों का ही भारत और इंग्लैण्ड से आयात करता है। इसी प्रकार भारत में पर्याप्त मात्रा में तेल भण्डार न होने पर भी तेल शोधक कारखाने स्थापित हैं।

व्यापार के माध्यम से बाजार का विस्तार होता है। बड़े पैमाने के उद्योग लगाये जाते हैं। श्रम विभाजन की सम्भावना बढ़ती है। जिसके परिणामस्वरूप उत्पादन लागतों में और कमी आती है। व्यापार कम लागतों का परिणाम ही नहीं, कारण भी है। इसके माध्यम से खोजें बढ़ती हैं, नयी-नयी खोजों का प्रसार होता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार उत्पादन उपभोग और सामाजिक कल्याण बढ़ाने का सबसे अच्छा साधन होता है। इसके अभाव में जीवन स्तर में तथा उपभोग स्तर में गिरावट आती है। व्यापार के विकास के लिये यह आवश्यक होता है कि इसको प्रतिबन्ध रहित होना चाहिए। जितना व्यापार प्रतिबन्धित होता है, उतनी ही व्यापार में कमी आती है और मानव समुदाय के लिये उतना ही जीवन अधिक कठिन हो जाता है।

आसियान के गैर विकसित राष्ट्रों के संगठन की सफलता और जापान आदि जैसे देशों की इसमें शामिल होने की इच्छा और हाल ही में गठित किया गया उत्तरी अमेरिकी मुक्त व्यापार क्षेत्र, इस बात का प्रतीक है कि भविष्य में किसी देश को बिना किसी क्षेत्रीय गुट में शामिल हुये व्यापार करना निश्चित रूप से अलाभकारी हो सकता है। संगठन की शक्ति, सौदेबाजी की क्षमता तथा व्यापार प्रसार शक्ति के कारण भविष्य में क्षेत्रीय संगठन ही विश्व व्यापार में अपनी भागादारी कायम रख सकते हैं। अन्य देश इनमें शामिल हो सकते हैं या विश्व व्यापार में अपनी भागीदारी में काफी कमी के शिकार हो सकते हैं। विश्व व्यापार में भारत का गिरता हिस्सा इसी का प्रत्यक्ष प्रमाण है।

मुक्त व्यापार विश्व स्तर पर कल्पनातीत है। मुक्त व्यापार के अभाव में सम्पूर्ण मानव समुदाय को भारी लागत चुकानी पड़ती है। विश्व इतने धड़ों, प्रजातियों, राजनैतिक व्यवस्थाओं में बंट चुका

है कि मुक्त व्यापार की सम्भावना नहीं के बराबर है। इसलिए क्षेत्रीय स्तर पर अगर मुक्त व्यापार दो देशों के बीच (द्विपक्षीय) अथवा कुछ देशों के बीच (क्षेत्रीय व्यापार सगठन) होता है तो व्यापार जनित लाभों का कुछ सीमा तक फायदा उठाया जा सकता है। विश्व स्तर पर व्यापार को मुक्त नहीं किया जा सकता तो एक सीमित क्षेत्र में मुक्त व्यापार के लाभों को प्राप्त किया जा सकता है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय में शामिल देशों (छोटे-बड़े) की सफलता निश्चित रूप से इस बात की द्योतक है। विश्व व्यापार में इनकी बढ़ती साझेदारी इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि इन देशों का आपसी व्यापार बढ़ा है।

एशिया प्रशान्त क्षेत्र में मुक्त बाजार व्यवस्था या साझा बाजार स्थापित करने में भारत को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। यूरोपीय संघ के इतिहास में यूरोपीय भुगतान संघ एक मील का पत्थर है। यूरोप के कई देशों में अधिक संसाधन नहीं होने के बावजूद इस तंत्र के जरिये अपनी अर्थव्यवस्थाओं में परिवर्तन ला सके हैं। एशियाई क्षेत्र में भी कुछ देश ... ज्यादा विकसित और कुछ कम विकसित हैं। क्षेत्रों के बीच आपसी व्यापार के विस्तार के लिए वित्त एवं निवेश का लगातार प्रवाह होने की आवश्यकता पड़ती है।

“एशिया-प्रशांत क्षेत्र के विभिन्न देशों की अर्थव्यवस्थाओं में समानता नहीं है। सफल देशों ने वृहत आर्थिक नीतियों तथा कार्यक्षमता और उत्पादकता में वृद्धि करके निर्यात में वृद्धि की है। इससे बचत और निवेश की दरों में बढ़ोत्तरी हुई, सरकार एवं व्यापार में भागीदारी बढ़ी तथा विकास प्रक्रिया तेज हुई है। भारत कई स्तरों पर व्यापार एवं निवेश के प्रवाह को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यह द्विपक्षीय क्षेत्रों के बीच है। व्यापार ही अपने आप में इस प्रक्रिया का उद्देश्य नहीं है। विकास, गरीबी उन्मूलन, रोजगार तथा मानव संसाधन विकास इसका उद्देश्य है और इनकी उपेक्षा नहीं की जानी चाहिये। व्यापार बढ़ने से गरीबी और रोजगार जैसे विकास के सामाजिक पक्षों से निपटने के लिए विशेष कदम उठाये जाने की आवश्यकता है। क्योंकि ऐसा अपने आप नहीं हो पाता है।”¹

विश्व में विभिन्न देशों के व्यापारिक व आर्थिक गुट काफी पहले से ही रहे हैं, लेकिन आजकल

कई क्षेत्रीय व्यापारिक गुट तेजी से उभरकर अस्तित्व में आये हैं और अन्य गुटों के गठन की पृष्ठभूमि तैयार हो रही है। विभिन्न देशों के बीच ही नहीं, व्यापारिक गुटों में भी प्रतिस्पर्धा की भावना तेजी से उभर रही है। इसी आर्थिक प्रतिस्पर्धा की कोख से यूरोपीय संघ, नाफ्टा, कोमेसा, ओपेक, आसियान, सार्क, साप्टा आदि व्यापारिक एवं आर्थिक गुट उभरकर सामने आये हैं ।

1- यूरोपीय आर्थिक समुदाय

सम्पूर्ण विश्व में यूरोप का महत्वपूर्ण स्थान रहा है। दोनों विश्वयुद्ध यूरोप की धरती पर लड़े गये। इन दोनों विश्व युद्धों में अधिकतम क्षति यूरोप को उठानी पड़ी लेकिन फिर भी आज यूरोप आर्थिक, राजनीतिक शक्ति के शिखर पर विद्यमान है। यूरोप में राजनीतिक और आर्थिक एकता के अनेक महत्वपूर्ण प्रयास हुए हैं। यूरोप का इतिहास भारी उथल-पुथल का इतिहास रहा है। फिर भी यूरोप का इतिहास जहाँ एक तरफ एकीकरण और शक्ति के प्रयासों से भरपूर है, वहीं पर दूसरी तरफ विघटन और शीत युद्ध भी यूरोपीय समुदाय के इतिहास का मुख्य आधार रहा है। 1928 में ब्रां और फ्रांसीसी राजनीतिक अर्थशास्त्री ज्यां मोने ने सबसे पहले एकीकृत यूरोप का विचार सबके समक्ष रखा। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाने के बाद 1946 में विन्स्टन चर्चिल ने यूरोपीय एकता का आन्दोलन शुरू किया। 1947 में पूर्वी यूरोप के एकीकरण की शुरुआत तब हुई, जब सोवियत संघ, हंगरी, बल्गारिया, रूमानिया, पोलैण्ड, चेकोस्लोवाकिया, युगोस्लाविया, फ्रांस और इटली के साम्यवादी प्रतिनिधि वारसा में इकट्ठे हुए और एक कामिन्फार्म खोलने का निश्चय किया ।

1948 में पश्चिमी यूरोप के आर्थिक एकीकरण की दिशा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, जब उस समय यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना की गयी। 1948 में ही बेल्जियम, नीदरलैण्ड और लक्जमबर्ग में एक आर्थिक संगठन बनाया गया जिसको बेनेलक्स के नाम से जाना जाता है। यह पहला आर्थिक एवं व्यापारिक समझौता रहा, जिसके अन्तर्गत एक दूसरे देश की वस्तुओं को मुक्त व्यापार के तहत आयात-निर्यात करने का फैसला किया गया तथा अन्य दूसरे देशों के लिए समान तटकर कार्यक्रम शुरू किया गया। 1949 में पूर्वी यूरोपीय देशों के मध्य पारस्परिक आर्थिक सहायता परिषद की स्थापना की गयी। 1949 में ही यूरोपीय परिषद

की स्थापना भी की गयी। 1950 में ही यूरोपियन अदायगी संघ की स्थापना भी हुयी।

1958 में क्षेत्रीय सहयोग के कई छोटे-मोटे प्रयास करने के बाद यूरोपीय आर्थिक समुदाय का जन्म हुआ। स्थापना के समय इसमें छः सदस्य थे - नीदरलैण्ड, बेल्जियम, लक्समबर्ग, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी तथा इटली, आर्थिक एवं राजनीतिक कूटनीति के लिए इस संगठन का निर्माण किया गया। इस संस्था के माध्यम से 1962 में एक साझा बाजार की स्थापना हुई। 1968 में मुक्त व्यापार तथा समान व्यापारिक नीति को अपनाया गया। उस समय एक समान कृषि नीति की भी घोषणा की गयी।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय संगठन के चार प्रमुख घटक होते हैं -

- (अ) विकास आयोग
- (ब) महासभा
- (स) न्याय सभा
- (द) विकास परिषद

वर्तमान समय में यूरोपीय आर्थिक समुदाय की विश्व व्यापार में 21.8% भागीदारी है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका (12.9%) तथा जापान (7.2%) के मुकाबले में बहुत ज्यादा है। यूरोपीय समुदाय के देशों की प्रति व्यक्ति आय तथा उपभोग का स्तर काफी ऊँचा है। इस समय अधिकृत स्वर्ण भण्डार का 24% यूरोपीय समुदाय के पास है। इन सभी का सकल घरेलू उत्पाद 5,110 मिलियन डालर है जो अमेरिकी सकल घरेलू उत्पाद से बहुत थोड़ा ही कम है तथा शीघ्र ही इसकी अमेरिका से आगे निकल जाने की संभावना नजन आ रही है। ये सभी देश पूँजी प्रधान देश हैं तथा उद्योग और तकनीक दोनों क्षेत्रों में काफी ज्यादा विकसित अवस्था में हैं। तकनीकी विकास (खासकर मशीनें तथा उपभोग) की दर भी यहाँ बहुत अधिक है। अर्धविकसित देशों का खासकर एशियाई और अफ्रीकी देशों के साथ बहुत ही निकट का सम्बन्ध है, क्योंकि अधिकांश एशियाई व अफ्रीकी देश इनके उपनिवेश के रूप में रह चुके हैं। आने वाले समय में यह संगठन निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति के रूप में उभर सकती है।

1958 से 1965 तक विभिन्न कार्यक्रमों के पश्चात इस समुदाय का विश्व व्यापार और विश्व

अर्थव्यवस्था में महत्व बढ़ रहा है। 1973 में ब्रिटेन इस समुदाय का सदस्य बना तथा साथ में आयरलैण्ड, डेनमार्क को भी इसकी सदस्यता प्रदान की गयी। 1981 में यूनान ने इसकी सदस्यता ग्रहण किया। 1986 में स्पेन तथा पुर्तगाल यूरोपीय समुदाय की सदस्यता ग्रहण कर लिया। 1990 में पूर्वी जर्मनी के पश्चिमी जर्मनी में विलय हो जाने के बाद में अपने आप पूर्वी जर्मनी इस समुदाय का सदस्य बन गया। आज वर्तमान समय में यूरोपीयन समुदाय में 12 राष्ट्र हैं। सोवियत संघ तथा पूर्वी यूरोप के विघटन के बाद यूरोपीय समुदाय ने पोलैण्ड, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया तथा कुछ रूसी गणराज्यों को मुक्त व्यापार क्षेत्र में शामिल होने का आमन्त्रण दिया है। लेकिन इन राष्ट्रों को यूरोपीय संसद में शामिल होने की बात नहीं कही है।

पिछले कुछ वर्षों में यूरोप में बड़ी मात्रा में राजनीतिक व आर्थिक परिवर्तन हुआ है। जैसे-रूसी साम्राज्य का विघटन, जर्मनी का एकीकरण, युगोस्लाविया में गृहयुद्ध, रूसी गणराज्यों में शीतयुद्ध आदि। परिवर्तन का प्रभाव यूरोपीय संगठन पर अवश्य पडा है। 1991 में मास्ट्रिच सम्मेलन में यूरोपीय आर्थिक समुदाय के भविष्य को लेकर विचार किया गया तथा बारहों देश ने मिलकर मास्ट्रिच संधि पर हस्ताक्षर किये। इसको मास्ट्रिच सन्धि के नाम जाना जाता है। मास्ट्रिच सन्धि का मुख्य मुद्दा यूरोपीय समुदाय को यूरोपीय आर्थिक संघ में परिवर्तन करना रहा है।

वर्तमान समय में यूरोपीय समुदाय एक सीमा संघ है, जबकि भविष्य में इसके आर्थिक संघ बनाये जाने पर जोर दिया जा रहा है। मुक्त व्यापार क्षेत्र, सीमा संघ तथा आर्थिक संघ में निम्न मुख्य अन्तर होता है -

मुक्त व्यापार क्षेत्र: आपस में सदस्य देश मुक्त व्यापार, अन्य देशों से अपनी अलग-अलग व्यापार नीति के आधार पर व्यापार करते हैं।

सीमा संघ: सदस्य देशों में मुक्त व्यापार, गैर सदस्यों से समान व्यापारिक नीति पर सभी देश बराबर प्रशुल्क दरों अथवा छूटों का प्रयोग अन्य सभी देशों के लिए किया जाता है।

आर्थिक संघ: सदस्य देशों की सभी आर्थिक नीतियाँ (औद्योगिक, मौद्रिक, व्यापारिक, तथा राजकोषीय) एक ही प्रकार की होती हैं और एक साथ बनायी जाती हैं। यह वहीं पर सम्भव होता

है, जहाँ पर राजनीतिक संप्रभुता किसी एक हाथ में केन्द्रित होता हो, राजनीतिक व्यवस्था भले ही अलग-अलग इकाईयों पर होती हों जैसे रूसी गणराज्य में रहा। आर्थिक संघ की परिकल्पना तभी सफल हो सकती है, जब किसी राष्ट्र के राजनयिक अपने नीतिनिर्धारक अधिकारों को किसी अन्य संस्था अथवा राष्ट्र के हाथ में सौंपने को तैयार हो जाते हैं। व्यवहार में ऐसा होना प्रायः दुष्कर होता है लेकिन यूरोपीय समुदाय इसे साकार करने के लिये प्रयत्नशील है ।

एक समयबद्ध कार्यक्रम के अन्तर्गत 1 जनवरी 1994 को मौद्रिक संस्थान की स्थापना की गयी, जो इन देशों की आर्थिक नीतियों में महत्वपूर्ण परिवर्तन करने के लिये सुझाव देता है। ताकि धीरे-धीरे इन देशों की नीतियाँ एक प्रकार की हो जायें और पूर्ण संघ की स्थापना करते समय किसी देश को गम्भीर समस्याओं का सामना न करना पड़े। शुरुआती दौर में ऐसे सदस्यों को ही आर्थिक संघ का सदस्य बनाया जाना चाहिये जिस देश में (अ) मुद्रा स्फीति की दर कम हो (ब) बजट तथा व्यापार घाटा दोनों कम हों। धीरे-धीरे अन्य देशों में आर्थिक नीतियों में परिवर्तन कर इस उद्देश्य की पूर्ति की जा सकती है ।

1997 तक यह मौद्रिक संस्थान एक पूर्णकालिक, सवैधानिक बैंक बन जायेगा तथा बाद में अपनी स्वतन्त्र मुद्रा को प्रचलित करेगा, जिसको प्रारम्भ में यूरोपीय मुद्रा के नाम से जाना जायेगा। प्रत्येक देश में यही मुद्रा चलेगी। सम्पूर्ण मौद्रिक नीति, साख नीति तथा वित्तीय नीति का नियन्त्रण व नियमन इसी बैंक के हाथों में रहेगा। यूरोपीय समुदाय के दस देश इस मुद्दे पर अपनी सहमति दे चुके हैं। डेनमार्क अपना राष्ट्रीय जनमत कराने के पश्चात इसमें शामिल होने के लिए तैयार हो गया है। केवल ब्रिटेन इसमें शामिल होने में संकोच कर रहा है ।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय और भारत के सम्बन्धों के बीच यह स्पष्ट हो चुका है कि भारत ने शुरु में इस समुदाय की शक्ति के महत्व को नहीं समझा जिसकी वजह से भारत को उसके निकट जितना होना चाहिये था, उतना निकट नहीं आ पाया। 1958-59 में इस समुदाय के बनने पर भारत ने इसे कोई महत्व नहीं दिया तथा भारत इस समुदाय को नाटो सन्धि का राजनीतिक व सामाजिक संगठन मानता रहा। जिस समय 1961 में ब्रिटेन इस समुदाय की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण करने के लिये प्रार्थना किया, उस समय भी भारत ने इसको इतना महत्व नहीं दिया। भारत

अपने पूँजीगत आयातों के लिए अन्य बाजार खोजता रहा। सौभाग्य से 1973 में ब्रिटेन इस समुदाय का सदस्य बन गया, उस समय भारत भी इस समुदाय के निकट आया और भारत तथा यूरोपीय समुदाय में व्यापार सम्बन्धी एक दीर्घकालीन समझौता हुआ जिसको भारतीय यूरोपीय आर्थिक समुदाय का व्यापारिक सहयोग समझौता कहा जाता है। यह समझौता दो मुख्य उद्देश्यों के लिए किया गया।

- (अ) व्यापार विस्तार
- (ब) उत्पादन वैविध्यीकरण

इस समझौते के अन्तर्गत भारत से यूरोपीय समुदाय के व्यापार को एक नयी दिशा प्रदान करने के लिए विचार किया गया। यह यूरोपीय आर्थिक समुदाय का दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों से किया गया पहला व्यापार समझौता था। इसी के आधार पर अन्य देश जैसे-पकिस्तान, लंका आदि से यूरोपीय समुदाय ने समझौते किये। इस समझौते से भारत को बहुत ज्यादा आशाये थी लेकिन कुछ कारणों से प्रारम्भ के वर्षों में भारत को इस समझौते से जितना लाभ मिलना चाहिए था, उतना मिला नहीं। 1974 में भारत सरकार ने आपात की घोषणा कर दिया, जिसमें मानव अधिकारों का हनन हुआ और विश्व में भारत की प्रतिष्ठा गिर गयी। पेट्रोल का दाम बढ़ जाने से भारत के पेट्रोल का आयात बढ़ गया तथा यूरोपीय समुदाय से पूँजी व उद्योग का आयात न बढ़ सका। ऐसे तमाम और कई कारण थे जिसकी वजह से भारत को तात्कालिक लाभ नहीं मिल पाया।

आर्थिक नीतियों के अतिरिक्त यह यूरोपीय आर्थिक समुदाय अब अन्य क्षेत्रों में भी एकीकरण पर जोर दे रहा है। मास्ट्रिच सन्धि में जो अन्य एकीकरण के उपाय सुझाये गये हैं, वे निम्नलिखित हैं।

(अ) **यूरोपीय संसद:** समस्त देशों को मिलाकर 518 सदस्यों वाली एक संसद होनी चाहिये। इस संसद को राष्ट्र के प्रतिनिधियों के सहयोग से यूरोपीय संघ के नीति निर्धारण का कार्य करना चाहिये। अभी तक ब्रिटेन व डेनमार्क इस सुझाव का विरोध कर रहे हैं।

(ब) **सामाजिक नीतियाँ:** यूरोपीय संघ हर देश के नागरिकों को एक तरह की सुविधायें उपलब्ध कराने, अमीर-गरीब की दूरी को कम करने, एक प्रकार की यूरोपीय नागरिकता, न्यूनतम आय

सम्बन्धी कानूनों को बनाने आदि की व्यवस्था करने के लिए एक संघ की स्थापना करना चाहता है। इस व्यवस्था के अन्तर्गत यूरोप एक देश हो सकता है और सभी राष्ट्र इसके प्रान्त। यह संघीय ढाँचा एक तरह से अमेरिकी संघीय ढाँचे के रूप में हो सकता है ।

(स) **राजनीतिक संघ:** यूरोपीय संघ आर्थिक ही नहीं, राजनीतिक क्षेत्र में भी सभी देशों को मिलाकर कार्य करने की ओर अग्रसर करने के लिए एक राजनीतिक संघ की स्थापना करना चाहता है, जिसके अन्तर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, पर्यावरण, ऊर्जा, पर्यटन, नागरिक सुरक्षा आदि सभी पर एक ही कानून बनाये जाने की व्यवस्था होनी चाहिये ।

(द) **प्रतिरक्षा एवं विदेशी नीति:** इन सभी राष्ट्रों के विदेशों से व्यापारिक ही नहीं, गैर व्यापारिक (राजनीतिक, सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी) सम्बन्ध भी एक ही तरह से होना चाहिये, जिसमें सभी निर्णय बहुमत के आधार पर लिये जाते हों, (अभी आधे राष्ट्र इस बात से सहमत नहीं हैं) तथा इन सभी देशों की सुरक्षा के लिए पश्चिमी यूरोपीय सुरक्षा संघ को पुनर्जीवित किया जाना चाहिये। नाटो सन्धि पश्चिमी यूरोपीय सुरक्षा संघ के साथ-साथ चलनी चाहिये या नाटो को ही पूर्ण सुरक्षा का दायित्व सौंपे दिया जाय। ब्रिटेन, इटली, हालैण्ड और पुर्तगाल नाटो को चलाने के पक्ष में हैं तथा बाकी सभी देश पश्चिमी यूरोपीय सुरक्षा संघ को पुनर्जीवित करना चाहते हैं। अगर ये सुझाव लागू हो जाती हैं तो यूरोप में आन्तरिक सीमायें समाप्त हो जायेगी ।

यूरोपीय समुदाय में कुछ नीतिगत परिवर्तन किया गया जिसके परिणामस्वरूप भारत को अधिक सुविधायें प्राप्त नहीं हो पायी। यूरोपीय समुदाय ने 1975 में अफ्रीकी देशों को सर्वप्रिय राष्ट्र का दर्जा प्रदान किया, जिसके परिणाम स्वरूप भारत को मिलने वाली प्राथमिकतायें लगभग समाप्त हो गयी हैं। 1975 में लोम अधिवेशन होने पर इसके अन्तर्गत जो निर्णय लिये गये थे, उन सभी का अर्धविकसित देशों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। साठ के दशक में भारत को यूरोपीय समुदाय की शक्ति न पहचान पाने के कारण बहुत नुकसान उठाना पड़ा, वहीं पर दूसरी तरफ सत्तर के दशक में परिस्थितिजन्य कारणों से भारत को अपेक्षित लाभ नहीं मिल सका। भारत साम्यवादी-समाजवादी घटकों के ज्यादा करीब रहा और भारत की नीतियाँ काफी प्रतिबन्धित नीतियाँ रही, इसलिए भारत को यूरोपीय समुदाय से अधिक लाभ की आशा करना व्यर्थ है ।

1980 के आरम्भिक काल के दौरान में भारत ने उदारवादी नीतियों को अपनाया तथा 1980 से 1989 तक भारत सरकार ने काफी मात्रा में नीतिगत परिवर्तन किया। 1989-90 के दौरान बहुत ज्यादा राजनीतिक उथल-पुथल रही। 1991 में पुनः भारत सरकार ने उन उठाये गये कदमों को ज्यादा मजबूती के साथ प्रारम्भ किया। इस समय भारत काफी हद तक बाजारी शक्तियों पर आधारित आर्थिक नीतियों में विश्वास करता है। नकारात्मक सूची मृतप्राय अवस्था में पहुँच चुका है और रूपया पूर्ण परिवर्तनीय हो गया है। तटकर की दरों में गिरावट आयी है। विदेशी पूँजी तथा निवेश का मार्ग प्रशस्त हुआ है तथा निर्यात छूटों में गिरावट आयी है और चैनलबद्ध आयात-निर्यात घट गया है। निजीकरण व उदारीकरण की प्रक्रिया अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में स्पष्ट रूप से दिखायी पड़ रहा है। बहुराष्ट्रीय निगमों काफी बड़ी संख्या में भारत में आ रही हैं। जिसके परिणामस्वरूप भारत तथा यूरोपीय समुदाय के सम्बन्धों में कोई अड़चन प्रतीत नहीं होती है।

1981 में भारत व यूरोपीय समुदाय के बीच में एक नया व्यापार समझौता हुआ, जिसको व्यापारिक एवं आर्थिक सहयोग समझौता कहा जाता है। 1982 में यूरोपीय आर्थिक समुदाय ने भारत के अन्दर एक वाणिज्यिक कार्यालय खोला है। भारत के अत्यधिक अनुरोध करने पर 1987 में यूरोपीय समुदाय भारत के साथ औद्योगिक सहकारिता के विकास करने के लिये एक प्रतिनिधि मण्डल भारत भेजा। जिसके अन्तर्गत दोनों विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में आपस में मिल-जुलकर कार्य करने के लिए एक संस्थागत कार्य क्षेत्र का निर्माण किया। छः निम्नलिखित क्षेत्रों में इस प्रकार का सहयोग क्षेत्र स्थापित हो चुका है।

- (i) तकनीकी सूचना केन्द्र
- (ii) टेलीकम्युनिकेशन तथा इलेक्ट्रानिक्स सूचना केन्द्र
- (iii) ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्र नागपुर (दिल्ली में भी एक शाखा है)
- (iv) वाणिज्यिक सूचना केन्द्र
- (v) गुणवत्ता नियमन व नियन्त्रण केन्द्र
- (vi) वाणिज्यिक प्रबन्ध शैक्षिक केन्द्र

उपर्युक्त सभी संस्थाओं को भारत में औद्योगिक विकास की गति व गुणवत्ता नियन्त्रण के विशिष्ट

दृष्टिकोण को ध्यान में रखकर स्थापित किया गया है। इसके बावजूद भारत से यूरोपीय समुदाय का व्यापार अपेक्षित मात्रा व लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाया है। 1992-93 में भारत से यूरोपीय समुदाय को कुल निर्यात 32,351 करोड़ रुपये का हुआ था जो सकल निर्यात का 60.3% है और कुल आयात 35,147 करोड़ रुपये का हुआ जो सकल आयातों का 55.3% है। इस क्षेत्र में भारत के निर्यात वृद्धि की अनन्त सम्भावनायें मौजूद हैं ।

2- सार्क

दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन आसियान जब अस्सी के दशक के दौरान सफलता की ओर अग्रसर होने लगा, तब एशिया के देशों में भी इस प्रकार का विचार उत्पन्न हुआ कि अगर एशिया के सभी देश संगठित होकर विश्व के आर्थिक समुदाय में उभर जायें तो उनका महत्व और लाभ दोनों बढ़ सकता है। इस क्षेत्र के मुख्य देश भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश 50 वर्ष पूर्व एक ही देश के अभिन्न अंग रहे हैं। ये क्षेत्र भौगोलिक रूप से ही नहीं, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से भी आपस में बहुत करीब हैं। नेपाल, भूटान, श्रीलंका आदि इन देशों की भौगोलिक व सांस्कृतिक सीमायें एक ही हैं और प्राचीन विशाल भारत से इनका सम्बन्ध बहुत ही घनिष्ठ रहा है। एक देश से दूसरे देशों के बीच नागरिकों का आवागमन उसी प्रकार रहता है जैसे-एक राष्ट्र के प्रान्तों में होता है। नेपाल को छोड़कर सभी देश ब्रिटेन के उपनिवेश रह चुके हैं। (नेपाल सदैव संप्रभु स्वतंत्र देश रहा है ।)

ब्रिटेन की इन सभी क्षेत्रों के लिए एक प्रकार की आर्थिक, सामाजिक नीतियाँ रही हैं। अर्द्धविकसित देश होने के बावजूद भारत औद्योगिक और तकनीकी दृष्टि से काफी विकसित है। ये सभी क्षेत्र एक प्रकार से संगठित क्षेत्र हैं और आर्थिक दृष्टि से पूरक भी हैं, फिर भी यहाँ क्षेत्रीय सहकारिता के लिए अनन्त संभावनायें मौजूद हैं। इन सभी राष्ट्रों में आर्थिक व तकनीकी भिन्नता भी काफी मात्रा में है ।

विश्व की आबादी का चौथायी (23.2%) भाग इस क्षेत्र में निवास करता है। इस प्रकार यह क्षेत्र एक बहुत बड़ा बाजार है। खनिज व कृषि क्षेत्र की दृष्टिकोण से यह क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है। जूट और चाय के क्षेत्र में विश्व निर्यात में इस क्षेत्र का हिस्सा 97% और 91% है। क्षेत्रफल की

दृष्टिकोण से यह क्षेत्र विश्व के 3.3% भू-भाग पर स्थित है। जनसंख्या के घनत्व के दृष्टिकोण से यहाँ पर विश्व के औसत की दुगुनी जनसंख्या निवास करती है। इन देशों में प्रति व्यक्ति आय का स्तर काफी नीचे है तथा यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर अफ्रीकी देशों के मुकाबले कम है।

आर्थिक विकास की अनन्त संभावनायें इस क्षेत्र में मौजूद हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान ने अगस्त 1991 में एक क्षेत्रीय गुट के गठन का प्रस्ताव किया। अन्य देशों से सहमति प्राप्त हो जाने के बाद अगस्त 1983 में जियाउर रहमान ने एक राजनीतिक संगठन के रूप में 'सार्क' के गठन की शुरुआत की जिसमें इन देशों के ढाँचागत आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास के बारे में विचार किया गया। भारत के तत्कालीन उपराष्ट्रपति आर० वेंकटरामन ने एक पत्र के माध्यम से इस संगठन के गठन का स्वागत किया। बहुत सारे व्यवधानों को समाप्त करने के पश्चात 1983 में निम्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए सात देश (भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव) सहमत हुये, जिसके परिणामस्वरूप सार्क का गठन हुआ। ये सभी देश कुछ क्षेत्रों में आपसी सहयोग प्रदान करने के लिए सहमत हुए।

- (i) प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा सेमिनारों का आयोजन
- (ii) शोध तथा वैज्ञानिक अनुसंधान में सहयोग
- (iii) तकनीकी अध्ययन हेतु क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं का निर्माण
- (iv) विशेषज्ञों का आवागमन
- (v) सांस्कृतिक उत्सवों में एक दूसरे देश के नागरिकों को आवागमन की छूट
- (vi) अन्य वे क्षेत्र जिनमें सहयोग की पारस्परिक सहमति प्राप्त हो।

इसके बाद इन सभी देशों ने आपसी सहयोग को बढ़ाने और पारस्परिक सम्बन्धों को और अधिक मजबूत करने का इरादा बनाया। बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति ने ढाका में 7-8 दिसम्बर 1985 को सातों देशों के राष्ट्राध्यक्षों का एक सम्मेलन आयोजित किया। इसी सभा में 'सार्क' का गठन किया गया है। जिसका अपना घोषणा-पत्र है, संगठन है, उद्देश्य है, अनुच्छेद है।

संगठन

इस संगठन का क्रियाकलाप देखने के लिए कई अलग-अलग प्रकार की संस्थायें तथा व्यक्ति

जिम्मेदार होते हैं। सभी राष्ट्राध्यक्षों को मिलाकर एक शीर्ष सभा होती है। शीर्षसभा इन सभी संस्थाओं तथा व्यक्तियों के क्रियाकलाप की उत्तरदायी होती है। बारी-बारी से प्रत्येक देश में इस सभा की बैठक बुलायी जाती है। जिस देश में यह सभा बुलायी जाती है, उस देश का राष्ट्राध्यक्ष ही सार्क का अध्यक्ष होता है। शीर्ष सभा में राष्ट्राध्यक्ष को स्वयं उपस्थित होना पड़ता है। वह अपने किसी प्रतिनिधि को नहीं भेज सकता। शीर्ष सभा ही सामान्य व नीतिगत निर्णयों के लेने के लिए अधिकारिणी होती है। सार्क समझौते के अनुसार इस बैठक को प्रति वर्ष बुलायी जानी चाहिये। 5 वाँ सम्मेलन दो वर्षों के बाद बुलाया गया था। चार्टर के अनुसार किसी भी शासनाध्यक्ष की अनुपस्थिति में यह सभा स्थगित कर दी जाती है लेकिन एक बार केवल बांग्लादेश, मारीशस, लंका तथा पाकिस्तान के शासनाध्यक्षों की उपस्थिति में इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। क्योंकि भूटान नरेश किसी कारण से इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं हो सके तथा भारत ने सोचा कि अब यह शिखर सम्मेलन स्वतः स्थगित हो जायेगा (चार्टर के अनुसार), इसलिए भारत भी सम्मेलन में नहीं गया। तत्कालीन अध्यक्ष गयूम ने इस सम्मेलन को स्थागित न करके सार्क की प्रतिष्ठा को कायम रखी है ।

उद्देश्य

1985 में गठित किया गया सार्क के अनुच्छेद प्रथम में इसके निम्न लिखित उद्देश्य हैं -

- (i) दक्षिण एशिया के निवासियों के जीवन स्तर में सुधार करना ।
- (ii) दक्षिण एशिया के देशों में सामूहिक आत्मनिर्भरता विकसित करना ।
- (iii) इस क्षेत्र में आर्थिक, सामाजिक प्रगति की दर तीव्र करना व सांस्कृतिक विरासत कायम रखना ।
- (iv) आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक व तकनीकी क्षेत्र में सक्रिय सहयोग को बढ़ावा देना ।
- (v) इस क्षेत्र के निवासियों में सद्भाव, आपसी विश्वास व एक दूसरे की सहायता का भाव विकसित करना ।
- (vi) अन्य विकासशील देशों से सद्भावपूर्ण मैत्री सम्बन्ध विकसित करना ।
- (vii) अन्तर्राष्ट्रीय घटनाओं पर और संगठनों में एक दूसरे का सहयोग करना ।

- (viii) अन्य अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, जो इसी प्रकार के उद्देश्यों के लिये विकसित किये गये हैं, का सहयोग करना ।

सिद्धान्त

चार्टर के अनुच्छेद दो के अनुसार सार्क के सिद्धान्त -

- (i) सार्क के देशों में सहयोग का आधार-संप्रभुता की रक्षा करना, समता, भौगोलिक क्षेत्र की सुरक्षा, राजनीतिक स्वतन्त्रता और एक दूसरे देश के मामले में हस्तक्षेप न करना ।
- (ii) वर्तमान समझौता किसी देश के द्विपक्षीय और बहुपक्षीय समझौते के साथ असंगत होने पर त्याज्य होना ।
- (iii) वर्तमान समझौता किसी और बहुपक्षीय समझौते का स्थानापन्न नहीं है। यदि कोई समझौता पहले हो चुका है तो यह समझौता उसके अतिरिक्त तथा पूरक होगा ।

सचिवालय

सार्क का मुख्य सचिवालय नेपाल की राजधानी काठमांडू में स्थिति है। विभिन्न देशों के अन्दर अलग-अलग सचिवालय कार्य करते हैं। लेकिन इनके समन्वय का कार्य केन्द्रीय सचिवालय का होता है। सार्क द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न इकाईयां स्थापित की गयी हैं, जिनका व्यय, तकनीकी रख-रखाव व प्रबन्ध मिल-जुल कर किया जाता है। सचिवालय में सभी प्रकार के सार्क कार्यक्रमों का लेखा-जोखा रखा जाता है। शुरुआत में सार्क ने केवल नौ क्षेत्रों में ही सहयोग के लिए अपना कार्यक्रम सुनिश्चित किया।

अभी तक (सार्क) दक्षेस के सात सम्मेलन हो चुके हैं। 12-13 दिसम्बर 1992 को सातवाँ सम्मेलन रहा, लेकिन भारत के शासनाध्यक्ष की अनुपस्थिति के कारण उसको स्थगित कर दिया गया। 10-11 अप्रैल 1993 को पुनः इसका आयोजन ढाका में किया गया, जिसकी अध्यक्षता बांग्लादेश की राष्ट्रपति बेगम खालिदा जिया ने की। इस सम्मेलन और इसके पूर्व के सम्मेलनों में निम्न विषयों पर आम सहमति बनी और निम्न कार्यक्रम क्रियान्वित किये गये ।

ऊर्जा के साधनों का विकास

ऊर्जा के साधनों का विकास दक्षेस देशों की सहकारिता का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। इन

सभी क्षेत्रों में विद्युत ऊर्जा की बहुत सम्भावनायें हैं फिर भी पेट्रोल इन सभी देशों के लिए महत्वपूर्ण समस्या है। इन सभी देशों में ऊर्जा का संकट उनके विकास के लिए सबसे बड़ी समस्या है। दक्षिण देशों ने इसके सम्बन्ध में कई कार्य समितियाँ गठित की हैं। 1985 में सबसे पहले पाकिस्तान में ऊर्जा के पुनर्नवीकरण वाले स्रोतों के सन्दर्भ में विशेषज्ञों की एक कार्य समिति का आयोजन किया। इसके लिए दो केन्द्र (पहला-नई दिल्ली 1986 तथा दूसरा - इस्लामाबाद 1986 में) खोला गया। सौर ऊर्जा और वायुगैस के विकास के लिए पुनः एक विशेषज्ञ दल 1985 में दिल्ली में गठित किया गया ।

दिल्ली में इसके लिए एक केन्द्र की स्थापना किया गया है। 1985 में ऊर्जा संरक्षण पर विशेषज्ञों के एक दल की बैठक पुणे में बुलायी गयी तथा प्रत्येक देश में ऊर्जा संरक्षण के लिए कुछ केन्द्रों की स्थापना की गयी। प्रति वर्ष एक बैठक बुलाये जाने पर विचार किया गया लेकिन इस विषय पर कोई सर्वमान्य निश्चित निर्णय नहीं लिया जा सका है ।

प्राकृतिक साधनों का उचित उपयोग, पर्यावरण संरक्षण

दक्षिण देशों के अन्दर जनसंख्या वृद्धि के कारण पर्यावरण तथा आवास सम्बन्धी काफी सम्भावनायें उत्पन्न हो गयी हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1991 को 'दक्षिण आवास वर्ष' तथा 1992 को 'पर्यावरण वर्ष' मनाने की घोषणा की गयी। पर्यावरण के सन्दर्भ में तथा प्राकृतिक संसाधनों के सन्दर्भ में प्रत्येक देश का स्वयं का उत्तरदायित्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। लेकिन वन संपदा का उचित संरक्षण नहीं हो पाने की दशा में बाढ़, सूखा, भूमि क्षरण तथा कटाव की समस्या पूरे क्षेत्र की होती है। पूरे क्षेत्र के देशों को मिलजुल कर पर्यावरण संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के समुचित उपयोग के लिए पुनर्विचार करना चाहिए। दक्षिण देशों ने इसके लिए एक पर्यावरण संरक्षण केन्द्र की स्थापना नेपाल में किया है, जो पूरे क्षेत्र में पर्यावरण संरक्षण की समस्याओं का अध्ययन करता है तथा उचित सुझाव प्रदान करता है। इसी के अन्तर्गत पर्यावरण पर समुचित जानकारी देने के लिए अलग-अलग स्थान पर सभायें, सेमिनार तथा प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है ।

कृषि विकास

विश्व की लगभग चौथाई जनसंख्या कृषि क्षेत्र में निवास करती है। कृषि विकास तथा क्षेत्रीय

स्तर पर कृषि वस्तुओं में आत्मनिर्भरता इस क्षेत्र की प्राथमिक आवश्यकता होती है। इन सभी देशों में अधिकांशतः जनसंख्या कृषि पर प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से आधारित है। कृषि तकनीक प्रसार सेवायें तथा तकनीकी सेवाओं के जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उनमें काफी विस्तार हो सकता है। भूटान में आलू केन्द्र, बांग्लादेश में चावल केन्द्र आदि के साथ-साथ हैदराबाद में ग्रामीण विकास केन्द्र, करनाल में बंजर भूमि सुधार केन्द्र, नेपाल में कृषि मौसम सूचना केन्द्र, मैसूर में खाद्यान्न तकनीक पर विशेषज्ञों का कार्य समूह (1985) आदि काफी कार्य इस क्षेत्र में कर रहे हैं।

भारत व पाकिस्तान में कृषि विकास काफी अधिक हुआ है। भारत कृषि पदार्थों का निर्यातक देश है। बांग्लादेश तथा नेपाल में कृषि विकास का स्तर बहुत नीचे है और दोनों खाद्यान्नों का आयात करते हैं। इस क्षेत्र से इनकी आवश्यकताओं को पूरा हो जाना चाहिये।

शिक्षा और मानव संसाधन विकास

शिक्षा और मानव संसाधन विकास दक्षेस देशों की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। प्रत्येक देश की शैक्षिक व्यवस्था लगभग एक प्रकार की है तथा वे अपनी समस्याओं से ग्रस्त हैं, वहाँ पर उच्च तकनीक और वैज्ञानिक शिक्षा का काफी अभाव है। भारत औद्योगिक और तकनीकी प्रशिक्षण देने में काफी समर्थ है। भारत ने कई क्षेत्रों में जैसे- जर्मप्लाज्म के रखरखाव, जेनोर्टक कन्जरवेशन के क्षेत्र में प्रशिक्षण सुविधा तथा अन्य औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों और प्रशिक्षण केन्द्रों के चलाने का सुझाव दिया, जिसका अन्य सदस्य देशों ने स्वागत किया है। इन सभी देशों ने जीन बैंकों के संगठन की योजना पर सहमति व्यक्त की है। माले शिखर सम्मेलन में आठ विशिष्ट औद्योगिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण योजनाओं को स्वीकृति प्रदान की गयी है।

मादक पदार्थों की तस्करी

नशीले और मादक पदार्थों की तस्करी इस क्षेत्र की गम्भीर समस्या है। इन देशों में विभाजन रेखा कृत्रिम है और एक देश से दूसरे देश में जाना काफी आसान है। सामान्य तौर पर तस्कर एक देश से दूसरे देश में भाग जाते हैं। इस गम्भीर समस्या को रोकने के लिए प्रत्यर्पण संधि की व्यवस्था की गयी है। यदि कथित अपराधी किसी दूसरे देश में चला गया है तो वह देश जहाँ उसने अपराध किया है, उक्त अपराधी की पहचान के लिए सारी जानकारियाँ उपलब्ध कराता है।

यदि राजनीतिक कारणों से उक्त अपराधी का प्रत्यर्पण सम्भव नहीं है तो वह स्वतः उचित कानूनी कार्यवाही कर सकता है। शुरुआत में इस समझौते के तहत मादक द्रव्यों के तस्करों को ही इस कानून के अन्तर्गत रखने का विचार किया गया लेकिन बाद में शस्त्र विक्रेताओं, आतंकवादियों और अन्तर्राष्ट्रीय अपराधियों को भी इस कानून के अन्तर्गत दंडित करने का प्रावधान किया गया है।

अन्य कई क्षेत्रों में भी दक्षेस समझौतों को लागू किया गया है। जैसे- सभी देशों के सांसद और उच्चतम नयायालयों के न्यायाधीश किसी भी देश में वीसा और पासपोर्ट के बिना यात्रा कर सकते हैं। यही सुविधा राष्ट्रीय शैक्षिक संस्थाओं के प्रधानों और उनके आश्रितों को भी प्रदान की गयी है। पर्यटन को विकसित करने के लिए एकीकृत पर्यटन योजनाये बनायी गयी हैं। लघु, कुटीर और क्षेत्रीय उद्योगों के विकास करने के लिए विशिष्ट सुविधाओं के अलावा एक क्षेत्रीय कोष की स्थापना पर सहमति हो गयी है। लेकिन यह कोष कार्य रूप में अभी परिणत नहीं हो पाया है। इसी प्रकार दक्षिण एशियाई कोष पर भी, अभी तक सहमति होने के बावजूद कोई रूप रेखा नहीं बन पाई है।

निम्न स्तरीय जीवन

दक्षेस देशों के सामने निम्न स्तर का जीवन एक गम्भीर समस्या है। शहरों और महानगरों में रहने वाले बड़ी संख्या में बेरोजगारों तथा झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों का जीवन स्तर काफी निम्न स्तर का है। शहरी आबादी में से एक तिहाई से अधिक लोगों के पास रहने के लिए उपयुक्त मकान अथवा आवास नहीं है। शहरियों में से लगभग 40 प्रतिशत का पीने के लिए साफ पानी उपलब्ध नहीं है। शहरों में सफाई की पर्याप्त व्यवस्था भी नहीं है। स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं का भी अभाव है।

“आज विश्व की लगभग आधी आबादी शहरों में बसी है। दुनिया के बड़े-बड़े शहरों में प्रति सप्ताह एक करोड़ व्यक्ति की दर से शहरी जनसंख्या बढ़ रही है। शहरी विकास के लिए उचित सामाजिक व तकनीकी जानकारी और नीति का अभाव है। इन क्षेत्रों के महानगरों की जनसंख्या अत्यन्त तीव्रगति से बढ़ रही है। कलकत्ता, बम्बई, दिल्ली आदि महानगरों की जनसंख्या एक करोड़ पार कर चुकी है। ढाका और कराची की जनसंख्या भी 90 लाख के आस-पास है। शहरों की

ओर बढ़ते प्रवास की इस प्रवृत्ति से आवास, स्वास्थ्य, महामारियों की समस्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। इस क्षेत्र में दक्षेस देश मिलकर कुछ ऐसे ग्रामीण विकास कार्यक्रम विकसित कर सकते हैं और गाँव में सामाजिक कल्याण के कार्यक्रमों की योजनायें चलायी जा सकती हैं, जिनसे इस अनुचित प्रवास को रोका जा सकता है।”¹

10-11 अप्रैल 1993 को ढाका में दक्षेस सम्मेलन सम्पन्न हुआ जिसमें सबसे प्रमुख मुद्दा साप्टा रहा अर्थात् दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौता। इस शिखर सम्मेलन में 'साप्टा' को आम सहमति के आधार पर गठित किया गया। 2 नवम्बर 1992 को दक्षेस देशों की आर्थिक सहयोग समिति की बैठक में साप्टा के गठन के लिए उससे सम्बन्धित सभी आवश्यक और महत्वपूर्ण बातों पर विचार किया गया। भारत इस क्षेत्र में एक मुक्त व्यापार क्षेत्र अथवा सीमा संघ बनाने को इच्छुक था, लेकिन पाकिस्तान इस बात पर सहमत नहीं हुआ। पाकिस्तान यह सोच रहा था कि भारत विकसित, औद्योगिक व तकनीकी क्षेत्र के कारण अन्य सभी देशों पर हावी हो सकता है। इसी कारण से पाकिस्तान ने यह सुझाव दिया कि पहले आपस में प्राथमिकता के आधार पर व्यापार बढ़ाने की आवश्यकता है। इस समय दक्षेस देशों का सम्पूर्ण विश्व के व्यापार में 2.2% व्यापार का अंशदान है। इन देशों में आन्तरिक व्यापार की मात्रा और भी कम है। अन्य दक्षेस देशों का भारत का निर्यात इसके कुल निर्यातों का मात्र 3% है। सबसे पहले इन सभी देशों में आपस में व्यापार की मात्रा को बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए, जिसके लिए शुल्कों और तटकरों में विशेष रियायतों की व्यवस्था होनी चाहिए। शुल्कों की रियायत प्रदान करने कि लिये वस्तुओं की एक सूची तैयार की जानी चाहिये।

- (अ) वे वस्तुयें, जिनमें तटकरों और प्रशुल्कों में रियायतें प्रदान की जाय ।
- (ब) वे वस्तुयें, जिनमें तटकर और प्रशुल्क पूर्णतया समाप्त कर दिया जाय ।
- (स) वे वस्तुयें, जिनमें निर्यातों के लिए एक निश्चित रूपरेखा तैयार की जाय।

पाकिस्तान के विरोध के कारण साप्टा की सहमति के पश्चात भी इसका क्रियान्वयन टाल दिया गया। वास्तव में इस क्षेत्रीय घटक में कोई भी महत्वाकांक्षी समझौता होना सम्भव नहीं हो पा

रहा है, कुछ तो आर्थिक कारणों से तथा कुछ अधिकांश देश प्रतिकूल भुगतान सन्तुलन की समस्या से ग्रस्त हैं और मुख्य रूप से राजनीतिक कारणों से ये देश संप्रभुता और आर्थिक नीतियों के निर्माण के दृष्टिकोण से बहुत भावुक हैं। छोटी-छोटी बातों पर इन देशों में राजनीतिक विद्रोह की स्थिति पैदा हो जाती है। इसलिए इन क्षेत्रों में औद्योगिक सहकारिता के और व्यापार सहकारिता की कम महत्वाकांक्षी योजनायें ही सफल हो सकती हैं। जैसे- संयुक्त उपक्रम, सूचनाओं का आदान-प्रदान, क्षेत्रीय स्तर पर तकनीकी स्थान्तरण, संयुक्त शोध और विकास कार्यक्रम, संयुक्त विनियोजन केन्द्र और भुगतान समझौते। इस क्षेत्र में काफी कार्य हुआ है और भविष्य में हो भी सकता है।

ढाका शिखर सम्मेलन में साप्ता के लागू करने के लिये एक निश्चित समयबद्ध रूपरेखा तैयार की गई है जिसके अन्तर्गत दिसम्बर 1995 तक सभी देशों को प्राथमिकता के आधार पर रियायती व्यापार के लिए वस्तुओं की पहचान पूर्ण कर लेना है। प्रत्येक सदस्य देश अपने उद्देश्यों के निर्यात के लिए अपनी क्षमता और रियायतों के अलावा अन्य सदस्य देशों की व्यापार परिस्थितियों को भी ध्यान में रख सकते हैं। किसी सदस्य देश पर आयात के लिए दबाव नहीं डाला जाना चाहिये। प्रशुल्कों को यथा सम्भव समाप्त करने की कोशिश की जानी चाहिये तथा गैर-प्रशुल्क प्रबन्धों को भी समाप्त करने की कोशिश की जानी चाहिये जहाँ पर प्रशुल्क तथा गैर-प्रशुल्क प्रतिबन्ध पूरी तरह समाप्त नहीं किये जा सकते हैं। वहाँ पर यथा सम्भव प्रशुल्कों में छूट दी जानी चाहिये।

मालदीव, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश को आवश्यकतानुसार व्यापार में प्राथमिकतायें प्रदान की जानी चाहिये। ये प्राथमिकतायें कुछ वर्षों के लिए ही होनी चाहिये, जब तक ये राष्ट्र अन्य दक्षेस राष्ट्रों के समकक्ष नहीं हो जाते हैं। इन रियायतों और तकनीकी मदद की पहचान करने के लिए 1994 का वर्ष तय किया गया। दक्षेस देशों ने साप्ता को लागू करने के लिए 1995 का वर्ष तय किया। साप्ता समझौता इन देशों की अपनी-अपनी महत्वाकांक्षाओं के कारण वर्ष 1995 तक लागू हो जाये तो भी इसे सफल माना जाना चाहिए।

दक्षेस देश अभी तक एक आर्थिक गुट के रूप में विकसित नहीं हो पाये हैं। ये सभी देश एक प्रकार की समस्याओं से ग्रस्त हैं। उनके सामाजिक और आर्थिक पहलू एक ही प्रकार के हैं।

सांस्कृतिक एकता इस क्षेत्र को एक सूत्र में बांधने के लिए काफी है और भौगोलिक रूप से लंका और मालदीव को छोड़कर इनमें प्राकृतिक विभाजन की रेखा नहीं है। लेकिन आपसी मतभेदों और पूर्वाग्रहों के कारण इनमें महत्वपूर्ण सहयोग की संभावना नहीं दिखलाई पड़ती है। उदाहरणस्वरूप कोई भी देश किसी दूसरे देश के अन्दरूनी मामले में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसके बावजूद ढाका दक्षेस सम्मेलन में पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया ने अयोध्या कांड के मसले को उठाया जो भारत का आन्तरिक मामला है। दक्षेस देशों के चार्टर में द्विपक्षीय मामलों को उठाने की इजाजत नहीं है। वहीं पाकिस्तान हमेशा से दक्षेस में, कश्मीर में आत्मनिर्णय और जनमत संग्रह करवाने जैसी बातें हमेशा करता है। इस राजनीतिक विरोधाभास की दशा में आर्थिक सहयोग और सहकारिता का हो पाना असम्भव तो नहीं लेकिन कठिन अवश्य है। इस क्षेत्र में सहकारिता की सम्भावनायें अनन्त होने के बावजूद सफलता की संभावना क्षीण है ।

दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (दक्षेस) देशों के बीच आपसी व्यापार को अधिक खुला और सरल बनाने के लिहाज से मई 1997 के माले में हुई बैठक को महत्वपूर्ण माना जा सकता है। भारतीय विदेश व्यापार के लिए 12 से 14 मई 97 के तीन दिन ऐतिहासिक महत्व का बन सकता है जब दक्षेस देशों के बीच माल का मुक्त आवागमन शुरू होगा। दक्षेस देशों बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ भारत के व्यापार में बढ़ोत्तरी एक अहम पहलू है क्योंकि इन देशों के साथ व्यापार करने में भारतीय निर्यातकों को परिवहन लागत कम होगी जबकि यूरोपीय देशों के साथ व्यवसाय भारतीय इतिहास से जुड़ा हुआ है। वर्तमान में भारत का करीब 30 प्रतिशत व्यापार यूरोपीय संघ के 15 देशों के साथ होता है। जबकि दक्षेस देशों के साथ व्यापार मात्र तीन प्रतिशत ही है।

मई 1997 के माले शिखर सम्मेलन में लिये गये कुछ महत्वपूर्ण निर्णय इस प्रकार हैं -

- (i) दक्षिण एशिया को 2001 तक मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय लिया गया ।

तालिका 4.1: भारत का सार्क देशों से व्यापार

भारत का सार्क देशों से व्यापार का अवलोकन निम्न आकड़ों से किया जा सकता है -

निर्यात (करोड़ रुपये में)

देश	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
1-बांग्लादेश	547.44	798.62	1,029.03	1,349.31	2,024.13
2- श्रीलंका	234.90	429.44	718.30	903.23	1,151.08
3- पाकिस्तान	73.60	98.82	147.08	200.96	179.71
4- मालदीव	10.59	12.09	22.24	24.88	48.28
5- नेपाल	86.62	190.15	209.86	307.84	377.03
6- भूटान	3.91	2.95	6.28	31.10	34.83

आयात (करोड़ रुपये में)

देश	1990-91	1991-92	1992-93	1993-94	1994-95
1-बांग्लादेश	31.29	14.06	22.32	56.07	119.82
2-श्रीलंका	36.76	28.22	39.86	62.82	88.12
3-पाकिस्तान	84.49	141.28	375.51	136.68	165.61
4-मालदीव	0.33	0.06	0.28	1.02	0.73
5-नेपाल	27.07	47.07	56.18	90.68	114.89
6-भूटान	1.45	1.22	3.50	9.30	57.40

स्रोत :- मिनिस्ट्री आफ कामर्स, नार्दन इण्डिया पत्रिका, इलाहाबाद, 24-6-96

- (ii) समाज में महिलाओं और बच्चों से सम्बन्धित समस्याओं के समाधान पर अधिक जोर दिया गया। 2000-2010 के दशक को बच्चों के अधिकारों के दक्षेस दशक के रूप में मनाया जाएगा। दक्षेस महिलाओं और बच्चों के व्यापार को रोकने पर विशेष ध्यान देगा। दक्षेस के कार्यक्रमों में दूरवर्ती शिक्षा शामिल किया जायेगा। खुले विश्वविद्यालयों और दूरवर्ती शिक्षण संस्थानों को खुले विश्वविद्यालयों के संकाय के निर्माण की सम्भावनाओं के साथ क्षेत्र के बाहर प्रसार किया जायेगा।
- (iii) पर्यावरण के क्षेत्र से जुड़ी वायु और जल प्रदूषण के सामान्य न्यूनतम मानक विकसित करने, सीमा पर जैव विविधता संरक्षण और वनस्पति एवं जीव जन्तुओं के अवैध व्यापार को रोकने सम्बन्धी नियम तैयार करना। पर्यावरण की महत्ता को ध्यान में रखते हुए दक्षेस के पर्यावरण मन्त्री साल में एक बार बैठक किया करेंगे।
- (iv) दक्षेस के व्यावसायिक संगठनों और स्वैच्छिक समूहों के मध्य सहयोग संवर्धित करने के उद्देश्य से दक्षेस मान्यता प्राप्त निकायों की एक नयी श्रेणी के सृजन के बारे में सहमति हुई।
- (v) इस क्षेत्र में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा के लिए दक्षेस के वित्त और योजना मंत्रियों की तीसरी बैठक का शीघ्र आयोजन। इस वर्ष गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को तैयार करने और उनका क्रियान्वयन करने में लक्ष्य समूहों की भागीदारी पर विशेष ध्यान दिया जायेगा।
- (vi) 1997 दक्षेस सहभागी शासन वर्ष के रूप में नामित किया गया है।
- (vii) दक्षेस के दूरगामी कार्यक्रम तैयार करने के लिए एक विशेषज्ञ दल गठित करना।
- (viii) दक्षेस सचिवालय के माध्यम से उपक्षेत्रीय सहयोग बढ़ाना।

दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) के मई 97 शिखर सम्मेलन में इस क्षेत्र के सात राष्ट्राध्यक्षों और प्रधानमंत्रियों ने एक स्वर से यूरोपीय समुदाय की तरह आर्थिक सहयोग बढ़ाने, सन् दो हजार तक मुक्त व्यापार की सुविधाओं का लक्ष्य पूरा करने तथा गरीबी, अशिक्षा एवं पिछड़ापन दूर करने के लिए संयुक्त प्रयासों का संकल्प व्यक्त किया।

“मई 97 के माले बैठक में भारत के प्रधानमन्त्री श्री इन्द्र कुमार गुजराज ने कहा कि विभिन्न क्षेत्र पूरे विश्व में अपना यथोचित स्थान प्राप्त करने के लिए सतत प्रयत्नशील हैं। दक्षिण एशिया को भी अपनी विशिष्ट एवं गतिशील पहचान बनानी चाहिये। हमारे क्षेत्र की ऐसी परिणति स्वाभाविक है। शताब्दियों से हमारा इतिहास और संस्कृति एक रही है। कालान्तर में हमने विशिष्ट परिपूरक अर्थव्यवस्था कायम रखी थी। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपने दिलों में जानते हैं कि दक्षिण एशिया अपने आप में एक विशेष समुदाय है। यह एक बंधन है जो हमें इस क्षेत्रों की भावी अपार संभावनाओं को प्राप्त करने के लिए साथ रखेगा ।

सन् बीस सौ बीस दक्षिण एशिया क्षेत्र समग्र विकास का निर्धारण करके और उसे साकार करने के लिए विभिन्न चरण और नीतियाँ बनाने का निर्देश देकर यह नौवा शिखर सम्मेलन सुनहरे भविष्य की ओर यात्रा में मील का पत्थर बन सकता है। एशिया का भाग्य पहले ही उद्घोषित किया जा चुका है। अगली शताब्दी एशियाई शताब्दी होने की भविष्यवाणी की जा चुकी है। विश्व उत्पाद में एशिया का अंश जो 1820 से 60 प्रतिशत से घटकर 1950 में मात्र 20 प्रतिशत रह गया था। सन् बीस सौ बीस में दोबारा बढ़कर 60 प्रतिशत हो जायेगा। विश्व के श्रेष्ठतम अर्थवेत्ताओं ने एशिया को भविष्य का महाद्वीप की संज्ञा दी है। दक्षिण एशिया का यह विहंगम स्वरूप हम सिर्फ विश्वास, सतत सामूहिक प्रयास और प्रतिबद्ध राजनीतिक इच्छा शक्ति से ही प्राप्त कर सकते हैं ।

प्रधानमंत्री ने कहा कि विश्व में प्रगति और विकास के लिए आज दक्षिण एशिया को अपना यथोचित स्थान बनाना जरूरी है। ऐसा इस क्षेत्र को लोगों, यहाँ के उद्योगों, कौशल और कृतित्व के अनुरूप होना चाहिए। इस दिशा में हमें आपस में व्यापारिक प्राथमिकता देने के कार्यक्रम को तेज करते हुए न केवल शताब्दी अंत तक क्षेत्रीय मुक्त व्यापार के लक्ष्य को प्राप्त करना होगा बल्कि दक्षिण एशियाई आर्थिक समुदाय के गठन की भूमिका तैयार करनी होगी। दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार क्षेत्र के बारे में प्रधानमंत्री ने भारत की तरफ से वादा किया कि सीमा शुल्क घटाने के फलस्वरूप दक्षिण के सदस्य देशों के भारत को बढ़ने वाले निर्यात को सीमित रखने के लिए किसी तरह के प्रतिबंधात्मक कदम नहीं उठाए जायेंगे और अपील की शुल्कों में रियायत बढ़ाई जाएं और इस सूची में सभी वस्तुएं लाने की कोशिश की जाय। उन्होंने कहा कि भारत ने काफी हद

तक शुल्क तथा अन्य प्रकार के अवरोध हटा दिए हैं और भविष्य में भी यह प्रक्रिया जारी रखेगा। हमारी कोशिश है कि मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने की दिशा में बूंद की तरह शुरू हुए हमारे प्रयास बाढ़ का रूप धारण कर लें। इसके लिए व्यापक रूप से आयात-निर्यात शुल्क घटाने शुरू करने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि दक्षिण देशों का आर्थिक सहयोग अब आयात-निर्यात तक सीमित नहीं रहकर पूँजी निवेश प्रोत्साहन, प्रतिबंधात्मक नीतियों को समाप्त करने, दोहरी कर प्रणाली रद्द करने, उत्पादन मानकों में सुधार एवं समानता और व्यापारिक विवाद सुलझाने के तंत्र तक पहुँच गया है।¹

“भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग मंडल महासंघ (फिक्की) के अध्यक्ष श्री ए०एस० कासलीवाल ने कहा कि दक्षिण देशों में आपसी व्यापार बढ़ाने के बारे में भावनाएं तो अच्छी हैं लेकिन कोई ठोस प्रगति नहीं हो पाई है। दक्षिण व्यापार मात्र तीन प्रतिशत तक ही सीमित है जो यह सिद्ध करता है कि पिछले 4-5 वर्षों में हुई प्रगति की गति बहुत धीमी है। सदी के अंत तक 9-10 प्रतिशत के स्तर तक पहुँचने के लिए दक्षिण व्यापार की गति बढ़ानी होगी।

गैर-शुल्क कोटा प्रतिबंधों के कारण दक्षिण व्यापार को गति नहीं मिल पा रही है। सबसे बड़ा देश होने के नाते भारत का उन सामानों पर से गैर-शुल्क प्रतिबंध हटाने का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए जिन्हें प्राथमिकता देने पर पहले ही आम सहमति हो चुकी है। साथ ही मूल्यवर्धन नियमों की समीक्षा की आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान नियमों से दक्षिण देशों से प्राप्त सामानों के पुनर्निर्यात को प्रोत्साहन नहीं मिलता। मूल्यवर्धन नियमों में संशोधन किये जाने से मात्र दो वर्षों में दक्षिण व्यापार छह प्रतिशत तक जा सकता है जिससे सदी के अंत तक दस प्रतिशत का स्तर पाना सरल हो जाएगा।²

3- आसियान

द्वितीय विश्वयुद्ध समाप्त हो जाने के बाद पूरे विश्व में उथल-पुथल मच गयी। पूरा विश्व दो खेमों साम्यवाद तथा पूँजीवाद में बँट गया। संयुक्त राज्य अमेरिका तथा सोवियत संघ दोनों ही

1 हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, 13 मई 1997 पृ-11

2 हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, 14 मई 1997, पृ -9

दक्षिण -पूर्व एशिया के समूचे क्षेत्र को अपने प्रभाव में शामिल कराने के लिये उत्सुक हो गये। अन्तर्राष्ट्रीय राजनीति के अखाड़े में दक्षिण-पूर्व एशिया का समूचा क्षेत्र दोनों महाशक्तियों का केन्द्र बिन्दु बना रहा क्योंकि यह क्षेत्र जहाँ एक तरफ प्राकृतिक संपदा से परिपूर्ण था, वहीं पर दूसरी तरफ सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण रहा। उत्तर तथा दक्षिण दो राज्यों में वियतनाम का विभाजन होने से, लाओस, वर्मा, कंबोडिया आदि देशों में उग्रवादी एवं लोकतान्त्रिक शक्तियों के बीच संघर्ष तथा महाशक्तियों द्वारा अपनी नीतियाँ जबरजस्ती थोपने से व्याकुल होकर दक्षिण-पूर्वी एशिया के नये स्वतन्त्र राष्ट्रों ने आपस में संगठित होने का निश्चय किया।

यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सफलता से प्रभावित होकर दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों ने अपने आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने के लिए तथा क्षेत्र में स्थिरता लाने के उद्देश्य से एक समझौता किया। जिसकी परिणति आसियान संस्था के गठन के रूप में हुयी। आसियान एक क्षेत्रीय संगठन है, जिसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 में थाइलैंड राष्ट्र के बैंकाक शहर में यह समझौता सम्पन्न हुआ। इस समझौते पर ब्रूनेई, मलेशिया, सिंगापुर, इन्डोनेशिया, फिलीपीन्स और थाईलैण्ड देशों ने हस्ताक्षर किये। भौगोलिक दृष्टिकोण से ये सभी राष्ट्र आपस में एक दूसरे के बहुत करीब हैं, लेकिन आर्थिक शक्ति, जनसंख्या, राजनीतिक व्यवस्था तथा औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से ये सभी राष्ट्र एक दूसरे से काफी अलग हैं। इन देशों के बीच में जो आर्थिक समानता रही वह अल्प विकास, न्यूनतम प्रति व्यक्ति आय तथा उपभोग का स्तर, के रूप में रही ।

इन सभी देशों के आर्थिक विकास की अदम्य महत्वाकांक्षा ने इनके भिन्न - भिन्न व्यवस्थाओं के होने के बावजूद आर्थिक एकीकरण की प्रक्रिया को प्रारम्भ करने की प्रेरणा प्रदान किया और अन्त में 1967 में इन सभी देशों ने एक अलग गुट बनाने की घोषणा करके सम्पूर्ण विश्व को आश्चर्यचकित कर दिया। शुरुआती दौर में प्रत्येक राष्ट्र इस संगठन की सफलता को संदिग्ध रूप में देख रहे थे लेकिन 29 वर्षों के बाद आज यह संगठन पूरी सफलता के साथ आगे की ओर बढ़ रहा है। इन सभी राष्ट्रों की अलग-अलग तथा एक साथ दोनों ही तरह से आर्थिक विकास दर अन्य सभी दक्षिण एशिया के देशों से काफी ज्यादा है। इस संगठन की सफलता को देखते हुए आज एशिया का सर्वाधिक विकसित राष्ट्र जापान भी इसके साथ सहयोग कर रहा है और

इसकी सदस्यता प्राप्त करने के लिए भी प्रयत्न कर रहा है ।

संगठन

आसियान संगठन का संचालन कई उच्चस्तरीय बैठकों, सभाओं और सचिवालयों के माध्यम से किया जाता है ।

शीर्ष सभा

अत्यन्त महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिये इस बैठक को बुलाया जाता है। सदस्य देशों के सभी राष्ट्रध्यक्ष इस बैठक में भाग लेते हैं। इसकी बैठक समयबद्ध तरीके से नहीं हो पाती है। फरवरी 1976 में इन्डोनेशिया के बाली शहर में इसकी प्रथम बैठक सम्पन्न हुयी। उसके तुरन्त बाद शीघ्र ही अगस्त 1977 में मलेशिया की राजधानी क्वालांमपुर में दूसरी बैठक सम्पन्न हुयी। दस वर्ष के बाद दिसम्बर 1987 में फिलीपीन्स की राजधानी मनीला में तीसरी बैठक सम्पन्न हुयी। सामान्य तौर पर यह बैठक किन्हीं विशेष अवसर पर ही बुलायी जाती है। सामान्य कामकाज करने के लिये मन्त्रिस्तरीय बैठक ही शक्ति सम्पन्न होता है ।

आयोजन समिति

इस बैठक को प्रायः दो महीने में एक बार आयोजित किया जाता है। सामान्य तौर पर इसमें आयोजनकर्ता देश का विदेश मन्त्री तथा अन्य देशों के राजदूत शामिल होते हैं। कभी-कभी विदेश मन्त्री के स्थान पर वित्तमन्त्री शामिल हो जाते हैं। प्रत्येक देश में साल में एक बैठक आयोजित किया जाता है। सचिवालय से कोई मुद्दा उठाये जाने के बाद इस बैठक को उस पर विचार करने के लिये बुलायी जाती है ।

मन्त्रिस्तरीय सम्मेलन

आसियान के सदस्य देशों के विदेश मन्त्रियों की एक बैठक प्रतिवर्ष बुलायी जाती है। प्रत्येक देश इस सभा का आयोजन करता है। विदेश मन्त्रियों के अलावा वित्त मन्त्रियों की बैठक भी प्रति वर्ष आयोजित किया जाता है। विदेश मन्त्रियों की बैठक नीति से सम्बन्धित निर्णय लेने के लिये और सामान्य सद्भाव के कारण बुलायी जाती है। वित्तमन्त्री आपस में मिलकर आसियान के दिशा-निर्देश को तय करते हैं। मन्त्रिस्तरीय बैठक उन निर्णयों पर विचार करती है जो अन्य सहायक

समितियाँ इनके सामने प्रस्तुत करती हैं। जरूरत पड़ने पर अन्य मन्त्रियों की बैठक भी आयोजित की जाती है। अगर कोई मुद्दा नहीं है तो इस बैठक को सद्भाव के लिए ही आयोजित किया जाता है।

सचिवालय

1976 में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आसियान का मुख्य स्थायी सचिवालय स्थापित किया गया। इस सचिवालय का प्रमुख कार्य समन्वय व सहयोग करना है। प्रत्येक राष्ट्र की राजधानी में अलग-अलग सचिवालय है, जो समय-समय पर अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिवालय को भेजते हैं। मुख्य सचिवालय सभी रिपोर्टों को क्रमबद्ध करके उचित कार्यवाही करने हेतु आयोजन समिति को भेजती है। इस सचिवालय में एक महासचिव होता है जिसका कार्यकाल तीन वर्ष के लिए होता है। प्रमुख सचिव का चयन के लिये अंग्रेजी वर्णक्षरों के आधार पर देशों के नामों को रखा जाता है, फिर प्रत्येक देश क्रमशः अपने एक व्यक्ति का नाम प्रस्तुत करता है जो तीन वर्ष तक इस सचिवालय को देखता है।

सलाहकार समितियाँ

आर्थिक सहकारिता के दृष्टिकोण से आसियान ने पाँच सलाहकार समितियों का निर्माण किया है।

- (i) खनिज, धातु एवं ऊर्जा समिति
- (ii) कृषि, खाद्यान्न एवं वन्य सम्पत्ति समिति
- (iii) परिवहन एवं संचार समिति
- (iv) मुद्रा एवं बैंकिंग समिति
- (v) व्यापार एवं पर्यटन समिति

इसके अतिरिक्त तीन उपसमितियाँ हैं

- (अ) विज्ञान एवं तकनीक समिति
- (ब) संस्कृति एवं सूचना समिति
- (स) सामाजिक विकास समिति

उपरोक्त सभी समितियाँ अपने क्षेत्रों में सहयोग एवं सहकारिता के विभिन्न उपायों पर विचार एवं शोध कार्य करती हैं। सहायक संस्थाओं, सघटनों और कार्य समूहों द्वारा इन समितियों की मदद की जाती है। जब ये समितियाँ किसी निर्णय पर पहुँच जाती हैं, उसके बाद सचिवालय में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती हैं। बाद में उन निर्णयों पर विचार करके आवश्यक कार्यवाही की जाती है।

आसियान समूह ने विदेशों से अपने सम्बन्धों में सद्भाव एवं व्यापार बढ़ाने के लिये 10 विदेशी राजधानियों, आस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, जापान, न्यूजीलैण्ड, स्विट्जरलैण्ड, ब्रिटेन तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में अपना कार्यालय खोल रखा है। आसियान द्वारा इन कार्यालयों में राजदूत नियुक्त किये जाते हैं जो हमेशा इन देशों और संगठनों से सम्पर्क बनाये रखते हैं, जिसे आसियान का प्रवक्ता कहते हैं।

उद्देश्य एवं कार्य

1967 में आसियान घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के साथ ही आसियान की स्थापना हुयी। इस इस घोषणा -पत्र को "बैंकाक समझौता" के नाम से जाना जाता है। 1967 में पाँच देशों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किये थे। जनवरी 1984 में ब्रूनेई ने अपनी स्वतन्त्रता के तुरन्त बाद इस संगठन की सदस्यता प्राप्त कर ली तथा वियतनाम भी 1995 में आसियान का सदस्य बन गया। जिसके परिणामस्वरूप अब इसके सदस्य देशों की कुल संख्या 7 हो गई है। वर्ष 2000 तक दक्षिण पूर्व एशिया के तीन अन्य देशों कंबोडिया, लाओस तथा म्यांमार को भी सम्मिलित करने की योजना है।

बैंकाक समझौते के प्रमुख उद्देश्य

- (अ) आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग के अतिरिक्त तकनीकी, वैज्ञानिक और प्रशासनिक क्षेत्रों में आपसी सहयोग प्रदान करके विकास की ओर अग्रसर होना।
- (ब) क्षेत्रीय शान्ति, स्थिरता को कायम रखने का हर सम्भव प्रयत्न करना। इसका आधार कानून का राज्य है। सभी देशों को संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र का समुचित आदर करते हुये न्यायपूर्ण सिद्धान्तों का पालन करना।

- (स) इस क्षेत्र (दक्षिण पूर्व एशिया) में आर्थिक विकास की गति को बढ़ाना, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विरासत को कायम रखना। इन सभी के लिये सदस्य राष्ट्रों को मिल-जुलकर समानता और संप्रभुता अक्षुण्ण रखते हुये कार्य करना।
- (द) कृषि और उद्योग के क्षेत्र में नयी तकनीकों का आदान-प्रदान करना। व्यापार की मात्रा बढ़ाने के लिये सक्रिय प्रयास किया जाना। परिवहन तथा संचार साधनों के विकास के साथ-साथ आपसी सम्बन्ध को बढ़ाना। आर्थिक हस्तान्तरणों तथा सहयोग को बढ़ावा देना जिसके फलस्वरूप लोगों के जीवन स्तर व उपभोग स्तर में वृद्धि हो सके।
- (य) अन्य देशों तथा संगठनों के साथ जो विश्व में शान्ति, न्याय व्यवस्था तथा आर्थिक विकास में विश्वास रखते हैं, उनके सम्बन्धों में लगातार वृद्धि किया जाना।

उपरोक्त उद्देश्यों के अतिरिक्त राजनीतिक संगठन होने के कारण आसियान में कुछ सैन्य समझौता किया गया। 1967 में आर्थिक दृष्टिकोण से यह समझौता किया गया। 1976 में आसियान की प्रथम शीर्ष बैठक सम्पन्न हुयी। इसके बाद आम सहमति के आधार पर तीन विशिष्ट क्षेत्रों में हस्ताक्षर किये गये।

(अ) आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक व राजनीतिक क्षेत्रों में विशिष्ट कार्यक्रम

इन सभी का सदस्यता के लिये पालन करना अनिवार्य शर्त है, राजनीतिक स्थिरता, शान्ति क्षेत्र की स्थापना, सामाजिक न्याय, और जीवन स्तर में सुधार के आवश्यक उपाय प्रत्येक राष्ट्र को मानना अनिवार्य है। प्राकृतिक विपदाओं के समय आवश्यक सहयोग, आर्थिक विकास करने हेतु संसाधन उपलब्ध कराने में प्राथमिकता सम्बन्धी निर्देश देना।

(ब) शान्ति और सहकारिता

इसके अन्तर्गत एक ऐसा अनुच्छेद बनाया गया जिनमें एक दूसरे की स्वतन्त्रता व संप्रभुता कायम रखने, एक दूसरे के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना, सभी विवादों का शान्तिपूर्ण निपटारा करना और एक दूसरे पर आक्रमण न करने का वायदा सभी पाँच राष्ट्रों ने किया।

(स) व्यापारिक सहयोग

सभी सदस्य देश आपस में एक दूसरे को विशिष्ट प्राथमिकतायें प्रदान करते हैं जिसके अन्तर्गत

1976 में 71 वस्तुओं का चुनाव किया गया जिनमें एक दूसरे को तटकर की विशेष छूट प्रदान की गयी। 1 जनवरी 1978 को वस्तुओं और तटकर की दरों के बारे में वास्तविक निर्णय लिये गये, उसके फलस्वरूप इस प्रकार की वस्तुओं की सूची निरन्तर बढ़ रही है, जिसके अन्तर्गत आपस में व्यापार बढ़ाने के दृष्टिकोण से तटकरों तथा अन्य व्यापार प्रतिबन्धों पर विशेष छूट प्रदान करते हैं। 1992 में लगभग 19,000 वस्तुएं इस प्रकार की रही जिसमें सभी देश आपस में 20 से 30% तक तटकर पर छूटें प्रदान कर रहे हैं। आसियान देशों के आन्तरिक व्यापार के केवल 5% क्षेत्र को ही तटकर छूटें हासिल हैं। इन देशों की निर्यात-आयात व्यापार की अधिकांशतः मुख्य वस्तुयें 'अपवर्जन सूची' के अन्तर्गत आती हैं। दिसम्बर 1987 में एक शीर्ष सम्मेलन में यह पारित किया गया कि अपवर्जन सूची के अन्तर्गत कुल निर्यात वस्तुओं के 10% से अधिक 50% मूल्य से अधिक नहीं होना चाहिये। सूची में कमी लाने के लिए इंडोनेशिया और फिलीपीन्स को सात वर्ष तथा अन्य देशों को पाँच वर्ष का समय दिया गया है।

मनीला में अगस्त 1986 में आसियान देशों के आर्थिक सलाहकारों व वित्त मन्त्रियों की बैठक हुई, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि सन् 2000 तक आसियान के आन्तरिक व्यापार को पूर्ण तथा तटकर से मुक्त कर दिया जाना चाहिये और इस क्षेत्र को यूरोपीय साझा बाजार के आधार पर दक्षिण पूर्व एशियाई साझा बाजार बना दिया जाना चाहिये। लेकिन इन्डोनेशिया, मलेशिया, थाईलैण्ड तथा फिलीपीन्स ने इसका कड़ा विरोध किया जिसके दो प्रमुख कारण रहे। पहला - ये सभी देश एक ही प्रकार की वस्तुओं का निर्यात करते हैं, तथा दूसरा इनकी तटकर दरों में काफी अन्तर है।

थाईलैण्ड और फिलीपीन्स में आयात पर लगने वाली तटकर की दरें काफी ऊँची हैं और प्रत्येक वस्तु पर आयात कर लगाया जाता है। सिंगापुर और ब्रुनेई में तटकर नगण्य है जो मलेशिया और इन्डोनेशिया दोनों के बीच की स्थिति में है। थाईलैण्ड और फिलीपीन्स के लिये शुरू के वर्षों में ऐसी परिस्थिति में तटकरों को समाप्त करना काफी घातक है जो इस प्रकार से इन देशों में आन्तरिक व्यापार बढ़ सकता है लेकिन सिंगापुर और ब्रुनेई दोनों के निर्यात काफी मात्रा में बढ़ सकता है, वहीं इनके आयातों के परिमाण पर कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि फिलीपीन्स और

थाइलैण्ड के लिये इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, जिसमें उनके आयात बढ़ सकते हैं तथा निर्यात स्थिर रह सकते हैं। मलेशिया व इन्डोनेशिया को भी अधिक लाभ होने की आशा नहीं रही, इसी कारण से आसियान के मुक्त व्यापार क्षेत्र बनने की सम्भावना नहीं है ।

आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र नहीं है, न ही यह सीमा संघ है। आसियान देश आपस में व्यापार भी बहुत कम करते हैं। इनका आन्तरिक व्यापार इनके विश्व व्यापार का 10% से भी कम है। वास्तव में ये सारे देश एक ऐसी वस्तुओं का निर्माण करते हैं, न कि पूरक वस्तुओं का। ऐसी स्थिति में जब एक राष्ट्र का उद्योग दूसरे राष्ट्र के उद्योग को प्रतियोगिता से बाहर कर देता है तभी व्यापार की संभावनाएँ उत्पन्न हो सकती हैं। ऐसा करने पर प्रतिद्वन्द्विता भड़कती है और राष्ट्रों के सम्बन्ध बिगड़ते हैं, इसलिये इन देशों ने जानबूझ कर आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने की कोशिश नहीं की बल्कि जब कभी ऐसा प्रयास किया गया तो इनका विरोध किया गया, आपस में ये सभी देश उन्हीं वस्तुओं के व्यापार को बढ़ाने की कोशिश करते हैं जो दूसरे देश में उत्पादित नहीं होती हैं। इनका मुख्य उद्देश्य संगठित होकर सौदेबाजी में अपनी शक्ति बढ़ाना है। भविष्य में इसको आर्थिक गुट के रूप में ही कार्य करते रहने की सम्भावना है ।

आसियान के अन्य अवयव

कृषि क्षेत्र

1981 में शोध प्रशिक्षण तथा क्षेत्रीय आयोजन के मुख्य उद्देश्य को लेकर आसियान ने कृषि विकास एवं आयोजन केन्द्र की स्थापना की है। अक्टूबर 1983 में एक मत्स्य निगम की स्थापना का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया है तथा आसियान वानिकी कांग्रेस की स्थापना भी अक्टूबर 1983 में ही की गयी है, जिसका प्रमुख उद्देश्य वन संरक्षण तथा इमारती लकड़ी के निर्यात प्रोत्साहन करना है। 1988 में आसियान ने वित्त के क्षेत्र में भी एक इन्व्हेस्टमेन्ट निगम की स्थापना की है। 1983 में ऊर्जा संकट को ध्यान में रखते हुए ऊर्जा सहकारिता के सन्दर्भ में एक समिति गठित की जिसके अन्तर्गत कोयला विकास, पेट्रोल का बंटवारा और 9 सहकारी पेट्रोल शोधन परियोजनाओं पर कार्य किया गया तथा आकस्मिक आवश्यकता पड़ने पर आपस में पेट्रोल बाँटने पर आम सहमति हुयी। परिवहन और संचार समिति की सिफारिश करने पर पान बोर्नियों राजमार्ग का विकास किया

गया जो ब्रूनेई को इंडोनेशिया तथा मलेशिया से जोड़ता है। इस समिति ने जहाजरानी के प्रसार और समन्वय के सम्बन्ध में कई प्रकार के सुझाव प्रदान किये हैं। तकनीकी शोध, शिक्षा, सामाजिक विकास, पर्यटन व सांस्कृतिक केन्द्रों के सम्बन्ध में आसियान ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आसियान संस्था नियमित रूप से निम्न प्रकाशन करती है।

- (i) विज्ञान और तकनीकी जर्नल (वर्ष में दो बार)
- (ii) आयोजन समिति की वार्षिक रिपोर्ट
- (iii) विभिन्न सूचनाएँ समय-समय पर
- (iv) आसियान समाचार -पत्र (द्वैमासिक)

उद्योग समझौते

1976 में आसियान की मन्त्रिस्तरीय बैठक में आसियान के औद्योगीकरण के लिए सुझाव दिया गया कि प्रत्येक देश में एक मध्यम आकार की औद्योगिक इकाई अलग-अलग लगायी जाय, जिसकी पूँजी को 60% लगाने वाले देश तथा 40% अन्य देश को लगाना है। इसके अन्तर्गत डीजल इंजन की इकाई सिंगापुर में, यूरिया और अन्य रासायनिक खादों की इंडोनेशिया तथा मलेशिया में, सुपर फासफेट की फिलीपीन्स तथा सोडा ऐश की इकाई थाईलैण्ड में लगायी जाय। 1985 में मलेशिया, इंडोनेशिया वाली इकाईयों ने अपना काम करना शुरू किया, बाकी किन्हीं कारणों से स्थगित हो गयी। 1983 में आसियान का औद्योगिक संयुक्त उपक्रम कार्यक्रम का प्रस्ताव रखा गया।

वर्तमान में आसियान

23-24 जुलाई 1993 को आसियान की 26 वीं द्विदिवसीय मन्त्रिस्तरीय बैठक में आसियान देशों की विदेश व्यापार बढ़ाये जाने के लिए काफी निर्णय लिया गया। आसियान देशों को यह पूर्ण विश्वास है कि अगर चीन से उचित व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित हो जाता है तो प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का व्यापार 1 से 1.5% तक बढ़ जाने की संभावना है। भारत के साथ क्षेत्रवार विचार-विमर्श की जो एक नई प्रक्रिया शुरू की गयी है, वह न केवल आसियान के भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि आसियान के अन्य देशों से किस प्रकार का सम्बन्ध होना चाहिए, इसके लिये भी प्रेरणादायक है।

आसियान देशों ने अन्य व्यापारिक सहयोगियों को भी बैठक में आमंत्रित किया जिनमें जापान, कनाडा, यूरोपीय समुदाय, दक्षिण कोरिया, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड और सयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिनिधि शामिल हुए। इंडोनेशिया के विदेश मंत्री ने अपनी व्यापारिक नीति को अधिक स्पष्ट करते हुए कहा कि वह दुनिया के प्रत्येक देश से आर्थिक, व्यापारिक, सामाजिक सम्बन्धों को बढ़ाना पसन्द करते हैं लेकिन उनका पूर्ण विश्वास है कि नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था में दक्षिण-दक्षिण सहयोग के बढ़ाने की अत्यधिक आवश्यकता है और आसियान इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सबसे ज्यादा महत्व प्रदान कर सकता है।

आसियान क्षेत्रीय फोरम

30 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित आसियान की कुल जनसंख्या लगभग 34 करोड़ है, जो भौगोलिक, सामरिक, आर्थिक आदि सभी दृष्टियों से विश्व का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। प्रशांत और हिंद महासागर के संधि स्थल पर स्थित होने के कारण सामरिक दृष्टि से यह क्षेत्र विशेष महत्व का है।

“आसियान क्षेत्रीय फोरम औपचारिक रूप से 24 जुलाई, 1994 को बैंकाक में कायम किया गया जिसमें आसियान के 6 सदस्य देश ब्रुनेई, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन्स, सिंगापुर और थाईलैण्ड के साथ सलाहकार और परामर्श साझीदार के रूप में अमेरिका, कनाडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैण्ड, यूरोपीय समुदाय, जापान तथा दक्षिण कोरिया सम्मिलित हुए। 28 जुलाई 1995 को आसियान ने वियतनाम को भी अपनी सदस्यता प्रदान कर दी है। इस प्रकार आसियान के सदस्य देशों की कुल संख्या 7 हो गई है जबकि दक्षिण-पूर्व एशिया के शेष तीन देशों - कम्बोडिया, लाओस और म्यांमार को वर्ष 2000 तक इसमें शामिल करने की योजना है। प्रत्येक सदस्य देश की राजधानी में एक राष्ट्रीय आसियान सचिवालय होता है, जिसका प्रमुख एक सचिव होता है तथा आसियान का केन्द्रीय सचिवालय इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में स्थित है।”¹

“भौगोलिक, सामरिक, आर्थिक आदि सभी दृष्टियों से महत्वपूर्ण इस क्षेत्र का आर्थिक संगठन

1 क्रानिकल, मई, 1996 क्रानिकल पब्लिकेशन्स प्रा०लि०, 208 शिवलोक हाउस -1 नई दिल्ली -110015 पृ० - 102

तेजी से आगे बढ़ता जा रहा है। आसियान का सदस्य देश 'सिंगापुर' तो विश्व के विकसित देशों में सम्मिलित हो गया है। जिसके परिणामस्वरूप अन्य देशों का भी इस संगठन के प्रति आकर्षण बढ़ता जा रहा है। भारत भी इसी श्रेणी में आता है। वह आसियान की सदस्यता ग्रहण करना चाहता है। हाल ही में आसियान द्वारा भारत को आसियान के सम्मेलनों एवं बैठकों में पूर्ण-वार्ता सहभागी बनाये जाने की घोषणा से इस दिशा में एक उपयुक्त कदम कहा जा सकता है। आसियान के साथ भारत का सहयोग संबंध कायम हो जाने से दोनों पक्ष एक-दूसरे के विभिन्न क्षेत्रों, उद्योग, व्यापार के अनुभवों से लाभान्वित हो सकते हैं तथा साथ ही आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में परस्पर सहयोग का मार्ग भी प्रशस्त हो सकता है। जहाँ एक तरफ भारत को दक्षिण-पूर्व एशिया में विस्तृत बाजार उपलब्ध हो सकता है, वहीं पर दूसरी तरफ आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रिया के चलते पारस्परिक सहयोग में वृद्धि भी हो सकती है।¹

आसियान के देशों का दो दिवसीय शिखर सम्मेलन 15 दिसम्बर 1995 को थाईलैण्ड की राजधानी बैंकाक में सम्पन्न हुआ। इस सम्मेलन में सभी सदस्य देशों ने 'मुक्त व्यापार क्षेत्र' की स्थापना में तेजी लाने पर विशेष जोर दिया। मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना के लिए सन 2003 तक का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन आसियान देश चाहते हैं कि इसकी शुरुआत निर्धारित वर्ष से पहले ही हो जाय। मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना का प्रस्ताव सबसे पहले 1992 में रखा गया। उस समय आसियान ने इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए 15 वर्ष का समय रखा था, लेकिन भारत एवं चीन जैसी तेजी से उभरने वाली अर्थव्यवस्था तथा दूसरे व्यापार गुटों की चुनौती का मुकाबला करने के लिए लक्ष्य में कटौती कर दी गयी। 'बैंकाक घोषणा' के अनुसार मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना की दिशा में पहला कदम के रूप में 1 जनवरी 1996 तक गैर - व्यापारिक अवरोध हटा दिया जायेगा।

आसियान और भारत

आसियान दक्षिण पूर्व एशियाई देशों का संगठन है और भारत दक्षिण एशिया का सर्वाधिक

1 क्रानिकल, मार्च 1996 क्रानिकल पब्लिकेशन्स प्रा०लि०, 208 शिवलोक हाउस -1 नई दिल्ली - 110015
पृ० -11

महत्वपूर्ण देश है। आसियान देश शुरु से ही भारत के काफी घनिष्ठ रहे हैं। भारत के लिए आसियान की सदस्यता और नेतृत्व करने के बारे में लगातार अटकलें लगायी जाती रहीं, लेकिन भारत आसियान को सहयोगी मित्र मानने के बावजूद भी सदस्य बनने का इच्छुक नहीं रहा, यद्यपि यह क्षेत्र भारत के भौगोलिक दृष्टि से काफी निकट है। सिंगापुर के अतिरिक्त अन्य सभी देश पूँजी और तकनीक में पिछड़े हैं, इसलिये भारत के औद्योगिक सामानों का यह क्षेत्र अच्छा ग्राहक हो सकता था। भारत इन देशों को औद्योगिक प्रशिक्षण, औद्योगिक इकाइयों की स्थापना तथा संयुक्त निवेश कार्यक्रमों में बड़ी मदद कर सकता था लेकिन फिर भी भारत ने इस संगठन की सदस्यता ग्रहण करने की कोशिश नहीं की। यदि भारत सदस्यता के लिये प्रयास करता तो सदस्यता के साथ-साथ नेतृत्व तो भारत को अपने आप ही मिल जाता। फरवरी 1976 में बाली सभा में भारत ने आसियान के प्रस्तावों (शान्ति क्षेत्र, स्वतन्त्रता तथा हस्तक्षेपरहित संप्रभुता, समता) का न केवल स्वागत किया है, बल्कि उसे पूरा करने का वायदा भी किया है।

राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत का आसियान देशों के साथ हमेशा निकट का सम्बन्ध रहा है लेकिन सहकारिता और व्यापार के दृष्टिकोण से भारत का सम्बन्ध आसियान देशों से कोई बहुत अधिक नहीं रहा है। वियतनाम युद्ध के दौरान भारत हमेशा से आसियान देशों के हितों का ख्याल करने की अपील करता रहा है। सितम्बर 1983 में आसियान देशों की कम्पूचिया स्वतन्त्रता अपील पर भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में आसियान देशों का साथ दिया।

“वर्तमान समय में भारत आसियान की सदस्यता ग्रहण करने के लिए काफी उत्सुक है, लेकिन निकट भविष्य में भारत की इच्छा पूर्ति हो पायेगी, ऐसा नहीं लगता। लेकिन हाल ही में आसियान के सदस्य देशों द्वारा लिये गये एक निर्णय को इस दिशा में बढ़ाया गया एक कदम माना जा सकता है कि भारत को आसियान के सम्मेलनों एवं बैठकों में ‘पूर्ण -वार्ता सहभागी’ बनाया जायेगा। भारत के लिए आसियान की सदस्यता आर्थिक एवं सामरिक दोनों दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। भारत की समुद्री सीमा मलक्का जलडमरूमध्य तक फैला हुआ है, जिसे पश्चिम और पूर्वी एशिया की आर्थिक शक्तियों (चीन, जापान, दक्षिण कोरिया आदि) के बीच व्यापार की जीवन रेखा कहा जा सकता है। आसियान के सदस्य देशों ने आर्थिक क्षेत्र में काफी प्रगति की है। इनमें से सिंगापुर

तो अब विश्व के विकसित देशों में शामिल हो गया है।¹

भारत का आसियान के लगभग सभी देशों के साथ अच्छा व्यावहारिक और मैत्री संबंध है तथा इनमें से कुछ देशों ने भारत में अपने संयुक्त उद्यम भी स्थापित किये हैं। आर्थिक उदरीकरण के बाद से थाईलैण्ड, मलेशिया, और सिंगापुर ने भारत के साथ अपने व्यापारिक संबंधों में वृद्धि भी की है।

वर्तमान में सदस्य देशों ने भारत को आसियान के साथ औपचारिक बात-चीत के भागीदार बनने पर बल दिया है। पूर्ण रूप से भागीदारी के लिए समूह के सदस्य बनने में सहायक सिद्ध हो सकता है। व्यापार विस्तार की दृष्टिकोण से आसियान की सदस्यता प्राप्त करना भारत के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरे एक दशक से दक्षिण पूर्व एशिया की वृद्धि दर दो अंकों में रही है तथा अगले शताब्दी के प्रारम्भ तक विश्व व्यापार में आधा भागीदारी इन देशों की हो जाने की संभावना है। "भारत आकार में किसी भी एशियाई देश से बड़ा है लेकिन भारत में प्रति व्यक्ति आय इन देशों की तुलना में बहुत ही कम है। आसियान के सर्वाधिक धनी देश सिंगापुर में प्रति व्यक्ति आय 19,850 अमेरिकी डालर है जो भारत के प्रति व्यक्ति आय 300 अमेरिकी डालर से, छयासठ गुना अधिक है। अगर फिलीपींस को अपवाद में रखा जाता है तो भारत में जी० डी०पी० की वृद्धि दर भी आसियान देशों की तुलना में बहुत कम है। आसियान देशों की तुलना में भारत कम औद्योगिकीकृत देश है।"² आसियान देशों को वाह्य क्षेत्र से अधिक आय होता है। वर्ष 1993 में सिंगापुर में जी०डी०पी० का 169 प्रतिशत भाग निर्यात द्वारा पूरा किया गया, जबकि भारत का वर्ष 1993 में मात्र 11 प्रतिशत ही रहा।

मशीनरी तथा यातायात उपकरणों का आयात आसियान के देशों में कुल आयात का 32 प्रतिशत भाग पूरा करता है तथा भारत में यह मात्र 14 प्रतिशत है। हाल के वर्षों में भारत में इस क्षेत्र में आयात में कमी आयी है। आसियान के देश इंडोनेशिया को छोड़कर अन्य सदस्य देश

1 क्रानिकल, मार्च 1996 क्रानिकल पब्लिकेशन्स प्रा०लि०, 208 शिव लोक हाउस -1नई दिल्ली -110015 पृ० - 11

2 प्रतियोगिता सम्राट - नवंबर 1995, दीवान पब्लिकेशन्स प्रा०लि०, कमर्शियल काम्प्लेक्स, नई दिल्ली -110015 पृ० -29

मशीनरी तथा यातायात उपकरणों का निर्यात भी भारत से अधिक करते हैं। फिर भी भारत इस क्षेत्र में आसियान के देशों के साथ सहयोग स्थापित कर सकता है। मशीनरी के क्षेत्र में भारत ने हाल के वर्षों में उल्लेखनीय प्रगति की है। आसियान देशों के विपरीत भारत ईंधन का बहुत बड़ा आयातक देश है, लेकिन फिर भी ऊर्जा का भारत में प्रति व्यक्ति उपभोग आसियान के देशों की तुलना में कम है। भारत को ऊर्जा प्रबन्धन के क्षेत्र में आसियान के देशों से बहुत कुछ सीखना चाहिये। भारत की दृष्टि से यह सहयोग का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र हो सकता है।

भारत उन गिने- चुने विकासशील देशों में से एक है जिसका औद्योगिक ढांचा बहुत ही बड़ा है। औद्योगिक वस्तुओं के निर्यात से यह स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। वस्त्र, चमड़े की वस्तुओं तथा आभूषण निर्यात के क्षेत्र में भारत का अभी भी प्रभुत्व बरकरार है। उचित दबाव तथा नीतियों में सुधार के द्वारा भारत आसियान के देशों के साथ व्यापार संबंध और सहयोग स्थापित कर सकता है।

आसियान के देशों से सहयोग स्थापित करने के लिए भारत को निम्नलिखित दिशाओं में प्रयास करना चाहिये -

- (i) सबसे पहले मुद्रास्फीति पर भारत को नियंत्रण रखना चाहिये। वर्ष 1980 से 1993 के बीच भारत में मुद्रास्फीति प्रतिवर्ष 8.7 प्रतिशत के करीब रही है। आसियान देशों की मुद्रास्फीति 2.2 तथा 2.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की तुलना में यह बहुत अधिक है। मूल्य में स्थायित्व तथा कम मुद्रास्फीति निर्यातकों को आगे पहुँचा देता है।
- (ii) औद्योगिक मजदूरी की दर आसियान के देशों में भारत की तुलना में अधिक तेजी से बढ़ रही है। यह भारत को आसियान के देशों के साथ संयुक्त उद्यम लगाने के लिए उचित अवसर प्रदान करता है।
- (iii) अंतः संरचना सुविधाओं के क्षेत्र में भी भारत आसियान के देशों की तुलना में बहुत पीछे है। बिजली, यातायात तथा दूरसंचार के क्षेत्र में भारत आसियान के देशों की तुलना में पीछे है। 1992 में भारत में दूरभाष की सुविधा प्रति हजार व्यक्ति 8 को उपलब्ध थी, जबकि ये सुविधा सिंगापुर में प्रति हजार व्यक्ति 415, मलेशिया में प्रति हजार व्यक्ति

112 तथा थाइलैण्ड में 31 था।

भारत में सीमा शुल्क संबंधी प्रतिबंध भी आसियान देशों की तुलना में अधिक है। इसके अतिरिक्त भारत को व्यापार संबंधी जटिलताओं को भी कम करना चाहिये। आसियान के साथ भारत का सहयोग संबंध कायम होने से इन देशों के बीच आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में परस्पर सहयोग का जहाँ मार्ग प्रशस्त हो सकता है, वहीं दोनों ही पक्ष एक-दूसरे के साथ उद्योग तथा व्यापार के क्षेत्र में अपने अनुभवों के आदान-प्रदान से लाभान्वित भी हो सकता है। इतना ही नहीं, भारत को उसके अत्यंत समीप दक्षिण -पूर्व एशिया में एक उन्नत विस्तृत बाजार उपलब्ध हो सकता है, जहाँ पर निश्चित ही भारतीय उत्पादों की पर्याप्त मांग हो सकती है।

4- नाफ्टा

12 अगस्त 1992 को जब संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको तीनों ने मिलकर उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप के लिए एक मुक्त व्यापार क्षेत्र घोषित करने की घोषणा की, तो उस समय विश्व के आर्थिक समुदाय ने इसको एक नया गुट स्वीकार करते हुए इसके प्रभावों का विश्लेषण और लेखा-जोखा तैयार करना शुरू कर दिया तथा बाद में इसी गुट का नाम नाफ्टा रखा गया ।

नाफ्टा (नार्थ अमेरिकन फ्रीट्रेड एग्रीमेन्ट) अथवा उत्तर अमेरिकी मुक्त व्यापार समझौता संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको का संगठन है, जो 17 नवम्बर 1993 को अमेरिकी संसद द्वारा अनुमोदन के बाद 1 जनवरी, 1994 से पूर्ण अस्तित्व में आ गया है। यूरोपीय समुदाय की तरह इस व्यापार समूह को भी अपने सदस्य देशों के बीच शुल्क निर्धारण करना तथा उनके अन्य व्यावसायिक हितों की देख- रेख करना पड़ता है। नाफ्टा के पूरे क्षेत्र की जनसंख्या 37 करोड़ है तथा इसका सकल घरेलू उत्पाद 6 खरब 8 अरब डालर के बराबर है। इसकी जनसंख्या अटलांटिक क्षेत्र के यूरोपीय संघ के देशों की जनसंख्या से 2 करोड़ अधिक है। इस प्रकार यह आबादी की दृष्टि से यूरोपीय समुदाय से भी बड़ा है तथा अब विश्व का सबसे बड़ा मुक्त व्यापार क्षेत्र बन गया है ।

रूसी गणराज्य के विघटन हो जाने के पश्चात् कनाडा विश्व का भौगोलिक दृष्टि से सबसे

बड़ा राष्ट्र बन गया है और अमेरिका दूसरे स्थान पर है। दोनों राष्ट्र काफी विकसित अवस्था में हैं और खाद्यान्नों का 60% इन्हीं देशों से निर्यात होता है। औद्योगिक दृष्टिकोण से प्रति व्यक्ति आय एवं उपभोग की दृष्टि से ये राष्ट्र काफी विकसित हैं। मैक्सिको के जुड़ जाने से अमेरिकी कनाडा सन्धि पर कोई बहुत प्रभाव नहीं पड़ता है। मैक्सिको की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका और कनाडा की प्रति व्यक्ति आय से काफी कम है और मैक्सिको का विश्व व्यापार अमेरिका और कनाडा से व्यापार में काफी कम है। मैक्सिको कनाडा से 2.2 बिलियन डालर की वस्तुओं का आयात तथा 0.5 बिलियन डालर की वस्तुओं का निर्यात करता है। इसके विपरीत कनाडा अमेरिका से 91 बिलियन अमेरिकी डालर की वस्तुओं का आयात और 85 बिलियन डालर की वस्तुओं का निर्यात करता है। अमेरिका के कुल आयात का 6.1% सामान मैक्सिको से आता है और अमेरिका के कुल निर्यात में 7.2% सामानों का निर्यात मैक्सिको को होता है।

वर्तमान परिस्थिति में क्षेत्रीय गुट काफी महत्वपूर्ण हो गया है। इस गुट में शामिल सभी देशों में आर्थिक असमानता बहुत अधिक है जिसकी वजह से मैक्सिको के मूल निवासियों को बहुत ज्यादा कठिनाई उठानी पड़ सकती है तथा आर्थिक गुलामी का सामना करना पड़ सकता है। सभी फर्मों और औद्योगिक इकाइयों का स्वामित्व तथा प्रबन्ध, अमेरिकी नागरिकों के हाथ में हो सकता है तथा मैक्सिको वासी केवल नौकरी करके अपना जीवन यापन कर सकते हैं। इसकी वजह से मैक्सिकोवासियों में राजनीतिक असन्तोष उत्पन्न हो सकता है और गुट में आपसी मतभेद भी उत्पन्न हो सकता है। अगर अमेरिका और कनाडा मैक्सिको के आर्थिक औद्योगिक विकास में सक्रिय सहायक की भूमिका अपनायें तो शीघ्र ही मैक्सिको भी औद्योगिक और तकनीकी विकास की ओर अग्रसर हो सकता है।

पहली बार इस व्यापार समझौते में वस्तुओं के साथ-साथ सेवाओं को भी मुक्त व्यापार में शामिल कर लिया गया है। मैक्सिको श्रम बाहुल देश है तथा कनाडा में और अमेरिका में श्रम साधनों की कमी है। इन तीनों देशों की साझा सकल राष्ट्रीय आय कुल विश्व के राष्ट्रीय आय का एक तिहाई है और यह यूरोपीय आर्थिक समुदाय के सकल राष्ट्रीय आय से भी अधिक है। क्षेत्रफल, खनिज और अन्य प्राकृतिक सुविधाओं की वजह से इस समूह का कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता है। अमेरिका और कनाडा खाद्यान्न का निर्यात करते हैं और मैक्सिको खाद्यान्न का आयात

करता है। औद्योगिक दृष्टिकोण से अमेरिका काफी विकसित है और मैक्सिको उद्योग और तकनीक का आयात करता है। इसकी वजह से मैक्सिको को लाभ हो सकता है तथा अमेरिका को भी अपने निर्यातों को बढ़ाने में काफी सफलता मिल सकती है।

सेवाओं के क्षेत्र में मुक्त व्यापार समझौता अमेरिका के लिए काफी लाभदायक साबित हो सकता है, क्योंकि परिवहन सेवाओं, दूर संचार और बीमा सेवाओं के क्षेत्र में अमेरिकी निगमों काफी कुशल हैं। कृषि के क्षेत्र में कनाडा का निर्यात बढ़ सकता है, लेकिन मैक्सिको के निर्यात के बढ़ने की संभावना कम है। मैक्सिको को इस समझौते का लाभ मुख्यतः दो क्षेत्रों में प्राप्त हो सकता है।

- (i) मैक्सिको को अधिक पूँजी और उन्नत तकनीक प्राप्त हो सकती है जिसकी वजह से वह अपने यहाँ औद्योगिक इकाईयों की स्थापना कर सकता है और अमेरिका को भी अपना निर्यात बढ़ा सकता है।
- (ii) राजनीतिक महत्व के तहत अब मैक्सिको एक नये आर्थिक गुट का सदस्य हो गया है। जो विश्व में सबसे अधिक महत्वपूर्ण आर्थिक गुट है। शुरु में मैक्सिको को प्रतिकूल भुगतान शेष की समस्या से निपटना पड़ सकता है। वहाँ के अधिकांश उद्योग और सेवा क्षेत्रों में अमेरिकी प्रतिद्वन्दिता के कारण मूल निवासियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। बेरोजगारी और मन्दी भी आ सकती है लेकिन दीर्घकाल में मैक्सिको का लाभ होना सुनिश्चित है।

इन तीनों देशों का व्यापार विश्व के व्यापार का 18% है, जिसमें अमेरिका का कनाडा और मैक्सिको से बहुत ज्यादा व्यापार होता है। अमेरिका के कुल निर्यात में से 20% निर्यात कनाडा को किया जाता है। (लगभग 87 बिलियन डालर) और मैक्सिको को 9% निर्यात किया जाता है (लगभग 41 बिलियन डालर)। मैक्सिको से 77% निर्यात अमेरिका को किया जाता है (कुल निर्यात 44 बिलियन डालर, अमेरिका को 33.7 बिलियन डालर)। इसी प्रकार कनाडा का 78% निर्यात अमेरिका को होता है (कुल निर्यात 135 बिलियन डालर में से 105 बिलियन डालर)। कनाडा और मैक्सिको का आन्तरिक व्यापार बहुत संकुचित है जिसके बढ़ने की अधिक संभावना है। मैक्सिको में श्रमिकों का मूल्य अमेरिका की तुलना में काफी कम है, इसी कारण से मैक्सिको में

अधिकांश वस्तुओं की उत्पादन लागत बहुत कम आती है जिसकी वजह से मैक्सिको में औद्योगीकरण और रोजगार बढ़ सकता है।

नाफ्टा तीन देशों का एक व्यापारिक गुट है और इससे सभी सदस्य देशों को लाभ हो सकता है लेकिन सबसे अधिक फायदे में अमेरिका ही रहने वाला है। अमेरिका को मैक्सिको जैसे देश में काफी रियायत मिलने से व्यापक सम्भावनाओं वाला नया बाजार प्राप्त हुआ है। जिससे अमेरिका के निर्यात में वृद्धि हो सकती है, रोजगार के नये अवसर पैदा हो सकते हैं तथा अर्थव्यवस्था में नये रक्त-संचार के साथ ही कारपोरेट क्षेत्र सबसे अधिक लाभ की स्थिति में हो सकते हैं। मैक्सिको भी भारत की तरह एक विकासशील देश है जहाँ काफी सस्ता श्रम उपलब्ध है। जिसके फलस्वरूप मैक्सिको में अमेरिकी पूँजी का प्रवाह बढ़ सकता है, जिससे वहाँ भी रोजगार के नये अवसरों का सृजन हो सकता है। कनाडा का आर्थिक भविष्य नाफ्टा के साथ जुड़ा हुआ है। वैसे भी अमेरिका के साथ कनाडा का एक समझौता पहले से ही है, जिसके फलस्वरूप दोनों ही देशों को व्यापार में कोई विशेष परेशानी नहीं होगी।

नाफ्टा के तहत हुए कुछ प्रमुख समझौते

- (i) "अमेरिका से कृषि जिनसों के आयात पर से मैक्सिको 10-15 वर्षों में आयात शुल्क समाप्त कर देगा।
- (ii) तीनों देश एक-दूसरे के लिए लागू सभी व्यापार प्रतिबंध 10 वर्षों में पूरी तरह समाप्त कर देंगे।
- (iii) सीमा शुल्क 15 वर्षों के लिए लागू होगा। मैक्सिको में उत्पादित वस्तुओं पर अमेरिका में सीमा शुल्क औसतन 4 प्रतिशत से कम होगा, जबकि इसके विपरीत अमेरिकी वस्तुओं पर मैक्सिको में सीमा शुल्क औसतन 10 प्रतिशत होगा।
- (iv) वित्तीय सेवाओं में मैक्सिको अपने वित्तीय बाजार अमेरिका और कनाडा के लिए खोल देगा तथा वहाँ की बीमा कम्पनियों एवं बैंकों का पूर्ण स्वामित्व वाली इकाइयाँ स्थापित करने की अनुमति प्रदान करेगा।
- (v) अमेरिका मैक्सिको को प्रतिवर्ष निर्यात होने वाले लगभग 25 करोड़ डालर (कुल निर्यात

का लगभग 20 प्रतिशत) के वस्त्र एवं परिधानों पर सभी तरह के अंकुश या नियंत्रण तत्काल प्रभाव से हटा देगा।”¹

जहाँ नाफ्टा से तीनों ही सदस्य देशों को लाभ हो सकता है, वहीं पर दूसरी ओर लातिनी अमेरिका के अन्य देशों, दक्षिण-पूर्व एशिया ने नव विकसित देशों, यूरोपीय समुदाय और भारत जैसे विकासशील देशों को थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। 24 जनवरी 1996 को भारतीय निर्यात संगठन संघ ने कहा है कि नाफ्टा के अस्तित्व में आने से भारत के व्यापार हितों पर सीधे खतरा पैदा हो सकता है। भारतीय निर्यात संगठन संघ ने 1996-2001 के लिये 'भारत की निर्यात रणनीति' नामक प्रारूप में कहा है कि नाफ्टा दो विकसित देशों और एक विकासशील देश का समूह है, जो वास्तव में अमेरिकी प्रौद्योगिकी और मैक्सिको के सस्ते श्रम का मिश्रण है। जिसका उद्देश्य अन्य विकासशील देशों से उत्तर अमेरिका में आयात की मांग को कम करना हो सकता है। नाफ्टा विशेषकर कपड़ा क्षेत्र पर आधारित है। वहीं पर भारत एक ऐसा देश है जहाँ कपड़ा क्षेत्र के निर्यात में तेजी से वृद्धि हो रही है और कुल निर्यात में इसका हिस्सा लगभग एक-चौथाई है। इसीलिए नाफ्टा के प्रतिरूप कदम उठाने के लिए भारतीय निर्यात संगठन संघ ने ऐसी नीति बनाने का सुझाव दिया है, जिससे कनाडा और अमेरिका के साथ-साथ पुनर्खरीद और तीसरे देश को निर्यात करने की सुविधा दी जाये। इसके अतिरिक्त उत्तर अमेरिकी बाजार के लिए भारतीय निर्यातकों को सरकार की ओर से विशेष सहायता भी दी जानी चाहिए।

5- साफ्टा

भारत सहित दक्षिण एशिया के सात देशों में साफ्टा अर्थात् 'दक्षिण एशियाई वरीयता प्राप्त व्यापार समझौता' को लागू कर दिया गया है। साफ्टा का प्रस्ताव सबसे पहले श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति रणसिंह प्रेमदास ने 1991 में हुए छठे दक्षिण शिखर सम्मेलन (कोलम्बो) के दौरान किया तथा उसके बाद अप्रैल 1993 में ढाका में सम्पन्न सातवें दक्षिण शिखर सम्मेलन के दौरान उस पर हस्ताक्षर किया गया। दक्षिण एशिया का पहला क्षेत्रीय व्यापारिक गुट 4 दिसम्बर 1995 से अस्तित्व में आ

1 क्रानिकल, मार्च 1996, पृ०-12 क्रानिकल पब्लिकेशन्स प्रा०लि०, 208 शिव लोक हाउस -1 नई दिल्ली -110015

गया है। इस सगठन से भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान और मालदीव को विशेष रियायतें ही उपलब्ध नहीं हो सकता, बल्कि विश्व के अनेक क्षेत्रीय व्यापारिक गुटों के जवाब में एक करारी पहल भी सिद्ध हो सकता है। साप्टा के अन्तर्गत जो उत्पाद आते हैं, उनके तटकर में कम से कम 10 प्रतिशत की कमी लायी जा सकती है। दो देश आपस में परस्पर विचार-विमर्श करके तटकर में कटौती का प्रतिशत तय कर सकते हैं।

बांग्लादेश, नेपाल और भूटान को न्यूनतम विकसित देश घोषित करने के उपरान्त ये व्यवस्था की गयी है कि ये देश दक्षेस देशों से आयात पर अस्थायी रोक लगा सकते हैं। "साप्टा के अन्तर्गत आने वाले सदस्य देशों ने अभी तक केवल 226 वस्तुओं को ही शुल्क रियायत देने की सहमति प्रकट की है। इनमें से भारत सर्वाधिक 106 वस्तुओं पर शुल्क रियायत देकर इस व्यापारिक गुट में अग्रणी भूमिका अदा कर रहा है। जबकि इस सन्दर्भ में पाकिस्तान ने 35 वस्तुओं, श्रीलंका ने 31, मालदीव ने 17, बांग्लादेश ने 12 तथा भूटान ने 7 वस्तुओं की सूची जारी की है। लगभग 1.2 अरब आबादी वाले इन देशों के बीच आपसी व्यापार कुल विश्व व्यापार का मात्र 3 प्रतिशत (9,300 करोड़ डालर) है।"¹ इन सभी देशों के बीच आने वाली विभिन्न बाधाओं की वजह से ऐसा है, लेकिन साप्टा के वजह से ये बाधाएँ अब टूटती नजर आ रही हैं। ये सभी देश औद्योगिक उत्पादों को विकसित देशों से आयात करते हैं, जो कि यही औद्योगिक उत्पाद क्षेत्र के अन्य पड़ोसी देशों से काफी सस्ते में आयात किया जा सकता है।

9 जनवरी, 1996 को नयी दिल्ली में दक्षेस देशों के वाणिज्य एवं व्यापार मन्त्रियों का प्रथम सम्मेलन सम्पन्न हुआ, जिसमें साप्टा को प्रभावशाली बनाने का संकल्प लिया गया ताकि सन् 2000 तक या अधिक-से-अधिक 2005 से पूर्व तक इस क्षेत्र को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का लक्ष्य पूरा किया जा सके। इस सम्मेलन में साप्टा को पूरी तरह से लागू करने और व्यापार उदारीकरण पर अन्तरसरकारी दल की बैठक मार्च, 1996 में श्रीलंका में बुलाने का निश्चय किया गया। तत्कालीन वित्त मन्त्री डा० मनमोहन सिंह के अनुसार "दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौते

1 क्रानिकल, मार्च 1996 क्रानिकल पब्लिकेशन्स प्रा०लि०, 208, शिवलोक हाउस -1 नई दिल्ली -110015पृ० -12

(साप्टा) से दक्षेस देशों के बीच क्षेत्रीय व्यापार के विस्तार को बल मिलेगा। इससे व्यापार के साथ ही निवेश में भी इजाफा होगा। ऐसी कई आधारभूत क्षेत्र की परियोजनाएँ हैं, जिनका कार्यान्वयन क्षेत्रीय सहयोग के आधार पर ही संभव है। दक्षेस देशों के बीच आर्थिक सहयोग से सभी सदस्यों को लाभ मिलने वाला है। इससे किसी देश को नुकसान नहीं होगा।¹

साप्टा के देशों के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार विस्तार में जानकारी और सूचनाओं के आदान-प्रदान में दूरी सबसे बड़ी बाधा रही है। विकसित देशों ने मानवाधिकार, श्रमिक मानक और पर्यावरण जैसे नये संरक्षणवादी तरीके अपनाने शुरू कर दिये हैं। ऐसी दशा में विकासशील देशों की मदद के लिए क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। इससे क्षेत्र की व्यापक प्रतिष्ठा भी बढ़ सकती है।

साप्टा के लागू होने के साथ ही दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय आर्थिक व व्यापार सहयोग के एक नये युग की शुरुआत हो रही है। भारत दक्षिण एशिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और यदि इस क्षेत्र का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक देश पाकिस्तान के साथ व्यापारिक रिश्ता सामान्य होने की दिशा में कदम बढ़ाया जाय तो वास्तव में साप्टा का आर्थिक सहयोग आन्दोलन एक नये धरातल पर खड़ा हो सकता है। यदि इस क्षेत्र के सभी देश आपस में सहयोग करें तो यह क्षेत्र की सबसे बड़ी ताकत हो सकती है, जिसके बल पर विकसित देश भी दक्षिण एशिया का लोहा मानने के लिये बाध्य हो सकते हैं।

बदलते आर्थिक परिवेश में व्यापार और उद्यम की नयी-नयी संभावनायें पैदा हो रही हैं तथा क्षेत्र के व्यावसायिक समुदाय का ध्यान तेजी से इस ओर आकर्षित हो रहा है। साप्टा के गठन के बाद नयी संभावनाओं के प्रति व्यापारिक क्षेत्र का रुख काफी उत्साहवर्धक रहा है। तत्कालीन प्रधानमंत्री पी०वी०नरसिंह राव के अनुसार "दक्षेस के बीच व्यवसायियों की मुक्त आवाजाही, संचार और दूरसंचार संपर्कों में सुधार तथा आवागमन की सुविधा के साथ-साथ व्यापारिक प्रतिनिधिमंडलों की यात्रा क्षेत्र के लिए जरूरी आवश्यकताएँ हैं।"²

1 अमृत प्रभात, इलाहाबाद 4 जनवरी 1996, पृष्ठ -1

2 अमृत प्रभात, इलाहाबाद, 9 जनवरी 1996, पृष्ठ -12

आपसी व्यापार में बाधाओं का एक बार पता चल जाने से उनका निवारण किया जा सकता है। इससे निवेश कारोबार, संयुक्त उद्यम और सेवाओं में वृद्धि होने की सम्भावना रहती है। दक्षेस क्षेत्र के सभी देशों में आम धारणा यही है कि अपने पड़ोसी देशों से ही आयात किया जाय। इस बात को ध्यान में रखते हुये सदस्य देशों को एक दूसरे के साथ व्यापार संवर्धन के लिए उचित नीतियाँ और उपाय करने चाहिये। दक्षेस देशों को समय पर साप्ता को क्रियान्वित करने के लिए विशिष्ट मुद्दों पर समझौता करना चाहिये तथा भविष्य के लिए एजेंडा तैयार करना चाहिये।

क्षेत्रीय सहयोग से फायदा हो जाने के बावजूद ऊहापोह की स्थिति, गरीबी की स्थिति तथा क्षेत्रीय विषमता के कारण शुरू में दक्षिण एशिया में आर्थिक सहयोग गति नहीं पकड़ पाया। विश्व के कुल व्यापार में दक्षेस देशों का व्यापार एक प्रतिशत भी नहीं है जबकि इन देशों के कुल विदेशी व्यापार में से केवल तीन प्रतिशत व्यापार आपस में होता है।

सदस्य देशों को साप्ता से क्षेत्र में मुक्त व्यापार समझौते साप्ता की तरफ बढ़ना चाहिये। क्षेत्र में मुक्त व्यापार के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मूलभूत सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिये। नकारात्मक सूची में दर्ज वस्तुओं को छोड़कर बाकी सभी वस्तुओं का व्यापार वरीयता के आधार पर तय शुल्क अथवा गैर शुल्क दरों पर किया जाय। दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता साप्ता की प्राप्ति तक इन नकारात्मक सूचियों में लगातार गिरावट आनी चाहिये।

6- समूह -15

समूह -15 विश्व के 15 विकासशील देशों का एक संगठन है। समूह -15 का पूरा नाम "सम्मिट लेवल ग्रुप फार साउथ-साउथ कंसल्टेशन एंड को-आपरेशन" (दक्षिण-दक्षिण सलाह और सहयोग के लिये शिखर समूह) है। सन् 1989 में बेलग्रेड (युगोस्लाविया) में जब गुटनिरपेक्ष आंदोलन का नौवा शिखर सम्मेलन सम्पन्न हुआ, उस दौरान इस संगठन की स्थापना की गयी, जिसका उद्देश्य विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देना है। इसके संस्थापक सदस्य देश हैं - भारत, अर्जेन्टीना, युगोस्लाविया, ब्राजील, मिस्र, सेनेगल, नाइजीरिया, अल्जीरिया, वेनेजुएला, इंडोनेशिया, मलयेशिया, पेरू, जमैका, मैक्सिको और जिम्बाब्वे।

“समूह -15 के देशों का सकल घरेलू उत्पादन 14 खरब डालर और व्यापार 404 अरब डालर का है। अतः विश्व के व्यापारिक परिदृश्य के सन्दर्भ में इन देशों की सामूहिक सहयोग की नीति काफी लाभप्रद हो सकती है। व्यापार, पूँजी-निवेश, प्रौद्योगिकीय लेन-देन और पर्यटन के क्षेत्र में ये देश आपसी सहयोग की पहल कर सकते हैं और उसके आधार पर व्यापार को आगे बढ़ाया जा सकता है।”¹

समूह -15 का शिखर सम्मेलन बारी-बारी से सभी सदस्य देशों में आयोजित किया जाता है। इसका पहला शिखर सम्मेलन वर्ष 1990 में क्वालालम्पुर (मलेशिया) में, दूसरा सम्मेलन 1991 में कराकस (वेनेजुएला) में, तीसरा सम्मेलन 1992 में डकार (सेनेगल) में, चौथा सम्मेलन मार्च 1994 में नयी दिल्ली (भारत) में, तथा पांचवां शिखर सम्मेलन 6-8 नवम्बर, 1995 को अर्जेन्टीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में आयोजित किया गया।

वर्तमान समय में समूह -15 के सदस्य देशों में से अधिकांश देशों में आर्थिक सुधार चल रहा है। इनमें प्रशिक्षित मानव संसाधन, आबादी, बाजार और प्राकृतिक संसाधन भी बहुत अधिक मात्रा में हैं। इन देशों में मजदूरी सस्ती है, इसीलिये विकसित देश उसी को मुद्दा बनाकर व्यापारिक बाधाएँ खड़ी करना चाहते हैं तथा पर्यावरण, बाल मजदूरी और मानवाधिकार के बहाने भी उनके व्यापार में अड़चने खड़ी करते रहते हैं।

गरीबी-अशिक्षा, भूखमरी, विदेशी कर्ज जैसी चुनौतियों का मुकाबला विकासशील देश सिर्फ आपस में पारस्परिक सहयोग के आधार पर ही कर सकते हैं। इसलिये विकासशील देशों के बीच क्षेत्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग होना नितान्त आवश्यक होता है। विकासशील देशों की सामूहिक ताकत से ही राष्ट्र विशेष भी मजबूत होता है। इसके लिये खुली क्षेत्रीयतावाद की नीति को अपनाना आवश्यक हो जाता है तथा इसी के अन्तर्गत विकासशील देशों को क्षेत्रीय आधार पर पड़ोसी देशों के साथ व्यापारिक सहयोग बढ़ाने के साथ-साथ विश्व स्तर पर विकासशील देशों के साथ भी आर्थिक संबंधों को मजबूत करना आवश्यक प्रतीत होता है। इसके साथ-साथ विकसित और

1 प्रतियोगिता सम्राट, जून 1994, दीवान पब्लिकेशन्स प्रा०लि०, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली -110015 पृ०

विकासशील देशों के बीच एक नयी लोकतांत्रिक भागीदारी कायम करना और आपसी विकास करने के लिये एक नयी परम्परा की शुरुआत की आवश्यकता है। जिसकी वजह से केवल समूह -15 के देशों का ही नहीं बल्कि सभी विकासशील देशों का आर्थिक विकास बहुत तेजी से हो सकता है ।

इस संगठन के पांचवे शिखर सम्मेलन में प्रतिनिधियों ने गरीबी, बेरोजगारी, तथा ग्रामीण क्षेत्रों की दुर्दशा पर गम्भीर चिन्ता व्यक्त किया। लेकिन इस प्रकार की चिन्ताओं को केवल सम्मेलनों तक रख छोड़ने से गरीबी और बेरोजगारी समाप्त नहीं हो सकती और केवल अमीर देशों पर किसी प्रकार का तोहमत लगाकर ऐसी समस्याओं का समाधान नहीं ढूँढा जा सकता है। इसके लिये जरूरी है कि सभी विकासशील और विकास की दौड़ में जो देश पिछड़ गये हैं, उन देशों को आपस में एकजुट होकर विकास के लिए स्वयं प्रयास करना चाहिये तथा अमीर और विकसित देशों पर से अपनी निर्भरता को कम करने की भी जरूरत है। तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री श्री पी०वी०नरसिंह राव ने इसका समर्थन करते हुए पांचवे शिखर सम्मेलन में कहा कि "उत्पादन तथा सेवाओं के क्षेत्र में विकासशील देशों की प्रतियोगी क्षमता बढ़ाई जानी चाहिए ताकि वे विश्व अर्थव्यवस्था से समानता के आधार पर जुड़ सकें और विकास व व्यापार के नये केन्द्र बिन्दु बन सकें।"¹

7-समूह -7

समूह -7 विश्व के सात बड़े विकसित एवं औद्योगिक देशों का संगठन है तथा इस संगठन के सात प्रमुख सदस्य देश हैं - संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जापान, ब्रिटेन, जर्मनी, कनाडा और इटली। इसका क्षेत्रफल कुल 21,183 हजार वर्ग किलोमीटर है तथा इन देशों की कुल आबादी 5,479 लाख (1992) है। वर्ष 1991 में ब्रिटेन की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम 16,600 अमेरिकी डालर और जापान की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक 33,710 अमेरिकी डालर रहा है। 1992 में इन सभी देशों में बेरोजगारों की संख्या 22.14 मिलियन रही।

समूह -7 का उद्देश्य आर्थिक सहित अन्य सभी क्षेत्रों में सुरक्षा की दृष्टि से तादात्म्य स्थापित

1 क्रानिकल, मार्च 1996, क्रानिकल पब्लिकेशन्स प्रा०लि०, 208 शिवलोक हाउस-1 नई दिल्ली -110015
पृ० -14

करना है। प्रति वर्ष जो शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाता है, उसमें बेरोजगारों की बढ़ती संख्या पर अंकुश लगाना, रोजगार के नये अवसरों का सृजन करना, मंदी से उबरना तथा अर्थतंत्रों में गतिशीलता लाने पर बल दिया जा रहा है। इन विकसित देशों में औद्योगिक कल-कारखानों की बहुतायत होने से, उसके उत्पादों का निर्यात और उससे होने वाली आय ही समृद्धि का मुख्य स्रोत है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इन देशों के अन्दर संरक्षण पनपने के कारण इनके व्यापार में कमी आ गयी है।

1994 में समूह -7 का शिखर सम्मेलन नेपल्स (इलली) में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन की सबसे मुख्य बात रूस को समूह -7 का पूर्ण भागीदार बनाना रहा है। अभी तक रूस को राजनीतिक उपायों पर होने वाले विचार-विमर्श में ही शामिल किया गया है और आर्थिक मामलों पर जो बातचीत होती है उससे अलग रखा गया है। "ये सात देश न केवल प्रमुख औद्योगिक देश हैं, बल्कि विश्व में सबसे समृद्ध देश हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष, विश्व बैंक, एशियाई विकास बैंक सहित सभी प्रमुख वित्तीय संस्थाओं एवं संगठनों पर इन देशों का पूरा नियन्त्रण है। ये देश विश्व के कुल साधनों के 81.9 प्रतिशत की खपत करते हैं।"¹

1993 में टोक्यो शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें रूस को इस शिखर सम्मेलन में सबसे पहले शामिल होने के लिए जापान ने आमंत्रित किया। रूस की अर्थव्यवस्था अभी समूह-7 के सदस्य देशों की तरह मुख्य बाजार वाला नहीं है तथा वह अभी अपने पैरों पर पूर्ण रूप से खड़ा होने के लिए पश्चिमी सहायता पर ही निर्भर है। 1995 में समूह -7 का 21 वाँ शिखर सम्मेलन कनाडा में आयोजित हुआ।

8- कोमेसा

कोमेसा पूर्वी एवं दक्षिणी अफ्रीकी देशों का एक व्यापारिक संगठन है, जिसका पूरा नाम दक्षिण-पूर्वी अफ्रीकी साझा बाजार है। इसकी स्थापना युगांडा की राजधानी कम्पाला में 5 नवम्बर 1993 को हस्ताक्षर करके की गयी। कोमेसा के कुल सदस्य देशों की संख्या 27 है, जिसमें युगांडा,

1 क्रानिकल, सितम्बर 1991, क्रानिकल पब्लिकेशन्स प्रा०लि०, 208 शिवलोक हाउस -1 नई दिल्ली -110015पृ० -13

दक्षिण अफ्रीका, मेडागास्कर, साईचीलीस, इरीट्रिया, जाम्बिया आदि देश शामिल हैं। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य 320 मिलियन लोगों के लिए एक साझा बाजार की स्थापना करना है, जिसका सकल घरेलू उत्पाद 125 बिलियन डालर है।

शीतयुद्ध के समाप्त हो जाने के बाद अफ्रीकी देशों को अंतर्राष्ट्रीय सहायता मिलना कम हो गया तथा जो बाहरी देश अफ्रीकी देशों को मदद करते थे, वे ही अफ्रीकी देशों पर इस बात के लिए दबाव डालने लगे कि वे अपनी अर्थव्यवस्था को उनके अनुकूल ढाल लें। लेकिन अफ्रीकी देशों में ऐसी क्षमता बहुत कम रही है, जो बाहरी दबाव के अनुरूप अपने आर्थिक संरचना का विकास कर सकते हैं। इस लिए ऐसी परिस्थिति में उस क्षेत्र के अफ्रीकी देशों को कोमेसा जैसी बाजार व्यवस्था को लागू करने का निर्णय लेना पडा ताकि उस क्षेत्र की पर्याप्त आर्थिक उन्नति हो सके।

9- ओपेक

ओपेक 13 पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन है, जिसका पूरा नाम "पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन" है। 1962 में तेल उत्पादक देशों ने इराक की राजधानी बगदाद में एक सम्मेलन में ओपेक की स्थापना का निर्णय लिया। तीन अरब मुस्लिम देश-इराक, कुवैत एवं सऊदी अरब, गैर-अरब मुस्लिम देश-ईरान, दक्षिण अमेरिकी गैर-अरब व गैर-मुस्लिम देश वेनेजुएला ओपेक के संस्थापक सदस्य देश हैं। विश्व तेल व्यापार का 70 प्रतिशत से भी अधिक भाग इन्हीं पाँच देशों के हिस्सा आता है। इस संगठन में बाद में निम्न देश शामिल हुए-अल्जीरिया, इक्वाडोर, गैबन, लीबिया, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात। इस प्रकार ओपेक के सदस्य देशों की कुल संख्या 13 है। इस संगठन की सदस्यता ऐसे देश भी ग्रहण कर सकते हैं जो पर्याप्त मात्रा में अशोधित तेल निर्यात करते हों और जिनका पूरा हित मूल रूप से संगठन के सदस्य देशों के हितों से मिलता-जुलता हो।

10- ओ० ई० सी० डी०

ओ०ई०सी०डी० विश्व के सभी विकसित देशों का संगठन है। इसका पूरा नाम आर्थिक विकास व सहयोग संगठन है। पहले इसके सदस्यों की संख्या 24 थी, लेकिन 1 जनवरी 1996 से विश्व

के विकसित देशों की सूची में सिंगापुर के शामिल हो जाने की वजह से अब इसकी संख्या 25 हो गयी है तथा इस संगठन का मुख्यालय पेरिस (फ्रांस) में स्थित है।

द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन बनाया गया। तत्कालीन अमेरिकी विदेश मंत्री मार्शल द्वारा प्रस्तावित सहायता अभिवचन के प्रत्युत्तर में ओ०ई०ई०सी० संगठन का गठन किया गया, इसे मार्शल सहायता के नाम से भी जाना जाता रहा। 1948 में पेरिस में आयोजित यूरोपीय देशों के एक सम्मेलन में इस प्रस्ताव पर सहमति हुई तथा उसके बाद 1961 में इसका नाम बदलकर ओ०ई०सी०डी० रख दिया गया, क्योंकि तब तक इसमें गैर-यूरोपीय देश संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा भी शामिल हो गये थे। इस पुनर्गठित संस्था का उद्देश्य सदस्य देशों को आर्थिक प्रगति में अधिक से अधिक सहयोग प्रदान करना तथा लोगों के जीवन स्तर को उन्नत करना है।

11- हिंद महासागर तटीय देश

पिछले चार-साढ़े चार हजार वर्षों से हिंद महासागर के तट पर बसे हुए देश और वहाँ के निवासी किसी न किसी रूप में, खासकर व्यापार के बहाने एक-दूसरे से जुड़ रहे हैं। आज के इन तटीय देशों को आपस में स्थायी आर्थिक सम्बन्ध कायम करने के प्रयत्न के पीछे एक लम्बा सिलसिला रहा है। हिन्द महासागर का तट तीन महाद्वीपों एशिया, अफ्रीका और आस्ट्रेलिया के देशों को एक दूसरे से जोड़ता है। ये देश जाति, संस्कृति तथा धर्म की दृष्टि से काफी भिन्नता रखते हैं। इन सबसे बढ़कर इन देशों में आर्थिक असमानता है। एक तरफ जहाँ आस्ट्रेलिया और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में प्रति व्यक्ति आय का औसत 15,000 डालर है, वहीं पर दूसरी तरफ मोजाम्बिक, तंजानिया, मेडागास्कर, बांग्लादेश जैसे गरीब अफ्रो-एशियाई देशों में इसका औसत काफी कम केवल 250 डालर है। इनमें एक तरफ जहाँ पर 90 करोड़ की जनसंख्या वाला देश भारत है, तो वहीं पर दूसरी तरफ ऐसे भी देश हैं, जिनकी जनसंख्या केवल 80 हजार है।

आपस में इतनी भिन्नताओं के होने के बावजूद विश्व के बदलते परिदृश्य को देखते हुए इन सब तटीय देशों का एक क्षेत्रीय आर्थिक गुट बनाने की बात पिछले कई वर्षों से उठ रही है, लेकिन इस दिशा में कोई कुछ खास प्रगति नहीं हो सकी। लेकिन इधर एकबार फिर इसके गठन की

मांग बड़ी तेजी से प्रबल हो उठी है। यदि भूमंडलीकरण, उदारीकरण और निजीकरण को ध्यान में रखकर इन सभी देशों का एक 'मुक्त व्यापार संगठन' बन जाय, तो यह बीसवीं शताब्दी की एक बहुत बड़ी आर्थिक घटना हो सकती है। लेकिन फिर भी शीत युद्ध के समाप्त हो जाने के बाद बड़ी तेजी से क्षेत्रीय व्यापार गुटों का गठन किया गया है। नाफ्टा, यूरोपीय संघ, कोमेसा, ओपेक, आसियान आदि इसी आर्थिक प्रतिस्पर्धा की कोख से बाहर निकले हैं। इन सबको देखते हुए हिन्द महासागर के तटीय देशों का भी एक व्यापार गुट गठित करना जरूरी हो गया है, जिससे कि इस क्षेत्र का आर्थिक विकास तेजी से हो सके। 'हिन्द महासागर के तट पर बसे एशिया और अफ्रीका के देशों की जनसंख्या, विश्व की कुल जनसंख्या की एक-तिहाई है। यह क्षेत्र खनिज संसाधनों के मामले में भी काफी समृद्ध है।

वहाँ विश्व का दो-तिहाई तेल भंडार कुल यूरेनियम भंडार का 60 प्रतिशत, कुल सोने का 40 प्रतिशत तथा विश्व के कुल हीरे के भंडार का 98 प्रतिशत उपलब्ध है।¹ दक्षिण अफ्रीका के रंगभेदी शासन से मुक्त हो जाने के बाद वहाँ के राष्ट्रपति डा० नेल्सन मंडेला ने भी इस प्रकार का गुट बनाने की घोषणा किया है और स्वयं भी काफी सक्रियता दिखायी है। भारत, द० अफ्रीका, मारिशस, केन्या, आस्ट्रेलिया, ओमान तथा सिंगापुर, इस क्षेत्र के वे प्रमुख देश हैं, जो क्षेत्रीय व्यापार गुट के गठित करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस दिशा में हाल ही में नई दिल्ली में 14 दिसम्बर, 1995 को एक सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें भाग लेने वाले देशों ने यह तय किया कि क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ाने के मार्ग में जो अवरोध हैं, उनकी पहचान करके उन्हें दूर करने का प्रयास किया जाय। भारत की प्रमुख राष्ट्रीय व्यापार संस्थाओं 'फिक्की', सी०आई० आई० और एसोचैम द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया गया। उस सम्मेलन में यह तय किया गया कि क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए दूरसंचार, कस्टम और व्यापार दस्तावेजीकरण, गैर-चुंगी बाधाएँ, समुद्री परिवहन और सम्बन्धित मामले, पर्यावरण और ऊर्जा के मामलों पर विशेष ध्यान दिया जाय।

1 क्रानिकल, मार्च 1996, क्रानिकल पब्लिकेशन्स प्रा०लि०, 208शिवलोक हाउस -1 नई दिल्ली-10015, पृ०-15

जून 1995 में आस्ट्रेलिया ने इस गुट के देशों की तीन दिवसीय बैठक पर्थ में आयोजित किया, जिसमें 28 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया और उस बैठक में दो 'प्रसार समूहों' की स्थापना की गई, जो सम्बन्धित देशों में व्यापारिक और शैक्षणिक वातावरण का माहौल तैयार करेगा। इस बैठक के आयोजित होने के पहले प्रस्तावित गुट के सात प्रमुख देश मार्च 1995 में पोर्ट लुइस में मिले और पारस्परिक व्यापार संभावनाओं और अड़चनों के बारे में बातचीत की।

आर्थिक प्रगति में सहयोग के अलावा तटीय देशों का गुट गठित हो जाने से इसके द्वारा सदस्य देशों के द्विपक्षीय विवादों, आंतरिक अशांति तथा देश की संप्रभुता व अखंडता को, पड़ोसी देशों के खतरे के मसले को भी हल किया जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्रीय व्यापार गुटों की तगड़ी प्रतिस्पर्धा, तटीय देशों के गुट की सफलता को प्रभावित भी कर सकती है। क्योंकि वे गुट यह नहीं चाहते कि एशिया-अफ्रीका का एक बड़ा बाजार उनके हाथों से निकल जाय। तटीय देशों के गुट की सफलता इस बात पर निर्भर है कि वह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गुटों से कितनी दक्षता के साथ पेश आता है। हिन्द महासागर के तटीय देशों का व्यापार गुट का गठन इसलिए भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि दक्षिण एशिया के देश काफी पहले से अपना व्यापार गुट (साफ्टा) बनाने में जुटे हुए हैं। हिन्द महासागर के तटीय देशों का व्यापार गुट यदि शीघ्र ही अमल में आ जाता है, तो यह न केवल दक्षिण एशिया के देशों के लिए सुखकर हो सकता है, बल्कि यह हिन्द महासागर के समस्त तटवर्ती देशों के हित में हो सकता है, जिससे विश्व के इस बदलते दौर में सभी देशों को अपनी अर्थव्यवस्था को उन्नत एवं गतिशील करने का अवसर मिल सकता है।

हिन्द महासागर के तटीय देशों के गुट का प्रमुख लक्ष्य है - आपसी व्यापार को गति प्रदान करना, संयुक्त बाजार, उदारीकरण, संयुक्त खरीद आदि पर अमल करना, लेकिन यह सब क्षेत्रीय और पारस्परिक सहयोग की बदौलत ही संभव है। इसके अतिरिक्त इस गुट के लिए अन्य विषय गौण हैं। एक दूसरे को व्यापार सुविधायें उपलब्ध करा कर व्यापार सम्बन्धी तथ्यों और सूचनाओं का आदान-प्रदान, निवेश तथा तकनीक का आदान-प्रदान किया जा सकता है। भारत ने भी इस प्रस्ताव पर बल दिया है कि इस गुट के सात प्रमुख देश संयुक्त बाजार, संयुक्त खरीद और व्यापार के क्षेत्र में सहयोग करके क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं।

भारत वर्तमान परिस्थितियों में व्यापार और निवेश के मामले में इस गुट के सात प्रमुख देशों के बीच सहयोग की संभावनायें तेजी से तलाश रहा है। भारत ने अपना ध्यान इस गुट के कुछ देशों, विशेषकर आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के साथ 'संयुक्त व्यापार नीति' पर केन्द्रित कर रखा है। भारत और आस्ट्रेलिया प्राकृतिक तंतुओं के विश्व के दस बड़े निर्यातकों में से दो हैं। उसी प्रकार, आस्ट्रेलिया, भारत और दक्षिण अफ्रीका विश्व के दस प्रमुख लौह अयस्क के निर्यातकों में से तीन हैं। ये तीनों देश इस बात पर विचार कर रहे हैं कि एक जैसे उत्पादों के लिए संयुक्त बाजार की नीति पर अमल किया जाय तथा इसके साथ ही वे प्रादेशिक व्यापार संस्थाओं के माध्यम से बड़ी मात्रा में वस्तुओं का आयात भी कर सकें।

भारत के अनुरोध पर आस्ट्रेलिया उसे संसाधित खाद्य पदार्थ, औषधियों, विशेष प्रकार के चिकित्सीय उत्पादों, रासायनिक उत्पादन, बैंकिंग, बीमा, साफ्टवेयर का विकास, प्रबन्धन, दूरसंचार, प्रदूषण नियंत्रण और ऊर्जा बचत तकनीक, वैज्ञानिक उपकरण तथा खनिज संसाधन के क्षेत्र में सहायता दे सकता है। भारत इस गुट में शामिल होकर दक्षिण अफ्रीका की खनन कंपनियों से उन अत्याधुनिक तकनीकों को हासिल कर सकता है, जिनके द्वारा कोयले, हीरे तथा अन्य खनिजों का वैज्ञानिक ढंग से खनन किया जा सके। वहाँ पर कुछ कम्पनियाँ ऐसी भी हैं, जो अति आधुनिक तकनीक के जरिए कोयले को गैस में बदलती हैं, भारत इससे भी लाभ उठ सकता है। भीतरी समुद्र में महत्वपूर्ण व्यापार मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए भारत और दक्षिण अफ्रीका हिन्द महासागर में दोनों देशों की नौसेना के बीच भी व्यापक स्तर पर सहयोग कर सकते हैं। इसी तरह का सहयोग मारिशस, सिंगापुर तथा अन्य तटीय देशों के साथ भी संभव हो सकता है।

तालिका- 4.2 : विश्व के प्रमुख व्यापारिक एवं आर्थिक गुट

गुट का नाम 1	स्थापना वर्ष 2	सदस्य देश 3	उद्देश्य 4
1- एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग	1989	अमेरिका, जापान, चीन, कनाडा, हांगकांग, द०कोरिया, न्यूजीलैण्ड, ताइवान, आस्ट्रेलिया, सिंगापुर, थाइलैण्ड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रूनेई, फिलीपींस	प्रशांत बेसिन में व्यापार तथा निवेश को प्रोत्साहित करना
2- पश्चिमी अफ्रीकी राज्यों का आर्थिक समुदाय	1975	पश्चिमी अफ्रीका के 16 देश	क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करना
3- सीमाशुल्क सहयोग समिति	1950	भारत और अमेरिका सहित 108 सदस्य देश	सीमा शुल्क विषयों पर अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग विकसित करना
4- निर्यात नियंत्रण समन्वय समिति	1949	अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, फ्रांस और जर्मनी सहित 17 सदस्य देश तथा अन्य 8 समन्वयक देश	सदस्य देशों के बीच सामरिक वस्तुओं एवं तकनीकी आकड़ों के निर्यात पर नियंत्रण रखना
5- अरब सहयोग समिति	1989	मिस्र, इराक, जार्डन, यमन	अरब के सामान्य बाजार को हरसम्भव तरीके से उन्नत करना, आर्थिक सहयोग और एकीकरण को बढ़ावा देना

1	2	3	4
6. दक्षिणी शंकु संयुक्त मंडी	1991	अर्जेंटीना, ब्राजील, पेरुगुवे, यूरुगुवे	क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग
7. अरब आर्थिक एकता समिति	1957	मिस्र, इराक, जार्डन, कुवैत, लीबिया, सोमालिया, सूडान, यू.ए.ई., यमन, पी.एल.ओ., सीरिया	अरब देशों के बीच आर्थिक एकीकरण को प्रोत्साहन देना (30मई, 1964 से प्रभावी)
8. केन्द्रीय अमेरिकी सामान्य बाजार	1960	कोस्टारिका, एल-सेल्वाडोर, ग्वाटेमाला, होंडुरास, निकारागुआ।	केन्द्रीय अमेरिकी सामान बाजारों की स्थापना को बढ़ावा (3जून1961 से प्रभावी)
9. बेनेलेक्स इकोनॉमिक यूनियन	1958	बेल्जियम, लक्जमबर्ग, नीदरलैण्ड	आर्थिक सहयोग एवं एकीकरण को विकसित करना (1 नवम्बर, 1960 से प्रभावी)
10-केन्द्रीय अफ्रीकी सीमा शुल्क व आर्थिक संघ	1964	कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, चाड, कांगो आदि	केन्द्रीय अफ्रीकी सामान्य बाजारों को स्थापति करने पर बल (1 जनवरी, 1966 से प्रभावी)
11. पश्चिमी अफ्रीकी आर्थिक समुदाय	1972	बेनिन, बुर्कीना, आइवरी कोस्ट, माली, मौरिटानिया, नाइजर, सेनेगल तथा पर्यवेक्षक के रूप में टोगो	क्षेत्रीय आर्थिक विकास संवर्द्धन
12. जंगर समिति	1970	अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, इटली, जापान, जर्मनी और कनाडा सहित 25 सदस्य	निर्यात नियंत्रण प्रावधानों आदि के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना

1	2	3	4
13. इफ्टा	1960	यूरोपीय निःशुल्क व्यापार संघ के सदस्य देश हैं- आस्ट्रिया, फिनलैंड, आइसलैंड, नार्वे, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, पुर्तगाल, डेनमार्क, ब्रिटेन	निःशुल्क व्यापार के प्रसार का विस्तार करना (3मई, 1960 से प्रभावी)
14- जी-3	1990	कोलम्बिया, मैक्सिको, बनेजुएला	मशीनीकरण हेतु नीति समन्वय
15- जी-24	1972	भारत और पाकिस्तान सहित अफ्रीका, एशिया और दक्षिण अमेरिका के 24 देश	आई०एम०एफ० के तहत सदस्य देशों का हित संवर्द्धन करना
16- जी-77	1967	भारत व पी०एल०ओ० सहित 128 विकासशील देश	आर्थिक सहयोग बढ़ाना
17- दक्षिण अफ्रीकी विकास समन्वय सम्मेलन	1980	अंगोला, बोत्सवाना, लेसेथो, मलावी, मोजाम्बिक, नामीबिया, स्वाजिलैंड, तंजानिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे	क्षेत्रीय आर्थिक विकास को बढ़ावा देना
18- खाड़ी सहयोग समिति	1981	बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, सं० अ० अमीरात (6 सदस्य)	आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं सैन्य क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग का सम्वर्द्धन करना
19- दक्षिणी अफ्रीकी सीमा शुल्क संघ	1969	बोत्सवाना, किरिस्की, लेसेथो, नामीबिया, द० अफ्रीका, स्वाजिलैंड, ट्रांसकेई, वेन्डा, बोयूथात्सवाना।	मुक्त व्यापार और सीमा शुल्क के मामले में सहयोग

1	2	3	4
20- इस्लामी सम्मेलन संगठन	1969	विश्व के 47 मुस्लिम देश तथा फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन इसके सदस्य हैं।	इस्लामी सौहार्द तथा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना
21- लैटिन अमेरिकी आर्थिक प्रणाली	1975	दक्षिण अमेरिका के 26 देशों का संगठन	आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना
22- लैटिन अमेरिकी एकता संगठन	1980	अर्जेन्टीना, बोलिविया, ब्राजील, चिली, कोलम्बिया, इक्वाडोर, मैक्सिको, पेरगुवे, पेरू, युरुवे, वेनेजुएला	निःशुल्क क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। यह संगठन 18 मार्च, 1981 से प्रभावी हुआ।
23- षट्कोणीय समूह	1991	आस्ट्रिया, चेक, स्लोवाकिया, हंगरी, इटली, पोलैण्ड, यूगोस्लाविया (पूर्व)	एडीटिक एवं बाल्टिक सागर के मध्य स्थित क्षेत्रीय समूहों हेतु आर्थिक-राजनीतिक समूह
24- निःशुल्क व्यापार संघ का अंतर-परिसंघ	1949	103 देशों (भारत नहीं) के 144 राष्ट्रीय संगठन इसके सदस्य हैं।	व्यापार संघ आंदोलन का विकास करना
25- अमेरिका देशों का संगठन	1948	उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के 35 देश इसके सदस्य हैं तथा एशिया, अफ्रीका और यूरोप के 25 देश पर्यवेक्षक हैं।	शांति व सुरक्षा के साथ-साथ आर्थिक तथा सामाजिक विकास को बढ़ावा देना

1	2	3	4
26- पूर्वी कैरिबियाई राज्यों का संगठन	1981	एंटीगुआ व बरबुडा, ब्रिटिश वर्जिन द्वीप समूह, डोमिनिका, ग्रेनाडा, मॉन्टसेरात, सेंटकीट्स व नेविस, सेंट लूसिया, सेंट विसेंट तथा ग्रेनाडिन	आर्थिक, राजनीतिक व प्रतिरक्षा के क्षेत्र में सहयोग

स्रोत :- क्रानिकल, अप्रैल 1996, क्रानिकल पब्लिकेशन्स प्रा० लि० 208, शिवलोक हाउस-1, नई दिल्ली- 110015 पृष्ठ- 46

अध्याय -V

अन्य विकासशील देशों में
निर्यात सम्वर्द्धन योजनाओं
का सांक्षिप्त अध्ययन

अन्य विकासशील देशों में निर्यात सम्वर्द्धन योजनाओं का संक्षिप्त अध्ययन

विकासशील देशों को विकसित देशों द्वारा लागू किये गये प्रतिबन्धों का सामना करना पड़ता है। औद्योगिकीकरण के साधन के रूप में संरक्षणात्मक नीतियां अपनाने की अपेक्षा सम्वर्द्धन नीतियां अपनाने से व्यापार वृद्धि होने पर अधिकांश महत्वपूर्ण लाभ होते हैं। लेकिन विकासशील देशों की आन्तरिक नीतियाँ आदर्श हों तो भी निर्यात किंचित मात्र ही बढ़ पाता है। विकासशील देशों से प्राथमिक उत्पादों के निर्यातों को बढ़ाने का प्रयास विकसित देशों के बाजारों में प्रतिबन्धों के कारण हतोत्साहित होता है एवं इसके परिणामस्वरूप मूल्यों में कमी होती है और संभवतः सम्बन्धित निर्यातों से अपेक्षाकृत कम आय होती है।

एक या दो प्राथमिक उत्पादों के निर्यात पर निर्भर रहने वाले छोटे देशों के सामने निर्यात बढ़ाने की समस्या अधिक विकट होती है। किसी विकासशील देश द्वारा निर्यात वृद्धि किसी अन्य देश को हानि पहुँचाकर होती है। विकासशील देशों के मामले में विकसित देशों द्वारा प्रतिबन्ध लगाए जाने के बावजूद निर्यात बढ़ाने, विशेषकर निर्मित वस्तुओं की पर्याप्त गुंजाइश रहती है।

कृषि उत्पादों तथा निर्मित वस्तुओं के विश्व निर्यात में विकासशील देशों के वर्तमान हिस्से का विश्लेषण करने से यह स्पष्ट होता है कि वे विश्व निर्यातों में अधिक हिस्सा हथियाए बिना अपने निर्यातों में काफी वृद्धि कर सकते हैं। कृषि उत्पादों के मामले में यह अवसर प्रत्येक देश में भिन्न-भिन्न है, परन्तु सभी विकासशील देशों के लिए गुंजाइश काफी है। अतिरिक्त निर्यातों को किसी न किसी विकासशील देश के निर्यातों से प्रतिस्पर्द्धा करनी पड़ रही है तथा अनेक मामलों में मुख्य प्रतिस्पर्द्धी विकसित देशों के उत्पादक ही होते हैं। जूट की निर्मित वस्तुओं को छोड़कर विश्व के निर्मित वस्तुओं के निर्यात में विकासशील देशों का हिस्सा कम है या अल्पमात्र है और इसके बढ़ने की काफी गुंजाइश है।

निर्यातों को सम्वर्द्धन करने वाली नीतियाँ प्रभावकारी सिद्ध हुई हैं और उस स्थिति में निर्यातों

में हानि हुई है, जब नीति इनके विपरीत रही है। किसी निर्यातक देश के किन्हीं विशेष वस्तुओं के विश्व निर्यात में होने वाले परिवर्तन को प्रतिस्पर्द्धी घटकों का संकेत समझा जाता है। इसको सम्बन्धित देश की अपनी नीतियों द्वारा प्रभावित किया जा सकता है। निर्यातों का वस्तु स्वरूप ताइवान तथा पाकिस्तान दोनों को अपने निर्यात बढ़ाने में काफी सफलता मिली। वे बहुत ही कम समय में पहले से कहीं अधिक निर्यात करने लगे। उनकी निर्यात से प्राप्त होने वाली आय में भी काफी वृद्धि हो गई है। 1966 में रूपए के अवमूल्यन के बाद भारत द्वारा अपने निर्यात में वृद्धि के लिए किए गए प्रयासों तथा अन्य उपायों से गैर-परम्परागत निर्यातों में तीव्र वृद्धि हुई तथा उसके बाद कपड़ा तथा अन्य कृषि-आधारित वस्तुओं के निर्यात में भी वृद्धि हुई।

युद्ध के बाद निर्मित वस्तुओं के व्यापार को मुक्त करने में जितनी प्रगति हुई है, उसकी तुलना में कृषि उत्पादों के मामले में बहुत कम प्रगति हुई है। विकासशील देश कुछ कृषि उत्पादों, जैसे-गेहूँ के शुद्ध आयातक होते हैं। अब विकसित देशों में गेहूँ उत्पादकों को संरक्षण दिए जाने से विकासशील देशों को गेहूँ के आयात में लाभ हो रहा है। चीनी जैसी अन्य वस्तुओं के मामले में विकासशील देश विकसित देशों की अधिक उदात्त व्यापार नीतियों से लाभान्वित होते हैं और दूसरी ओर विकसित देश अपने देश के कृषकों की आय को अन्य उपायों द्वारा बनाये रखते हैं जो विकासशील देशों के लिए कम अहितकर होता है। काफी तथा चाय जैसी वस्तुओं के मूल्यों को बनाए रखने के लिए वस्तु समझौतों को लागू करने में विकसित देशों की सहायता आवश्यक है।

“विकसित देशों में निर्मित वस्तुओं पर प्रशुल्कों द्वारा जो संरक्षण दिया जाता है, उसका स्तर औसतन उन वस्तुओं के मामले में ऊँचा होता है जो विकासशील देशों के निर्यात में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होती है। विधायन के अंश के साथ-साथ सांकेतिक प्रशुल्कों में भी वृद्धि होती रहती है और अन्ततः निर्मित वस्तुओं सम्बन्धी सांकेतिक संरक्षण की तुलना में प्रभावी संरक्षण औसतन दुगुना होता है। गैर-प्रशुल्क अवरोध विशेषकर वस्त्रों, कपड़ा तथा विधाय कृषि उत्पादों के मामले में, अभी भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। कोटा-प्रतिबन्धों को इस प्रकार लागू किया गया है कि उनसे कुछ विकसित देशों के बाजारों को कुछ विकासशील देशों का कतिपय निर्मित वस्तुओं का निर्यात बन्द हो गया है।”¹

1 एच० जी० पी० श्रीवास्तव - अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, 1977, विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा० लि०, नई दिल्ली, पृ०- 260

विकासशील देशों से निर्मित वस्तुओं के अतिरिक्त आयातों का विकसित देशों के घरेलू उद्योगों के मूल्यों तथा लाभों पर कहीं अधिक प्रभाव पड़ता है। उन आयातों की तुलना में जो विकसित देशों के मध्य होते हैं। विकसित देशों के बीच व्यापार के विस्तार में प्रायः उन्हीं उद्योगों के उत्पादों का विनिमय होता है जिससे कि अतिरिक्त आयात मिलती-जुलती वस्तुओं के अतिरिक्त निर्यातों द्वारा प्रति सन्तुलित हो जाते हैं। कई वस्तुओं का, जैसे वस्त्र, मानकीकरण किया जाता है और वे मूल्यों के आधार पर प्रतियोगिता करते हैं, जबकि मशीनरी का मानकीकरण नहीं किया जाता और वह गुण के आधार पर प्रतियोगिता करते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि उत्पादकों के लिए क्षतिपूर्ति की व्यवस्था की जाए ताकि वे और अधिक उदात्त नीति को मान लें।

निर्मित वस्तुओं के आयातों को मुक्त करने सम्बन्धी प्रतिरोधों को काबू कर लेने पर भी किन्हीं विकसित देशों की सरकारें प्रतिबन्ध बनाए रखने की इच्छुक हो सकती हैं, क्योंकि क्षतिपूर्ति होने पर भी उनको हटाना सर्वमान्य नहीं हो सकता है और इससे बजट लागत का प्रश्न पैदा हो जाता है। इससे सम्बन्धित देश के भुगतान संतुलन की स्थिति बिगड़ सकती है। लेकिन विकासशील देशों से निर्मित वस्तुओं के आयातों को मुक्त करने में विकसित देशों का सामूहिक हित सन्निहित है। विकसित देशों को किसी प्रकार का व्यय वहन नहीं करना पड़ता क्योंकि संसाधनों के अधिक दक्ष उपयोग से उनकी अर्थव्यवस्था को लाभ होता है। साथ ही उनके भुगतान संतुलन में समग्र रूप से किसी प्रकार की हानि नहीं हो सकती क्योंकि विकासशील देशों पर इस बात के लिए निर्भर रहा जा सकता है कि वे अपने आयातों में अपने निर्यातों की वृद्धि के बराबर बढ़ोत्तरी कर सकते हैं।

विकासशील देशों के सामने यह समस्या उभरकर आई है कि विकसित देश विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को कर्ज और अनुदान के विकट जाल से उबरने नहीं देते और न ही किसी ऐसे प्रयास को सफल होने देते हैं कि ये विकासशील देश एक झटके में अपनी गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी की बुनियादी समस्याओं से उबर सकें। कोपेनहेगन का सम्मेलन गरीब, पिछड़े और विकासशील देशों की दयनीय सामाजिक स्थिति पर दुनिया के विकसित देशों का ध्यान खींचने के लिए बुलाया गया था। लेकिन विकसित देशों का जो रवैया रहा उससे साफ जाहिर होता है कि

वे न तो उतना सहायता देंगे जिससे गरीब देश मुक्त हो सकें और न ही इतना कम सहायता देंगे कि गरीब देशों की अर्थव्यवस्था ही डूब जाए।

विकसित देश अपने हथियारों पर जितना खर्च करते हैं उसका एक तिहाई धन भी कई विकासशील देशों का भाग्य बदल सकता है। विकसित देश विकासशील देशों को हथियार बेचकर जो मुनाफा कमाते हैं उससे वे एश्वर्यपूर्ण जीवन बीताते हैं। जबकि एशिया, अफ्रीका और लातीनी अमेरिका के अनेक विकासशील देश विकसित देशों के हथियार से अपना और अपने पड़ोसियों का खून बहाते हैं। काफी लम्बे समय से विकासशील देशों की विकसित देशों से मांग रही है कि हमें सहायता नहीं बल्कि बराबरी का हक चाहिए। बार-बार अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में वे यही फैसला करने जाते हैं। इन सम्मेलनों के गरीबी हटाओं और समस्या निपटाओं जैसे मार्का संदेशों से विकासशील देश उनकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। जिसके कारण इन सम्मेलनों में भारी संख्या में विकासशील देशों की उपस्थिति पाई जाती है।

विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार “अनेक विकासशील देश अपनी अर्थव्यवस्था को शेष विश्व के लिए खोलने में विफल रहे हैं। जिससे इस बात की आशंका बढ़ गयी है कि तेजी से विकसित होने वाली अर्थव्यवस्था वाले देशों एवं अविकसित देशों के बीच एक कभी न मिटने वाला अंतर कायम हो जाएगा। पिछले पाँच वर्षों में विश्व में अर्थव्यवस्था में खुलेपन एवं शेष विश्व के साथ उसके एकीकरण में काफी तेजी आयी है और कुछ प्रमुख विकासशील देश इसमें सबसे आगे रहे हैं। दक्षिणी ध्रुव में ज्यादा विकसित एवं कम विकसित देशों के बीच अन्तर को अगर खत्म नहीं किया जा सकता तो उसमें कमी तो अवश्य लायी जा सकती है। 1985 से 1994 के बीच सफल घरेलू उत्पाद की तुलना में विश्व व्यापार गत दशक की अपेक्षा तीन गुना अधिक तेजी से बढ़ा है। रिपोर्ट के अनुसार उक्त अवधि में विश्व स्तर पर सफल घरेलू उत्पाद के रूप में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में दो गुनी वृद्धि हुई है। गत दशक में विकासशील देशों में व्यापार के अनुपात में सकल घरेलू उत्पाद प्रतिवर्ष 1.2 प्रतिशत की दर से बढ़ा जबकि विकासशील देशों में होने वाला प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एक तिहाई से अधिक बढ़ा। अफ्रीका से पूर्वी यूरोप और पूर्व सोवियत संघ एवं विकासशील देश या तो विश्व व्यापार संगठन में शामिल हो गये हैं या फिर इसमें शामिल होने के

लिए उन्होंने आवेदन कर रखा है। रिपोर्ट के अनुसार क्षेत्रीय व्यापार समझौतों में वृद्धि हो रही है। मैक्सिको के मुद्रा संकट के बाद पूँजी निवेश फिर बढ़ने लगा है और सभी विकासशील देशों में आर्थिक सुधार एवं एकीकरण आर्थिक विकास का केन्द्रीय सोच बन गया है।”¹

राष्ट्र संघ में दुनिया के तमाम समस्याओं के खिलाफ जो दीप जल रहा है उसे विकसित देश ही जला रहे हैं। इन सम्मेलनों में वे विकासशील देशों को यह ज्ञात करा देते हैं कि हम आपकी समस्याओं से सहानुभूति रखते हैं, उसके लिए हमने कुछ सहायता देना भी स्वीकार किया है। लेकिन अन्ततः विकासशील देशों को ही अपनी समस्याओं से निपटना पड़ेगा। दुनिया के दो तिहाई देशों के नेता विकसित देशों के प्रतिनिधियों के भाषणों को चुपचाप और धीरज से सुनते रहते हैं और मन में सोचते रहते हैं कि इसका क्या जवाब हो सकता है। वे सोचते हैं क्यों न विकासशील देशों का मोर्चा खोला जाए, क्यों न अमीर देशों की तरह आर्थिक संघ बनाया जाए आदि। लेकिन दक्षिण एशियाई सहयोग संधि का उदाहरण विकासशील देशों को बेचैन कर देता है। एक दशक के अन्दर ही यह संगठन विफल हो जायेगा, ऐसा इसका निर्माण करते समय नहीं सोचा गया था। भारत और पाकिस्तान के आपसी राजनीतिक मतभेद इस संगठन को डुबो दिया। अफ्रीका और लातीनी अमेरिका के अग्रणी राष्ट्रों के बीच बात-बात पर झगड़ा और युद्ध चलता रहता है।

विकसित देशों से सामरिक सहायता लेकर अपने हथियार की धार को सदा चमकाए रखने के अतिरिक्त इन विकासशील देशों के पास कोई दूसरा काम शेष नहीं रहता। इन्हीं सब कारणों से विकसित देश कहते हैं कि पहले तो शीतयुद्ध के दौरान हमारे ऊपर अनेक प्रकार के आरोप लगाये जाते थे कि ये ही दुनिया भर के विकासशील देशों को लड़वाते हैं और फिर अपने सैनिक कारखानों में इनके लिए हथियार तैयार करते हैं। लेकिन अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिका के सैकड़ों देश आपस में लड़ रहे हैं तथा विकसित देश इन्हें मजबूरी में हथियार बेच रहे हैं।

विकसित देशों को इस प्रकार बोलने, विभिन्न विकासशील देशों को ओछा दिखाने का मौका स्वयं विकासशील देश देता है। भारत, पाकिस्तान, इरान, इराक, निकारागुआ, क्यूबा, मिश्र, लीबिया, जांबिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देश अपनी-अपनी सीमाओं पर किसी भी पल एक बड़े युद्ध

1 राष्ट्रीय सहारा, लखनऊ, 14मई 1996, पृ-11

छिड़ने की सम्भावनाओं से ग्रस्त रहते हैं। अपने पड़ोसी देशों के साथ संशय, भय और आक्रामक मनः स्थितियों में रहने वाले ये देश जब राष्ट्रसंघ के किसी 'समस्या से समाधान कैसे पाये' जैसे सम्मेलनों में भाग लेते हैं तो उनका विश्वास सहज ही विकसित देशों पर अटक जाता है। इसलिए विकसित-विकासशील साझा सम्मेलनों में जब भी विकासशील देशों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि पहुँचते हैं, तो वे वहाँ जल्द ही भीड़ का शक्ति धारण कर लेते हैं। जबकि थोड़े से विकसित देश वहाँ पूरी एकता का प्रदर्शन करते हैं और सम्मेलन के अन्तिम निष्कर्षों को अपनी इच्छानुरूप ढालने में सफल हो जाते हैं। सम्मेलन के प्रस्तावों में तमाम शर्तों को जोड़ने व हटाने की उनकी मांग विकासशील देशों को माननी पड़ती है। क्योंकि इन विकासशील देशों में न तो एकता है और न ही कोई कूटनीतिक क्षमता जिससे कि वे विकसित देशों की एकता में संध लगा सकें। चाहे रियो डी जनेरो का पर्यावरण सम्मेलन हो या जिनेवा का मानवाधिकार सम्मेलन या कोपेन हेगन का सामाजिक सम्मेलन, सभी जगह विकासशील देश पटखनी खाते नजर आते हैं।

गैट के पश्चात विकासशील देश

विश्व की नई आर्थिक परिदृश्य में तथा गैट समझौते के सन्दर्भ में विकासशील देशों ने नये सिरे से सोचना प्रारम्भ कर दिया। आजकल विकासशील देश विकसित देशों के अनुदानों को किसी प्रकार की सहायता या कृपा नहीं मानते। उदाहरणस्वरूप यदि औद्योगिक देश अपनी अमीरी के लिए विनाश की हद तक पर्यावरण को नुकसान पहुँचाते हैं, उसके बाद कोस्टारिका को उसके वन सम्पदा वाले घने जंगलों को न काटने के लिए ढेर सारा कर्ज देते हैं। जो कि विकासशील देशों के लिए निश्चित रूप में खुले रूप में कर्ज होता है किन्तु छिपे रूप में यह वह सेवा मूल्य है, जो विकसित देश अपने 'ग्लोबल इन्टरेस्ट' की रक्षा के लिए प्रदान करते हैं।

दुनिया के विकसित देश विकासशील देशों को उनके अर्थव्यवस्था में सुधार के नाम पर 50 अरब डालर का अनुदान प्रतिवर्ष मुहैया कराते हैं। विकसित देशों के संरक्षणवादी नीतियों के कारण विकासशील देशों के निर्यात को 50 अरब की हानि प्रतिवर्ष उठानी पड़ती है। विकसित देश अपने अनुदानों का हिसाब संरक्षणवाद से पूरा कर लेते हैं। इसलिए विकासशील देशों में यह मांग पूरी तरह जायज लगती है कि विकसित देश अपने अनुदानों को बंद करे और मुक्त व्यापार के लिए अपने

दरवाजे खोलें। संयुक्त राष्ट्र आधार और विकास परिषद (अंकटाड) का मानना है कि विकासशील देशों के संबंध में विकसित देशों की रुचि केवल अनुदानों में है, न कि अपने व्यापार प्रतिबन्धों को हटाने में।

दुनिया के विकसित देश सभी विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को संरक्षणवाद और अनुदान की दोहरी नीति द्वारा लम्बे समय से नियंत्रित कर रहे हैं। गैट समझौता लागू हो जाने के बाद भी यह सिलसिला जारी है। संरक्षणवाद पूरी तरह से गैट के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। अनुदानों ने मजबूत हो रही विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था में अपना अर्थ खो दिया है।

विकासशील देशों के कपड़े के निर्यात पर से विकसित देशों द्वारा लगाये गये टेरिफ जैसे व्यापार प्रतिबन्ध हटा दिया जाय तो उनका मुनाफा 60 अरब डालर से भी अधिक हो सकता है तथा उसके बाद विकासशील देशों को किसी प्रकार का अनुदान देने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। कपड़े के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में विकसित देशों ने विकासशील देशों पर मल्टी फाइबर अरेंजमेंट का व्यापार प्रतिबन्ध लगा दिया है। विकसित देशों का यह व्यापार प्रतिबन्ध केवल विकासशील देशों पर ही लागू है, जबकि वे अपने अन्य मित्र विकसित देशों के साथ इस नीति को अमल में नहीं लाते हैं। एम०एफ०ए० द्वारा विकसित देश गैट के सिद्धान्तों को साफ-साफ चूना लगा रहे हैं।

“एक तरफ विकसित देश विकासशील देशों से कपड़े के आयात पर कोटा निर्धारण का नियम लागू करते हैं तथा दूसरी ओर वे विकासशील देशों को अपनी अर्थव्यवस्था में मुक्त व्यापार के सिद्धान्त का उपदेश देते हैं। अंकटाड के अनुसार विकसित देशों के संरक्षणवाद से विकासशील देशों का 67 प्रतिशत निर्यात प्रभावित हो जाता है। एक दशक पूर्व तक यह संरक्षणवाद और अधिक कहर बरसा रहा था। 1980 में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने सुझाव दिया कि यदि व्यापार प्रतिबन्धों को पूरी तरह उठा लिया जाता है तो विकासशील देशों के कपड़े के निर्यात पर 93 प्रतिशत तक का उधार लिया जा सकता है। विकासशील देशों के कपड़े के निर्यात पर एक तरफ एम०एफ०ए० जैसा व्यापार प्रतिबन्ध है तथा वहीं दूसरी तरफ इस पर टेरिफ की दरें औसत से कहीं अधिक है। अंकटाड के अनुसार विकासशील देशों के कपड़े के निर्यात पर टेरिफ की दर ब्रिटेन में 18 प्रतिशत, कनाडा में 20 प्रतिशत, आस्ट्रिया में 23 प्रतिशत और अमेरिका में 38 प्रतिशत तक ऊँची है।”¹

1 प्रतियोगिता सम्राट -जून 1995, दीवान पब्लिकेशंस प्रा० लि०, नई दिल्ली, पृ०-99

गैट समझौते के अन्तर्गत व्यापार से जुड़े विकासशील देशों को कम से कम कुछ साल तक संरक्षणवादी नीति एम०एफ०ए० की चोट सहन करनी पड़ेगी। भारतीय औद्योगिक व्यापार परिसंघ के अनुसार एम०एफ०ए० और इस तरह के अन्य संरक्षणवादी नीतियां तथा व्यापार अमीर प्रतिबन्ध विकसित देश धीरे-धीरे ही समाप्त कर सकते हैं। भारत सन् 2005 तक जब समूचा कपड़ा व्यापार, विश्व-व्यापार संगठन के अधीन आ जायेगा तब एम०एफ०ए० की संरक्षणवादी नीति अपना अर्थ खो देगी। भारत को आशा है कि अगली शताब्दी में जब विश्व व्यापार पूरी तरह विश्व बाजार का हिस्सा हो जायेगा तब भारत विश्व व्यापार में एक प्रतिशत का भागीदार हो जायेगा।

भारत को आशा है कि गैट समझौते के पहले दो साल में भारत का निर्यात 15 अरब से 2 अरब तक का हो सकता है तथा इस सदी के अंत तक भारत का निर्यात 7 अरब तक पहुँच सकता है। इसी के साथ-साथ गैर टेरिफ के तमाम संरक्षणवाद का खतरा बढ़ रहा है। भारत जैसे विकासशील देशों के सामने इस तरह के खतरे की आशंका बढ़ती जा रही है। एक तरफ विकसित देश अपने कृषि उद्योग को भारी संरक्षण देते हैं। उनका यह संरक्षणवाद एक तरफ उनके उपभोक्ताओं के लिए अत्यंत महंगा है, फिर भी उनकी अर्थव्यवस्था के लिए अनुकूल है।

अधिकांश विकसित देशों में कृषि पर 180 अरब डालर से अधिक अनुदान दिया जाता है। इस अनुदान से उनके किसानों को भारी लाभ होता है। इस अनुदान की कीमत उनके उपभोक्ता चुकाते हैं। औद्योगिक देशों में खाद्य पदार्थों की भारी कीमत चुका कर ही उपभोक्ता समान खरीद पाते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार औद्योगिक देशों में खर्च प्रति परिवार 1400 डालर प्रतिवर्ष है, यूरोप के मुक्त व्यापार वाले देशों में तथा जापान में यह खर्च वर्ष भर में लगभग 3000 डालर प्रति परिवार है। विकसित देशों की अर्थव्यवस्था में उपर से देखने में भारी अनुदानों और भारी उपभोक्ता कीमतों का विरोधाभास दिखाई देता है परन्तु ये एक दूसरे के पोषक होते हैं। इस संरक्षणवाद के परिणाम अमीर देशों के लिए बड़े लाभकारी हुए, अनाज का भारी उत्पादन हुआ और उनके बड़े-बड़े पहाड़ खड़े हो गये। यूरोपीयन समुदाय अपने अनाजों के रख रखाव पर ही 2.6 अरब डालर खर्च करते हैं।

जिस संरक्षणवाद की सहायता लेकर विकसित देशों की अर्थव्यवस्था अपने को मजबूत करती

है, उसी संरक्षणवाद से वह विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था को चौपट करती है। तब उस समय यह अनुदान या डंपिंग के शील में होता है। इस समय भारत सहित एशिया तथा अफ्रीका के देशों की अर्थव्यवस्था पर विकसित देशों के सस्ते अनाजों की डंपिंग का दबाव है। अफ्रीका के कुछ देशों में इस सस्ते अनाजों की डंपिंग ने तो तबाही मचा के रख दी है। अफ्रीका के कुछ देशों में मक्का की दर 74 डालर प्रति क्विंटल थी। लेकिन अमीरों के मक्के ने भाव गिरा कर 24 डालर प्रतिक्विंटल कर दिये। कृषि की अर्थव्यवस्था को छिन्न-भिन्न करने के लिए इतना काफी है। विकासशील देशों के किसानों के सामने अपने उत्पादों के निर्यात के अवसर बहुत सीमित है। जो अवसर है उन पर अमीर देशों के सीमा शुल्क तथा गैर सीमा शुल्कों जैसे व्यापार प्रतिबन्धों की कड़ी चुनौती है। यदि विकसित देश अपने सामने से संरक्षणवाद का ढाल हटा लें तो विकासशील देशों को कृषि निर्यात में प्रतिवर्ष 22 अरब डालर का लाभ हो सकता है तथा साथ में विकसित देश भी 25 अरब डालर के वार्षिक मुनाफे में अपनी उंगली डुबो सकता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में संरक्षणवाद की दीवार हटते ही मुक्त बाजार का दो तरफा प्रवाह प्रारंभ हो जाता है।

“संरक्षणवाद की कोख से उपजे इस अनुदान पर विकसित देशों में भारी विवाद चल रहा है। विवाद का कारण यह है कि विकासशील अर्थव्यवस्था में प्रगति होने के कारण उन्हें अनुदान दिया जाए या नहीं। अमेरिका में रिपब्लिकन सिनेटर हेम्स ने तो विकासशील देशों को अनुदान देने के सारे रास्ते बंद करने की तैयारी कर ली है। सिनेटर हेम्स अमेरिकी गृह विभाग को नए सिरे से गठित करने वाली समिति के अध्यक्ष हैं। लेकिन इनकी सिफारिश का स्वयं राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन और उपराष्ट्रपति अल मोरे विरोध कर रहे हैं। ज्यादातर अमेरिकी डेमोक्रेट सदस्यों का मानना है कि दुनिया में अपनी नेतागिरी बनाये रखने के लिए अनुदानों को जारी रखना आवश्यक है। अमेरिका अपनी कुल बजट का 0.5 प्रतिशत अनुदान के रूप में बाँट कर दुनिया का नेता बना हुआ है। परन्तु दुनिया में सबसे ज्यादा अनुदान बाँटने का गौरव जापान को प्राप्त है। जापान प्रतिवर्ष 11 अरब डालर से अधिक की धनराशि अनुदान स्वरूप विकासशील देशों को बाँटता है। भारत को भी सबसे ज्यादा अनुदान जापान से प्राप्त होता है। जापान अपने कुल अनुदान खाते से 18 प्रतिशत भारत को देता है। कोबे के विध्वंसक भूकंप के बाद जापान स्वयं आर्थिक संकट में फंस गया है।

अनुदानों के साथ अनुदानों को खर्च करने की शर्तें इसके पीछे-पीछे आती हैं। इस समय भारत के प्रत्येक नागरिक पर 7 डालर अनुदानों का योग है। विकसित देशों के ज्यादातर नागरिक नहीं चाहते कि उनके देश का नाम दुनिया के दाताओं की सूची से बाहर आ जाए। विकसित देशों के मानस से साफ झलकता है कि अनुदान और संरक्षणवाद का दोहरा खेल विकासशील अर्थव्यवस्था के साथ लंबे समय तक जारी रह सकता है।”¹ विकसित तथा विकासशील देशों के बीच निर्मित वस्तुओं के व्यापार को मुक्त करने की दिशा में प्रगति इन दो प्रकार के देशों में सौदेबाजी से नहीं अपितु इस सर्वोत्तम तरीके से हो सकती है कि विकसित देश आवश्यकता को समझें और परस्पर किसी समझौते पर पहुँच सकें। विकासशील देशों को यह आशंका रहती है कि प्रतिबन्धों को घटाने के बजाय बढ़ाया जाये।

“विकास और जीवन स्तर को बेहतर बनाये बिना क्षेत्र में शांति और सुरक्षा की स्थापना नहीं हो सकती। विकसित देशों को विकासशील देशों के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करानी चाहिए। अधिक देशों के बीच अधिक वस्तुओं एवं सेवाओं का आदान प्रदान करके दक्षिण-दक्षिण सहयोग बढ़ाया जाना चाहिए और किसी क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त देश के तजुर्बे का फायदा दूसरे देशों को भी मिलना चाहिए। ऐशों आराम और विलासिता के कार्यक्रमों की बजाय कुछ समय के लिए अधिक व्यावहारिक परियोजनाओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। विकासशील देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी स्थानान्तरण पर जोर दिया जाना चाहिए। निजी क्षेत्र को इस प्रक्रिया में शामिल होने के लए अधिक कारगर ढंग से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। हालत की सही जानकारी के अभाव और अन्य विकासशील देशों में आर्थिक संभावनाओं के प्रति अनभिज्ञता के कारण भी आपसी सहयोग में भारी बाधा आती है। अपनी कुछ दिक्कतों के बावजूद भारत अन्य विकासशील देशों के साथ सहयोग में सक्रिय है। तकनीकी और आर्थिक कार्यक्रम के तहत भारत तकनीकी संस्थाओं में प्रशिक्षण सुविधाएं मुहैया कराता है, उच्च शिक्षा प्राप्त विशेषज्ञ उपलब्ध कराता है, परियोजनाएँ स्थापित करने में मदद देता है, परामर्श सेवाएं प्रदान करता है और भारत में अध्ययन यात्राएं प्रायोजित करता है।”²

1 प्रतियोगिता सम्राट -जून 1995, दीवान पब्लिकेशंस प्रा० लि०, नई दिल्ली, पृष्ठ-101

2 अमृत प्रभात, इलाहाबाद, 10 नवम्बर 1995, पृ०- 12

तालिका 5.1 विश्व व्यापार : 1987-1994

	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994
निर्यात का मूल्य (अरब डालर में)								
विश्व	2,437	2,762	2,991	3,419	3,493	3,708	3,639	3,814
विकसित देशों का हिस्सा	1,736	1,986	2,127	2,454	2,502	2,647	2,524	2,624
विकासशील देशों का हिस्सा	569	644	735	841	886	970	1,026	1,137
निर्यात की मात्रा की वार्षिक वृद्धि दर (प्रतिशत में)								
विश्व	4.7	7.3	8	5.6	4.6	5.5	2.7	6
विकसित देशों में	4.4	8.5	7.3	5.1	3.7	4.2	1.3	5
विकासशील देशों में	6.6	4.4	11.8	8.7	8.7	8.5	8.3	7.4

स्रोत : आई०एम० एफ० द्वारा प्रकाशित इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टैटिस्टिक्स और डी०ई०एस० आई० पी०ए० के अनुमान

विकसित देशों द्वारा सामान्यतया अपने कार्यकलापों का स्तर ऊंचा रखे जाने पर तथा श्रम अतिरेक और श्रम फैलाव को नियंत्रित करने के लिए उनके द्वारा विभिन्न उपाय किये जाते रहने पर, जिसमें कि उन्हें काफी अनुभव हो चुका है। विकासशील देशों से निर्मित वस्तुओं के अवाध रूप से आयात किये जाने से श्रम बाजार में किसी प्रकार का गम्भीर विघटन उत्पन्न नहीं होना चाहिए।

विकासशील देश अपना निर्यात बढ़ाने के लिए बहुत उपाय कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए अन्य घटक भी महत्वपूर्ण हैं, जैसे विकसित देशों द्वारा अपनाई जाने वाली नीतियाँ। दोनों देश समूहों के मध्य बढ़े हुए व्यापार के लिए उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने में सम्बन्धित देशों को अपनी अर्थव्यवस्थाओं को अनुकूल बना लेना चाहिए।

अब हम कुछ प्रमुख विकासशील देशों की निर्यात सम्वर्द्धन योजनाओं का संक्षिप्त अध्ययन करेंगे। इस सम्बन्ध में सीमित साहित्य उपलब्ध होने के कारण अधिक देशों के निर्यात सम्वर्द्धन योजनाओं का अध्ययन सम्भव नहीं हो पा रहा है। फिर भी जो कुछ साहित्य उपलब्ध हो पाया है उसके आधार पर निम्न देशों की निर्यात सम्वर्द्धन नीति एवं योजनाओं का अध्ययन किया जा रहा है।

1. इण्डोनेशिया
2. थाईलैण्ड
3. मलेशिया
4. मारीशस

इन प्रमुख देशों की निर्यात सम्वर्द्धन योजनाओं का संक्षिप्त अध्ययन आगे किया जा रहा है।

1. इण्डोनेशिया

निर्यात प्रोत्साहन और सुविधा

दिसम्बर 1987 से संयुक्त उद्यम निर्यात व्यापार कम्पनी को उनके द्वारा निर्मित उत्पाद तथा अन्य कम्पनियों के उत्पाद के निर्यात की आज्ञा प्राप्त है। उत्पादन के निर्यात के लिए कई प्रोत्साहन हैं। कुछ प्रोत्साहन नीचे दिया जा रहा है:-

- (i) पूरे इण्डोनेशिया में राष्ट्रीय और पी०एम०ए० कम्पनियों को छूट दर पर निर्यात साख दिया जाता है।
- (ii) निर्माता उत्पाद के निर्यात के लिए कच्चे माल का आयात कर सकते हैं। यदि आयात मूल्य घरेलू माल के मूल्य की तुलना में कम है।
- (iii) निर्यात उत्पाद निर्माण के लिए वस्तुओं और मालों की खरीद पर निर्यातक द्वारा उत्पाद मूल्य जोड़कर भुगतान की वापसी।

ज्यादा सुविधा उन इकाइयों को दिया जाता है जो अपने उत्पादन का 65% निर्यात करते हैं। जिनमें मुख्यतः निम्न है--

- (i) शुरु में विदेशी नियन्त्रण 95% तक हिस्सेदारी कर सकता है।
- (ii) मशीन, मशीन यंत्र और कच्चे माल पर आयात कर और मूल्य जोड़ कर से पूर्ण छूट।
- (iii) निर्यात उत्पाद के लिए घरेलू वस्तुओं और मालों पर मूल्य जोड़ कर में पूर्ण छूट।
- (iv) ऋणात्मक सूची औजार पर पूर्ण छूट। ऋणात्मक सूची पूँजीगत मालों की वह सूची है जो आयात कर सुविधा नहीं पाते हैं।
- (v) कोई कम्पनी जो अपने उत्पादन का 6.5% निर्यात करती हैं। वे जिस वस्तु की भी आवश्यकता हो उन्हें बिना घरेलू उत्पाद की उपस्थिति देखे ही आयात कर सकते हैं।¹

आयात कर

मशीनों और कच्चे मालों के आयात पर सरकार छूट प्रदान करती है। विदेशी निवेशकर्ता को प्राप्त आयात कर सुविधा निम्न है-

- (i) प्रमुख उत्पादन सम्बन्धित औजारों पर 100% आयात कर छूट।
- (ii) मुख्य प्रक्रिया में सहायक औजारों पर 50% छूट।
- (iii) उत्पादन के प्रथम दो के लिए कच्चे माल पर 100% आयात कर छूट।

1 श्री एल० शाहू एवं श्री आर०के० वाघवा--फारेन इनवेस्टमेन्ट ला एण्ड पालिसी इन सेलेक्ट डेवेलपिंग कन्ट्रीज, जून 1990, पृ०--77 इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ फारेन ट्रेड, B-21 मेहरौली इन्स्टीट्यूसनल एरिया, नई दिल्ली-110016

- (iv) प्रमुख औजार के 5% दाम तक प्रमुख औजार पर 100% आयात कर छूट।
 (v) उपभोग सम्बन्धित प्रमुख औजारों और उत्पादन के लिए 100% आयात कर छूट।

इण्डोनेशिया देश अच्छे प्राकृतिक संसाधनों से पूर्ण है जैसे- तेल, प्राकृतिक गैस, टिन, कापर, कोयला, लकड़ी, मछली आदि। इण्डोनेशियाई अर्थव्यवस्था में निम्न कृषक, निर्यात अभिमुख इकाई कृषि, खनिज और तेल तीन प्रमुख क्षेत्र हैं। जिनमें प्रमुख रूप से कृषि निर्यात में काफी, चाय, मसाला, रबर और फल आदि आते हैं। निर्माण क्षेत्र वैसे छोटा है लेकिन सरकार की मजबूत सहायता से इसकी आकार और भूमिका बढ़ रही है।

इण्डोनेशियाई अर्थव्यवस्था ने 1970 के दौरान वृद्धि का सामना किया है। आर्थिक विकास सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने एक पाँच वर्षीय योजना 1969 से शुरू की है। 1969-70 से प्रथम तथा द्वितीय पंच वर्षीय योजना में कृषि पर ज्यादा बल दिया गया है। इनमें से मुख्य हैं- खाद्य उत्पादन, बढ़ी हुई नौकरी सुअवसर और संरचना तथा सीमेन्ट, उर्वरक, मशीनरी आदि पर कम बल दिया जा रहा है। तीसरी योजना में तेल का मूल्य घटने के कारण आर्थिक क्रियाकलाप धीमा हो गया। अर्थव्यवस्था ने चौथी योजना में मध्य वृद्धि प्राप्त की, जब सरकार ने चुनौती पूर्ण परिस्थित के अन्तर्गत विकास जारी रखने के लिए नीतियाँ लागू की।

1982-87 के दौरान तेल मूल्य में कमी के कारण निर्यात 5% बिलियन यू०एस० डालर द्वारा 22 बिलियन डालर से 17 बिलियन डालर तक कम हुआ। अब गैर तेल और गैस क्षेत्र के निर्यात के विकास पर जोर दिया जा रहा है। इण्डोनेशिया से प्रमुख निर्यात वस्तु में लकड़ी, काफी, रबर, टिन, कापर, काली मिर्च आदि आते हैं। इस अवधि के दौरान आयात जो 17 बिलियन यू०एस० डालर से 13 बिलियन यू०एस० डालर तक गिरा है। इसमें मशीन, यंत्र, रसायन, खनिज उत्पाद, विस्थापन औजार आदि प्रमुख हैं।

विदेशी निवेश से भी निर्यात को प्रोत्साहन मिलता है, जिससे प्रेरित होकर इण्डोनेशिया सरकार ने अपने देश में विदेशी पूँजी को आकर्षित करने के लिए विदेशी निवेश नियम और नीति बनायी। जो निम्न है—

विदेशी निवेश नियम और नीति

इण्डोनेशिया की सरकार ने आर्थिक कमी को पूरा करने में देश की सहायता के लिए तकनीकी

प्रवाह और विदेशी सीधा निवेश बढ़ाने के लिए 1967 में विदेशी पूँजी निवेश कानून बनाया। सरकार ने निवेश क्षेत्र को वरीयता दिया और ऐसी योजनाओं को लागू किया, जिससे राष्ट्र में अत्यधिक रोजगार अवसर प्रदान किया जा सके। 80 के शुरु में आर्थिक क्रियाकलापों के धीमेपन ने निर्माण क्षेत्र में विदेशी निवेश का महत्व और आवश्यकता बढ़ा दी है। तेल तथा गैस क्षेत्र में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए तथा बढ़ाने के लिए सरकार ने कई प्रभावी कदम उठाए हैं। इन कदमों में निम्न हैं-- कस्टम नियन्त्रण में परिवर्तन, नयी तथा सरलीकृति कर की पद्धति, विदेशी निवेश से सम्बन्धित नियन्त्रण का प्रवाह आदि।

उदारीकृत विदेशी निवेश नियम एवं नीति तथा विदेशी निवेश को बढ़ाने के लिए उठाये गए कदमों की दृष्टि से विदेशी निवेशकों द्वारा इण्डोनेशिया में निवेश के लिए लाभकारी स्थान है। 1967-88 के दौरान 21 बिलियन यू०एस० डालर की संयुक्त पूँजी के साथ तेल, बैंकिंग तथा बीमा को छोड़कर 1000 निवेश योजना पंजीकृत की गयी।

1986-88 के दौरान नये निवेश में जापान तथा यू०एस०ए० से निवेश 40% है। पश्चिमी जावा ने सबसे आकर्षक स्थित दर्शाया है। इसके बाद जकार्ता, उत्तरी सुमात्रा तथा पूर्वी जावा आते हैं। अतः सब मिलाकर इण्डोनेशिया सरकार राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के विकास और लगातार वृद्धि के लिए चुनिन्दा क्षेत्र में विदेशी निवेश का स्वागत करता है। इण्डोनेशिया में सभी विदेशी निवेश, विदेशी निवेश कानून 1967 तथा इसके नियमों का पालन करते हैं।

विदेशी निवेश पर नियन्त्रण

इण्डोनेशिया में विदेशी निवेश के नियन्त्रण के लिए महत्वपूर्ण नियम और नियन्त्रण, विदेशी निवेश कानून 1967 में है। जो निम्न है:-

- (अ) विदेशी निवेश कम्पनी इण्डोनेशियन कानून के अन्तर्गत कानूनी रूप से संगठित इकाई होना चाहिए तथा यह इण्डोनेशिया की घरेलू कम्पनी होनी चाहिए।
- (ब) विदेशी निवेश कम्पनी विदेशी कम्पनी और इण्डोनेशियाई निजी व्यक्ति या कम्पनी और राज्य कम्पनी के बीच संयुक्त उद्यम होना चाहिए। 100% विदेशी पूँजी हिस्सेदारी की आज्ञा नहीं है।

(स) विदेशी निवेश के लिए खुले क्षेत्र में विदेशी निवेशक कम्पनियों के शेयर खरीद सकते हैं-

- (i) 51% तक, यदि कम्पनी के वित्तीय विकास के लिए नये निवेश की आवश्यकता है।
- (ii) 80% तक, यदि नये निवेश की आवश्यकता है तथा निर्यात को कम से कम 65% बढ़ाना है।

(द) संयुक्त उद्यम अपने तथा क्षेत्रीय उत्पादों का निर्यात कर सकते हैं।

निवेश वित्त

इण्डोनेशिया में संयुक्त उद्यम योजना के लिए निवेश वित्त शुरू में विदेशी साझेदार की सहायता से बाहर से या विदेशी मुद्रा ऋण से आता है। आयातित औजारों का मूल्य सामान्यतः शुरूआत में वित्त निवेश माना जाता है। संयुक्त इकाईयों के विदेशी साझेदार द्वारा लायी गयी कम से कम पूँजी 1 मिलियन यू०एस० डालर निश्चित की गयी है। कम से कम निवेश कुछ क्षेत्रों में माना जाता है जैसे-सेवा क्षेत्र, डिजाईन तथा योजना क्षेत्र जो 1 मिलियन यू०एस डालर से ज्यादा निवेश की जिम्मेदारी नहीं लेते तथा इनको 65%उत्पाद निर्यात करना पड़ता है। निवेश के लिए बैंकों से रुपया लेने की आज्ञा विदेशी निवेशकर्ता को नहीं है। फिर भी ये क्षेत्रीय मुद्रा में कार्य करने के लिए तथा पूँजी आवश्यकता को पूरा करने के लिए बैंक से रुपया ले सकते हैं।

वित्त प्रदान करने के लिए-

- (अ) एक कम्पनी अपने मान्य पूँजी का कम से कम 20% दे सकते हैं। जिसमें से 100% का भुगतान करना पड़ता है।
- (ब) लाभ के द्वारा पुनः निवेश वित्त अपने व्यापार बढ़ाने के लिए या अन्य व्यापार इकाई में निवेश के लिए कर सकते हैं ताकि नयी विदेशी इकाई बन सके। इसमें भी राष्ट्रीय हिस्सा 20% होगा तथा 15 वर्ष में कम से कम 51% वृद्धि होनी चाहिए।

विदेशी विनिमय नियंत्रण

इण्डोनेशिया देश मुक्त विदेशी विनिमय पद्धति को समर्पित है। कुछ सरल विदेशी विनिमय नियन्त्रण है। सरकार को स्थानान्तरण के किसी भी अवरोध का सामना नहीं करना पड़ता है।

विदेशी निवेश योजना के लिए पूँजी प्रवाह को योजना पंजीकरण का सामना करना पड़ता है। सभी विदेशी मुद्रा निवेश इण्डोनेशिया बैंक में रखना पड़ता है ताकि निवेशित पूँजी का रिकार्ड रहे। विदेशी मुद्रा खाते विदेशी विनिमय के लिए बैंक लाइसेन्स पर खोले जा सकते हैं। 1976 से घरेलू उपयोग के लिए बैंक मुद्रा में चेक नहीं प्रदान करता। विदेशी मुद्रा में समुद्र पार भुगतान बैंक ड्राफ्ट द्वारा किये जा सकते हैं।

2--थाईलैण्ड

निर्यात प्रोत्साहन

“थाईलैण्ड में निर्यात उन्मुख उद्योगों को निम्न प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं--

- (i) आयातित कच्चे माल पर आयात कर और व्यापार कर में छूट।
- (ii) पुनः निर्यात वस्तु पर आयात कर एवं व्यापार कर में छूट
- (iii) बीमा और विस्थापन को छोड़कर पिछले वर्ष के निर्यात से प्राप्त आय में 5% वृद्धि के मात्रा के बराबर कर योग्य आय में से भत्ता काट लिया जाता है।”¹

इस देश में प्राकृतिक संसाधन और मूल्य प्रभावित मजदूरी के साथ क्रमबद्ध योजना और विकास कार्य शुरू किया गया है। जिसके परिणामस्वरूप यह देश विकासशील देशों में एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में स्थान रखता है। थाई कम्पनियाँ मुक्त व्यापार पूँजी पर आधारित हैं। 80दशक के दौरान 7% की वार्षिक वृद्धि दर का अनुभव किया गया है। देश की अर्थव्यवस्था निम्न धनात्मक कारकों से स्पष्ट होता है--

- (i) यह चावल, शरीफा का विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक है।
- (ii) प्राकृतिक रबर, केकड़े और टिन का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है।
- (iii) देश में विश्व के 10 बड़े वाणिज्यिक मत्स्य बेड़े हैं।
- (iv) कम दाम पर कार्य करने की थाईलैण्ड में अधिकता है।
- (v) एशिया तथा विश्व में इसकी स्थिति महत्वपूर्ण है।

1 एल० शाहू एवं आर०के० वाघवा--फारेन इनवेस्टमेन्ट ला एण्ड पालिसी इन सेलेक्ट डेवेलपिंग कन्ट्रीज, -इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ फारेन ट्रेड, नई दिल्ली, 1990, पृ--91

(vi) यह देश राजनीतिक और आर्थिक स्थिति का सुख भोग रही है और सरकार विदेशी निवेश की नीति की तरफ धनात्मक विचार अपना रही है।

कृषि ही थाईलैण्ड अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। फिर भी निर्माण क्षेत्र जो 20% जी०डी०पी० के लिए जिम्मेदार है, यह देश की अर्थव्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रही है तथा निजी क्षेत्र में औद्योगिक विस्तार को गति प्रदान कर रही है। 6 वीं योजना में औद्योगिक विकास की प्राथमिकता के साथ यह देश नया औद्योगिक देश बनने वाला है। इसके परिणाम स्वरूप जी०डी०पी० में 5% की वृद्धि हुई है। औद्योगिक क्रियाकलाप कागज उत्पाद, रसायन, रबर, प्लास्टिक उत्पाद, खनिज उत्पाद और इलेक्ट्रिक उत्पाद की तरफ केन्द्रित है। विश्व बाजार की दिशा ने थाईलैण्ड के औद्योगिक ढांचे को निर्यात उन्मुख की तरफ परिवर्तित कर दिया है। निर्मित माल का निर्यात कुल निर्यात आय का 60% के बराबर है।

थाईलैण्ड सरकार ने अपने देश में विदेशी पूँजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिये एक नीति का निर्माण किया है, जो निम्न है--

निवेश सम्वर्द्धन नीति

थाईलैण्ड सरकार अपने देश में विदेशी पूँजी निवेश को आकर्षित करने के लिए अपना दरवाजा हमेशा खुला रखता है। यह देश अपने आर्थिक विकास कार्यक्रम में विभिन्न रूपों में विदेशी पूँजी निवेश की भागीदारी को बढ़ावा देता है। इस नीति का प्रमुख उद्देश्य देश के चौमुखी आर्थिक विकास को प्राप्त करना और लोगों के जीवन स्तर को उठाना है। वर्तमान समय में थाईलैण्ड की निवेश सम्वर्द्धन प्रक्रियायें निम्न उद्देश्य की दिशा की तरफ कार्यरत है-- निर्यात उन्मुख उद्योग, मजदूर प्रभावी उद्योग और वे उद्योग जो घरेलू प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं।

निवेश सम्वर्द्धन योजनाओं का अनुमोदन

सभी विदेशी निवेश, निवेश सम्वर्द्धन कानून 1977के नियन्त्रण में किया जाता है। इसके अन्तर्गत निम्न बातें आती हैं, जो निम्न हैं--

- (i) उत्पाद, वस्तु या सेवा के लिए बाजार की मांग का आकार बढ़े हुए उत्पादन क्षमता के लिए पूर्ण होना चाहिए।

- (ii) नयी कम्पनी के लिए पंजीकृति पूँजी ऋण का अनुपात 5:1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए।
- (iii) जहाँ नई उत्पादन प्रक्रिया और नयी मशीन लगाये गये हैं. वहाँ इनकी कार्यक्षमता किसी संस्थान या बोर्ड द्वारा प्रमाणित हो।
- (iv) निम्न में से किसी एक क्षेत्र में निवेश योजना को सम्बर्द्धन की आवश्यकता नहीं पड़ती है-
- (अ) जहाँ पहले ही कोई इकाई है, जो ऐसे उत्पाद, वस्तु या सेवाएं बिना सम्बर्द्धन क्रियाकलाप के प्रदान कर रहा है।
- (ब) बोर्ड ध्यान देता है कि ऐसे क्रियाकलाप भले ही सम्बर्द्धन के लिए छोटे हो, वह वापसी दर पर बिना सम्बर्द्धन आवश्यकता के कार्य कर सकते हैं।
- (स) निर्यात के लिए उत्पाद के मामले को छोड़कर पहले की उत्पादन क्षमता अगले दो वर्ष की घरेलू आवश्यकता के लिए पूर्ण हो।
- (द) उत्पादन प्रमुखतः घरेलू वितरण के लिए है और उत्पाद के लिए आयात कर 40% से ज्यादा है।
- (य) निवेश बोर्ड इन योजनाओं को सम्बर्द्धन कार्य के लिए अयोग्य समझता है।

निवेश प्रोत्साहन

देश में विदेशी निवेश सम्बर्द्धन के लिए निवेश सम्बर्द्धन कानून के अन्तर्गत निवेश बोर्ड कर प्रोत्साहन, निर्यात प्रोत्साहन और औद्योगिक सम्बर्द्धन क्षेत्र जैसे रूपों में विदेशी निवेशकों को विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान करता है।

कर प्रोत्साहन

सम्बर्द्धन स्तर के साथ उद्योगों तथा कम्पनियों द्वारा किये गये कर प्रोत्साहन में निम्न आते हैं-

- (i) आयातित मशीन पर आयात कर और व्यापार कर में छूट।
- (ii) आयातित कच्चे माल पर आयात कर और व्यापार कर में कमी।
- (iii) 3 से 8 वर्ष तक आयकर में छूट तथा 5वर्ष तक लाभ में से घाटे को पूर्ण करना।

निवेश वातावरण

खुला दरवाजा मुक्त इकाई निवेश नीति, अत्यधिक प्राकृतिक संसाधन और आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिरता के साथ थाईलैण्ड सरकार देश में विदेशी निवेश के लिए आकर्षक और स्वच्छ वातावरण प्रदान करती है।

निवेश बोर्ड

निवेश बोर्ड एक सरकारी प्राधिकरण है, जो निवेश सम्वर्द्धन नीति लागू करने के लिए जिम्मेदार है। इसके दो अलग विभाग हैं--पहला निर्णय लेने वाला अंग और दूसरा प्रशासन तथा सेवा उन्मुख अंग। सरकारी, निजी और विदेशी निवेश से सम्बन्धित योजनाओं का विकास अत्यधिक रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए तथा देश के लिए सही मात्रा में विदेशी विनिमय अर्जित करने के लिए किया जा रहा है। निर्णायक अंग जो प्रधानमंत्री द्वारा नियन्त्रित और सात कैबिनेट मन्त्री तथा सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के सलाहकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और निवेशकों को सम्वर्द्धन प्रदान करता है। जबकि सामान्य सचिव द्वारा नियन्त्रित प्रशासन अंग थाईलैण्ड में सभी घरेलू निवेश में तथा निवेशक को सूचना तथा सलाह प्रदान करता है। निवेश सेवा केन्द्र, निवेश बोर्ड के अन्तर्गत सरकारी सहायता सेवा प्रदान करने के लिए स्थापित की गयी है। यह कार्यालय निवेशकों को विभिन्न सरकारी लाईसेन्स प्राप्त करने में सहायता प्रदान करता है। सरकार विदेशी निवेशक को निम्न आज्ञा देती है--(i) निवेश अध्ययन के लिए विदेशी राष्ट्रों को बुलाना (ii) सम्वर्धित योजना के अन्तर्गत विदेशी तकनीशियन और विशेषज्ञ को कार्य के लिए लाना (iii) सम्वर्धित प्रक्रिया के लिए अपनी जमीन (iv) विदेशी मुद्रा अर्जन।

3- मलेशिया

निर्यात प्रोत्साहन

मलेशिया में निर्यात बाजार के लिए उत्पादक को निम्न प्रोत्साहन दिये जाते हैं ।

(A) निर्यात साख पुनः विनियोग योजना: उत्पाद के निर्यात सम्वर्द्धन के उद्देश्य से सरकार ने ई०सी० आर० योजना शुरू की, जो मलेशियाई केन्द्रीय बैंक द्वारा वाणिज्यिक बैंकों में लागू किया

गया । इस योजना के अन्तर्गत वाणिज्यिक बैंक मलेशियाई निर्यातकों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रभाव के लिए कम ब्याज दर पर साख प्रदान करते हैं । योजना के अन्तर्गत निम्न आते हैं -

- (i) वाणिज्यिक बैंकों द्वारा ऋण मलेशिया में माल के निर्माण के लिए निर्यातक को दिया जाता है ।
- (ii) पुनः विनियोग काल 3 महीने के लिए प्राप्त होता है।
- (iii) निर्यातक के लिए इस योजना के अन्तर्गत ब्याज दर 4% वार्षिक है ।
- (iv) पुनः विनियोग की उच्चतम मात्रा सभी मामले में 5 मिलियन मलेशियाई डालर है ।

(B) व्यवस्थित आय पर हीनता: यह घरेलू निर्माता निर्यातक कम्पनियों को मलेशिया में उत्पाद निर्माण के लिए दिया जाता है ।

- (i) निर्यात बिक्री के 50% के दर के बराबर ।
- (ii) निर्यात उत्पाद के निर्माण में प्रयुक्त स्वदेशी मलेशियाई माल के मूल्य के 5% के बराबर।

(C) 5% निर्यात अनुमोदन: निर्यात बिक्री के एफ०ओ०बी० मूल्य के आधार पर 5% निर्यात अनुमोदन मलेशिया में उत्पाद निर्माण के निर्यात के लिए व्यापारी कम्पनियों को प्रदान किया जाता है ।

(D) निर्यात साख बीमा लाभ की दुगुना कमी: 1986 से निर्यातकों को निर्यात साख बीमा के नगद जमा से दुगुना निकालने की सुविधा दी गयी है । यह वित्त मन्त्रालय द्वारा स्वीकृति कम्पनियों के बीमा पर लागू है । यह सुविधा गैर परम्परागत बाजार को खोजने के लिए निर्यातकों को दिया गया है ।

(E) निर्यात सम्बर्द्धन के लिए दुगुना निकासी: निर्मित उत्पाद के घरेलू कम्पनियों द्वारा समुद्र पार प्रचार के लिए व्यय, नमूने की पूर्ति, बाजार शोध, माल की पूर्ति के लिए निविदा की तैयारी, तकनीकी सूचना की पूर्ति, व्यापार मेले और प्रदर्शनियों में प्रदर्शन और हिस्सेदारी, व्यापार के लिए समुद्रपार यात्रा, बाहर बिक्री कार्यालय का निर्माण और निर्यात के लिए कम्पनियों दुगुना निकासी के योग्य हैं ।

(F) औद्योगिक निर्माण अनुमोदन: निर्यात के लिए मालों का ज्यादा भण्डारण और वेयर हाउस बिल्डिंग के सम्बन्ध में कम्पनी 10% प्राथमिक आई०बी०ए० अनुमोदन और 20% वार्षिक आई०बी०ए० अनुमोदन के लिए योग्य है ।

(G) (i) तटकर बचाव: व्यस्त उद्योगों को सरकार तटकर बचाव प्रदान करती है । यह वे उद्योग होते हैं जो घरेलू बाजार की आवश्यकताओं के अधिकतर हिस्से की पूर्ति कर सकते हैं । उद्योगों को प्राप्त तटकर बचाव पर अत्यधिक स्तर सुनिश्चित करने के लिए समय-समय पर सशोधन किया जाता है ।

(ii) आयात अवरोध नीति: तटकर बचाव के अलावा सरकार आयात अवरोध द्वारा क्षणिक बचाव करती है। तटकर बचाव तथा आयात अवरोध के लिए सभी प्रार्थी को विचार करने के लिए एम० आई० डी०ए० को फार्म देना पड़ता है ।

(H) कस्टम कर छूट: कच्चे माल आदि पर कस्टम शुल्क छूट इस बात पर आधारित होता है कि निर्मित उत्पाद घरेलू बाजारों में बेचे जाते हैं या निर्यात किये जाते हैं ।

(I) निर्यात के लिए निर्मित माल: निर्यात के लिए निर्मित पूर्ण उत्पाद आयात कर और कच्चे माल पर कर से पूर्णतयः मुक्त रहते हैं ।

(J) घरेलू बाजार के लिए माल का निर्माण: निर्माता कम्पनी कस्टम शुल्क में छूट पा सकते हैं यदि -

(i) निर्माण लाइसेन्स इक्विटी शर्त से सहमत है या इक्विटी शर्त को पूर्ण करने के लिए विचार किया है ।

(ii) कच्चे माल क्षेत्रीय रूप से निर्मित न किये जाते हों ।

कस्टम शुल्क से पूर्ण छूट निम्न परिस्थितियों में दिया जाता है -

(अ) यदि निर्माता कम्पनी इक्विटी हिस्सेदारी प्रबंध और रोजगार संरचना के सम्बन्ध में नयी आर्थिक नीति से सहमत है ।

(ब) यदि अन्तिम उत्पाद उन कर योग्य कच्चे माल से बना है, जिस पर कोई भी आयात

कर नहीं लागू होता है ।

अन्य सभी परिस्थितियों में पूर्ण छूट मिलती है जिसमें निर्माता को आयात कर का 2% या 3% देना पड़ता है ।

(K) आयात-निर्यात कर छूट: आयात-निर्यात कर 1977 के अन्तर्गत प्रदर्शित मालों के निर्यात के सम्बन्ध में आयात-निर्यात कर वापसी की मांग की जा सकती है । यदि कच्चे माल जिन पर आयात-निर्यात कर भुगतान किया गया है और उनको विशिष्ट वस्तुओं के निर्माण में उपयोग किया गया हो ।

(L) कस्टम शुल्क वापसी: निर्यात किये जाने वाले मालों के निर्माण में उपयुक्त सभी कर एक महीने के अन्तर्गत कुल शुल्क वापसी के योग्य है । कर वापसी शर्त और मलेशिया के कस्टम कानून 1967 के भाग 99 के अन्तर्गत चालू प्रक्रिया को पूर्ण करना पड़ता है ।

(M) एफ०टी०जेड को निर्यातित माल: कर वापसी के लिए योग्य मालों का प्रमुख कस्टम क्षेत्र से मुक्त व्यापार क्षेत्र के गति को निर्यात माना जाता है । ऐसे माल यदि कस्टम क्षेत्र में निर्मित किये जाते हैं तो भी शुल्क वापसी के लिए योग्य हैं । दावे के भुगतान और संसाधन में देरी को कम करने के लिए फैक्ट्री क्षमता के सभी दावे के भुगतान जाँच के बाद किया जाता है।

निवेश प्रोत्साहन

“निवेश कानून 1986 और आयकर कानून 1967 के सम्बर्द्धन में ही निर्माण, कृषि और पर्यटन में निवेश सम्बर्द्धन के लिए कई प्रोत्साहन दिये गये हैं । ऐसे प्रोत्साहनों में कर छूट, साखसुविधा, और तटकर बचाव के रूप में सामान्य और विशेष प्रोत्साहन आते हैं । मलेशिया में सामान्यतयः कम्पनियों को 40% आयकर देना पड़ता है । इसके अलावा 5% विकास कर और अत्यधिक लाभ कर 3% देना पड़ता है । महत्वपूर्ण स्तर की कम्पनियों को ऐसे करों से छूट मिलती है । इसके अलावा सरकार विभिन्न निवेश सुविधायें प्रदान करती है । इसके अन्तर्गत मुक्त व्यापार क्षेत्र, लाईसेन्स निर्मित वेयरहाउस तथा ऊर्जा पूर्ति संचार और प्रशिक्षण सुविधा आती है । निर्माण क्षेत्र और निम्न स्तरीय क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाती है । पूँजी और तकनीकी आयात के रूप में विदेशी

निवेश को महत्व दिया जाता है।”¹

4-मारीशस

आर्थिक नीति

“निर्यात संसाधन क्षेत्र कानून 1970 और विकास प्रोत्साहन कानून 1974 में नीतियों का निर्धारण किया गया है।

(अ) पहले वाला कानून निर्यात को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी और विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करता है, जबकि दूसरा कानून आयात विस्थापन उद्योग सम्वर्द्धन के लिए चलाया गया।

(ब) इन कानूनों का उद्देश्य निश्चित आर्थिक विस्तार प्राप्त करना है।

1971 में चालू मारीशस निर्यात संसाधन क्षेत्र योजना ने विकसित तथा विकासशील देशों से निवेश आकर्षित किया है और निर्यात उन्मुख इकाईयों की संख्या 1971 में 10 थी, वह बढ़कर 1987 में 531 तक पहुँच गया। जिसके परिणाम स्वरूप निर्यात में 0.4 मिलियन यू०एस० डालर से 500 मिलियन डालर तक बढ़ गया है।”² आयात अवरोध पर सरकारी नीति और भारत से लगातार साख सुविधा और तकनीकी सहायता के साथ आयात स्थानान्तरित उद्योगों के सम्वर्द्धन से मारीशस में निम्न स्तरीय उद्योगों की वृद्धि हुई है। एम०ई०पी० जेड और निम्न स्तरीय क्षेत्र में स्थापित निर्माण उद्योगों में संयुक्त उद्यम की सहायता से क्षेत्रीय इकाई सम्वर्द्धन द्वारा रोजगार के उत्पादन और मारीशस के मजदूरों के प्रयोग में सरकार सफल रही है। स्व-रोजगार और निम्न आय क्षेत्र के विकास के लिए सरकार ने अन्य योजनायें मुख्यतः निम्न कृषि और क्षेत्रीय उद्योग के विकास के लिए चलायी है।

इस समय मारीशस निर्यात उन्मुख औद्योगीकरण के दूसरे दौर में चल रहा है तथा चुनिन्दा क्षेत्र के विकास पर बल दिया जा रहा है। इसके तहत खाद्य संसाधन, जूते, चमड़ा आधारित माल,

- 1 एल० शाहू एवं आर० के० वाघवा-फारेन इनवेस्टमेण्ट ला एण्ड पालिसी इन सेलेक्ट डेवेलपिंग कन्ट्रीज, -इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ फारेन ट्रेड, नई दिल्ली, 1990, पृ-25
- 2 एल० शाहू एवं आर० के० वाघवा-फारेन इनवेस्टमेण्ट ला एण्ड पालिसी इन सेलेक्ट डेवेलपिंग कन्ट्रीज, -इंडियन इन्स्टीट्यूट आफ फारेन ट्रेड, नई दिल्ली, 1990, पृ-167

सामान प्रकाश अभियान्त्रिक, कृषि औजार और इलेक्ट्रानिक जैसे क्षेत्र का विकास प्रोत्साहन के पैकेज द्वारा किया जा रहा है। औद्योगीकरण के द्वितीय चक्र में मूल्य नियन्त्रण, विदेशी निवेश नियन्त्रण, मुफ्त आयात द्वारा आर्थिक विकास नीति को उदारीकृति किया गया है। निर्यात उन्मुख उद्योगों से नजदीकी सम्बन्ध के लिए निम्न स्तर उद्योग कानून लागू किया गया है। नयी निम्न स्तरीय विकास संगतन बनाम औद्योगिक काम्प्लेक्स की स्थापना वर्कशाप, समान सुविधा, सुधार आदि और तकनीकी स्थानान्तरण सम्बद्धन प्रदान करने के लिए किया गया है।

तकनीकी स्थानान्तरण की शर्त और नियम

निर्यात बाजार में प्रतियोगिता और उत्पाद बढ़ाने के लिए क्षेत्र की आधुनिकता पर ही सरकारी नीति और कार्यक्रमों का उद्देश्य है। यह आवश्यक नहीं है कि क्षेत्रीय तकनीकी सेवा और जानकारी सीमित हो तथा विदेशी तकनीकी को अवशोषित करने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में तकनीकी स्थानान्तरण तथा निम्न स्तर के विकास के लिए सहायता की शर्तें और नियम निम्न हैं

- (i) मारीशस को नये तथा अच्छे तकनीकी की आवश्यकता है जो न केवल प्रतियोगी दाम पर हो बल्कि अच्छे गुण वाला हो।
- (ii) निम्न स्तरीय इकाई को सहायता पैकेज तथा सेवा की आवश्यकता है, ताकि गारंटी के साथ न केवल मशीन बल्कि कच्चे तथा अपूर्ण माल पा सके।
- (iii) औजार के ठेके में मशीन चालक को प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए तथा मशीन के सामान तथा औजार की पूर्ति होनी चाहिए ताकि छोटे सुधार स्वयं किये जा सके।
- (iv) क्षेत्रीय नियमों के सम्बन्ध में योजना तथा निवेश पूर्व अध्ययन शुरू करना चाहिए और ध्यानपूर्वक परीक्षण करना चाहिए।
- (v) नयी तकनीकी के साथ योजना की स्थापना में पार्टियों के मध्य तकनीकी स्थानान्तरण संयुक्त रूप से होना चाहिए ताकि शुरू से ही सफलता मिले।

निवेश के लिए सुविधा और प्रोत्साहन

मारीशस निर्यात उन्मुख संयुक्त उद्यम इकाई के लिए संयुक्त रूप से प्रोत्साहन, लाभ और सुविधा प्रदान करता है। जो निम्न हैं—

- (i) स्थिर राजनीतिक और सामाजिक वातावरण ।
- (ii) यूरोपियन बाजार को कर मुक्त अवसर ।
- (iii) पूर्ण विकसित राजकर प्रोत्साहन ।
- (iv) उच्च शिक्षित उत्पादक और सस्ते मजदूर बल जो अंग्रेजी, फ्रेंच तथा अन्य भाषाये बोल सकते हैं ।
- (v) पूर्ण विकसित ढांचा जो पूरे संसार के सभी भाग से सम्बन्ध रखता है ।
- (vi) कम दाम पर फैक्ट्री के लिए मकान तथा अच्छी जमीन की उपलब्धता ।
- (vii) पूर्ण विकसित तथा विस्तृत औद्योगिक आधार ।
- (viii) उच्चतम गुण स्तर बनाये रखने की अत्यधिक जागरूकता ।
- (ix) कुछ समय के लिए विदेशी तकनीशियन के रहने और कार्य करने की आज्ञा है ।
- (x) राष्ट्रीयकरण के विपरीत जिम्मेदारी ।
- (xi) पूर्णतयः प्रभावी तथा अच्छी प्रशासनिक सेवा ।
- (xii) मशीन, औजार, कच्चे माल, अपूर्ण माल पर आयात कर में पूर्ण छूट ।

राज्य कर सम्बन्धी प्रोत्साहन

- (i) संचालन के जीवन काल में 15% नामंकिता दर पर कर का भुगतान ।
- (ii) प्रथम 10 वर्ष के लिए लाभांश पर आयकर में छूट ।
- (iii) निवेशित पूँजी और लाभांश को मुफ्त वापसी ।

एफ०डी० ए और तकनीकी स्थानान्तरण के लिए अवसर देने वाले क्षेत्र

मारीशस बाजार छोटा है इसलिए निर्यात बाजार पर आधारित योजनाओं को वरीयता दी जाती है। इस सन्दर्भ में वस्त्र, चमड़ा सामान, जूता-चप्पल, बहुमूल्य धातु और आभूषण आदि अधिक अवसर प्रदान करते हैं।

अध्याय- VI

विभिन्न योजनाओं एवं
विभिन्न आयात-निर्यात
नीतियों के दौरान निर्यात
को प्रोत्साहन

विभिन्न योजनाओं एवं विभिन्न आयात-निर्यात नीतियों के दौरान निर्यात को प्रोत्साहन

देश की विकास प्रक्रिया में विस्तृत निर्यात व्यापार एक शक्तिशाली माध्यम है, जो आर्थिक संरचना के आधार पर निर्यात व्यापार से कुछ हद तक घरेलू स्रोतों में रोजगार सृजन करती है। निर्यात उद्योग में विस्तृत तकनीक एवं प्रशिक्षण प्रदान करने के प्रभावों को अन्य अर्थतंत्रों पर लागू नहीं किया जा सकता। घरेलू उत्पादन एवं विकसित क्रिया-कलापों तथा बढ़ रहे प्रभावी मार्गों के लिए विस्तृत बाजार आवश्यक है। किसी देश की आर्थिक नीतियों में निर्यात नीति एक प्रमुख अंग है, जो सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करते हैं तथा इसके प्रभावों का विभिन्न क्षेत्रों में अलग-अलग तरीको से अनुभव किये जा सकते हैं।

विकासशील देशों में निर्यात व्यापार की आवश्यकता विदेशी मुद्रा प्राप्त करने तथा औद्योगीकरण के लिए आवश्यक है। औद्योगीकरण एवं विकास के लिए अनिर्मित वस्तुओं का निर्यात आवश्यक है। निर्यात नीति का प्रमुख उद्देश्य निर्यात क्रियाकलापों के विकास एवं आयात को सही दिशानिर्देश देने में सहायता प्रदान करना है, जो निर्यात क्षेत्र और सामान्यतयः घरेलू अर्थव्यवस्था की आवश्यकता के लिए आवश्यक है। किसी देश के विस्तृत निर्यात नीति के मुख्य उद्देश्य निम्नवत होने चाहिये-

- (i) निर्यात व्यापार के आधारभूत स्तम्भों को शक्तिशाली बनाना एवं निर्यात को प्रोत्साहन देना।
- (ii) उत्पादन प्रक्रिया में प्रयुक्त तकनीकी उपकरणों का आधुनिकीकरण करना।
- (iii) उत्पादन प्रक्रिया में सहायता के लिए सभी सम्भव सुरक्षा प्रदान करना।
- (iv) उत्पादन बढ़ाने के लिए आयात नियमों को सरल बनाना।
- (v) निर्यात के पूर्ण विकास में सहायता प्रदान करना।
- (vi) निर्यात क्रियाओं को सही दिशा प्रदान करना।

ऊपर दिये गये उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सरकार को एक धनात्मक निर्यात नीति बनानी चाहिये। भारत में योजना अवधि के दौरान निर्यात को पूर्ण सुरक्षा प्रदान नहीं की गयी है। प्रथम

दो पंचवर्षीय योजनाओं में निर्यात की तुलना में आयात अधिक किया गया। पूर्ववत् उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए कोई भी नीति परिवर्तन या अन्य कार्यक्रम नहीं शुरू किया गया। सन् 1947 में सभी नियमों को मिलाकर एक नया कानून बना जो 25 मार्च 1947 से प्रभाव में आया। यह "आयात और निर्यात कानून 1947" के नाम से प्रचलित है। प्रारम्भ में यह केवल तीन वर्ष के लिए था परन्तु बाद में इस कानून को अगले कुछ समय के लिए बढ़ा दिया गया।

दूसरी योजना अवधि के दौरान यह अनुभव किया गया कि जब तक औद्योगीकरण अपनी गति प्राप्त नहीं कर लेता है, तब तक निर्यात आय को बढ़ाया नहीं जा सकता है। दूसरी योजना-वधि के दौरान औसत निर्यात आय पहली योजना अवधि की तुलना में कम थी। तीसरी योजना-वधि में घरेलू उपभोग के अलावा निर्यात सम्बर्द्धन की स्पष्ट रूप से आवश्यकता अनुभव की गयी। निर्यात के लिए योजनाओं की क्षमता को बढ़ाया गया। निर्यात में सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया में सुधार के स्थान पर दीर्घकालीन नीतियाँ लागू की गयीं। सन् 1970 में, सरकार ने एक धनात्मक निर्यात नीति बनायी, जिसका नाम "निर्यात नीति हल 1970" है। कुछ वस्तुओं के घरेलू उपभोग पर प्रतिबन्ध तथा दबाव डाला गया। यह निर्यात क्षेत्र को पूर्ण विकास प्रदान करने के लिए किया गया। निर्यात नीति हल 1970 के मुख्य उपलब्धियाँ निम्न हैं-

- (i) निर्यात एवं विकास सम्बन्धित उद्योगों के विस्तार पर ज्यादा दबाव डालती है, जो निर्यात आय बढ़ाने का प्रमुख स्रोत है।
- (ii) देश ने कई क्षेत्रों में उच्च निर्यात दर प्राप्त की है और सही नीतियों और उपायों को लागू करने से इसके उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता मिलेगी।
- (iii) यह अनुभव किया गया है कि निर्यात सम्बन्धित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सही ढाँचा बनाना आवश्यक है।
- (iv) यह निम्न पर दबाव डालती है-
 - (अ) परम्परागत उत्पादों के निर्यात में यथास्थिति बनाये रखना।
 - (ब) दीर्घकालीन निर्यात के उत्पादों को पहचानना तथा उनके विकास के लिए विशिष्ट उपायों और कार्यक्रमों को लागू करना।

- (v) यह उद्योगों को निम्न दृष्टि से सहायता प्रदान करने का उद्देश्य रखती है-
- (अ) उत्पाद को प्रतियोगी बनाने के लिए
 - (ब) मशीनों को आधुनिक करने के लिए
 - (स) गुण नियन्त्रण विकास के लिए
 - (द) विपणन व्यवस्था प्रदान करने के लिए
 - (य) सही समय पर पूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए
 - (र) सही दामों पर पूर्ण जहाजी व्यवस्था प्रदान करने के लिए

नीति हल का मुख्य परिणाम निर्यात को एक उच्च राष्ट्रीय संगठन बनाने में सहायता प्रदान किया। 1977 में जब जनता सरकार सत्ता में आयी तो इस नीति को पुनः लागू किया गया। "हमारे प्राथमिक उद्देश्य अपने करोड़ों देशवासियों के कष्ट को कम करना है और उनके जीवन स्तर को उच्च बनाना है। अतः सामूहिक उपभोग की आवश्यक वस्तुओं के निर्यात के दौरान अपने नागरिकों को प्राथमिकता प्रदान करने की आवश्यकता महसूस करते हैं।" ¹ नई निर्यात नीति संशोधन हमारे निर्यात सम्बर्द्धन को सही दिशा दिखायेगी। भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने के लिए हमको इसके आधारभूत तत्वों पर विस्तार से विचार करना चाहिये।

निर्यात नीति को योजनाओं के विकास के साथ स्थिर रखना चाहिये। विकास की कमियों को निर्यात बढ़ाकर सुधारा जा सकता है तथा रोजगार में भी सहायता प्रदान कर सकता है। दीर्घ कालीन निर्यात नीतियों के सही दिशा निर्देश के आधार पर विनिमय नीतियाँ बनानी चाहिये। दीर्घ अवधि में निर्यात तभी बढ़ सकता है जब अर्थव्यवस्था के विकास की दर बढ़ेगी और निर्यात योग्य क्षेत्र प्राप्त करेगी। आन्तरिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद दाम और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए हमें सही दिशा में कार्य करना आवश्यक है।

गैर परम्परागत उत्पादों के निर्यात के लिए बढ़ रहे उत्पादन का विशिष्ट महत्व होना चाहिये जैसे-समुद्री उत्पाद, विनिर्मित खाद्य और वनोत्पाद। निर्यात के कुछ भौतिक विस्तार से विस्तृत लाभ

1 फाइनेन्सियल एक्सप्रेस- 15 अगस्त 1977, नई दिल्ली

प्राप्त किया जा सकता है। परम्परागत वस्तुएँ निरन्तर भारतीय निर्यात में अपना प्रभुत्व बनाये हुए हैं और इनके अल्प कमी से विदेशी विनिमय में भारी घाटे का अनुभव किया जाता है। परम्परागत निर्यात जैसे- जूट उत्पाद, सूती वस्त्र माल, चाय और काफी। निर्यात का विस्तार उन्हीं क्षेत्रों में सीमित रहता है जहाँ पर उपभोग का आधार असीमित होता है। बाजार का विस्तारीकरण वस्तु के विस्तारीकरण की तरह बराबर मूल्यवान है। सेवाओं और तकनीक निर्यात की ओर बढ़ने के लिए कदम उठाये जाने चाहिये। भारतीय तकनीक और निर्यात सेवाओं के प्रतिस्पर्धा में विकास हुआ है। प्रतिदिन की अन्तर्राष्ट्रीय विपणन समाचार व्यवस्था और निर्यातकों को सही सहायता प्रदान करने की आवश्यकता से नये कदम उठाना चाहिये। निर्यात सम्बद्धन समिति इस दिशा में और महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है।

सरकार ने अलेक्जेंडर समिति का गठन किया। यदि इनकी सिफारिशों को क्रियान्वित किया जाय तो ये आयात-निर्यात से सम्बन्धित मुश्किलों को समाप्त कर देंगे तथा ये आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक के संगठन का पुनर्निर्माण करेंगे। समिति सरकार को आयात तथा निर्यात के दीर्घकालीन ब्यूह रचना के निर्माण के लिये सलाह देती है। ताकि वर्ष पर्यन्त के लिये आर्थिक परिवर्तन की रचना की जा सके। समिति विदेशी व्यापार नीति के प्रतिबंधात्मक आचरण को समाप्त करने का सुझाव भी देती है तथा आयात-निर्यात नीति के निर्माण के लिए एक तीन वर्षीय आयात-निर्यात नीति का निर्माण भी करती है। भारतीय निर्यातकों के दीर्घकालीन निर्यात के लिये एक अन्य त्रिवर्षीय आयात-निर्यात नीति का गठन किया गया जिसे 'अविद हुसैन समिति' के नाम से जाना जाता है। सरकार ने तीन उच्च स्तरीय समिति को स्वीकार किया है। जो निम्नवत है- अलेक्जेंडर समिति, टंडन समिति और अविद हुसैन समिति तथा इसकी कुछ शाखायें जो सरकार के आर्थिक क्रिया-कलापों के ऊपर नियंत्रण का कार्य करती हैं। ये समितियाँ निम्न सुझाव प्रस्तुत करती हैं।

1- अलेक्जेंडर समिति (जनवरी 1978)

इस समिति का गठन डा० पी०सी० अलेक्जेंडर की अध्यक्षता में जनवरी 1978 में किया गया। यह विभिन्न बिन्दुओं पर ध्यान आकर्षित करती है। यथा कच्चे माल का आयात, विविध प्रकार के पूँजीगत सामानों का आयात, तकनीकी और उपभोक्ता सेवाओं, तटकर नीति, निर्यात योजनायें,

नगद सहायता के लिए नीति, निर्यात नियंत्रण तथा निम्न स्तरीय निर्यातको के लिए सरल नीति बनाना, आयात और निर्यात के लिए संस्थागत सेवाओं का कार्यान्वयन करना, जिसके अन्तर्गत आयात और निर्यात के मुख्य नियंत्रक का कार्यालय का निर्माण सम्मिलित है। इस समिति की मुख्य ब्यूह रचनायें अग्रलिखित हैं-

- (i) निर्यात की प्रक्रिया का सरलीकरण करना और कच्चे माल तथा औद्योगिक उपयोग के लिये आयात लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाना।
- (ii) पूँजीगत माल और उत्पादन में प्रतिस्पर्धा लाने की दृष्टि से जिज्ञासा पैदा करना, विस्तार और खुली लाइसेंसिंग व्यवस्था के द्वारा पूँजीगत मालों के आयात को सुनिश्चित करना।
- (iii) आयात-निर्यात से सम्बन्धित प्रक्रियाओं और रीतियों का सरलीकरण करना।
- (iv) निम्न स्तरीय उद्योग समूह की व्यवस्था का विस्तार करना यथा स्वीकृत निर्यात घरों को प्राप्य हैं।
- (v) कर के सम्बन्ध में लाइसेंसिंग व्यवस्था के स्थान पर तटकर नियम लागू करना तथा उत्पादन और मूल्य कमी के गुण में विकास प्राप्त करने के लिये तकनीकी का हस्तांतरण करना।
- (vi) विनिर्मित, प्रतिबंधित और पैकिंग वस्तुओं के लिये पुनः पूर्ति लाइसेंस प्रदान करना। तथा दोबारा पूर्ति लाइसेंस स्थानान्तरण योग्य होना चाहिये।
- (vii) कुछ विशिष्ट क्षेत्र से सम्बंधित वस्तुओं के विनिर्माण सीमित रखना यथा विस्तार का लाभ, उपभोक्ता को उत्तम सेवायें प्रदान करना, दोषपूर्ण व्यापार प्रक्रियाओं पर प्रतिबंध लगाना तथा दीर्घ कालीन पूर्ति को सुनिश्चित करना। कुछ चुने हुये वस्तुओं का विस्तार तथा लाइसेंसिंग प्रक्रियाओं के लिये सार्वजनिक क्षेत्र एजेंसियों को छूट प्रदान करना।
- (viii) औद्योगिक विकास के प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए औद्योगिक मूल्यों तथा विभिन्न उत्पादों पर से तटकर दर को अनवरत कम करना।
- (ix) विकसित संस्थागत संरचना और सेवायें जिसके अन्तर्गत लाइसेंसिंग और सम्बद्धन प्रक्रियाओं के लिये आयात-निर्यात के मुख्य नियंत्रक के लिये कार्यालय का निर्माण

करना, निर्यात सम्बर्द्धन समिति को मजबूती प्रदान करना तथा प्रतिनिधियों को विदेश भेजने के लिये अलग व्यवस्था करना।

2- टंडन समिति 1980

1980 में प्रकाश टंडन की अध्यक्षता में निर्यात व्यूह रचना के आधार पर टंडन समिति का गठन हुआ। समिति निर्यात व्यापार के लाभों को अनुभव किया तथा सुझाव दिया कि देश में आयात के सम्बन्ध में निर्यात को बढ़ाना आवश्यक है। जब हम घरेलू आर्थिक स्थिति पर अपना ध्यान देते हैं तत्पश्चात निर्यात की प्रक्रिया ज्यादा आवश्यक हो जाता है। इसलिए जब तक हम देश के पूर्ण आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए प्रभावशाली कदम नहीं उठाते तब तक हमारे देश का निर्यात नहीं बढ़ सकता। 1980 के दशक में निर्यात बढ़ाने के लिए टंडन समिति ने निम्न सुझाव दिये-

- (i) निर्यात बढ़ाने के लिए देश को, अनुदान जारी रखकर नहीं बल्कि निर्मित वस्तुओं के गुणात्मक स्तर में सुधार करके निर्यात बढ़ाना चाहिये।
- (ii) घरेलू उपभोग में वृद्धि के कारण हम अपना निर्यात नहीं बढ़ा पाये है, इसलिए निर्यात के समझौते और सौदों को पूरा करने के लिए यदि आवश्यक हो तो घरेलू उपभोग पर अस्थायी रूप से प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए।
- (iii) मध्यम एवं दीर्घकालीन निर्यात साख की पूर्ति के लिए वाणिज्यिक बैंकों को पुनर्वित्त की सुविधा दी जानी चाहिये।
- (iv) उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसी इकाई को सरकार की पूर्व स्वीकृति लेना आवश्यक नहीं होना चाहिए।
- (v) निर्यात योग्य अतिरिक्त की प्रति के लिए अधिक उत्पादन का होना आवश्यक है और निर्यात बाजार की निरन्तरता बनी रहे, इसके लिए उत्पादन के एक निश्चित अंश को निर्यात के लिए उपलब्ध किया जाना चाहिए।
- (vi) फरवरी 1973 से कुल 807 वस्तुओं को लघु पैमाने के क्षेत्र में उत्पादन के लिए रिजर्व किया गया, लेकिन निर्यात करने वाली इकाइयों पर यह आरक्षण लागू नहीं होना चाहिए

एवं शत-प्रतिशत निर्यात के आधार पर ही अतिरिक्त क्षमता का लाइसेन्स दिया जाना चाहिए।

- (vii) ऐसी औद्योगिक इकाइयाँ जो लगातार तीन साल तक अपने उत्पादन का 25 प्रतिशत से अधिक निर्यात करती है, उन्हें बिना आयात कर का भुगतान किये पूँजीगत वस्तुओं के आयात की सुविधा दी जानी चाहिए।
- (viii) वाणिज्य मन्त्रालय में एक निर्यात प्रबन्ध विभाग स्थापित किया जाना चाहिए, जिसके दश उपविभाग होने चाहिये तथा प्रत्येक उप विभाग को निर्यात उद्योगों के एक समूह के लिए उत्तरदायी होना चाहिए।

3- अविद हुसैन समिति 1984 (व्यापार नीति पर समिति)

अविद हुसैन की अध्यक्षता में दिसम्बर 1984 में इस समिति का गठन किया गया। समिति ने निर्यात नीति में निम्नलिखित परिवर्तन करने के सुझाव दिये हैं-

- (i) निर्यातों में वृद्धि के लिए सहायता के क्षेत्र में विस्तार किया जाना चाहिए तथा निर्यात बढ़ाने के लिए सहायता की मात्रा में भी वृद्धि की जानी चाहिए।
- (ii) निर्यातकों को बार-बार लाइसेंस प्राप्त करने की दुविधा से मुक्त करने के लिए पास बुक प्रणाली आरम्भ करना चाहिए।
- (iii) निर्यातक इकाइयों को विभिन्न करों से मुक्त किया जाना चाहिए या विशेष छूट की व्यवस्था की जानी चाहिए।
- (iv) भारतीय रूपये की विनिमय दर को उचित स्तर पर बनाये रखने का प्रयत्न करना चाहिए।
- (v) निर्यातों से होने वाले लाभ के 50 प्रतिशत भाग को आयकर से मुक्त कर देना चाहिए।
- (vi) निर्यातक के साहस को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

अविद हुसैन समिति के सभी सुझाव विचार योग्य हैं। कुछ सुझावों को पहले ही स्वीकार किया जा चुका है। यह आयात-निर्यात नीति भारतीय निर्यातकों को दीर्घकालीन निर्यात ब्यूह रचना में सहायता एवं नीति में स्थिरता लाने के लिए तीन वर्ष की अवधि के लिए लागू किया गया। विनिमय

के विपरीत प्रभाव और व्यापार व्यवस्थाओं, निर्यातक समुदाय को आयात-निर्यात पास बुक प्रदान किया गया। समिति ने आगे सुझाव दिया कि एक असीमित अवधि के लिए उच्च स्तरीय सुरक्षा इन आयात प्रतियोगी उद्योगों को नहीं प्रदान करना चाहिये, नहीं तो इसके परिणामस्वरूप दाम बहुत ऊँचे हो जाते हैं या फिर एक तरफा लाभ होता है।

प्रथम पंचवर्षीय योजना तथा निर्यात प्रोत्साहन

“प्रथम योजना के प्रारम्भ के समय भारतीय निर्यात अपनी चरम सीमा पर था। कोरिया-युद्ध से उत्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक दशाओं से भारतीय निर्यात में तीव्र वृद्धि हुई। बढ़ते हुये अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों ने घरेलू मूल्यों को भी प्रभावित किया, इसलिए भारतीय सरकार ने कई वस्तुओं पर निर्यात-कर में वृद्धि कर दी, जिससे भारतीय सरकार को पर्याप्त आय प्राप्त हुई।

भारत की निर्यात नीति के दो निर्धारक तत्व थे-

I- दुर्लभ मुद्रा क्षेत्र में निर्यात बढ़ाकर दुर्लभ मुद्रा की मात्रा बढ़ाना।

II- यदि घरेलू मांग में कमी पड़ती है तो निर्यातों को कम करना।”¹

पाकिस्तान के बन जाने से भारत की निर्यात करने की शक्ति में न केवल कमी आयी बल्कि प्रतियोगिता भी बढ़ गई। ऐसी परिस्थिति में भारतीय सरकार ने उदार निर्यात नीति का निर्धारण किया। यह भी प्रयास किया गया कि चावल, दाल इत्यादि का भी निर्यात किया जाए जो कि इससे पहले निषिद्ध था। इसी प्रकार चाय की अनुकूल उपज के फलस्वरूप सरकार ने चाय के निर्यात में वृद्धि की। भारतीय निर्यात में वृद्धि करने के लिए निर्यात सम्वर्द्धन की नीति का निर्धारण किया गया। अपरम्परागत वस्तुओं का पारम्परिक बाजार में तथा परम्परागत वस्तुओं का अपारम्परिक बाजार में निर्यात के सिद्धान्त पर भारतीय निर्यात सम्वर्द्धन की नीति अपनाई गई। इस दिशा में पहला प्रभावशाली कदम सूती वस्त्र-उद्योगों के लिए निर्यात सम्वर्द्धन समिति की स्थापना के द्वारा उठाया गया। समिति का मुख्य कार्य बाजार का निरीक्षण एवं प्रतियोगिता का अध्ययन करना तथा सुझाव देना था।

1 डा० एस०एन० लाल- मौद्रिक अर्थशास्त्र, शिव प्रकाशन, इलाहाबाद, 1979, पृ० -394

द्वितीय पंचवर्षीय योजना तथा निर्यात प्रोत्साहन

द्वितीय योजना में एक बार पुनः निर्यात-वृद्धि पर बल दिया गया। विदेशी मुद्रा के अभाव में द्वितीय योजना में यह और भी आवश्यक हो गया कि निर्यात में वृद्धि के लिए प्रचार किया जाये। निर्यात आयात के बीच अन्तर कम करने के उद्देश्य से सरकार ने लगभग 200 वस्तुओं के ऊपर से नियन्त्रण उठा लिया। इन वस्तुओं में सूती वस्त्र, जूट के सामान इत्यादि सम्मिलित हैं। कई वस्तुओं जैसे-कच्चा कपास, चाय इत्यादि में वृद्धि की गई। इसी प्रकार वित्तीय सुविधायें दी गयी जिससे भारतीय वस्तुयें अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतियोगिता के समक्ष टिक सकें। सरकार ने निर्यात-सम्बर्द्धन के दृष्टिकोण से औद्योगिक इकाइयों के आयात-अभ्यंश एवं सुविधायें तथा उनकी निर्यात-प्राथमिकताओं के मध्य सम्बन्ध स्थापित किया। वे इकाइयाँ जो कि निर्यात में वृद्धि प्रदर्शित करती थीं उनको आयात की सुविधा प्रदान करने का सरकार ने प्रलोभन दिया। यदि कोई औद्योगिक इकाई अपने प्रतिनिधियों को बाजार सर्वेक्षण के लिए विदेशों में भेजना चाहे तो उसे विदेशी मुद्रा की सुविधा दी जायेगी। 1957 में निर्यात-जोखिम बीमा सहकारी समितियों की स्थापना कर सरकार ने निर्यात-सम्बर्द्धन के लिए एक और प्रभावशाली कदम उठाने का प्रयास किया। विदेशों में नये बाजार की खोज के लिए सरकार ने बहुत से व्यापार दलों को विदेश भेजा। इसी प्रकार दूसरे देशों के 'व्यापार दलों' को आमन्त्रित भी किया।

तृतीय पंचवर्षीय योजना तथा निर्यात प्रोत्साहन

तीसरी योजना में निर्यात बढ़ाने की आवश्यकता को महसूस करते हुए निम्नलिखित उपायों पर जोर दिया गया।

- (क) घरेलू उपभोग उचित सीमा तक कम करना होगा ताकि निर्यात के लिये वस्तुएँ जमा की जा सकें।
- (ख) निर्यात के सापेक्ष लाभकारिता बढ़ाने के कदम उठाये जाने चाहिये अर्थात् विकासशील अर्थव्यवस्था में घरेलू मंडियों में अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जा सकता है।
- (ग) लागत को दृष्टि में रखते हुए, विशेष रूप से निर्यात उद्योगों को अधिक से अधिक

प्रतियोगी बनाना चाहिये। निर्यातो की विविधता पर भी बल दिया गया।

मुदालियर समिति

सन् 1961 में श्री ए० रामास्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में एक आयात-निर्यात नीति की स्थापना की गई। इस समिति ने देश के बढ़े हुए आयातों को सन्तुलित करने के लिए निर्यातों को प्रोत्साहित करने की सिफारिश की। समिति के अनुसार निर्यात सम्बन्धी योजनाएँ प्रतिवर्ष बनाई जानी चाहिये। इस योजना के अन्तर्गत यह स्पष्ट किया जाना चाहिये कि किस उद्योग द्वारा निर्मित माल या कितनी वस्तुएँ निर्यात की जायेंगी। समिति ने निर्यात कर्ताओं को प्रोत्साहन प्रदान करने के विभिन्न सुझाव दिये, जैसे- "विभिन्न उद्योगों को अधिक कच्चे माल का आयात करने की स्वीकृति दी जाये ताकि वे अपने उत्पादन को बढ़ा सकें। एक आवर्तक निधि स्थापित किया जाये ताकि कच्चे माल की प्राप्ति हेतु अतिरिक्त विदेशी मुद्रा विनिमय प्राप्त की जा सके। यदि विदेशी फर्में भारतीय निर्यात के लिए रूपये में भुगतान करने के लिए प्रस्ताव करें तो उस पर विचार करना चाहिये। निर्यात-कर्ताओं को आयकरों में छूट दी जानी चाहिये। निर्यात कर्ताओं को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वे विदेशी मुद्रा को रख लें। समिति ने उपभोक्ता वस्तुओं के आयात का विरोध किया था। निर्यात के माल पर रेल के भाडे में 25 प्रतिशत की सामान्य छूट दी जाये। जिन निर्यात उद्योगों में संकट छाया हुआ है, उसे दूर करने के लिए पूरे-पूरे प्रयास किये जायें। केन्द्र सरकार को निर्यात लागत में विक्रय कर की छूट स्वयं करनी चाहिये। देश में उपभोग के लिए बेचे गए उत्पादनों पर विशेष कर लगाने चाहिए और इस प्रकार प्राप्त आमदनी का प्रयोग निर्यात के प्रोत्साहन में करना चाहिये। सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय मेलों में भाग लेना चाहिये, उसे निर्यात जोखिम की गारन्टी देनी चाहिए, मुख्य नियन्त्रक आयात और निर्यात के कार्यालय में स्टाफ की वृद्धि करनी चाहिए, भारतीय व्यापारियों को प्रोत्साहन देना चाहिए आदि।"¹

चतुर्थ पंचवर्षीय योजना तथा निर्यात प्रोत्साहन

चौथी योजना में निर्यातों से 7 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया तथा निम्न कार्यक्रम

1 डा० डी०एन० गुर्दू- अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, कालेज बुक डिपो, जयपुर, 1971-72, पृ० -484, 485

निर्धारित किये गये।

- “(i)- निर्यात बढ़ाने के लिए कृषि, खनिज और औद्योगिक क्षेत्रों में उत्पादन लक्ष्य बढ़ाने पर बल दिया गया।
- (ii)- निर्यात के लिए अतिरेक का सृजन करने के लिए उपभोग पर नियन्त्रण रखने पर भी जोर दिया गया।
- (iii)- निर्यात प्रोत्साहन के लिए आन्तरिक कीमतों में स्थायित्व को आवश्यक समझा गया।
- (iv)- निर्यात वस्तुओं की लागत घटाने तथा उनके गुणात्मक स्तर में सुधार करने पर बल दिया गया।
- (v)- बन्दरगाहों के विकास और आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया।
- (vi)- गैर-परम्परागत निर्यातों को बढ़ाने के लिए पर्याप्त प्रचार एवं विपणनोत्तर सेवा को आवश्यक समझा गया। साथ ही नये निर्यातों के बाजार की खोज पर भी जोर दिया गया।”¹

इस योजना की अवधि में निर्यातों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, जिसके तीन कारण थे-

- (i) विभिन्न निर्यात-प्रोत्साहन कारणों का अनुकूल प्रभाव।
- (ii) उत्पादक एवं पूँजीगत वस्तुओं की घरेलू मांग में कमी।
- (iii) लोहा और इस्पात एवं इन्जीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात में भारी वृद्धि।

पाँचवी पंचवर्षीय योजना तथा निर्यात प्रोत्साहन -

पाँचवी योजना में निर्यात प्रोत्साहन पर विशेष बल दिया गया है। निर्यात लक्ष्य हासिल करने के लिए निर्यात के लिए प्रतियोगात्मक मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता की वस्तुओं का उत्पादन बड़ी मात्रा में किया जाय। सप्लाई में रुकावट आ जाने से निर्यात सम्वर्द्धन के सारे प्रयत्न बेकार हो जाते हैं। यदि उत्पादन में ऐसी बाधा आ जाय जो टाली न जा सके तो घरेलू उपभोग के बजाय निर्यात को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। निर्यात के लिए बाजार ढूँढने में अत्यधिक व्यय और प्रयास करना पड़ता है। एक बार निर्यात बाजार हाथ से निकल जाने पर उसे फिर आसानी से हासिल नहीं

1 डा० जी०सी० सिंघई- अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, साहित्य भवन आगरा, 1993, पृ० -474

किया जा सकता, यदि जरूरी हुआ तो घरेलू खपत के लिए कमी होने के बावजूद भी, निर्यात अवश्य जारी रहना चाहिए।

इंजीनियरी व धातु का सामान, संयंत्र और मशीन, परिवहन उपकरण तथा उपभोग वस्तुओं का विश्व बाजार तेजी से बढ़ रहा है। इंजीनियरी उद्योग दो प्रकार के होते हैं- जैसे अधिक दक्ष व अपेक्षाकृत श्रम प्रधान। ये उद्योग निर्यात बढ़ाने के लिए काफी क्षमता प्रदान करते हैं। हमारे पास कुशल और अर्द्ध-कुशल मानवशक्ति पर्याप्त मात्रा में है। क्योंकि हमारे देश के लोग नई तकनीक जल्दी सीख जाते हैं, इसलिए इन उद्योगों को फैलाया जा सकता है। हमारे पास पर्याप्त ससाधन हैं।

हमे कला-कौशल विरासत में मिली है। अतः इसका पूर्ण उपयोग निर्यात के लिए किया जाना चाहिए। सम्पन्न देशों में मोती, कीमती पत्थर, जवाहरात, आर्ट वर्क्स, कालीन और अन्य कलात्मक वस्तुओं की मांग तेजी से बढ़ रही है। उन्नत देशों में जीवन-स्तर बढ़ने के साथ-साथ उनके आहार की किस्म में भी सुधार हुआ है। इसके परिणामस्वरूप इन देशों में मछली, माँस, फल और वनस्पति की मांग तेजी से बढ़ रही है। हमारे देश में विविध जलवायु परिस्थितियाँ व प्राकृतिक संसाधन तथा लम्बी तटवर्ती सीमा होने के कारण हम यह मांग पूरी कर सकने की स्थिति में हैं। मत्स्य पालन, पशुपालन, बागवानी तथा इससे सम्बद्ध प्रोसेसिंग उद्योग को विकसित किया जाय और यातायात साधनों को तेज किया जाय।

निर्यात को सफल बनाने के लिए यह अपेक्षा की जाती है कि केवल निर्यात योग्य सामान का ही उत्पादन न किया जाय, बल्कि उस सामान की खपत घर में करने की बजाय उसे विश्व बाजार तक भी पहुँचाया जाये। नगद सहायता, आयात आपूरण, औद्योगिक लाइसेंसिंग में वरीयता उत्पादन तथा क्षमता बढ़ाने के लिए लागत-सामान के आयात में उदारता, देश में तैयार साज सामान को रियायत तथा प्राथमिकता व टैक्स में रियायत देना और निर्यात दायित्व जैसी अनिवार्यताओं में रियायत इत्यादि शामिल हैं।

1977-78 की निर्यात नीति

1977-78 की निर्यात नीति के दौरान इस प्रकार की व्यवस्था की गयी कि छोटे पैमाने के

तथा ग्राम और कुटीर उद्योग में निर्मित माल का अधिक से अधिक निर्यात किया जा सके। "छोटे पैमाने के उद्योगों के बारे में निर्यात संगठन को मान्यता प्राप्त करने के लिए चुनी हुई वस्तुओं के मामले में निर्यात की सीमा घटाकर 25 लाख रुपये तथा अन्य वस्तुओं के मामले में दो करोड़ रुपये कर दिया गया। छोटे पैमाने के जो उद्योग उपर्युक्त घटी हुई सीमा तक भी यदि निर्यात नहीं कर पाते हैं तो उन्हें यह सुविधा प्रदान की गयी कि वे कई छोटे-छोटे उद्योग मिलकर अपना निर्यात संगठन बना सकते हैं। यदि ये मिले हुए छोटे उद्योग 24 लाख रुपये तक का निर्यात न कर पाये तो इन्हें निर्यात संघ का दर्जा प्रदान किया जायेगा। इनके साथ यह शर्त थी कि अगर इनका निर्यात दस लाख रुपये का है और ये प्रतिवर्ष 5 लाख रुपये का निर्यात बढ़ाकर अपना निर्यात व्यापार 25 लाख रुपये तक ले आये। निर्यात संगठनों से सम्बन्धित योजनाओं को सरल किया गया, ताकि निर्माताओं तथा विशेषकर छोटे निर्माताओं को विदेशों में अपना माल बेचने में कोई कठिनाई न हो।"¹ निर्यात बढ़ाने के लिए तथा निर्यात संगठन की मान्यता प्राप्त करने के लिए चुनी हुई निर्यात वस्तुओं के मामले में निर्यात की सीमा बढ़ाकर एक करोड़ तथा अन्य वस्तुओं के मामले में 5 करोड़ रुपये कर दिया गया। निर्यातकों को अनेक वस्तुओं के आयात की छूट दी गयी ताकि वे अपनी जरूरत की चीजें सस्ते भाव पर आयात कर सकें और देश के उत्पादन कार्यक्रमों तथा प्राप्त निर्यात आर्डरों के अनुसार माल भेजने के लिए सही समय पर आयात कर सकें।

1978-79 की निर्यात नीति

1978-79 की निर्यात नीति में पहली बार देश की आयात-निर्यात नीति को नियन्त्रण की बजाय विकास पर आधारित किया गया। निर्माताओं को अधिक आयात की छूट देकर निर्यात में वृद्धि का आधार बनाया गया।

विदेशी व्यापार से सम्बन्धित अधिक उत्तरदायित्व पूर्ण कार्यों के निर्वाह के लिए आयात-निर्यात मुख्य नियन्त्रक का नाम बदलकर 'डाइरेक्टर जनरल आफ फारेन ट्रेड' कर दिया गया। लघु उद्योगों

1 डा० जी०सी० सिंघई- अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, साहित्य भवन आगरा, 1993, पृ० -475

को प्रतिष्ठित निर्यातको का दर्जा देने के लिए शर्तों को उदार बना दिया गया और जिन छोटे उद्योगों का निर्यात कम से कम 10 लाख था और जो प्रतिवर्ष 5 लाख का निर्यात बढ़ाने की क्षमता रखते थे, उनको भी प्रतिष्ठित निर्यातक का दर्जा प्रदान किया गया। भारत के रिजर्व बैंक द्वारा निर्यातको को दी जाने वाली विदेशी विनिमय की सुविधा को बढ़ाकर उसकी सीमा को 5 लाख रुपये कर दिया गया।

छठी पंचवर्षीय योजना तथा निर्यात प्रोत्साहन

छठी योजना में निर्यात नीति को अधिक युक्तिसंगत एवं विकास परक बनाया गया। जो निम्न हैं-

- (i)- इंजीनियरी, तैयार कपड़े, दस्तकारी का सामान, हीरे जवाहरात आदि नये मर्दों के निर्यातों में तीव्र गति से वृद्धि का निश्चय किया गया।
- (ii)- निर्यातकों को सम्बन्धित उद्योग सम्बन्धी माल का आयात करने की छूट दी गयी।
- (iii)- निर्यात की प्रक्रिया को सरल बनाया गया।
- (iv)- निर्यात करने वाली इकाइयों को तकनीकी का आधुनिकीकरण करने की सुविधाएँ दी गयी।
- (v)- निर्यात वित्त के लिए निर्यात-आयात बैंक की स्थापना की गयी।

इन सब कदमों को अपनाने से पाँच वर्ष में निर्यातों में 76 प्रतिशत अर्थात् लगभग 12 प्रतिशत वार्षिक की वृद्धि हुई।

सातवीं पंचवर्षीय योजना तथा निर्यात प्रोत्साहन

इस सातवीं योजना के अन्तर्गत 12 अप्रैल 1985 को भारत के वाणिज्य मन्त्री द्वारा पहली बार तीन वर्ष के लिए (1985-88) निर्यात नीति बनायी गयी। इस नीति के निम्न लिखित उद्देश्य हैं-

- (अ) निर्यातों से सम्बन्धित माल के उत्पादन के तकनीकों को आधुनिकतम बनाना।
- (ब) निर्यात उद्योग को प्रोत्साहन देकर निर्यातों में अधिक से अधिक वृद्धि करने का प्रयत्न

करना।

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए :

- (i) निर्यातों की प्रक्रिया को सरल बनाया गया।
- (ii) निर्यात एवं आयातों का रिकार्ड रखने के लिए पासबुक की व्यवस्था की गयी।
- (iii) एक करोड़ रुपये या उससे अधिक रकम के वार्षिक निर्यात करने वाली इकाइयों को तकनीक आयात करने की छूट दी गयी।
- (iv) 5 से 10 करोड़ रुपये या अधिक का माल निर्यात करने वाली इकाइयों को अपना टेलीफोन एक्सचेंज आयात करने दिया गया।

उपरोक्त सभी व्यवस्थाओं के अतिरिक्त अधिक से अधिक माल निर्यात करने वाली इकाइयों को टेकनालॉजी, मशीनें, पुर्जे, कच्चा माल तथा वित्त सम्बन्धी सभी सुविधाओं की उपलब्धि में प्राथमिकता देने की घोषणा की गयी।

1988-91 निर्यात नीति

निर्यात नीति (अप्रैल 1988 से मार्च 1991) की घोषणा भारतीय सरकार द्वारा निर्यात सम्वर्द्धन के प्राथमिक ब्यूह रचना के एक भाग के रूप में किया गया। नीति में शर्तें निर्यात के लिए ज्यादा सुविधाएँ प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण हैं। नई नीति के उद्देश्यों का विवरण देते हुए, वाणिज्य संघ और वित्तमन्त्री ने यह कहा कि आयात और निर्यात का नियन्त्रण अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण आवश्यकता है और निर्यात के लिए विकास को बढ़ावा देना चाहिये।¹ ओ०जी०एल तालिका के विस्तार का निर्माण सरकार की तरफ से नहीं होना चाहिये ताकि गैर जरूरी आयात न किया जाय। मन्त्री के अनुसार केवल उन्हीं वस्तुओं को आज़ा प्रदान किया जायेगा जो कि घरेलू उत्पादन और देश के लिए जरूरी है। नई आयात और निर्यात नीति के मुख्य उद्देश्य और लक्षण निम्न हैं-

उद्देश्य

नई आयात-निर्यात नीति के उद्देश्य निम्न हैं-

1 इकोनोमिक्स टाइम्स, मार्च 31, 1988, नई दिल्ली.

- (i) आधुनिकीकरण, तकनीकी विकास और उद्योगों को अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतियोगी बनाने के लिए पूँजीगत माल, कच्चे माल का सही निर्यात प्रदान करते हुए औद्योगिक विकास को गति प्रदान करना ।
- (ii) प्रभावी आयात सहायतायें और स्वयं पूर्ति प्रदान करना।
- (iii) वस्तुओं के गुण और उनके प्रशासन में सुधार के द्वारा निर्यात सम्बर्द्धन प्रदान करना।
- (iv) नीति और प्रक्रियाओं का सरलीकरण करना।

प्रमुख लक्षण

आयात-निर्यात नीति के प्रमुख लक्षण जिनका उद्देश्य निर्यातकों और आयातकों को पूँजीगत माल में सहायता प्रदान करना है, इनका मुख्य लक्षण निम्न है-

नीति और खुले सामान्य लाइसेन्स का मूल्यांकन तीन वर्ष की अवधि पर है लेकिन यह लाइसेन्सिंग वार्षिक के आधार पर बना रह सकता है। पूँजीगत माल पहले की तरह खुले सामान्य लाइसेन्स या लाइसेन्स योग्य की तरह है, नहीं तो उन पर रोक लगा दिया जाता है। आयात के लिए पूँजीगत माल की तालिका में औद्योगिक मशीनों के 99 वस्तुएँ रखी गयी हैं, पूँजीगत माल के 5 वस्तुएँ प्रतिबन्धित तालिका में रख दी गयी। इस नीति के अन्तर्गत यदि नये आयातित मशीन का दाम 25 लाख से ज्यादा बढ़ता है तो भारतीय व्यापार पत्रिका और भारतीय निर्यात समाचार में विज्ञापन प्रकाशित करवाये जाते हैं। नीति यह व्यवस्था प्रदान करती है कि विज्ञापन का प्रकाशन अभियान्त्रिक उद्योग के पत्रिका में भी किया जा सकता है। इसे विज्ञापन के छपने के समय को कम करने की दृष्टि से किया गया है।

दुबारा पूँजीगत माल के आयात के लिए सुविधा, जो कि सात वर्ष से ज्यादा पुराने नहीं है और 5 वर्ष से कम जीवन नहीं रखते, उनका आयात किया जा सकता है। फिर भी पुराने मशीनों के मूल्य के सम्बन्ध में प्रस्तावित आयात 10 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होना चाहिये। यही क्रिया नई मशीनें प्राप्त करने के लिए भी लागू होती है, जिसमें मूल्य 25 लाख रुपये से ज्यादा नहीं बढ़ता।

निर्यातकों को अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतियोगी बनाने के लिए यह जरूरी समझा गया है कि

पूँजीगत माल के आयात के लिए सुविधाये प्रदान करना चाहिये ताकि निर्यातक ऐसे पूँजीगत मालों की कमी न महसूस करे। यह नियम पारित किया गया है कि निर्माणकर्ता-निर्यातकर्ता को उनके उत्पादन के 25 प्रतिशत का निर्यात करने की आज्ञा प्राप्त है। पूँजीगत माल के आयात के सम्बन्ध में विशिष्ट विचार प्रदान किये गये हैं। ऐसे आयात मूल्य के आधार पर आज्ञा दिये जायेंगे ताकि पूँजीगत मालों को उपस्थित किया जा सके। पूँजीगत माल जो कि आयात के लिए पारित किया गया है, उसका प्रभाव सीधे निर्यात किये गये उत्पाद पर पडता है।

खुले सामान्य लाइसेन्सिंग व्यवस्था के अन्तर्गत कम्प्यूटर प्रणाली के निर्यात के लिये सुविधा प्रदान की गयी है, यदि आयात एक ही बार किया गया है और कम्प्यूटर में निम्न कम से कम ढाँचा है-

- (अ) सी०पी०यू० कम से कम 32 बिट शब्द दूरी के साथ
- (ब) 60 मेगावाइट का मुख्य यादाश्त और
- (स) हजार मेगावाइट का ग्रहणक्षमता। कम्प्यूटर प्रणाली के आयात की सुविधा साफ्टवेयर निर्यात योजना के अन्तर्गत निर्यात अनुग्रह के लिए प्रदान किया गया है।

औजारों के आयात के लिए नीति को सरलीकृत कर दिया गया है। औजार जो कि पंजीकृत तालिका में दिये गये हैं, उनको सामान्यतयः आयात करने की आज्ञा नहीं दी जाती है। पूँजीगत माल के भाग की तरह औजार के निर्यात को केवल पूरक लाइसेन्सिंग प्रक्रिया के अन्तर्गत आज्ञा प्रदान किया जाता है।

खुले सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत कच्चे माल और उपभोग योग्य माल जिन पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है, वो आयात के योग्य हैं। खुले सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत आयात के लिए वस्तुओं की सूची का विस्तार किया जा चुका है। कई वस्तुएँ जिसे खुले सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत सही उपयोग करने वालों के लिए पूर्व नीति में आयात की आज्ञा प्राप्त है, लेकिन निर्यात नीति की तालिका में नहीं रखे गये हैं, उसको खुले सामान्य लाइसेन्स तालिका में सच्चे उपयोग करने वाले के लिए जोड़ दिया गया है। 329 ऐसे वस्तुओं को लेते हुए आयात के लिए कुल वस्तुओं को संख्या 944 हो गयी है। ये वस्तुएँ निर्यात घर और व्यापार घर के द्वारा भी अन्य

लाइसेन्स से आयात किये जा सकते हैं।

पूरक लाइसेन्सिंग क्रिया के अन्तर्गत सच्चे उपयोग करने वाले के द्वारा प्रतिबन्धित और सीमित वस्तुओं के आयात की सुविधा प्रदान थी। इनको सीमित आज्ञा प्राप्त तालिका के किसी भी वस्तु के आयात के लिए पूरक लाइसेन्स प्राप्त है, लेकिन लाइसेन्स की कीमत ज्यादा से ज्यादा 20 लाख होता है। निर्यात इकाई के पूरक लाइसेन्स के क्रियान्वयन की सुविधा प्रदान की जाती रही है। दुबारा प्रक्रिया व्यवस्था की सुविधा केवल एक बार मिल सकती है और सचमुच उपयोग करने वाले को इन वर्षों के दौरान पूरक लाइसेन्सिंग प्रक्रिया को मानना पड़ता है। यह सुविधा केवल उन इकाइयों को प्राप्त है जो अपने उत्पादन का 25% निर्यात लाइसेन्सिंग वर्षों में कम से कम 10 लाख रुपये तक निर्यात करते हैं।

खुली सामान्य लाइसेन्सिंग के अन्तर्गत अल्पव्यय निर्यात की सुविधा प्राप्त करते रहते हैं। लगाये गये मशीनों की कीमत के आधार पर प्रतिबन्धित अल्पव्यय के आधार के लिए इनको लाइसेन्स प्रदान किया जा सकता है। इस कीमत की सीमा में एक वस्तु के आयात के लिए 1.5 लाख से 3 लाख रुपये तक आयात किया जा सकता है। वित्त प्रदान करने के लिए पूँजीगत माल के निर्माणकर्ता के द्वारा अल्पव्यय के आयात के लिए सुविधा लगातार मिलती रहती है। विदेशी मशीनों के भारतीय एजेंट या औजार निर्माणकर्ता अल्पव्यय के बिक्री भण्डारण और आयात के लिए लाइसेन्स पाने योग्य होते हैं।

अभियान्त्रिकी वस्तु के द्वारा अल्पव्यय के आयात के लिए एक नियम लागू किया गया है जो कि परियोजना चला रही है। ऐसे कम्पनियों को वर्तमान में कच्चे माल के उपभोग और पूँजीगत माल के आयात की आज्ञा प्राप्त है। अल्पव्यय के आयात को आयातित औजार, कम्पनी या मशीना के दो प्रतिशत के आधार पर या लगाये गये मशीनों के कुल खरीद दाम के एक प्रतिशत के आधार पर आज्ञा प्राप्त है। यह आज्ञा उन कम्पनियों को प्राप्त है जो लाइसेन्सिंग के दौरान परियोजना का निर्माण किया है। आयात माल के पूर्व उपभोग के 25 प्रतिशत तक की नये निर्मित वस्तुओं के सीधे आयात की सुविधा लगातार मिलती रहती है। खुली लाइसेन्सिंग व्यवस्था के अन्तर्गत पूँजीगत माल, कच्चे माल इत्यादि के आयात की सुविधा को रेलवे, डाक विभाग और तार घर, संचार,

दूरदर्शन और आल इण्डिया रेडियो तक विस्तृत कर दिया गया है। दूरदर्शन को कम्पनियों के आयातित माल की वीडियो फिल्म खुले सामान्य लाइसेन्स के आधार पर संचार और दूरदर्शन के मन्त्री द्वारा योग्य बनाया गया है

अप्रवासी भारतीय और मूल भारतीय को उद्योग लगाने के लिए या विस्तार और विकास में भाग लेने के लिए, पूँजीगत माल, कच्चे माल और उपभोग योग्य वस्तुओं की आवश्यकता के निर्यात के लिए विशिष्ट सुविधा प्राप्त है। यह औद्योगिक सुविधा सरकार द्वारा मिलती है। अप्रवासी भारतीय जो कि खुले नियन्त्रण लाइसेन्स की तालिका में आते हैं, वे पूँजीगत मालों का आयात कर सकते हैं। वे अन्य पूँजीगत माल जो कि 35 लाख रुपये दाम के आयात के लिए प्रतिबन्धित नहीं है, उनको खुले सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत आयात कर सकते हैं।

खुले सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत प्रथम वर्ष में किये गये कच्चे माल के आयात को उद्योग मन्त्री के अन्तर्गत विशिष्ट समिति द्वारा प्रमाणित करा सकते हैं। दूसरे या तीसरे वर्ष में लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए आयात और निर्यात के मुख्य नियन्त्रक को प्रार्थनापत्र भेज सकते हैं, उनको ये प्रार्थनापत्र प्राधिकरण के द्वारा भेजने की आवश्यकता नहीं है। सभी परिस्थितियों में अप्रवासी भारतीय के द्वारा निश्चित किये गये आयात में उनका विदेशी विनिमय आय या विदेशी स्रोत को भारत में रखने की आज्ञा नहीं प्रदान की जाती है।

दवाओं और रासायनों के आयात के बारे में नियम को दुहराया जा चुका है। जीवन बचाने वाली दवाइयाँ और औजार, जीवन बचाने के 209 वस्तुएँ और जीवन बचाने की 108 दवाइयाँ खुले सामान्य लाइसेन्सिंग के अन्तर्गत सभी व्यक्तियों द्वारा आयात करने की सुविधा प्राप्त है। हास्पिटल और मेडिकल संस्थाओं द्वारा आयात किये गये दवाइयों और रासायनों की कीमत की सीमा 25,000 रुपये से 50,000 रुपये तक है। चिकित्सा व्यवसाय के द्वारा आयात किये गये रासायनों और दवाओं के मूल्य की सीमा 1,000 से 5,000 तक से 2,000 से 10,000 तक बढ़ा दिया गया। हास्पिटल और रेडियोलोजिकल दवाखानाओं की पूर्व नीति में 1,00,000 रुपये से 50,000 रुपये तक के एकसरे मशीन को आयात कर सकते हैं। चिकित्सा औजार के सम्बन्ध में हास्पिटल या चिकित्सा संस्थान के द्वारा तथा पंजीकृत चिकित्सकों के द्वारा कीमत की सीमा को दो लाख रुपये

से 5,000 तक को 4 लाख से 10,000 तक बढ़ा दिया गया।

कार्यालय मशीनों के आयात की सुविधा उन निर्यातकों को दी जाती है, जिनकी निर्यात क्षमता एक करोड़ रुपये या उससे ज्यादा है। यह आयात दो वर्ष में एक बार किया जाता है। निर्यात घर या व्यापार घर, कार्यालय मशीनों के आयात के लिए प्रत्येक वर्ष लाइसेन्स पाने योग्य होते हैं। दूरसंचार विभाग के अनुमोदन पर पी०ए०बी० एक्स/ पी०बी० एक्स के आयात के लिए भी सुविधा प्रदान की जाती है। सही उपभोक्ता को वितरित करने के लिए कच्चे मालों के ज्यादा आयात के लिए व्यापार घर या निर्यात घर और सार्वजनिक क्षेत्र को लाइसेन्स में आयात कर नियम प्रदान किया जाता है। निर्यात घर और व्यापार घर के लाइसेन्स की कीमत 50 लाख से। करोड़ और 1 करोड़ से 2 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है। विदेशी दूर संचार और कैमरामैन के द्वारा कैमरे के आयात की नीति विदेशी समाचार अभिकर्ता कार्यालय या विदेशी समाचार पत्र को प्राप्त है। सूखे फलों के आयात की नीति के अन्तर्गत इस व्यापार में पहले से ही व्यस्त व्यक्ति द्वारा योग्य निर्यातक को नीति के दूसरे वर्ष में लाइसेन्स की कीमत के 50 प्रतिशत दाम की क्षमता, 1980-90 के दौरान और 1990-91 के दौरान लाइसेन्स के मूल्य के शत प्रतिशत क्षमता दिखानी पड़ती है।

आयातित माल उपभोग योग्य एवं अल्प व्यय की उनकी आवश्यकता पूरी करने के लिए निम्न स्तरीय इकाई को इस नीति के अन्तर्गत विशिष्ट सुविधा प्रदान करने का प्राविधान है। यह नीति निम्न स्तरीय इकाइयों के सम्बन्ध में पूँजीगत माल, कच्चे माल के लिए प्रार्थना पत्र उद्योग के राज्य निर्देशालय के द्वारा नामांकित कार्यालय को प्रदान किया जाता है। निर्माण कर रहे कार्यक्रम के अन्तर्गत इकाइयों के सम्बन्ध में खुले सामान्य लाइसेन्सिंग के अन्तर्गत आयात के तालिका का प्रमाण विकास आयोग (निम्न स्तरीय उद्योग, नई दिल्ली या निम्न उद्योग विकास संगठन) के द्वारा किया जा सकता है।

परिवर्तित आयात दुबारापूर्ति योजना

निर्यात नीति के अन्तर्गत कच्चे माल और निर्यात उत्पाद के निर्माण में उपयोग करने के लिए आयात दुबारा पूर्ति लाइसेन्स निर्यातकों को प्रदान किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत प्रदान किये गये आर०ई०पी० लाइसेन्स मुक्त रूप से स्थानान्तरण योग्य होते हैं। परिवर्तित आर०ई०पी०

योजना निर्यात सम्बर्द्धन के लिए मुख्य औजार के रूप में देखा गया है।

आयात दुबारा पूर्ति के लिए निर्यात उत्पाद का क्षेत्र विस्तृत कर दिया गया है। यह महसूस किया गया है कि नीति की तालिका में रखे गये कुछ उत्पादों को छोड़कर सभी उत्पादों को दुबारा पूर्ति लाइसेन्स प्रदान किया गया है। यहाँ तक कि वे निर्यात उत्पाद जो आयात-निर्यात नीति की तालिका 17 के अन्तर्गत नहीं रखे गये हैं, उनको भी आयात दुबारा पूर्ति की आज्ञा प्रदान है। तालिका 17 के द्वारा निर्यात उत्पाद के लिए आयात दुबारा पूर्ति की दर 3 प्रतिशत तक बढ़ा दी गयी है। आयात दुबारा पूर्ति की परिभाषा में आयात-निर्यात नीति के सामान्य शर्त न० 8 को खत्म कर दिया गया है और कालम 4 के वस्तुओं को विशिष्ट बना दिया गया है। यह आर०ई०पी० लाइसेन्स के लिए प्रार्थनापत्र का वितरीकरण जल्द कर देता है।

यह जरूरी समझा गया है कि दुबारा पूर्ति योजना के आयात के लिए उनके उत्पादन को विस्तृत करने के योग्य बनाना चाहिये। सभी आर०ई०पी० लाइसेन्सों में एक लचीलापन लाया गया है। यह तालिका 3 और नीति के 5A में लिखे गये कच्चे मालों भागों के आयात के लिए किया गया है। लचीलापन की सीमा मूल्य के 10 प्रतिशत के आधार पर ज्ञात किया जाता है। 10 लाख रुपये तक के पूँजीगत माल के आयात को बिना समायोजन के ही आज्ञा मिल जाती है। यह लचीलापन मशीनों के एक वस्तु के आयात के लिये भी लागू हो सकता है, जिनकी कीमत एक करोड़ रुपये होती है।

यह निर्यात नीति निर्मित माल की पूर्ति के विशिष्ट समूह के सम्मान में कुछ निर्यात लाइसेन्स प्रदान करती है। ऐसी पूर्ति सामान्यतयः अन्तर्राष्ट्रीय दाम पर किये जाते हैं।

नीति में मुख्य परिवर्तन अप्रत्यक्ष निर्यातक को बढ़ावा देने में किया गया है। अप्रत्यक्ष निर्यातक वे हैं जो निर्णित निर्यातकों को माल प्रदान करते हैं। वर्तमान में ऐसे अप्रत्यक्ष निर्यातक कोई भी लाभ नहीं पाते हैं और इसके परिणामस्वरूप वे अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर वस्तुएँ नहीं देते हैं। निर्णित निर्यात लाभ सभी पूर्तिकर्ता को लाइसेन्स मुक्त कर नहीं मिलता है। यह भी महसूस किया गया है कि इसके परिणाम स्वरूप मूल्य बढ़ेगा और आपूर्ति कर्ता की क्षमता अच्छी होगी। सभी परिस्थितियों में जब भी आयात दुबारा पूर्ति के वस्तुओं की दर में परिवर्तन होता है, वे 130 दिन के अवधि के

अन्दर प्रभावी कर दिये जाते हैं। इन 130 दिनों में किये गये सभी निर्यात के लिए निर्यातक को वस्तु की आवश्यकता होगी!

चुँगी छूट योजना

चुँगी छूट योजना कच्चे माल, उपभोग योग्य वस्तुएँ और अल्प व्यय, को प्रत्येक वर्ष निर्यात उत्पादन चुगी छूट के लिए ऊपर दिये गये वस्तुओं के आयात की सुविधा प्रदान करता है। यह नीति निर्यात सम्बर्द्धन का प्रमुख औजार की तरह विकसित हुई है। मध्य अग्रिम लाइसेन्सिंग योजना के अन्तर्गत चुँगी छूट अग्रिम लाइसेन्स, मध्य उत्पाद के निर्यात की पूर्ति के लिए पंजीकृत निर्माणकर्ताओं-निर्यातकर्ताओं को प्रदान किया जाता है। यह योजना निर्माण कर्ता-निर्यातकर्ता को पूर्ति प्राप्त करने के योग्य बना देता है। यह योजना जो कि केवल कुछ विशिष्ट उत्पादों तक ही सीमित था, उनको सभी वस्तुओं तक बढ़ा दिया गया है। जहाँ भी दो अलग निर्माणकर्ता इकाई के द्वारा संयुक्त रूप से कार्य किया जा सकता है। यह दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय है जो कि अप्रत्यक्ष निर्यातक को लाभ प्रदान करता है। निर्माणकर्ता और निर्यातकर्ता दोनों संयुक्त रूप से निर्यात को पूर्ति करने के लिए उत्तर दायी होते हैं। इस नियम के परिणामस्वरूप विदेशी विनिमय को बढ़ाया जा सकता है और निर्यात क्षमता को अच्छी तरह उपयोग किया जा सकता है।

यह नीति चुँगी छूट योजना के अन्तर्गत प्रदान किये गये लाइसेन्स में दुबारा पूर्ति लाभ की सुविधा प्रदान करता है, (विशिष्ट आर०ई०पी० लाइसेन्स) विशिष्ट आर०ई०पी० लाइसेन्स से उच्च मूल्य सुनिश्चित करने की आशा की गयी थी। यह चुँगी छूट लाइसेन्सिंग योजना पर मूल्य के 10 प्रतिशत तक प्रदान किया जाता है। इसे नीति के तालिका 17 में दिये गये दुबारा पूर्ति दरों को सीमित करने के लिए किया गया है।

तकनीक प्राधिकरण के अनुमोदन के आधार पर आने वाली और जाने वाली वस्तुओं की तालिका में 54 वस्तुओं को जोड़ते हुए उसे बड़ी कर दी गयी है। यह अग्रिम लाइसेन्स के लिए प्रार्थना पत्र का जल्द वितरण करने की सुविधा देती है। लाइसेन्स प्राप्त करने के लिए लाइसेन्सिंग प्राधिकरण और क्षेत्रीय अग्रिम लाइसेन्सिंग समिति की शक्ति 50 लाख रुपये से एक करोड़, फिर दो करोड़ रुपये तक कर दी गयी है।

आयात-निर्यात पास बुक योजना

आयात-निर्यात पास बुक योजना के अन्तर्गत निर्माणकर्ता और निर्यातकर्ता को चुँगी मुक्त कच्चे माल के आयात के लिए सुविधा प्रदान की गयी है। नीति में पास बुक की सीमा निर्माण कर्ता तक बढ़ा दी गयी है जो कि घरेलू बाजारों में स्थापित हैं। परिणामस्वरूप निर्माणकर्ता को जिनका 3 साल का वार्षिक औसत आय 15 करोड़ या उससे ज्यादा है, उनको औसत आय के 10 प्रतिशत तक की सीमा के लिए पास बुक की सुविधा प्रदान की गयी है।

विशेष आर०ई०पी० लाइसेन्स उसके समान होता है जो चुँगी मुक्त योजना के अन्तर्गत मुक्त आयात की सुविधा प्रदान करते हैं। पास बुक रखने वाले को पास बुक पर प्राप्त मूल्य के 100 प्रतिशत की दर से प्रदान की जाती है। यह लाइसेन्स निर्यात शर्तों को पूरा करने के बाद भी प्रदान किया जाता है। यह महसूस किया गया है कि निर्यात करने के लिए मजबूत बाजार संगठन का विकास जरूरी है, इसको दृष्टि में रखकर निर्यात घर और व्यापार घर की योजनायें, सभी संगठनों के प्राप्त सुविधाओं के विकास प्रक्रिया के द्वारा पूर्णतयः संशोधित किया गया है। योजना के अन्तर्गत आयात घर और व्यापार घर ढाँचा प्राप्त करने के लिए योग्यता विदेशी विनिमय आय के शर्तों पर होगा। जबकि सभी उत्पादों का निर्यात, नीति में बताये गये कुछ वस्तुओं को छोड़कर उद्देश्य के लिए प्रतियोगी नहीं बन सकते। निम्न स्तर और घरेलू क्षेत्र में निर्मित सभी वस्तुओं को दो गुना सुविधा उनके योग्यता के आधार पर दिया जाता है। योग्यता के लिए यदि एक बार निर्यात घर या व्यापार घर प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता है तो यह तीन वर्षों के लिए मान्य हो जाता है। निर्यात घर और व्यापार घर के लिए योग्यता सीमा उनके विदेशी विनिमय आय का दो करोड़ रुपये और 10 करोड़ रुपये सुनिश्चित किया गया है।

इन संगठनों को अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में मुख्य भूमिका अदा करने के योग्य बनाने के लिए, इस नीति में उनके विदेशी विनिमय आय के कुछ भाग में अलग से लाइसेन्स प्रदान किया गया है। निर्यात घर और व्यापार घर के लिए अलग से लाइसेन्स विदेशी विनिमय आय के 10 प्रतिशत की दर से दिया जाता है। यह अलग से लाइसेन्स 10 प्रतिशत पर प्राप्त करने योग्य बना देता है। अलग से लाइसेन्स के विपरीत आयात का क्षेत्र बहुत ज्यादा बढ़ा दिया गया है। ये लाइसेन्स,

लाइसेन्स मूल्य के 10 प्रतिशत से ज्यादा लचीलापन नहीं उठा सकते। नीति की छोटी पुस्तक के तालिका 3A और 3B और 5A के द्वारा कच्चे माल और उपभोग और वस्तुओं के आयात के लिये एक वस्तु को 10 लाख रुपये तक प्रतिबन्धित कर दिया गया है। व्यापार घर की स्थिति में लचीलेपन की सीमा लाइसेन्स की कीमत के 15 प्रतिशत तक है। ये अलग से लाइसेन्स मुक्त रूप से स्थानान्तरण योग्य है। अलग से लाइसेन्स में भी पूँजीगत माल को आज्ञा प्रदान किया गया है।

बहुमूल्य पदार्थ एवं आभूषण योजनायें

बहुमूल्य पदार्थ के निर्यात को ध्यान में रखते हुए बहुमूल्य पदार्थ एवं आभूषण के निर्यात के लिए योजना को लेते हुए एक अलग नियम बनाया गया है। यह भी महसूस किया गया है कि आभूषणों के निर्यात में ज्यादा विभवान्तर है, जो कि पहले नहीं था। हीरे के लिए योजना, आभूषण और मजबूत आभूषण, इस क्षेत्र में विकास प्राप्ति के द्वारा इनके व्यापार को शुरू किया गया है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान कटे हुए और पालिस किये हुए हीरों के निर्यात में विकास हुआ है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि कई निम्न स्तरीय काटने और पालिस करने वाली इकाइयाँ हैं। हीरों के लिए हीरा बिक्री लाइसेन्स प्रदान किया गया है। लाइसेन्स स्वयं स्थानान्तरण योग्य नहीं है, लेकिन आयात किया गया हीरा काटने और पालिस करने के लिए स्थानान्तरित किया जा सकता है। सोने और चाँदी के आभूषणों का निर्यात पाँच योजनाओं के द्वारा किया जाता है। निर्यात को प्रबल बनाने के उद्देश्य से योजना को संशोधित किया गया है और दो विशिष्ट लक्षण प्रदान किये गये हैं-

- (i) पहला लक्षण दुबारा पूर्ति सुविधा प्रदान करना है जो कि पहले केवल धातु या सोने या चाँदी के ऊपर लागू था। आयात दुबारा पूर्ति लाभ को हीरे, बहुमूल्य एवं निर्मित पत्थर और मोतियों इत्यादि के आयात के लिए आज्ञा प्रदान कर दी गयी। दुबारा पूर्ति की यह विधि इन वस्तुओं के बारे में ज्यादा सही पड़ते हैं।
- (ii) दूसरा विशिष्ट लक्षण, आभूषणों के टुकड़ों को बरबाद होने से बचाने के लिए नियम बनाया गया। अतः यह सुनिश्चित किया गया है कि यह बरबादी निम्न स्तर पर सोने

के मूल्य के 10 प्रतिशत तक प्रदान की जायेगी। इन दोनों योजनाओं का समुच्चय नीति तैयार किया गया है और पूर्व नीति में सुधार किया गया है।

चुंगी मुक्त आर०ई०पी० लाइसेन्स की बहुउद्देश्यीय योजना में कमी करने की दृष्टि से पेशगी लाइसेन्स निर्यातक व्यापारियों को वितरित किया गया है। मुक्त लाइसेन्सिंग की प्रक्रिया को खत्म कर दिया गया। इसी तरह पहले आने और पहले सेवा के आधार पर लाइसेन्स को खत्म कर दिया गया है।

तालिका में प्रस्तुत किये गये वस्तुओं को स्रोतों के लिए खोल दिया जायेगा। तालिका 4 के कुछ विशिष्ट वस्तुओं को लाइसेन्सिंग प्राधिकरण को वितरित कर दिया गया है। भाग 4 के तालिका 2 के सम्बन्ध में बैंक गारण्टी तभी प्रदान किया जाता है, जब निर्यातक निर्यात पूर्ण कर लेता है और इसका प्रमाण प्रस्तुत करता है। ये निर्यात लाइसेन्स जो कि पहले 45 दिन के लिए मान्य थे, अब 6 महीने के लिए मान्य हो गये हैं। उन निर्यातकों के विषय में जो अग्रिम लाइसेन्स प्राप्त किये रहते हैं जिसके लिए तालिका में दिये गये वस्तुओं का निर्यात शर्तों पर होता है, ऐसे निर्यात लाइसेन्सों की मान्यता निर्यात शर्त अवधि से जुड़ी हुई है।

मुक्त व्यापार नमूनों के निर्यात का क्षेत्र बड़ा दिया गया है। इसी तरह उच्च मूल्य सीमा का भी परिवर्तित कर दिया गया है। पहली बार आयात-निर्यात के मुख्य नियन्त्रक की अध्यक्षता के अन्तर्गत निर्यात लाइसेन्सिंग समिति का निर्माण किया गया।

आयात-निर्यात नीति के मुख्य अंश

- (i) 745 वस्तुएँ खुले लाइसेन्स पर रखे गये हैं, जिसके अन्तर्गत 209 जीवन बचाने वाले औजार, 108 दवाईयों की वस्तुएँ और 99 मशीनों की वस्तुएँ आती हैं।
- (ii) आर०ई०पी० लाइसेन्स पर अलग कीमत के 10 प्रतिशत लचीलापन प्रदान किया गया है।
- (iii) आयात दुबारा पूर्ति योजना का क्षेत्र बढ़ा दिया गया है।
- (iv) चुंगी मुक्त लाइसेन्स के विपरीत किये गये पूर्ति निर्णित निर्यात के नाम से जाने जाते हैं।

- (v) 28 वस्तुओं का आयात बन्द कर दिया गया है।
- (vi) निर्यात घर और व्यापार घर के निर्माण के लिए योग्यता सीमा विदेशी विनिमय के 2 करोड़ और 10 करोड़ निश्चित कर दिया गया है।
- (vii) मध्य अग्रिम लाइसेन्स का विस्तार सभी वस्तुओं तक कर दिया गया है।
- (viii) निर्यात घर और व्यापार घर योजनाये चालू कर दिये गये हैं।
- (ix) निर्यात लाइसेन्स नीति पुनः चालू कर दिया गया है।
- (x) अलग से लाइसेन्स को स्थानान्तरण योग्य बना दिया गया है।
- (xi) अप्रवासी भारतीयों के लौटने के लिए विशिष्ट निर्यात सुविधा प्रदान की गई है।
- (xii) निर्माणकर्ता और निर्यातकर्ता को पूँजीगत माल के आयात करने की सुविधा प्रदान कर दी गयी है।
- (xiii) सीमित आजाओ के आयात का लचीलापन और वस्तुओं को शुरू करने की आजा, निर्यात घर के 10 प्रतिशत तक और व्यापार घर के लिए 15 प्रतिशत तक कर दिया गया है।
- (xiv) हास्पिटल, चिकित्सा संस्थान और चिकित्सकों के द्वारा दवाइयों और रासायनों के आयात की सीमा बढ़ा दी गयी है।
- (xv) सोने और चाँदी आभूषण योजनाओं को अच्छी तरह दोहराया गया है।
- (xvi) घरेलू निर्माण कर्ता जिनका औसत आय 15 करोड़ है, उनको अब पास-बुक योजना के अन्तर्गत कर दिया गया है।
- (xvii) नियमों को सरलीकृत कर दिया गया है।
- (xviii) लाइसेन्स और पास बुक के लिए विशिष्ट आर०ई०पी० लाइसेन्स सुविधा को 10 प्रतिशत कीमत की दर से लाइसेन्स प्रदान किये गये हैं।

नियमों का सरलीकरण

मुख्यतः निर्यातकों द्वारा यह कहा जाता है कि निर्यात के नियम बहुत गलत और कठिन है, अतः यह जरूरी है कि आयात और निर्यात के सम्बन्ध में विभिन्न नियमों को सरलीकृत करना

चाहिये। नियमों को सरलीकृत करने के उद्देश्य से सरकार ने आयात-निर्यात नीति के अन्तर्गत निम्न कदम उठाये हैं-

- (i) पूँजीगत माल एवं निर्माण कर्ता उद्योग को निर्यात सुविधा प्रदान की गयी है। कच्चे माल या भागों का 50 प्रतिशत इनके लिए तुरन्त प्राप्त हो जाता है, केवल छूट सेवाओं के लिए अल्प-व्यय आयात अभियान्त्रिक कम्पनियों को प्रदान किया जाता है।
- (ii) अप्रवासी भारतीयों को कच्चे माल और भागों के आयात की सुविधा बिना प्रायोजित प्राधिकरण के प्रथम तीन वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- (iii) तालिका 17 को सरलीकृत करने के लिए सामान्य शर्त न० 8 को खत्म कर दिया गया है। यह समय बर्बाद होने से बचायेगा और निर्यात की प्रक्रिया को साधारण बनायेगा।
- (iv) निर्यात ठेके के पंजीकरण की प्रक्रिया साधारण कर दी गयी है।
- (v) विज्ञापन प्रक्रिया के लिए अभियान्त्रिकी उद्योग को दैनिक पत्र में विज्ञापन की आज्ञा प्राप्त है। यह पूँजीगत माल के लाइसेन्सिंग में देरी को कम करेगा और सी०एफ०टी० दैनिक में विज्ञापन प्रकाशित करेगा।
- (vi) आयात और निर्यात वस्तु की तालिका को चुँगी छूट योजना के अन्तर्गत 54 वस्तुओं के लिए विस्तृत कर दिया गया है।
- (vii) लाइसेन्सिंग प्राधिकरण और क्षेत्रीय अग्रिम लाइसेन्सिंग कमेटी के प्रतिनिधि को 50 लाख के आयात से 1 करोड़ और 1 करोड़ से 2 करोड़ तक आज्ञा प्रदान किया गया।
- (viii) निर्यात घर और व्यापार घर की सभी योजनाओं को दोहराने की दृष्टि से सरलीकृत कर दिया गया। पूर्व योजना में कई नियम और शर्तें थी जो कि निर्यातक को निर्यात घर या व्यापार घर बनने के लिए पूरा करना पड़ता था।
- (ix) खुली सामान्य लाइसेन्सिंग आज्ञा, एक वर्ष के बजाय तीन वर्ष की मान्यता के लिए प्रदान किया गया।
- (x) निर्यात लाइसेन्सिंग को पूर्णतयः चालू और संशोधित कर दिया गया। कोटा लाइसेन्सिंग खत्म कर दिया गया।

- (xi) दावे और सशोधन का कार्य शुरू कर दिया गया।
- (xii) निर्यात किये गये खुले सामान्य लाइसेन्सिंग वस्तुओं के बारे में जानकारी सभी उपयोग करने वालों को भेज दी जाती है।
- (xiii) सभी निर्यातकों को निर्मित माल के आयात की आवश्यकता के लिए निर्मित अभिकर्ता कार्यालय को आयात के बारे में सभी सूचनायें भेज दी जाती हैं।
- (xiv) अन्य वस्तुओं के आयात के लिए, पूरक लाइसेन्स के लिए 20 प्रतिशत तक का लचीलापन प्रदान किया है। अब उनके प्रार्थना पत्र पर उनको लाइसेन्सिंग प्राधिकरण से बार-बार मिलने की आवश्यकता नहीं होती।
- (xv) सी०ओ० लाइसेन्स में 15 प्रतिशत तक की कमी अब लाइसेन्सिंग प्राधिकरण द्वारा बिना समिति की आज्ञा के कर सकती है। रेलवे, डाक विभाग और दूरसंचार, दूरदर्शन और आल इण्डिया रेडियों को खुले सामान्य लाइसेन्स के अन्तर्गत इन आवश्यकताओं को आयात कर सकती हैं।

निर्यात ब्यूह रचना

देश के निर्यात उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सरकार ने निर्यात ब्यूह रचना बनाई है। समिति का कार्य विदेशी विनिमय बाजार का निर्माण करना, निर्यात शर्तों के लिए योजनायें बनाना, विदेशी विनिमय नियन्त्रण कानून का सरलीकरण और ज्यादा निर्यात उधार गारण्टी प्रदान करना। ये वे कदम हैं जो कि सरकार द्वारा निर्यात के लिए ब्यूह रचना बनाई गई है। पेपर पर आधारित ब्यूह रचना जो कि योजना आयोग द्वारा तैयार किया जाता है। इसको उच्च स्तर पर अन्तरमन्त्रीय बैठक के सामने विचार किया जाता है। आँठवी योजना की समाप्ति तक निर्यात के स्तर को जी०एन०पी० के 10 प्रतिशत तक कर दिया गया है। इसका मतलब 15 प्रतिशत प्रतिवर्ष निर्यात की दर में विकास प्राप्त करना है। निर्यात में सफलता सुनिश्चित करने के लिए, यह जरूरी होगा कि नीति के विभिन्न भागों का सहयोग प्राप्त किया जाय और निर्यात शर्तों के लिए मशीनों का विकास किया जाय। निर्यात ब्यूह रचना के मुख्य लक्षण निम्न हैं-

- (i) निर्यात से विदेशी विनिमय आय का कुछ हिस्सा निर्यातक को देने का प्रस्ताव प्रस्तुत

किया गया है। यह सुझाव दिया गया है कि निर्यातक विदेशी मुद्रा कोष को अपने आयात आवश्यकता के लिए प्रयोग में ला सकते हैं। ये प्रभाव पूर्वक विदेशी विनिमय में सीमित बाजार द्वारा शुरू किया जा सकता है, जहाँ विनिमय दर नियन्त्रण दर से ज्यादा ऊँची है। यह व्यूह रचना बहुउद्देश्यीय विनिमय दर के लिए जरूरी होगा और दुबारा पूर्ति योजना के विभिन्नताओं में ज्यादा लचीलापन ला सकते हैं।

- (ii) एक नयी योजना जो कि अपने वाणिज्यिक बैंक के द्वारा सभी निर्यात प्रवोधन प्राप्त करने में निर्यातकों को योग्य बनाता है, उनका भी निर्माण हुआ है। बैंक नीतियों के अन्तर्गत सभी आवश्यक आयात के लिए निर्यातकों को पूर्ण उधार प्रदान करती है। इनके अन्तर्गत सभी आयात-निर्यात कर, शुल्क और अन्य अप्रत्यक्ष कर आते हैं। निर्यातक को उधार की सही मात्रा प्रदान करने के लिए एक तालिका बनायी जाती है।
- (iii) निर्यातकों को वस्तुओं की बिक्री पर किये गये लाभ के द्वारा अनुदान मिलता है, जो उनके विदेशी मुद्रा कोष के उपयोग के द्वारा उनके आयात आवश्यकताओं के लिए स्थानान्तरण मूल्य बचायेगी।
- (iv) निर्यातकों को उनके स्रोतों के बारे में जानकारी हासिल किये बिना ही घरेलू या विदेशी आयात में प्रलोभन दिये जायेंगे। इस योजना को अन्ततः निर्यात के कुछ चुने हुए वस्तुओं तक ही सीमित रखा जायेगा। जैसे कपड़े, चमड़े के सामान और कुछ अभियान्त्रिकी उत्पाद।
- (v) विदेशी विनिमय नियन्त्रण कानून में दिये गये सुझावों के अन्तर्गत, अन्य देशों को निर्यात के लिए, निर्मित माल की प्राप्ति के लिए भारत में विदेशी व्यापार संगठन की क्रियाओं को आज्ञा प्रदान की गयी है। यह सुनिश्चित किया जा चुका है कि जापानी व्यापार घर उन उत्पादों के लिए व्यस्त है, जो अन्य देशों में स्रोत बन सकते हैं और तृतीय विश्व में उनके बाजार के नाम पर बेचे जा सकते हैं एन०के०उच्च मूल्य के दबाव के अन्तर्गत वे उन उत्पादों को भी खोज रहे हैं जो कि जापान को आयात किये जा सकते हैं। ऐसी नीतियाँ भारत के लिए तीन मुख्य लाभ प्रदान कर सकती हैं-

- (अ) गुण नियन्त्रण और निर्यात उत्पाद का प्रमाणीकरण
- (ब) उपस्थित बाजारों पर कब्जा और
- (स) बाजार विकास में तकनीक सहायता
- (vi) भारतीय निर्यात घर को विदेश में व्यापार क्रियाओं में प्रवेश करते हुए लाभ केन्द्र खोलने की सहायता प्रदान की जा रही है। विदेशी विनिमय नियन्त्रण कानून, निर्यात नमूने के परीक्षण के आधार पर नीति के अन्तर्गत उनके सुझावों को सरलीकरण करना चाहिये। ठेकों में हस्ताक्षर करने योग्य बनाने के लिए और शर्तों में बदलाव के लिए ज्यादा लचीलापन जरूरी है।
- (vii) निर्यात उधार बीमा निगम के क्रियाओं के तरीके में बदलाव का भी सुझाव दिया गया है। वह परिस्थित बदलने के लिए जिसमें निगम को बाद में भुगतान के लिए जुर्माना देना पड़ता है। यह महसूस किया गया था कि ई०सी०ओ०सी० को उधार दर क्षमता का विकास बैंक के अलावा स्वयं करना चाहिए। इसके द्वारा किये गये मूल धन का भुगतान को वर्तमान में 2.5 करोड़ से कम से कम 50 करोड़ तक बढ़ा देना चाहिये। इसके पूर्व दर को भी बढ़ाया जाना चाहिये।
- (viii) औजारों के क्रेता को विदेशी विनिमय का बँटवारा बाजार के आधार पर या तालिका में लिखे गये मालों के कीमत के आधार पर किया जाता है। इस क्रिया में घरेलू स्रोतों का बँटवारा और निर्यात सम्बर्द्धन में विकास किया जाता है।

1992-97 निर्यात नीति

“31 मार्च, 1992 को वाणिज्य मन्त्री श्री पी० चिदंबरम ने 1992-97 के लिए 5 वर्षीय अवधि के लिए आयात- निर्यात नीति की घोषणा की। इस नीति में एक छोटी सी नकारात्मक सूची को छोड़कर सभी मर्दों को खुले रूप में आयात करने की स्वीकृति दी गई, इसके अन्तर्गत बहुत से कच्चे मालों जिनमें अलौह धातुएँ भी शामिल हैं, उनके आयात को सरकारी क्षेत्र के अधीन न करने की अपेक्षा निजी क्षेत्र को आयात करने की इजाजत दी गई और इसके अतिरिक्त पूँजीगत वस्तुओं के आयात को और उदार बनाया गया, यदि इनके आयातक निर्यात दायित्व को पूरा करते हैं। इस

नीति का मुख्य बल उदारीकरण की क्रिया को अधिक बढ़ावा देना था ताकि देश में अपेक्षाकृत अधिक उदार विदेशी व्यापार प्रणाली की स्थापना की जा सके।”¹

निर्यात नीति के मूल लक्षण

- (i) नकारात्मक सूची को छोड़ जिसमें उपभोक्ता वस्तुएँ (28 मदें) और 70 अन्य मदें जिनके आयात को सीमित किया जायेगा, अन्य सभी मदों जिनमें पूँजी वस्तुएँ शामिल हैं, उनका आयात पूर्णतया खुला रहेगा। नकारात्मक सूची में शामिल की गई उपभोक्ता वस्तुएँ हैं- उपभोक्ता इलैक्ट्रानिक्स, उपभोक्ता टेलीसंचार समान, घड़ियाँ, रूई और संश्लिष्ट मनुष्यकृत रैनेट और बिना निर्मित हाथी दांत के आयात पर रोक लगा दी गई है।
- (ii) सात मदों की छोटी-सी सूची को छोड़ जिसमें गोमांस और चर्बी शामिल हैं, निर्यात की सभी मदें विदेशी व्यापार के लिए खोल दी गई हैं। इसके अतिरिक्त 62 मदों अर्थात् कच्ची शिल्क, विशेष धातुओं, दालों, सैनिक स्टोर, दूध, नारियल और गरी का निर्यात लाइसेंस के आधार पर किया जायेगा।
- (iii) बहुत-सी वस्तुओं का आयात सरकारी-निर्देश क्षेत्र से हटा दिया गया है और इनके आयात की निजी क्षेत्र को इजाजत दे दी गई है। ये वस्तुएँ हैं- अखबारी कागज, अलौह धातुएं, प्राकृतिक रबड़, मध्यवर्ती वस्तुएँ और कच्चे माल इस्पात की सभी मदें, फीचर और बीडियों फिल्में। किन्तु नई नीति के अधीन पेट्रोलियम उत्पाद, विटामिन ए, खाद्य तेलों, उर्वरकों एवं अनाज का आयात सरकारी क्षेत्र द्वारा ही किया जायेगा।
- (iv) शुल्क छूट योजना का क्षेत्र-विस्तार करने का वचन दिया गया और इसमें मात्रा-आधारित अग्रिम लाइसेंसों के अतिरिक्त मूल्य-आधारित अग्रिम लाइसेंस चालू किये गए। इसके परिणामस्वरूप निर्यातकों को समग्र सीमा के अन्तर्गत वस्तुओं के आयात या निर्यात करने में अधिक स्वतन्त्रता उपलब्ध होगी और मात्रा-सम्बन्धी

1 रुद्रदत्त एवं के०पी०एम० सुन्दरम- भारतीय अर्थव्यवस्था, एस०चन्द एण्ड कम्पनी लि० राम नगर, नई दिल्ली, -110055, 1994, पृ० -748

सीमाबन्धन केवल सवेदनशील वस्तुओं में लागू होंगे।

- (v) निर्यात घरानों, व्यापार एवं स्टार घरानों को अग्रिम लाइसेंस योजना के अधीन स्वप्रमाणन की स्वीकृति होगी, जिसके आधार पर उन्हें निर्यात की विशिष्ट वस्तुओं के विरुद्ध शुल्क-मुक्त आयात की इजाजत होगी।
- (vi) पूँजी वस्तुओं के देशीय निर्माताओं को जिसे आयात-सामान चाहिए, उसे लागत-बीमा-भाडा मूल्य पर 15% रियायती शुल्क पर आयात करने की सुविधा उपलब्ध होगी।
- (vii) 25 प्रतिशत और 15 प्रतिशत रियायती शुल्कदर पर पूँजी वस्तुओं के आयात के लिए दो खिडकियाँ अब उपलब्ध होंगी- (क) 25 प्रतिशत शुल्क पर आयात के लिए पिछले 4 वर्षों के पूँजी वस्तुओं के लागत बीमा-भाडा मूल्य के विरुद्ध तीन गुना निर्यात करने का दायित्व होगा और (ख) 15 प्रतिशत शुल्क पर आयात के लिए पिछले 5 वर्षों के पूँजी-वस्तुओं के लागत बीमा-भाडा मूल्य के विरुद्ध 4 गुना निर्यात करने का दायित्व होगा।
- (viii) सरकार ने अखबारी कागज के आयात पर सरकारी निर्देश समाप्त कर दिया है और भारत के सामाचार पत्रों के रजिस्ट्रार को आयात लाइसेंस जारी करने का अधिकार दे दिया गया।
- (ix) 100 प्रतिशत निर्यात-उन्मुख इकाइयों और ऐसी इकाइयों को जो मुक्त व्यापार और निर्यात-विधायन क्षेत्रों में स्थित हैं और सुविधाएँ दी गईं अर्थात् वे न केवल अपनी मशीनरी लगा सकेंगी बल्कि पट्टे पर मशीनरी भी स्थापित कर सकेंगी। इन इकाइयों को कृषि, बागवानी, जलचर पालन, मुर्गी पालन और पशु पालन की नई क्रियाओं में प्रवेश करने की इजाजत होगी।

महत्वपूर्ण संशोधन

इसमें पहली बार 31 मार्च, 1993 को संशोधन की घोषणा की गई। इसके अन्तर्गत आयात-निर्यात नीति को और अधिक उदार बनाते हुए इसमें कृषि क्षेत्र में निर्यातोन्मुखी इकाइयों लगाने पर और

छूट देने तथा सेवा क्षेत्रों के लिए एक नई योजना प्रारम्भ करने की घोषणा की गई।

“निर्यात क्षेत्र का विस्तार करने के लिए निषेधात्मक सूची में शामिल 344 वस्तुओं में से 144 वस्तुओं को निर्यात योग्य वस्तुओं की सूची में शामिल किया गया। कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों की निर्यातान्मुख इकाइयों को शुल्क रहित आयात का लाभ प्रदान करने के उद्देश्य से इनके उत्पादों का 50% तक निर्यात करने पर वही सुविधायें तथा रियायतें देने की घोषणा की गई, जो अन्य औद्योगिक इकाइयों को शत प्रतिशत अथवा 75% तक निर्यात करने पर मिलती है। संशोधन में पूँजीगत माल की परिभाषा का भी विस्तार किया गया, जिसमें कृषि एवं उससे संबंधित कार्यों में काम आने वाले सामान को भी सम्मिलित कर लिया गया। सेवा क्षेत्र के लिए पूँजीगत सामान निर्यात प्रोत्साहन योजना लागू कर दी गई है। इस योजना के अन्तर्गत सेवायें उत्पन्न करने वाले लोग 15% की रियायती शुल्क दर पर उपकरणों का सामान आयात कर सकेंगे। इस योजना को सेवा क्षेत्र के लिये पूँजीगत माल निर्यात सम्वर्द्धन योजना का नाम दिया गया है।”¹

पूँजीगत माल निर्यात सम्वर्द्धन योजना के अन्तर्गत 15% की रियायती आयात शुल्क दर को संशोधित आयात-निर्यात नीति में खुला रखा गया तथा 25% आयात शुल्क वाला दूसरा झरोखा समाप्त कर दिया गया। पूँजीगत माल निर्यात सम्वर्द्धन योजना (ई०पी०सी०जी०) के अधीन आयातकर्ता के लिए बैंक गारण्टी प्राप्त करने की सुविधा को भी सुगम बनाया गया है।

जिन निर्यातकों ने रूपये की पूर्ण परिवर्तनीयता (जो 1 मार्च 1993 से लागू की गई थी) लागू करने से पूर्व निर्यात करके विदेशी मुद्रा अर्जित कर ली थी किन्तु 1 मार्च 1993 से पूर्व उन्होंने अपने शुल्क मुक्त आयात लाइसेन्स का उपयोग नहीं किया था, उन्हें इसकी हानि उठानी पड़ी। इस संशोधित नीति के तहत ऐसे निर्यातकों को हानि न हो इसलिए यह निश्चित किया गया कि उन्हें अनेक अप्रयुक्त आयात लाइसेन्सों के 8% के बराबर राशि नगद रूप में प्रदान की जायेगी। पुनः उन निर्यातकों के लिए जिन्होंने अपने निर्यात 1 मार्च, 1992 तक पूरे कर लिये थे तथा जिन्होंने 27 फरवरी 1993 तक अपनी एक्जिम स्क्रिप्ट का विनिमय नहीं किया था, उन्हें उन

1 प्रतियोगिता सम्राट- जून 1995, दीवान पब्लिकेशंस (प्रा०) लि०, कामर्शियल कम्पलेक्स, नई दिल्ली -110015, पृ० -64

एक्जिम स्क्रिप्ट उत्सर्जन करने का एक और अवसर दिया जायेगा तथा वे उन पर 20% का प्रीमियम प्राप्त कर सकते हैं।

आयात-निर्यात नीति (1992-97) का पुनः उदारीकरण : प्रमुख तथ्य

“निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से व्यापारिक नीति के अन्तर्गत आयात-निर्यात नीति (1992-97) को और अधिक उदार बनाने का निर्णय लिया गया। इस दिशा में अप्रैल 1994 में घोषित आयात और निर्यात नीति में विशेष आयात लाइसेंसों के क्षेत्र का विस्तार किया गया है। इनके तहत उपभोक्ता सामान के आयात की भी अनुमति प्रदान की गई है और इन लाइसेंसों के तहत आयातित उपभोक्ता सामान की सूची को भी व्यापक बनाया गया है। इस नीति के अन्तर्गत किये गए कुछ अन्य सशोधन हैं- सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउस श्रेणी का प्रारंभ, आयात की जानेवाली पुरानी मशीनरी की आयु-सीमा की समाप्ति, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स में व्यापार क्षेत्र का विस्तार आदि।”¹

इसके संक्षिप्त तथ्य निम्नवत हैं -

- (i) एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम (ई०पी०सी०जी०) का सरलीकरण तथा निर्यात बाध्यता के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए तृतीय पक्ष को निर्यात की अनुमति।
- (ii) विकलांग लोगों को कुछ विशिष्ट मर्दों में मुक्त रूप से आयात करने की अनुमति।
- (iii) इलेक्ट्रानिक उद्योगों के तैयार उत्पादों के लिए आयात की नकारात्मक सूची में काट-छाँट।
- (iv) 'सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउस' नामक एक नई श्रेणी की स्थापना व उसकी सदस्यता के लिए कुछ योग्यताओं का निर्धारण।
- (v) डी०इ०इ०सी० पुस्तिका में वर्णित अर्हताओं की समाप्ति।
- (vi) इ०पी०सी०जी० लाइसेन्स देने के अधिकार का विकेन्द्रीकरण।
- (vii) अग्रिम राशि आदेश की सुविधा का विस्तार जैसे- स्पेशल इम्परेस्ट लाइसेंस, एडवॉन्स इण्टरमीडिएट लाइसेंस आदि में।

1 प्रतियोगिता सम्राट- मई 1995, दीवान पब्लिकेशंस (प्रा०) लि० नई दिल्ली, पृ० -58

(viii) शुल्क मुक्त स्कीम के अन्तर्गत की जानेवाली कार्यवाहियों का सरलीकरण।

इसके अतिरिक्त आयात से मात्रात्मक प्रतिबन्ध हटाने के साथ-साथ सीमा शुल्को में भारी कटौती की गई है। पूँजीगत सामान के आयात पर लगने वाले शुल्कों में भी भारी कटौती की गई है। निर्यात को बढ़ावा देने व विदेशी मुद्रा भण्डार में वृद्धि के उद्देश्य से अब चालू खाते में रूपये को पूरी तरह परिवर्तनीय बना दिया गया है।

आयात-निर्यात नीति में पुनः संशोधन

31 मार्च, 1995 को वाणिज्य मन्त्री पी०एम० चिदंबरम् ने 1992-97 की आयात-निर्यात नीति में पुनः महत्वपूर्ण संशोधनों की घोषणा की। संशोधित नीति का उद्देश्य भारतीय बाजार का विस्तार तथा निर्यात को बढ़ावा देना है। संशोधित नीति की मुख्य बातें इस प्रकार हैं-

- (i) इसमें 33 और उपभोक्ता सामग्रियों के आयात को उदार बना दिया गया है। इन सामानों में डिब्बाबंद दूध, मछली, कैमरा, निजी कंप्यूटर, नेल कटर आदि शामिल हैं। सामान्य खुले लाइसेंस (ओ०जी०एल०) में इन वस्तुओं के शामिल करने के बाद उनकी संख्या अब 42 से बढ़कर 75 हो गई है।
- (ii) निर्यात करने वाली इकाइयों, निर्यात प्रोत्साहन क्षेत्र, इलेक्ट्रानिक हार्ड वेयर टेक्नोलाजी पार्क्स और साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क्स से संबन्धित योजना को तर्क संगत बनाया गया है। संशोधन में कुछ खास श्रेणियों के निर्यातकों व आयातकों के लिये नया हरित चैनल सुविधा की शुरुआत की गई है।
- (iii) संशोधित नीति में घरेलू उत्पादन क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया गया है, इ०पी०सी०जी० योजना का विस्तार किया गया है तथा एडवांस लाइसेंस स्कीम को विस्तृत तथा उदारीकृत किया गया। पुनः इ०पी०सी०जी० योजना के तहत सेवा क्षेत्र को वस्तुओं की आपूर्ति के बराबर रखा गया है।
- (iv) बिजली, तेल और गैस क्षेत्र को निर्यात का दर्जा प्रदान किया गया है। उपहार आयात को उदार बनाने के लिए अब कस्टम विभाग की मंजूरी होने की जरूरत नहीं है। आयातों की नकारात्मक सूची में कुछ कटौतियाँ की गई हैं।

(v) श्रीलंका की कुछ वस्तुओं (18 जिसों) के आयात पर शुल्क में रियायत दी गई है तथा यह घोषणा की गई कि यह सुविधा बांग्लादेश को भी दी जायेगी।

आयात-निर्यात नीति (1992-97) में किये गये मौजूदा परिवर्तन से यह निष्कर्ष निकालना आसान नहीं है कि इस योजना का अंततः कितना लाभ निर्यातकों को मिलेगा। इसका एक परिणाम यह अवश्य होगा कि इलेक्ट्रानिक वस्तुओं की कीमतों में कमी आयेगी, लेकिन यह भी संभावना है कि देश के इलेक्ट्रानिक उद्योगों को विश्व बाजार में भारी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ेगा। अतः हमें गंभीरता से विचार करना होगा कि निर्यात सम्बर्द्धन के बहाने कब तक आयात के लिये दरवाजे खोलते रहेंगे। निर्यात-आयात नीति का एक पहलू यह भी है कि जहाँ हम आयात को कम करने के लिये कदम उठाते हैं, वही इस बात पर भी गौर करें कि निर्यात की दर बढ़ाने के लिये हमने कौन-कौन से कदम उठाये हैं। हमें यह भी तय करना पड़ेगा कि भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिये तत्काल क्या कदम उठाने हैं, क्योंकि विदेशी कर्ज लेने की भी एक निश्चित सीमा होती है।

हमें यह भी ध्यान रखना है कि भारत को औद्योगिक देशों के दबाव का भी मुकाबला करना पड़ता है जो अपनी अर्थव्यवस्थाओं में विद्यमान प्रतिसार को दूर करने के लिये भारत पर अपने निर्यात का बोझ लादना चाहते हैं। इस उद्देश्य से विश्व बैंक एवं अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ऋण के साथ संबन्धित शर्तों को भी ध्यान में रखना होगा ताकि हमारे अन्तर्राष्ट्रीय ऋणदाता हमें ऋण स्वीकार करने के लिये मजबूर करते समय इस बात के लिये बाध्य न कर सकें कि हम अपने आयात को बढ़ाये ताकि उनकी प्रतिसार संबन्धी समस्या खत्म हो जाये।

हम व्यापार में उदारीकरण की नीति यह सोचकर उठाते हैं कि इससे व्यापार घाटे को कम किया जा सकता है तथा भुगतान संतुलन में प्रतिक्रमता की स्थिति लाई जा सकती है।

मुख्य संशोधन (1995)

1- घरेलू निर्माण को बढ़ावा

(i) यदि पूँजीगत वस्तुओं का भाड़ा सहित लागत मूल्य 20 करोड़ रुपये से अधिक होगा तो

इनको आयात शुल्क की सुविधा दी जाएगी।

- (ii) बिजली, तेल और गैस क्षेत्र को निर्यात श्रेणी का दर्जा दिया जायेगा।

2- ई०पी०सी०जी० योजना के अन्तर्गत सेवा क्षेत्र की वस्तु आपूर्ति के समकक्ष दर्जा

- (i) सेवा क्षेत्र तथा सेवा आपूर्ति को परिभाषित किया गया है।
- (ii) सेवा आपूर्ति को वस्तु आपूर्ति के समकक्ष आंका गया है। ई०पी०सी०जी० योजना के अन्तर्गत अब सेवाओं के निर्यातक अपनी सेवाओं के बदले वस्तुओं का भी आयात कर सकेंगे।

3- ई०पी०सी०जी० योजना का विस्तार

- (i) ई०पी०सी०जी० लाइसेंस धारक मध्यवर्ती उत्पादों की आपूर्ति द्वारा भी अपने निर्यात दायित्वों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन इस निर्यात के लाभों का वे दावा नहीं कर सकते।
- (ii) निर्यात सम्बन्धित पूँजीगत वस्तु योजना का विस्तार किया गया है ताकि वस्तुओं तथा सेवाओं के निर्यातक इसका लाभ उठा सकें।
- (iii) पूँजीगत वस्तुओं के शून्य-आयात सुविधा के अन्तर्गत निर्यात दायित्वों को पूरा करने के लिये दो आधार हैं- एफ०ओ०बी० आधार तथा एन०इ०एफ० (शुद्ध विदेशी विनिमय) आधार

4- ई०ओ० यूनिट्स/ई०पी० जोन्स/ई०एच०टी० पार्क्स/एस०टी० पार्क्स

संशोधित नीति में निर्यातान्मुखी इकाइयों, निर्यात प्रोत्साहन क्षेत्र, इलेक्ट्रानिक, हार्डवेयर टेक्नोलाजी पार्क्स और साफ्टवेयर टेक्नोलाजी पार्क्स से सम्बन्धित योजना को तर्कसंगत बनाया गया है।

5- अग्रिम लाइसेंस योजना का विस्तार तथा प्राप्त करने की प्रक्रिया का उदारीकरण

मूल्य आधारित तथा मात्रा-आधारित अग्रिम लाइसेंस योजना को निम्न ढंग से सरल बनाया गया है-

- (i) निर्यात उत्पादों के निर्माण में निवेशों (इन-पुट्स) पर माडवेट साख सुविधा प्राप्त होगी।
- (ii) अग्रिम लाइसेंस योजना के अन्तर्गत मध्यवर्ती उत्पाद के विचार, जिनका संचालन अभी

मात्रा-आधार पर होता है, उनका विस्तार मूल्य आधार तक किया जायेगा।

- (iii) अनिवार्य कल-पुर्जों के आयात के लिये उनको सी०आई०एफ० मूल्य के 5% तक आयात की अनुमति दी गई है।
- (iv) निर्यात दायित्वो तथा बैंक दायित्वों की पूर्ति के पश्चात अग्रिम लाइसेंस हस्तातरणीय होगा।
- (v) सीमा शुल्क तथा उत्पाद शुल्क में कटौती को ध्यान में रखते हुए संवेदनशील मदों की सूची को रूपांतरित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त निर्यातक असंवेदनशील मदों के आयात के लिये संवेदनशील मदों की अनुप्रयुक्त सी०आई०एफ० मूल्य का उपयोग कर सकेंगे।
- (vi) पास बुक की एक नई प्रणाली लागू की गई है जिससे कुछ विशिष्ट प्रकार के निर्यातको को लाइसेंस हासिल करने की जटिल प्रक्रिया अपनाये बिना ही अग्रिम लाइसेंस की सभी सुविधायें उपलब्ध होंगी।

6- निर्यात प्राप्ति की वसूली संबन्धित शर्तें समाप्त

लाइसेंसों के हस्तांतरण तथा ऐसे लाइसेंसों के तहत आयातित वस्तुओं के हस्तांतरण जैसी सुविधाओं को प्राप्त करने के लिये निर्यात प्राप्ति की वसूली अब तक एक प्रमुख शर्त थी। अब ऐसे मामलों में भारतीय रिजर्व बैंक दिशा-निर्देश करेगी।

7- निजी माल बंधक मालगोदामों की अनुमति

देश में निर्यात प्रोत्साहन क्षेत्र सहित कहीं भी निजी माल बंधक मालगोदामों की स्थापना की जा सकती है। इससे बिना शुल्क की अदायगी वाले वस्तुओं के आयात तथा भंडारण में सुविधा होगी लेकिन इनका घरेलू उपयोग तभी संभव है जब निकासी के समय इसके सीमा-शुल्क का भुगतान कर दिया जाए।

8- हरित चैनल सुविधा का प्रारम्भ

कुछ विशेष श्रेणी के निर्यातकों तथा आयातकों के लिए एक हरित चैनल सुविधा की शुरुआत की गयी है। इस चैनल के द्वारा आयातक तथा निर्यातक केवल सीमा क्षेत्रों बल्कि बीमा तथा साख

सबन्धी सुविधायें भी उठा सकेगे।

9- कंपोनेंट, कलपुर्जों आदि का आयात स्वतंत्र होगा।

10- उपहार में दिये गये सामान के आयात पर अब कस्टम क्लीयरेंस परमिट की आवश्यकता नहीं है।

11- पूँजीगत वस्तुओं की जाँच व मरम्मत आसान

पूँजीगत वस्तुएँ बिना लाइसेंस के मरम्मत, परीक्षण, गुणवत्ता सुधार आदि के लिये विदेशों में भेजी जा सकती हैं।

12- अग्रिम सी०सी०पी० समाप्त

अग्रिम सी०सी०पी० योजना समाप्त कर दी गई है। अब वैसी नई या पुरानी पूँजीगत वस्तुओं का भी आयात संभव है जो किराये, मरम्मत, व्यवहार या पुनर्स्थापना या पुनर्निर्माण के लिये हो सकती है। इन वस्तुओं की निश्चित गारंटी के बाद निर्यात भी किया जा सकता है। इसी प्रकार पैटर्नस, ड्राईगस जीगस, टूल्स, फिक्सचरस, माउल्ड्स, कम्प्यूटर हार्डवेयर साफ्टवेयर इंस्ट्रूमेंट्स आदि का भी आयात हो सकेगा, यदि वे निर्यात से प्रत्यक्षतः संबधित हो। इस प्रकार की सभी आयातित वस्तुओं का कम से कम 10 प्रतिशत मूल्य योग के बाद पुनर्निर्यात भी संभव है।

13- हीरे व जवाहरात के लिए आयात-निर्यात योजना उदारीकृत

- (i) यदि निर्यात दायित्वों को पूरा कर दिया जाए तो हीरे व जवाहरात के लिए लाइसेंस स्वतंत्रतः हस्तांतरणीय होंगे।
- (ii) पुनः पूर्ति के लिये अपरिष्कृत हीरों का पुनर्निर्यात संभव है।
- (iii) पुनः पूर्ति के लिये स्वर्ण आयात योजना के अन्तर्गत पुनः पूर्ति लाइसेंस को हस्तांतरणीय बना दिया गया है तथा इसकी मान्य अवधि आठ महीने से बढ़ाकर 12 महीने कर दी गई है।

14- विशेष आयात लाइसेंस का विस्तार तथा इसके लाभों में वृद्धि

विशेष आयात लाइसेंस एक अविवेकाधीन माध्यम है जो निर्यातकों के लिये उद्योपक/ प्रेरक का

कार्य करता है। सिल्स योजना का लाभ निम्नलिखित श्रेणी के निर्यातकों को मिलेगा -

- (i) एक्सपोर्ट हाउसेज, ट्रेडिंग हाउसेज, स्टार ट्रेडिंग हाउसेज, सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउसेज आदि।
- (ii) दूर-संचार अभियंत्रण और इलेक्ट्रानिक्स सामान व सेवाओं के निर्यातक।
- (iii) वैसे निर्माणकर्ता अथवा संसाधनकर्ता जिन्होंने (आई० एस० ओ० 9000 या बी० आई० एस० 14000) के तहत या किसी भी मान्यता प्राप्त अन्तर्राष्ट्रीय संस्था से गुणवत्ता प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

15- विशुद्ध निवेश-उत्पाद नियमों की संख्या 3,100 मदों के वर्तमान स्तर से 4,200 मदों तक पहुँच गई है।

16- ओ०जी०एल० विस्तार

स्वतंत्र आयात योग्य वस्तुओं की सूची जिसे मुख्य रूप से ओ०जी०एल० के नाम से जाना जाता है, उनका विस्तार किया गया है। इसकी मदों की संख्या जो पहले 42 थी, बढ़ाकर 75 कर दी गई है। इस तरह इसमें 33 और मदें शामिल की गई हैं। कच्चा माल, मध्यवर्ती तथा पूँजीगत वस्तुएँ पूर्व से ही स्वतंत्र आयात योग्य हैं।

17- ओवरसीज सब्सिडीयरिज/ ज्वायंट वेन्चरस की निकासी के लिए मात्र एक ही

झरोखा

विदेशों में ज्वायंट वेन्चरस अथवा स्व-नियंत्रित इकाई की स्थापना के लिये आवेदनों की निकासी सिर्फ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जायेगा।

18- आयात की नकारात्मक सूची की संख्या में कमी

आयात की नकारात्मक सूची की संख्या में कटौती की गई है। अब इस सूची में तीन निषेधात्मक मदें, 65 प्रतिबंधात्मक मदें तथा सात सरकारी-निर्देश वाली मदें हैं। प्रतिबंधात्मक मदों में भी बहुत सी मदें कुछ आवश्यक शर्तों के साथ बिना लाइसेंस के भी आयात योग्य हैं। लेकिन इस संबंध में आयातकों को सार्वजनिक अधिसूचना देनी होगी। बहुत सी मदों के लिये प्रतिबंध का आधार-सुरक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण आदि है। प्रतिबंध का आधार यह भी है कि कुछ वस्तुएँ लघु एवं कुटीर क्षेत्रों

के लिये आरक्षित होनी चाहिये।

19- पड़ोसी देशों के साथ व्यापार

इस संबन्ध में विदेश व्यापार के महानिदेशक निर्देश जारी करेंगे। श्रीलंका से 18 मदों के आयात पर रियायती सीमा शुल्क की घोषणा की गई है। ऐसा श्रीलंका के राष्ट्रपति के भारत आगमन तथा उनके अनुरोध करने पर किया गया है ताकि श्रीलंका के व्यापार घाटे को दूर किया जा सके। इसी तरह की सुविधा बांग्लादेश को भी सद्भावना के तहत दी जायेगी। ऐसा अनुमान है कि इस तरह की सुविधाओं से साप्ता (दक्षिण एशियायी वरीयता क्षेत्रीय व्यापार) में परिपक्वता आयेगी।

संशोधित आयात-निर्यात नीति की विशेषताएँ

- (i) घरेलू उत्पादन क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए परिवर्तन।
- (ii) अग्रिम लाइसेंस योजना का विस्तार और उदारीकरण।
- (iii) निर्यात प्रोत्साहन पूँजी सामान (इ०पी०सी०जी०) योजना का विस्तार।
- (iv) निर्यातोन्मुख इकाइयों व निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर तकनालाजी पावर्स व साफ्टवेयर तकनालाजी पावर्स योजनाओं को तर्क संगत बनाना।
- (v) निश्चित मात्रा में निर्यात की शर्त समाप्त।
- (vi) प्राइवेट बान्डेड वेयर हाउसों के लिए अनुमति।
- (vii) कुछ खास श्रेणी के निर्यातकों और आयातकों के लिए हरित चैनल सुविधा शुरू।
- (viii) एडवांस कस्टम क्लीयरेंस परमिट समाप्त।
- (ix) तकनालाजी की मरम्मत, परीक्षण, गुणवत्ता सुधार के लिए पूँजीगत सामान बिना लाइसेंस के विदेश भेजने की अनुमति।

1997-2002 के लिए नई आयात-निर्यात नीति

1 अप्रैल 1997 को भारत सरकार ने नई आयात-निर्यात नीति घोषित की है। इस नई आयात-निर्यात नीति के अन्तर्गत आर्थिक सुधार कार्यक्रम को अधिक मजबूत करते हुए उदारीकरण, पारदर्शिता और सरलीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है। तेज आर्थिक विकास का कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि उसी से रोजगार के नये अवसर सृजित होते हैं और आमदनी का स्तर

बढता है।

नई एक्जिम नीति की प्रमुख विशेषताएं

इस नई नीति की प्रमुख विशेषताएं निम्न हैं-

- (i) निर्यात और आयात से सम्बन्धित कागजी प्रक्रियाओं को पहले से काफी आसान और पारदर्शी बना दिया गया है।
- (ii) अभी तक प्रतिबन्धित सूची में शामिल 542 वस्तुओं के आयात को उदार बनाया गया है। इनमें लगभग 70 प्रतिशत उपभोक्ता वस्तुएं हैं।
- (iii) प्रक्रिया सरलीकरण हेतु नई आयात-निर्यात नीति के तहत निर्यात सम्बर्द्धन की अनेक योजनाओं को अब दो योजनाओं तक सीमित किया गया है। मात्रा आधारित अग्रिम लाइसेंस योजना को जारी रखते हुए विवादास्पद मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस योजना को निरस्त कर दिया गया है। पास बुक योजना में संशोधन करके, ड्यूटी इन्ट्राईटिलमेन्ट पास बुक योजना को लाया गया है। नए पास बुक के तहत निर्यात उत्पादन के लिए निर्यातक शुल्क रहित आयात कर सकते हैं।
- (iv) नवीनतम नीति में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र के निर्यात को बढ़ावा दिया गया है तथा जवाहरात निर्यात बढ़ाने के लिए, सोने के भण्डारण के लिए नामांकित एजेंसियों की संख्या बढ़ा दी गयी है।
- (v) ई०पी०सी०जी० योजना के तहत पूँजीगत वस्तुओं पर आयात शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है।
- (vi) निर्यात सम्बर्द्धन के लिए शून्य ड्यूटी योजना की सीमा 20 करोड़ रुपये से घटाकर 5 करोड़ रुपये कर दी गई है ताकि कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों को राहत मिल सके।
- (vii) निर्यात के लिए हर आवेदन के साथ भारी संख्या में आवेदनों की संख्या घटाकर काफी कम कर दी गई है और इन आवेदन पत्रों में एक ही सूचना को बार-बार देने की आवश्यकता खत्म कर दी गयी है।
- (viii) नई आयात-निर्यात नीति में लघु उद्योगों और विशेषकर देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लघु

उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है।

- (ix) विशेष आयात लाइसेन्स लेने का दावा करने के लिए सरकार ने एक्सपोर्ट हाउस, सुपर स्टार ट्रेडिंग हाउस की विदेशी मुद्रा अर्जक के रूप में परिभाषा बदल दी है। अग्रिम लाइसेन्स के तहत निर्यात करने की प्रतिबद्धता की अवधि एक साल से बढ़ाकर डेढ़ साल कर दी गयी है। इससे निर्यातक को अपने निर्यात-आयात गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित करने का समय मिलेगा। पहले ये लोग बार-बार अवधि बढ़ाने के लिए विदेश व्यापार महानिदेशालय के चक्कर काटते थे।
- (x) देश से साफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देने के लिए साफ्टवेयर इकाइयों को अब छूट दी गयी है कि वे आंकड़ा सम्प्रेषण माध्यम का उपयोग कर सकते हैं या कूरियर सेवाओं के माध्यम से भी साफ्टवेयर निर्यात कर सकते हैं। साफ्टवेयर इकाइयों को यह छूट भी दी गयी है कि वाणिज्यिक प्रशिक्षण के लिए वे अपनी इकाइयों का उपयोग भी कर सकते हैं।
- (xi) कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक्सपोर्ट हाउस की पात्रता के आंकलन के लिए कृषि उत्पादों को दोहरा लाभ मिलेगा। ये इकाइयाँ ई०पी०सी०जी० योजना के तहत पाँच करोड़ रुपये या उससे अधिक मूल्य के उपकरणों का आयात कर सकती हैं। फल-सब्जी और फूलों के निर्यात के बदले एक प्रतिशत ज्यादा का विशेष आयात लाइसेंस दिया जायेगा।
- (xii) देश के उत्पादन की गुणवत्ता, उसकी विश्वसनीयता और साख बढ़ाने के लिए आई एस आई मानदंड पर पूरा उठाने वाले निर्यात को उनके निर्यात की कथित के दो प्रतिशत के स्थान पर पाँच प्रतिशत के बराबर का विशेष आयात लाइसेंस दिया जायेगा। निर्बाध रूप से आयात की जा सकने वाली वस्तुओं की संख्या इसलिए बढ़ायी गयी है ताकि उससे आर्थिक सुधारों के इस चरण में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से लाभ उठा कर उत्पादन स्तर सुधारा जाये और बेहतर गुणवत्ता की वस्तुओं का निर्यात बढ़ सके।¹

1 दी इकोनोमिक्स टाइम्स, नई दिल्ली, 1 अप्रैल 1997, पृ० -5

जैसे-जैसे हम अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और भूमंडलीकरण की ओर बढ़ रहे हैं, हमें अपने उन क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा जहाँ हमारी ताकत है और जिसके माध्यम से हम विश्व प्रतिस्पर्द्धा की चुनौती का सामना कर सकते हैं।

“नई आयात-निर्यात नीति के मसौदे के अनुसार आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में निर्यातों की औसत वार्षिक वृद्धि दर लगभग 14 प्रतिशत रही है जो कि योजना लक्ष्य के अनुरूप ही है। डालर मूल्य में भारत के निर्यात 1992-93 में 18.5 अरब डालर से बढ़कर 1996-97 में लगभग 34 अरब डालर के रहे हैं। रूपये मूल्य में यह 1992-93 में 53,688 करोड़ रूपये से बढ़कर 1995-96 में 1,06,353 करोड़ रूपये से अधिक के रहे हैं। 1996-97 में 1,15,000 करोड़ रूपये से अधिक के निर्यात का अनुमान है। सन् 2002 तक 100 अरब डॉलर का निर्यात नई आयात-निर्यात नीति में प्रस्तावित है।”¹

नई निर्यात नीति का केन्द्र निःसंदेह निर्यात वृद्धि सुनिश्चित करना है। इसका उद्देश्य जी०डी०पी० के प्रतिशत के रूप में निर्यात के हिस्से को बढ़ाते हुए निर्यात दर की वृद्धि तथा विश्व बाजार में अपने हिस्से का विस्तार करना है, जो वर्तमान समय में मुश्किल से 0.63 प्रतिशत है।

निर्यात नीति का उद्देश्य सन् 2000 तक अपने निर्यात को दुगुना करने की दृष्टि से उदारीकरण तथा व्यापार सुधार को जारी रखते हुए 1992-97 के दौरान प्राप्त उपलब्धि की पुष्टि करना है। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमको देश में उद्योग तथा कृषि उत्पादन को बढ़ाना होगा तथा विश्व बाजार में अपनी प्रतियोगिता को तकनीक तथा गुण सुधार द्वारा सभी स्तर पर परिवर्तित करना होगा। मजबूत घरेलू उत्पादन आधार बनाना नई नीति की दूसरी प्रमुख विशेषता है। अन्य उपायों के साथ यह नीति घरेलू उद्योगों में उत्पादन बढ़ाने में तथा मूल्य जोड़ उत्पाद के निर्यात को बढ़ाने में काफी अधिक सहायता करेगी। अतः यह कहा जा सकता है कि यह पहली तथा अत्यधिक निर्यात आधारित नीति है।

नई आयात-निर्यात नीति का प्राथमिक उद्देश्य भारत के निर्यात को बढ़ाना है। यह नई नीति

1 प्रतियोगिता दर्पण, जून 1997, 2/11 ए स्वदेशी बीमा नगर, आगरा- 282002, पृ० -1830

में शामिल विभिन्न उपायों द्वारा पूर्ण रूप से दर्शाया गया है, जो निर्यातकों को सहायता देगी कि वे प्रक्रिया मुक्त प्रकृति में प्राथमिक निर्यात क्रिया कलापो पर ध्यान दें। अतः योजनाएँ जो उच्च वृद्धि सुनिश्चित करती हैं, उनको जारी रखा गया है। अन्य को संशोधित किया गया है तथा आयात-निर्यात प्रक्रियाओं को सरलीकृत किया गया है। आज इस बात की आवश्यकता है कि हम उन क्षेत्रों में ध्यान दें जिन क्षेत्रों में लाभ है तथा जहाँ हम व्यापार की दृष्टि से विश्व खिलाड़ी बन सकते हैं। चुनिन्दा क्षेत्रों की नीति आवश्यकताओं की दृष्टि से वस्तु पर विशेष ध्यान देने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय निर्यात प्रयास में राज्य सरकार की प्रमुख भूमिका है तथा ये प्रयास बिना राज्य सरकार की सहायता के सफल नहीं हो सकते हैं। निर्यात उत्पादन में राज्य सरकार को शामिल किया जाय तथा उनको सुधार के लिए प्रलोभन प्रदान किया जाय।

यह निर्यात आधारित नीति है जो लम्बी दौड़ में भारतीय उद्योगों को घरेलू उत्पादन आधार मजबूत करते हुए विश्व स्तर पर प्रतियोगी बनाने में सहायता करेगी तथा हमारी निर्यात क्षमता इस बात पर दबाव डालेगी कि व्यापार नीति को खुला तथा पारदर्शी बनाया जाय। बढ़ते व्यापार उत्पादन को विस्तृत करेगा, अतः अधिक रोजगार उपलब्ध होंगे तथा आय बढ़ेगी। निर्यात को उस इज्जत की तरह देखना चाहिए जो कि देश के विकास को ईंधन प्रदान करेगा तथा देश के आर्थिक विकास के लिए एक प्रमुख हिस्सेदार है। नई नीति यह दर्शाती है कि विकास वृद्धि का कोई स्थानान्तरण नहीं है, यदि भारत को जल्दी ही विश्व खिलाड़ी बनना है।

अध्याय-VII

निर्यात सम्बर्द्धन योजनाओं

का आलोचनात्मक

मूल्यांकन तथा उद्दारीकरण

का निर्यात पर प्रभाव

निर्यात सम्वर्द्धन योजनाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन तथा उदारीकरण का निर्यात पर प्रभाव

निर्यात सम्वर्द्धन योजनायें

विश्व के लगभग सभी विकसित और विकासशील देश निर्यात सम्वर्द्धन के विभिन्न उपायों का उपयोग करते हैं। विकसित अर्थव्यवस्था में लगातार आर्थिक विकास के उच्च दर को प्राप्त करने के लिये एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद के महत्वपूर्ण अनुपात के लिए निर्यात खाते को विकसित किया जाता है। विकासशील देश भी अपने विकास कार्यों के एक मुख्य भाग के रूप में आवश्यक विदेशी विनिमय को प्राप्त करने के लिए निर्यात का सम्वर्द्धन करते हैं। इसी तरह भारत भी इसमें अपवाद नहीं हो सकता। औद्योगिक विकास का महत्वपूर्ण भाग देश के अर्थव्यवस्था में उपयोग होता है।

सरकार ने निर्यात सम्वर्द्धन की तरफ मुख्यतः कई नीति उपाय शुरू किये हैं। इन उपायों में अन्तर्राष्ट्रीय वातावरण के अनुसार समय-समय पर घरेलू परिवर्तन और विकास किया जाता है। इनमें से कुछ मुख्य निम्न हैं- नगद क्षतिपूर्ति सहायता, कर और कर छूट की कमी, निर्यात कार्यों का व्यवस्थीकरण, अन्तर्राष्ट्रीय दामों पर उत्पाद और निर्यात कार्यों और प्रमाण आवश्यकताओं का सरलीकरण करना।

देश से निर्मित वस्तुओं और अच्छे वस्तुओं के निर्यात सम्वर्द्धन के नीति ढाँचे के मुख्य अंग के लिए उत्पाद वर्गीकरण जरूरी हैं, न कि उनकों कच्चे माल या अर्ध-निर्मित रूप में निर्यात करना। इसके परिणामस्वरूप निर्यात का ज्यादा से ज्यादा अनुपात मूल्य वर्धन के रूप में है। कुछ समय के लिए धागों के निर्यात के स्थान पर वस्त्रों और पतले से पतले धागों से बने हुए वस्त्रों के निर्यात को बढ़ावा दिया गया है। अधिक से अधिक चाय के निर्यात के लिए, चाय को पैकटों में, बैग में पैकिंग करके चाय के निर्यात को बढ़ावा दिया जाता है। इसी तरह काफी को भी बाजार में बेचा जाता है।

वर्तमान नीति ढाँचे का एक महत्वपूर्ण तत्व यह है कि विभिन्न इकायों को परिवर्तित किया जा रहा है। इस दौरान निविदा और निर्माण में भाग लने के लिए भारतीय निर्यातकों को सभी उपलब्ध

सुविधाये प्रदान की जा रही है ताकि विदेशों में योजनाओं को प्रारम्भ किया जा सके। भारतीय दल को सहायता करने की दृष्टि से औद्योगिक आधार पर सयुक्त मोर्चे का निर्माण किया गया है और सरकार द्वारा सहायता और प्रोत्साहन दोनों दिया गया है। "भारतीय कम्पनियों की सहायता के लिए निर्यात इकाई और सूचना सेवाओं के लिए बाजारों को मूल धन में परिणित किया गया है। निविदा प्रस्तुत करने के लिए 50 प्रतिशत छूट के रूप में सम्बर्द्धन प्रलोभन दिया गया है, 5 वर्ष के लिए विदेशों में सूचना कार्यालय के निर्माण के लिए छूट दिया गया है और सरकार के द्वारा सूचना निर्यात के लिए 10 प्रतिशत की सहायता इकाई का विस्तार किया गया है।

तेजी से विकास कर रहे विद्युत क्षेत्र की सम्भावना को एकत्रित करने के लिए निर्यात में 10 हजार अरब की एक योजना 1989-90 तक शुरू किया गया। साफ्टवेयर निर्यात की प्रतियोगी मजबूती बढ़ाने के लिए एक नीति प्रारम्भ की गयी है। विदेशी कम्पनियाँ जिनका लाभ 40 प्रतिशत के लगभग है, उनको विद्युत सामग्रियों के क्षेत्र में निर्माण करने वाली इकाइयों को स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गयी है और अन्य औद्योगिक क्षेत्रों, जहाँ पर क्षेत्रीय विनिमय का विकास हो चुका है, वहाँ इकाइयों को खोलने की आज्ञा प्रदान की गयी है।"¹

निर्यात उत्पाद को मजबूत करने के लिए और नयी से नयी कम्प्यूटर तकनीक देश में उपलब्ध कराने के लिए विद्युत क्षेत्र में तकनीक के आयात को उदारीकृत किया गया है। गुण में विशेषता लाने के लिए और मूल्य घटाने के लिए एक घरेलू तकनीक की स्थापना की गयी है। नयी कम्प्यूटर नीति का एक महत्वपूर्ण कदम, एम० आर० टी० पी० एक्ट के धारा 21 और 22 के नियम में महत्वपूर्ण छूट प्रदान करना है ताकि विनियोग के आकर्षण को बढ़ाया जा सके। ओ० एल० जी० वस्तुओं की लिस्ट को बढ़ाया गया है ताकि बाहरी कम्प्यूटरों की क्षमता बढ़ायी जा सके।

ढाँचे और कला के आयात को उदारीकृत किया गया है ताकि तकनीक का गुण निखारा जा सके और विदेशी सहायता के लिए शर्तों और परिस्थितियों को उदारीकृत किया गया है ताकि

1 डा०एम०एल०वर्मा-फारेन ट्रेड मैनेजमेन्ट इन इंडिया, विकास पब्लिशिंग हाऊस प्रा० लि०, ५७६ मजिस्ट्र रोड नई दिल्ली- 110014, 1996, पृ०- 65,66

राजकर के लिए शुल्क के थोक भगुतान क्षेत्र में भाग लिया जा सके। कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में जहाँ सी०सी०एस और कर कमी योजनाओं को पूर्ण नहीं पाया गया है, उनको निर्यातकों द्वारा अनुभव की गयी कमी को पूर्ति किया जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में परम्परागत वस्तुओं की प्रतियोगिता को बढ़ाने के लिए उनकी इकाई मूल्यों को बचाने के लिए और निर्यात योग्यता को विकास करने के लिए भी प्रलोभन दिया गया है। उनके निर्यात उत्पादन और बिक्री के आधुनिकीकरण के लिए विशेष ध्यान दिया गया है। गुण नियन्त्रण और जहाज में माल लादने से पूर्व जाँच के जरूरी नीति को विस्तृत किया गया है। इन्हीं प्रलोभन नीतियों के कारण ढेर सारे भारतीय उत्पाद विश्व बाजार में प्रतियागी बन गये हैं और स्वीकार करने योग्य हो गये हैं।

यह सत्य विभिन्न यांत्रिक वस्तुओं, कपड़ों, रसायनों और हथकरघा के क्षेत्र में कई वस्तुओं पर भी लागू होता है। इसके अलावा मध्य पूर्व और खाड़ी के देशों में माल के प्रतियोगिता के सुअवसर मिल रहे हैं, क्योंकि उनकी प्राथमिक आवश्यकतायें तेल के दबाव के परिणामस्वरूप बदलती जा रही हैं। भारतीय निर्यातकों के ऊर्जा को और ज्यादा से ज्यादा निर्यात बढ़ाने के लिए विभिन्न उपयों को चलाने के लिए इन निर्यात नीति ढाँचा की दिशा में कई कदम उठाये गये हैं। अपने निर्यात को चालू रखने के लिए एक व्यापारिक प्रमाण पत्र प्रदान करने की आवश्यकता है।

भारत में उपलब्ध विभिन्न निर्यात सम्वर्द्धन योजनाओं में से मुख्य हैं -

1. बाजार विकास सहायता
2. निर्यात ससाधन क्षेत्रों और शत प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयों
3. कर वापसी योजना
4. निर्यात साख
5. गुण नियन्त्रण और जहाज पर माल लादने से पूर्व निरीक्षण
6. निर्यात सम्वर्द्धन पँजीगत वस्तु योजना (ई०पी०सी०जी०)
7. नगद क्षतिपूर्ति सहायता

- 8 निर्यात सम्वर्द्धन औद्योगिक पार्क स्कीम (ई०पी०आई०पी०)
- 9 अग्रिम लाइसेन्स और सीमा शुल्क छूट योजना
10. ब्लैंकट विनिमय परमिट योजना
11. आयात पुनः पूर्ति योजना
12. निर्यात प्रशिक्षण

इन योजनाओं का वर्णन आगे संक्षेप में किया जा रहा है--

1- बाजार विकास सहायता

विभिन्न सम्वर्द्धन उपायों में सरकार ने बाजार के विकास और बाजार के खोज पर महत्वपूर्ण जोर दिया है, ताकि हमारे देश की निर्यात उत्पाद इकाईयों और सूचना सेवाएँ निर्यात की जा सकें। विभिन्न सम्वर्द्धन क्रियाकलापों के लिए विभिन्न दरो पर बाजार विकास सहायता से वित्तीय सहायता शुरू की गयी है। यह व्यापार प्रतिनिधि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेले और प्रदर्शनियों में भाग लेने, बाजार निरीक्षण और परीक्षण दल के लिए और विदेशों में सम्पादन के लिए निर्यात सम्वर्द्धन समिति के सम्बन्ध में शुरू किया गया है।

एम०डी०ए० व्यवस्था अन्य निर्यात सम्वर्द्धन इकाईयों और सस्थाओं को विदेशों में बाजार के निरीक्षण और सम्बन्धित क्रियाकलापों के लिए भी विस्तृत किया गया है। विदेशी कार्यालयों को खोलने के लिए इस सहायता की कीमत और भी बढ़ा दी जाती है। देश के निर्यात को चलाने, प्रतिनिधित्व करने और बिक्री दल में बड़े व्यापारियों और औद्योगिक इकाईयों की सहायता के लिए उच्च स्तरीय निर्यातकों को ई०सी०पी० के द्वारा बाजार विकास सहायता की दर और भी बढ़ा दी जाती है। बाजार विकास सहायता का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए किया जाता है-

- (i) बाजार अनुसंधान, वस्तु अनुसंधान, क्षेत्र सर्वेक्षण तथा अनुसंधान
- (ii) उत्पाद सम्वर्द्धन एवं वस्तु विकास
- (iii) निर्यात प्रचार तथा जानकारी का प्रसार
- (iv) व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना

- (v) व्यापार प्रतिनिधि मंडल तथा अध्ययन दल
- (vi) विदेशों में कार्यालयों तथा शाखाओं की स्थापना
- (vii) निर्यात विकास तथा विदेशी व्यापार सम्वर्द्धन के लिए, निर्यात सम्वर्द्धन के लिए, निर्यात सम्वर्द्धन परिषदों तथा अन्य स्वीकृत संगठनों को अनुदान
- (viii) कोई भी अन्य योजना, जो भारतीय उत्पादों और वस्तुओं के लिए बाजार विकास को विदेशों में बढ़ावा देने के लिए बनाई जाती है।

बाजार विकास सहायता निम्नलिखित तीन उप-शीर्षकों के अन्तर्गत दी जाती है-

(क) उत्पाद सम्वर्द्धन तथा वस्तु विकास

इसके अन्तर्गत इंजीनियरी मदों, रसायन एवं सह उत्पाद, प्लास्टिक की वस्तुओं, पटसन वस्तुओं, सूती वस्त्र, खेल का सामान, चमड़ा तथा चमड़े से बनी वस्तुओं आदि जैसे चुनिन्दा निर्यात उत्पादों पर नकद मुआवजा सहायता का प्रावधान है। नकद मुआवजा सहायता योजना (सी०सी०एस०) जो निर्यात सम्वर्द्धन के एक महत्वपूर्ण उपाय के रूप में 1996 में प्रारम्भ की गयी।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान इस शीर्ष के तहत वास्तविक खर्च निम्न है- (करोड़ ₹० में)

1989-90	1,780.16
1990-91	2,473.65
1991-92	1,591.19
1992-93	662.42
1993-94	639.94
1994-95	77.05
(सितम्बर 94तक)	

स्रोत: वार्षिक रिपोर्ट 1994-95, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार

(ख) निर्यात सम्वर्द्धन और बाजार विकास संगठनों को सहायता अनुदान

कुल 19 निर्यात सम्वर्द्धन परिषद हैं, जिनमें से 17 परिषदों को इस शीर्ष के तहत सहायता अनुदान दिया जाता है। इन सभी संगठनों के लिए बजट प्रावधान विपणन विकास सहायता समिति

द्वारा अनुमोदित किये जाते हैं।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान इस शीर्ष के तहत किया गया वास्तविक खर्च निम्न है-

(करोड रू० में)

1989-90	15.92
1990-91	17.84
1991-92	22.66
1992-93	15.07
1993-94	11.99
1994-95	4.55
(सितम्बर, 94 तक)	

स्रोत:- वार्षिक रिपोर्ट 1994-95, वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार

(ग) निर्यात ऋण विकास

निर्यात ऋण विकास योजना ऐसी आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए है, जो बैंको द्वारा दी जाने वाली निर्यात धनराशि पर लगने वाले ब्याज के लिए दी जाती है। यह योजना भारतीय रिजर्व बैंक बम्बई द्वारा चलाई जाती है। यह योजना जो 1958 से लागू थी, 6 अगस्त, 1991 से समाप्त कर दी गई है।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान इस शीर्ष के अन्तर्गत वास्तविक खर्च निम्न है- (करोड रू० में)

1989-90	218.25
1990-91	250.04
1991-92	139.93
1992-93	141.00
1993-94	12.79
1994-95	0.01
(सितम्बर, 94 तक)	

स्रोत:- वार्षिक रिपोर्ट 1994-95, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार

2- निर्यात संसाधन क्षेत्रों और शत प्रतिशत निर्यातान्मुखी इकाइयाँ

निर्यात को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से सरकार ने निर्यात संसाधन क्षेत्रों की स्थापना की है। निर्यात उत्पादन के लिए मुक्त व्यापार का वातावरण प्रदान किया गया है, ताकि भारतीय वस्तुएँ अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा करने में सफल हो सकें। भारत में इस समय छः निर्यात संसाधन क्षेत्र हैं, जो कान्डला, सांताक्रुज, फाल्टा, नोएडा, कोचीन तथा मद्रास में काम कर रहे हैं। सातवें निर्यात संसाधन क्षेत्र विशाखापट्टनम में स्थापित किया गया है। सांताक्रुज निर्यात संसाधन क्षेत्र में निर्यात के लिए मुख्य रूप में इलैक्ट्रॉनिक वस्तुओं का उत्पादन होता है। अभी हाल ही में रत्न, मोती व जवाहरात उद्योग के लिए भी सुविधा प्रदान की गई है। अन्य मुक्त व्यापार क्षेत्रों में कई प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन होता है। 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाइयों की योजना दिसम्बर 1980 में शुरू की गई थी। इन निर्यात इकाइयों को सामान्य लाईसेंसिंग विधियों से तथा एकाधिकारी प्रतिबन्धक व्यवहार अधिनियम एवं विदेशी विनिमय नियमन अधिनियम की धाराओं से छूट दी गई है।

निर्यात संसाधन क्षेत्र (ई०पी०जेड०)

निर्यात प्रगति	(करोड रु०)
वर्ष	निर्यात
1991-92	1,176.07
1992-93	1,376.31
1993-94	1,959.91
1994-95	1,121.00
(अप्रैल-नवम्बर 1994)	

स्रोत:- वार्षिक रिपोर्ट 1994-95, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार

निर्यात उन्मुख इकाई (ई०ओ०यू०)

निर्यात प्रगति	(करोड रु०)
वर्ष	निर्यात
1987-88	245
1988-89	460
1989-90	605
1990-91	678
1991-92	988 (अ)
1992-93	1,940
1993-94	2,900 (अ)
1994-95	1,642
(अप्रैल-सितम्बर 94)	

स्रोतः- वार्षिक रिपोर्ट 1994-95, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार

निर्यात घराने, व्यापार घराने तथा स्टार व्यापारी घराने

निर्यात घरानों, व्यापारी घरानों और स्टार व्यापार घरानों की योजना का उद्देश्य प्रतिष्ठित निर्यातकों और बड़े निर्यात सदनों को निर्यात सम्वर्द्धन के लिए आवश्यक विपणन अवस्थापना और सुविज्ञता तैयार करने के लिए मान्यता प्रदान करना है। जिन पंजीकृत निर्यातकों को वर्षों से निर्यात का अनुभव है, उन्हें निर्यात / व्यापार घरानों / शीर्ष व्यापार घरानों का दर्जा दिया जाता है, बशर्ते वे एकजिम नीति में निर्धारित निवल विदेशी मुद्रा आय के रूप में न्यूनतम वार्षिक औसत निर्यात निष्पादन की शर्त को पूरा करते हों।

निर्यात घराना, व्यापार घराना और स्टार व्यापारी घराना पंजीकृत निर्यातकों को ऐसी अतिरिक्त सुविधाएँ देता है जो उसे खुद ही सरकारी नीति के अधीन प्राप्त रहती है।

दिनांक 12 जनवरी, 1995 की स्थिति के अनुसार देश में 4 सुपर स्टार घराने, 22 स्टार व्यापार घराने, 220 व्यापार घराने तथा 1,594 निर्यात घराने थे।

निर्यात को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, अधिक से अधिक निर्यातकों को प्रोत्साहित करने के

उद्देश्य से सरकार ने विभिन्न निर्यात गृहों के आधार में परिवर्तन किया है।

(करोड रु०)

निर्यात गृह	20 करोड से 12.5 करोड
व्यापार गृह	100 करोड से 62.5 करोड
स्टार व्यापार गृह	500 करोड से 312.5 करोड
सुपर स्टार व्यापार गृह	1,500 करोड से 937 करोड

स्रोत:- नार्दन इण्डिया पत्रिका, इलाहाबाद, 22-5-97

3- कर वापसी योजना

अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में हमारे व्यापार को प्रतियोगी बनाने के लिए कर वापसी योजना एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना दो तरीकों के वापसी कर के द्वारा चलाया जाता है। सभी उद्योग तथा व्यापारिक प्रगति। जहाँ सभी उद्योग दर उत्पाद के समूह के लिए लागू होता है, वही व्यापारिक प्रगति दर एक निर्यात उत्पाद के लिए लागू होता है। इस योजना में फरवरी, 1986 में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया। कई क्षेत्रों जैसे चमड़ा निर्मित सामान, जूते चप्पल, निर्मित कपड़े, सूती कपड़े, गलीचे, खेल सामान, दवायें और घरेलू वस्तुओं के लिए सभी औद्योगिक दर को प्रमाणित और विकसित किया गया है। कई उत्पादों के लिए जल्द परीक्षण की आवश्यकता को महसूस करते हुए इस दर को घटाया भी गया है।

कर वापसी योजना के अन्तर्गत निर्यात उत्पादन में इस्तेमाल होने वाले आयातित आगतों व मध्यवर्ती वस्तुओं पर निर्यातकों द्वारा दिए गए शुल्क को उन्हें वापस कर दिया जाता है। इसी प्रकार घरेलू आगतों पर दिए गए उत्पादन शुल्क भी निर्यातकों को लौटा दिये जाते हैं। आगता पर आयात शुल्क व उत्पादन शुल्क निर्यात उद्योगों की उत्पादन लागतों में वृद्धि करते हैं, जिससे इनकी प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसलिए इन शुल्कों के कारण उत्पादन लागत में जो वृद्धि हाती है उसके बदले निर्यातकों को उतना ही मुआवजा देना तर्कसंगत है। कर वापसी योजना के अन्तर्गत 1988-89 में 500 करोड रुपये तथा 1989-90 में 600 करोड रुपये का मुआवजा दिया गया।

1-6-1992 से शुरू की गयी नयी कर वापसी योजना में वस्तुओं के 165 समूह के लिए दर को विकसित किया गया है। इनमें बढ़ोत्तरी के लिए प्रमुख कारण निम्न है -

(अ) रुपये में कुछ परिवर्तनीयता और पिछले एक वर्ष के दौरान मूल्य में सामान्य बढ़ोत्तरी के परिणामस्वरूप पिछले वर्ष की तुलना में कई आयातित वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य में बढ़ोत्तरी।

(ब) कर की दर में बढ़ोत्तरी

वर्ष 92-93 में 127 वस्तुओं के सम्बन्ध में पहले की दर ही चल रही थी। इस समूह के अन्तर्गत प्रमुख उत्पाद निम्न हैं- दवाएँ और फार्माक्यूटिकल, सूती धागे, दाब लैम्प, अधिकतर मशीन औजार और विद्युत वस्तुएँ, खेल सामान, शक्ति चलित पम्प और विस्थापन उद्योग के अधिकतर वस्तुएँ।

सभी उद्योग दर के उत्पादों के सूची में 6 नयी वस्तुएँ जोड़ी गयी। कुछ वस्तुएँ ऐसी हैं, जिन पर कर वापसी दर या तो घटा दिया गया है या तो खत्म कर दिया गया, इस समूह में सूती ग्लोव, विभिन्न पी०वी०सी० कन्डेन्सर, चश्में, रिफिल, ईथेमव्यूटल हाइड्रोक्लोराईड और ईथेमव्यूटल टेबलेट आते हैं। 6 नयी वस्तुओं में तार प्रतिरोधक, रंगीन पिकचर ट्यूब, वेलवेट धागे, ऊनी कपड़े तथा गहरे हेण्डपम्प आते हैं।

विशिष्ट वस्तुओं के लिए अग्रिम लाइसेन्स सुविधा की मांग कर रहे निर्यातकों के लिए वापसी की घटी दर के विस्तार की सुविधा को चालू रखा गया है।

शुल्क वापसी योजना का सरलीकरण और विस्तारीकरण

“कस्टम घराने में अप्रेजर मात्र 5 हजार रुपये की मात्रा तक वापसी के दावे कर सकता है। अधिकतर दावे को भुगतान के लिए वापसी विभाग में सहायक कलेक्टर को दे दिया जाता है। निर्यात मूल्य के भारी बढ़ोत्तरी और वर्ष के दौरान ज्यादा दावे को ध्यान में रखते हुए अप्रेजर को 10,000 रुपये तक के दावे के सम्बन्ध में सहायक कलेक्टर के द्वारा 5% तक जाँच के विषय में 30,000 रुपये तक के वापसी दावे के भुगतान की शक्ति प्रदान की गयी है। इसके अलावा 10,000 रुपये से 30,000 रुपये के बीच में दावे के सम्बन्ध में सहायक कलेक्टर के द्वारा 10%

जॉच पर भी भुगतान की शक्ति प्रदान की गयी है।

कर छूट इनटार्टिलमेंट प्रमाणपत्र योजना में, अग्रिम लाइसेन्स रखने वालों को डी०ई०ई०सी० किताब खत्म करने के लिए कस्टम प्राधिकरण से 'विरोध नहीं प्रमाण पत्र' प्राप्त करना पड़ता है। चूँकि कस्टम प्राधिकरण द्वारा इन प्रमाण पत्रों को प्रदान करने में देरी होती थी। अतः प्रक्रियाओं को संशोधित किया गया और लाइसेन्स प्राधिकरण से डी०ई०ई०सी० किताब जल्द खत्म करने के लिए यही निश्चित किया गया कि 'विरोध नहीं प्रमाणपत्र' को अलग कर दिया जाय। लाइसेन्सिंग प्राधिकरण अब डी०ई०ई०सी० किताब के डी० और एफ० में प्रमाणित प्रवेश के आधार पर बाण्ड को खत्म कर सकता है और यदि आवश्यक हो तो डी०ई०ई०सी० किताब को मांग प्रदान करने तथा भुगतान के लिए सम्बन्धित कस्टम प्राधिकरण को दे सकता है। इस नयी प्रक्रिया से डी०ई०ई०सी० किताब खत्म करने के लिए समय कम करने में सहायता प्रदान किया गया।

1 जनवरी 1993 से प्रभावी सरलीकृति बाण्ड दर फिक्सेसन योजना को सभी निर्यात उत्पाद तक विस्तृत कर दिया गया ताकि निर्यात बढ सके। यह योजना उन सभी निर्माणकर्ता निर्यातक तक विस्तृत किया गया है, जो कि उत्पाद का लगातार उत्पादन करते हैं, जिसके लिए ब्राण्ड दर को दिखया गया है। पहले यह योजना यांत्रिकी, अभियांत्रिकी और रसायन क्षेत्र तक ही सीमित था। अन्य क्षेत्रों में विस्तार से यह आशा की जाती है कि ब्राण्ड दर को ज्ञात करने में देरी को कम किया जा सकता है।"¹

नयी शुल्क वापसी दर

"भारत सरकार ने कर वापसी योजना 412 वस्तु के लिए घटा दी तथा 160 वस्तु के लिए बढा दी और 49 वस्तुओं के लिए पुरानी दर ही लागू है। जबकि 5 नयी वस्तुओं को सूची में रख दिया। कम से कम 14 वस्तुओं को कर वापसी से दूर रखा गया है। नयी दर 1 जून 1994 से प्रभावी है।"²

1 वार्षिक रिपोर्ट 1992-93, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार, पृ-32,

2 फारेन ट्रेड बुलेटिन, अक्टूबर 1994, वाल्यूम XXV नं० -4, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली, पृ-30,

शुल्क वापसी दर संशोधन

“वित्त मन्त्रालय मे माल गुजारी विभाग ने निर्यात पर नयी शुल्क वापसी दर लागू किया है। मालों के निर्यात के 30 दिन के अन्दर नयी वापसी सूची में सभी निर्यात मामले निर्यातक को दर्शाना पडेगा, जैसा कि कस्टम और केन्द्रीय शुल्क नियमों के नियम 6/7 में दिया गया है। यदि वे ऐसा नही करते हैं तो उनका वापसी प्रार्थना पत्र रद्द कर दिया जायेगा तथा वे सभी उद्योग दर भी नही प्राप्त कर पायेंगे।

अन्य परिवर्तन निम्न हैं- कुछ वस्तुओं पर से केन्द्रीय आयात-निर्यात कर खत्म कर दिया गया है और मोडवेट का विस्तार पेट्रोलियम उत्पाद तथा निर्मित धागे के लिए किया गया है। निर्मित कपडों के सम्बन्ध में वापसी दर 7.5% से 10% एफ० ओ० मूल्य कर दिया है और निर्यातक को पूर्ण वापसी दर प्राप्त होगी।”¹

4- निर्यात साख

निर्यात सम्वर्द्धन नीति के कदम के रूप में जहाज पर माल लादने से पूर्व तथा जहाज पर माल लादने के बाद साख को सभी उत्पाद के निर्यातकों को ब्याज के छूट दर पर विस्त्रित किया गया है। ऐसी साख 9.5 प्रतिशत के छूट दर पर 180 दिन के लिए रहता है। हाल ही के एक निर्णय के अनुसार कुछ वित्तीय सस्थान जैसे आई०डी०बी०आई०, आई०एफ०सी०आई० और आई०सी० आई०सी०आई० को रूपयों में ऋण पर ब्याज में छूट की एक योजना बनायी गयी है। इस योजना के अन्तर्गत निर्यात इकाइयों को उस साल जिसमे निर्यात बिक्री की दर कुल बिक्री के 25 प्रतिशत तक पहुँचती है तब उनको ऋण पर 5 प्रतिशत की छूट मिलती है। इसी प्रकार सम्बन्धित ऋण पर 10 प्रतिशत के ब्याज दर में भी छूट मिलती है। यह छूट 100 प्रतिशत निर्यात आधारित इकाइयों पर भी लागू होती है।

“वाणिज्य मन्त्रालय द्वारा उठाये गये कदमों के आधार पर 1-1-92 से आर० बी० आई० द्वारा डालर में जहाज पर माल लादने के बाद साख प्रदान करने के लिए नये कदम उठाये गये। शुरू

1 फारेन ट्रेड बुलेटिन, अगस्त 1994 मासिक, वाल्यूम XXV नं०-2, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली पृ-11,

मे इस योजना के अन्तर्गत ब्याज दर 8.5% था जो कि 29-2-92 के 6.5% तक कम कर दिया गया। योजना के अन्तर्गत पुनः वित्त 133.33% के स्तर पर प्रदान किया गया। हाल ही में डालर निर्धारित साख पर पुनः वित्त पर ब्याज दर 7.5% से 5.5% तक घटा दिया गया ताकि वाणिज्य बैंक निर्यात साख विस्तार को आकर्षित कर सके। निम्न ब्याज पर विदेशी मुद्रा में पैकिंग साख की एक नयी योजना एक्विजिमेंट बैंक द्वारा शुरू की गयी है।"¹

वाणिज्य मंत्रालय भारतीय रिजर्व बैंक के बाहरी सहायता से निर्यात साख पर आकड़ों को प्रकाशित करता है। निर्यात साख की उपस्थिति को प्रभावित करने की दृष्टि से बैंकों को जून 1993 के अन्त तक निर्यातक को कम से कम 10% सही साख की उपस्थिति सुनिश्चित करने की सलाह दी गयी। बैंकों को सलाह दी गयी कि अधिकतम आज्ञा प्राप्त बैंक वित्त सीमा को निर्यात के लिए सीमित कदमों के लिए आज्ञा नहीं प्रदान करना चाहिए। इसकी जगह बैंक एम०पी०बी०एफ० की सीमा के आगे निर्यात आज्ञा या अन्य प्रमाण पत्रों के आधार पर भुगतान कर सकता है।

निर्यात साख के मूल्य को कम करने के लिए ब्याज दर 9-10-92 से 10% द्वारा घटा दिया गया। जहाज पर माल लादने से पूर्व साख के लिए संशोधित दर 180 दिन तक 14% वार्षिक और 181 दिन से 270 दिन तक 16% वार्षिक है। जहाज पर माल लादने के बाद साख के लिए संशोधित दर 90 दिन के लिए 14% वार्षिक तथा 6 महीने तक है।

5- गुण नियन्त्रण और जहाज पर माल लादने से पूर्व निरीक्षण

विभिन्न गुणों और अच्छे निर्यात किये गये माल को पहचानने के लिये तथा विदेशी उपभोक्ताओं के शिकायतों को कम करने का प्रयत्न निर्यात सम्बर्द्धन का एक महत्वपूर्ण कदम है। यह हमारे गुण नियन्त्रण और जहाज पर माल लादने से पूर्व निरीक्षण की पद्धति की मजबूती के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है। यह निर्यात नियम 1963 के अन्तर्गत किया जा सकता है। वर्तमान में गुण नियन्त्रण और जहाज पर माल लादने से पूर्व निरीक्षण के अन्तर्गत 986 वस्तुओं को रखा गया है। इसकी क्षमता कच्चे कृषि उत्पाद, खनिज और अर्ध-निर्मित वस्तुओं से लेकर अच्छे निर्मित वस्तुओं तक है।

1 वार्षिक रिपोर्ट 1992-93, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार, पृ-34

वैसे कई क्षेत्रों में हमारी योग्यतायें विश्व के कई महत्वपूर्ण बाजारों में महसूस की गयी हैं, लेकिन गुण स्तर की कमी के कारण हमें फिर भी शिकायतें मिलती रहती हैं। यह वह क्षेत्र है जहाँ पर सरकार अपनी ज्यादा से ज्यादा शक्ति का उपयोग करती है। नयी मशीनों और तकनीक सामान को निर्यात निरीक्षण के लिए प्राप्त किया गया है, गुण नियन्त्रण और जहाज पर माल लादने से पूर्व निरीक्षण के पद्धति के अन्तर्गत ज्यादा से ज्यादा निर्यात वस्तुओं को लाया गया है। निर्माण के स्तर पर गुण नियन्त्रण और निरीक्षण के लिए सही व्यवस्था को धीरे-धीरे विस्तृत और मजबूत किया जा रहा है। यान्त्रिकी मालों, रसायनों और अन्य उत्पादों, जूट और जूट निर्मित माल, जटा उत्पाद, जूते, चप्पल और जूते चप्पल के विभिन्न भाग और यान्त्रिक को गुण नियन्त्रण और जहाज पर माल लादने से पूर्व जरूरी जाँच के अन्तर्गत रखा गया है।

निर्यात निरीक्षण अभिकरण

“निर्यात माल के लदान-पूर्व निरीक्षण के लिए भारत सरकार ने 5 निर्यात निरीक्षण अभिकरण स्थापित किए हैं। इनमें से एक-एक बम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली तथा मद्रास में है और यह सभी निर्यात निरीक्षण परिषद के प्रशासनिक नियन्त्रण में हैं। इन अभिकरणों के मुख्यालय बम्बई, कलकत्ता, कोचीन, दिल्ली तथा मद्रास में हैं और इनके अलावा, इन अभिकरणों के 61 उपकार्यालय हैं जो महत्वपूर्ण औद्योगिक केन्द्रों तथा निर्यात बन्दरगाहों पर हैं।

वर्ष 1991-92 के दौरान, प्रेषणवार निरीक्षण तथा प्राकियागत निरीक्षण प्रणाली के अधीन 3,268.36 करोड़ रुपये मूल्य के निर्यात प्रेषण का प्रमाणन किया गया। 1992-93 (31-10-92 तक) के दौरान प्रमाणित प्रेषणों का मूल्य 970.33 करोड़ रुपये रहा। 1993-94 के दौरान 1527 करोड़ रुपये मूल्य के निर्यात प्रेषण का प्रमाणन किया गया तथा 1-4-1994 से 31-12-1994 के दौरान प्रमाणित प्रेषणों का मूल्य 705 करोड़ रुपये रहा।¹ भारत सरकार ने निर्यात निरीक्षण अभिकरणों को सामान्यीकृत अधिमान प्रणाली के अधीन ऐसे निर्यात माल के लिए मूल स्थान प्रमाण पत्र भी देने का प्राधिकार दे दिया है जो जापान, यूरोपीय आर्थिक समुदाय, संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा तथा पूर्वी यूरोप के देशों को जा रहा हो। वर्ष 1991-92 में निर्यात निरीक्षण अभिकरणों

1 वार्षिक रिपोर्ट, 1994-95 वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार, पृ-50

ने 2,58,174 जी०एस०पी०प्रमाण पत्र जारी किए। 1992-93 (31-10-92 तक) के दौरान 1,69,593 जी०एस०पी० प्रमाणपत्र जारी किया गया। वर्ष 1993-94 में 3,79,299 जी०एस०पी० प्रमाण पत्र तथा 1-4-1994 से 31-12-1994 की अवधि में निर्यात निरीक्षण अभिकरणों ने 2,68,681 जी०एस०पी०प्रमाण पत्र जारी किए।

पायलट टेस्ट हाउस

“इजीनियरी उत्पादों, विशेषकर लघु उद्योग क्षेत्र के इजीनियरी उत्पादों, के शीघ्रता से, सक्षम, सही और व्यापक परीक्षण की बढ़ती हुई मांग पूरी करने के लिए निर्यात निरीक्षण परिषद ने बम्बई में एक पायलट टेस्ट हाउस (पी०टी०एच) स्थापित किया है। निर्यात निरीक्षण अभिकरणों द्वारा लिए गए नमूनों के परीक्षण के अलावा, पायलट टेस्ट हाउस उद्योग क्षेत्र को अनेक प्रकार की तकनीकी सहायक-सुविधाएँ भी उपलब्ध कराता है जैसे उत्पादों के गुणवत्ता परिमाणों का आंकलन, प्रक्रियागत गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली के अधीन अनुमोदन प्राप्त करने में सहायता, परीक्षण के लिए सामान्य सुविधाएँ उपलब्ध कराना, गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए अनुसंधान और विकास की परियोजनाएँ तथा उद्योग क्षेत्र के लिए बने बनाये प्रशिक्षण कार्यक्रम।

वर्ष 1991-92 के दौरान पायलट टेस्ट हाउस क्षेत्र में 10,710 नमूनों का परीक्षण किया गया। 1992-93 (31-10-92 तक) के दौरान 2,085 नमूनों का परीक्षण पायलट टेस्ट हाउस के द्वारा किया गया। वर्ष 1993-94 के दौरान पायलट टेस्ट हाउस में 5,448 नमूनों का परीक्षण किया गया। 1-4-1994 से 31-12-1994 के बीच ई० आई०ए० द्वारा भेजे गए 102 नमूनों का पायलट टेस्ट हाउस में परीक्षण किया गया। पायलट टेस्ट हाउस निर्यात उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार के लिए उद्योग क्षेत्र को लगातार नियमित विस्तार सेवाएँ प्रदान कर रहा है।”¹

6- निर्यात सम्बर्द्धन पूँजीगत वस्तु योजना (ई०पी०सी०जी०)

निर्यात सम्बर्द्धन पूँजीगत वस्तु योजना के अन्तर्गत पूँजीगत माल को सीमा शुल्क की रियायती दर पर आयात करने की अनुमति दी जाती है। जो निर्यातक सी० आई० एफ० मूल्य के 4 गुना

1 वार्षिक रिपोर्ट 1994-95, वाणिज्य मंत्रालय, भारत सरकार, पृ-52,

निर्यात दायित्व को 5 वर्ष में पूरा करने का वचन देते हैं, उन्हें सी०आई०एफ० मूल्य का केवल 15% सीमा शुल्क देना होता है। यह योजना नियमित और नए दोनों तरह के निर्यातकों के लिए खुली है। इस योजना के अन्तर्गत निर्यात किये जाने वाले वस्तु आयातित पूँजीगत माल की सहायता से निर्मित होना चाहिए। परीक्षण सामान, आर०और०डी० सामान, पैकिंग मशीन आदि को इस योजना के अन्तर्गत रखा गया है।

“सेवा सेक्टर के लिए एक नई निर्यात सम्बर्द्धन पूँजीगत वस्तु योजना (ई०पी०सी०जी०) की शुरुआत 31 मार्च 1993 को प्रकाशित आयात-निर्यात नीति के सशोधित संस्करण के तहत की गई। इस योजना में व्यवसायियों की विशिष्ट श्रेणियों, होटलों और रेस्तराओ तथा अन्य विशिष्ट सेवा प्रदायकों द्वारा 15% के रियायती शुल्क पर पूँजीगत उपस्करों की आयात की अनुमति है, बशर्ते कि इस प्रकार के पूँजीगत उपस्करों के मूल्य की चार गुने बराबर मुक्त विदेशी मुद्रा की अर्जन 5 वर्षों की अवधि में कर लिया जाए।”¹

7- नगद क्षतिपूर्ति सहायता

निर्यात सम्बर्द्धन नीति ढॉचा में नगद क्षतिपूर्ति सहायता विदेशी बाजारों में भारत के वस्तुओं को प्रतियोगी बनाने के लिये एक महत्वपूर्ण उपाय है। यह योजना 1966 में शुरू की गयी तथा इसके अन्तर्गत शुरू में कुछ सीमित क्षेत्र ही थे। जैसे- अभियान्त्रिक माल, रसायन, खेल के सामान तथा प्लास्टिक उत्पाद। वर्तमान आवश्यकता के अनुसार इसको बदला गया और अब इसके अन्तर्गत निर्यात तथा निर्यात समूह का एक विस्तृत क्षेत्र है। इसके अन्तर्गत 13 बड़े क्षेत्र आते हैं जैसे-अभियान्त्रिकी माल, रसायन तथा इसके उत्पाद, चमड़े से निर्मित सामान, समुद्री उत्पाद, प्लास्टिक की वस्तुएँ, निर्मित कपड़े, ऊनी गलीचे, खेल के सामान, सिल्क तथा रेयान, जूट सामान और हथकरघा आदि क्षेत्र आते हैं। यह सुविधा दुबारापूर्ति लाइसेन्स के कीमत तथा अन्तर्राष्ट्रीय दाम पर भारत में किये गये आयात पर भी लागू होता है। इस योजना के अन्तर्गत ज्यादातर छूट नहीं है और न वापसी वाले कर के लिए निर्यातकों को क्षतिपूर्ति प्रदान करता है जैसे- बिक्री कर और

1 वार्षिक रिपोर्ट 1994-95, वाणिज्य मन्त्रालय, भारत सरकार, पृ-31

कच्चे मालों पर क्षेत्रीय कर। इन कारकों के अलावा नगद क्षतिपूर्ति सहायता की दर ज्ञात करने के अन्य कारक निम्न हैं- जमाधन पर ब्याज की उच्च दर, विस्थापन का उच्च मूल्य, कृषि आधारित आवश्यकताओं का सम्वर्द्धन और विकास।

बदलते अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, पर्यावरण और विश्व बाजार में प्रतियोगिता की दर के अनुसार सी०सी०एस०का लगातार सशोधन किया जा रहा है। जुलाई 1986 में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, जिसने इसको आवश्यक स्थिरता प्रदान किया। नयी योजना तीन साल दिसम्बर 31, 1989 तक के लिए मान्य था। रूपये के विनियम दर में परिवर्तन और दूबारापूर्ति लाइसेंस योजना के विस्तार और सुधार को देखते हुए 3 जुलाई 1991 से नगद क्षतिपूर्ति सहायता योजना को समाप्त कर दिया गया है। 2 जुलाई 1991 तक सभी निर्यात अपने सी०सी०एस० दर के योग्य थे। विदेश व्यापार के समान्य निर्देशालय के कार्यालय द्वारा यह निर्देश दे दिया गया कि निर्यातक अपने सी०सी०एस० दावे को सम्बन्धित डाकघर में 31 दिसम्बर 1992 से पहले जारी करा ले। सी०सी०एस० योजना की समाप्ति के परिणाम स्वरूप वाणिज्य मन्त्रालय में कार्य कर रही दो अन्तरमन्त्रीय दल सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया।

8- निर्यात सम्वर्द्धन औद्योगिक पार्क स्कीम (ई०पी०आई०पी०)

“केन्द्रीय रूप से प्रायोजित निर्यात सम्वर्द्धन औद्योगिक पार्क स्कीम अगस्त, 1994 में शुरू की गई। इसका उद्देश्य निर्यात-अभिमुख उत्पादन के लिए अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाओं का सृजन करने में राज्य सरकारों को शामिल करना है। इस स्कीम में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक मामले में सामान्यता 10 करोड़ रू० तक सीमित इन सुविधाओं के सृजन पर किये गये पूँजीगत व्यय का 75% राज्य सरकारों को मिलने वाले केन्द्रीय अनुदान से पूरा किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारों को उनमें स्थापित प्रत्येक इकाई के निर्यात कारोबार का 2% के समकक्ष अनुरक्षण अनुदान भी उस यूनिट के वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से 5 वर्षों की अवधि के लिए उपलब्ध कराया जायेगा।

केन्द्र सरकार ने अब तक पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों में निर्यात सम्वर्द्धन औद्योगिक पार्कों की

स्थापना के प्रस्तावों को मजूरी दी है।"¹ "देश का पहला निर्यात सम्बद्ध औद्योगिक पार्क जयपुर के निकट सीतापुर में केन्द्रीय वाणिज्य राज्य मंत्री बी०बी०रमैया द्वारा 22 मार्च 1997 को औपचारिक उद्घाटन किया गया। 365 एकड़ क्षेत्र में फैले इस औद्योगिक पार्क का विकास राजस्थान औद्योगिक निवेश निगम द्वारा केन्द्र सरकार के सहयोग से किया गया है। इसकी कुल लागत 47.15 करोड़ रुपये आई है जिसमें केन्द्रीय सहायता 10 करोड़ रुपये की है। निर्यात सम्बद्ध औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार कुल लागत का 75 प्रतिशत या अधिकतम 10 करोड़ रुपये तक की आर्थिक सहायता प्रदान करती है। केन्द्र सरकार ने ऐसे लगभग 6 औद्योगिक पार्क विभिन्न राज्यों के लिए स्वीकृत किए हुए हैं।"²

राष्ट्रीय व्यापार सूचना केन्द्र

"राष्ट्रीय व्यापार सूचना केन्द्र (एन०सी०टी०आई०) की स्थापना की गई है। इसका उद्देश्य निर्यात सम्बद्ध करने वाले निकायों, आदि के साथ सम्पर्क स्थापित करके राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर व्यापार और वाणिज्य से सम्बन्धित डाटा आधार का सृजन करके व्यापार और वाणिज्य से सम्बन्धित सूचना एकत्र करना, मिलवाना, इकट्ठा करना, प्रसंस्करण करना, विश्लेषण करना तथा प्रसार करना है।"³

9- अग्रिम लाइसेन्स और सीमा शुल्क छूट योजना

इस योजना के द्वारा अग्रिम लाइसेन्स निर्यातकों को यह सुविधा प्रदान करते हैं कि वे बिना सीमा शुल्क दिए ही कुछ विशिष्ट कच्चे माल का आयात कर सकते हैं। इस प्रकार की सुविधा केवल निश्चित आर्डर होने पर ही प्रदान की जाती है। मध्यवर्ती अग्रिम लाइसेंसिंग स्कीम के अन्तर्गत, निर्यात उत्पादकों को मध्यवर्ती वस्तुएँ उपलब्ध कराने में सहायता दी जाती है।

न्यूनतम मूल्यवर्धन 33% निर्धारित है। अनुरोध करने पर, गुणावगुणों के आधार पर न्यूनतम मूल्यवर्धन की अनुमति दी जा सकती है। कोई भी आवेदक मूल्य-आधारित या मात्रा-आधारित

1 वार्षिक रिपोर्ट, 1994-95, वाणिज्य मन्त्रालय, भारत सरकार, पृ-36,

2 प्रतियोगिता दर्पण, मई 1997, उपकार प्रकाशन 2/11 ए स्वदेशी बीमा नगर, आगरा -282002, पृ-1657,

3 वार्षिक रिपोर्ट, 1994-95 वाणिज्य मन्त्रालय, भारत सरकार, पृ-38,

अग्रिम लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है।

(क) मूल्य-आधारित अग्रिम लाइसेंस

मूल्य-आधारित अग्रिम लाइसेंस योजना पहली बार 1-1-1992 से शुरू की गई। इस योजना के अन्तर्गत लाइसेंसों में विनिर्दिष्ट किसी भी निविष्टि का उन निविष्टियों के लिए बताई गई कुल सी० आई० एफ० मूल्य के भीतर आयात किया जा सकता है।

(ख) मात्रा- आधारित अग्रिम लाइसेंस

मात्रा-आधारित अग्रिम लाइसेंसिंग योजना में इस प्रकार के लाइसेंसों में केवल आयात की जाने वाली प्रत्येक मद की मात्रा, आयात के सी०आई०एफ०मूल्य और निर्यात की मात्रा तथा एफ ओ बी मूल्य का ही उल्लेख होता है।

स्वघोषित पास बुक योजना: 1-4-1992 से स्वघोषित पास बुक योजना शुरू की गई जो निर्यात घरानों, व्यापार घरानों, शीर्ष व्यापार घरानों और शीर्षस्थ व्यापार घरानों को उन निर्यात उत्पादों के लिए उपलब्ध है, जिनके लिए मात्रा आधारित अग्रिम लाइसेंसिंग योजना के अन्तर्गत मानक इनपुट-आउटपुट मानदंड अथवा मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस योजना के अन्तर्गत मूल्यवर्धन मानदंड विनिर्दिष्ट है। पास बुक योजना केवल वास्तविक निर्यातों के लिए लागू है और पास बुक मात्रा पर आधारित हैं।

अग्रिम मध्यवर्ती लाइसेंस: अग्रिम मध्यवर्ती लाइसेंस मध्यवर्ती सामान के उन विनिर्माताओं को इनपुट का शुल्क मुक्त आयात करने के लिए जारी किया जाता है जो अपना माल ऐसे अंतिम निर्यात को सप्लाई करते हैं, जो शुल्क मुक्त योजना के अन्तर्गत पात्र माने गए निर्यातक हैं। या जो लाइसेंस धारक हैं। मध्यवर्ती लाइसेंस धारक को, शुक्ल छूट योजना के अन्तर्गत लाइसेंस होल्डर को, विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आपूर्ति करनी होगी। अग्रिम मध्यवर्ती लाइसेंस केवल मात्रा पर आधारित है।

विशेष अग्रदाय लाइसेंस: विशेष अग्रदाय लाइसेंस उन श्रेणियों को शुल्क मुक्त आयात हेतु प्रदान किया जाता है, जो माने गए निर्यात नीति के अंतर्गत आते हैं। ये लाइसेंस मात्रा पर आधारित

लाइसेंस हैं।

अग्रिम सीमा शुल्क निकासी परमिट: मात्रा-आधारित अग्रिम सीमा शुल्क परमिट ऐसी वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात के लिए दिया जाता है, जो विदेशी क्रेता द्वारा जाबिग, रिपेयरिंग, सर्विसिंग, रेस्टोरेशन, री-कंडीशनिंग, रिनोवेशन आदि के लिए मुफ्त सप्लाई की जाती हैं। वस्तुओं की मरम्मत करने के बाद उनका पुनः निर्यात किया जाना होता है।

अग्रिम रिलीज आर्डर: अग्रिम रिलीज आर्डर केवल मात्रा पर आधारित लाइसेंस पर दिया जाता है और संवेदनशील मर्दों के लिए भी दिया जाता है।

10- ब्लैकट विनिमय परमिट योजना

ब्लैकट विनिमय परमिट योजना की घोषणा जून 1987 में की गई। इस योजना का उद्देश्य देश के निर्यात सम्बद्धन प्रयासों को तेज गति प्रदान करना था। यह योजना निर्यातकों को सुविधा उपलब्ध कराने की दृष्टि से अधिक व्यापक तथा लोचशील थी। इसके अन्तर्गत निर्यातकों को इस बात की छूट दी गई कि वे अपनी कमाई गई विदेशी मुद्रा में से 5-10 प्रतिशत का प्रयोग निर्यात सम्बद्धन गतिविधियों के लिए स्वयं कर सकते हैं।

11- आयात पुनः पूर्ति योजना

निर्यातकों को निर्यात उत्पादन के लिए आवश्यक कच्चे माल का आयात करने की सुविधा देने के लिए, सरकार ने 1957 में आयात हकदारी योजना की शुरुआत की। इस उद्देश्य के लिए निर्यातकों को उनके द्वारा किये गए निर्यात के अनुपात में आयात लाइसेंस दिये गये। इन आयात लाइसेन्सों पर 70 से 80 प्रतिशत प्रीमियम था। इस प्रकार आयात हकदारी योजना निर्यात सहायता का सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र बन गया। 1965-66 तक आयात हकदारी योजना भारत के लगभग 80 प्रतिशत निर्यातों को उपलब्ध था। 1966 में रुपये का अवमूल्यन होने के बाद इसे समाप्त कर दिया गया परन्तु जल्द ही एक नई योजना के रूप में इसे दोबारा लागू कर दिया गया। इस योजना का नाम आयात पुनः पूर्ति योजना था। ये लाइसेन्स निर्यातों के मूल्य से सम्बन्धित थे और निर्यातकों को यह सुविधा प्रदान करते थे कि वे उन आगतों का आयात कर सकें जो देश में उपलब्ध नहीं

है। पंजीकृत निर्यातक नीति के अधीन निर्यातक उन वस्तुओं को प्राप्त कर सकते थे जिनके आयात पर नियन्त्रण लगे हुए थे।

12- निर्यात प्रशिक्षण

भारत के अन्तर्गत भारतीय विदेश व्यापार संस्थान और अन्य अंगों के द्वारा अध्ययन और प्रशिक्षण प्रदान करने के अलावा बाहर भी प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध है। कई विकसित देश जैसे जर्मनी, आस्ट्रेलिया और फ्रांस विकासशील देशों के प्रतिनिधि को निर्यात के लिए निर्यात विकास अध्ययन उपलब्ध कराते हैं। अध्ययन प्रशिक्षु को इन देशों द्वारा अपनाये गए निर्यात सम्वर्द्धन उपाय तथा प्रशिक्षण और उनके निर्यात से सम्बन्धित अन्य नियन्त्रण के बारे में जानकारी प्राप्त करने का सुअवसर मिलता है।

सरकार एक विशिष्ट योजना "बाजारीकृत यात्रा" मुख्यतः निम्न स्तर और लघु स्तर उद्योग के लिए जो कि अपने आप अपने उत्पाद के लिए बाजार प्राप्त करने के योग्य नहीं है, उनके विकास में सहायता प्रदान करती है। यह योजना आई०आई०एफ०टी०, यू०एन०डी०पी०, यू०एस०आई०डी० आदि के सहायता में कार्य किया है।

नब्बे के दशक में व्यापारिक नीति में परिवर्तन

- (i) रुपये की पूँजी खाते तथा चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता घोषित की गई है। अब विनिमय दर बाजार में विदेशी मुद्रा की मांग और आपूर्ति द्वारा निर्धारित होगी। इसके लिए पहले उदारीकृत विनिमय दर प्रबंध प्रणाली का एक वर्ष का दोहरी विनिमय प्रणाली का अनुभव सम्मिलित है।
- (ii) नकद क्षतिपूर्ति सहायता की समाप्ति: व्यापार नीति में व्यापक उदारतावाद तथा रुपये के अवमूल्यन को देखते हुए सरकार ने तर्क दिया कि अब नकद क्षतिपूर्ति सहायता की आवश्यकता नहीं रही। इसलिए 3 जुलाई 1991 से इसे समाप्त कर दिया गया।
- (iii) एक्विम प्रतिभूति पत्र: जुलाई 1991 को घोषित आयात-निर्यात नीति में आयात लाइसेंसिंग नीति में महत्वपूर्ण परिवर्तन के अन्तर्गत आयातों के प्रशासित लाइसेंसिंग के

स्थान पर निर्यात आय से जुड़ी आयात हकदारी योजना शुरू की गई। पुनर्पूर्ति लाईसेंस प्रणाली का विस्तार किया गया और उसे उदार बनाया गया। इसे एक नया नाम एकजिम प्रतिभूति-पत्र दिया गया। इन प्रतिभूति पत्रों का खुला व्यापार करने की अनुमति दी गई और इन पर बाजार में प्राप्त होने वाला अधिमूल्य निर्यातकों को एक प्रकार का निर्यात प्रोत्साहन था तथा बाजार शक्तियों के अनुसार आयातों के आवंटन का माध्यम था। जवाहरात व आभूषण, कुछ धातु आधारित हस्तशिल्प वस्तुओं तथा पुस्तकों व पत्रिकाओं को छोड़कर अन्य सभी निर्यात वस्तुओं पर निर्यात मूल्य के 30 प्रतिशत के बराबर एक सी एकजिम प्रतिभूति-पत्र दर निर्धारित की गई। उस समय प्रचलित 5 से 20 प्रतिशत दरों की तुलना में यह दर काफी ऊँची थी। 1992-93 के बजट में उदारीकृत विनिमय दर-प्रबन्ध प्रणाली लागू होने पर एकजिम प्रतिभूति पत्र की योजना समाप्त कर दी गई।

- (iv) **आयात कार्यप्रणाली का सरलीकरण:** भारतीय व्यापार नीति में काफी लम्बे समय तक कई प्रशासनिक नियन्त्रणों तथा लाइसेंस का जमघट रहा है। पंचवर्षीय आयात-निर्यात नीति 1992-97 में आयात कार्यप्रणाली को सरल बनाने का एक बड़ा प्रयत्न किया गया है। अब केवल दो प्रकार के आयात लाइसेंस रखे गए हैं- ये हैं अग्रिम लाइसेंस तथा विशेष आयात लाइसेंस। अन्य सभी आयात लाइसेंसों को (इसमें खुला सामान्य लाइसेंस भी शामिल है) समाप्त कर दिया गया है। आयात संबंधी नियमों को लगातार सरल बनया जा रहा है, प्रशासनिक नियंत्रणों को कम तथा लाइसेंस राज को समाप्त किया जा रहा है।
- (v) **शुल्क छूट योजना का विस्तार:** शुल्क से छूट की योजना का विस्तार किया गया है। मात्रा-आधारित अग्रिम लाइसेंसों के साथ अब मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंसों को भी शुरू किया गया है। इसका लाभ यह होगा कि अब कुछ मूल्य- सीमाओं के अन्तर्गत तथा बिना मात्रात्मक प्रतिबन्धों के निर्यातकों को वस्तुओं का आयात-निर्यात करने की छूट होगी। (कुछेक वस्तुओं को छोड़कर)

(vi) **आसान आयात व निर्यात:** जुलाई 1991 की व्यापार नीति में अग्रिम लाइसेंसों की प्रणाली को और मजबूत बनाया गया क्योंकि इस प्रणाली के जरिए निर्यातकों को अपने जरूरत के आगत बिना सीमा-शुल्क दिए मंगाने की अनुमति थी। पूँजीगत वस्तुओं के आयातों की कार्यप्रणाली को भी सरल बनाया गया। नई इकाइयों और विस्तार-अधीन इकाइयों को पूँजीगत वस्तुओं के आयात के लिए लाइसेंस प्रदान करने की व्यवस्था रखी गई, चाहे ये वस्तुएं घरेलू बाजार में उपलब्ध हों।

1992-97 की आयात-निर्यात नीति में कुछ वस्तुओं को छोड़कर सभी वस्तुओं के आयात की अनुमति दी गई है। जिन वस्तुओं का आयात नहीं किया जा सकता उन्हें एक नकारात्मक सूची में रखा गया है। इस सूची में उपभोक्ता वस्तुएँ (इसमें 28 विशिष्ट मदें शामिल नहीं हैं) तथा 70 अन्य मदें हैं। इनके आयात पर प्रतिबन्ध लागू रहेंगे। तीन वस्तुओं के आयात पर पूर्ण पाबन्दी रहेगी-ये तीन वस्तुएँ हैं-पशुओं की चर्बी, पशुओं का रेनेट तथा अनिर्मित हाथी दाँत। इसी प्रकार, एक नकारात्मक सूची के अतिरिक्त अब अन्य सब मदों का मुख्य निर्यात किया जा सकेगा। 7 वस्तुओं के निर्यात पर पूर्ण पाबन्दी होगी। इनमें गोमांस, पशुओं की चर्बी, मानव के अस्थि-पंजर (कंकाल), लकड़ी व लकड़ी के उत्पाद आदि शामिल हैं। इसके अलावा 62 वस्तुओं के निर्यात को प्रतिबंधित सूची में रखा गया है अर्थात् इन वस्तुओं के निर्यात के लिए लाइसेंस की आवश्यकता होगी।

(vii) **निर्यात उन्मुख इकाइयों तथा निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र को और सुविधाएं:** 1992-97 की नीति में 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाइयों तथा निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र की इकाइयों को घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र से निर्यात करने वाली इकाइयों की तुलना में अधिक सुविधाएँ व रियायतें दी गई हैं। अब इन योजनाओं का नई गतिविधियों तक विस्तार किया गया है, जिनमें बागवानी, मछली पालन, मुर्गी पालन तथा पशु पालन और कई सम्बन्धित गतिविधियाँ व सेवाएँ शामिल हैं।

(viii) **निर्यात गृहों व व्यापार गृहों को और सुविधाएं:** 1991 की नीति में निर्यात गृहों, व्यापार

गृहों तथा स्टार व्यापार गृहों को कई मदों के आयात की अनुमति दी गई। सरकार ने नियतों को प्रोत्साहित करने के दृष्टिकोण से 51 प्रतिशत विदेशी इक्विटी के साथ व्यापार गृहों की स्थापना की अनुमति दी। इन व्यापार गृहों को घरेलू निर्यात गृहों व व्यापार गृहों को उपलब्ध सभी लाभों व रियायतों का आश्वासन दिया गया।

- (ix) **केवल सरकारी एजेंसियों के माध्यम से व्यापार करने की शर्त को हटाया जाना:** भारत में कई वस्तुओं का आयात व निर्यात केवल सरकारी एजेंसियों के माध्यम से किया जा सकता था। 13 अगस्त, 1991 को घोषित अनुपूरक व्यापार नीति में इस सूची का विवेचन किया गया और 16 निर्यात मदों तथा 20 आयात मदों को इस सूची से मुक्त कर दिया गया। 8 वस्तुओं को छोड़कर अब सारी वस्तुओं का आयात तथा निर्यात अमार्गीकृत कर दिया गया है।

आयात-निर्यात नीति में 1993 व 1994 में किए गए परिवर्तन

1992-97 की आयात-निर्यात नीति में मार्च 1993 व मार्च 1994 में कुछ महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। इनका उद्देश्य उदारीकरण की प्रक्रिया को और तेज करना तथा निर्यातकों को और रियायते देना है ताकि निर्यात की वृद्धि दर को और बढ़ाया जा सके। कुछ उठाये गए महत्वपूर्ण कदम निम्न लिखित हैं-

- (i) संशोधित नीति में कृषि व संबद्ध क्षेत्रों से निर्यातों को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस उद्देश्य के लिए इन क्षेत्रों में निर्यात-उन्मुख इकाइयों की स्थापना को उच्च प्राथमिकता दी गयी है। कृषि, मछली-पालन, पशु-पालन, मुर्गी-पालन, रेशम-उत्पादन, फूल-फल उत्पादन जैसे क्षेत्रों में काम कर रही इकाइयों को निर्यात-उन्मुख इकाइयों / निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र योजनाओं के अन्तर्गत बिना शुल्क दिए आयात करने की सुविधा प्रदान की गयी और इन योजनाओं में लाभ उठाने के लिए उन पर शर्त केवल यह होगी कि वे कम-से-कम 50 प्रतिशत उत्पादन का निर्यात करें (इस प्रकार इन क्षेत्रों में स्थापित निर्यात-उन्मुख इकाइयों / निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र की इकाइयाँ 50 प्रतिशत उत्पादन घरेलू बाजारों में बेच सकती हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में स्थापित इस

प्रकार की इकाइयों को केवल 25 प्रतिशत उत्पादन घरेलू बाजारों में बेच सकने की अनुमति है। कृषि व संबद्ध क्षेत्रों में स्थापित निर्यात-उन्मुख इकाइयाँ / निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र की इकाइयाँ अपनी जरूरत का पूँजीगत सामान रियायती शुल्क दरों पर खरीद सकेंगी। इसके अलावा, कृषि व संबद्ध क्षेत्रों के लिए आवश्यक कुछ आयात वस्तुओं को नकारात्मक सूची से हटा दिया गया है अर्थात् अब इनका आयात बिना बाधा के किया जा सकेगा।

- (ii) पहले निर्यात गृहों, व्यापार गृहों तथा स्टार व्यापार गृहों की परिभाषा करते समय शुद्ध कमाई गई विदेशी मुद्रा को आधार माना जाता था। अब इसे बदलकर निर्यातों की मात्रा का मूल्य कर दिया गया है।
- (iii) निर्यात गृहों, व्यापार गृहों, स्टार व्यापार गृहों तथा सुपर स्टार व्यापार गृहों को परिभाषित करते समय निर्यातकों द्वारा सेवाओं के माध्यम से कमाई गई विदेशी मुद्रा का भी उनकी निर्यात आय में शामिल करने की अनुमति दी गई है।
- (iv) सेवाओं के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए एक नई योजना 'सेवा क्षेत्र के लिए निर्यात सम्बद्धन पूँजीगत वस्तु योजना' शुरू की गई है। इस योजना के तहत व्यावसायिक सेवाएँ प्रदान करने वाले व्यक्तियों को 15 प्रतिशत की रियायती शुल्क दर पर पूँजी उपकरणों के आयात की सुविधा दी गई है। परन्तु यह सुविधा प्राप्त करने के लिए उन्हें विदेशी मुद्रा कमाना होगी (चाहे सेवाएं देश में की जा रही हों या विदेशों में)।
- (v) निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्रों की गतिविधियों का विस्तार किया गया है और अब इन्हें व्यापार करने की तथा नई पैकिंग के बाद वस्तुओं को पुनः निर्यात करने की अनुमति दी गई है।
- (vi) 30 मार्च 1994 को घोषित नीति में सुपर स्टार व्यापार गृहों का एक नया वर्ग शुरू किया गया है। उन निर्यातकों को इस वर्ग में शामिल किया जायेगा जिन्होंने पिछले तीन वर्षों में लगातार 750 करोड़ रुपये (या उससे अधिक) प्रतिवर्ष का व्यापार किया होगा या फिर पिछले वर्ष 1,000 करोड़ रुपये या उससे अधिक का व्यापार किया होगा। इन

गृहों को अतिरिक्त आयात लाइसेन्स दिए जाएंगे, महत्वपूर्ण व्यापार-प्रतिनिधि मंडलों में शामिल किया जायेगा तथा व्यापार नीति व निर्यात प्रोत्साहन नीति बनाते समय विचार विमर्श के लिए आमंत्रित किया जायेगा।

- (vii) निर्यात गृहों को उपलब्ध विशेष आयात लाइसेन्सों में 1 प्रतिशत की वृद्धि की गई है और अब इनके अधीन निर्यात गृह, अपनी निर्यात-आय के अनुसार 3 से 5 प्रतिशत तक का आयात कर सकेंगे। सुपर स्टार व्यापार गृहों के लिए विशेष आयात लाइसेन्सों की सीमा 10 प्रतिशत होगी। इन आयात लाइसेन्सों के माध्यम से अब निर्यात गृह व व्यापार गृह बहुत सी उपभोक्ता वस्तुओं का आयात कर सकेंगे जैसे-कार, रफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, रंगीन टी०वी०, कैमरे इत्यादि।
- (viii) निर्यात सम्बद्धन पूँजीगत वस्तु योजना को आसान बनाया गया है तथा निर्यात दायित्व पूरा करने के लिए अन्य उत्पादकों से वस्तुएँ खरीद कर उन्हें निर्यात करने की अनुमति दी गई है।
- (ix) वाणिज्य मन्त्रालय में एक निर्यातक शिकायत कक्ष की स्थापना की गई है ताकि निर्यातकों की समस्याओं का जल्द समाधान किया जा सके।
- (x) वास्तविक प्रयोगकर्ताओं को इस्तेमाल हो चुकी पूँजीगत वस्तुओं के आयात की अनुमति दी गई है, बशर्ते इस प्रकार आयात की जानेवाली पूँजीगत वस्तुओं की शेष-आयु 5 वर्ष से कम न हो।
- (xi) उपभोक्ता वस्तुओं को छोड़कर अन्य वस्तुओं के खुले आयात की तथा एडवांस लाइसेंसिंग योजना के अधीन, निर्यात-उद्योगों के लिए शुल्क-मुक्त आयात नीति को चालू रखा गया है। वस्तुतः शुल्क से छूट की योजना का और 50 प्रतिशत तक विस्तार किया गया है- जहाँ 31 मार्च 1993 को 2,200 निर्यात मर्चों के लिए आगत-निर्गत प्रतिमान तय किए गए थे, अब 30 मार्च, 1994 को इनकी संख्या बढ़ा कर 3,383 कर दी गई है।

1997 में नई आयात-निर्यात नीति (1997-2002) के अन्तर्गत उठाये गए कदम

इस नई आयात-निर्यात नीति के तहत आर्थिक सुधार कार्यक्रम को अधिक मजबूत करने के लिए उदारीकरण, पारदर्शिता और सरलीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गयी है। इस नई नीति में कुछ उठाये गए कदम निम्नलिखित हैं-

- (i) निर्यात और आयात से सम्बन्धित कागजी प्रक्रियाओं को पहले से काफी आसान और पारदर्शी बना दिया गया है।
- (ii) अभी तक प्रतिबन्धित सूची में शामिल 542 वस्तुओं के आयात को उदार बना दिया गया है।
- (iii) इस नई नीति में कृषि और सम्बद्ध क्षेत्र के निर्यात को बढ़ावा दिया गया है तथा जवाहरात का निर्यात बढ़ाने के लिए, सोने के भण्डारण के लिए नामांकित एजेंसियों की संख्या बढ़ा दी गयी है।
- (iv) ई०पी०सी०जी० योजना के अन्तर्गत पूँजीगत वस्तुओं पर आयात शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है।
- (v) निर्यात प्रक्रिया को सरलीकरण करने के लिए नई आयात-निर्यात नीति के अन्तर्गत निर्यात सम्बर्द्धन की अनेक योजनाओं को अब दो योजनाओं तक सीमित कर दिया गया है। मात्रा आधारित अग्रिम लाइसेंस योजना को जारी रखते हुए विवादास्पद मूल्य आधारित अग्रिम लाइसेंस योजना को निरस्त कर दिया गया है। पास बुक योजना में संशोधन करके ड्यूटी इन्टार्डिटिलमेन्ट पास बुक योजना को लाया गया है। नए पास बुक के अन्तर्गत निर्यात उत्पादन के लिए निर्यातक शुल्क रहित आयात कर सकते हैं।
- (vi) निर्यात सम्बर्द्धन के लिए शून्य ड्यूटी योजना की सीमा 20 करोड़ रुपये से घटाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया गया है ताकि कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों को राहत मिल सके।
- (vii) अग्रिम लाइसेंस के अन्तर्गत निर्यात करने की प्रतिबद्धता की अवधि एक साल से बढ़ाकर डेढ़ साल कर दिया गया है।
- (viii) निर्यात के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ भारी संख्या में आवेदनों की संख्या काफी कम

कर दी गई है और इन आवेदन पत्रों में एक ही सूचना को बार-बार देने की आवश्यकता समाप्त कर दी गयी है।

- (ix) नई नीति में लघु उद्योगों और विशेषकर देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र के लघु उद्योगों को विशेष प्रोत्साहन दिया गया है।
- (x) देश के उत्पादन की गुणवत्ता तथा उसकी विश्वसनीयता और साख बढ़ाने के लिए आई०एस०आई मानक दंड पर पूरा उठाने वाले निर्यात को उनके निर्यात की कथित के दो प्रतिशत के स्थान पर पाँच प्रतिशत के बराबर का विशेष आयात लाइसेंस दिया गया है।

ऊपर लिखे गये कुछ विभिन्न निर्यात सम्वर्द्धन योजनाओं का संक्षेप में आलोचनात्मक मूल्यांकन आगे किया जा रहा है।

आलोचनात्मक मूल्यांकन

भारतीय निर्यात क्षेत्र का निर्यात सम्वर्द्धन प्रलोभन पारदर्शी प्रकृति का है। सभी निर्यातक बढ़ते प्रतियोगिता के फलस्वरूप पूर्ण प्रलोभन प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और सम्वर्द्धन इकाइयों के लाभ से भारतीय निर्यातक दूर रहते हैं। सचमुच इनके परिणाम स्वरूप ज्यादा से ज्यादा प्रलोभन की आवश्यकता का जन्म होता है। इसके विपरीत विकसित आयातक देशों की सरकारें इन प्रलोभनों को छूट की तरह मानते हुए उदासीनता विरोधी कर नियम को शुरू करते हैं। अतः प्रलोभन का प्रभाव और उद्देश्य यहाँ अपारदर्शी प्रकृति में है। केवल सम्वर्द्धन प्रलोभन से नीति ढाँचे का निर्माण किया जा सकता है।

बाजार विकास सहायता योजना में उत्पाद सम्वर्द्धन तथा वस्तु विकास के तहत 1989-90 में सरकार ने 1,780.16 करोड़ रूपया खर्च किया जो अगले वर्ष 1990-91 में बढ़कर 2,473.65 करोड़ रूपया हो गया। 1991-92 में खर्च घटकर 1,591.19 करोड़ रूपया हो गया और अगले वर्ष 1992-93 में पुनः घटकर 662.42 करोड़ रूपया हो गया। 1991-92 से खर्च घटने का क्रम जारी रहा, तथा 1993-94 में घटकर 639.94 करोड़ रूपया हो गया और 1994-95 (सितम्बर 94 तक) में 77.05 करोड़ रूपया रहा।

इसी प्रकार निर्यात सम्बर्द्धन और बाजार विकास संगठनों को सहायता अनुदान के रूप में 1989-90 में 15.92 करोड़ रूपया खर्च किया गया और 1990-91 में खर्च बढ़ाकर 17.84 करोड़ रूपया कर दिया गया। 1991-92 में इसमें वृद्धि करके 22.66 करोड़ रूपये खर्च किया गया। 1989-90 से 1991-92 तक वास्तविक खर्च में वृद्धि जारी रहा लेकिन 1992-93 से खर्च में कमी आनी शुरू हो गयी जो 1992-93 में 15.07 करोड़ रूपया हो गया और आगे चलकर 1993-94 में पुनः घटकर खर्च 11.99 करोड़ रूपया हो गया तथा 1994-95 (सितम्बर 94 तक) में 4.55 करोड़ रूपया रहा। सरकार द्वारा खर्च में कमी करना उचित नहीं है। निर्यात साख (ब्याज सहायता) योजना 1968 के तहत व्यापारिक बैंकों द्वारा 90 से 180 दिन का जहाज लदायी के पूर्व और जहाज लदायी के बाद, 12% प्रतिवर्ष ब्याज पर दिया जाता है, जिसे रिजर्व बैंक आफ इण्डिया द्वारा निर्यातकों को लौटा दिया जाता है।

इस योजना के तहत व्यापारिक बैंकों को 3% प्रतिवर्ष की राष्ट्रीय सहायता दी जाती है। 1974-75 से 1983-84 तक यह सुविधा निर्यात के कुल एफ०ओ०बी० मूल्य मात्र का 0.5 प्रतिशत था। 1986-87 के दौरान 3,146 करोड़ रूपये की निर्यात साख सहायता इस योजना के तहत प्रदान की गयी तथा 1987-88 के दौरान रकम 3,940 करोड़ रूपया था। स्पष्ट है कि लाल फीताशाही एवं इसी तरह के कारणों से इस योजना का यथोचित लाभ निर्यातकों को नहीं मिल पा रहा है। निर्यात ऋण विकास योजना में सरकार बैंको द्वारा दी जाने वाली निर्यात ऋण धनराशि पर लगाने वाले ब्याज के लिए सहायता प्रदान करती है। 1989-90 में सरकार ने 218.25 करोड़ रूपये खर्च किया जो अगले वर्ष बढ़कर 1990-91 में 250.04 करोड़ रूपया हो गया। 1991-92 में इसमें कमी आयी जो घटकर 139.93 करोड़ रूपया हो गया तथा इसमें अगले वर्ष नाम मात्र की वृद्धि हुई जो बढ़कर 141.00 करोड़ रूपया हो गया। 1993-94 में एकदम से घटकर 12.79 करोड़ रूपया हो गया और 1994-95 (सितम्बर 94 तक) में 0.01 करोड़ रूपया रहा 1992-93 से प्रतिवर्ष जो खर्च में कमी आ रही है वो ठीक नहीं है, इससे हमारे देश का निर्यात घटता है, निर्यातक हतोत्साहित होते हैं जिससे निर्यात उचित मात्रा में बढ़ नहीं पाता।

निर्यात को प्रात्साहित करने के लिए निर्यात संसाधन क्षेत्रों की स्थापना की गयी है। निर्यात

संसाधन क्षेत्रों के द्वारा निर्यात 1991-92 में 1,176.07 करोड़ रूपया का किया गया और इस क्षेत्र के निर्यात प्रगति में निरन्तर वृद्धि जारी रहा जो 1992-93 में बढ़कर 1,376.31 करोड़ रूपया हो गया। 1993-94 में बढ़कर निर्यात 1,959.91 करोड़ रूपया हो गया तथा 1994-95 (अप्रैल-नवम्बर 1994 तक) में 1,121.00 करोड़ रूपया का निर्यात किया गया।

निर्यात संसाधन क्षेत्र से प्रतिवर्ष निर्यात का प्रदर्शन अच्छा रहा लेकिन जिस गति से इस क्षेत्र से निर्यात होना चाहिये उस रफ्तार से निर्यात नहीं हो पा रहा है। शत प्रतिशत निर्यातान्मुखी इकाइयों की योजना के अन्तर्गत स्थापित इकाइयों का पूरा उत्पादन निर्यात के लिए किया जाता है। इन शत प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाइयों से निर्यात 1987-88 में 245 करोड़ रूपये का किया गया जो बढ़कर 1990-91 में 678 करोड़ रूपया हो गया। प्रतिवर्ष निर्यात में निरन्तर वृद्धि जारी रहा जो 1992-93 में 1,940 करोड़ रूपया हो गया तथा 1993-94 में 2,900 करोड़ रूपया रहा और 1994-95 (अप्रैल-सितम्बर 1994 तक) में 1,642 करोड़ रूपया रहा। इन शत प्रतिशत निर्यात उन्मुख इकाइयो से प्रतिवर्ष निर्यात वृद्धि जारी रहा जो देश के निर्यात प्रगति में अपना अच्छा योगदान दे रहे हैं। इनका पूरे का पूरा उत्पादन निर्यात के लिए होता है। इन इकाइयों की स्थापना देश में किसी भी स्थान पर की जा सकती है। इन इकाइयों को बिना आयात शुल्क दिए कच्चे माल, मध्यवर्ती वस्तुओं, पूँजीगत वस्तुओं तथा टेक्नोलाजी के आयात की सुविधा है, परन्तु जटिल नियमों व प्रशासनिक देरियों के कारण तथा अल्पविकसित आधारित संरचना के कारण निर्यात आय बढ़ाने में इन योजनओं को विशेष सफलता नहीं मिली। अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपने देश के व्यापार को प्रतियोगी बनाने के लिए कर वापसी योजना लागू की गयी। इन शुल्कों के कारण उत्पादन लागत में जो वृद्धि होती है उसके बदले निर्यातकों को उतना ही मुआवजा मिलता है। कर वापसी योजना के तहत 1988-89 में 500 करोड़ रूपया मुआवजा दिया गया और अगले वर्ष उसमें वृद्धि हुई जो बढ़कर 1989-90 में 600 करोड़ रूपया हो गया। इस योजना से निर्यातकों को मुआवजा मिलने से उनके अन्दर निर्यात को अधिक से अधिक बढ़ाने की प्रेरणा मिलती है। इससे हमारा निर्यात बढ़ता है।

गुण नियन्त्रण और जहाज पर माल लादने से पूर्व निरीक्षण के अधीन 1991-92 में 3,268.36

करोड़ रुपये मूल्य का निर्यात प्रेषण का प्रमाणन किया गया और अगले वर्ष प्रमाणन का प्रतिशत कम होकर 1992-93 (31-10-92 तक) में प्रमाणित प्रेषणों का मूल्य 970.33 करोड़ रुपये रहा जो पिछले वर्ष की तुलना में कम रहा। 1993-94 के दौरान इसमें और कमी आयी जो 1,527 करोड़ रुपये मूल्य के निर्यात प्रेषण का प्रमाणन ही किया गया तथा 1-4-1994 से 31-12-1994 के दौरान प्रमाणित प्रेषणों का मूल्य 705 करोड़ रुपये रहा। 1992-93 से वर्तमान समय तक निर्यात प्रेषण का प्रमाणन के मूल्य में गिरावट जारी है जो अपने देश के निर्यात की गुणवत्ता की जाँच करने के लिये अच्छा नहीं है। इससे अन्य देशों में हमारी निर्यात वस्तुओं को कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता तथा वह गुणवत्ता की जाँच किये बिना अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की प्रतियोगिता से बाहर हो सकता है। जिससे हमारे देश के निर्यात की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुँचता है और हमारा निर्यात घट सकता है।

1991-92 में निर्यात निरीक्षण अभिकरणों ने 2,58,174 जी०एस०पी० प्रमाण पत्र जारी किया। 1992-93 (31-10-92 तक) के दौरान 1,69,593 जी०एस०पी० प्रमाण पत्र जारी किया गया। जो कम रहा। 1993-94 में बढ़कर 3,79,299 जी०एस०पी० प्रमाण पत्र जारी किया गया जो ज्यादा रहा पिछले वर्ष की तुलना में। 1-4-94 से 31-12-94 की अवधि में 2,68,681 जी०एस०पी० प्रमाण पत्र जारी किया गया। कई क्षेत्रों में हमारी योगतायें विश्व के कई महत्वपूर्ण बाजारों में महसूस की गयी हैं, लेकिन गुण स्तर की कमी के कारण हमें फिर भी शिकायतें मिलती रहती हैं।

नगद क्षतिपूर्ति सहायता के अन्तर्गत 1974-75 से लेकर 1983-84 तक निर्यात के कुल एफ०ओ०बी० का केवल 5% भाग था। इस योजना के अन्तर्गत न्यूनतम लाभ का कारण लम्बी कार्यप्रणाली एवं समय लेने वाली पद्धति है। अतः आवश्यक है कि पद्धति को और आसान बनाया जाय तथा भुगतान में शीघ्रता की जाय।¹ ड्यूटी झा बैंक योजना के अन्तर्गत 1973-74 से 1981-82 तक कुल निर्यात के एफ ओ बी मूल्य का 2.4 प्रतिशत सहायता दी गयी, जो 1980 दशक के दौरान घटकर 1.4 प्रतिशत हो गया। इस योजना के तहत नवम्बर 1987 से अक्टूबर 1988 तक

1 डा०ए०ए० सिद्दीकी, द कामर्स जर्नल, वाणिज्य एव व्यवसाय प्रशासन विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय १९९०-९१ ऋ वाल्यूम 35, पृ- 35,

21 बैंको को 17.25 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृति की गयी।¹ रेप अनुज्ञापत्र योजना के तहत 1973-74 में कुल निर्यात के एफ ओ बी मूल्य के 6% के बराबर सहायता दी गयी, जबकि 1983-84 में यह प्रतिशत 24 हो गया। निर्यात करो में परिवर्तन 1987-88 के दौरान अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में काफी के मूल्य में कमी आने के कारण काफी पर निर्यात शुल्क में कमी की गयी। यह दर 330 रूपया प्रति कुन्टल के स्थान पर 1 मई 1987 से 170 रूपये प्रति कुन्टल कर दिया गया।² निर्यात साख एवं गारन्टी निगम के द्वारा 1986-87 में निर्गमित 6,757 पालिसियों की तुलना में 1987-88 में 6,228 पालिसियाँ निर्गमित की गयी। 86-87 में सदस्यों की संख्या 7,069 थी जबकि 1987-88 में सदस्यों की संख्या 6,598 थी। व्यापार समझौता और आर्थिक एवं तकनीकी सहकारिता समझौता के तहत आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से नवम्बर 1987 में चेकेस्लोवाकिया के साथ 275 करोड़ रुपये के निर्यात का, पोलैण्ड के साथ 295 करोड़ रुपये के निर्यात का, रोमानिया के साथ 370 करोड़ रुपये के निर्यात का, जर्मनी के साथ 270 करोड़ रुपये निर्यात का, रूस के साथ 2,500 करोड़ रुपये निर्यात का समझौता हुआ।³ सरकार ने 100 प्रतिशत निर्यात उन्मुखी इकाइयों को गैट कर से मुक्त कर दिया है, निश्चित ही इन इकाइयों को पहले की तुलना में अधिक सुविधा मिलेगी। लक्ष्य निर्धारण के तहत भारत सरकार ने सन् 2000 तक 600 मिलियन डालर मूल्य के चाय के निर्यात का लक्ष्य रखा जो कि वर्तमान में निर्यात होने वाली चाय के मूल्य का लगभग दो गुना है। लक्ष्य निर्धारण से निश्चित ही चाय निर्यात को बढ़ाने में सहायता मिलेगी।

निर्यात ने अन्ततः भारत के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा किया है। वर्तमान में एक अच्छे औद्योगिक आधार ने उपभोक्ता सामानों और विस्तृत मूलधन दर को प्राप्त करने के योग्य बनाया। यह योग्यता अच्छे निर्यात उपायों के द्वारा चालू किया गया, जिससे हमारे अर्थव्यवस्था के निर्यात क्षेत्र के विकास में सहायता प्राप्त कर सके। इस निर्यात क्षेत्र को हम विकास के इन्जन

1 रिपोर्ट आन करेन्सी एण्ड फाइनेन्स १९८७-८८ वाल्यूम 1, इकोनोमिक रिव्यू पृ-184

2 रिपोर्ट आन करेन्सी एण्ड फाइनेन्स 1987-88, वाल्यूम 1 इकोनोमिक रिव्यू पृ-184

3 डा०ए०ए० सिद्दीकी, द कामर्स जर्नल, वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1990-91,

का नाम दे सकते हैं और देश के विकास में काफी सहायता प्रदान किया है। आगे औद्योगिक और आर्थिक विकास की दर को और बढ़ाने के लिए इस क्षेत्र को पहचानने की आवश्यकता समझी गयी। निर्यात भारतीय अर्थव्यवस्था में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुकी है। राष्ट्रीय प्राथमिकता की सूची में निर्यात मध्य 17वीं में भोजन और रक्षा के अलावा तीसरा महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुकी है।

निर्यात क्षेत्र का पूर्ण समर्पित पहचान एक साधारण प्रक्रिया नहीं है। यह हाल ही के वर्षों के दौरान मुख्य नीति उपायों के सही दिशा के परिणामस्वरूप प्राप्त हुआ है, जिसने देश के निर्यात उपायों को नयी दिशा की ओर चलना सिखाया है। इन नीतियों का सफल होना देश के निर्यात योग्यता में पिछले कुछ वर्षों के दौरान विकास से ही पता चलता है। इस विकास को आंकड़े से नापने के लिए निम्नवत हैं- निर्यात ने 1951-52 में 5,310 करोड़ रुपये से 1971-72 में 16,080 करोड़ रुपये और 1975-76 में 39,420 करोड़ रुपये तक के भारी दूरी को तय किया है। 1986-87 में 1,25,500 करोड़ रुपये के निर्यात योग्यता का स्तर 1985-86 तक 14 प्रतिशत की बढ़त प्रदर्शित करता है। संशोधित निर्यात चित्र के अनुसार 1985-86 के लिए 1986-87 के दौरान वृद्धि दर को लगभग 20 प्रतिशत तक नापा गया है। 1990-91 के दौरान निर्यात वृद्धि दर 17.7 प्रतिशत रहा तथा 1992-93 में 21.9 प्रतिशत से बढ़कर 1993-94 में 29.9 प्रतिशत तक पहुँच गया।

1997-2002 के लिए नई आयात-निर्यात नीति के अन्तर्गत निर्यात और आयात से सम्बन्धित कागजी प्रक्रियाओं को पहले से काफी आसान, सरल और पारदर्शी बनाया गया है। इससे निर्यात करने वाले निर्यातकों को जटिल कागजी प्रक्रियाओं से मुक्ति मिलेगी तथा निर्यात करने में आसानी होगी। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबन्धित सूची में शामिल 542 वस्तुओं के आयात को उदार बना दिया गया है, इससे निर्यात को आसानी से बढ़ाया जा सकता है। ई०पी०सी०जी० योजना के अन्तर्गत पूँजीगत वस्तुओं पर आयात शुल्क को 15 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिये जाने से निर्यात के लिए अधिक से अधिक आयात किया जा सकता है, जिससे निर्यात को बढ़ाने में सहायता मिलेगी। निर्यात बढ़ाने के लिए शून्य ड्यूटी योजना की सीमा 20 करोड़ रुपये से

घटाकर 5 करोड़ रूपया कर दिया गया है, इससे कृषि और सम्बद्ध क्षेत्रों को राहत मिल सकेगा। नई आयात-निर्यात नीति के तहत जहाँ पहले निर्यातकों को लगभग 2 दर्जन फार्म भरने पड़ते थे, अब केवल एक दर्जन फार्म ही भरने होंगे।¹ परन्तु दूसरी ओर 542 और उपभोक्ता वस्तुओं को ओ०जी०एल० में रखा गया है जबकि अभी भी लगभग 3,000 उपभोक्ता वस्तुएँ प्रतिबन्धित सूची में हैं। एक आक्षेप के अनुसार अधिक से अधिक वस्तुओं को ओ०जी०एल० में लाया जाना विश्व बैंक के दबाव पर हुआ है।

अग्रिम लाइसेन्स के अन्तर्गत निर्यात करने की प्रतिबद्धता की अवधि एक साल से बढ़ाकर डेढ़ साल कर दिये जाने से निर्यातक को अपने निर्यात आयात गतिविधियों पर ध्यान केन्द्रित करने का समय मिलेगा। नई आयात-निर्यात नीति में सन् 2002 तक 100 अरब डॉलर का निर्यात प्रस्तावित है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए हमारी सरकार को अपने उन क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा जहाँ हमारी ताकत है और जिसके माध्यम से हम विश्व प्रतिस्पर्द्धा की चुनौती का सामाना कर सकते हैं। कृषि ही एक मात्र ऐसा क्षेत्र है, जिसमें निर्यात की संभावना अधिक नजर आती है। अगर सरकार कृषि आधारित क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दे तो इस क्षेत्र से अधिक से अधिक निर्यात को बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान वर्षों में निर्यात के सम्बन्ध में नीति ढाँचे के वैज्ञानिक और क्रमिक विकास के परिणामस्वरूप निर्यात क्रियाकलापों को पूर्ण निर्यात के उत्पादन आधार के लिए मजबूत किया गया है, आयात-निर्यात के क्रमिक कार्यों को सरलीकृत किया गया है, निर्यात वित्त को आसानी से प्रदान किया गया है, बाजार ब्यूह रचना बनायी गयी है तथा विस्तृत रूप से आधारित संस्थाओं को साझे के सम्बन्ध में सहायता प्रदान की गयी है।

अब तक की नीति ढाँचे के सम्बन्ध में निर्यात उत्पादन के परिणाम स्वरूप विकास हुआ है। जहाँ भी जरूरी हो आयात को उदारीकृत किया गया है और कुछ आधारित कच्चे वस्तुओं को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य पर आवश्यक मात्रा में उपलब्ध कराया गया। विभिन्न स्थानों पर मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना ने चुने हुए क्षेत्रों में निर्यात धारा को खोजने में सहायता प्रदान की है। यह सहायता इन क्षेत्रों में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को प्रदान किये गये प्रलोभन के द्वारा ही सम्भव है। ढेर

1 अरविन्द भण्डारी द्वारा लेख, नार्दन इण्डिया पत्रिका, इलाहाबाद

सारी वस्तुओं को विदेशी बाजार में हमारे उत्पाद के अच्छे गुण की दृष्टि से गुण नियन्त्रण के छाते के अन्तर्गत लाया गया है। देश के निर्यात उपायों में संस्थाओं की सहायता भी बहुत महत्वपूर्ण है। वर्तमान वर्षों में बनायी गयी नीति ढाँचा ने इन संस्था व्यवस्थाओं को मजबूत बनाया है और जहाँ भी आवश्यक हो वहाँ के संस्थागत मशीनो को फिर से शुरू किया गया है। प्रधानमंत्री के सभापतित्व के अन्तर्गत कैबिनेट समिति का निर्माण किया गया, जिसमें निर्यात परेशानियों को हल करने के लिए विशेष प्रयास किया ताकि भारतीय व्यापार और उद्योग तथा निर्यात क्षेत्र में आत्मविश्वास जाग सके।

निर्यात प्रयासों में विकसित और विकासशील व्यापारिक साझेदार के द्वारा नयी दिशा प्रदान की गयी है। विदेशी व्यापार नीति के हिस्से के रूप में विभिन्न देशों से संयुक्त अर्थव्यवस्था समिति की स्थापना हुई और विकास कार्यक्रमों को तकनीक का आपस में अदला-बदली और लाभ के लिए व्यापार क्षेत्र का पहचान विभिन्न देशों के साथ किया गया। बाजारों और निर्यात को बढ़ाने के लिए निर्यात व्यूह रचना शुरू की गयी। यह व्यूह रचना बिना किसी तरीके से अन्य उत्पादों और क्षेत्रों को बिना पहचाने ही चालू किया गया। देश के लिए विदेशी विनिमय आय को बढ़ाने के लिए नीतियों को एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में प्रयोग किया गया। कई इकाईयों और संयुक्त इकाईयों की स्थापना की गयी। अन्तर्राष्ट्रीय अखाड़े में सरकार ने व्यापार के अच्छे शर्तों के रूप में कई कदम उठाये हैं। ये कदम तटकर निरीक्षण और विभिन्न अतटकर बाधाओं को निकालने, संयुक्त राष्ट्र के रक्षा के अन्तर्गत विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों पर लागू किया है।

इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत सरकार ने अपने विदेशी मुद्रा की समस्या से निपटने के लिए निर्यात सम्बद्धन को अधिकाधिक प्रोत्साहन देने का प्रयत्न किया है और उसमें जैसा कि आँकड़े बताते हैं काफी हद तक सफलता भी मिली है, परन्तु कुछ योजनाएँ अपने उद्देश्यों में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाये हैं। अतः अभी भी इस दिशा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है तभी हमारे निर्यात वांछित स्तर पर आ सकते हैं।

उदारीकरण का निर्यात पर प्रभाव

जून, 1991 में भारत में आर्थिक स्थिति इस कदर मटमैला हो गया था कि उस समय निराशा

के अलावा और कुछ दिखायी नहीं पड़ रहा था तथा अर्थव्यवस्था बिल्कुल लड़खड़ा-सी रही थी। राजकोषीय घाटा इतना बड़ा आकार ले चुका था कि उस समय सारा देश अपनी मजबूरियों और कमजोरियों से परेशान रहा। परिस्थितियाँ दिन-पर-दिन इतनी खराब होती चली जा रही थीं कि कोई भी पूँजी-निवेशक इस देश में कदम रखने में झिझकता था। दूसरे देशों के द्वारा जो कर्ज मिलता था वह भी थोड़ा और अधिक ब्याज पर मिलता था। सामाजिक सेवाओं पर व्यय अपेक्षित स्तर से बहुत कम रहा। गरीबी निवारण कार्यक्रमों की बात हाशिए में खिसकती चली जा रही थी। निर्यात कम होने से औद्योगिक उत्पादन में गिरावट के साथ-साथ रोजगार का अवसर भी कम होता चला जा रहा था। मुद्रा की पूर्ति में तीव्र वृद्धि हो जाने से मुद्रा-स्फीति 17 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर तक पहुँच गयी थी। भुगतान सतुलन का संकट भी गहराता चला जा रहा था, जिसकी वजह से देश की साख मिट्टी में मिल गयी थी। सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि की दर 1.2 प्रतिशत तक नीचे चली गई, जबकि केन्द्रीय सरकार का राजकोषीय घाटा, जो कि राजस्व और कुल व्यय के बीच के अन्तर को दर्शाता है, जो कि वर्ष 1990-91 में सकल घरेलू उत्पाद के 8 प्रतिशत से भी अधिक हो गया था, 1970 के दशक में यह घाटा 4 प्रतिशत और 1980 के दशक में 6 प्रतिशत के बराबर रहा। इस घाटे को उधार लेकर पूरा करना पड़ा। जिसके परिणामस्वरूप केन्द्र सरकार का आंतरिक कर्ज बढ़ कर सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 55 प्रतिशत तक पहुँच गया, जिस पर केवल ब्याज की राशि ही सकल घरेलू उत्पाद के 4 प्रतिशत के बराबर रही और यह केन्द्रीय सरकार के कुल व्यय का लगभग 20 प्रतिशत थी। चालू खाते का घाटा, इस कुल घाटे को और भी बढ़ा रहा था। चालू खाते का घाटा जो कई वर्षों तक सकल घरेलू उत्पाद के दो प्रतिशत के बराबर रहा, वह 1990-91 में बढ़ कर ढाई प्रतिशत के बराबर हो गया।

इन बढ़ते हुए लगातार घाटों के कारण, सरकार को अनिवार्य रूप से विदेशों से ऋण लेना पड़ा और उसकी ऋण की मात्रा निरन्तर बढ़ती रही। वर्ष 1990-91 के अन्त में भारत पर विदेशी ऋण की रकम, सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 23 प्रतिशत के बराबर रही और उस पर कुल राजस्व प्राप्तियों का लगभग 21 प्रतिशत केवल ब्याज के रूप में ही अदा करना पड़ता था। अर्थव्यवस्था की इस लड़खड़ाती स्थिति में खाड़ी संकट के कारण और भी भारी दबाव पड़ा और

भारत एक से दूसरे संकट में फंसने लगा। निर्यात में गिरावट, आयात की अधिकता, उत्पादन में कमी और बढ़ते हुए कर्ज के कारण अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में भारत की साख तेजी से गिरने लगी और भारत को नया कर्ज मिलना कठिन हो गया। धनी देश, मंहगी ब्याज दर पर भी भारत को ऋण देने में संकोच करने लगे।

परिणामस्वरूप भारत के पास विदेशी मुद्रा का भण्डार बहुत कम हो गया। जो अनिवासी भारतीयों ने भारत में धन जमा कराया था, वे भी उस धन को तेजी से निकालने लगे। जिसके कारण भारत के पास विदेशी मुद्रा भण्डार में केवल 2,500 करोड़ रुपये रह गया, जो केवल मात्र दो सप्ताह के आयात के खर्च के लिए ही काफी था। विदेशी मुद्रा के भण्डार में इस गिरावट के कारण आयात पर भारी प्रतिबंध लगाना पड़ा। इस स्थिति का भारी दबाव मूल्यों की स्थिति पर भी पड़ने लगा। 1990-91 में मुद्रास्फीति मुख्य रूप से आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं पर ही केन्द्रित रही और लगातार तीन अच्छे मानसूनों और शानदार फसलों के बावजूद उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतें बढ़ती रहीं।

1991 के मध्य में सबसे बड़ा खतरा यह रहा कि विदेशी मुद्रा के अभाव में भारत विदेशी कर्ज की किश्त का भुगतान भी करने की स्थिति में नहीं रह गया और यदि इस भुगतान में एक बार भी चूक हो जाती तो भारत की साख मिट जाती और फिर भारत को कहीं से भी उधार नहीं मिल सकता था। इस स्थिति से उबरने के लिए भारत को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मंहगे ब्याज पर ऋण लेना पड़ा और अपना स्वर्ण विदेशी बैंको में गिरवी रखकर कर्ज लेना पड़ा।

इस प्रकार जून, 1991 में देश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि यदि उस समय तत्काल कोई निर्णायक कदम न उठाया जाता तो उसके ऐसे भयंकर परिणाम निकल सकते थे, जिन्हें सदियों तक महसूस किया जाता। भारतीय अर्थव्यवस्था में वह भीषणतम संकट का काल रहा। तभी उस समय की नई सरकार ने नए आर्थिक सुधारों का कदम उठाया, जिसके अन्तर्गत उदारीकरण, भूमंडलीकरण, निजीकरण और बाजार खोलने की जिस चौतरफा नीति को अपनाया गया, उसने लगभग सभी क्षेत्रों में चमत्कार-सा कर दिखाया है।

“1970 से 1990 की अवधि में ब्रिटेन, फ्रांस, अमरीका, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड तथा

इटली जैसे विकसित देशों में आर्थिक उदारीकरण एवं निजीकरण का दौर काफी सफल रहा है तो केन्या, कोलम्बिया, कोस्टाराइका, घाना, चिली, जैमका, जाम्बिया, टोंगो, टर्की, तंजानिया, नाइजीरिया, फिलीपाइन्स, बोलिवियारव, ब्राजील, मालावी, मेडागास्कर, सेनेगल तथा मोरक्को जैसे विकासशील देशों में उदारीकरण एवं निजीकरण की प्रक्रिया उत्पादकता, रोजगार, पूँजीनिवेश, तथा औद्योगिक उत्पादन बढ़ाने में असफल रही है। सफलता तथा असफलता का यह भेद विकसित एवं विकासशील की बजाय राजनीतिक स्थिरता एवं पूर्ण वचनबद्धता की ओर विशेष संकेत करता है। चीन इस का स्पष्ट उदाहरण है, जहाँ राष्ट्रीय हितों के मद्देनजर आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया विगत 15 वर्षों से जारी है तथा सुधारों के फलस्वरूप वह "आर्थिक महाशक्ति" का रूप ग्रहण कर चुका है। भारत में 1991 में विकास की नयी राह के रूप में आर्थिक उदारीकरण एवं निजीकरण का अनुसरण किया गया है। यदि यह ब्यूह रचना पूर्ण राजनैतिक इच्छा शक्ति तथा दृढ़ प्रशासनिक व्यवस्था के मद्देनजर तीव्र गति से जारी रखी जाती है तो सन् 2000 तक भारत न केवल चीन से आगे निकल सकता है वरन् विश्व की प्रमुख आर्थिक शक्ति का स्थान ग्रहण कर सकता है।¹

भारत, नेपाल, पाकिस्तान, बंगलादेश में जहाँ पर लंबे समय से दुलमुल एवं दूषित राजनैतिक व्यवस्था के कारण आर्थिक उदारीकरण से सामाजिक-आर्थिक लाभ प्राप्त नहीं हो पाया है, वहीं पर दूसरी ओर कोरिया, जापान, सिंगापुर तथा ताइवान जैसे देशों ने अपने बेहतर राजनीतिक व्यवस्था से आर्थिक उदारीकरण एवं निजीकरण के द्वारा बेहतर सामाजिक-आर्थिक विकास का लक्ष्य हासिल करते हुए मूलभूत समस्याओं का उपयुक्त समाधान किया है तथा विकास की प्रक्रिया में मीलों आगे पहुँच गये हैं। उदाहरणस्वरूप-चीन। राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर आर्थिक उदारीकरण एवं निजीकरण को अपनाकर चीन पिछले 15 वर्षों में न केवल व्यापक स्तर पर विदेशी निवेश आकर्षित किया है, बल्कि सुधार प्रक्रिया के कारण महत्वपूर्ण आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभर कर सामने आया है। 1980 के दशक में यूरोपीय राष्ट्रों में व्यापक मंदी होने के बावजूद आर्थिक उदारीकरण एवं निजीकरण के सफल दौर से यह स्पष्ट होता है कि सभी सामाजिक-आर्थिक विकास का लक्ष्य निजी क्षेत्र की सक्रिय भूमिका के द्वारा आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।

1 योजना, 31 मार्च 1995, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित, पृ०- 3

1990 के बाद विश्व के रंगमंच पर जिस प्रकार का क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ है, उसमें आर्थिक उदारवाद तथा मुक्त व्यवस्था ही सर्वोत्तम नजर आता है। साम्यवाद का पतन, अमरीकी एकाधिकार तथा विश्व व्यापार संगठन (गैट समझौता) से पूरी दुनिया एक ऐसी व्यवस्था में बदल चुका है जिससे वर्तमान समय में किसी भी देश के लिए अलग रहना असंभव है। आर्थिक उदारवाद तथा विश्व व्यापार संगठन व्यवस्था पूरी दुनिया को स्वतंत्र व्यापार की दिशा में बढ़ाने जा रही है। भारत भी इस नयी व्यवस्था से जुड़कर अपने आर्थिक तंत्र को बेहतर बना सकता है तथा अपने वर्तमान एवं भविष्य की एक बेहतर रास्ता तलाश सकता है। यदि भारत विश्व व्यवस्था के साथ वर्तमान परिवेश में नहीं जुड़ पाता है या तेजी से आर्थिक उदारवाद की राह पर नहीं चल पाता है तो विश्व अर्थव्यवस्था से कटने के साथ वह हमेशा के लिए आर्थिक दुष्क्र के गहरे जाल में फंस सकता है।

सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का समाधान बेहतर आर्थिक नीति, सुदृढ़ प्रशासनिक एवं स्थिर राजनैतिक व्यवस्था तथा जनता की व्यापक सहभागिता पर निर्भर करता है। पिछले चार दशकों तक भारतीय अर्थव्यवस्था राजकीय नियमनों एवं नियंत्रणों के साथ भ्रष्टाचार, लालफीताशाही तथा कुव्यवस्था की शिकार रही है। निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका इस अवधि में न केवल विवादास्पद बल्कि असंतोषजनक रहा है, जिसके फलस्वरूप गरीबी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, निम्न जीवनस्तर, अशिक्षा, आर्थिक विषमता, क्षेत्रीय असंतुलन जैसी समस्याएं लगातार विकराल रूप धारण करती चली गयी हैं।

किसी भी आर्थिक सुधार का उद्देश्य उत्पादक कार्यों में गति लाकर जनजीवन को सुखमय बनाना होता है, लेकिन उसके लिए केवल पूँजी-निवेश ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि उसके लिए ऐसा वातावरण भी आवश्यक है जिसमें भौतिक और मानवीय संसाधनों का अधिक से अधिक उत्पादक कार्यों के लिए उपयोग किया जा सके। जिसके लिए एक अनुशासित, कुशल और प्रतिस्पर्धी वातावरण की जरूरत होती है। जिसके लिए जुलाई 1991 में नई आर्थिक-औद्योगिक और व्यापार नीतियों की घोषणा की गई और आर्थिक वातावरण को अनावश्यक बन्धनों और अनुत्पादक प्रतिबंधों से मुक्त कर के स्वतंत्र और मुक्त वातावरण में, एक-दूसरे से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी प्रतियोगिता की

भावना से आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किया गया। इस्पात, खनन, दूरसंचार, नागरिक उड्डयन व अन्य क्षेत्रों को पहली बार निजी क्षेत्र के लिए खोला गया और ऊर्जा, जहाजरानी, सड़क-निर्माण, परिवहन, पेट्रोलियम आदि क्षेत्रों में निजी पूँजी निवेश को आमंत्रित किया गया।

“लाइसेन्स कोटा राज ने देश की 60-70% प्रगति को रोक रखा था। उदारीकरण नीति ने लाइसेन्स कोटा राज को प्रगति में बाधा माना है। लाइसेन्स हटाने की कार्यवाही पर 1991-92 में सैकड़ों उद्योगों को रातों रात कोई लाइसेन्स लेने की आवश्यकता नहीं रह गयी। 1991-92 में सैकड़ों उद्योग को लाइसेन्स से मुक्त कर दिया गया तथा अब केवल 18 उद्योग ग्रुप में लाइसेन्स रह गया है। 51% विदेशी पूँजी वाले उद्योगों के लिए लाइसेन्स की आवश्यकता नहीं रह गयी। 1992-93 में पावर सेक्टर को बिना लाइसेन्स के आने की अनुमति मिल गई। शेयर बाजार भी मुक्त हो गया। बिना सी०सी०आई० की अनुमति के पैसा इकट्ठा करने की छूट मिल गयी। 1993-94 में तीन और उद्योगों को लाइसेन्स सूची से स्वतन्त्र कर दिया गया। 1994-95 में आम दवाई बनाने वाले उद्योग को लाइसेन्स से मुक्त कर दिया गया। 1995-96 में 100% एक्सपोर्ट यूनिट लगाने के लिए किसी आज्ञा की आवश्यकता नहीं रह गयी।”¹ जो चाहे विदेशों के साथ भी उद्योग लगा सकता है। नीति में तो यह देश लाइसेन्स की भरमार से करीब-करीब मुक्त हो गया है। लाइसेन्स राज भी खत्म हो गया है।

उदारीकरण पश्चात उद्योगों को लाइसेन्स से लेकर कार्यान्वयन सम्बन्धी दी गयी छूटों का संक्षिप्त अध्ययन करने के लिए हम कुछेक उद्योगों का उदाहरण लेते हैं।

1- चीनी उद्योग

भारत की अर्थव्यवस्था मूल रूप से कृषि अर्थव्यवस्था है। कृषि पर आधारित उद्योगों में सूती वस्त्र उद्योग के बाद चीनी उद्योग का भारत में महत्वपूर्ण स्थान है। भारत चीनी के उत्पादन में विश्व का चौथा मुख्य उत्पादक देश है। इसके पहले तीन क्रमानुसार देश हैं- रूस, ब्राजील और क्यूबा। भारत में चीनी के 420 कारखाने हैं। इसमें से 400 कारखाने काम कर रहे हैं, जिनमें से

1 डी०डी०- 1, टी०वी० प्रसारण, 23-10-95, सोमवार, 8 PM से 8.30 PM तक, मेड इन इण्डिया प्रोग्राम, नालिनी सिंह द्वारा प्रस्तुत, फैक्स न०- 011-332-7161

120 निजी क्षेत्र में, 60 सार्वजनिक क्षेत्र में और 220 सहकारी क्षेत्र में हैं। इनके तहत 3.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है।

चीनी मिल जिसे चलाने के लिए हर कदम पर लाइसेन्स की आवश्यकता होती है। भारत सरकार ने जुलाई 1990 में नई चीनी लाइसेन्स नीति की घोषणा की ताकि चीनी उद्योग को प्रोत्साहन मिल सके। गन्ना उत्पादकों को गन्ने का उचित मूल्य दिलाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा प्रतिवर्ष गन्ने का मूल्य घोषित किया जाता है और कानून की परिधि में किसानों को गन्ने के मूल्य की अदायगी सुनिश्चित की जाती है। सरकार ने गन्ने के कुल उत्पादन का 40% भाग सरकारी मूल्य पर बेचना अनिवार्य किया है ताकि जनता को चीनी उचित मूल्य पर मिलती रहे।

नई चीनी लाइसेंस नीति के मार्गदर्शी सिद्धान्त निम्न लिखित हैं-

- “(i) नये कारखानों के लाइसेंस उसी हालत में जारी किये जाएँगे यदि 15 किलोमीटर के घेरे में कोई चीनी का कारखाना न हो।
- (ii) नए चीनी कारखानों को 2,500 टन प्रतिदिन गन्ना पेरने की क्षमता की अधिकतम सीमा तक लाइसेंस दिये जाएँगे।
- (iii) निजी क्षेत्र की अपेक्षा सहकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में कारखाने लगाने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी।
- (iv) शीरा से औद्योगिक अल्कोहल बनाने के लिए उदार रूप में लाइसेंस दिए जायेंगे। इसका उद्देश्य औद्योगिक अल्कोहल के निर्यात को बढ़ावा देना है।”¹

1980-81 के पश्चात चीनी के उत्पादन की स्थिति बहुत सन्तोषजनक रही है। 1991-92 में चीनी का उत्पादन बढ़कर 133 लाख टन हो गया। लेकिन 1992-93 और 1993-94 के दौरान चीनी के उत्पादन में तेजी से गिरावट आयी है जो क्रमशः 21 प्रतिशत और 57 प्रतिशत रहा। इसके साथ देश में चीनी का उपभोग लगातार बढ़ता ही जा रहा है। 1993-94 में चीनी के उत्पादन में कमी के कारण देश में चीनी की कीमत में एकदम वृद्धि हुई और 1994-95 की

1 रुद्र दत्त एवं के०पी०एम० सुन्दरम- भारतीय अर्थव्यवस्था, एस० चन्द्र एण्ड कम्पनी लि०, नई दिल्ली- 110055, 1994, पृ०- 669

पहली तिमाही में ये 18 से 20 रूपए प्रति कि०ग्रा० हो गयी। इस कारण सरकार को भारी मात्रा में चीनी का आयात करना पड़ा। चीनी के उत्पादन में वृद्धि के बावजूद, सरकार चीनी के निर्यात को नहीं बढ़ा पा रही है। इसका मूल कारण अन्तर्राष्ट्रीय कीमतों की तुलना में भारतीय चीनी की कीमत का ऊँचा होना है।

2- लघु उद्योग

इस समय देश में लघु उद्योग क्षेत्र के 25 लाख यूनिट में करीब 1.5 करोड़ लोग काम कर रहे हैं। लघु उद्योग में देश के उत्पादन का 35% हिस्सा है। देश के निर्यात का 40% हिस्सा है। 15% कम से कम लघु उद्योग रूग्ण हो चुके हैं। अब लघु उद्योग क्षेत्र में नई नीति के अन्तर्गत रजिस्ट्रेशन बहुत आसान हो गया है। इस सेक्टर में लाइसेन्स कन्ट्रोल पाबन्दिया करीब-करीब पूरी तरह हटा दिया गया है। उदाहरण- पर्यावरण उद्योग कानून, श्रम कानून बहुत उदार कर दिया गया है। इससे लघु उद्योग का काम बहुत सहज हो जायेगा। नई नीति ने एन०आर०आई० को ये आश्वासन देकर देश में निवेश करने को बुलाया है कि 45 दिन के बीच व्यापार शुरू हो जायेगा।

लघु उद्योग को सुविधायें

नई नीति के अन्तर्गत जो लघु उद्योग को सुविधायें प्रदान की गयी हैं वो निम्न लिखित हैं-

- (I) एस०आई०डी०बी०आई०, आई०डी०बी०आई०, आई०सी०आई०सी०आई०, शू०टी०आई० द्वारा लघु उद्योग को वेन्चर कैपिटल का निर्माण
- (II) लघु उद्योग में उत्पाद कर की छूट
- (III) दूसरे उद्योगों द्वारा लघु उद्योगों में 24% की इक्विटी भागीदारी
- (IV) लघु उद्योगों में टैक्स होलीडे, चुने हुए पिछड़े क्षेत्रों में (लघु उद्योग के लिए पिछड़े क्षेत्र में, 5 साल तक टैक्स की छूट)
- (V) लघु उद्योगों में प्रतिबन्धित सूची पर रोक हटी।¹ लघु उद्योग को जो सुविधायें प्रदान

1 डी०डी०- 1, टी०बी० प्रसारण, 27-11-95, सोमवार, 8 PM से 8.30 PM तक, मेड इन इंडिया प्रोग्राम, नालिनी सिंह द्वारा प्रस्तुत, फैक्स न०- 011-332-7161

की गयी हैं उससे लघु उद्योग की स्थापना में आसानी होगी तथा लघु उद्योग के माध्यम से हमारे देश का निर्यात बढ़ेगा।

3- सूती कपड़ा उद्योग

सूती कपड़ा उद्योग हमारे प्रमुख उद्योगों में सबसे पुराना स्थापित उद्योग है। मार्च 1994 के अन्त तक भारत में 1,175 कारखाने थे। इस उद्योग द्वारा 11.5 लाख श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। यह उद्योग 150 वर्ष पुराना है। विश्व के निर्यात बाजार में इसका द्वितीय स्थान है। यह विश्व के सूती कपड़े के कुल निर्यात का 16 प्रतिशत तक निर्यात करता है।

सरकार की नीति सम्बन्धी उपाय: "टैक्सटाइल उद्योग के स्वास्थ्य को उन्नत करने के लिए सरकार ने बहुत से नीति सम्बन्धी उपाय किये हैं-

- I 1986 में सरकार ने 750 करोड़ रुपये के योगदान से टैक्सटाइल आधुनिकीकरण कोष स्थापित किया है और कारखाना मालिकों ने इसका स्वागत किया है। सितम्बर 1992 के अन्त तक, वित्तीय संस्थाओं द्वारा 357 मामलों में 1,370 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गयी।
- II सरकार ने राष्ट्रीय टैक्सटाइल निगम की बीमार इकाइयों को पुनः जीवित करने की नीति तैयार की जिसमें उनके लिए कार्यकारी पूँजी उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया। ताकि वे अपनी तरलता-समस्याओं का समाधान कर सकें। इसके साथ-साथ क्षमता के आधुनिकीकरण और अतिरिक्त श्रमिकों के भार को कम करने के लिए स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना चालू की गयी। सरकार ने हाल ही में इसके लिए राष्ट्रीय नवीकरण कोष की स्थापना की।
- III सरकार ने तकनीक उन्नयन के अन्य कार्यक्रम भी आरम्भ किए हैं और ये विकेन्द्रीयकृत क्षेत्र की क्षमता में तकनीकी उन्नति के लिए विशेष रूप में लागू किये जा रहे हैं।
- IV नयी उदारकृत औद्योगिक नीति के अधीन बहुत से अन्य उद्योगों के साथ अगस्त 1991 में टैक्सटाइल उद्योग को भी लाइसेन्स-प्रणाली से मुक्त कर दिया गया। नयी नीति के अधीन नयी इकाईयाँ स्थापित करने या वर्तमान इकाईयों के क्षमता-विस्तार के लिए

सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं।

- V सरकार ने टैक्सटाइल उद्योग के निर्यात को उन्नत करने के लिए अप्रैल 1993 की निर्यात-आयात नीति में परिवर्तन किया है और निर्यात क्षमता को बढ़ाने के लिए पूँजी वस्तुओं को रियायती दरों पर आयात करने की इजाजत दी है।
- VI सरकार ने विभिन्न देशों को टैक्सटाइल मर्च के निर्यात के सम्बन्ध में कोटा नीति की घोषणा की है जो 1994-96 के लिए होगी।
- VII गैट के उरुगुए राउन्ड के सफल समझौते के बाद, सरकार बहु-फाइबर संधि को धीरे-धीरे अगले 10 वर्षों में समाप्त कर देगी। इस समझौते से भारत को तुलनात्मक लाभ होगा जिससे उद्योग को मजबूत बनाने में सहायता मिलेगी।¹

4- आटो उद्योग

1991-92 में सारे उद्योग सुस्त थी। नई नीति के अनुसार उसी समय एक-दो लाइसेन्स एकदम रद्द कर दिये गये। लोन आसान ट्रम्स पर उपलब्ध कराये और उत्पादन शुल्क घटायी गयी। वाहनों की बिक्री बढ़कर 1992 में 19 लाख से बढ़कर 2 साल में 24 लाख हो गई। आज ये सेक्टर 25% सालाना की रफ्तार से बढ़ने लगा। वाहनों के निर्माण का 90% स्वदेशीकरण हो गया। निर्यात में 30% वृद्धि हुई है।

5- दवा उद्योग

दवा उद्योग में लाइसेन्स के सम्बन्ध में काफी रियायतें दी गयी हैं। इस उद्योगों में अब सिर्फ जरूरी लाइसेन्स ही रह गये हैं। दवा और चीनी उद्योग की तुलना की जाय तो चीनी उद्योग लाइसेन्स से बंधा है। दवा उद्योग बहुत हद तक मुक्त कर दिया गया है, लेकिन दोनों में लाइसेन्स राज बरकरार है।

उदासीकरण नीति में औद्योगिक लाइसेन्स आवेदन: "एक समय ऐसा था जब उद्योग भवन के गलियारे कम्पनी के एजेन्टों से भरे रहते थे और सिर्फ 3-4 महीने बाद एप्वाइमेन्ट देते थे। इस

1 रुद्र दत्त एवं के०पी०एम० सुन्दरम- भारतीय अर्थव्यवस्था, एस०चन्द एण्ड कम्पनी लि० नई दिल्ली - 110055, 1997, पृ०- 448, 449

समय कोई एजेन्ट नहीं रहता। ठीक यही परिवर्तन इन आकड़ों में नजर आ रहा है। 1990 में उद्योग लाइसेन्स में पेन्डिंग केस 2,316 था, 1994 में घटकर 714 हो गया और इस वक्त 600 से कम है।

कम्प्यूटर हार्डवेयर 1991-92 में लाइसेन्स मुक्त कर दिया गया। साथ ही आयात कर घटा दी गयी और एक साल में ही 100% सालाना के रफ्तार से बढ़ने लगा, तो उद्योग में तेज गति आयी है। क्योंकि केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार ने लाइसेन्स राज मिटा दिया। नये उद्योगों को स्थापित करने में या बढ़ाने में मदद की और नये विदेशी पार्टनर चुनने में सहयोग किया। उद्योग नीति, फेरा, शेयर मार्केट में काम करने का तरीका काफी सरल हुआ है। यहाँ तक कि दवाइयों का उद्योग और मोटरकार आटो उद्योग में भी कोटा राज काफी कम हुआ है। वहीं दूसरी तरफ कई सेक्टर, बिजली, बैंकिंग, इन्वोयेन्स, टेलीफोन में लाइसेन्स राज चला आ रहा है। लाइसेन्स कोटा राज ने हमारे देश में प्रगति में पहले ही विराम लगा रखा था। कस्टम ड्यूटी में बदलाव आया है। उदारीकरण के पहले 200-300 प्रतिशत अलग-अलग दरें थीं, जो गिरकर 1995 में 50% तक आ गयीं। उत्पाद कर 30 लाख बिक्री तक माफ कर दिया गया है। सरकार के बजट का 30% आर्थिक सहायता में खर्च होता है।¹

“उदारीकरण नीति में सब कार्यवाही सरल हो गयी है। कमजोरियाँ बड़े निर्यात जैसे-कपड़ा उद्योग महसूस कर रहे हैं, जिसका हिस्सा भारत के निर्यात में 38% है लेकिन 32,000 करोड़ रुपया सालाना निर्यात है। लेकिन अब नई नीति और विश्व व्यापार संगठन के तहत भारतीय कपड़े को 10 साल बाद बाहर निर्यात कोटा नहीं मिलेगा। भारत विश्व के सबसे बड़े कपास उत्पादन देशों में से है।

नई निर्यात-आयात नीति के तहत 20 करोड़ से ज्यादा आयात पर जीरो ड्यूटी की सुविधा प्रदान की गयी है। ग्रीन चैनल में बिना रोक-टोक आयातकों और निर्यातकों को सुविधा। 75 वस्तुएँ ओ०जी०एल० में शामिल की गई हैं। 1.5 लाख निर्यातक में से 2,000 ही बड़े निर्यातक हैं, जिनका

1 डी०डी०- 1, टी०वी० प्रसारण, 23-10-95, सोमवार, 8 PM से 8.30 PM तक, मेड इन इण्डिया प्रोग्राम, नालिनी सिंह द्वारा प्रस्तुत, फैक्स न०- 011-332-7161

निर्यात 12 करोड से ज्यादा है। उदारीकरण नीति के तहत इनको निर्यात की विशेष सुविधायें मिल रही हैं। जैसे -5% स्पेशल आयात लाइसेन्स और बड़ी डील में निर्यात-आयात बैंक से कर्ज। देश में निर्यात में करीब 20-22% आयात किया हुआ सामान है। जैसे-इलेक्ट्रानिक्स में 70% आयात किया हुआ सामान पार्ट है। इस समय देश में तेजी से बढ़ते हुए कुछ निर्यात सेक्टर हैं जैसे-कम्प्यूटर साफ्टवेयर 129%, काफी 86.5%, फूल 52.2%, खेल सामग्री 45%, अयस्क और खनिज 40% की दर से निर्यात में वृद्धि कर रहे हैं। अनाज के बम्पर उत्पाद से निर्यात में बढ़ोत्तरी हुई है। पैकेजिंग मशीन के आ जाने से माल देखकर पैकिंग सुविधा तथा पैकिंग पर खूबसूरत प्रिन्टिंग की सुविधा उपलब्ध है। खाद्यान उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उत्पादन को उत्पादन शुल्क से मुक्त कर दिया गया है। जिनमें कैचप, दूध का पाउडर, खाना पकाने का तेल, जैम तथा सूखी सब्जियाँ शामिल हैं।¹

उदारीकरण से आयात-निर्यात तो बढ़ गया लेकिन बन्दरगाह नहीं बढ़ रहे हैं। भारत मानव संसाधन के क्षेत्र में समृद्ध है। अगले 25 वर्ष में भारत विश्व में चौथी आर्थिक शक्ति होगी। भारत को दुनिया की आर्थिक ताकतों में महत्व मिलेगा। समृद्धि मानव संसाधन, समृद्ध बाजार एवं औद्योगिकरण अधिक होगा तथा अधिक विकास होगा तो अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे आय स्तर बढ़ेगा। इस समय देश में उदारीकरण का दरवाजा खुल रहा है और भारत की जनता उसे भविष्य में खुला देखना चाहती है।

भारत में इस समय, बिजली, सड़क, तेल, संचार आदि क्षेत्रों की जन-जन से सीधी जुड़ी परियोजनाओं के लिए देश-विदेश की निजी पूँजी का निवेश किया जा रहा है। लेकिन अब बचाई गई राशि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों, पुलों तथा अन्य विकास कार्यों तथा बच्चों, बूढ़ों, गरीबों और निराश्रितों के कल्याण कार्यों पर व्यय की जा रही है। ग्रामीण इलाकों में पानी पहुँचाने, स्कूलों की मरम्मत करने या नई शिक्षा संस्थाएं खोलने या फिर छात्रावासों के निर्धन विद्यार्थियों की सहायता पर इस पैसे को खर्च किया जा रहा है।

1 डी०डी०- 1, टी०वी० प्रसारण, 4-12-95, सोमवार, 8 PM से 8.30 PM तक, मेड इन इण्डिया प्रोग्राम, नालिनी सिंह द्वारा प्रस्तुत, फैक्स न०- 011-332-7161

विदेशों से भारत में जो पूँजी प्रवाह हो रहा है, वह सूखे की स्थिति से एक निरंतर बहती जलधारा में बदल गया है। विदेशी कंपनियों, प्रवासी भारतीयों तथा अन्य पूँजी निवेशकों के द्वारा जो देश के अन्दर व्यापक और तेज पूँजी प्रवाह हो रहा है, उसके दो लाभ हुए हैं। पहला, विदेशी कर्जों की तरफ बेताबी से हाथ फैलाए रखने का सिसिला समाप्त हो गया है तथा दूसरा विभिन्न पूँजीगत तथा आधारभूत योजनाओं में विदेशी पूँजीनिवेश से केन्द्र और राज्यों के द्वारा बचाया गया राजस्व की राशि सामाजिक कार्यों, कल्याण योजनाओं और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के बुनियादी ढांचे में अधिक लगाई जाने लगी है। जिसके परिणामस्वरूप जनहित कार्यों की न सिर्फ संख्या बढ़ गई है, बल्कि उनकी गति, परिधि और धनराशि सभी बढ़ गया है। शहरी और अर्धशहरी क्षेत्रों में विदेशी पूँजी निवेश से नई-नई बहुउद्देश्यीय परियोजनाओं और प्रस्तावों पर अमल हो रहा है, तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी जीवन नई करवट ले रहा है। जीवन की जान पानी के लिए नलकूपों, नहरों, बांधों और जलाशयों को बनाने तथा पानी की सप्लाई बढ़ाने के कार्यक्रमों, हवा को प्रदूषण से बचाने, जीवन को जीने लायक बनाने वाली बिजली की परियोजनाओं, जीवन के आधार कृषि तथा उससे जुड़ी सिंचाई परियोजनाओं तथा कृषि उत्पादों पर आधारित विविध उद्योगों का जाल बिछता जा रहा है।

पिछले पांच वर्षों में भारतीय अर्थव्यवस्था की एक अति महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही है कि एक छिन्न-भिन्न अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण किया गया और गम्भीर आर्थिक संकट से उबार कर उसे पुनः विकास के मार्ग पर लाया गया। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था का विश्व-व्यवस्था के साथ सामन्जस्य स्थापित कर लिया है और अपने उद्योगों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की चुनौतियों का सामना करने में समर्थ बना दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार अब पर्याप्त रूप से मजबूत हो गयी है और लम्बी छलांग लगाने के लिए तैयार है। एशिया के जिन देशों ने पिछले दशकों में आर्थिक समृद्धि अर्जित कर ली है, उनकी बराबरी करने या उनसे भी आगे निकल जाने की व्यापक सम्भावनाएं भारत के अन्दर आ गयी हैं।

पिछले वर्षों में आर्थिक प्रगति के संकेत से यह पता चलता है कि सकल घरेलू उत्पादन हो या विदेशी मुद्रा भण्डार, बजटीय घाटे में कमी हो या विदेशी कर्ज भार, निर्यात व्यापार हो या

भुगतान सन्तुलन की स्थिति, कृषि उत्पादन हो या औद्योगिक विकास, सभी क्षेत्रों में स्पष्ट सुधार और प्रगति नजर आती है। सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह है कि अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भारत फिर एक बार गतिमान और विकास की ओर तीव्र गति से बढ़ते हुए देश के रूप में मान्यता प्राप्त कर रहा है और एक-एक करके कई विकसित देश व अन्य पूँजी निवेशक भारत में पूँजी लगाने के लिये उत्सुक हैं। "इसका ताजा प्रमाण पेरिस में विश्व बैंक के तत्वाधान में हुई भारत विकास मंच की बैठक में भारत को छः अरब डालर की स्वीकृति से मिलता है। यह मंच भारत की तात्कालिक आवश्यकताओं को मंहगी ब्याजदर का ऋण देकर पूरा करता रहा है, लेकिन इस वर्ष के ऋण में काफी मात्रा सस्ते ब्याज पर और दीर्घ अवधि के लिए दी गई है।"¹

पिछड़े पाँच वर्षों में लागू किये गए आर्थिक सुधार कार्यक्रम न केवल अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में सक्षम सिद्ध हुआ है, बल्कि इनके कारण देश के अन्दर और बाहर भी भारतीय अर्थव्यवस्था की विश्वसनीयता पुनः स्थापित हुई है। जून 1991 के समय भारत की जो स्थिति थी, वह यदि जारी रहती तो भारत आज न केवल आर्थिक विपन्नता की गहरी खाई में गिर गया होता, बल्कि वह अगली शताब्दी में संसार के सबसे गरीब देश के रूप में प्रवेश करता। इसके विपरीत भारत आज अपने पैरों पर स्वाभिमान से सिर ऊँचा करके खड़ा है और उत्साहपूर्वक एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश के लिए तैयार है।

आर्थिक उदारीकरण एवं संरचनात्मक सुधार होने के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था में आर्थिक एवं सामाजिक क्षेत्र में गतिशीलता का मार्ग प्रशस्त हुआ है तथा बैंकिंग एवं वित्त के क्षेत्र में नवीन क्रांति का संचार हुआ है। सुदृढ़ मुद्रा एवं पूँजी बाजार का विकास हुआ है तथा भुगतान संतुलन, विदेशी मुद्रा भंडार, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा निर्यातों में भी महत्वपूर्ण सकारात्मक सुधार हुआ है। वैधानिक जटिलताओं तथा राजकीय नियमनों से मुक्ति मिल जाने के कारण उद्योग, कृषि, ऊर्जा, परिवहन, बिजली एवं वित्त के क्षेत्र में निजी क्षेत्र एवं विदेशी कम्पनियों की व्यापक सहभागिता निरंतर बढ़ती जा रही है तथा सार्वजनिक क्षेत्र की भूमिका आधारभूत एवं जनकल्याणाकारी कार्यों तक सीमित होती जा रही है। इसके बाद भी भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण आर्थिक खिलाड़ी

1 योजना, 15 सितम्बर 1994, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित, पृ०- 7

के रूप में उभर रहा है।

भारत ने 1991 में जब से अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण प्रारम्भ किया है तब से यहाँ प्रत्यक्ष विदेशी पूँजी निवेश और अन्य निजी पूँजी निवेशों में लगातार वृद्धि हो रही है। लेकिन इसकी तुलना चीन से नहीं की जा सकती है, क्योंकि वहाँ पर पूँजी का प्रवाह काफी अधिक है। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अधिकांश प्रवाह बिजली एवं ईंधन के क्षेत्रों में केन्द्रित है। लेकिन इधर यह प्रवाह दूरसंचार एवं बुनियादी ढांचे के क्षेत्रों में भी बढ़ा है। भारत में निजी पूँजी का कुल प्रवाह 1990 में 2 अरब 10 करोड़ डालर, 1991 में एक अरब 90 करोड़ डालर, 1992 में 2 अरब डालर, 1993 में 3 अरब 50 करोड़ डालर, 1994 में 5 अरब 50 करोड़ डालर तथा 1995 में 4 अरब 40 करोड़ डालर रहा।

वर्तमान बजारोन्मुख रुझान, भूमंडलीकरण और निजीकरण की ओर बढ़ते कदमों, निजी पूँजी निवेश, ऊँचे शुल्कों की दीवारों की कटाई-छटाई तथा व्यापार के मुक्त प्रवाह के अनेक सुखद और सकारात्मक परिणाम सामने आने लगा है। मूल उद्योगों में पूँजीगत सामान और पूँजीपरक क्षेत्रों के साथ-साथ श्रम-प्रधान क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर सुधारों का ही परिणाम है कि वर्ष 1994 में निर्यात में 20 प्रतिशत की अधिक वृद्धि हुई है। हमारा विदेशी मुद्रा-भंडार लबालब भरा है। "दिसम्बर के मध्य में लोकसभा को दी गई सूचना के अनुसार 1994 के अक्टूबर महीने के अंत तक सोने और स्पेशल ड्राइंग राइट सहित कुल लगभग 24 अरब डालर विदेशी मुद्रा भंडार में थे। 1993 में यह राशि साढ़े 12 अरब डालर से कुछ अधिक थी। दूसरे शब्दों में एक वर्ष के अल्पकाल में विदेशी मुद्रा भंडार लगभग दुगुना हो गया। विदेशी साख निर्धारण संगठनों ने हमारी ऋण साख का दर्जा बढ़ा दिया है। 1994-95 के दौरान पांच अरब डालरों के आमद की सीमा निर्धारित की गई थी लेकिन यह सीमा दिसम्बर में ही पार हो गई। प्राप्त संकेतों के अनुसार हर महीने होने वाली विदेशी मुद्रा की आमद में से औसत से 40 प्रतिशत भाग प्रवासी भारतीयों की जमा-रकमों का, 30 प्रतिशत पोर्टफोलियो पूँजी निवेश का, 20 प्रतिशत बाहर धन जुटाने वाली भारतीय कंपनियों का और 10 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी पूँजी निवेश का रहा है।"¹ भारत में निजी पूँजी प्रवाह की वेगवती लहर

चल पडी है। जिसके फलस्वरूप ऋण पर निर्भरता कम होती चली जा रही है तथा ब्याज भी निरंतर घटता चला जा रहा है। इस समय ऋणदाता हमारी ऋण भुगतान क्षमता के कायल हो गए हैं और भारत के प्रति उनके विश्वास का ग्राफ ऊँचा चला गया है।

भारत का व्यापार घाटा वर्ष 1995-96 के दौरान बढ़कर 4.54 अरब डालर (लगभग 15.750 करोड़ रुपये) तक पहुँच गया है जो पिछले वर्ष के घाटे से दो गुने से भी अधिक है। वर्ष 1994-95 में व्यापार घाटा 2.03 अरब डालर (लगभग 7,100 करोड़ रुपये) रहा। वर्ष 1995-96 में भारत का निर्यात 31.83 अरब डालर रहा, जो पिछले वर्ष के 26.22 अरब डालर निर्यात से 21.38 प्रतिशत अधिक है 1995-96 के लिए 18 से 20 प्रतिशत की निर्यात बढ़ोतरी का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन डालर के मद में इसमें 21.38 प्रतिशत की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गयी है। मार्च 1996 में व्यापार सन्तुलन भारत के पक्ष में रहा है। इस अवधि में आयात के मुकाबले निर्यात 8.2 करोड़ डालर अधिक रहा। मार्च 1996 में निर्यात 349.56 करोड़ डालर तक पहुँच गया, जो किसी भी महीने होने वाला सबसे अधिक निर्यात है। पिछले वर्ष मार्च 1995 महीने में 292.24 करोड़ डालर का निर्यात हुआ था। इसी प्रकार मार्च 1996 के दौरान 341.33 करोड़ डालर का आयात किया गया, जो मार्च 1995 में किये गये 286.27 करोड़ डालर के मुकाबले 19.23 प्रतिशत अधिक है।

देश में भुगतान संतुलन की स्थिति पूरे नियन्त्रण में है। चालू वित्तीय वर्ष में चालू व्यापार खाते पर घाटा 1.5 प्रतिशत के सामान्य स्तर पर है, जिसे सामान्य पूँजी आमद से पूरा किया जा सकता है। वैसे 1.5 प्रतिशत का चालू व्यापार घाटा कई एशियाई देशों के आंकड़ों की तुलना में बेहतर स्थिति दर्शाता है। पिछले कुछ सालों में विनिमय दर प्रणाली और व्यापार नीति में किये गये परिवर्तनों का भारतीय निर्यात पर काफी अनुकूल असर पड़ा है। वर्ष 1991-92 में जहाँ निर्यात दर में 1.1 प्रतिशत की गिरावट दिख रही थी, वहीं पर वर्ष 1993-94 में आकर डालर के हिसाब से 20 प्रतिशत की वृद्धि प्रदर्शित करने लगी। चालू वर्ष (1995-96) में अप्रैल से अक्टूबर के दौरान तो निर्यात में 24.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई, लेकिन इसी अवधि में आयात में भी 31 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई।

“औद्योगिक उत्पादन के क्षेत्र में 1991-92 में 0.6 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में 1992-93 में 2.3 प्रतिशत तथा 1993-94 में 6.0 प्रतिशत की वृद्धि हुई। वर्ष 194-95 में 9.0 प्रतिशत की वृद्धि की तुलना में इस समय 1995-96 में देश में औद्योगिक विकास की दर 11.0 प्रतिशत तक पहुँच गयी है।”¹

देश में खाद्यान्न का भी पर्याप्त सुरक्षित भण्डार है। अनाज का सुरक्षित भण्डार जो अप्रैल 1993 में 2 करोड़ टन था, वह बढ़कर अप्रैल 1994 में 2.6 करोड़ टन तक पहुँच गया तथा मई 1995 में 3 करोड़ 74 लाख टन अनाज भण्डारों में जमा हो गया।

1991-92 में 30 लाख रोजगारों का सृजन हुआ, वहीं पर 1994-95 में यह संख्या बढ़कर 72 लाख हो गई। प्रति वर्ष नये-नये कार्यक्रमों को लागू करने से प्रगति की ओर बढ़ रहे कदमों की आहट साफ सुनाई देने लगी है। 1995 में तो जन-जन से जुड़े सुधारों की एक झड़ी सी लग गई है। इन सुधारों ने पिछड़े, दलितों और गरीबी से अभिशप्त जीवन बसर करने वालों के अरमानों को जगाकर उनकी अंधेरी गलियों-गलियारों में आलोक की किरणें बिखेर दी हैं।

1991-92 के गम्भीर आर्थिक संकट के बावजूद आठवी योजना के प्रथम चार वर्षों में 5.7 प्रतिशत की वृद्धि, 5.6 प्रतिशत के योजना लक्ष्य से अधिक है। यह 1991 के आर्थिक संकट के बाद की असाधारण उपलब्धि है। पिछले चार वर्षों में औसत विकास दर 5.7 प्रतिशत रही है। पिछले पाँच वर्षों में लगातार प्रयास होने के बाद 1994-95 में आर्थिक विकास दर 6.2 प्रतिशत पहुँच गयी है, जबकि 1991-92 में यह मात्र एक प्रतिशत रही।

1990-91 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 2 प्रतिशत था। वहीं पर 1991-92 में सकल घरेलू उत्पादन में वृद्धि की दर कम होकर 1.2 प्रतिशत तक आ गयी। 1992-93 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि की दर बढ़कर 4.2 प्रतिशत हो गया तथा 1995-96 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 6 प्रतिशत से कुछ अधिक रही।

निर्यात के अपेक्षित स्तर तक न पहुँच पाने के बावजूद अब आयात-निर्यात का अन्तर बहुत कम हो गया है। निर्यात की धूम लगातार मची हुई है। अब अधिकतर आयात का मूल्य निर्यात से

ही चुका दिया जाता है। आयात-निर्यात शुल्कों में कमी से निर्यात व्यापार बढ़ने के साथ-साथ विश्व-व्यापार में भारत की हिस्सेदारी भी बढ़ जाने की आशा है। अधिकतर आयात निर्यात सम्बर्द्धन के लिए किया जाता है। 15 अप्रैल 1994 को मुराकों में विश्व व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद भारत में उदारीकरण की हवा तेजी से बहने लगी है।

निर्यात के डालर मूल्य में 1991-92 में हुई वास्तविक गिरावट की तुलना में 1993-94 में हुई 20 प्रतिशत की वृद्धि के अलावा 1994-95 में अप्रैल से जनवरी के दौरान डालर मूल्यों में निर्यात में लगभग 17 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई। वहीं पर 1995-96 में प्रथम तीन महीनों के बीच डालर मूल्य में निर्यात वृद्धिदर 24 प्रतिशत बढ़ा है। 1995-96 में अप्रैल से फरवरी के दौरान आयात में 29.7 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई, जबकि इससे पहले के वर्ष 1994-95 में अप्रैल से फरवरी के बीच में आयात 23.2 प्रतिशत की दर से बढ़ा। भारत जैसे विशाल देश का विश्व व्यापार में हिस्सा मात्र 0.65 प्रतिशत है। इस समय चालू वित्त वर्ष में देश का आयात 30 प्रतिशत एवं निर्यात 24 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है। जिसके परिणामस्वरूप इस सदी के अंत तक भारत का निर्यात 36 खरब रुपये तक पहुँच जाने की आशा है। नई आर्थिक नीति हमारी आत्मनिर्भरता को बढ़ाया है और हमारे देश का निर्यात अब 90 प्रतिशत आयातों की वित्तीय व्यवस्था करते हैं जबकि नई आर्थिक नीति से पहले हमारे निर्यात केवल 60 प्रतिशत आयातों की वित्तीय व्यवस्था कर पाते थे।

“निर्यात-आयात को देश की प्रतिष्ठा, सम्मान भी कहते हैं, क्योंकि देश को हमेशा बाहर विदेश से कुछ-न-कुछ सामग्री मंगवानी पड़ती है। जैसे कि आज पेट्रोलियम, खनिज या तिलहन। ये दुनिया का दस्तूर है कि अपनी देश की कमी दूसरे देशों से खरीदकर पूरी किया जाय। इसके लिए विदेशी मुद्रा निर्यात से या देश का सोना और धन बेचकर, नहीं तो विश्व के कान्फ्रेंस हाल में जाकर हाथ फैलाकर अनुदान माँगकर आयेगा। इसलिए देश का निर्यात, देश के सम्मान व प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। इसलिए विदेशी मुद्रा कमाने के लिए और प्रगति हासिल करने के लिए नयी उदारीकरण नीति ने निर्यात को विशेष सुविधायें दी हैं।

विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा


विश्व व्यापार में भारत के योगदान का अनुमान निम्न आँकड़ों से लगाया जा सकता है।

1950	2%
1995	0.56%

विश्व व्यापार में 1995 में भारत का हिस्सा करीब 0.56 प्रतिशत है। जबकि 1950 में ये हिस्सा 2% था। यदि 1995 में हमारा हिस्सा 2% रहता तो आज हमारा निर्यात करीब 3.32 लाख करोड़ रूपया होता लेकिन आज 1995 में 82,000 करोड़ रूपया है। निर्यात आयात से बराबर कम रहा है। 1995 में भी 7,000 करोड़ रूपये का व्यापार घाटा है। हलांकि 1990-91 के 11,000 करोड़ रूपये के अन्तर से स्थिति कहीं बेहतर है।

व्यापार घाटा

(रु० करोड)



आज भी विदेशी मुद्रा की हमारी कमायी का 35-36% विदेशियों को केवल सूद देने में लग रहा है। लेकिन सरकार की नयी नीति ने कई सुधारों का दावा किया है, सीमा पैरा छूट, विशेष सहयोग, मूल सुविधाओं में परिवर्तन जैसे- कारगो और ट्रॉसपोर्ट सेक्टर में।

उदारीकरण कार्यक्रम के निर्यात पर प्रभाव का अध्ययन करने से यह पता चलता है कि भारत का निर्यात जो 87-88 से बढ़ रहे थे पिछले 5 साल में 91-92 से दुगने हो गये हैं। आज निर्यात से 90% आयात का खर्च अदा हो रहा है। 1990 में ये 70% था। भारत का विदेशी मुद्रा कोष

8.2 महीने के आयात खर्च के लिये काफी है। तुलना में चीन के 4.6 महीने के और साउथ कोरिया के 3.4 महीने के।

विदेशी मुद्रा रिजर्व

देश	आयात कवर (महीनों में)
भारत	8.2
चीन	4.6
साउथ कोरिया	3.4

आज भारत का 78% निर्यात मैन्यूफैक्चर सामान का है, जिसमें लाभ 20.30% है। भारत का निर्यात दो गतिशील दिशाओं में फैल रहा है। एक तो पारम्परिक क्षेत्रों के निर्माण में बहुत मूल्य जोड़ करके उसका निर्यात शुरू है, जैसे कृषि एग्री उत्पाद में एक साल में प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थ का निर्यात बढ़ा है 30%। उसी तरह चमड़ा उद्योग, जिसको बहुत फायदा हुआ है। जिसके अन्तर्गत निर्यात द्वारा कमायी हुई विदेशी मुद्रा निर्यातक स्वयं इस्तेमाल में ला रहा है। चमड़ा उद्योग में 20% सालाना वृद्धि हुई है।¹ आज यूरोप की मंडियों में पाँव जमा चुका है। हमारे निर्यात आयात पर ज्यादा निर्भर हो गये हैं। हमारा निर्यात बहुत तेजी से बढ़ रहा है। हम विश्व से अलग नहीं हो सकते। पिछले 5 साल में देश के निर्यात दुगुने हुए हैं लेकिन उनके वृद्धि में कई बाधाएँ हैं। पहली बाधा ये है कि नीति बदल गयी है लेकिन अभी भी वर्कशाप, दफ्तरों में मानसिकता नहीं बदली है। अभी भी वहाँ पर देरी हो रही है। अभी भी भ्रष्टाचार का क्षेत्र बना हुआ है और दूसरी बाधा ये है कि मैचिंग, बन्दरगाह, रेल के बैगन, एयरपोर्ट, सड़कें, बिजली, पानी, इनमें मूल सुविधाओं में अभी भी बहुत कमी है।

“नई उदारीकरण नीति का हम और हमारे भविष्य पर प्रभाव पड़ रहा है। आज ढाई सौ साल बाद भारत में विदेशी कम्पनियाँ आ रही हैं। उदारीकरण नीति के तहत बहुराष्ट्रीय कम्पनियाँ आकाश, धरती और समुद्र तीनों रास्तों से आ रही हैं। पिछले 5 साल में 33,000 करोड़ रुपये की विदेशी पूँजी भारत में आ चुकी है। विदेशी कम्पनियाँ पश्चिमी प्रदेशों में ज्यादा आ रही हैं। 1990 में 2,500 कम्पनी थी जो 1995 में 7,000 नयी कम्पनियाँ आ गयी। ऐसी कम्पनियाँ जिनमें विदेशी पूँजी 51%

1 डी०डी०-1, टी०वी० प्रसारण, 16-10-95 सोमवार, 8PM से 8.30PM बजे तक, मेड इन इंडिया प्रोग्राम, नालिनी सिंह द्वारा प्रस्तुत, फ़ैक्स न० 011-332-7161

या उससे अधिक है, कि संख्या में पिछले पाँच वर्षों में काफी वृद्धि हुई है।

100%	विदेशी या उनका शेयर
51%	से ज्यादा मेजोरटी शेयर उनका
1995-7,000	नयी कम्पनियाँ
1990-2,500	कम्पनी

भारत में 1985-90 में 600 करोड़ रूपया का विदेशी पूँजी था जो उदारीकरण के पश्चात 1991-95 के दौरान देश में 33,000 करोड़ रूपये की विदेशी पूँजी भारत में आयी।

भारत में विदेशी पूँजी

1985-90	1991-95
600 करोड़ रूपया	33,000 करोड़ रूपया

मिल सेक्टर में 1991 में 11 लाख लोगो को रोजगार मिला हुआ था जो बढ़कर 1995 में 10.5 लाख रोजगार हो गया। देश के 90 करोड़ आबादी में से 20-25 करोड़ लोग अपनी जरूरत को प्राथमिकता दे रहे हैं। हजारों करोड़ रूपये की उपभोक्ता सामान बाजार में 20% सालाना की बढ़ोत्तरी हो रही है। रंगीन टी०वी०सेट का 20% बाजार पर कब्जा है। इसी प्रकार वाशिंग मशीन 17%, रेफ्रीजरेटर 22%, कार 20%, स्कूटर 22% का बाजार का आकार है।

बाजार का आकार (1994 - 95)

रंगीन टी०वी० सेट	20%
वाशिंग मशीन	17%
रेफ्रीजरेटर	22%
कार	20%
स्कूटर	22%

घरेलू क्षेत्र में उदारीकरण

(i) आयकर में कमी: वेतन भोगीयों को प्रत्यक्ष रूप से सहायता देने के लिए उदारीकरण कार्यक्रमों के अन्तर्गत आयकर में भी धीरे-धीरे कमी लायी जा रही है। यह कमी इस प्रकार से

लायी जा रही है कि एक ओर तो करदाताओं को राहत मिल रही है, दूसरी ओर कुल कर वसूली में लगातार वृद्धि हो रही है।

आय रू०	1990-91	1995-96
40,000	30%	0%
1,00,000	62-65%	30%

देश में 90-91 में, 40,000 रुपये पर 30% आयकर देना पड़ता था जो उदारीकरण पश्चात 95-96 में 40,000 रुपये तक आयकर शून्य कर दिया गया। उसी प्रकार 1,00,000 रुपये तक 90-91 में 62-65 आयकर देना पड़ता था जो 95-96 में कम करके 30% कर दिया गया।

(ii) उत्पाद शुल्क में कमी: उदारीकरण कार्यक्रमों के अन्तर्गत वस्तुओं, सेवाओं के मूल्यों में कमी लाने के उद्देश्य से सरकार उत्पादन शुल्क में भी यथासम्भव कमी लाने का प्रयास कर रही है। उदाहारण के लिए अन्य वस्तुओं के अलावा साफ्ट ड्रिंक्स और कार पर उत्पाद शुल्क में कमी लायी गयी है।

	पहले	अब
साफ्ट ड्रिंक्स	50%	40%
कार	25%	20%

साफ्ट ड्रिंक्स पर पहले 50% उत्पाद शुल्क लगता था जो अब कम करके 40% कर दिया गया है। उसी तरह कार पर पहले 25% उत्पाद शुल्क लिया जाता था जिसे कम करके 20% कर दिया गया। उत्पाद शुल्क में कमी करने से हमारे वस्तुओं का मूल्य कम होगा, जिससे विदेशों में अपने माल का निर्यात बढ़ाने में मदद मिलेगी।

भारत में बचत

घरेलू	18%
कम्पनी	4%
सरकारी	2.5%

आजकल बढ़ती मंहगाई एवं रुपये के गिरते मूल्य के कारण बचत हतोत्साहित हो रहा है। इसका सीधा असर बचत पर पड रहा है। बचत दर देश में बढ़ नहीं रहा है, बेशक घट रहा है और

खपत ज्यादा हो रहा है। देश में घरेलू बचत 18% है, कम्पनियों का बचत 4% तथा सरकारी बचत 2.5% है। जहाँ बचत कम, वहाँ निवेश कहाँ। जहाँ निवेश नहीं, वहाँ लाभ और तरक्की कहाँ। जापान का औसत बचत दर 40% रहा है और चीन, कोरिया, थाईलैण्ड का 30-35% बचत दर रहा है। इसलिये वहाँ आर्थिक तरक्की हुई। हम समस्या के छोर पर खड़े हैं। अगर हमारे देश की बचत न बढी तो हमारी अर्थव्यवस्था अस्त-व्यस्त हो सकती है।" ¹

विश्व के हर व्यापार बाजार में भारत में बने सामान पर भरोसा बहुत बढ़ गया है। अगर इंग्लैण्ड का नाम विश्व की सबसे बेहतरीन नारंगी के साथ जुड़ सकता है, न्यूजीलैण्ड का नाम विश्व के सबसे अच्छी ऊन के साथ जुड़ सकता है, तो भारत का नाम आम से लेकर सबसे अच्छी सेटलाइट तक आसानी से जुड़ सकता है। हमें ऐसा लगता है, उदारीकरण ने केवल दरवाजा खोल दिया है। अब भारत और प्रदेश की सरकारों को बाजार का विकास और मूलभूत सुविधाओं में बहुत मदद करनी होगी। हमें हास क्वालिटी सबसे कम दामों पर विश्व के बाजारों में देनी होगी, तभी वहाँ मांग व सम्मान होगा।

उपरोक्त अध्ययन करने से पता चलता है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विगत 5 वर्षों के दौरान मूलभूत परिवर्तन हुआ है। 5 वर्ष पूर्व जहाँ उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में लाइसेंस और कोटे द्वारा नियन्त्रण की व्यवस्था थी, वहीं आज उदारीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की स्थिति है। अब रूकावटें कम एवं सुविधाएं अधिक हैं। इन मूलभूत परिवर्तनों के पीछे उद्देश्य यह रहा है कि भारतीय उद्योगों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्पर्धा योग्य बना कर देश की अर्थव्यवस्था को लाभ पहुँचाया जा सके।

अब हम कुछ प्रमुख उद्योग के निर्यात पर उदारीकरण नीति के प्रभाव का अध्ययन करेंगे।

1- **उदारीकरण और कपड़ा उद्योग:** भारतीय कपड़ों की बनावट रंगरूप और उनकी योग्यता हमेशा से दूसरे देशों में आकर्षण का केन्द्र रहा है। स्वतंत्रता के बाद, भारत के विदेश व्यापार में कपड़ों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण रही है। पिछले 47 वर्षों में वस्त्रों के निर्यात ने अनेक उतार

1 डी०डी०-1, टी०वी० प्रसारण, 20-11-95. सोमवार, 8PM से 8.30PM बजे तक, मेड इन इंडिया प्रोग्राम, नालिनी सिंह द्वारा प्रस्तुत, फैंक्स न० 011-332-7161

चढाव देखा है, लेकिन अभी भी विदेशों में भारत में बने कपड़ों का आकर्षण कम नहीं हुआ है। जब से भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण और खुलेपन की प्रक्रिया चल रही है, उससे कपड़ा उद्योग भी लाभान्वित हुआ है। भारत के कुल निर्यात में कपड़ा निर्यात का हिस्सा 38 प्रतिशत है तथा वस्त्र निर्यात से देश को सबसे अधिक विदेशी मुद्रा की आय होती है। 1991 से कपड़ों के निर्यात में प्रभावशाली वृद्धि हो रही है। भारत से सिलेसिलायें वस्त्रों का करीब 30 प्रतिशत निर्यात द्विपक्षीय समझौते से बाहर के देशों को होता है। वर्तमान समय में आस्ट्रेलिया में भारतीय परिधानों का बाजार 226 करोड़ रुपये का है। इसमें 1995 के दौरान पिछले साल की तुलना में 41 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यूरोपीय देशों व अमेरिका में सिलेसिलाये भारतीय परिधानों की मांग तेजी से बढ़ रही है। इस वर्ष अमरीका को इनका निर्यात पिछले वर्ष के मुकाबले 40 प्रतिशत बढ़ जाने की सम्भावना है। "वर्ष 1991-92 में कपड़ों का निर्यात 5 अरब 52 करोड़ 50 लाख डालर का था। वर्ष 1993-94 में सभी कपड़ों का कुल निर्यात 7 अरब 97 करोड़ 50 लाख डालर का रहा जो कि वर्ष 1992-93 में हुए 6 अरब 60 डालर के निर्यात की तुलना में 20.8 प्रतिशत अधिक रहा। 1994-95 में कुल मिलाकर 14.40 करोड़ रुपये के सिलेसिलाये कपड़ों का निर्यात किया गया। जबकि 1995-96 के प्रथम चार माह में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।"¹

2- उदारीकरण और रत्न एवं आभूषण: देश में उदारीकरण के बाद रत्न एवं आभूषण के निर्यात में लगातार वृद्धि हो रही है। 1990-91 में 5,247 करोड़ रुपये का रत्न और आभूषण निर्यात किया गया। 1991-92 में 6,750 करोड़ रुपये का रत्न और आभूषण का निर्यात हुआ। जबकि 1992-93 में 8.896 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया। उसके एक साल बाद यह राशि बढ़कर 1993-94 में 12,533 करोड़ रुपये हो गयी और 1995-96 के प्रथम चार महीनों अप्रैल से जुलाई तक भारतीय रत्न और आभूषणों के निर्यात में गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

3- उदारीकरण और चावल निर्यात: निर्यात की जा रही वस्तुओं में कृषि फसलों का काफी बड़ा हिस्सा है। कृषि वस्तुओं का निर्यात लगातार बढ़ रहा है और इस तरह चावल ने 1990-91

1 योजना, 15 नवम्बर 1994, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित, पृ०-15

तक निर्यात में 462 करोड़ रुपये का योगदान दिया। 1991-92 में वह बढ़कर 756 करोड़ रुपये हो गया। 1992-93 में चावल का निर्यात 976 करोड़ रुपये तक पहुँच गया। 1993-94 में चावल के निर्यात में लगातार बढ़कर 1,287 करोड़ रुपये तक जा पहुँचा। चावल का निर्यात 1994-95 (अप्रैल-जुलाई) के 307.83 करोड़ रुपये के मूल्य से बढ़कर 1995-96 (अप्रैल-जुलाई) में 891.71 करोड़ रुपये मूल्य का हो गया। विश्व में भारत चावल का दूसरे नम्बर का सबसे बड़ा निर्यातक देश बन गया है। विश्व के कुल चावल निर्यात में भारत का योगदान 15 प्रतिशत है। जहाँ तक बासमती चावल का सम्बन्ध है, यह कुल विश्व चावल व्यापार का केवल 7-8 प्रतिशत ही है। भारत ने सर्वोत्तम बासमती चावल के विश्व स्तर तथा निर्भर सप्लायर के रूप में अपना नाम स्थापित किया है। वर्ष 1992-93 में भारत ने 2.86 लाख टन बासमती चावल का निर्यात किया। वर्ष 1994-95 में बासमती चावल का निर्यात 90 प्रतिशत वृद्धि के साथ 4.6 लाख टन तक पहुँच गया। बासमती चावल के निर्यात को बढ़ाने के बहुत भारी अवसर है। आवश्यकता केवल इस बात की है कि हम बासमती के खपत वाले देशों में उपभोक्ताओं के स्वाद एवं रूचि को पहचाने गुणवत्ता, मूल्य, पैकेजिंग आदि के बारे में हमें अपने प्रतियोगी देश की बाजार नीतियों का भी अध्ययन करना चाहिए। बासमती चावल चूँकि निर्यात की वस्तु है। इसलिये इसकी गुणवत्ता में सुधार लाने की प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

4- **उदारीकरण और लघु उद्योग:** भारत में उदारीकरण के बाद से लघु उद्योगों में तेजी से विकास हुआ है। वर्ष 1990-91 की तुलना में वर्ष 1994-95 में लघु उद्योग के विकास में दो गुना वृद्धि हुई है। इस समय देश में लघु उद्योगों की 26 लाख इकाइयाँ हैं और इस क्षेत्र में 1.5 करोड़ लोगों को रोजगार मिला हुआ है तथा देश के कुल निर्यात में लघु उद्योग का हिस्सा 40 प्रतिशत से अधिक है। "लघु उद्योग क्षेत्र ने निर्यात के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण प्रगति की है। वर्ष 1992-93 में 17,784 करोड़ रुपये मूल्य के निर्यात की तुलना में 1993-94 में 24,149 करोड़ रुपये मूल्य का निर्यात हुआ। देश के सीधे निर्यात में इस क्षेत्र का वर्ष 1993-94 में 34.5 प्रतिशत का योगदान रहा।"¹

1 योजना, 30 अप्रैल 1995, सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित, पृ०-28

5- **उदारीकरण और सीमेंट उद्योग:** उदार आर्थिक नीतियों के कारण भारतीय सीमेंट उद्योग की लम्बे समय से चली आ रही गतिहीनता काफी हद तक समाप्त हो गयी है। लेकिन आज भी यह उद्योग अनेक प्रकार की संरचनात्मक एवं बुनियादी समस्याओं के कारण वांछित विकास नहीं कर पा रहा है। आज हमारे देश में 97 बड़े और 252 छोटे सीमेंट के कारखाने हैं, जिनकी कुल उत्पादन क्षमता 695 लाख टन वार्षिक है। 85-86 के बाद से सीमेंट उद्योग की स्थापित क्षमता और उत्पादन दोनों में वृद्धि हुई है, जिसके फलस्वरूप आज भारत सीमेंट उत्पादन में आत्मनिर्भर ही नहीं हो गया है, बल्कि उसने अतिरिक्त सीमेंट का उत्पादन करके निर्यात भी शुरू कर दिया है। "भारत ने वर्ष 1991-92 में 3.3 लाख टन और 92-93 में 10.2 लाख टन सीमेंट का निर्यात किया। 1993-94 में यह निर्यात बढ़कर 30 लाख टन पहुँच गया। वर्ष 1996-97 तक निर्यात का लक्ष्य 55 लाख टन तक रखा गया है। इस समय भारत जिन देशों को सीमेंट निर्यात कर रहा है, उनमें बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, फिलीपीन, मालदीप, थाइलैंड आदि प्रमुख हैं।"¹ सीमेंट कारखानों की मांग के अनुसार अच्छी किस्म के कोयले की आपूर्ति बढ़ायी जानी चाहिए। साथ ही अपने निजी बिजली जनरेटर लगाने के लिए उन्हें आर्थिक सहायता भी दी जानी चाहिये। देश में सीमेंट की बढ़ती मांग तथा सीमेंट निर्यात की सम्भावनाओं को देखते हुए इस दिशा में हर सम्भव प्रयास किया जाना चाहिये तथा इसके लिए वर्तमान सीमेंट कारखानों की उत्पादन क्षमता का विस्तार करना चाहिये और नये सीमेंट कारखानों की स्थापना को बढ़ावा देना चाहिये।

6- **उदारीकरण और कम्प्यूटर साफ्टवेयर इण्डस्ट्री:** देश में आर्थिक उदारीकरण के बाद कम्प्यूटर साफ्टवेयर निर्यात क्षेत्र पिछले 4 वर्षों से 57 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ रहा है। भारतीय कम्पनियों में माल तैयार करने की प्रक्रिया में वृद्धि, अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा भारतीय कम्पनियों के रख-रखाव के लिए समझौते के कारण निर्यात में वृद्धि हुयी है। "एकजिम बैंक द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार भारतीय साफ्टवेयर उद्योग के विकास में योग्य जनशक्ति, अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, अति-उन्नत तकनीक, आर्थिक उदारीकरण और साफ्टवेयर निर्यात कम्पनियों की गुणवत्ता सहायक रही है। लेकिन इसी अध्ययन में इस उद्योग की कमी के बारे में कहा गया है कि भारतीय

1 राष्ट्रीय सहारा, लखनऊ, 13 मई 1996, सोमवार, पृ०-6

निर्यातकों द्वारा उत्पाद के विकास पर ध्यान, परियोजना प्रबन्ध का अभाव, कम उत्पादकता है। सबसे बड़ी बाधा तो यह है कि भारतीय योग्य जनशक्ति का उपयोग विदेशी बाजारों में हो रहा है।¹ इस इण्डस्ट्री में पिछले 4 साल में रोजगार तीन गुना बढ़ गया।

इस समय पूरे विश्व की नजर अब भारतीय कम्प्यूटर उद्योग पर टिकी हुई है। कम्प्यूटर के क्षेत्र में देश में असीम संभावनाएं मौजूद हैं। कच्चे माल तथा प्रौद्योगिकी की उपलब्धता होने के साथ-साथ भारत में कुशल तकनीकीविदों की भरमार है। भारत के वैज्ञानिकों एवं कुशल तकनीकी कर्मियों ने विदेशों में अपने नाम के साथ-साथ भारत का नाम रोशन किया। एक समय भारत विज्ञान एवं टेक्नालाजी के क्षेत्र में विश्व का मार्गदर्शन करता था। आज समय आ गया है जब भारत को अपनी गौरवशाली परंपरा एवं विरासत को पुनर्जीवित करना चाहिए।

भारत का सॉफ्टवेयर निर्यात (1995-96) (प्रतिशत)

यू०एस०ए०	57%
आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड	3%
यूरोप	22%
दक्षिण पूर्वी एशिया	6%
जापान	4%
पश्चिमी एशिया	3%
शेष विश्व	5%
	<u>100</u>

स्रोत- नेशनल न्यूज सर्विस (एन०एन०एस)

भारत विश्व बाजार में यू०एस०ए० को 57% सॉफ्टवेयर निर्यात करता है। उसी प्रकार आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को 3%, यूरोप 22%, दक्षिण पूर्वी एशिया 6%, जापान 4%, पश्चिमी एशिया 3% और शेष विश्व को 5% सॉफ्टवेयर निर्यात करता है।

7- उदारीकरण और मनोरंजन उद्योग: देश में 1991 में उदारीकरण लागू होने के बाद 5

1 आज, वाराणसी, 28 अगस्त 96 पृ-9

साल में विडियों और फिल्म उद्योग, टी०वी० उद्योग में काम करने वालों की संख्या 4 गुना बढ़ गयी है। मनोरंजन उद्योग आयातित टेक्नालाजी इस्तेमाल कर रहा है।

8- उदारीकरण और दूरसंचार उद्योग: "उदारीकरण के बाद करीब 2-3 लाख नौकरियाँ 'पेजर' के काम में उभरी हैं। सन 2000 तक 25 लाख सेल्यूलर फोन उपलब्ध हो जायेगी। उदारीकरण में जो निजीकरण शुरू हुआ है, उसी से दूरसंचार सेवायें पैदा हुई हैं और इनमें पिछले तीन साल 4-5 लाख लोगों को नई नौकरियाँ मिली।"¹

उदार आर्थिक नीतियों और तमाम सरकारी कोशिशों के बावजूद भारत के आयात-निर्यात में संतुलन कायम नहीं किया जा सका है। सरकार द्वारा व्यापार संतुलन बनाने के लिए अब तक जितना भी प्रयास किया गया है, उनमें से अधिकांश सच से कोसों दूर रहा है। व्यापार घाटे में लगातार हो रही बढ़ोत्तरी के कारण सरकार को कई जरूरी वस्तुओं तक का निर्यात करना पड़ रहा है। इन तमाम इधर-उधर की कोशिश करने के उपरांत भी भारतीय विदेशी व्यापार पर सकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ा है।

हमें अपने देश के विदेशी व्यापार का अध्ययन करने पर चलता है कि वर्ष 1990-91 में भारत का कुल विदेशी व्यापार 75,746 करोड़ रुपये का था, जो कि 1991-92 में बढ़कर 91,892 करोड़ रुपये का हो गया। वर्ष 1992-93 में देश का विदेशी व्यापार 1,17,063 करोड़ रुपये का था और 1993-94 में यह पुनः बढ़कर 1,42,850 करोड़ रुपये तक जा पहुँचा। वर्ष 1994-95 में हमारा कुल विदेशी व्यापार 1,71,043 करोड़ रुपये का हो गया और अगले वर्ष बढ़कर 1995-96 में भारत का कुल विदेशी व्यापार 2,28,112 करोड़ रुपये हो गया।

पिछले पाँच वर्षों में देश का कुल विदेशी व्यापार दो गुने से भी अधिक का हो गया है, लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं है कि यह सब भारत सरकार ने जो नयी आर्थिक नीति घोषित की थी, उसी के कारण संभव हुआ है। क्योंकि इससे पहले भी प्रत्येक पाँच वर्ष के अन्तराल पर देश का विदेशी व्यापार लगभग दो गुना होता रहा है। इसलिए इस बढ़ रहे विदेशी व्यापार को नयी

1 डी०डी०-1, टी०वी० प्रसारण, 20-11-95 सोमवार, 8PM से 8.30PM बजे तक, मेड इन इंडिया प्रोग्राम, नालिनी सिंह द्वारा प्रस्तुत, फ़ैक्स न० 011-332-7161

आर्थिक नीति के चश्मे से देखना उचित नहीं है। वैसे तो विकास की एक स्वतः रफ्तार होती है और वह विकास से सम्बन्धित किसी भी प्रकार के मसले पर अपना असर डालती है, इसी तरह विदेशी व्यापार के साथ भी हो रहा है। उसमें आर्थिक उदारवाद, निजीकरण भूमंडलीयकरण को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करना पूरी तरह सही नहीं है।

धुआंधार आर्थिक सुधार कार्यक्रम के बावजूद भारत सरकार विदेशी व्यापार घाटे को कम करने में असफल रही है, जिससे पता चलता है कि हमारी विदेशी व्यापार नीति में, तदर्थवाद का सहारा लिया जा रहा है, जबकि आवश्यकता ठोस तथा दीर्घकालीक योजना बनाकर अमल करने की है।

1990 के बाद से अर्थव्यवस्था में खुलेपन तथा उदारीकरण का दौर शुरू हुआ है। जिसका सकारात्मक परिणाम भी आना शुरू हो गया है। भारत में गरीबी, बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, तथा भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं अति विकराल रूप धारण कर चुकी है, इसलिए आर्थिक उदारीकरण के माध्यम से इनके पूर्ण एवं यथाशीघ्र समाधान की उम्मीद करना गलत है। आर्थिक उदारीकरण के साथ सामाजिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया जैसे-जैसे तीव्र होती जाती है, वैसे-वैसे ही जीवन स्तर, रोजगार तथा गरीबी निवारण में सुधार होता जाता है तथा अन्त में सभी समस्याओं का उपयुक्त समाधान भी हो सकता है। पाँच वर्ष बीत जाने के बाद भी आर्थिक उदारीकरण कार्यक्रमों के प्रति अनिश्चितता, भय तथा आंशका की स्थिति बनी हुई है। इन सभी के पीछे मूल कारण निश्चित पारदर्शी उदारीकरण कार्यक्रम का न होना, दृढ़ राजनैतिक इच्छा शक्ति का अभाव तथा उदारीकरण से शीघ्र एवं व्यापक लाभों की उम्मीद करना है। पाँच वर्षों के बाद भी अर्थव्यवस्था में उदारीकरण कार्यक्रमों के प्रति अनिश्चितता बनी हुई है, फिर भी इस दिशा की प्रगति चारों ओर दिखाई देता है। बढ़ता हुआ विदेशी विनियोग, निर्यातों में वृद्धि, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि, औद्योगिक क्षेत्र में गतिशीलता आदि।

विदेशी मुद्रा का सुरक्षित भण्डार मार्च 1987 में 592.4 करोड़ डालर था, जो घटते-घटते मार्च, 1991 में आधे से भी कम केवल 223.6 करोड़ डालर रह गया था। लेकिन मार्च 1993 में यह 643.4 करोड़ डालर और मई 1994 में 1,547.6 करोड़ डालर हो गया। विदेशी मुद्रा भण्डार में 21.6 प्रतिशत की कमी आयी है। यह मार्च 1995 के 20.8 अरब डालर के मुकाबले

जनवरी 1996 के अंत तक केवल 163 अरब डालर रह गया है। इस अवधि में विदेशी संस्थागत निवेशकों, यूरो इश्यू और अनिवासी भारतीयों की जमा के माध्यम से भारत में पहले की तुलना में कम विदेशी मुद्रा आयी।

पिछले चार वर्षों में आर्थिक नीतियों में जिस तरीके से परिवर्तन किया गया है तथा सार्वजनिक क्षेत्र में अपनिवेश के साथ निजी क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों की भागीदारी को प्रवेश दिया गया है, उससे अर्थव्यवस्था में गतिशीलता आयी है तथा विश्व स्तर पर भारत की एक नयी छवि उभरी है। यदि आर्थिक उदारीकरण कार्यक्रमों से फिर एक बार पीछे हटा जाता है या सार्वजनिक उपक्रम तथा लाइसेंस-कोटा-परमिट-राज पर पुनः बल दिया जाता है तो बीमार भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक दुष्क्र के ऐसे जाल में फंस सकता है, जहाँ से बाहर निकलने का सभी रास्ता बन्द नजर आता है तथा जिस पर चलकर भारतीय अर्थव्यवस्था कहीं की न रह पायेगी।

उदारीकरण के बाद गरीबी, बेरोजगारी, मुद्रा स्फीति, विदेशी कर्ज, राजकोषीय घाटा, तथा कृषि के क्षेत्र में यद्यपि कोई विशेष सुधार नहीं हुआ है तथा आर्थिक परिवर्तन को लेकर अर्थव्यवस्था में भय एवं अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है, फिर भी यह भय काल्पनिक, अल्पकालीन एवं दुलमुल राजनीतिक व्यवस्था का परिणाम माना जा सकता है।

भारत के कुल आयात में सिर्फ खनिज तेल पदार्थों पर ही तकरीबन 40 प्रतिशत राशि चुकानी पडती है। इसके अलावा उर्वरक, अलौह धातु, मशीन और कलपुर्जे, दवा तथा औषधि सामग्री और कृत्रिम रेशे इत्यादि पर भी भारी मात्रा में धनराशि खर्च करनी पडती है, और तो और कृषि प्रधान देश होने पर भी भारत में खाद्य तेल पर भी अच्छी खासी रकम खर्च करनी पड़ रही है। नवीनतम जानकारी के अनुसार इस समय भारत में आयातित खाद्य तेल की मांग लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार इससे बेखबर है। आयातित खाद्य तेल में सबसे ज्यादा मांग पामोलिन तेल की है। इस समय पामोलिन तेल आयात करने वाले देशों में भारत का स्थान तीसरा है। पाकिस्तान का स्थान पहला तथा चीन का स्थान दूसरा है। जनवरी 1996 से मार्च 1996 के बीच देश में 17 हजार टन खाद्य तेल का आयात किया गया था, जिसमें से 13 हजार 700 टन अकेले पामोलिन तेल का आयात किया गया। इस समय भारत में खाद्य तेलों की प्रति व्यक्ति खपत 5.6 प्रति किलों

से बढ़कर 8.9 किलो प्रति व्यक्ति हो गयी है, जिसमें और वृद्धि होने की सम्भावना है। इसलिए सरकार को शीघ्र ही तिलहन उत्पादन में वृद्धि करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की पहल करनी चाहिए, अन्यथा देश को सबसे अधिक राशि सिर्फ तेल सामग्री को ही आयात करने पर खर्च करनी पड़ेगी, क्योंकि खनिज तेल की खपत भी लगातार बढ़ती जा रही है। "इस समय भारत तकरीबन 190 देशों को 7500 से भी अधिक वस्तुओं का निर्यात कर रहा है और लगभग 140 देशों से 6,000 से भी ज्यादा वस्तुओं का आयात कर रहा है। वर्ष 1990-91 में भारत ने कुल 32,553 करोड़ रुपये की वस्तुओं का निर्यात किया था और 82,338 करोड़ रुपये की वस्तुओं का आयात किया था। वित्तीय वर्ष 1991-92 में देश ने 44,042 करोड़ रुपये मूल्य की वस्तुओं का आयात किया था। 1992-93 में निर्यात से 53,688 करोड़ रुपये प्राप्त हुए थे, जबकि आयात पर 63,375 करोड़ रुपये देना पड़ा था। वर्ष 1993-94 में भारत से 69,748 करोड़ रुपये की वस्तुओं का निर्यात हुआ और इसी अवधि में 73,101 करोड़ रुपये की वस्तुओं का आयात भी किया गया। इसके एक वर्ष बाद 1994-95 में भारत से 82,338 करोड़ रुपये का निर्यात तथा 88,705 करोड़ रुपये का आयात किया गया। उस साल हमारा व्यापारिक घाटा 6,367 करोड़ रुपये का रहा, जो कि इससे पहले के वित्तीय वर्ष की तुलना में दो गुने के आस पास है। वर्ष 1995-96 में भारत से 1,06,465 करोड़ रुपये की वस्तुओं का निर्यात किया गया और इसी अवधि में 1,21,647 करोड़ रुपये की वस्तुओं का आयात भी किया गया। इस साल हमारा व्यापारिक घाटा 15,182 करोड़ रुपये का रहा, जो कि इससे पहले के वित्तीय वर्ष की तुलना में दुगुने से ज्यादा है।"¹

पिछले पाँच वर्षों में निर्यात की जाने वाली वस्तुओं में विविधता लगातार बढ़ी है तथा साथ ही साथ निर्यात में भी वृद्धि हुई है। मगर इसकी तुलना में हमारा आयात अनुपात कुछ ज्यादा ही तेज गति से बढ़ा है। आयात किये हुए माल के प्रति हमारी मांग में जो तेजी आयी है, उससे सरकार पर कई प्रकार का अनावश्यक दबाव पड़ा है। जिसकी वजह से हमें न चाहकर भी महंगी तथा गैर जरूरी वस्तुओं का आयात करना पड़ रहा है। भारत को मोती, कीमती और कम कीमती पत्थरों के आयात पर वर्ष 1994-95 में 2,688 करोड़ रुपये खर्च करना पड़ा था। आयात किये जाने

1 राष्ट्रीय सहारा, लखनऊ, बुद्धवार, 5 जून 1996, पृ-6

वाली वस्तुओं में देश को सबसे अधिक धनराशि पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों पर अदा करनी पड़ती है "निवर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरसिंह राव ने आर्थिक उदारीकरण के प्रति बचनबद्धता की बात कही है। इनके अनुसार, भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश के लिए आर्थिक सुधार का रास्ता बहुत आसान नहीं है लेकिन चालू आर्थिक सुधार कार्यक्रम हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ विकल्प है जिनसे पीछे हटने का कोई प्रश्न नहीं है।"¹

"गुट निरपेक्ष देशों एवं अन्य विकासशील देशों के श्रममंत्रियों के पांचवे सम्मेलन में बोलते हुए पूर्व वित्त मंत्री डा० मनमोहन सिंह ने कहा है कि सरकार न केवल आर्थिक सुधारों को जारी रखने के लिए प्रतिबद्ध है बल्कि अपने वादे के अनुसार यह भी सुनिश्चित कर रही है कि इन सुधारों का बोझ कमजोर वर्गों पर नहीं पड़े। आर्थिक सुधारों के लिए उठाए हर कदम का मूल उद्देश्य मानवीय पहलू का ध्यान रखकर समायोजन करना है। सरकार का यह कदम निश्चय ही स्वागत योग्य है, फिर भी जनता की व्यापक सहभागिता तथा धैर्य एवं उदारीकरण की तीव्र गति वांछनीय है।"² राजनीतिक स्थिरता, शांति और गतिशील अर्थव्यवस्था के कारण भारत ने अपनी कोई साख फिर से प्राप्त कर ली है। भारत की अर्थव्यवस्था के भविष्य के बारे में अविश्वास का स्थान विश्वास ने, अस्थिरता का स्थान स्थिरता ने और भय का स्थान साहस ने ले लिया है। वर्तमान समय में विश्व के सभी देश भारत में पूँजी लगाने के लिए इच्छुक ही नहीं, बल्कि उसके लिए कड़ी प्रतियोगिता कर रहे हैं। "अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की नई गणना के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व की छठी अर्थव्यवस्था है। अमरीका, जापान, चीन, जर्मनी और फ्रांस के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था का स्थान है। वर्ष 2020 तक भारत दुनिया की चौथी बड़ी आर्थिक शक्ति बन जायेगा।"³

1 योजना, 31 मार्च 1995, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित, पृ-4

2 योजना, 31 मार्च 1995, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित, पृ-4,

3 योजना, 31 जुलाई 1994, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रकाशित, पृ-6,

अध्याय- VIII

निर्यात सम्बर्द्धन में
बाधायें एवं उनके
निराकरण हेतु सुझाव

निर्यात सम्वर्द्धन में बाधाये एवं उनके निराकरण हेतु सुझाव

भारत ने स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात अपने निर्यात बढ़ाने का हर सम्भव प्रयास किया है लेकिन फिर भी वांछित उपलब्धि प्राप्त नहीं हो सकी है और व्यापार सन्तुलन दो वर्षों 1972-73 और 1976-77 को छोड़कर सदा ही भारत के विपरीत रहा है। विभिन्न योजना अवधि के दौरान भारतीय निर्यात का अध्ययन करने से यह पता चलता है कि देश ने निर्यात लाभ को बढ़ा लिया है, परम्परागत निर्यात के जटिलता को अपरम्परागत मूल्य जोड़ उत्पाद में बदल दिया है, अपने बाजार को विस्तृत कर लिया है और समपूर्ण व्यापार में विस्तार किया है, लेकिन इन प्राप्तियों के बावजूद निर्यात क्षेत्र कुछ सीमाओं और कमियों से जूझ रहा है। इन कमियों के कारण विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा धीरे-धीरे कम होता गया और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भारत की स्थिति अच्छी नहीं है। निम्न निर्यात क्षमता, सीमित बाजार क्षमता और निर्यात उत्पादन तथा विपणन में प्रतिस्पर्धा की कमी महसूस की गयी है।

भारत में निर्यात के सम्वर्द्धन में कई बाधाये हैं, जो निम्न हैं-

1- ऊँचे लागत मूल्य तथा वस्तुओं का निम्न स्तर: "अधिकांश भारतीय वस्तुओं की उत्पादन लागत अधिक होने के कारण उनका विक्रय मूल्य अधिक होता है, जिससे वे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में उचित स्थान प्राप्त नहीं कर पाती हैं। अतः भारत सरकार को कई वस्तुओं के निर्यात में हानि के लिए सहायता देनी पड़ती है।"¹ यद्यपि इससे निर्यातकों को तो क्षतिपूर्ति हो जाती है, पर दीर्घकाल में ये सुविधाएँ अच्छे निर्यात व्यापार की सूचक नहीं हैं। निर्यात की जाने वाली भारतीय वस्तुओं की गुणवत्ता निम्न होती है, जिससे उनको विदेशी प्रतिस्पर्द्धा में खडे रह पाना कठिन हो जाता है। पेट्रोलियम उत्पाद के निरन्तर बढ़ते मूल्यों के कारण अर्थव्यवस्था में स्फीति की दर लगातार बढ़ती

1 डा० चतुर्भुज मेमोरिया एवं डा० एस०सी० जैन- भारतीय अर्थशास्त्र, साहित्य भवन, आगरा, 1986, पृ० -29

जा रही है। परिणामस्वरूप हमारे निर्यात विदेशों में लगातार महंगे होते जा रहे हैं।

2- देश में ही वस्तुओं की बढ़ती हुई घरेलू मांग: देश में निर्यात उसी समय बढ़ाया जा सकता है जब हमारे पास निर्यात के लिए अतिरेक हो, किन्तु कठिनाई यह है कि देश में बढ़ती हुई आन्तरिक मांग के कारण हम निर्यात के लिए अतिरेक का निर्माण नहीं कर पाते। बढ़ती हुई घरेलू मांग का कारण बढ़ती हुई जनसंख्या है। जनसंख्या वृद्धि के कारण ही कृषि प्रधान देश होने पर भी खाद्यान्न का निर्यात करना सम्भव नहीं हो सका है। यद्यपि हाल के वर्षों में खाद्यान्न निर्यात की सम्भावना बन रही है और इस दिशा में सरकार उचित कदम भी उठा रही है।

3- माल की पूर्ति में कठिनाइयाँ: पिछले वर्षों में तथा वर्तमान में भी पूर्ति की निरन्तरता को बनाये रखने में देश में काफी कठिनाई हो रही है। इसमें बिजली और परिवहन सबसे बड़ी बाधा है, जिसके कारण उत्पादन में रूकावट हुई है तथा हम निर्यात नहीं बढ़ा पाये हैं।

4- समुद्र पार का शोषण विहीन सुअवसर: अन्तर्राष्ट्रीय बाजार कभी भी स्थिर नहीं रहा है, बल्कि परीक्षण, फैशन तथा तकनीक में लगातार परिवर्तन होता रहा है। ऐसी परिस्थिति में भारतीय निर्यातकों को बाजार उपस्थिति और नये बाजार को उत्पन्न करने के लिए जल्द परिवर्तन करना चाहिये ताकि उत्पादन की बाहरी मांग के सम्बन्ध में उत्पाद बढ़ाया जा सके। जब भी आवश्यक हो नयी क्षमताओं का विस्तार और उत्पत्ति तथा उद्योग में बड़े रोजगार के सुअवसर तथा अपनी क्षमता का उपयोग करके विदेशी मांग की पूर्ति करना चाहिये तीसरे देशों में विपणन के लिए बड़े सुअवसर प्राप्त हैं। मुख्यतः ओ०पी०ई०सी० देशों में और अन्य अफ्रिकी एशियाई और लैटिन अमेरिकी देशों में।

दुर्भाग्य से, भारतीय निर्यात घर बहुत ही कम समुद्र पार शाखाओं से जुड़े हैं। जापानी घर और व्यापारी औद्योगिक घर, यू०के०, नीदरलैण्ड, यू०एस०ए० और पश्चिमी यूरोप के घर के अन्तर्गत कई सुविधापूर्वक शाखायें खोली गयी हैं। आधुनिक बाजार गुप्तचर सफलता प्राप्त करने के लिये चुने गये हैं। हमारे उत्पाद के लिये विदेशी बाजार में सदैव कई सुअवसर हैं।

5- विदेशी प्रतियोगिता: कुछ निर्यात वस्तुओं पर अन्य पूर्ति कर्ताओं के द्वारा प्रतियोगिता इतनी

बढ़ गयी है कि भारतीय निर्यातक को इन मालों के निश्चित मात्रा में बेचने पर भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जूट निर्माणकर्ता में बांग्लादेश से प्रतियोगिता, सूती कपड़े और माल में जापान और चीन से प्रतियोगिता और चाय में इन्डोनेशिया और सिलांग से। प्रतियोगिता वे कारण हैं, जो इन वस्तुओं को विदेशी बाजार में बहुत कम कर देते हैं। ये देश केवल मूल प्रतियोगिता ही नहीं बल्कि गुण प्रतियोगिता भी प्रदान करते हैं। बांग्लादेश ने जूट के मालों के लिये हमारे बाजार में अच्छी स्थिति बना ली है।

6- **अन्य देशों की संरक्षणवादी नीतियाँ:** कई देशों ने प्रभेदकविहीन संरक्षण नीतियाँ अपनायी हैं जैसे-प्रभेदक लाइसेंसिंग अभ्यास इत्यादि। उदाहरण के लिए ई०ई०सी० देशों में, जूट, चमड़े के सामान, निर्मित कपड़े, नारियल की जटा उत्पाद, चाय और काफी, तम्बाकू, वनस्पति तेल इत्यादि के अधिक मात्रा में आयात पर रूकावट लागू किये गये हैं। चीनी और अन्य कृषि उत्पाद के लिए लाइसेंसिंग में भी रोक लगा है। इसी तरह उच्च आयात-निर्यात शुल्क ने भारत से नये मशीन और साइकिल के निर्यात में रूकावट पैदा कर दी है। आस्ट्रेलिया में बिजली के मशीनों पर आयात-निर्यात कर 50 प्रतिशत तक ऊँची है, सूती कपड़ों पर 49 प्रतिशत, चप्पलों इत्यादि पर 40 प्रतिशत आदि ऊँचे कर लागू किये जाते हैं। यहाँ तक कि यू०एस०ए० में भी कुछ कपड़ों के निर्यात पर 23 प्रतिशत, चमड़े के माल पर लगभग 17 प्रतिशत शुल्क लिया जाता है। इन देशों में ऐसे उच्च आयात कर हमारे देश के निर्यात व्यापार को प्रभावित करता है।

7- **प्रचार की कमी:** भारतीय वस्तुओं के बारे में विदेशों में विज्ञापन एवं प्रचार बहुत ही कम है, जिसके फलस्वरूप निर्यात हमारी आशा के अनुरूप नहीं बढ़ पाया है।

8- **भारतीय व्यापारियों की नीतियाँ:** भारतीय व्यापारियों द्वारा अपनायी जाने वाली नीतियाँ भी निर्यात वृद्धि में रूकावट पैदा करती हैं जैसे-भारतीय व्यापारी नमूने के अनुरूप माल नहीं भेजते हैं, जिसके फलस्वरूप करोड़ों रुपये का माल वापस ही नहीं लौट आता बल्कि देश की प्रतिष्ठा में गिरावट आ जाती है।

9- **सीमित बाजार:** भारत से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा सीमित है तथा उनका बाजार भी सीमित है। "यदि किसी प्रकार विदेशी बाजार में भारतीय वस्तु की मांग कम हो जाती

है तो हमारे निर्यात स्वतः ही कम हो जाते हैं। जैसे-भारत द्वारा निर्यात की जाने वाली चाय का लगभग 2/3 भाग ब्रिटेन खरीदता है। इसी प्रकार काजू के निर्यात का 3/4 भाग केवल संयुक्त राज्य अमेरिका खरीदता है।

भारत के निर्यात में परम्परागत निर्यातों का एक महत्वपूर्ण स्थान है। यदि इन वस्तुओं की मांग विदेशों में कम होती है तो भारतीय निर्यात स्वतः ही प्रभावित हो जाता है।¹

10- विश्व व्यापार में घटता हिस्सा: पिछले वर्षों के दौरान आर्थिक विकास द्वारा प्राप्त औद्योगीकरण का स्तर भारत के निर्यात क्षमता से ही पता चलता है कि इस आर्थिक शक्ति के आधार पर देश के निर्यात का ज्यादातर हिस्सा गैर परम्परागत निर्यात या प्राथमिक तथा कृषि आधारित वस्तुओं के स्थान पर निर्मित उत्पाद का होना है। पिछले पाँच वर्षों के दौरान जहाँ विश्व निर्यात औसत दर पर डालर में 6% बढ़ा है, वहीं पर हमारी निर्यात दर में विकास केवल 2.3% ही बढ़ा है। विश्व व्यापार में भारत का हिस्सा 1951 में 2.3% से घटकर 1994 में 0.5% तक आ गया। भारत का यह थोड़ा हिस्सा पिछले छः वर्षों से है। भारत का निर्यात विश्व के निर्यात में हिस्सा नहीं बना पाया है।

11- प्रतियोगिता में निम्न स्थान: वर्तमान वर्षों में देश द्वारा किये गये विभिन्न उपायों के बावजूद विकासशील देशों में प्रतियोगिता में भारत काफी पीछे हो गया है। प्रतियोगिता ज्ञात करने के लिए विश्व आर्थिक समिति द्वारा लागू सूची में 1992 में भारत 11वें स्थान पर था तथा 1991 में 10वें स्थान पर रहा। स्थान ज्ञात करने का स्तर निम्न चीजों पर आधारित होता है-

- A घरेलू आर्थिक शक्ति
- B अन्तर्राष्ट्रीयकरण
- C सरकार
- D वित्त
- E अन्तः संरचना
- F प्रबंधन

1 मेमोरिया एवं जैन- भारतीय अर्थशास्त्र, साहित्य भवन, आगरा, 1986, पृ० -30

G विज्ञान और तकनीक

तालिका 8.1: प्रतियोगिता में भारत का स्थान (1992)

अन्तिम स्थान	देश	A	B	C	D	E	F	G
1-	सिंगापुर	1	1	1	1	1	1	2
2-	ताईवान	3	3	4	7	6	3	1
3-	हांगकांग	5	2	3	2	3	2	4
4-	मलेशिया	6	5	2	3	5	4	6
5-	कोरिया	2	6	6	8	2	5	3
6-	थाइलैण्ड	4	4	5	6	12	6	7
7-	मैक्सिको	9	7	7	5	8	8	10
8-	द० अफ्रीका	12	10	10	4	7	7	5
9-	वेनेजुएला	11	8	9	9	9	9	11
10-	इंडोनेशिया	7	13	8	12	11	12	9
11-	भारत	8	14	11	11	13	11	12
12-	ब्राजील	13	12	14	10	4	10	14
13-	हंगरी	14	9	12	14	10	14	8
14-	पाकिस्तान	10	11	13	13	14	13	13

वर्ल्ड कम्पेटिटिवनेस रिपोर्ट 1992, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम

स्रोत- डा०एम०एल० वर्मा- इन्टरनेशनल ट्रेड, विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा०लि० नई दिल्ली, 1996, पृ० -133

12- जी०डी०पी० में निर्यात का निम्न हिस्सा: निर्यात में प्राथमिकता का स्थान कभी भी नहीं दिया गया। वर्तमान में ये प्राथमिकता देश के आर्थिक विकास को चालू रखने के लिए दिया गया। भारतीय निर्यात जापान, सिंगापुर, हांगकांग आदि जैसे निर्यात चलित विकास देशों की तुलना में विकास चलित निर्यात अर्थिकी पर आधारित है। यह भारत के जी०डी०पी० में निम्न हिस्से का कारण है। नीचे दिये गये निम्न तालिका से कुछ विकासशील देशों के निर्यात जी०डी०पी० के अनुपात का तुलनात्मक चित्र का पता चलता है-

तालिका - 8.2: चुने हुए विकासशील देशों के सकल घरेलू उत्पाद के निर्यात का अनुपात

देश	1985	1992
मलेशिया	49.3	79.0
थाईलैण्ड	18.7	32.4
इंडोनेशिया	21.6	28.2
दक्षिण कोरिया	36.0	28.0
श्री लंका	20.1	30.0
पाकिस्तान	9.2	23.5
फिलीपाइन्स	15.4	22.5
चीन	9.4	18.6
बांग्लादेश	7.1	9.2
नेपाल	7.5	8.2
भारत	4.1	8.0

स्रोत- यूनाइटेड नेशन बुलेटिन आफ स्टैटिस्टिक, इन्टरनेशनल मोनेटरी फण्ड, इण्टरनेशनल फाइनेन्शियल स्टैटिस्टिक एण्ड वर्ल्ड बैंक

“कुछ एन०आई०सी० का हिस्सा फिर भी ऊँचा है। यह हांगकांग के लिए 137% तथा सिंगापुर के लिए 190% है। कुछ अवधि में कुछ विकासशील देशों की निर्यात अच्छी रही। 1992 में भारत के 18 बिलियन की तुलना में थाईलैण्ड का 23 बिलियन, मलेशिया का 29 बिलियन, दक्षिण कोरिया का 65 बिलियन तथा चीन का 85 बिलियन निर्यात रहा।”¹

13- निर्माणकर्ता-निर्यातक स्थान में गिरावट: भारत निर्माण के निर्यात में विकासशील देशों में काफी पीछे है। यू०एन०सी०टी०ए०डी० अध्ययन के अनुसार 1970 में विकासशील देशों में भारत तीसरे स्थान पर था, केवल हांगकांग और ताइवान के बाद। 1980 में भारत निर्माण के निर्यात में 8 वे स्थान पर पहुँच गया और 1988 में यह 10 वें स्थान पर पहुँच गया। इन वर्षों के दौरान भारत द्वारा महसूस की गयी गिरावट की अपेक्षाकृत अन्य विकासशील देशों ने अपने स्थान में विकास किया है।

1 डा० एम०एल० वर्मा- इन्टरनेशनल ट्रेड, विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा० लि० नई दिल्ली, 1996, पृ० -131

तालिका 8.3: विकासशील देशों में भारत का स्थान (निर्यातित निर्माणकर्ता)

मूल्य-मिलियन यू०एस० डालर

देश/ क्षेत्र	मूल्य स्थान		मूल्य स्थान		मूल्य स्थान	
	1988		1980		1970	
कोरियागणतन्त्र	56,431.5	1	15,622.3	2	634.9	6
चीन का सूबाताइवान	55,486.2	2	17,428.6	1	1,082.3	2
सिंगापुर	27,553.7	3	9,048.4	4	427.7	7
हागकांग	26,596.6	4	13,079.3	3	1,949.3	1
चीन	21,994.9	5	8,680.0	5	1,019.0	4
ब्राजील	17,261.9	6	7,491.9	6	362.5	10
मैक्सिको	10,392.9	7	1,839.2	11	391.3	9
यूगोस्लाविया	9,849.6	8	6,533.0	7	1,001.5	5
मलेशिया	9,196.9	9	2,426.7	9	110.4	4
भारत	8,604.5	10	4,404.3	8	1,040.2	3
थाईलैण्ड	8,032.7	11	1,604.1	12	32.2	26
तुर्की	7,491.9	12	782.0	16	52.6	21
इन्डोनेशिया	5,622.9	13	500.6	21	12.2	31
पाकिस्तान	2,960.5	14	1,247.2	13	397.6	8
अर्जेंटिना	2,888.7	15	1,856.4	10	245.9	11
फिलीपीन्स	2,274.2	16	1,213.2	14	79.2	16
मिस्र	2,016.2	17	333.5	25	206.6	12
मोरोक्को	1,807.1	18	565.1	18	47.2	22
ट्यूनीसिया	1,617.5	19	797.8	15	34.9	19
कोलम्बिया	1,207.1	20	775.1	17	58.7	19
इक्वाडोर	1,024.5	21	74.3	33	3.3	34
बांग्लादेश	988.0	22	500.8	20	170.0	13
श्री लंका	689.7	23	193.5	28	4.7	32
मारीशस	623.6	24	115.0	32	1.2	35
चीली	620.9	25	416.8	23	53.3	20

(अंकटाड सेक्रेट्रीयेट) स्रोत- डा० एम०एल० वर्मा- इन्टरनेशनल ट्रेड, विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा०लि० नई दिल्ली, 1996, पृ० 134

कोरिया गणतन्त्र ने 1970 में 6 स्थान से 1980 में 2 स्थान पर तथा 1988 में 1 स्थान पर विकास किया। ब्राजील 1970 के 10वें स्थान से 1980 में 6वें स्थान पर पहुँच गया और 1988 तक इसी स्थान पर रहा। इन्ही वर्षों के दौरान सिंगापुर ने 7वें स्थान से तीसरे स्थान तक विकास किया है। मलेशिया, थाईलैण्ड और इन्डोनेशिया ने अपने स्थान के विकास में अच्छा स्थान प्राप्त किया है। जहाँ इन्डोनेशिया ने 31वें से 13वें स्थान पर पहुँच गया है वहीं पर थाईलैण्ड ने 1970-88 में 26वें से 11वें स्थान पर पहुँच गया। वही दूसरी ओर भारत तीसरे स्थान से 10वें स्थान पर पहुँच गया। उपर्युक्त बातों से यह पता चलता है कि भारत अन्य देशों में अच्छे विकास दर, तकनीकी विकास में तथा औद्योगिकीकरण में अपना स्थान नहीं बना पाया है।

14- उच्च मूल्य और कम उत्पादन: अर्थव्यवस्था का निर्माण क्षेत्र बड़े उपयोग क्षमता से ग्रसित है, मुख्यतः निम्न तथा मध्य स्तर उद्योगों में जो कि भारत के निर्यात में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। ये उद्योग अच्छे प्रकार के कच्चे माल की उपस्थिति तथा ज्यादा मात्रा में सही साख व्यवस्था और तकनीकी की परेशानियों से ग्रसित है। इन कारणों से उत्पादन का मूल्य बढ़ता है जो कि विश्व बाजार में प्रतियोगिता को प्रभावित करता है।

विद्युत शक्ति तथा दूर संचार जैसी सुविधा अपूर्ण है। विश्व बैंक सूचना के अनुसार भारत से निर्यात का मूल्य औसत प्रतियोगी एशियन देशों से 33% की वृद्धि हुई है। यहाँ तक कि उत्तरी भारत से जहाज के आन्तरिक विस्थापन में भी 10 से 25 दिन लगता है। सही प्रकार की सुविधा से इस अवधि को घटाया जा सकता है।

15- खराब रख-रखाव व्यवस्था: भारत में रख-रखाव व्यवस्था का मूल्य यू०एस०ए० तथा जापान की अपेक्षाकृत 80% ज्यादा है। सही सडक व्यवस्था, वेयरहाउस, बिक्री तथा दूरसंचार तथा अन्य के आधार पर भारत में प्रति कार्यकर्ता उत्पादन यू०एस०ए० तथा जापान की अपेक्षाकृत 20% घट गयी है।

16- अनुचित उत्पाद-बाजार दूरी: भारतीय निर्यात विकास की एक कमी अनुचित उत्पाद तथा सीमित बाजार क्षमता है। निर्यात उत्पाद और बाजार की पूर्ण धारा का अभी तक उपयोग नहीं किया गया है। यह सत्य कुछ प्रमुख निर्यात क्षेत्र के उदाहरण से पता चल सकता है। भारत जवाहर तथा आभूषण का सबसे बड़ा निर्यातक देश है, जिसकी निर्यात योग्यता 1993-94 में रु० 12,000 करोड़

था। कटे तथा पालिस किये हीरे इस समूह के कुल निर्यात का 90 प्रतिशत है। निर्यात उत्पाद मुख्यतः हीरा विश्व में आभूषण निर्यात उद्योग के लिए कच्चा माल है। अन्य वस्तुओं की धारा मुख्यतः बहुमूल्य धातु, आभूषण, रंगीन हीरे पत्थर और चाँदी आभूषण को अच्छी तरह नहीं शुरू किया गया है। जवाहर और आभूषण के लिए मुख्य बाजार का 80% हिस्सा यू०एस०ए०, जापान तथा बेल्जियम देश का है।

निर्मित कपड़ा एक अन्य प्रमुख निर्यात क्षेत्र है जो कि विदेशी विनिमय में रु० 5,000 करोड़ सालाना पैदा करता है। दो वस्तुएँ जो कि निर्यात के मुख्य भाग हैं, वे शर्ट और ब्लाऊज है। फैशन वस्त्रों, औद्योगिक कपड़ों के विस्त्रित दूरी और गुण की निर्यात धारा चालू नहीं हुई है। बाजार के विषय में इस क्षेत्र के निर्यात में यू०एस०ए० तथा यूरोपियन समूह प्रमुख देश हैं।

समुद्री उत्पाद निर्यात का 1993 में रु० 2,000 करोड़ के निर्यात में केवल समुद्री केकड़े का निर्यात ही कुल विदेशी विनिमय का 3/4 भाग है और अन्य वाणिज्यिक मछलियों के अच्छी धारा को अभी शुरू नहीं किया गया है। बाजार में यू०एस०ए० तथा जापान का संयुक्त हिस्सा 80% है। फल और सब्जियों या खनिजों तथा अयस्कों का सम्बन्ध इससे अलग नहीं है। फलों में आम विदेशी विनिमय में मुख्य हिस्से के लिए केवल एक सबसे बड़ी वस्तु है। मध्य पूर्व तथा यू०के० इसके मुख्य बाजार हैं। सब्जियों में प्याज निर्यात का एक मुख्य वस्तु है। इसके मुख्य बाजार बांग्लादेश तथा नेपाल हैं। यही दिशा कई अन्य निर्यात उत्पादों के लिए भी लागू होती है।

17- शोकयुक्त विदेशी सीधा व्यय: अन्य विकासशील देशों द्वारा विदेशी व्यय को औद्योगीकरण सम्वर्द्धन के लिए मोटर की तरह तथा आर्थिक विकास के लिए इंजिन की तरह उपयोग किया जाता है। एशिया के विकासशील देश मुख्यतः चीन, मलेशिया, हांगकांग सिंगापुर, इन्डोनेशिया तथा अन्य देशों में विदेशी व्यय को निर्यात सम्वर्द्धन के लिए बहुत पहले से ही उपयोग किया जा रहा है। इन देशों ने बड़ी मात्रा में एफ०डी०आई० को आकर्षित किया है। 1990 के पहले भारत उन 10 विकासशील देशों में नहीं था, जो कि पूरे तीसरे विश्व के अन्तः व्यय का 2/3 भाग के लिये जिम्मेदार है।

1991 में जब कई विकासशील देश अपनी अर्थव्यवस्था खोलने लगे तो ऐसे देशों में विदेशी सीधा व्यय को जिन्होंने यह क्रिया पहले ही शुरू कर दिया था, उनको ज्यादा गति प्राप्त हुई। 1992

के प्राप्त गणना के अनुसार चीन में विदेशी व्यय 11 बिलियन, मलेशिया में 10 बिलियन और इन्डोनेशिया में 8 बिलियन डालर था। इन देशों में आन्तरिक व्यय की तुलना में भारत में एफ०डी०आई० 1 बिलियन था। 1980 तथा 1970 के दशक के दौरान वार्षिक औसत आन्तरिक व्यय प्रथम 10 विकासशील देशों का निम्न तालिका में दिया गया है।

तालिका- 8.4: दश बड़े विकासशील देशों का विदेशी सीधा निवेश का औसत वार्षिक आयात

बिलियन यू०एस० डालर

मेजबान देश	1970	मेजबान देश	1980-90
1- ब्राजील	1.3	सिंगापुर	2.3
2- मैक्सिको	0.6	मैक्सिको	1.9
3- मलेशिया	0.3	ब्राजील	1.8
4- नाइजीरिया	0.3	चीन	1.7
5- सिंगापुर	0.3	हांगकांग	1.1
6- मिस्र	0.3	मलेशिया	1.1
7- इन्डोनेशिया	0.2	मिस्र	0.9
8- हांगकांग	0.1	अरजेन्टिना	0.7
9- इरान	0.1	थाईलैण्ड	0.7
10- उरुगुवे	0.1	ताइवान	0.5
कुल विकासशील देश	66.0		68.0
आयात का हिस्सा (प्रतिशत)			

यूनाइटेड नेशनल्स, वर्ल्ड इन्वेस्टमेन्ट रिपोर्ट 1992

स्रोत- डा० एम०एल० वर्मा०- इन्टरनेशनल ट्रेड, विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा० लि० नई दिल्ली, 1996, पृ०- 138

18- उछाल/ केन्द्रीय दृष्टि: 7वीं योजना के दौरान 15 उत्पाद समूह और 37 बाजारों को उछाल क्षेत्र और बाजार की तरह माना गया। 8वीं योजना के शुरुआत में 34 'अति आवश्यक दृष्टि उत्पाद' को पहचाना गया ताकि इनका निर्यात सम्बर्द्धन कार्य लागू किया जा सके। अत्यधिक मालों और अत्यधिक उत्पादों के उछाल या अत्यावश्यक दृष्टि के कारण ये कार्यक्रम धूमिल हो गये।

जापान का अनुभव निर्यात उछाल के सम्बन्ध में एक अच्छा उदाहरण देता है। 40वीं दशक में जापान ने वस्त्र के निर्यात विकास पर जोर दिया और आगे के वर्षों में स्टील पर जोर दिया और जापान विश्व में एक अग्रणी देश बन गया। 60वीं दशक के दौरान गुण विकास पर ध्यान दिया गया और जापानी माल गुणवत्ता के लिए प्रसिद्ध हो गया। 1970 में मोटर उद्योग पर ध्यान देने के कारण जापान ने कार और अन्य गाड़ियों के निर्यात में महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। 1980 में जापान को विद्युत उपकरण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। इस समय जापान रसायनों, दवाओं, जहाज और उपग्रहों के मूल्य जोड़ पर विशेष जोर दे रहा है। इस प्रकार का विकास हमारे देश में नहीं है।

जापान में निर्यात सम्बर्द्धन और विकास के लिए सीमित चुनिन्दा उत्पादों और क्षेत्रों के अलावा समय-समय पर कठिन परिश्रम, नियम, लगन और सहायक नीतियों ने विकास के लिए मूल्यवान सहायता प्रदान की है। देश के निर्यात क्षमता के विभिन्न स्तर पर विकास के लिए सरकार द्वारा निर्यात के नियमों का पालन करना चाहिए।

वर्तमान उदारीकरण नीति ने काफी हद तक नीति निर्माण के क्षेत्र में सरकार और उद्योग तथा व्यापार के बीच सम्बन्ध बनाया है। राष्ट्रीय स्तर पर वाणिज्य और उद्योग के चैम्बर, व्यापार समिति और उद्योग तथा व्यापार का अगुवा के प्रतिनिधि को नीति कार्यक्रम में हिस्सा प्रदान किया है।

19- अपूर्ण खोज और विकास: गुण बढ़ावा और मूल्य कमी से विश्व बाजार में प्रतियोगी बनने में खोज और विकास एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यह लाभपूर्वक औजार तकनीक और विपणन में लागू होता है। जी०एन०पी० के हिस्से के रूप में खोज और विकास पर हमारा खर्च 1988-89 में 0.96% से 1993-94 में 0.83% घट गया। विज्ञान और तकनीक विभाग द्वारा खोज और विकास पर एक सूचना के अनुसार तकनीक के आयात के सम्बन्ध में खर्च अनुमान से ज्यादा था। 1991-92 में जी०एन०पी० के 0.2 प्रतिशत पर देश में खोज और विकास पर खर्च का अनुमान लगाया। दक्षिण कोरिया जैसा देश जो वर्तमान में आर० और डी० योजना पर 2% खर्च कर रहा है और वह अगले 5 वर्षों में खर्च बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। दक्षिण कोरिया और ताइवान की तुलना में आर० और डी० में प्रति मिलियन वैज्ञानिकों और तकनीकी में भारत 10

को कार्य पर लगाता है। सिंगापुर की तुलना में 6, मैक्सिको की तुलना में आधा और इन्डोनेशिया तथा थाईलैण्ड की तुलना में इससे भी कम।

20- **निर्यात उत्पत्ति:** देश ने लम्बे समय तक नियन्त्रण, नियम, और उद्योगों की तंगी तथा शासन पद्धति तरीका के कार्य का सामना किया है। यहाँ तक कि संरचना सुधार के अलावा सरकारी मशीन को बदलना कठिन है जब तक कि विभिन्न विभागों की भूमिका को निकाला नहीं जाता है। बड़े स्तर पर नियन्त्रण और लाइसेन्स प्रदान किया गया है और अप्रशासनिक तरीके से अपने अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में निर्णय लेने की छूट की आवश्यकता है।

विकास और सम्वर्द्धन पर ध्यान देने वाली निर्यात सम्वर्द्धन प्राधिकरण या वाणिज्यिक क्रियाओं में व्यस्त क्षेत्रीय संगठन का अपना कार्यभार सौंपने का अधिकार अपूर्ण है। इन प्राधिकरण में व्यक्तिगत पहुँच और कार्य की कमी है। आर्थिक उदारीकरण के फल को चखने के लिए राज्य क्षेत्र निगम, निर्यात सम्वर्द्धन समिति, निम्न उद्योगों तथा निर्यात निगमों को व्यक्तिगत रूप से वाणिज्यिक रेखा की तरफ बढ़ना जरूरी है।

21- **योग्यता की कमी:** भारत के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में प्रतियोगी देशों द्वारा ब्यूह रचना में उत्पादन आर० और डी० तथा विपणन योग्यता में कमी है। 1993 में विश्व विख्यात अवरोधों के सम्बन्ध में अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के विस्तार ने निम्न तथा मध्य आकार के कम्पनियों को परिवर्तित कर दिया है, क्योंकि ये इकाईयाँ सही व्यवस्था तथा नियन्त्रण के लिए अच्छे क्षेत्र प्रदान करती हैं। यह महसूस किया जा रहा है कि अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की जटिलता को बड़े की तुलना में निम्न तथा मध्य आकार के कम्पनियों को दे देना चाहिए।

फिर भी यह सुनिश्चित नहीं होता है कि इन परिवर्तनों के बावजूद भी निम्न स्तर की इकाईयों को लाभ प्राप्त होगा। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर ये छोटी इकाईयाँ हैं और विकसित देशों में एस०एम०ई० की तुलना में हमारे बड़े स्तरीय उद्योग छोटे हैं। यू०एस०ए० में छोटा व्यापार उसे कहते हैं जो कि 500 से कम व्यक्तियों को रोजगार प्रदान करे तथा जिसका वार्षिक लाभ 14 मिलियन डालर हो। सचमुच यू०एस०ए० का 90% व्यापार इस भाग में आता है। जो कि कुल रोजगार तथा नौकरी के 66% के लिए उत्तरदायी है। इसी तरह पश्चिम यूरोप में भी व्यापार इकाईयाँ हैं। हमको

अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार क्रिया में लचीलापन तथा स्वतंत्रता की आवश्यकता है ताकि बदलती नीति, अनुभव तथा विपणन व्यूह रचना के अनुसार हम ढल सकें।

22- अनिश्चित घटनाओं पर यथासम्भव नियन्त्रण: एक अनुमान के अनुसार अप्रैल 97 की ट्रक मालिकों के हड़ताल के कारण आयात-निर्यात व्यापार पर लगभग 600 करोड़ रूपया प्रतिदिन का नुकसान हो रहा था।¹ यदि इस प्रकार के हड़तालों को यथासम्भव न होने दिया जाय तो निश्चित ही हमारा निर्यात अधिक होगा।

उपरोक्त समस्याओं के अतिरिक्त

- I "वर्तमान समय में निर्यात ऋण पर देश में 13 से 17 प्रतिशत के बीच ब्याज लिया जाता है जबकि अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर औसत ब्याज दर सात से आठ प्रतिशत के बीच चल रही है। यहाँ तक की मलेशिया जैसे देश में ब्याज दर मात्र चार प्रतिशत है। यद्यपि विभिन्न रियायतों के द्वारा निर्यातकों को क्षतिपूर्ति दी जाती है, परन्तु फिर भी वे रियायतें बहुत कम हैं।
- II बैंकों में जरूरत के मुताबिक धन उपलब्ध नहीं हो पाता है। ऊँची शुल्क दरों के चलते जरूरी कच्चा माल महंगा होने से देश का निर्यात अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धी नहीं रहा पाता है।
- III निर्यातकों को 90 दिन से ज्यादा का रियायती कर्ज देने पर रिजर्व बैंक द्वारा लगाई गई रोक से भारतीय निर्यात माल विदेशी बाजार में पिटने लगेगा।²
- IV बांग्लादेश को रवाना होने वाला बेशुमार माल 15 से 20 दिन तक सड़कों पर पड़ा इंतजार करता रहता है। इसी तरह बंदरगाह और जहाजों की उचित सुविधाओं के अभाव में अमेरिका और कनाडा को जानेवाला निर्यात भी अटका पड़ा रहता है।
- V "अगर श्रमिक विवाद और ढाचागत दिक्कतें निर्यात उद्योगों के आड़े नहीं आती तो भारत का अनुमानित व्यापार घाटा पाँच अरब डालर की बजाए सिर्फ दो अरब डालर के

1 नार्दन इण्डिया पत्रिका, इलाहाबाद, 6-4-97

2 नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली, 22-12-1995, पृ० -12

बराबर होता। विभिन्न समस्याओं के कारण निर्यात उद्योगों को चालू वित्त वर्ष 1995-96 के दौरान 3.2 अरब डालर का घाटा हुआ है।”¹

VI पेट्रोलियम पदार्थों के दामों में वृद्धि से निर्यात पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इससे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यातकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। डीजल के दामों में 15 प्रतिशत वृद्धि से निर्यातकों को अपने सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने में जहाँ रेल और ट्रक का अधिक भाड़ा अदा करना पड़ेगा। वहीं पानी के जहाज से भेजे जाने वाले सामान के भाड़े में भी बढ़ोत्तरी से निर्यात व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

VII “भारतीय बन्दरगाहों की स्थिति ठीक नहीं है, ज्यादातर बन्दरगाह क्षमता से अधिक काम कर रहे हैं। भारतीय बन्दरगाहों पर भार के अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिशत 55 से 65 फीसदी के मुकाबले 120 से 135 फीसदी तक भार है। जहाजों के ठहरने और दोबारा जाने का औसत समय चार से दस दिन है जो कभी-कभी 60 दिन तक पहुँच जाता है। जबकि विश्व के अन्य बन्दरगाहों पर सामान्य तौर पर 6 से 48 घंटे लगते हैं।

भारतीय बन्दरगाह औसतन प्रतिदिन 10 से 12 कंटेनरों की व्यवस्था करते हैं जबकि दक्षिण एशिया के बन्दरगाहों में यह औसत 20 से 30 कंटेनरों का है। भारत में आयातित कार्गो के प्रचालन की लागत 500 से 520 डालर है, जबकि दक्षिण एशिया के अन्य बन्दरगाहों पर यह लागत 300 से 350 डालर आती है। सबसे ऊपर भारत में कस्टम स्वीकृति की लागत 120 से 200 डालर प्रति बाक्स है जबकि अमेरिका में यह केवल 50 से 100 डालर है।”²

“देश के विभिन्न बन्दरगाहों पर रूके माल से निर्यातकों को दोहरी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में विश्व बैंक द्वारा तैयार रिपोर्ट में कहा गया है कि बन्दरगाह पर माल छुड़ाने में देरी से निर्यातकों पर 875 करोड़ रुपये का बोझ पड़ा है। देरी से माल छुड़ाने का भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है। भारत का सबसे

1 नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली, 22-12-95, पृ० -12

2 दैनिक जागरण, वाराणसी, 30 मई 1996, पृ०- 9

बडा कन्टेनर पोर्ट भी कोलम्बों और करांची पोर्ट से कन्टेनर ट्रेफिक में अभी पीछे है। भारतीय बन्दरगाहों पर पोर्ट का व्यय भी पड़ोसी देशों जैसे चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैण्ड और सिंगापुर की तुलना में काफी अधिक है।”¹

VIII निर्यात को प्रोत्साहित करने में सरकारी नियम बाधक है। भारतीय निर्यातकों के सामने मेट, उच्च दर पर निर्यात साख, आधारभूत सुविधाएं एक बड़ी बाधा के रूप में सामने है। इसके कारण भारतीय निर्यातक प्रतिस्पर्धा का सही तरीके से सामना नहीं कर पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार मात्र दिल्ली जैसे शहर में 168 उत्पादन इकाइयों को प्रदूषण फैलाने के कारण बन्द करने का आदेश दिया गया।² निश्चित ही इन इकाइयों के द्वारा किया जाने वाला निर्यात बन्द हो जायेगा। यदि इन इकाइयों को बन्द करने के बजाय उन्हें प्रदूषण नियन्त्रण उपकरण लगाने को बाध्य किया जाता तो निश्चित ही सॉप भी मर जाता और लाठी भी न टूटती।

IX भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के डीन प्रोफेसर वी० रामचन्द्रैया के अनुसार “देश में विदेशी बाजारों में उत्पाद के विपणन की समुचित शिक्षा का अभाव है। भारत के व्यापार में विपणन की समस्याएं तो हैं ही साथ ही आधारभूत सुविधाओं का भी अभाव है। बन्दरगाहों और एयरपोर्ट पर भण्डारण की सुविधा, विद्युत, यातायात, संचार तथा प्रतिस्पर्द्धात्मक भावनाओं का विकास अभी अधूरा है। भारत में निर्यात सम्बन्धी कागजी कार्यवाई में भी देरी होती है जिससे निर्यात में बाधा उत्पन्न होती है।”³

X “भारत में सुविधाओं का अभाव व्यापारियों की राह में बाधा है। पश्चिम देशों के टूर आपरेटर्स ने बुनियादी और आधारभूत सुविधाओं के अभाव के लिए भारत सरकार की आलोचना की है। उनका कहना है कि भारत सरकार आधारभूत सुविधाएं मुहैया कराने में विफल रही है और इस वजह से उसे व्यापार से हाथ धोना पड़ रहा है। भारत में आधारभूत सुविधाओं के अभाव की वजह से व्यापारी दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की ओर

1 आज (वाराणसी) २६ अगस्त 1996, पृ०- 8

2 नार्दन इण्डिया पत्रिका, इलाहाबाद, 10-7-96

3 आज (वाराणसी), 26 अगस्त 1996, पृ०- 8

आकर्षित हो रहे हैं। इन देशों की अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि हो रही है। दक्षिणी देशों के दूर आपरेटरों का मानना है कि भारत के शहरों में स्वच्छ पेयजल और यातायात सुविधाओं का अभाव है। इसके अलावा भारतीय शहरों में होटल का किराया भी काफी अधिक है। हेमबर्ग स्थित इंस्टीट्यूट आफ इकोनोमिक्स रिसर्च के डा० कार्ल वोल्फगैंग के एक अध्ययन रिपोर्ट में कहा गया है कि व्यापारी अक्सर अचानक यात्रा की योजना बनाते हैं और वे इस यात्रा से अधिक से अधिक लाभ कमाना चाहते हैं। ये व्यापारी चाहते हैं कि उन्हें हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराई जाए। वे अपनी कंपनियों से भी लगातार सम्पर्क कायम रखना चाहते हैं। इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय यातायात और दूरसंचार की बेहतर सुविधा आवश्यक है। जर्मन के एक व्यापारी के अनुसार-भारत के शहरों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव है। इन शहरों में प्रदूषण की वजह से स्वास्थ्य खराब होने का भी खतरा बना रहता है। इसके अलावा नौकरशाही भी विदेशी व्यापारियों के काम काज में बाधा डालते हैं।¹

XI फूल निर्यात भारत के लिए नया व्यापार है और जिसमें अत्याधिक वृद्धि की सम्भावना है यूरोपीयन कमीशन द्वारा भारतीय फूल व्यापार पर 20% कर लगाया गया है जबकि अन्य विकासशील देश इससे मुक्त हैं।² यदि इस प्रकार की कठिनाइयों को दूर किया जा सके तो निश्चित ही हमारा निर्यात पहले की तुलना में बेहतर हो सकता है।

निराकरण हेतु सुझाव

निर्यात को बढ़ाने के लिए हमें निम्न लिखित दिशाओं में प्रयत्न करना चाहिये।

1- उत्पादन में वृद्धि: भारत जैसे देश में जहाँ जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, निर्यात अतिरेक उसी समय सम्भव है जब उन वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाया जाय जिनकी घरेलू और विदेशों में विस्तृत मांग है। जब तक उत्पादन नहीं बढ़ाया जाता, निर्यात अतिरेक सम्भव नहीं है। इस दृष्टि से विदेशी मांग एवं निर्यात योग्य वस्तुओं के उत्पादन में घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किया जाना चाहिए।

1 जनसत्ता, नई दिल्ली, 1 अप्रैल 1997, पृ०- 9

2 नार्दन इण्डिया पत्रिका, इलाहाबाद, 31-10-96

2- घरेलू उपभोग पर प्रतिबन्ध: "कुछ वस्तुओं को निर्यात के लिए पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए वित्तीय एवं अन्य तरीकों से घरेलू उपभोग पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिये। विदेशी मुद्रा अर्जित करने के लिए यह त्याग आवश्यक है"¹

3- अधिक प्रचार: भारत सरकार व व्यापारियों को विदेशों में भारतीय वस्तुओं का विज्ञापन एवं प्रचार करना चाहिए, जिससे कि वहाँ पर वस्तु की मांग उत्पन्न हो सके और उसको पूरा कर निर्यात को बढ़ाया जा सके।

4- वस्तुओं की लागतों में कमी तथा वस्तुओं की किस्म में सुधार: निर्माताओं को वस्तुओं की लागतों में कमी करनी चाहिए जिससे कि वस्तुएँ अन्तर्राष्ट्रीय लागतों पर तैयार हो सके और प्रतियोगिता में सफलता प्राप्त कर सकें। "विदेशों में राजनीतिक बाधाएँ, मुद्रा संकट, रूचि एवं फैशन में परिवर्तन तथा अन्य आर्थिक समस्याओं के कारण हमारे निर्यात व्यापार में स्थायित्व तथा गतिशीलता का अभाव रहा है तथा हमें विदेशों से कड़ी प्रतियोगिता का समाना करना पड़ा है।"²

विदेशों में प्रतिस्पर्धा से मुकाबला करने के लिए भारतीय निर्माताओं को अपनी-अपनी वस्तुओं की किस्मों, पैकिंग व डिजाइनों में सुधार करना चाहिए तथा किस्म नियन्त्रण पर विशेष ध्यान रखनी चाहिये जिससे कि विदेशियों को अपनी आशाओं के अनुरूप वस्तु मिल सके।

5- निर्यात उद्योगों की वित्तीय सहायता: विश्व बाजार में भारत को औद्योगिक दृष्टि से विकसित देशों के साथ समान स्तर पर प्रतियोगिता करनी पड़ती है। इन देशों के बड़े पैमाने के उद्योगों की लागत भारत की तुलना में कम होती है और कुछ मामलों में उनकी वस्तुएँ भी श्रेष्ठ होती हैं। भारत अपने निर्मित माल का निर्यात उसी समय बढ़ा सकता है जब कुछ चुनी हुई ऐसी औद्योगिक इकाइयों की स्थापना की जाय जिनके निर्यात की प्रबल एवं भारी पैमाने की सम्भावनाएँ हैं। इन उद्योगों को उदार शर्तों पर वित्तीय सहायता दी जानी चाहिए।

6- कच्चे माल का अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर उपलब्धता: निर्यात वस्तुओं के मूल्यों को प्रतिस्पर्धात्मक

1 डा० जे० प्रकाश एवं डा० वी०सी० सिन्हा- भारतीय कृषि, उद्योग, व्यापार एवं यातायात, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, १९८३, पृ०- 438

2 डा० जी०सी० सिंघई- अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, साहित्य भवन, आगरा, 1993, पृ०- 484

स्तर पर लाने के लिए यह आवश्यक है कि निर्यातित उद्योगों को आयातित कच्चे माल आदि को अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों पर उपलब्ध कराया जाय।

7- **मूल्यों में स्थिरता:** निर्यात में सुव्यवस्थित ढंग से वृद्धि करने के लिए मूल्यों में स्थिरता लाना आवश्यक है। जब तक आन्तरिक लागत मूल्य स्तरों को काफी सीमा तक कम नहीं किया जायेगा तब तक निर्यातकों की वास्तविक प्राप्तियों में कमी रहेगी और इसका परिणाम यह होगा कि निर्यातकों से प्राप्त साधनों का उत्तरोत्तर अधिक उपयोग देश में बेची जाने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए किया जाता रहेगा।

8- **क्षमता में वृद्धि:** निर्यात क्षेत्रों की पहचान होने के बाद यह भी देखा जाना चाहिए कि क्या निर्यातों की मांग पूरी करने के लिए वर्तमान क्षमता पर्याप्त है? किसी भी वस्तु का निर्यात उसके घरेलू उत्पादन तथा घरेलू मांग पूरी होने पर बचे हुए अतिरेक पर निर्भर रहता है। अतः उत्पादन क्षमता का होना निर्यात के लिए पूर्व शर्त है। अतः जब तक उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ायी जाती हमारे निर्यातों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। इस दृष्टि से निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र दोनों में उचित विनियोग नीति निर्धारित की जानी चाहिए।

9- **कच्चे माल की निरन्तर उपलब्धि:** निर्यात में वृद्धि करने के लिए मुख्य कच्चे मालों की भावी मांग को ध्यान में रख कर उनकी मात्राओं का अनुमान लगाया जाना चाहिए और उनकी निरन्तर उपलब्धि की व्यवस्था होनी चाहिए। पिछले कुछ वर्षों से हमारे निर्यात करने वालों की यह एक बड़ी शिकायत रही है कि उन्हें आवश्यकतानुसार कच्चा माल प्राप्त नहीं हो पाता। अतः कच्चे माल का ठीक प्रबन्ध करना आवश्यक है।

10- **उद्योग और सरकार के बीच सहयोग:** निर्यात सम्भावनाओं का पूरा प्रयोग करने के लिए उद्योगों तथा सरकार के बीच काफी सहयोग और तालमेल का होना भी जरूरी है। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को जिनमें भारी पूँजी लगी हुई है, निर्यात वृद्धि की दिशा में सार्थक भूमिका निभाने योग्य बनाया जाना चाहिए। यह भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि लोक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के बीच निर्यात के मामले में प्रतिस्पर्धा का मौका न आने दिया जाय।

11- नवीन तकनीक और तकनीक हस्तान्तरण: कोई देश किन वस्तुओं का निर्यात कर सकता है यह प्राकृतिक साधनों की मात्रा एवं प्रकार के साथ-साथ तकनीकी विकास पर निर्भर करता है। पुरानी व रूढ़िवादी तकनीकों के साथ काम करते हुए किसी भी देश के लिए विश्व व्यापार में अपना स्थान बनाये रखना सम्भव नहीं है। हम पुरानी व परम्परागत तकनीकों का ही उपयोग कर रहे हैं जिसके कारण आज हमारी ऊँची लागत वाली घटिया किस्म की वस्तुएँ विश्व बाजार में आधुनिक तकनीकों द्वारा उत्पादित क्षेष्ठ किस्म की सस्ती वस्तुओं के साथ मुकाबला नहीं कर पा रही हैं। अतः यदि हमें विदेशों में अपनी वस्तुओं के लिए बाजारों का विकास करना है तो यह आवश्यक है कि हम उत्पादन की आधुनिक तकनीकों को अपनाएँ।

पश्चिमी आस्ट्रेलिया सरकार और भारतीय ऊन मिल्स संघ के बीच 11 सितम्बर 1996 को एक समझौता हुआ है, जिसके अन्तर्गत ऊन उत्पादन की आस्ट्रेलियन तकनीक भारतीय ऊन मिल्स को हस्तान्तरित की जायेगी।¹ निश्चित ही इस प्रकार के समझौतों से भारत में बेहतर किस्म की ऊन निर्यात होगा।

12- निर्यात-आयात नीति में स्थिरता: निर्यातो में वृद्धि करने के लिए हमारी निर्यात-आयात नीति में गतिशीलता आनी चाहिए। प्रतिवर्ष के आधार पर इन नीतियों का निर्माण करने से दीर्घकालीन निर्यात सौदे करने में अनिश्चितता पैदा होती है तथा छोटे निर्यातकों को इससे विशेष कठिनाई होती है, अतः तीन या चार वर्ष की अवधि के लिए नीति निर्धारित की जानी चाहिए तथा इस अवधि में परिवर्तन न्यूनतम होना चाहिए।

13- निर्यात प्रोत्साहनों को अधिक युक्तिसंगत बनाना: सरकार द्वारा दिये जाने वाले निर्यात प्रोत्साहनों को इस प्रकार तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए कि उद्यमी लागत में कमी कर सकें तथा उत्पादन में सुधार कर अपने माल को विदेशी बाजार में प्रतियोगिता के योग्य बना सकें। सरकारी कानून में इस प्रकार का परिवर्तन किया जाना चाहिए कि निर्यात-लाभ को आयात कर से मुक्त किया जा सके अथवा उसमें अधिक से अधिक छूट दी जा सके। अन्य प्रोत्साहनों में विदेशों से कच्चे माल का आयात, वित्तीय सुविधाएँ, तटकरों में कटौती, अनावश्यक विलम्ब की समाप्ति आदि

को शामिल किया जा सकता है।

14- **निर्यात की सम्भावनाओं का उपयोग:** भारत को हस्तशिल्प तथा हथकरघा उत्पादों को विकसित करना चाहिए क्योंकि विदेशों में इनकी मांग बढ़ा रही है। इसी प्रकार इस्पात, सीमेण्ट, इलेक्ट्रानिक्स और इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात का भी विस्तृत क्षेत्र है। अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति के कारण भारत पश्चिमी एशियाई देशों को निर्यात करने की लाभजनक स्थिति में है। साथ ही पूर्वी यूरोप के देशों में भी निर्यात की काफी गुन्जाइश है।

15- **सरकार द्वारा निर्यातों का सुव्यवस्थित नियोजन:** सरकार को दीर्घकालीन नियोजन में निर्यातों एवं उससे सम्बन्धित उद्योगों में विनियोग करने की नीति का समावेश करना चाहिए एवं निर्यात-नियोजन एवं इसके कार्यान्वयन का प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध होना चाहिए। विदेशों में विपणन संस्थानों का निर्माण भी करना चाहिए। निर्यातों की दीर्घकालीन योजना बनाते समय विभिन्न निर्यात क्षेत्रों की सही पहचान की जानी चाहिए तथा अनेक निर्यात बढ़ाये जाने की नीति निर्धारित होना चाहिए ताकि हम यह जान सकें कि कृषि, वन सम्पदा, पशुधन, निर्माण उद्योग आदि में क्या उत्पादन क्षमता है।

16- **श्रम-गहन वस्तुओं के निर्यात को प्रोत्साहन:** विकसित देशों में श्रम-लागत इतनी अधिक है कि ये देश पूँजी प्रधान वस्तुओं के उत्पादन की ओर झुक रहे हैं। अतः इन देशों में श्रम प्रधान वस्तुओं का अच्छा बाजार है। इसे दृष्टि में रखते हुए अमरीका और यूरोपीय आर्थिक समुदाय के देशों में श्रम-गहन तकनीक से निर्मित इंजीनियरिंग वस्तुओं के निर्यात के अच्छे अवसर हैं। हमें इन देशों से अधिमान की सामान्य प्रणाली का लाभ भी मिल सकता है, जिसका उद्देश्य विकासशील देशों के निर्मित माल के निर्यात को प्रोत्साहन देना है।

17- **निर्यात में विविधता:** भारत के लिए निर्यात में विविधता और नई मण्डियाँ ढूँढना अत्यन्त आवश्यक है। भारत को विदेशी माँग के अनुसार नए-नए पदार्थों का विकास करना चाहिए। हमारे पास कई एक ऐसे कच्चे पदार्थ हैं- कच्चा लोहा, एल्युमिनियम इत्यादि- जिनसे हम अर्द्धनिर्मित अथवा निर्मित वस्तुएँ विदेशों को भेज सकते हैं। अतः इस ओर सरकार को विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

निर्यात में विविधता लाने के लिए भारत से खली, चीनी व डिब्बे में बन्द मछलियों का निर्यात बढ़ाया जा सकता है। नई वस्तुओं में साइकिलों, कपड़ा सीने की मशीनों, बिजली की मोटर, मशीन टूल्स, दवाएँ, औद्योगिक मशीनरी, प्लास्टिक का सामान व अन्य निर्मित माल का निर्यात बढ़ाया जाना चाहिए। भारत से फलफूल व सब्जी, कच्चा लोहा, समुद्र से प्राप्त होने वाली वस्तुओं आदि का निर्यात बढ़ाना चाहिए। हमें विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करना चाहिए क्योंकि अपने वन पहाड़, नदियों के ऐतिहासिक स्मारकों की वजह से यह देश पर्यटकों के लिए स्वर्ग तुल्य बनाया जा सकता है।

नई वस्तुओं के उत्पादन और विकास के साथ हमें नये बाजारों की खोज में भी संलग्न रहना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन व पश्चिमी यूरोप के परम्परागत बाजारों में भारत के निर्यातों में एक महत्वपूर्ण वृद्धि की आशा करना उचित नहीं है।

भविष्य में दक्षिण-पूर्वी एशिया, पश्चिमी एशिया और अफ्रीका की ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। इन देशों को अपने आर्थिक विकास के लिए पूँजीगत सामानों व कच्चे माल की काफी आवश्यकता होगी, भारत, जापान व केन्द्रीय नियोजित अर्थ-व्यवस्था वाले देशों से निर्यात व्यापार काफी बढ़ सकता है। केन्द्रीय नियोजित अर्थ-व्यवस्था वाले देशों में व्यापार बढ़ाने से हमारे निर्यात व्यापार में स्थिरता भी आयेगी।

18- अच्छे निर्यातकों को प्रोत्साहन: निर्यात व्यापार में अच्छे योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया जाता है, परन्तु अभी भी उस दिशा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। इसलिए जो लोग निर्यात क्षेत्र में अच्छे परिणाम दिखाते हैं, उनकी सराहना की जानी चाहिए। ऐसे क्षेत्र जो अभी तक निर्यात व्यापार में अभी नहीं आये हैं, उन्हें भी निर्यात व्यापार में लाने की आवश्यकता है।

19- निर्यातकों द्वारा लापरवाही एवं धोखाधड़ी: भारतीय निर्यातक आयातकों को घटिया व नकली मालों के अलावा निम्न गुणवत्ता वाले मालों की आपूर्ति करते हैं, इसलिये सरकार को उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिये। घटिया मालों की आपूर्ति करके देश को बदनाम करने वाले गुनाहगार निर्यातकों को बख्शा नहीं जाना चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि मालों की गुणवत्ता

के नीति-निर्देशों व मापदंडों से संबन्धित कानूनों में संशोधन भी किया जाना चाहिए।

दुबई और अबूधाबी, जो कि दुनिया का सबसे अच्छा सामान उपभोग में लाते हैं, उनको हमारे यहाँ से मटन निर्यात किया जाता है। हमारे निर्यातक उनमें भेड़ एवं भैंस का मांस मिला देते हैं। उसी प्रकार से आम के डिब्बों में ऊपर अच्छा आम नीचे खराब आम भरा रहता है। कस्टर्ड और पावडर में धातु के टुकड़े मिला दिये जाते हैं।¹ इन लापरवाहियों को समाप्त किया जाना चाहिए।

20- निर्यातकों से निरन्तर सम्पर्क: निर्यातकों और सरकार के बीच अधिक सम्पर्क की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में रिजर्व बैंक एवं निर्यातकों की प्रति माह बैठक बुलाने की व्यवस्था की गयी है।

21- धनी देशों की प्रवृत्ति में परिवर्तन की आवश्यकता: धनी देशों की प्रवृत्ति में यदि परिवर्तन किया जाय तो विकासशील देशों का निर्यात और अधिक बढ़ सकता है। उदाहरण के लिए पश्चिमी देश गुणवत्ता का झूठा सहारा लेकर विकासशील देशों से आने वाले कृषि उत्पादों पर प्रतिबन्ध लगाना चाहते हैं।²

22- विदेशी प्रतिनिधियों का अधिकाधिक आगमन: विदेश के राष्ट्राध्यक्षों एवं प्रधानमन्त्रियों, आदि के आगमन के समय आयात-निर्यात की सम्भावनाओं पर विचार किया जा सकता है एवं इन्हें व्यावहारिक रूप दिया जा सकता है।

23- विदेशी कम्पनियों के योगदान को बढ़ावा: यदि विदेशी कम्पनियों का योगदान बढ़ाया जाय, जैसा कि उदारीकरण के अन्तर्गत विदेशी बीमा कम्पनियों को भारत में व्यापार करने की अनुमति दी जा रही है, तो निश्चित ही विदेशी व्यापार साख पहले की तुलना में अधिक मात्रा में उपलब्ध हो पा रही है।

24- निर्धन देशों को निर्यात पर अधिक बल: साउथ अफ्रीका जैसे देश जहाँ आज भी साइकिल विलासिता की वस्तु समझी जाती है। दूसरी तरफ यह भी सत्य है कि भारत साइकिल उत्पादन में विश्व में तीसरे नम्बर पर है।³ भारत को साउथ अफ्रीका जैसे देश को साइकिल निर्यात करने पर

1 फाइनेन्सियल एक्सप्रेस, नई दिल्ली, जुलाई 18, पृ०- 3

2 नार्दन इण्डिया पत्रिका, इलाहाबाद, 2-9-96

3 नार्दन इण्डिया पत्रिका, इलाहाबाद, 20-2-96

अधिकाधिक लाभ मिल सकता है।

25- **तस्करी पर नियन्त्रण:** एक अनुमान के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच गैर सरकारी व्यापार (तस्करी) लगभग 2,000 करोड़ रुपये प्रति वर्ष है, जबकि सरकारी व्यापार 350 करोड़ रुपया प्रति वर्ष है।¹ यदि इस तस्कर व्यापार को सरकारी व्यापार में सम्मिलित कर लिया जाय तो निश्चित ही हमारा निर्यात अधिक होगा।

26- **निश्चित वस्तुओं के व्यापार को बढ़ावा:** एक अनुमान के अनुसार खिलौना बाजार में बहुत अधिक वृद्धि की सम्भावना है। खिलौनों में भी वीडियोगेम खिलौनों की बाजार का सबसे अधिक बढ़ने की सम्भावना है।² यदि इस व्यापार पर हमारी पकड़ मजबूत हो तो निश्चित ही हमारे निर्यात में वृद्धि सम्भव है।

“एक सर्वेक्षण के अनुसार पिछले पांच वर्षों के दौरान विश्व में खिलौनों और विभिन्न खेलों की बिक्री 31 प्रतिशत बढ़ी है। वर्तमान में खिलौनों व खेलों का विश्व कारोबार 66 अरब डालर से अधिक है, जिसमें 41 प्रतिशत हिस्सा अकेले अमरीका का है। जापान और ब्रिटेन का क्रमशः 15 और 4 प्रतिशत बाजार हिस्सा है। कुल कारोबार में से 30 प्रतिशत हिस्सा वीडियो गेम्स का है। वीडियो गेम्स का विश्व कारोबार 1991 के कारोबार से करीब 60 प्रतिशत बढ़कर 1995 में 21 अरब डालर पर पहुँच गया। सर्वेक्षण के अनुसार वर्तमान में खिलौनों का बाजार मुख्यतः समृद्धि देशों पर ही टिका हुआ है किन्तु विकासशील देशों में भी इसके विकसित होने की काफी संभावनाएं हैं। अगर इन संभावनाओं का भरपूर इस्तेमाल किया जाए तो खिलौनों का कारोबार दुगना किया जा सकता है। मौजूदा समय में उत्तरी अमरीका सबसे बड़ा बाजार है और वीडियो गेम्स पर खर्च आठ अरब 75 करोड़ डालर का है। उत्तरी अमरीका और जापान विश्व में वीडियो गेम्स पर होने वाले कुल खर्च का 78 प्रतिशत खर्च करते हैं और यदि इनके साथ पश्चिम यूरोप को भी मिला दिया जाए तो यह खर्च 95 प्रतिशत पर पहुँच जाता है जबकि इन देशों में विश्व की मात्र 22 प्रतिशत जनसंख्या ही रहती है।”³

1 नार्दन इण्डिया पत्रिका, इलाहाबाद, 14-6-96

2 नार्दन इण्डिया पत्रिका, इलाहाबाद, 26-8-96

3 राष्ट्रीय सहारा, लखनऊ, 29 अगस्त 96, पृ०- 10

27- आधारभूत सुविधाओं में विदेशी योगदान: भारत एवं दुबई सरकार के संयुक्त प्रयासों से दुबई में इस तरह के योगदान स्थापित किये जा रहे हैं।¹ जिनमें भारतीय निर्यातकों का सामान पहले से ही भरा रहेगा और दुबई के आयातकों का आर्डर मिलने पर तुरन्त ही दुबई स्थित गोदाम से सामान सप्लाई कर दिया जायेगा। इस प्रकार निर्यात आदेशों की पूर्ति अबिलम्ब की जा सकती है।

28- अनियन्त्रित हानियों पर नियन्त्रण: झरिया कोल खदान में पिछले 50 वर्षों से लगे आग के कारण करोड़ों टन कोयले का नुकसान हो रहा है, जबकि समय-समय पर हम विदेशों से कोयला आयात करते रहे हैं। यदि इस आग पर नियन्त्रण पाया जाय तो हमारी बहुमूल्य विदेशी मुद्रा की बचत हो सकती है, जिसे निर्यात व्यापार के बढ़ावा के लिये प्रयोग किया जा सकता है।

29- न्यूनतम आयात प्रतिबन्ध: निर्यात बढ़ाने के लिए हमारे प्रयत्न तभी सफल हो सकते हैं जब विकसित देश उदार आयात नीति अपनाएँ और विकासोन्मुख देशों की बनी हुई वस्तुओं का स्वागत करें। विकासशील देशों का निर्यात सम्वर्द्धन कार्यक्रम तभी सफल हो सकता है जब विकसित देश आयात सम्वर्द्धन कार्यक्रम अपनाएँ।

उपरोक्त सुझावों के अतिरिक्त

- I
 - (A) "निर्यात प्रक्रिया की सभी प्रमुख खामियों को दूर किया जाना चाहिए।
 - (B) देश के आर्थिक विकास को बरकरार रखने के लिये निर्यात को उद्योग का प्रमुख हिस्सा समझा जाना चाहिये।
 - (C) निर्यात को प्रोत्साहित करने वाली कम्पनियों को पुरस्कृत किया जाना चाहिये।
 - (D) जो कम्पनियाँ, निर्यात को बढ़ावा नहीं देती उन्हें दंडित किया जाना चाहिए।"²
- II व्यापार और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार को चुँगी कर तथा बिक्री कर जैसे आपत्तिजनक करों को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि इनसे व्यापार में बाधा पड़ती है।
- III खुली अर्थव्यवस्था तथा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए देश में बन्दरगाहों, सड़कों, ऊर्जा

1 नार्दन इण्डिया पत्रिका, इलाहाबाद, 6-5-97

2 अमृत प्रभात, इलाहाबाद, 25 दिसम्बर 1995, पृ०- 8

तथा ऐसे ही अन्य क्षेत्रों के निजीकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए।

- IV तेजी से आर्थिक विकास के लिये देश में बचत में वृद्धि, ऋण में कमी तथा निर्यात को बढ़ावा दिया जाना चाहिये।
- V धनी देशों की संरक्षणवादी नीति में कमी व्यापार समझौतों के द्वारा की जा सकती है।
- VI एशिया और अफ्रीका के गरीब देशों को कपड़े के बजाय कपड़े की मशीनें बेची जा सकती हैं। इराक, जो कि युद्ध में बुरी तरह से नष्ट हो चुका है, उसमें आधुनिकीकरण तीव्रगति पर है। वहाँ आधारभूत उद्योगों के लिए आवश्यक सामान की बहुत अधिक मांग है। हमें अपना ध्यान उस दिशा में देना चाहिये।
- VII दिल्ली निर्यातक संघ के अनुसार निम्न उपाय करने पर 1998 तक भारतीय निर्यात में 50% तक की वृद्धि हो सकती है-
- (i) रेप लाइसेन्स एवं एक्विजिशन स्क्रिप्स में व्यापार कर में कमी
 - (ii) नियमित पावर आपूर्ति
 - (iii) औद्योगिक प्लांटों को पुनर्किराये पर देना
 - (iv) भाड़ा ढोने की जहाजी सुविधा में वृद्धि।¹
- VIII दिल्ली निर्यातक संघ के अनुसार दिल्ली में न्यूयार्क की तरह एक बड़ा भवन निर्मित हो रहा है, जिसमें 500 निर्यातकों के शो रूम एवं निर्यात सम्बन्धित कार्यालय स्थापित होंगे।
- भारतीय उद्योग कन्फेडरेशन ने जिम्बाबवे के साथ एक समझौता किया है जिसके तहत दोनों देश के छोटे एवं मध्य वर्ग के उद्यमियों को एक दूसरे देश की तकनीकी ज्ञान का आदान-प्रदान होता रहेगा²
- IX निर्यात में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले आयात-निर्यात बैंक की पूँजी 500 करोड़ से बढ़ाकर 1,000 करोड़ करने का प्रस्ताव है, जिससे कि निर्यातकों को और अधिक ऋण

1 नार्दन इण्डिया पत्रिका, इलाहाबाद, 12-5-97

2 नार्दन इण्डिया पत्रिका, इलाहाबाद, 6-11-96

की सुविधा प्रदान की जा सके।¹

- X पी०एच०डी०सी०सी०आई० के अनुसार सेवा निर्यात, जो कि सन 2000 तक पूरे निर्यात का 40% तक पहुँच जायेगा, उस पर अधिक बल देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ सेवा को ठीक तरह से परिभाषित करने की भी आवश्यकता है, जिससे सेवा निर्यात आसान एवं अधिकाधिक हो सके।²
- XI भारत के निर्यात व्यापार को बढ़ाने के लिए विपणन का ज्ञान आवश्यक है देश में कई ऐसी वस्तुएं हैं जिनकी निर्यात बाजार में अच्छी मांग है लेकिन उत्पादकों एवं निर्यातकों को विपणन की अच्छी जानकारी नहीं होने से निर्यात में क्षमता के अनुसार वृद्धि नहीं हो रही है "भारतीय विदेश व्यापार संस्थान के डीन प्रोफेसर वी० रामचन्द्रैया के अनुसार देश से बल्क निर्यात की जगह मूल्यवर्धित उत्पादों का निर्यात होना चाहिए। निर्यात के लिए प्रमुख वस्तुओं में रेडीमेड गारमेन्ट, कपड़ा, चावल, चाय, काफी, मसाला, आयाल केक, पत्थर उत्पाद, लौह अयस्क, चमड़ा एवं उत्पाद, हस्तशिल्प, इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रानिक आदि वस्तुएं शामिल हैं। हमारे उत्पाद के सशक्त बाजारों में अमेरिका, जापान, ब्रिटेन, पूर्व सोवियत गणराज्य के देश आदि प्रमुख हैं। निर्यात के लिए नये बाजार भी खुले हैं, जिनमें दक्षिण अफ्रीका, इसरायल, ताइवान, आस्ट्रेलिया, ब्राजील और मध्य पूर्व देश शामिल हैं, जहाँ भारतीय निर्यात की काफी सम्भावनाएं हैं। उन्होंने कहा कि निर्यात के लिए उत्पादन, गुणवत्ता और उत्पाद के प्रस्तुतीकरण पर विशेष जोर देना चाहिए। बेहतर पैकेजिंग भी निर्यात में सहायक है। जिन क्षेत्रों में निर्यात की सम्भावना है उसमें विदेशी निवेश पर बल देना चाहिए। नौवीं पंचवर्षीय योजना में निर्यात बढ़ाने के लिए तीन लक्ष्य होने चाहिए जिनमें निर्यात के लिये नये उत्पादों को ज्ञात करना, निर्यात लक्ष्य निर्धारित करना और विपणन पर जोर देना शामिल हैं।"³
- XII देश के निर्यात को विश्वस्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए उपयुक्त ब्याज दरों में

1 नार्दन इण्डिया पत्रिका, इलाहाबाद, 21-5-97

2 नार्दन इण्डिया पत्रिका, इलाहाबाद, 7-7-96

3 आज (वाराणसी), 26 अगस्त 96, पृ०- 8

सामयिक ऋण उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना चाहिये।

- XIII अगर अर्थव्यवस्था और खासतौर पर निर्यात में वृद्धि दर बरकरार रखनी है तो सरकार को ढांचागत सुविधाओं पर विशेष ध्यान देना चाहिये।
- XIV "कैरिनियन और लातिन अमेरिकी देशों का विश्व व्यापार में पांच प्रतिशत हिस्सा है और वहाँ के बाजारों में भारत की उपस्थिति लगभग नगण्य है। इसलिए इन देशों को निर्यात करने वाली कम्पनियों को निर्यात घरानों के रूप में मान्यता देने जैसे कदमों की सख्त जरूरत है। शुल्क मुक्त लाइसेंसो पर आयात के लिए सीमाशुल्क में रियायत दिया जाना चाहिये।"¹
- XV देश की निर्यात आय बढ़ाने में योगदान के लिए भारतीय बन्दरगाहों पर बुनियादी सुविधाओं का विकास और इलैक्ट्रानिक व्यवसाय प्रणाली शुरू की जानी चाहिए। देश में मूलभूत क्षेत्र का तेजी से विकास किया जाना चाहिए। विदेशों में बड़े स्तर पर इलैक्ट्रानिक व्यावसाय प्रणाली इस्तेमाल की जाती है। समय और धन दोनों की बचत को ध्यान में रखते हुए इस प्रणाली का प्रचलन भारत में भी शुरू किया जाना चाहिए। इस प्रणाली से कागज की भारी बचत तो होगी ही अधिकारियों को खेप का निरीक्षण करने में कोई विशेष परेशानी नहीं होगी। इस प्रणाली से निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता का निरीक्षण किया जा सकेगा और यह बात सुनिश्चित की जा सकेगी कि हल्के स्तर की वस्तुएं तो निर्यात नहीं की जा रही हैं।

"देश में विशेषकर निर्माण विकास तथा छोटे बड़े बन्दरगाहों के बीच सड़क सम्पर्कों को सुधारने में धन उपलब्ध कराने के लिए ढांचागत विकास निगम बनाना चाहिये। राज्य स्तर पर ऐसे निगमों की स्थापना के लिए केन्द्र सरकार की तरफ से पहल किया जाना चाहिए। प्रस्तावित निगमों को दीर्घकालीन रणनीत और विभिन्न स्रोतों से संसाधन जुटाना चाहिए। विकास राष्ट्रीय राजमार्गों और बन्दरगाहों के रख-रखाव कार्यक्रम के लिए बजट में उपलब्ध संसाधनों से वास्तविक जरूरतें पूरी नहीं हो पाती। इसलिये प्रस्तावित निगमों को बैंकों से राशि मिलनी चाहिए।"²

1 नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली 22-12-95, पृ०- 12

2 नवभारत टाइम्स, नई दिल्ली, 19 दिसम्बर 1995, पृ०- 10

“निर्यात प्रोत्साहन का रूप नकद सहायता न होकर करों में रियायत और निर्यातकों के निर्यात वृद्धि के प्रयत्नों के फलस्वरूप प्राप्त अतिरिक्त विदेशी मुद्रा की राशि के प्रयोग में अधिक स्वतंत्रता के रूप में होना चाहिए। विदेशी मुद्रा के निर्यात उद्योगों के लिए कच्चे माल तथा अन्य वस्तुओं के आयात हेतु उपयोग के अतिरिक्त अन्य उपयोगों की भी छूट मिलनी चाहिए।”¹

भारत विकसित राष्ट्रों के मुकाबले में अनेक कृषि वस्तुओं जैसे- फल, सब्जियाँ, फूल आदि के निर्यात में अधिक सफल हो सकता है। इसी प्रकार सरकार विशाल मात्रा में कच्चा लोहा, मैंगनीज और मछली के निर्यात में सफलता प्राप्त कर सकती है। भारत के निर्यात विपणन में भी बहुत सुधार की आवश्यकता है। उत्पादन के डिजाइन, पैकिंग आदि में सुधार कर विदेशी उपभोक्ताओं की रुचि के अनुकूल बनाना चाहिए। सरकार को अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते भी करने चाहिए। निर्यात आमुख उद्योगों में विदेशी निर्माताओं के साथ उत्पादन समझौतों को और अधिक प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। निर्यात वस्तुओं की किस्म नियन्त्रण पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। निर्यात वस्तुओं की किस्म अविश्वसनीय होने पर विदेशी क्रेताओं के विश्वास को ठेस पहुँचती है और वे उस वस्तु के साथ अन्य भारतीय वस्तुओं को भी संदेह की दृष्टि से देखने लगते हैं। सरकार को निर्यात प्रोत्साहन में चयन नीति अपनानी चाहिए, केवल उन्ही उद्योगों पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए, जिनमें निर्यात वृद्धि की संभावना अधिक रहती हो।

सरकार ने निर्यात प्राथमिकता के तौर पर 15 देशों के बाजारों की पहचान की है। इनमें अमरीका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन, हांगकांग, संयुक्त अरब अमीरात, बेल्जियम, इटली, दक्षिण अफ्रीका, रूस, बंगलादेश, सिंगापुर, हालैण्ड, फ्रांस और थाईलैंड शामिल हैं। दुनिया के 15 बाजारों में भारतीय निर्यात को बढ़ावा देने के लिये सरकार को निर्यात सलाहकारों अथवा संवर्धकों की सेवायें ली जानी चाहिये। विभिन्न दूतावासों में विभिन्न देशों में वहाँ के बाजार मांग के मुताबिक व्यावसायिक प्रतिनिधित्व होना चाहिये ताकि पहचान किये गये बाजारों में भारतीय निर्यातकों के हितों को सुरक्षित रखा जा सके।

1 डा० विष्णु दत्त नागर, डा० राम प्रताप गुप्त- आर्थिक विकास के सिद्धान्त एवं समस्याएं- दि मैक मिलन कंपनी आफ इंडिया लि० नई दिल्ली, 1977, पृ०- 482

विश्व में तेजी से बदल रहे आर्थिक परिवेश में भारत को विश्व बाजार में माल बेचने के लिए विदेशी कंपनियों से जबरदस्त मुकाबला करना पड रहा है। हम अपना माल तभी बेच सकते हैं जब उसकी गुणवत्ता बेहतर और दाम कम हो। इसलिए हमें अपनी ही औद्योगिक इकाईयों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों के रूप में स्थापित करना चाहिए। सार्वजनिक क्षेत्र में पर्याप्त क्षमता मौजूद है। उसका प्रभावी ढंग से इस्तेमाल करने की जरूरत है। हमें अपने कर्मचारियों की दक्षता और उपलब्ध मानव संसाधनों का पूरी तरह उपयोग करना चाहिए। इसके लिए हमें आपसी सहयोग से अपने संसाधनों का भरपूर इस्तेमाल करना चाहिये।

पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण पटसन की मांग बढ़ रही है। शुद्ध पटसन से निर्मित उत्पादों के अलावा विश्व बाजार में पटसन मिश्रित वस्तुओं को भी स्वीकार किया जा रहा है। यदि सरकार पटसन मिश्रित वस्तुओं के निर्यात पर ध्यान दे तो विश्व बाजार में अधिक से अधिक पटसन से बनी वस्तुओं का निर्यात किया जा सकता है।

हस्तशिल्प वस्तुओं में शामिल करीब आठ प्रकार की चीजों को विदेशी खरीदारों से समर्थन मिल रहा है। इनमें कालीन, कृत्रिम आभूषण, तांबा से बनी वस्तुएं और लकड़ी की नक्काशी का सामान है। हालैण्ड और जापान कालीन के पारम्परिक खरीदारों में शामिल हो गये हैं। धातु से बनी वस्तुओं ने आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में अपनी पहचान बनायी है। कालीन, कृत्रिम आभूषण, तांबा से बनी वस्तुएं और लकड़ी की नक्काशी के सामानों का विदेशों में काफी मांग है। अगर सरकार इन वस्तुओं के निर्यात पर ध्यान दे तो इनका अधिक से अधिक निर्यात किया जा सकता है। जापान और हालैण्ड में कालीन की मांग को देखते हुए सरकार वहाँ पर कालीन का निर्यात बढ़ा सकती है। आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका में धातु से बनी वस्तुओं के नये बाजार को देखते हुए सरकार को वहाँ पर धातु से निर्मित वस्तुओं का अधिक से अधिक निर्यात करने का प्रयास करना चाहिये।

शतब्दी के अन्त तक विश्व निर्यात में भारत की भागीदारी एक प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए बुनियादी सुविधाओं पर सर्वाधिक ध्यान दिया जाना चाहिये। भारत को अभी सही मायने में अपनी अर्थव्यवस्था को नयी बाजार अर्थव्यवस्था के अनुरूप ढालना है। यह काम निश्चित समयावधि में

पूरा किया जाना चाहिए। अगले पाँच वर्षों में भारत को निर्यात में सात से दस अरब डालर प्रतिवर्ष की वृद्धि हासिल कर वर्ष 2000 तक 75 अरब डालर का निर्यात लक्ष्य हासिल करना है। बुनियादी सुविधाओं जैसे- सड़क बन्दरगाह, आवागमन के साधन, बिजली आदि के अभाव में क्षमता के मुताबिक निर्यात नहीं हो पा रहा है। इसके लिए बुनियादी सुविधाओं के विकास में निजी क्षेत्र में भी निवेश को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। अनवरत निर्यात वृद्धि के लिए भारतीय उत्पादों को प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर विश्व बाजार में उपलब्ध कराना चाहिए। इसके लिए सरकार और उद्योगों के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध बनाये जाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

नये-नये उभरते बाजारों और उत्पादों की विपणन सम्भवनाओं का पता लगाने के लिए वाणिज्य एवं उद्योग मण्डलों को सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। “विश्व निर्यात में भारत की छवि बनाने के लिए सरकार एक ‘इंडिया ब्राण्ड इक्विटी फण्ड’ शुरू कर रही है। ‘इंडिया ब्रांड इक्विटी फण्ड’ भागीदारी करने पर रियायतों का स्वरूप निर्धारण करने के लिए सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया है।”¹ अधिकाधिक निर्यात वृद्धि के लिए उदार और खुली नीतियाँ अपनाना चाहिये। सकल घरेलू उत्पाद में आयात-निर्यात की 30 प्रतिशत हिस्सेदारी को खुली बाजार अर्थव्यवस्था का अच्छा सूचक माना जाता है, लेकिन भारत के मामले में यह हिस्सेदारी सकल घरेलू उत्पादों का मात्र 18.7 प्रतिशत ही है। निर्यात वृद्धि के लिए आधारभूत सुविधाओं का विकास और प्रशासनिक सहयोग, शुल्क और दरों को उपयुक्त स्तर पर लाना तथा धन की लागत को कम करना चाहिये।

विश्व व्यापार के स्वरूप में तेजी से आ रहे बदलाव के कारण लघु निर्यातकों के एक संगठन या समूह का गठित होना आवश्यक है। इससे विदेशी मुद्रा की कमाई में काफी वृद्धि हो सकती है। जब निर्यात कम्पनियाँ विदेशी आर्डर को पूरा करने में असफल रही हैं। तब इसका कारण या तो आर्डर के आकार का बड़ा होना था या विपणन पर होने वाले उच्च लागत खर्च था, जिसे लघु कंपनियाँ अकेले नहीं सह सकती थी। ऐसी स्थिति में लघु निर्यात कंपनियों का एक समूह गठित होना आवश्यक है।

कपड़ा तथा बलेडड यार्न के क्षेत्र में जहाँ विकसित देशों के उत्पादन में गिरावट आयी हैं वही भारत के कपड़ा व्यापार के लिए अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में नयी सम्भावनाओं का सृजन हुआ है। भारत में सस्ती मानव श्रम शक्ति उपलब्ध होने के कारण मानव निर्मित धागे व अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में निर्यात करने की अत्यधिक सम्भावनाएँ मौजूद हैं, जिसके लिये किसी प्रकार का आधारभूत ढाँचा तैयार किये जाने की जरूरत है। अमरीका जैसे बड़े राष्ट्रों में सूती वस्त्र की मांग निरंतर बढ़ती जाने से भी भारत के लिए निर्यात की और सम्भावनाएँ बढ़ रही हैं। पाकिस्तान, चीन और फिलिस्तीन आदि एशियाई विकसित राष्ट्रों में वस्त्र उत्पादन में गिरावट के साथ ही भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो गयी है। भारत द्वारा किये जाने वाले कुल निर्यात में 30 प्रतिशत हिस्सा वस्त्र निर्यात से हो रहा है। मानव निर्मित धागे के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार को मिश्रित धागे के पोलिस्टर के साथ मिलाये जाने वाले तत्व 'विसकोज' पर से शुल्क कम करना चाहिए।

भारत का वस्त्र उद्योग बहुत प्राचीन है तथा कपास के मामले में भी अन्य राष्ट्रों के मुकाबल भारत अधिक समृद्ध है, इसके अलावा यहाँ पर कुशल और अर्द्धकुशल श्रमिक आसानी से मिल जाते हैं। अतः हमारे यहाँ गुणवत्ता की ओर पूरा ध्यान दिया जाये तो इसका उत्पादकों को भारी लाभ मिल सकता है।

विकासशील देशों में विकसित देशों की अपेक्षा सूती वस्त्रों की खपत में कमी आ रही है। आर्थिक सुधार कार्यक्रमों और उदारीकरण की नीति अपनाने से इसमें खपत बढ़ सकती है। भारत में औसतन 15 वर्ग मीटर कपड़े की प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत है। अमरीका में यह 90 मीटर प्रतिव्यक्ति वार्षिक खपत है। इसी प्रकार ब्रिटेन में तथा अन्य यूरोपीय राष्ट्रों में 75 मीटर प्रति व्यक्ति वार्षिक खपत है। लोगों के जीवन स्तर और आय के स्तर में वृद्धि के साथ ही यह भी आवश्यक है कि वस्त्रों में भी प्रति व्यक्ति खपत बढ़े। आय में वृद्धि विकसित देशों में यह खपत 5 प्रतिशत से बढ़कर 20 प्रतिशत प्रति व्यक्ति वस्त्रों की खपत बढ़ सकती है। इसकी पूर्ति के लिए कच्चे माल के निर्यात के स्थान पर विकसित देशों को तैयार माल भेजने पर अगर जोर दिया जाये तो हमें अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त हो सकती है। यदि सरकार आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराये एवं रियायत प्रदान करे तो भारत का सबसे प्राचीन वस्त्र उद्योग और धागा उद्योग अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में

अत्यधिक ख्याति प्राप्त कर सकता है।

वर्तमान में कपड़ा, वस्त्र और हस्तशिल्प वस्तुओं का निर्यात वर्ष में दस अरब डालर अर्थात् 35,000 करोड़ रुपये के करीब है। इसमें आधे से अधिक निर्यात केवल सिले-सिलाये वस्त्रों का होता है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि इस शताब्दी के अंत तक यह निर्यात बढ़कर 40 अरब डालर हो जाए। इसके लिए रणनीति और योजना बनाने तथा उस पर काम करते हुए विश्व में लोकप्रिय डिजायन तैयार कर उत्पादन बढ़ाना होगा। तभी हम यह लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं।

सरकार कपड़ा नहीं बनाती और न ही वस्त्रों के डिजायन तैयार करती है। वह केवल नीति बनाती है, इसलिए सरकार नई आर्थिक नीति के तहत इस उद्योग को मदद कर रही है। सरकार की आर्थिक उदारीकरण की नीति के तहत इस शताब्दी के अंत तक विदेशी डिजायनर भी देश में आ जायेंगे जिनसे हमारे उद्योग का कड़ा मुकाबला होगा। अतः हमें इस चुनौती के लिए अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिये। हमें सूती, ऊनी अथवा सिल्क का उत्पादन बढ़ाने पर विशेष ध्यान देना चाहिए। हमें कृत्रिम धागे से बने कपड़ों का देश में अधिक इस्तेमाल करना चाहिए तथा सूती कपड़ा और वस्त्रों का निर्यात करना चाहिए। चीन, वियतनाम और कम्बोडिया आदि देश हमारे कपड़ा उद्योग को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। वर्ष 2004 के बाद कोटा पद्धति नहीं होगी तब वही देश विश्व बाजार में अपना माल बेच सकेगा जो कड़ी प्रतिस्पर्धा में खरा उतरेगा। अभी हमारे पास आठ वर्ष हैं, हम उस चुनौती के लिए अपने को तैयार कर सकते हैं।

विश्व में सिलाई मशीनों की खपत सबसे अधिक रूस और उसके बाद चीन में है। भारत के लिये रूस और चीन सिलाई मशीन के लिये सबसे बड़ा बाजार साबित हो सकता है। अगर सरकार सिलाई मशीनों के निर्यात पर ध्यान दे तो रूस और चीन में भारत का निर्यात बढ़ सकता है।

राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में लघु उद्योगों की प्रमुख भूमिका होती है। यदि लघु उद्योगों का प्रबन्धन ठीक प्रकार से हो, तो निश्चित रूप से भारतीय लघु उद्योग विदेशी वस्तुओं की प्रतिस्पर्धा का सफलता पूर्वक मुकाबला कर सकते हैं। लघु उद्यमी राज्य सरकार की सब्सिडी पर निर्भर न रहकर स्वावलम्बी बनें और अपने उत्पाद को इस स्तर का बनाएं, जिससे वे अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अपनी साख स्थापित कर सकें और भारतीय निर्यात में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकें।

“वर्ष 1995-96 के दौरान भारत के कम्प्यूटर हार्डवेयर और साफ्टवेयर निर्यात में रिकार्ड वृद्धि हुई है और अब यह क्षेत्र विश्व की अग्रणी कंपनियों को भारत में अपना परिचालन शुरू करने के लिए आकर्षित कर रहा है। भारत के कम्प्यूटर साफ्टवेयर निर्यात में वर्ष 1995-96 के दौरान अब तक का सर्वाधिक 80 फीसदी वृद्धि अर्जित की गयी। इनका निर्यात गत वर्ष के 1,474 करोड़ रुपये (47.5 करोड़ डालर) की तुलना में इस दौरान बढ़कर 2,650 करोड़ रुपये (79.10 करोड़ डालर) हो गयी है। आलोच्य अवधि में कुल उत्पादन में कम्प्यूटर हार्डवेयर का निर्यात हिस्सा 33 प्रतिशत (775 करोड़ रूपया) रहा जो कि पिछले वर्ष के निर्यात के मुकाबले 29 प्रतिशत अधिक है। इस वर्ष की उपलब्धि अब तक का सर्वाधिक रिकार्ड है, जिससे यह संकेत मिलता है कि विश्व बाजार में कम्प्यूटर साफ्टवेयर और कम्प्यूटर हार्डवेयर के लिये भारत को मान्यता मिल रही है। वर्तमान में भारत सभी पाँच महाद्वीपो में 75 देशों के लिये साफ्टवेयर की आपूर्ति कर रहा है जबकि गत वर्ष 67 देशों में निर्यात किया गया। नीदरलैण्ड्स, डेनमार्क, इंडोनेशिया, नार्वे एवं आस्ट्रिया जैसे 28 देशों में साफ्टवेयर निर्यात 100 फीसदी से अधिक बढ़ गया है। भारतीय साफ्टवेयर हेतु प्रमुख बाजारों के बीच अमेरिकी बाजार में 60 फीसदी वृद्धि हुई जबकि सिंगापुर में 51 फीसदी वृद्धि हुई थी।”¹ कम्प्यूटर हार्डवेयर और साफ्टवेयर क्षेत्र में बढ़ रहे निर्यात में वृद्धि दर को देखते हुए, सरकार को इस क्षेत्र में निर्यात की व्यापक संभावना को देखते हुए विशेष ध्यान देने की जरूरत है, जिससे हमारा निर्यात अधिक से अधिक बढ़ सके। भारत को अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धी उत्पादन आधार बनने के लिए एक स्पष्ट राष्ट्रीय नीति के साथ उत्पादन प्रक्रियाओं पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहिये। भारत निम्न श्रम लागत और कम कीमत के लिहाज से अन्य देशों की अपेक्षा लाभ की स्थिति में है। लेकिन बेहतर प्रशिक्षित इंजीनियरी, कुशल आधार और निर्यात के लिए कम लागत वाले उत्पादन आधार के साथ ही भारत को विश्व स्तर पर हार्डवेयर बाजार के रूप में विकसित करने के लिए सरकार और उद्योग द्वारा मिलकर प्रयास करने की आवश्यकता है।

“भारत दुनिया में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन गया है। नारियल उत्पादन में उसका दूसरा उत्पादन है। निर्यात के लिए फुलवारी उत्पाद सबसे बड़े क्षेत्र के रूप में उभरकर सामने

आया है। देश में बागवानी उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक समेकित प्रणाली विकसित की गई है। इसके तहत इनका उत्पादन क्षेत्र बढ़ाया गया है और फसलों का विविधीकरण किया गया है। इसके लिए पर्वतीय और तटीय क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया गया है। निर्यात पर सरकारी नियंत्रण जैसी बाधाएं समाप्त कर दी गई हैं। अब बीजों के आसान आयात की व्यवस्था की गई है। सौ फीसदी निर्यातोन्मुखी इकाईयों को आधारभूत संसाधन उपलब्ध कराने पर सरकार पर्याप्त ध्यान दे रही है।¹ दुनिया में फलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश बन जाने के कारण भारत के लिए विश्व बाजार में फलों का निर्यात करने का सुनहरा अवसर मौजूद है। इस अवसर का लाभ उठाते हुए सरकार को फलों तथा फुलवारी उत्पाद का निर्यात बढ़ाने का प्रयास करना चाहिये।

भारत सन 2001-2002 तक करीब 60 लाख टन इस्पात का निर्यात कर सकता है। इसलिये दक्षिणपूर्व एशिया और चीन में नये बाजारों की खोज की जानी चाहिये। दक्षिण एशिया में इस्पात की उपलब्धता में करीब 10 करोड़ टन की कमी का आकलन किया गया है। भारत की भौगोलिक स्थिति और दक्षिण एशिया के देशों के साथ बढ़ते सम्बन्धों के मद्देनजर भारत इस क्षेत्र में इस्पात के एक बड़े बिक्रेता के रूप में उभर सकता है। 1995-96 के उत्पादन के अनुसार भारत विश्व में इस्पात का नवां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इस वर्ष के दौरान भारत में इस्पात उत्पादन में 16.4 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है। विश्व बाजार में उपलब्ध अवसरों का लाभ उठाने के लिए भारत के इस्पात उद्योग को आधुनिकीकरण के जरिये अपनी उत्पादकता में बढ़ोत्तरी करनी चाहिये। दक्षिण एशिया में इस्पात की मांग बढ़ने का संकेत मिल रहा है, इसलिये जरूरी है कि भारत में इस्पात उद्योग में निवेश बढ़ाया जाए और उपलब्ध होने वाले अवसरों का लाभ उठाया जाए। भारत के पास कई रणनीतिक लाभ हैं जिनके जरिये भारत को विश्व बाजार में अपने प्रतिस्पर्धियों से बढ़त मिल सकती है। यहाँ पर घरेलू स्तर पर उच्च गुणवत्ता का लोहा अयस्क उपलब्ध है। जिसकी लागत भी कम है, श्रम सस्ता है और अच्छी तकनीकी विशेषज्ञता के चलते नयी तकनीकों को शीघ्र अपनाया जा सकता है। भारत में उत्पादकता का स्तर भी ठीक है। भारत में आर्थिक विकास के साथ अगले पांच सालों में निर्माण गतिविधियाँ बढ़ने की संभावना है। इससे लम्बे इस्पात उत्पादों

1 दैनिक जागरण वाराणसी (इलाहाबाद), 24-6-1996, पृ०- 8

के उत्पादन में, प्लैट उत्पादों के मुकाबले ज्यादा बढ़ोत्तरी की उम्मीद है। इस्पात उद्योग के मद्देनजर भारत में परिवहन ढांचे पर तत्काल ध्यान दिये जाने की जरूरत है। भारत के इस्पात उद्योग को अपना नजरिया बदलकर अवसरों का लाभ उठाना चाहिये ताकि भारत इक्कीसवीं सदी में विश्व बाजार में एक प्रमुख इस्पात उत्पादक और विक्रेता के रूप में उभर सके।

“अमेरिका में भारतीय दवाओं की भारी मांग है। अगर हमने अपने संचालन का स्तर नहीं सुधारा और नई दवाओं की खोज के लिए आधुनिकता का सहारा नहीं लिया तो हम अन्य देशों से बहुत ही पीछे रह जाएंगे। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से मुकाबला का एक ही रास्ता है कि हम भी विदेशों में अपना आधार मजबूत करें। ऐसे समय में जब भारत के दरवाजे हर विदेशी कंपनी के लिए खोल दिए गए हैं, हमें कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। भारत सरकार इस क्षेत्र में संतुलन कायम रखने तथा शोध एवं विकास कार्यों के लिए निवेश प्रोत्साहित करने में पूरी तरह से असफल रही है।”¹ इसके लिये विदेशों में अपनी संचालन गतिविधियाँ बढ़ाना ही हमारे जख्मों का इलाज है। हम भारत में रहकर शोध की सुविधाएँ नहीं बढ़ा सकते। यह समस्या निकट भविष्य में भी समाप्त होने वाली नहीं है। इसके लिये अब एक ही रास्ता बचा है कि भारतीय दवा कंपनियाँ बाहर जाएं, शोध करें, वापस भारत लौटकर दवाएँ सस्ते दामों पर उपलब्ध कराएँ तथा अमेरिका में भारतीय दवाओं के निर्यात को प्रोत्साहित करें।

भारत से वियतनाम को होने वाले निर्यात में वर्ष 1992-93 से हर साल दो गुना से ज्यादा बढ़ोत्तरी हो रही है जिसके और अधिक बढ़ने की संभावना है। वर्ष 1995-96 के दौरान भारत से वियतनाम को 499 करोड़ रुपये का निर्यात किया गया जो पूर्व वित्त वर्ष की तुलना में 171 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वियतनाम भारत से अधिक व्यापार करने वाले असियान (दक्षिण पूर्व एशियाई देश) देशों में पहला देश है। इसके अलावा इस वर्ष सभी एशियान देशों को होने वाले निर्यात में भी अच्छी खासी वृद्धि रही। इन देशों को कुल 3.1 अरब अमेरिकी डालर का व्यापार किया गया।

“आसियान देशों को भारतीय निर्यात वर्ष 1995-96 के दौरान 70 प्रतिशत रहा है। वर्ष 1992-93 से प्रतिवर्ष वियतनाम को निर्यात में दो गुना वृद्धि हुई है। भारत से 1992-93 में 1.2

1 दैनिक जागरण वाराणसी (इलाहाबाद), 24-6-1996, पृ०- 8

करोड़ डालर, 1993-94 में 2.9 करोड़ डालर, 1994-95 में 5.85 करोड़ डालर मूल्य का निर्यात वियतनाम को किया गया। लेकिन 1995-96 में भारतीय निर्यात में आई वृद्धि ने इस क्षेत्र में निर्यात कर रहे आस्ट्रीया, स्वीडन, पुर्तगाल, ग्रीस, डेनमार्क तथा खाड़ी देशों को भी पीछे छोड़ दिया है। भारतीय दवाओं के निर्यातकों को छोड़कर शेष व्यापारिक समुदाय वियतनाम में व्यापार संभावनाओं का पूरा लाभ उठाने के प्रति गंभीर नहीं है। भारतीय दवाओं की वियतनाम के बाजार में 20 प्रतिशत की भागीदारी है।¹ भारत के लिये वियतनाम एक बहुत बड़ा बाजार साबित हो रहा है। वियतनाम में भारतीय माल की काफी मांग है, जिसकी वजह से वियतनाम को भारतीय माल का अधिक से अधिक निर्यात किया जा सकता है। इसके लिये सरकार को चाहिये कि वियतनाम को निर्यात बढ़ाने के लिये विशेष प्रयास करना चाहिये।

“भारतीय निर्यातक ब्राजील को निर्यात बढ़ाने के अपने प्रयासों को दो गुना करें। निर्यात बढ़ाना उदारीकृत व्यापार व्यवस्था के तहत भी जरूरी है। ब्राजील लातिनी अमेरिकी देशों की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तथा यह दुनिया का नौवां सर्वाधिक औद्योगीकृत देश है। यह लगातार निर्यात में बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही आयात भी बढ़ा रहा है। भारतीय वस्तुओं का आयात बढ़ाने के लिए भी वह तैयार है।² भारत ब्राजील को परंपरागत वस्तुओं के अलावा अपरंपरागत सामानों का भी काफी निर्यात कर सकता है। निर्यातक निर्यात बढ़ाने का प्रयास करते समय वे गुणवत्ता तथा नैतिकता के उच्च मानदंडों का पालन करें वरना भारत की स्थिति खराब होते देर न लगेगी। भारतीय निर्यातकों का कार्य अब आसान हो गया है। क्योंकि दक्षिण अफ्रीका के साथ अच्छे व्यापार संबंध स्थापित हो गये हैं। ब्राजील को निर्यात करते समय दक्षिण अफ्रीका को मध्यस्थ बनाया जा सकता है। इससे दूरी कम हो जाएगी तथा अन्त में उनका माल ब्राजील में प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर बिकने लगेगा। ब्राजील में भी व्यापार अवरोध अब काफी ढीला हो गया है। भारतीय उद्यमियों को ब्राजील के उद्यमियों के साथ संपर्क स्थापित कर उन्हें समझना चाहिए। लंबे अरसे से ब्राजील का भारत के साथ अच्छा सम्बन्ध है। दोनों देश विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं

1 दैनिक जागरण, वाराणसी, 30 जून 1996, पृ०- 9

2 दैनिक जागरण, वाराणसी- 26 मई 1996, पृ०- 11

का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनका विश्व के मामलों में काफी प्रभाव भी माना जाता है। सशक्त राजनयिक सम्बन्धों में व्यापारिक एवं आर्थिक सम्बन्धों की सबसे बड़ी भूमिका होती है। भारत व ब्राजील के बीच व्यापार बढ़ने से मौजूदा द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूती हासिल होगी। भारतीय निर्यातक ब्राजील को अनेक उत्पादों का निर्यात कर सकते हैं। अब वहाँ अर्थव्यवस्था खुल रही है। शुल्क दरें औसतन 35 प्रतिशत से घटकर 12 प्रतिशत रह गई है तथा गैर-शुल्क अवरोध खत्म हो गए हैं। ब्राजील अन्य लातिनी अमेरिकी देशों को निर्यात बढ़ाने में भी मददगार हो सकता है।

“भारतीय उत्पादों को विदेशी बाजारों में प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए आठ महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सुधार कर इसे और मजबूत किया जाना चाहिए। मूलभूत सुविधाओं के अभाव में हम विदेशी प्रतिस्पर्धा में पीछे रह जाते हैं। इस क्षेत्र में उपयुक्त उपाय कर भारत को विदेशी कम्पनियों के मुकाबले खड़ा किया जा सकता है। मूलभूत सुविधाओं के अलावा निवेश को सुनिश्चित करना और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर कच्चे माल की आपूर्ति, वित्त की लागत करों और शुल्कों को तर्कसंगत बनाना, डम्पिंग विरोधी उपायों को असरदार बनाना, निर्यातानुमुखी इकाइयों निर्यात सम्वर्द्धन मण्डलों की स्कीम को तर्कसंगत बनाना तथा श्रमिक नीति में आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करवाने, ये ऐसे महत्वपूर्ण और गम्भीर क्षेत्र हैं जिसमें तुरंत ठोस कदम उठाये जाने की जरूरत है।”¹ बुनियादी सुविधाओं के विकास में भारतीय कम्पनियों की प्रभावी हिस्सेदारी के लिए उन्हें अनुकूल समर्थन और गारण्टियां देकर प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। देश के व्यापार और सेवाओं को प्रतिस्पर्धी बनाने में लागत और वित्त की उपलब्धता मूल आधार का काम करती है। बैंकिंग, बीमा और वित्त व्यवसाय में निजी क्षेत्र के प्रवेश को बढ़ाने के लिए ज्यादा लचीला रूख अपनाया जाना चाहिए।

करों और शुल्कों को तर्कसंगत और पुनर्गठित किये जाने की आवश्यकता है। यदि अप्रत्यक्ष करों के स्थान पर व्यापक मूल्य वर्धित कर (वैट) प्रणाली को लागू कर दिया जाये तो इस सन्दर्भ में होने वाली समस्याओं को काफी कम किया जा सकता है। जब तक यह सुविधा लागू नहीं हो पाती राज्य सरकारों के लिए विभिन्न प्रकार की बिक्री कर प्रणाली की जगह एक आदर्श बिक्री कर व्यवस्था बना देना चाहिए।

1 राष्ट्रीय सहारा, लखनऊ, रविवार, 23 जुलाई 1995, पृ०- 8

निर्यात को बढ़ावा देने के लिए शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयां निर्यात सम्बर्द्धन परिसरों, ई०ओ०यू० और ई०पी०जेड० प्रणाली को और तर्कसंगत बनाया जाना चाहिए। निर्यात-आयात नीति में कुछ परिवर्तन कर निर्यातोन्मुखी इकाइयों को आसान बनाया गया है, लेकिन बिक्री पर शुल्क ढाचे और रद्दी सामानों के लिए विभिन्न नियमों को आसान बनाने का काम अभी शुरू नहीं हुआ है।

उद्योगों के सम्मुख बदलते माहौल में नयी चुनौतियों का सामना करने में मौजूदा श्रमिक नीति भी एक बड़ी गम्भीर समस्या है। वर्तमान श्रमिक नीति की जटिलताओं की समीक्षा कर इसे कार्यकुशल और उत्पादकता को बढ़ावा देने तथा अधिक रोजगार के अवसर पैदा करने वाला बनाया जाना चाहिए। व्यापारिक समुदाय को भी अधिक जिम्मेदारी वहन करनी चाहिये जिसमें कम्पनी की योजना में निर्यात को अहम मुद्दा बनाया जाय। उद्योगों को विशेष निर्यात लक्ष्य तय कर इसे पाने की दिशा में भरपूर कोशिश करनी चाहिये।

बन्दरगाहों की क्षमता का तेजी से विस्तार किया जाय तथा वहाँ के उपकरणों का आधुनिकीकरण किया जाय। इसके लिये बन्दरगाह क्षेत्र में निवेश बढ़ाने का उपाय किया जाय तथा नये नीतिगत निर्णय लिया जाय। देश के पोर्ट ट्रस्टों को ज्यादा से ज्यादा स्वायत्तता प्रदान करने की जरूरत है। पोर्ट अधिकारी बन्दरगाहों पर आवश्यक सेवाओं में सुधार तथा उत्पादन व रखरखाव सम्बन्धी कार्यों में कुशलता लाने में अपना अमूल्य योगदान दें। देश का व्यापार तेजी से बढ़े और इस काम में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए।

राष्ट्रीय राजमार्गों पर 40 प्रतिशत से ज्यादा यातायात होता है। लेकिन उनकी लम्बाई देश में सड़कों की कुल लम्बाई का मात्र 2 प्रतिशत है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर क्षमता से अधिक दबाव है। सरकार उन अड़चनों को दूर करे, जिनसे यातायात में गतिरोध पैदा होता है। इसके लिए राष्ट्रीय राजमार्गों का तत्काल सुधार शुरू किया जाय।

भारतीय जहाजरानी की मालवहन क्षमता को बढ़ाने की भी जरूरत है। इसके लिए भारतीय शिपिंग कंपनियों को ज्यादा टनेज हासिल करने की सुविधा दी जाय ताकि वे भारतीय व्यापार का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा ढो सकें। भारतीय समुद्र तट काफी विशाल है। देश में तकरीबन 14,500

किलोमीटर लम्बे अन्तरदेशीय जलमार्ग हैं। ऐसे में यदि तटीय जहाजरानी, बंदरगाहों तथा जलमार्गों का विकास किया जाय तो इससे सड़क और रेल यातायात का भार काफी हल्का हो सकता है।

यदि भारतीय निर्यातकों ने उत्पादों की गुणवत्ता पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यवसाय के लिए आवश्यक नैतिक मानदंडों को नहीं अपनाया तो भारत निर्यात में पूर्वी एशियाई देशों के मुकाबले बहुत ज्यादा पिछड़ जायेगा तथा चीन और कोरिया जैसे देश अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा से उसे बाहर कर देंगे। इसलिये भारतीय निर्यातकों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहिये और उत्पादों की गुणवत्ता के साथ ही साथ उनके डिजाइन पर भी हमें ध्यान देना चाहिये। ज्यादा से ज्यादा आकर्षक और नवीनता मूलक रूप होगा, तभी विदेशी ग्राहक उनकी तरफ ध्यान देंगे। इसके अलावा पैकेजिंग की क्वालिटी और चमक-दमक पर भी खास ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि आजकल उत्पाद में जितना महत्व उसकी पैकेजिंग का है, जिसके बगैर उत्पाद की गुणवत्ता पर भी असर पड़ सकता है।

गुणवत्ता तथा किफायत के अलावा आक्रामक मार्केटिंग भी निर्यातकों के लिए महत्वपूर्ण है, जिसके लिए विदेशों में भारत तथा भारतीय उत्पादों की छवि बनाने और समय पर सामान की डिलीवरी देने का अभियान छेड़ना चाहिये।

खरीदारों द्वारा निर्यातकों के पैसों का भुगतान न करने के पीछे ज्यादातर मामले घटिया उत्पादों की सप्लाई के हैं, इसी वजह से खरीदार भुगतान रोक देते हैं। इस कठिनाई से निपटने के लिए निर्यातक अपनी कमियों पर गौर करें तथा उत्पादों का स्तर सुधारें।

“निर्यातक इलेक्ट्रानिक तंत्र का लाभ उठाएं क्योंकि तेज रफ्तार विश्व में व्यवसाय के लिए इसका कोई विकल्प नहीं है। 1 जनवरी 1998 से देश भर में निर्यात से जुड़ी एजेंसियों में ई०डी०आई० प्रणाली लागू हो जायेगी, जिससे सारा कागजी काम इलेक्ट्रानिक माध्यम से होने लगेगा। इस नेटवर्क से वाणिज्य मन्त्रालय, कस्टम हाउस, बन्दरगाह तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय आदि सभी जुड़ जायेंगे। फियो द्वारा स्थापित “फियोनेट” निर्यातकों तथा आयातकों को देश-विदेश से सम्बन्धित समस्त व्यापार सूचनाएं उपलब्ध कराएगा। यह बेहद तेज तथा सबसे सस्ता इलेक्ट्रानिक डाटा नेटवर्क है। फियो ने इसकी स्थापना वाणिज्य मन्त्रालय की पहल पर की है। इसके माध्यम

से भविष्य में लागू होने वाली ई०डी०आई० प्रणाली का पूर्वाभ्यास कराया जाएगा। फियोनेट के तहत फियो ने मल्टिपल फैक्स/ ई मेल/ फाइल ट्रांसफर सुविधा शुरू कर दी है, जो फियो के देशभर में फैले कार्यालयों में उपलब्ध है। फियोनेट से भविष्य में निर्यातकों एवं आयातकों को उनकी डेस्क पर ही सभी आवश्यक सूचनाएं तत्काल प्राप्त हो जाया करेगी।”¹

निर्यातक मूल्य विधित उत्पादों के निर्यात पर अधिक ध्यान दें। भारतीय निर्यातकों में अपने उत्पादों की गुणवत्ता और डिलीवरी समय के प्रति बढ़ती जागरूकता को देखते हुए निर्यात लक्ष्य की प्राप्ति में अधिक कठिनाई नहीं आनी चाहिए। निर्यातोन्मुखी इकाइयों की योजना के तहत पूरी अवधि तक 'कर छूट' देना चाहिये। कर ढांचे के सरलीकरण और निर्यातोन्मुखी इकाइयों को काम करने की पूरी छूट भी देना चाहिये। यदि निर्यात में क्षेत्रीय विषमताएं समाप्त कर दी जाये तो हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं।

विश्व बाजार की अपनी शैली, अपना अंदाज है। निर्यातकों को इसे समझना चाहिए तथा बदलती मांगों को पूरा करने में जुट जाना चाहिए। भारत विदेशी गठबंधनों के बल पर कभी वास्तविक विकास नहीं कर सकता, क्योंकि इससे ज्यादातर लाभ विदेशी कंपनियों के खाते में चला जाता है। यदि भारत को कोरिया तथा चीन की तरह आगे बढ़ना है तो भारतीय ब्रांड (मेड इन इंडिया) को लोकप्रिय बनाना चाहिये। भारतीय उत्पादों की ब्रांड छवि को अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में स्थापित करना चाहिये ज्यादातर उपक्रमों की समस्याएं प्रबंधन स्तर की हैं, इसलिए प्रबंधकों को उच्चतम स्तर पर निर्णय लेना सीखना चाहिये तथा उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करना चाहिये।

भारत से जिन वस्तुओं का निर्यात किया जाता है, उनमें इंजीनियरिंग का सामान, कृषि और उससे सम्बन्धित उत्पाद, चमड़ा और उससे बनी वस्तुओं, रत्न और आभूषण, रसायन और संबद्ध उत्पाद, वस्त्र इत्यादि प्रमुख हैं। निर्यात की दृष्टि से भारत के लिए पूर्वी एशिया तथा दक्षिणी एशिया के देश सबसे बड़ा बाजार साबित हो रहे हैं। इस क्षेत्र के देशों को भारत अपने कुल निर्यात का लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा निर्यात करता है। भारत के पड़ोसी देशों में भी हाल के कुछ वर्षों से भारतीय वस्तुओं की मांग बढ़ी है। दक्षिण एशियाई देशों में भारत की व्यापारिक गतिविधियाँ मुख्य

रूप से बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ ही हैं, लेकिन देश की अर्थनीति में जो खुलापन आया है, उससे नेपाल, भूटान, मालदीव और पाकिस्तान के साथ व्यापारिक सबन्धों में भी थोड़ी वृद्धि हुई है। मगर यह वृद्धि उत्साहवर्धक नहीं कही जा सकती, इसलिये इसे और गति देने की पहल की जानी चाहिए। भारतीय वस्तुओं की अच्छी खासी खपत अमरीका, जापान, जर्मनी, ब्रिटेन तथा हांगकांग में भी है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि भारतीय कंपनियाँ इन देशों को इनकी जरूरत के मुताबिक वस्तुएं निर्यात नहीं कर पा रही हैं, जबकि हम इन आधुनिक देशों को हस्तशिल्प, रत्न और आभूषण, कालीन, चमड़ा के उत्पाद का भारी मात्रा में निर्यात करके अच्छी खासी विदेशी मुद्रा कमा सकते हैं। इन उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि करने से जहाँ एक ओर भारत के घरेलू बाजार में रोजगार के नये अवसर बन सकते हैं, वही पर दूसरी ओर देश की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो सकती है। यदि पूर्ण राजनैतिक इच्छा शक्ति एवं सामाजिक-आर्थिक समस्याओं (गरीबी, रोजगार, मुद्रास्फीति, संतुलन, पर्यावरण, मानव संसाधन विकास) के समाधान के लिए आगामी पांच वर्षों हेतु एक निश्चित पारदर्शी आर्थिक कार्यक्रम बनाया जाता है तो अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में अनिश्चितता का दौर समाप्त हो सकता है तथा सभी सामाजिक-आर्थिक समस्याओं का कायाकल्प हो सकता है।

1991 से शुरू किया गया आर्थिक उदारीकरण कार्यक्रमों की बदौलत भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक दुष्क्रों की कैद से निकलकर विश्व स्तर पर एक महत्वपूर्ण आर्थिक खिलाड़ी के रूप में उभरने में सफल रहा है। गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, निम्न जीवन स्तर, मुद्रास्फीति तथा बढ़ते राजकोषीय घाटे ने इन सुधार कार्यक्रमों के प्रति आशंका तथा चुनौती उपस्थित की है, लेकिन वर्तमान परिवेश में इस उदारीकरण की यात्रा को तीव्र गति के साथ जारी रखना देश एवं समाज के लिए सबसे अधिक हित में है। विश्व स्तर पर हुए आर्थिक बदलावों के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था भी उससे अलग नहीं रह सकता है। आर्थिक उदारीकरण की तीव्र रफतार भारत को न केवल विश्व का महत्वपूर्ण आर्थिक खिलाड़ी बना सकता है, बल्कि सामाजिक एवं राजनैतिक दृष्टि से भी एक शक्तिशाली राष्ट्र बना सकता है।

अगर कृषि क्षेत्र पर विशेष ध्यान दिया जाये तो कृषि निर्यात वर्तमान 16 प्रतिशत से बढ़कर

20 से 25 प्रतिशत हो सकता है। सरकार की उदार आर्थिक नीति ने किसानों को निर्यात बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया है।

“कृषि क्षेत्र से निर्यात में वृद्धि करने की व्यापक संभावनाएं मौजूद हैं, क्योंकि अभी 90 प्रतिशत कृषि निर्यात में सिर्फ 10 उत्पाद शामिल हैं। ये 10 उत्पाद भी विदेशों में कुछ खास वर्ग, जिसमें मुख्यतः भारतीय मूल के लोग शामिल हैं, उनके लोगों के बीच ही खपत है। अगर विपणन नेटवर्क का विस्तार करते हुए उत्पाद को विविधीकृत किया जाये तो भारतीय कृषि उत्पादों का अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में व्यापक पैमाने पर निर्यात किया जा सकता है।”¹

निर्यात के दृष्टिकोण से आलू और प्याज की जगह मशरूम जो कि ज्यादा लाभदायक है, पर अधिक ध्यान देना चाहिए। अर्धनिर्मित वस्तुओं के बजाय पूर्ण निर्मित वस्तुओं की बिक्री से अधिक लाभ मिल सकता है। उदाहरण के लिए जूट के बजाय कपड़ा, स्टील के बजाय स्टील के धागे, जडी बूटी एवं पेड़ पौधों के बजाय उनके उत्पाद, इत्यादि। तैयार भोजन बेचकर लगभग 2,000 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष की आय की जा सकती है। रूस और अमेरिका में आलू चिप्स, आलू पावडर, आलू मैस इत्यादि की अत्याधिक मांग है। परन्तु भारतीय विदेशी व्यापार संस्थान के एक अध्ययन के अनुसार विभिन्न करों के कारण इन वस्तुओं की लागत 20 से 30 प्रतिशत तक अधिक हो जाती है, अतः करों में सरलीकरण की आवश्यकता है।

विदेशी व्यापार में संतुलन बनाने के लिए सरकार को कृषिक्षेत्र के उत्पादों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चूँकि भारतीय कृषि क्षेत्र में अपार संभावनाएं पहले से ही मौजूद हैं, बस उन्हें पूरी तरह उपयोग में लाने की जरूरत है। आधुनिक बाजार व्यवस्था में कृषि सम्बन्धित उत्पादों का रूप सुधार कर या परिवर्तित करके मुद्रा कमाने का अनेक प्रकार का नया तथा सफलतम प्रयोग किया है।

खाद्य प्रसंस्करण, चिप्स, पापड़, फ्रूट जूस, जैम, जैली, अचार, मुरब्बा इत्यादि से कई देश करोड़ों रुपये का व्यवसाय कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस काम में केवल छोटे या मझोले देश

ही शामिल हों, बल्कि यह काम बाकायदा विकसित तथा बड़े देशों के द्वारा किया जा रहा है। ये तमाम विकसित देश कृषि सम्बन्धित उत्पादों के व्यवसाय में उतरकर भारी मुनाफा भी कमा रहे हैं, लेकिन कृषि प्रधान देश का राग अलापने वाले भारत में सबसे अधिक दुर्दशा कृषि क्षेत्र की है। यदि भारत सरकार एक निश्चित कार्यक्रम के तहत कृषि क्षेत्र के उत्पादों का उत्पादन बढ़ाये तो न केवल देश में आर्थिक खुशहाली का माहौल बन सकता है, बल्कि हमें निर्यात करने योग्य तमाम सामान भी मिल सकता है, जिससे विदेशी मुद्रा अर्जित करने में सुविधा हो सकती है।

भारतीय वस्तुओं के निर्यात में सबसे ज्यादा गुंजाइश दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों और अफ्रीकी देशों में नजर आ रही है। इन छोटे-छोटे तथा आर्थिक रूप से पिछड़े देशों में भारतीय सामान की खपत और मांग बराबर बढ़ रही है। इसलिए उसकी पूर्ति का पूरा उपाय किया जाना चाहिये। निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की मात्रा और गुणवत्ता के मामले में जो शिकायतें देश को सुननी पड़ती हैं या जिनकी वजह से देशी माल को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का नहीं माना जाता है, उन पर ध्यान देकर उन्हें अन्तर्राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए कारगर नीतियां बनानी चाहिए।

देश के विदेशी व्यापार में संतुलन कायम करने के लिए हमें आयातित माल के मोहपास से भी निकलना होगा, क्योंकि यह कोई जरूरी नहीं है कि जिस माल पर आयातित मोहर का ठप्पा लगा है, वह माल भारतीय माल की गुणवत्ता से श्रेष्ठ ही है। इसके अलावा हमें कच्चा माल निर्यात करने की भी प्रवृत्ति से उबरना चाहिये, क्योंकि कच्चे माल की बिक्री से देश को नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए हमें तैयार माल निर्यात करने की योजना पर अग्रसर होना चाहिए। चूँकि हमारे देश में अवसर, साधन और भ्रम की कोई कमी नहीं है। इसलिये हमें इन बातों की अवहेलना करके कोई भी नयी विदेशी व्यापार नीति बनाने की आवश्यकता नहीं है। यदि सरकार इस दिशा में सजग रही तो भारतीय आयात-निर्यात का अंतर शीघ्र ही समाप्त हो सकता है।

भारत में आर्थिक उदारीकरण के बाद जिस गति से औद्योगिक और कृषि क्षेत्र में प्रगति हुई है, उस गति से ढांचागत क्षेत्र का विस्तार नहीं हो पाया है। जिसके फलस्वरूप बंदरगाहों, सड़कों, जहाजरानी, रेलवे आदि पर क्षमता से कहीं अधिक भार डाला जा रहा है। यदि भविष्य में भी यही स्थिति बनी रही तो भारतीय अर्थव्यवस्था अपने विकास का बोझ वहन नहीं कर पायेगी।

आर्थिक उदारीकरण के पश्चात आयात-निर्यात में वृद्धि हुई, जिससे बन्दरगाहों पर मालवाहक जहाजों की भीड़ भी बढ़ती गई। आज स्थिति यह है कि इन जहाजों को कई दिनों तक बंदरगाहों पर माल उतारने या लादने के लिए ठहरना पड़ता है। “अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर बन्दरगाह अपनी क्षमता के 60 से 65 प्रतिशत पर ही काम करते हैं, लेकिन भारत में मद्रास बन्दरगाह 135 प्रतिशत, तूतीकोरिन 132 प्रतिशत, पारादीप 132 प्रतिशत, कांडला 127 प्रतिशत, बम्बई 120 प्रतिशत तथा मारमुगाओं 118 प्रतिशत क्षमता पर काम कर रहे हैं। इन बन्दरगाहों पर जहाजों को औसतन 4 से 10 दिन तक रूकना पड़ता है, जबकि विदेशी बन्दरगाहों पर 6 से 48 घन्टे के भीतर यह काम पूरा हो जाता है।”¹ भारत में इन समस्याओं से निपटने के लिए बन्दरगाहों के बेहतर प्रबंधन के लिये बन्दरगाह ट्रस्टों को एक स्वशासी प्रशासनिक इकाई बनाना चाहिए, सीमा शुल्क विभाग को माल की जाँच के लिए तथ्यात्मक नीति अपनानी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक विधि से कोष हस्तांतरण की विधि को सीमा शुल्क के साथ एकीकृत करना चाहिए तथा सभी बन्दरगाहों को कम्प्यूटरीकृत माल प्रबंध प्रणाली अपनानी चाहिए।

यदि उपरोक्त सुझावों को व्यवहार में लाया जाय तो निश्चित ही निश्चित सीमा तक भारत के निर्यात में वृद्धि, विश्व कल्याण में वृद्धि सम्भव है।

1 क्रानिकल, मार्च, 1996, प्रकाशक- 208-209, शिवलोक हाउस- 1, करमपुरा कर्माशियल कम्प्लेक्स, नई दिल्ली- 110015, पृ०- 55

संदर्भ ग्रंथ-सूची

पुस्तकें

१. कृष्ण बाल "कामर्सियल रिलेशन बिटविन इंडिया एण्ड इंग्लैण्ड" (1601 से 1757) लन्दन, 1924
२. कालीपाडा, देव "एक्सपोर्ट स्ट्रेटजी इन इण्डिया" सुल्तान चन्द्र एण्ड कम्पनी लि०, नई दिल्ली, 1978
३. कृष्ण मनमोहन "नव आर्थिक व्यवस्था एवं अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संगठन" होराईजन पब्लिशर्स, इलाहाबाद, 1995
४. गुप्त डा० राम प्रताप एवं डा० विष्णु दत्त नागर "आर्थिक विकास के सिद्धान्त एवं समस्याएँ" दि मैकमिलन कम्पनी आफ इण्डिया लि०, नई दिल्ली, 1977
५. गुट्टे डा० डी०एन० "अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र" कालेज बुक डिपो, जयपुर, 1971-72
६. जैन जे०के० "क्रियात्मक प्रबन्ध" प्रतीक प्रकाशन, इलाहाबाद, 1988
७. जैन डा० एस०सी० एवं डा० चतुर्भुज मेमोरिया "भारतीय अर्थशास्त्र" साहित्य भवन, आगरा, 1986
८. जैन पी०सी० एवं सतीश कुमार "डेवेलपिंग कन्ट्रीज इन इन्टरनेशनल ट्रेड रिलेशन" चुघ पब्लिकेशन्स, इलाहाबाद, 1987
९. जैन पी०सी० "भारत की आधुनिक आर्थिक प्रगति" हिन्दी समिति, सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ, 1966
१०. पटेल आई जी "भारत का भुगतान सन्तुलन— विदेश व्यापार पुनर्दृष्टि की एक समालोचना" भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली, 1981
११. पुरी वी० के० एवं एस०के० मिश्र "भारतीय अर्थव्यवस्था" हिमालया पब्लिशिंग हाउस गिरगाँव, मुंबई, 1994
१२. बाल गोपाल, टी०ए०एस० "निर्यात प्रबन्ध" हिमालय पब्लिशिंग हाउस, बम्बई, 1981

- १० ब्राउन एण्ड न्यूबरगन "इन्टरनेशनल एण्ड सेन्ट्रल प्लानिंग"
- १० भाट वी०वी०: "भारत में आर्थिक परिवर्तन और नीति की छवि"(1800 से 1960), बम्बई, 1963
- १० मिश्र जगदीश नारायण "भारतीय अर्थव्यवस्था" किताब महल, 15 थार्नहिल रोड, इलाहाबाद 1991
- १० लाल डा० एस०एन० "मौद्रिक अर्थशास्त्र" शिव प्रकाशन, इलाहाबाद, 1979
- १० लाल कुन्दन एवं अमरनाथ अग्रवाल "आर्थिक आयोजन के सिद्धान्त" दि मैकमिलन कम्पनी आफ इंडिया लिमिटेड, दिल्ली, 1975
- १० वाधवा आर०के० एवं एल० शाहू "फारेन इनवेस्टमेन्ट ला एण्ड पालिसी इन सेलेक्ट डेवेलपिंग कन्ट्रीज" इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ फारेन ट्रेड, नई दिल्ली, जून 1990
- १० वर्मा डा० एम०एल० "फारेन ट्रेड मैनेजमेन्ट इन इंडिया" विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा० लि०, 576 मस्जिद रोड, नई दिल्ली, 1996
- १० वर्मा डा० एम० एल० "इन्टरनेशनल ट्रेड" विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा० लि०, नई दिल्ली, 1996
- १० वार्धोय एवं डा० शर्मा ✓ "विकास का अर्थशास्त्र एवं नियोजन" साहित्य भवन, आगरा
- १० शर्मा आर० डी०, एन० एस० गुप्ता, "एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजिस आफ 90" अनमोल पब्लिकेशंस, नई आर० पी० राजबहक, पी० एन० दिल्ली, 1990
- अबरोल
- १० शोने० आर० "मैकमिलन स्टडीज इन इकोनोमिक्स- द प्योर थियूरी आफ इन्टरनेशनल ट्रेड" द मैकमिलन प्रेस लि०, लन्दन, 1972
- १० शर्मा राम शरण ✓ "प्राचीन भारत, कक्षा-II" एन०सी०ई०आर०टी०
- "मध्य कालीन भारत, कक्षा- II"(800 ई० से 1200 ई० तक) एन०सी०ई०आर०टी०
- १० सिंघई डा० जी०सी० "अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र" साहित्य भवन, आगरा, 1993

- ५.० सुन्दरम के०पी०एम० एवं रुद्र दत्त "भारतीय अर्थव्यवस्था" एस० चन्द एण्ड कम्पनी लि०, नई दिल्ली, 1994
- ५.० श्रीवास्तव एच०जी०पी० "इन्टरनेशनल इकोनोमिक्स" विकास पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1975
- ५.० श्रीवास्तव एच०जी०पी० "अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र" विकास पब्लिशिंग हाउस प्रा०लि०, नई दिल्ली, 1977
- ५.० सिद्दीकी डा० ए०ए० "द कामर्स जर्नल" वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद, 1990-91
- ५.० सिद्दीकी डा० ए०ए० "अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार एवं प्रशुल्क नीति" प्रयाग पुस्तक भवन, इलाहाबाद, 1996
- ५.० सिन्हा डा० वी०सी० एवं डा० जे० प्रकाश "भारतीय कृषि, उद्योग, व्यापार एवं यातायात" लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, 1983
- ५.० सिन्हा वी०सी० "अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र" नेशनल पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 1985
- ५.० सिंह सुदामा एवं एम०सी० वैश्य "अन्तर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र" आक्सफोर्ड एण्ड आई०बी०एच० पब्लिशिंग क० प्रा० लिमिटेड, नई दिल्ली, 1989

पत्रिकायें

- ↳ प्रतियोगिता सम्राट दीवान पब्लिकेशंस प्रा० लि०, नई दिल्ली
- ↳ प्रतियोगिता दर्पण उपकार प्रकाशन, 2/11 ए स्वदेशी बीमा नगर, आगरा
- ↳ क्रानिकल क्रानिकल पब्लिकेशंस प्रा०लि० 208-209, शिवलोक हाउस, नई दिल्ली
- ↳ फारेन ट्रेड बुलेटिन भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली
- ↳ उद्योग व्यापार पत्रिका (मासिक) इण्डिया ट्रेड प्रमोशन आर्गनाइजेशन, प्रगति भवन, प्रगति मैदान, नई दिल्ली

- ❖ विदेश व्यापार-प्रवृत्तियाँ एवं वृत्तात भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, नई दिल्ली
- ❖ फारेन ट्रेड रिव्यू वाल्यूम XV No-1, लिफ्ट नई दिल्ली, अप्रैल-जून 1980
- ❖ इकोनोमिक एण्ड पोलिटिकल दीपक नय्यर, मई, 1987
वीकली
- ❖ फारेन ट्रेड रिव्यू एरिक गोनसेल्वेस, सम थाट्स आन इण्डिया एक्सपोर्ट स्ट्रेटेजिस, वाल्यूम XX1, न०- 2 आई० आई० एफ०टी०, नई दिल्ली
- ❖ द कामर्स जर्नल वाणिज्य एव व्यवसाय प्रशासन विभाग,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद
1990-91 और 1994-95

दैनिक समाचार

- ❑ फाइनेन्सियल एक्सप्रेस, नई दिल्ली
- ❑ द इकोनोमिक्स टाइम्स, नई दिल्ली
- ❑ नव भारत टाइम्स, नई दिल्ली
- ❑ जनसत्ता, नई दिल्ली
- ❑ हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
- ❑ राष्ट्रीय सहारा, लखनऊ
- ❑ आज, वाराणसी
- ❑ दैनिक जागरण, वाराणसी
- ❑ अमर उजाला, कानपुर
- ❑ अमृत प्रभात, इलाहाबाद
- ❑ नार्दन इण्डिया पत्रिका, इलाहाबाद

सरकारी प्रकाशन

- ◇ योजना सूचना और प्रसारण मन्त्रालय, भारत सरकार
- ◇ वार्षिक रिपोर्ट वाणिज्य मन्त्रालय, भारत सरकार
1991-92, 1992-93, 1994-95
- ◇ द्वितीय पंचवर्षीय योजना योजना आयोग, भारत सरकार 1959
- ◇ तीसरी पंचवर्षीय योजना योजना आयोग, भारत सरकार की ओर से
प्रकाशित, 1962
- ◇ आर्थिक सर्वेक्षण वित्त मन्त्रालय, भारत सरकार (आर्थिक प्रभाग)
1988-89, 1993-94, 1994-95,
1995-96, 1996-97
- ◇ एनूवल रिपोर्ट 1987 आई०एम०एफ
- ◇ रिपोर्ट आन करेन्सी एण्ड फाइनेन्स 1987-88 इकोनोमिक रिव्यू, वाल्यूम- 1
- ◇ सार्वजनिक कार्य करने पर समिति (40 वाँ घोषणा) चौथा लोक सभा
- ◇ एक्सपोर्ट प्रोस्पेक्टस आफ डीजल इन्जिन्स एन सी ए ई आर, अगस्त 1967
- ◇ फारेन कोलाबोरेसन्स इन इण्डियन इण्डस्ट्री फोर्थ सर्वे रिपोर्ट, 1985, आर०बी०आई०, बम्बई
- ◇ पोजिसन एण्ड प्रोस्पेक्टस आफ इण्डिया फारेन ट्रेड ए सर्वे बाई ट्रेड कमीशन बाई ए०एन०
अग्रवाल एडिटेड किताबिस्तान, कमला नेहरू रोड, इलाहाबाद, 1947

दूरदर्शन प्रसारण

डी०डी०- 1, टी०वी० प्रसारण- मेड इन इण्डिया प्रोग्राम, नालिनी सिंह द्वारा प्रस्तुत,

प्रोग्राम प्रसारण तिथि- 16-10-1995, 23-10-1995, 20-11-1995,

27-11-1995, 4-12-1995

समय- 8 PM से 8.30 PM तक

फैक्स न०- 011-332-7161